हरियाणा विधान सभा
की
कार्यवाही

27 दिसम्बर, 2022

खण्ड–4, अंक–2

अधिकृत विवरण

विषय सूची

मंगलवार, 27 दिसम्बर, 2022

पृष्ठ संख्या

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, रामगढ़ तथा
राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सैक्टर–15, पंचकुला
के अध्यापकण एवं विद्यार्थियों का अभिनंदन

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

आज के लिए सूचीबद्ध तारांकित प्रश्नों की संख्या को
नेवा पोर्टल पर क्रमित करने के संबंध में मामला उठाना

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

शून्यकाल में भाग लेने के लिए सदस्यों के नामों के संबंध में सूचना

शून्यकाल में सदस्यों द्वारा उठाई गई मांगों के संबंध में मामला उठाना

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों/स्थगन प्रस्ताव/गैर सरकारी संकल्पों/अल्पकालिक चर्चाओं की सूचना

शून्यकाल में विभिन्न मामले/मांगे उठाना

पूर्व सांसद और पूर्व सदस्य हरियाणा विधान सभा तथा राज्य सभा के सदस्य का अभिनंदन

शून्यकाल में विभिन्न मामले/मांगे उठाना (पुनरारम्भ)

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री द्वारा दोपहर भोज के लिए आमंत्रण

बैठक का स्थगन

दयाल सिंह पब्लिक स्कूल, पानीपत के अध्यापकगण तथा विद्यार्थियों का अभिनंदन

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव–

(i) राज्य में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा भर्ती संबंधी

वक्तव्य–

कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

वॉक आउट

नगर निगम, पंचकुला के महापौर एवं पार्षदों/नव निर्वाचित अध्यक्ष,
उपाध्यक्ष एवं सदस्य, खण्ड विकास समिति रायपुर रानी तथा
नव निर्वाचित सरपंच एवं सदस्य पंचायत समिति, पटौदी का अभिनंदन

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव–

(ii) नई प्रॉपर्टी आई.डी. बनाने संबंधी

वक्तव्य–

शहरी स्थानीय निकाय एवं आवासीय मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

भारत जोड़ो यात्रा और इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेताओं के विरूद्ध शहरी स्थानीय निकाय एवं आवासीय मंत्री द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों के संबंध में मामला उठाना

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (पुनरारम्भ)

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

वर्ष 2022–23 के लिए अनुपूरक अनुमान (द्वितीय किस्त) प्रस्तुत करना

प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना

वर्ष 2022–23 के लिए अनुपूरक अनुमान (द्वितीय किस्त) की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

विधायी कार्य–

(i) विचार तथा पारित किये जाने वाले विधेयक

1. दि हरियाणा श्री माता भीमेश्वरी देवी मन्दिर (आश्रम), बेरी श्राइन बिल, 2022

हरियाणा विधान सभा के पूर्व सदस्य का अभिनन्दन

विधायी कार्य (पुनरारम्भ)

2. दि हरियाणा पंचायती राज (अमैंडमैंट) बिल, 2022
3. दि हरियाणा रूरल डिवैल्पमैंट (अमैंडमैंट) बिल, 2022

बैठक का समय बढ़ाना

विधायी कार्य (पुनरारम्भ)

4. दि हरियाणा एंटरप्राइजिज प्रमोशन (अमैंडमैंट) बिल, 2022
5. दि हरियाणा लेजिस्लेटिव एसेम्बली (सैलरी, अलाउंसिज एण्ड पेंशन ऑफ मैंबर्स) सैकेंड अमैंडमैंट बिल, 2022
6. दि फरीदाबाद मैट्रोपोलिटन डिवैल्पमैंट अथॉरिटी (अमैंडमैंट) बिल, 2022
7. दि गुरूग्राम मैट्रोपोलिटन डिवैल्पमैंट अथॉरिटी (अमैंडमैंट) बिल, 2022

हरियाणा विधान सभा

मंगलवार, 27 दिसम्बर, 2022

विधान सभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर–1, चण्डीगढ़ में प्रातः 11.00 बजे हुई। अध्यक्ष (श्री ज्ञान चंद गुप्ता) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब प्रश्न काल शुरू होता है।

The Number of Collection Centres

***21. Shri Parmod Kumar Vij**: Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state-

(a) the location wise number of collection centres set up by the Government for door to door lifting of garbage in Panipat city; and

(b) the detailed proposal of the Government for the proper disposal of garbage in Panipat City?

शहरी स्थानीय निकाय एवं आवासीय मंत्री (डॉ कमल गुप्ता): सर,

(क) कचरे के डोर टू डोर कलैक्शन व उठान के लिए नगर निगम, पानीपत द्वारा जिमखाना कल्ब के नजदीक सैक्टर–25 (पार्ट–2) स्थित हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की भूमि पर एक संग्रह केंद्र स्थापित किया गया है।

(ख) शहर से एकत्र किए गए कचरे को प्रसंस्करण और अंतिम निस्तारण के लिए प्रतिदिन गांव ताजपुर (मुरथल), सोनीपत स्थित कचरे से ऊर्जा संयंत्र में ले जाया जाता है।

श्री प्रमोद कुमार विजः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जिस कम्पनी के साथ कांट्रैक्ट किया गया है उसको शहर में 45 प्राइमरी कलैक्शन सैन्टर्स खोलने थे जहां पर शहर से डोर–टू–डोर कलैक्शन के बाद कूड़ा इकट्ठा किया जायेगा। उसके बाद वहां से सैग्रिगेशन प्वायंट पर जायेगा लेकिन 4 साल हो गये हैं और पानीपत नगर निगम कोई भी प्राइमरी सैन्टर नहीं खुलवा पाया है। डोर–टू–डोर कलैक्शन करने वाले लोग उस कूड़े को किसी खम्भे की आड़ में या किसी बिल्डिंग की आड़ में डाल देते हैं जिससे सारा दिन कूड़ा उड़ता रहता है और गलियों में बदबू आती रहती है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि नगर निगम को इसके लिए आदेश दिये जायें तथा जो प्राइमरी कलैक्शन सैन्टर्स खोले जाने हैं, वे खोले जायें। दूसरी बात यह है कि जो सैकेंड्री प्वायंट है जो सैक्टर–25 जिमखाना क्लब के बराबर में खोला गया है, वह बहुत पॉश एरिया है और महंगा एरिया है। उस सैकेंड्री प्वायंट के कारण वहां पर बहुत बदबू फैली रहती है। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि सैकेंड्री प्वायंट शहर से दूर

बनाया जाये ताकि लोगों को बदबू का सामना न करना पड़े। शहर में प्राइमरी कलैक्शन सैन्टर्स भी खोले जायें और सैकेंड्री प्वायंट को शहर से दूर बनाया जाये।

डॉ. कमल गुप्ता: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि इनकी बात जायज है। प्राइमरी कलैक्शन सैन्टर्स खोलने की मंशा इसलिए नहीं है क्योंकि जैसा माननीय सदस्य स्वयं मान रहे हैं कि सैग्रिगेशन सैन्टर के पास बदबू रहती है और अगर हम शहर में प्राइमरी कलैक्शन सैन्टर्स खोल देंगे तो पूरे शहर में बदबू फैल जायेगी। जहां तक जिमखाना क्लब के पास सैकेंड्री प्वायंट को बदलने की बात है तो मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करना चाहूंगा कि वे कोई दूसरी जगह सलैक्ट करके बता दें, हम वहां पर सैकेंड्री कलैक्शन प्वायंट बनाने बारे विचार कर लेंगे।

श्री प्रमोद कुमार विज: अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि जिस प्रकार से बड़े शहरों में प्राइमरी कलैक्शन सैन्टर्स एक बंद कमरे में बनाये जाते हैं और ऑटो तथा रिक्शा सीधे उस कमरे में चले जाते हैं और वहीं से कूड़े की लोडिंग और अनलोडिंग होती है तथा उसके बाद कूड़ा सैकेंड्री प्वायंट पर जाता है। ऐसी व्यवस्था हो सकती है जैसे मैट्रो सिटीज में होती है। जहां तक सैकेंड्री प्वायंट की बात है तो मंत्री जी निगम को कहें तथा इसके लिए कोई दूसरी जगह तलाश की जाये।

....

तारांकित प्रश्न संख्या–22

(यह प्रश्न पूछा नहीं गया क्योंकि इस समय माननीय सदस्य श्री राकेश दौलताबाद सदन में उपस्थित नहीं थे।)

***23**. **Shri Aseem Goel**: Will the Health Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to provide financial help to the patients suffering from Duchenne Muscular Dystrophy disease in the State on the pattern of Thalassemia patients; if so, the details thereof?

Health Minister (Shri Anil Vij): Yes Sir, financial support up to Rs. 50 lakhs is being provided to patients suffering from rare diseases, including

Duchenne Muscular Dystrophy, for treatment at centres of excellence under National Policy for Rare Diseases, 2021.

श्री असीम गोयल : अध्यक्ष महोदय, जो मैंने दुचेन्ने मस्कुलर डायस्ट्रॉफी बीमारी के बारे में प्रश्न लगाया है। इसमें बच्चा 5 साल तक नॉर्मल रहता है और उसके बाद उसको सीढ़ी चढ़ने में भी तकलीफ होती है और 10 से 13 साल तक की उम्र में वह व्हीलचेयर पर आ जाता है, उसके बाद वैंटीलेटर के ऊपर चला जाता है और अन्ततः 18 से 20 साल की उम्र में उसकी मृत्यु हो जाती है। एक मां–बाप के लिए इससे बड़ा दुःख नहीं हो सकता कि वे अपने बच्चे को चाहकर भी इस बीमारी से निजात नहीं दिला सकते हैं क्योंकि इस बीमारी का अभी तक स्थाई इलाज नहीं आया है। मां–बाप अपने बच्चे कों तिल–तिल, पल–पल मौत के मूंह में जाते हुए देखते हैं। यह मां–बाप के लिए बहुत बड़ी बेबसी रहती है। आज पूरे हरियाणा में अभी तक लगभग 400 से 500 परिवार इस बीमारी में आईडैंटिफाई हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, इस बीमारी के टैस्ट और दवाइयां बहुत महंगी हैं और यह एक प्रोग्रेसिव बीमारी है। हिमाचल प्रदेश में इस बीमारी को नेशनल हैल्थ मिशन के अन्दर लिया गया है जिसमें वे इस प्रकार के बच्चों को 1700 रुपये प्रति महीना दिव्यांग के नाते और 3000 हजार रुपये प्रति महीना पैंशन भी दे रहे हैं। ऐसे बच्चों को शिक्षा के अन्दर भी विशेष छूट दी जा रही है। बिहार में ऐसे बच्चों को 6 लाख रुपये एक मुस्त दिये जाते हैं। राजस्थान में ऐसे बच्चों को 10000 रुपये प्रति महीना पैंशन दी जा रही है। आन्ध्र प्रदेश में ऐसे बच्चों को 5000 रुपये प्रति महीना पैंशन दी जा रही है। मध्यप्रदेश में भी ऐसे बच्चों के लिए 5000 रुपये प्रति महीना पैंशन दी जा रही है। ऐसे बच्चों को पढ़ाई और दवाइयों के लिए पूरा सहयोग दिया जाता है। यू.पी. में ऐसे बच्चों की दवाइयां फ्री हैं और फिजियोथैपी, हाईड्रोथैपी के विशेष कैम्प लगाकर ऐसे बच्चों की पैंशन का प्रावधान भी किया है। अध्यक्ष महोदय, दूसरे राज्यों में तो इनके लिए रिहबिलिटेशन सैंटर भी खोले गये हैं और योगा, पंचकर्मा, षटकर्मा, वस्तीकर्मा, सिरोधारा आदि के ट्रीटमैंट करवाकर फ्री दवाईयां दी जाती हैं। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि हरियाणा को भी इस बारे में कोई ठोस पॉलिसी लानी चाहिए। दूसरा जितने भी सार्वजनिक स्थल जैसे बैंक्स, मोल या सरकारी कार्यालय हैं उनमें पीड़ित व्यक्ति की पहुंच सुनिश्चित करनी चाहिए। जब वह पीड़ित व्यक्ति अटैंडेंट के बिना व्हीलचेयर पर होता है और जबकि उसको 24 घंटे अटैंडेंट चाहिए होता है क्योंकि अकेला तो वह वाशरूम भी नहीं जा सकता है। वह पीड़ित बच्चा खुद अकेला स्कूल की बस भी नहीं पकड़ सकता, बस में चढ़ नहीं सकता, सीट पर बैठ नहीं सकता है और सीट से उठ नहीं सकता है। इन बच्चों को क्लास रूम तक ले जाने

के लिए कोई स्पैशल प्रोविजन होना चाहिए। इसके साथ ही स्कूल्ज में ऐसे खेलों का आयोजन भी किया जाना चाहिए जिनमें शारीरिक तौर से कमजोर बच्चा भी भाग ले सके और अपना बचपन जी सके। कोई ऐसा सैंटर भी बनाया जाए जहां पर इस बीमारी से ग्रस्त पढ़े–लिखे बच्चों को ट्रेनिंग दी जाए। मेरा निवेदन है कि यू.डी.आई.डी. कार्ड और टैस्ट सर्जरी से संबंधित कार्य एक ही छत के नीचे हों ताकि इन लोगों को कोई दिक्कत न आए। इस बीमारी की पूरी डिटेल मैं दे देता हूं जिसकी मैंने एक फाईल बनाई हुई है। मैं मंत्री जी से व हरियाणा सरकार से निवेदन करूंगा कि सी.वी.एस. टैस्ट की सुविधा भी हर होस्पिटल्ज में हो जिससे यह पता चले कि जो मां बच्चे को जन्म देने वाली है। उसको कोई बीमारी तो नहीं है ताकि उसका विशेष इलाज उसी समय हो सके। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी 'मन की बात' में इस बीमारी का विशेष रूप से उल्लेख किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से व हरियाणा सरकार से निवेदन करूंगा कि इसके ऊपर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए ताकि मरीजों और मां–बाप को इसमें मदद मिल सके। धन्यवाद।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत विस्तार से इस बीमारी के बारे में बताया है। यह रेयरैस्ट बीमारी है, जैनेटिक बीमारी है जोकि मां–बाप से बच्चों में आती है और यह बीमारी पुरूषों में ही आती है अर्थात मेल बच्चों में ही आती है। यह बहुत महंगी बीमारी है इसलिए इसका ईलाज कराने के लिए केन्द्र सरकार की योजना के तहत ऐसे बच्चे अपना 50 लाख रुपये तक का ईलाज करवा सकते हैं। इसके लिए केन्द्र सरकार ने देश में जो 10 सैंटर ऑफ एक्सीलैंस चिन्हित किये हैं उनमें हमारा पी.जी.आई., चण्डीगढ़ भी शामिल है। वहां पर जिनका ईलाज होता है वे ही इस 50 लाख रुपये वाली सुविधा को अवेल कर सकते हैं। इनकी और भी बहुत कठिनाईयां हैं क्योंकि इस बीमारी का अभी तक डैफिनेटली ट्रीटमैंट नहीं आया है। हमारा विभाग भी सभी अधिकारियों को बुलाकर इसके ऊपर कई बार मीटिंग कर चुका है कि ऐसे पैसेंट्स की और क्या–क्या सहायता की जा सकती है।

श्री असीम गोयलः अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि जो प्रति माह पैंशन देने वाली बात का मैने निवेदन किया है, इसको तो सरकार प्रति माह इन बच्चों को दे ही सकती है। अभी तक तो ऐसे 400 से 500 बच्चे ही आईडेंटिफाई हुए हैं। वास्तव में ऐसे रोगियों का पता ही नहीं चलता है। जब बच्चा ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा होता है या ठीक से बैठ नहीं पा रहा होता है तो ऐसी स्थिति में ही डाक्टर के पास

जाया जाता है और इस तरह की अवस्था में कईं साल वैसे ही निकल जाते हैं। अतः मैं सदन के माध्यम से फिर से निवेदन करना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार की तरफ से ऐसे रोगियों को कुछ न कुछ वित्तीय सहयोग जरूर दिया जाना चाहिए।

गृह मंत्री (श्री अनिल विज): अध्यक्ष महोदय, विधायक साथी ने बहुत जायज बात उठाई है। सरकार की तरफ से ऐसी अन्य बीमारियों की भी पैंशन देने का काम किया जाता है और जहां तक इस बीमारी की बात है, ऐसे रोगियों के लिए भी हम 2500 रूपये प्रति महीने देने का काम करेंगे।

....

राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, रामगढ़ तथा राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सैक्टर–15, पंचकुला के अध्यापकगण एवं विद्यार्थियों का अभिनन्दन

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, रामगढ़ एवं राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सैक्टर–15, पंचकुला के अध्यापकगण एवं विद्यार्थी सदन की कार्यवाही देखने के लिए दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपनी तरफ से तथा सदन की तरफ से इनका अभिनन्दन करता हूँ।

....

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर (पुनरारम्भ)

To Repair/Reconstruction the Roads

***24. Shri Balbir Singh**: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the following roads of Israna Assembly Constituency are in very bad condition-

(i) Gawalra to Naraina;

(ii) Gawalra to Namunda;

(iii) Refinery crossing to Singpura upto village Bohli;

(iv) Village Mandi to Puthar upto Buana Lakhu;

(v) Puthar to Bandh;

(vi) Shahpur to Pardhana upto Seenk;

(vii) Chhichhrana to Urlana Kalan;

(viii) Chhichhrana to Dumiana to Urlana Kalan upto Dariyapur;

(ix) Matloda to Thiranaup to Khandra;

(x) Thirana to Assan Khurd road;

(xi) Sithana to Bal Jattan; and

(b) if so, the time by which the abovesaid roads are likely to be repaired/reconstructed?

Deputy Chief Minister (Shri Dushyant Chautala) : Sir,

(a) The road wise reply is submitted as under-

(b) No time frame can be given at this juncture.

Sr. No.	Name of road	Ownership	Condition of road	Last date of treatment	Reply
i)	**Gawalra to Naraina**	PWD (B&R)	Un-satisfactory	04/2015	This road exists in the priority list of MLA Samalkha. The estimate of amounting to Rs. 157.62 lacs has been prepared on HEW portal which is under examination. No time frame can be given at this juncture
ii)	**Gawalra to Namunda**	PWD (B&R)	Un-satisfactory	10/2013	This road exists in the priority list of MLA Israna. The estimate amounting to Rs. 70.79 lacs has been prepared on HEW portal which is under examination. No time frame can be given at this juncture
iii)	**Refinery crossin to Singpura upto village Bohli**	PWD (B&R)	Un-satisfactory	04/2016	The tender has been called and will be received on 10.01.2023. The work is likely to start during 03/2023.
iv)	**Village Mandi to Puthar upto Buana Lakhu**	PWD (B&R)	Satisfactory	10/2021	The periodical repair of the road was carried out under PMGSY in the month of 10/2021 and the road is in satisfactory Condition. Since, road is in good condition issue of time frame does not arise.
v)	**Puthar to Bandh**	HSAMB	Satisfactory	03/2022	The special repair of this road has been completed on dated 15.03.2022 and the road is in satisfactory condition. Since, road is in good condition issue of time frame does not arise
vi)	**Shahpur to Pardhana upto Seenk**	PWD (B&R)	Un-satisfactory	10/2013	The road has been proposed under NABARD RIDF-XXVIII scheme for amounting to Rs. 612.06 lacs. Approval is still awaited from NABARD.

vii)	**Chhichhrana to Urlana Kalan**	PWD (B&R)	Satisfactory	10/2021	The road has been upgraded under PMGSY-III during 10/2021 by way of wdg. / Stg. The defect liability period of this road upto 10/2026. The road is in satisfactory condition. Since, road is in good condition issue of time frame does not arise.
viii)	**Chhichrana to Dumiyana to Urlana Kalan upto Dariyapur**	PWD (B&R)	Un-satisfactory	09/2014	The work does not exist in the priority list submitted by MLA Israna. However, the road is being maintained by carrying out patch work. No time frame can be given at this juncture.
ix)	**Matloda to Thirana upto Khandra**	PWD (B&R)	Satisfactory	09/2018	The Special Repair of the road was carried out during 09/2018. The defect liability period of this road has been cleared on 12.09.2022. The condition of the road is satisfactory. Since, road is in good condition issue of time frame does not arise.
x)	**Thirana to Assan Khurd road**	HSAMB	Satisfactory	02/2020	The special repair of this road has been completed on dated 08.02.2020 and the road is in satisfactory condition. Since, road is in good condition issue of time frame does not arise.
xi)	**Sithana to Bal Jattan**	HSAMB	Satisfactory	08/2022	The special repair of this road has been completed on dated 10.08.2022 and the road is in satisfactory condition. Since, road is in good condition issue of time frame does not arise.

श्री बलबीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैंने मेरे हल्के इसराना के अंदर कुछ सड़कें जोकि बहुत बुरी अवस्था में है, के संदर्भ में प्रश्न लगाया है। ये सड़कें हैं गवालड़ा से नारायना, गवालड़ा से नामुंडा, रिफाईनरी क्रोसिंग से सिंगपुरा चौक से गांव बोहली तक, गांव मांडी से पुठर से गांव बुआना लाखु तक, पुठर से बांध, शाहपुर से परढाणा से गांव सींक तक, छिछड़ाना से डुमियाना वाया उरलाना से उरलाना से कलां–दरियापुर तक, मतलोडा से थिराना से गांव खण्डरा तक, थिराना से आसन खुर्द रोड तथा सिठाना से बाल जट्टान तक, ये वे सड़कें हैं जिनके बारे में मैंने सदन में अपना प्रश्न लगाया है। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ मेरा निवेदन यह भी है कि मेरे हल्के की दो मुख्य सड़कें और भी हैं जोकि इसराना ब्लॉक में तहसील और बी.डी.ओ. आफिस के सामने हैं। ठीक इसी प्रकार एक सड़क मतलोडा से औसर गांव की सड़क है तथा दूसरी मतलोडा से कवि गांव तक की सड़क है। ये सड़कें बहुत खराब हालत में हैं। बार–बार निवेदन करने के बावजूद भी इन सड़कों का आज तक कोई समाधान नहीं हो पाया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप–मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि इन सड़कों की ऐसी दयनीय हालत हो चुकी है कि इन पर ट्रैफिक का चलना भी नामुमकिन हो चुका है। यही नहीं यहां पर लोगों का आना–जाना तक भी एक तरह से बंद ही हो चुका है लेकिन सरकार की तरफ से

इन सड़कों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, जो मैंने इसराना ब्लॉक में तहसील और बी.डी.ओ. आफिस के सामने की सड़क के बारे में बताया है। आस पास के गांव वालों ने मीडिया को बुलाकर, प्रशासन व सरकार को इन टूटी ही सड़कों का पूरा वास्तविक हाल दिखाने का भी काम किया है लेकिन सरकार की तरफ से इस दिशा में कुछ नहीं किया गया है। अतः स्पीकर सर, आज मैं इस महान सदन में आपके माध्यम से माननीय उप–मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे हल्के इसराना की इन सड़कों को जल्द से जल्द बनाने का काम किया जाये।

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने 11 सड़कों का जिक्र किया है। इसमें से 8 पी.डब्ल्यू.डी. और 3 मार्केटिंग बोर्ड की सड़कें हैं। इनमें से 5 सड़कें आज भी डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के अंदर हैं और उन पर आलरेडी काम चल रहा है। जहां पैच वर्क की जरूरत की बात है, माननीय सदस्य के यहां दो ऐसी सड़कें हैं जिन पर रेगुलर पैच वर्क का काम किया जा रहा है। एक सड़क माननीय विधायक की आलरेडी टैंडर्ड है और साथ ही इनके यहां की दो सड़कों को 25 करोड़ की सड़कों की योजना में कवर किया हुआ है। एक सड़क नाबार्ड की है उसके लिए जो हमारी ग्रांट की जरूरत है, उसको आलरेडी एप्रूव्ड कर दिया गया है और इसके लिए जैसे ही केन्द्र से पैसा आयेगा तो उसके तुरंत बाद इस सड़क को भी टेक अप करने का काम किया जायेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात माननीय साथी के ध्यान में लाना चाहूंगा कि हमने संभी कंसंर्ड एस.ईज. और एक्सियंज को ऐसी सड़कें जिन पर कारपेटिंग का काम होना है, के बारे में अलग से हिदायत दे रखी हैं कि वे कंसंर्ड विधायकों से इस बारे में रिवाइव करने का काम करें। यदि माननीय सदस्य के हल्के में कोई ऐसी सड़क है जिस पर केवल कारपेटिंग का काम किया जाना है तो वे कंसंर्ड एस.ई और एक्सियन से इस बारे में संपर्क करें। इसका कारण यह है कि कारपेटिंग का काम जल्दी होता है और वाइडनिंग और स्ट्रैंथनिंग के काम में ज्यादा समय लगता है और साथ ही ज्यादा ग्रांट भी यूटिलाइज होती है। अध्यक्ष महोदय, मैं सभी विधायकों से सदन के माध्यम से कहना चाहूंगा ठीक है कि पी.डब्ल्यू.डी. की सड़कों के लिए 25 करोड़ की सड़कों की योजना है लेकिन हमारे विधायक साथियों को ऐसी सड़कों को प्रायरिटी पर लेने का काम करना चाहिए जिन पर कारपेटिंग की जरूरत है। यदि ऐसा किया जायेगा तो जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, वह ज्यादा बेहतर हो सकेगा।

श्री बलबीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, जब भी हम सड़कों के बारे में संबंधित विभाग के एस.ई/एक्सियन/एस.डी.ओ. से बात करते हैं तो हर बार उनसे यही जवाब मिलता है कि आपकी सड़कों के टैंडर लगने वाले हैं अर्थात् आपकी सड़कों के काम चालू होने वाले हैं, परंतु हम काफी दिनों से संबंधित ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से पुनः निवेदन करता हूँ कि जिन सड़कों के टैंडर की बात हो रही है, दोबारा प्रशासन से पूछा जाये कि कौन–कौन सी सड़कों के काम शुरू हो चुके हैं। आज के दिन मेरा मानना है कि किसी भी सड़क का काम चालू नहीं है। सरकार इन सड़कों को कब तक बना देगी? यदि सरकार इन सड़कों को नहीं बनाती है तो इसका कारण भी सदन को बताया जाये?

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात सदन के पटल पर रखी है, वह एक सड़क सिंगपुरा से बोहली की है, उसका ऑलरेडी टैंडर फ्लोट हो चुका है, दिनांक 10.01.2023 को इसका टैंडर खुलेगा और मार्च महीने में काम शुरू हो जायेगा। अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से तीन सड़कें मार्केटिंग बोर्ड की हैं, दो सड़कें डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के अंदर है और एक सड़क नाबार्ड के अंडर है, जैसे ही इसकी ग्रांट आयेगी, हम इसको टेकअप करेंगे। अध्यक्ष महोदय, टैंडर कब तक लगेंगे, के जवाब में मेरा यह कहना है कि पहले टैंडर लगाने का प्रोसैस डिपार्टमैंट वाईज होता था, अब 28 के 28 इंजीनियरिंग डिपार्टमैंट का एक हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल बन चुका है। मैं इस बात को मानता हूँ कि इसके प्रोसैस में डिले हुआ है। मगर एक चीज स्पष्ट हो गई है कि कहीं कोई लो क्वालिटी का काम करेगा तो सरकार के 28 के 28 महकमों के अंदर संबंधित ठेकेदार को दण्डित किया जायेगा। इस चीज को देखते हुए थोड़ा डिले जरूर हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को यह भी कहना चाहता हूँ कि जो उन्होंने 25 करोड़ रुपये की दो सड़कों के बारे में रिकमैंडेशन दी है, मैं चाहूंगा कि बची हुई सड़कों के नाम भी उसमें डलवा दें। प्राथमिकता के आधार पर उनको जनवरी और फरवरी महीने में टेकअप कर लेंगे।

श्री बलबीर सिंहः अध्यक्ष महोदय, जिस सिंगपुरा गांव की सड़क का जिक्र माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने किया है, वहां से लगभग 25–30 गांवों का आना–जाना लगा रहता है। पिछले सत्र में भी मैंने यही प्रश्न सिंगपुरा रिफाईनरी फाटक से बोहली का लगाया था। सड़क बिल्कुल टूटी होने के कारण वहां से कोई भी व्हीकल्ज नहीं

गुजरता है। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि मेरी इन सड़कों का काम जल्दी से जल्दी करवाने का काम करें, इसकी कोई तय सीमा भी माननीय उप मुख्यमंत्री जरूर सदन को बताने की कृपा करें।

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को पहले भी बता चुका हूँ कि जनवरी महीने के अंदर टैंडर खुल जायेगा और मार्च महीने में सिंगपुरा से बोहली तक सड़क का काम शुरू हो जायेगा। अध्यक्ष महोदय, एक प्रोसैस के तहत ही काम होता है और प्रोसैस में जो समय लगता है वह तो लगना ही होता है, हम किसी प्रोसैस को तो बाईपास नहीं कर सकते।

श्री अध्यक्षः उप मुख्यमंत्री जी, मेरा भी इस संदर्भ में यह कहना है कि डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड की जो सड़कों से संबंधित है, के बारे में आपने माननीय सदस्य को बताया है, वहां जिस ठेकेदार ने काम किया है, उसके द्वारा उन सड़कों तो काम हो सकता है, उसके लिये अलग से टैंडर करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार की सड़कें काफी हल्कों में हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड की सड़कें हैं, इसलिए मुझे इस बात का पता है। जिन ठेकेदारों ने उन सड़कों का टैंडर लिया था और वे सड़कें किसी भी कारण से खराब हो चुकी हैं तो उन सड़कों पर जल्द से जल्द काम शुरू होना चाहिये।

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, आपके पास यदि डी.एल.पी. से संबंधित कोई शिकायत है तो जरूर उसकी इंक्वॉयरी भी करवायेंगे और स्पेशल रोड सेफ्टी ऑडिट भी करवाने का काम करेंगे। मैं सदन के पटल पर कह रहा हूँ कि आपके पास ऐसी कोई शिकायत है तो लिखित में जरूर दें।

श्री अध्यक्षः ठीक है, मैं आपको लिखित में शिकायत दे दूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

....

आज के लिए सूचीबद्ध तारांकित प्रश्नों की संख्या को नेवा पोर्टल पर क्रमित करने के संबंध में मामला उठाना

श्रीमती किरण चौधरी : स्पीकर साहब, ड्रॉ में क्वैश्चंस के जो नंबर निकले हैं उनके बारे में मेरा कहना है कि मेरे प्रश्न का नंबर पहले नंबर पर लिस्टेड था लेकिन आज मेरा प्रश्न 10वें नंबर पर लगा हुआ है । यह बात हमारी समझ में नहीं आई कि यह कैसे हुआ है ?

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, इसी तरह का वाक्या मेरे साथ घटित हुआ है । मेरा प्रश्न भी आज 17वें नंबर पर लगाया गया है ।

श्री अध्यक्ष : बतरा जी, मैं इसे चैक करवाऊंगा ।

श्रीमती किरण चौधरी : स्पीकर साहब, आप इसे चैक करवाइये ताकि हमको इस बारे में पता चले ।

श्री अध्यक्ष : किरण जी, मैं इसे अभी चैक करवाता हूं ।

श्रीमती किरण चौधरी : स्पीकर साहब, इसके अलावा मेरा यह भी कहना है कि आप इस समय को एक ब्रेक मान लीजिए और इसे चैक करवाइये ।

श्री अध्यक्ष : किरण जी, मैं इसे अभी चैक करवाता हूं । अभी आदरणीय सदस्या श्रीमती किरण चौधरी जी ने अपने प्रश्न के नम्बर के बारे में जो बताया है। मेरे पास आज के प्रश्नकाल के लिए लगे हुए प्रश्नों की नम्बरों सहित लिस्ट है। मैं संबंधित लिस्ट को पढकर सुना देता हूं।

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि विधान सभा की साईट पर जो आज के दिन के लिए लगे हुए प्रश्नों की लिस्ट अपलोड की गयी है और जो लिस्ट माननीय सदस्यों के पास भेजी गयी है, ये दोनों लिस्ट्स अलग– अलग हैं।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मेरे पास संबंधित लिस्ट की फोटो कॉपी भी है। अगर आप चाहें तो मैं आपको संबंधित लिस्ट दिखा सकती हूं।

श्री अध्यक्षः किरण जी, मेरे पास सैक्रेटरी साहब के हस्ताक्षर वाली प्रश्नों की लिस्ट है और मैं इसको पढकर सुना देता हूं। अगर विधान सभा की साईट पर संबंधित लिस्ट अपलोड करते समय कोई गलती हुई है तो उसको ठीक करवा देंगे।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मेरा क्वैश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसको बिल्कुल लॉस्ट में डाल दिया गया है। मैं आज सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही सदन में बैठी हुई हूं क्योंकि मेरा क्वैश्चन पहले नम्बर पर ही लगा हुआ था।

श्री अध्यक्षः किरण जी, अगर संबंधित प्रश्नों की लिस्ट साईट पर अपलोड करते समय कोई गलती हुई है तो उसको चैक करवा लेंगे। इस नेवा सिस्टम में शुरू में थोड़ी सी दिक्कत आ गयी थी। विधान सभा की साईट पर संबंधित प्रश्नों की लिस्ट डाली हुई है और अगर कहीं पर गलती हुई है तो उसको ठीक करवा देंगे।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों के बड़ी मुश्किल से प्रश्नकाल के लिए प्रश्न लगते हैं।

श्री अध्यक्षः किरण जी, मैं आज के प्रश्नकाल के लिए लगे हुए सभी प्रश्नों की लिस्ट पढकर सुना देता हूं।

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: किरण जी, विधान सभा की साईट पर संबंधित प्रश्नों की लिस्ट अपलोड करते समय टैक्नीकल मिस्टेक हुई है और इसको आगे से ठीक करवा देंगे।

....

तारांकित प्रश्न एंव उत्तर (पुनराराम्भ)

To Drain Out the Dirty Water

***25. Shri Lila Ram**: Will the Development and Panchayats Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government for the drainage of dirty water in village Nauch, Deora, Padla, Sajuma and Dhons of Kaithal Assembly Constituency; and

(b) if so, the time by which abovesaid proposal is likely to be materialized togetherwith the details thereof?

विकास एवं पंचायत मंत्री (श्री देवेन्द्र सिंह बबली): (क) वर्णित पाँच गांवों में से दो गावों सजूमा तथा पाडला में गन्दे पानी की निकासी हेतु कार्य स्वीकृत हैं। शेष तीन गाँवों में कार्य स्वीकृत नहीं हैं। केवल नालियों के कार्य इस विभाग द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं। तालाबों के जीर्णोद्धार एवं उपचारित जल के उपयोग हेतु पाईपलाईन बिछाने के कार्य हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबन्धन प्राधिकरण/सिंचाई विभाग द्वारा स्वीकृत किया जाता है। गांव पाडला का एक तालाब, गांव नौच का एक तालाब तथा गांव घौंस के दो तालाबों के जीर्णोद्धार का कार्य सिचाई विभाग को प्राकलन बनाने तथा उसके बाद हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबन्धन प्राधिकरण के द्वारा जारी जमा राशि से कार्य करवाने हेतु स्थानान्तरित किया गया है। गांव दयौरा के दो तालाबों का कार्य हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ट जल प्रबन्धन प्राधिकरण की कार्य योजना के चरण–IV में लिया हुआ है।

(ख) उपरोक्त वर्णित गांवों सजुमा तथा पाडला में कार्य पूर्ण होने की सम्भावित तिथि 31.05.2023 है।

श्री लीला राम : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का धन्यवाद भी करता हूं और उनके संज्ञान में एक बात लाना भी चाहता हूं कि ये बहुत बड़े–बड़े गांव हैं । इन गांवों की आबादी 10 हजार से भी ज्यादा है । गांव सजूमा ऋषि सुखदेव जी की तपोस्थली है । वह एक बड़ा गांव है और उस गांव का सारा पानी

उसी तालाब में जाता है । माननीय मंत्री जी ने उस तालाब के कार्य को स्वीकृत करते हुए करोड़ों रुपये की ग्रान्ट भी दी है लेकिन उस तालाब का काम बहुत ही धीमी गति से चल रहा है । अतः मेरा आपसे अनुरोध है कि आप उसके काम की गति को बढ़वाने का काम अवश्य करें । इसी तरह पाड़ला एक गांव है जिसकी आबादी 10 हजार से भी ज्यादा है । उस गांव के बीच में एक तालाब है । मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि वह तालाब गांव के बिल्कुल बीच में है । माननीय मंत्री जी ने जिस तालाब की सफाई करवाई है और सड़क के गड्ढे भरवाने का काम किया है वह अन्य तालाब है । मैं जिस तालाब की बात कर रहा हूं वह बहुत बड़ा तालाब है और पोंड अथॉरिटी की आई.डी. में वह तालाब आज भी नहीं है । उस गांव में 12वीं तक एक स्कूल है और पिछले दिनों वह स्कूल भी गन्दे पानी से भर गया था । अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि उस तालाब को भी पोंड अथॉरिटी के तहत लेकर खुदवाने का काम करें ताकि उस गांव को गन्दे पानी से निजात मिल सके । इसके अलावा उस तालाब से गन्दे पानी की निकासी का प्रावधान करने का काम भी अवश्य करें । मैं बताना चाहता हूं कि दयौरा गांव भी एक बहुत बड़ा गांव है, धोंस गांव भी एक बहुत बड़ा गांव है । धोंस गांव भी 10 हजार से ज्यादा की आबादी का गांव है । पिछले दिनों गड़ोदा गांव का मुद्दा अखबारों में काफी छाया रहा था । वहां पर भी गन्दे पानी की निकासी का एक बड़ा मामला है । इसके अलावा गांव मुंदड़ी, गांव कठवाड़ में भी यही स्थिति है । गांव बाबा लदाना बाबा राजपुरी जी की तपोस्थली है । बाबा राजपुरी जी का पूरे हिन्दुस्तान में नाम है । उनके देश में 360 से भी ज्यादा डेरे हैं । जब बाबा लदाना गांव का भी ऐसा हाल होगा तो यह ठीक नहीं है । वहां पर गन्दे पानी की निकासी का कोई भी साधन नहीं है । अतः मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इन गांवों से गन्दे पानी की निकासी का जल्द–से–जल्द प्रावधान किया जाए ।

श्री देवेन्द्र सिंह बबलीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि पाड़ला गांव के मंदिर वाला जोहड़ का काम चल रहा है और उसको गति देने का काम करेंगे। चक पाड़ला तालाब का काम अभी शुरू नहीं हुआ है।

श्री लीला रामः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि मैंने जिस तालाब का जिक्र किया है, वह तालाब गांव के बीच में है। यह सरकार या पोंड अथॉरिटी की आई.डी. में नहीं है, इसलिए इसको भी पोंड अथॉरिटी

की आई.डी. में शामिल कर लिया जाए। यह बहुत बड़ा तालाब है। यह पता नहीं कि किस वजह से संबंधित तालाब छूटा हुआ है ?

श्री देवेन्द्र सिंह बबली: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि हम संबंधित पोंड को भी पोंड अथॉरिटी की लिस्ट में डलवाने का काम करेंगे। इसके अतिरिक्त सजुमा गांव के 3 तालाब क्रमशः तीर्थ तालाब, भारयो तालाब और दरोंगा तालाब के कार्य प्रोग्रैस में हैं। इनके साथ दरूंगा तालाब पशुओं के साफ पानी का तालाब है और अर्बन दिवाला तालाब भी पशुओं के साफ पानी का तालाब है। माननीय सदस्य सजुमा और पाड़ला गांवों में से एक तालाब को पोंड अथॉरिटी की लिस्ट में डलवाने की बात कर रहे हैं तो हम इसके लिए पोंड अथॉरिटी से कहकर एक तालाब को पोंड अथॉरिटी की लिस्ट में डलवा देंगे। इनके अतिरिक्त 3 गांवों के पोंड्स के अस्टिमेट्स बनवाने शुरू किये हुए हैं जिनके काम को तीसरे फेज में डाला हुआ है। इनको भी आने वाले समय में फौरी तौर पर सुधारने का काम करेंगे।

श्री लीला राम: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इसके लिए माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इनके अलावा बाबा लदाना, कठवाड़, मुंदड़ी, खनौदा, धौंस, नौच और दयौरा गांवों के तालाबों को भी प्रॉयोरिटी पर लेने का काम करें।

श्री देवेन्द्र सिंह बबली: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि माननीय सदस्य ने जो क्वैश्चन लगाया था, उसमें बाबा लदाना गांव शामिल नहीं है। हम बाबा लदाना गांव का भी सर्वे करवाने का काम करेंगे।

श्री अध्यक्ष: लीला राम जी, माननीय मंत्री जी ने आपके प्रश्न का रिप्लाई दे दिया है। प्लीज, अब आप बैठ जाएं।

श्री लीला राम: अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इन सभी गांवों को नोट कर लें।

श्री देवेन्द्र सिंह बबली: अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य की बात को नोट कर लिया है।

....

Verification Work of Family ID

***26. Shri Shishpal Singh Keharwala**: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state-

(a) the total number of families whose income is less than 1,80,000/- as per the data of family IDs in State togetherwith the total number of people out of the above said persons/families to whom the BPL card have been issued by the Government alongwith the number of families which have been excluded from the BPL list which were earlier included in the said BPL list; and

(b) whether the verification work of family IDs have been completed by the Government in State, if not, the time limit framed by the Government for the same?

Deputy Chief Minister (Shri Dushyant Chautala): (a) As on 20th December, 2022, as per the data in Parivar Pehchan Number database, 30,38,942 families (1,21,57,298 members) have been verified to have income less than 1,80,000/-. All the above mentioned families have been included for issuance of BPL(Priority Household) ration cards. 9,60,235 families have been excluded from the current list of BPL(PH), AAY & Other Priority Household (OPH). The current and previous data for these is as under-

	AAY	BPL(PH)	OPH	Total
Status prior to integration with PPN data	2,47,227	8,90,069	15,57,299	26,94,595
Status as on date after integration with PPN data	3,02,000	27,36,942	0*	30,38,942

Note:* OPH category has been abolished and all families having less than total verified annual income of Rs. 1.80 lac have been included in BPL(PH).

(b) The work of verification of data in Parivar Pehchan Number (PPN) database is an ongoing activity. The first round of verification work is likely to be completed by 28th February 2023.

श्री शीशपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि सरकार ने पी.पी.पी. स्कीम के तहत डाटा बेस तैयार करके बहुत सी गवर्नमैंट स्कीम्ज को जोड़ा है। मैंने जो सवाल किया है उसमें यह आंकड़ा दिया गया है कि इसमें टोटल 30,38,942 परिवार हैं और उनमें से पी.पी.पी. स्कीम के डाटा के तहत 1,21,57,298 से ज्यादा सदस्य 1,80,000 रुपये सालाना से कम आय वाले हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अवगत करवाना चाहूंगा कि मेरे सवाल के जवाब में यह रिप्लाई दिया गया है कि उन सभी परिवारों को बी.पी.एल. की श्रेणी में रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप– मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि मेरे हल्के में काफी ऐसे लोग हैं जिनकी आय पी.पी.पी. स्कीम के डाटा के तहत 1,80,000 रुपये से सालाना कम दिखायी गयी है, परन्तु अभी तक उनके बी.पी.एल. कार्ड नहीं बने हैं। दूसरी बात यह है कि मेरे सवाल में यह बात थी कि जो पहले बी.पी.एल. कार्ड बने हुए थे उनमें से कितने बी.पी.एल. कार्ड काटे गये हैं ? विभाग द्वारा दिये गये रिप्लाई में 9,60,235 परिवारों के बी.पी.एल. कार्ड काटे बताये गये हैं। पहले टोटल 26 लाख 94 हजार 595 बी.पी.एल. कार्ड धारकों की संख्या थी यानी एक तिहाई गरीब लोगों के बी.पी.एल. राशन कार्ड काटे जा चुके हैं और ऐसे 14–15 लाख गरीब परिवार हैं जिनके नये बी.पी.एल. राशन कार्ड बनाये गये हैं। जिन परिवारों के बी.पी.एल. राशन कार्ड काटे गये हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय उप–मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि जब शुरू में पी.पी.पी. कार्ड बनाये गये थे तो जिस परिवार ने पी.पी.पी. कार्ड बनवाये थे तब उनको इसके महत्व का पता नहीं था और जो सैंटर द्वारा पी.पी.पी. कार्ड बनाये गये थे उसको भी इसके महत्व का पता नहीं था। उन्होंने जैसे–तैसे परिवारों के डाटा को भरकर भेज दिया, जिसके कारण पी.पी.पी. कार्ड में बहुत सी त्रुटियां रह गई। मैं यह बात भी मानता हूं कि पी.पी.पी. कार्ड में त्रुटियां ठीक करने का समय भी दिया गया लेकिन इसके बावजूद भी आज त्रुटियां ठीक नहीं हो पा रही हैं इसलिए मेरा इसमें यही कहना है कि उनको ठीक करवाने का काम किया जाये। मेरे पास ऐसे बहुत से परिवारों की सूची हैं जो आज भी गरीबी में अपना जीवन जीने को मजबूर हैं। मैं उदाहरण के रूप में बताना चाहूंगा कि एक व्यक्ति चाय का खोखा चलता है और उसको गवर्नमैंट इम्पलॉई दिखा रखा है लेकिन उसमें उसकी आय जीरो दिखाई गई है। वह कास्ट से एस.सी. है और उसको एस.टी. कास्ट का दिखा रखा है। इस प्रकार से पी.पी.पी. कार्ड में तमाम त्रुटियां हैं इसलिए मेरा निवेदन है कि इस बात पर सरकार संज्ञान जरूर ले।

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। हमारी सरकार का हरियाणा प्रदेश में परिवार पहचान पत्र को लाने का एक सपना था कि जिन परिवारों की आय 1 लाख 80 हजार रुपये सालाना है, उसको बी.पी.एल. की श्रेणी में डाला जाये। आज पहले से भी ज्यादा यानी 3 लाख ऐसे गरीब परिवार हैं, जिनको हमारी सरकार ने बी.पी.एल. की श्रेणी में डाला है। अध्यक्ष महोदय, पी.पी.पी. कार्ड में बनाने में कई प्रकार के क्राईटेरिया हैं। इसमें जो वैरीफिकेशन का प्रोसैस होता है, वह केवल मात्र सरकार के अधिकारियों द्वारा वैरीफाई किया जाता है। इसमें ऐसी बात नहीं है कि कोई एक व्यक्ति अपने आप इस प्रक्रिया के तहत डाटा अपलोड कर रहा है। हम इसमें पिछले तीन सालों से उस परिवार की इन्कम टैक्स की एवरेज भी देखते हैं। अगर उसका प्राईवेट सैक्टर में ई.एस.आई. कटता है या वह सरकारी नौकरी करता है तो उसका पूरा डाटा एच.आर.एम.एस. के अंदर होता है। इसके साथ ही साथ व्यक्ति के परिवार के पास 5 एकड़ एग्रीकल्चर लैंड है। मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए यह भी बताना चाहूंगा कि गांव के अंदर 2000 वर्ग गज से बड़ा मकान है या शहर के अंदर 1000 वर्ग गज से बड़ा मकान है तो हमारी सरकार द्वारा इस प्रकार के डाटा को भी देखा जाता है। इसके अलावा उसके परिवार में और भी कोई रोजगार प्राप्त कर रहा है या नहीं, ऐसी तमाम प्रकार की वैरीफिकेशंज के प्रोसैस के बाद परिवार की बी.पी.एल. श्रेणी में एडीशन होनी है या नहीं, इस प्रकार के डाटा को भी सरकार देखने का काम करती है। माननीय सदस्य ने खुद इस बात को बताया है कि 9 लाख 25 हजार पुराने बी.पी.एल. श्रेणी में बैठे लोगों को ऑमिट किया है और 12 लाख से ऊपर नये परिवारों को बी.पी.एल. श्रेणी में ऐड किया है। सरकार ने अभी 91 परसैंट वैरीफिकेशन प्रोसैस का कार्य पूरा किया है और 9 परसैंट वैरीफिकेशन प्रोसैस का कार्य पैंडिंग पड़ा हुआ है और जब 9 परसैंट वैरीफिकेशन प्रोसैस का कार्य पूरा होगा तभी हमारे सामने पूरे आंकड़े नजर आयेंगे। जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया कि 15 लाख के आसपास परिवारों को हम बी.पी.एल. की श्रेणी में देख पायेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको आपकी कांस्टीच्यूंएसी का एक उदाहरण देना चाहूंगा। जिनका नाम कृष्ण सैनी जी है। वे पहले बी.पी.एल. श्रेणी में थे और इनकी वैरीफिकेशन वर्ष 2011 के जनगणना के आधार पर की गई थी लेकिन आज वे सैक्टर–19 के ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं। वे खुद बिजनैसमैन हैं। उनकी वाईफ नीरू और उनकी बेटी स्वीटी प्राईवेट जॉब करती हैं। आज एक नहीं बल्कि अनेक ऐसे केसिज हैं, जिनके परिवार की इन्कम 10 लाख रुपये पर एनम से ज्यादा

है और वे पहले बी.पी.एल. श्रेणी के लाभार्थी थे। अब परिवार पहचान पत्र आ जाने के कारण से डाटा की रैगुलर वैरीफिकेशन होती रहेगी। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलग–अलग क्राईटेरिया हैं, हम इनको भी देखेंगे। मैं मानता हूं कि हरियाणा प्रदेश में जो गरीब व्यक्ति है जैसा कि पहले माननीय सदस्य ने कहा कि एक गरीब आदमी चाय की दुकान चलाता है और उसको गवर्नमैंट इम्पलॉईज दिखा रखा है। हमारे पास इस तरह के बहुत से केसिज हैं। मैं आपके साथ एक बात और शेयर करना चाहूंगा कि हमारे पास गुरबचन कालरा का एक केस आया था। वे और उनकी वाईफ आज के दिन करनाल में एक दुकान चलाते हैं और उससे उनकी अच्छी खासी कमाई भी हो रही है। वही सुधीर पाल जी और उनका बेटा सोनीपत के अंदर प्राईवेट जॉब करते हैं जिससे उनकी 10 लाख रुपये से ज्यादा इन्कम है और वे बी. पी.एल. की श्रेणी में आते थे। हमारे पास जिन परिवारों की सालाना आय 5 लाख, 10 लाख रुपये है तो हमारे पास इस प्रकार के लाखों केसिज आये हैं। इन लोगों ने पहले किसी और का अधिकार ले रखा था जिनको आज बी.पी.एल. श्रेणी में होना चाहिए था। माननीय सदस्य ने एक बात और कही कि कब तक बी.पी.एल. कार्ड बन जायेंगे तो मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि सरकार ने वैरीफिकेशन प्रोसैस का कार्य दिनांक 25 दिसम्बर, 2022 को लागू किया था। जिन–जिन परिवारों के परिवार पहचान पत्र की वैरीफिकेशन प्रोसैस का कार्य पूरा हो गया है, उनको दिनांक 1 जनवरी, 2023 में पूरी बी.पी.एल. श्रेणी की योजनाओं का लाभ हरियाणा प्रदेश में मिलने लगा जायेगा।

श्री शीशपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि सरकार ने पी.पी.पी. स्कीम के तहत डाटा बेस तैयार करके बहुत सी गवर्नमैंट स्कीम्ज को जोड़ा है। मैंने जो सवाल किया है उसमें यह आंकड़ा दिया गया है कि इसमें टोटल 30,38,942 परिवार हैं और उनमें से पी.पी.पी. स्कीम के डाटा के तहत 1,21,57,298 से ज्यादा सदस्य 1,80,000 रुपये सालाना से कम आय वाले हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अवगत करवाना चाहूंगा कि मेरे सवाल के जवाब में यह रिप्लाई दिया गया है कि उन सभी परिवारों को बी.पी.एल. की श्रेणी में रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप– मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि मेरे हल्के में काफी ऐसे लोग हैं जिनकी आय पी.पी.पी. स्कीम के डाटा के तहत 1,80,000 रुपये से सालाना कम दिखायी गयी है, परन्तु अभी तक उनके बी.पी.एल. कार्ड नहीं बने हैं। दूसरी बात यह है कि मेरे सवाल में यह बात थी कि जो पहले बी.पी.एल.

कार्ड बने हुए थे उनमें से कितने बी.पी.एल. कार्ड काटे गये हैं ? विभाग द्वारा दिये गये रिप्लाई में 9,60,235 परिवारों के बी.पी.एल. कार्ड काटे बताये गये हैं।

श्री शीशपाल सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी को बी.पी.एल. कार्ड के संबंध में ही एक उदाहरण देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्षः उप मुख्यमंत्री जी ने बता दिया कि जो कुछ गलतियां हैं उनको ठीक कर रहे हैं और इनको दुरुस्त करवाने के लिए समय भी दिया जा रहा है।

श्री शीशपाल सिंहः अध्यक्ष महोदय, मैं तो सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि जिनकी आई.डी. में क्लेरिकल एरर हैं उन्हें ठीक करवाने के लिए समय दिया गया, लेकिन उस समय में वे गलतियां ठीक नहीं हो पा रही हैं। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मेरा प्रश्न है कि जिन गरीब परिवारों को इस बारे में नहीं पता कि इन गलतियों को ठीक करवाने के लिए हमें कहां जाना है, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं ? वे कंप्यूटर सैंटर पर जाते हैं तो उनको कह दिया जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। जबकि सरकार ने इसके लिए समय दिया है, परन्तु हो कुछ नहीं रहा है। इसके लिए मैं आपके माध्यम से उप–मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इसके लिए कोई ऐसा प्रावधान किया जाये जिससे इन गरीब परिवारों को धक्के न खाने पड़े और उनको अपना हक मिल सके।

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात रखी, वह बड़ी अच्छी है कि व्यक्ति ऐसी गलितयों को ठीक करवाने के लिए कहां जाए ? आज के दिन पिछले डेढ़ साल से पी.पी.पी. की योजना प्रदेश में लागू हुई है। इसमें लगभग 43,28,000 हमारे पास इस तरह की ऑमिशंज की एप्लीकेशंज आई हैं जिनके परिवार पहचान–पत्र में कोई डिस्क्रिपेंसी थी जिसमें किसी में आय ज्यादा एड हो गई या कम एड हो गई। आय क फ्लुक्चुएशन के अंडर लगभग 39,41,000 एप्लीकेशंज को हमने रि–वैरिफाई किया है तथा 3.2 लाख एप्लीकेशंज पैंडिंग हैं। ए.डी.सी. डिस्ट्रिक्ट में परिवार पहचान पत्र का नोडल हेड है। किसी भी नागरिक को अगर अपने परिवार पहचान–पत्र के अन्दर कोई ऑमिशंज करवानी हैं, किसी एरर को रैक्टिफाई करवाना है तो वह ए.डी.सी को एफिडेविट देकर रैक्टिफाई करवा सकता है। यह संख्या 3 लाख 2 हजार है। मैं मानता हूं कि जब हम धीरे–धीरे 42 लाख से 3 लाख 2 हजार पर आ गए। इसके लिए थोड़ा समय जरूर लगा है, लेकिन आने वाले समय में आय की फ्लुक्चुएशन को रैगुलर बेसिस पर भी रि–वैरिफाई किया जाएगा।

———————————

श्री अध्यक्षः श्री अमित सिहाग, जी का प्रश्न संख्या 34 भी प्रश्न संख्या 26 की तरह ही समान विषय का है। माननीय सदस्य अगर आप इस संबंध में प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मंत्री जी से प्रश्न पूछ सकते हैं।

————————

Criteria to Issue or Cancel BPL cards

***34. Shri Amit Sihag**: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state-

(a) the criteria of the Government to issue or cancel BPL cards in State;

(b) the process being undertaken by the Government to decide the list of BPL beneficiaries in State; and

(c) the number of BPL cards issued/cancelled by the Government in State since 1st January, 2022 till to date?

Deputy Chief Minister (Shri Dushyant Chautala): (a) the criteria to issue or cancel BPL (Priority Household) cards in the State has been decided by the Rural Development Department and Urban Local Bodies, Haryana vide notifications dated 03.08.2022 and 31.08.2022 respectively. The criteria of total verified annual income of upto Rs.1.80 lakh is considered for issuance of BPL (Priority Household) card, as per the notifications.

(b) the process for inclusion/exclusion of BPL(Priority Household) beneficiaries in the State is being undertaken by Citizen Resource Information Department (CRID), Haryana on the basis of total verified annual income as per Parivar Pehchan Patra data base.

(c) 12,46,507 BPL (Priority Household) cards have been issued and 9,62,742 BPL (Priority Household) cards have been cancelled after 1st March, 2022 on the basis of data provided by CRID.

श्री अमित सिहागः अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में अधिकतम बातें तो हो चुकी हैं, लेकिन मैं भी अपनी एक बात कहना चाहूंगा। मेरे ख्याल से एक तो इसके अन्दर जैसे अभी माननीय उप–मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि इसमें कई मापदण्ड हैं। मेरी जानकारी के अनुसार अभी 10–12 दिन पहले इसमें कुछ फेरबदल किया गया है जिसमें केवल 1.80 लाख वार्षिक आय तक वाले परिवारों को बी.पी.एल. कार्ड बनवाने में प्राथमिकता दी जा रही है। अभी पिछलों दिनों डेटा ठीक करवाने के लिए कैम्प्स भी लगवाए गए

थे, लेकिन इन कैम्प्स में आय को ठीक करवाने का कोई अधिकार नहीं था। इसलिए इसको ज्यादा सरल तथा सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यही आ रही है। पहले लोगों के जब परिवार पहचान–पत्र बनाए गए और सर्वे भी किया गया। चाहे वे सर्वे अलग–अलग तरीक से हुए हों या जो आपने डिक्लेरेशन किया दोनों के अन्दर कहीं न कहीं बहुत लोगों ने उस हिसाब से फॉर्म भरे, क्योंकि उस समय उनको जानकारी नहीं थी। वे लोग अब कैम्प्स में भी गए, लेकिन कैम्प्स में इस तरह से आय को बदलने का कोई अधिकार नहीं था। इस कारण से अभी तक उनको जानकारी नहीं है, इसलिए कई लोग जानकारी के लिए लिए फोन करते हैं कि यह कैसे ठीक होगा ? हम लोगों को कहते हैं कि आप ए.डी.सी. के माध्यम से इसको ठीक करा सकते हैं, मगर यह बहुत बड़ी कठिनाई का कारण बन रहा है। इसमें कोई व्यक्ति वंचित न रह जाए, यह सबसे बड़ी आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सवाल यह है कि इसके लिए और भी पैमाने हैं, इसलिए इस चीज को सुनिचित करने की आवश्यकता है। किसी व्यक्ति के पास गांव में एक प्लॉट या दो कमरे का मकान हो, परन्तु क्या पता वह मकान पुश्तैनी चलता आ रहा हो और आज की तारीख में पता नहीं उसकी क्या माली हालत है। वह बेरोजगार हो या उसके परिवार में कोई ऐसा हादसा हुआ हो जिससे उसके पास जीवन यापन करने का कोई साधन नहीं हो। इसलिए इस चीज को भी सुनिश्ति किया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि केवल दो कमरे होने से यह नहीं दिखाया जा सकता कि आज की तारीख में भी उसकी माली हालत ठीक है। माननीय उप–मुख्यमंत्री जी, से अनुरोध है कि इसे भी सुनिश्चित करने का काम किया जाए।

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक बात रखी है कि कई जगह वैरिफिकेशन में दिक्कतें आती हैं, मैं चाहूंगा कि अगर उनका भी कोई सुझाव हो तो वे जरूर दें। परिवार पहचान–पत्र पर भी हम उसको सरल बनाएंगे कि गलती को किस प्रकार से जल्दी से ठीक किया जा सके। माननीय सदस्य ने, परिवार की आय फ्लुक्चूएट की बात कही है, लेकिन परिवार पहचान पत्र पहले के एस.ई.सी.सी. डाटा की तरह नहीं है कि पहले व्यक्ति अमीर था और आज गरीब हो गया। ये एक pro-active प्रोसैस है जिसके अन्दर अगर किसी परिवार की आय फ्लुक्चूएट करती है तो उसको तुरंत रि–वैरिफाई करवा सकते हैं जिससे उसकी श्रेणी बदलती रहेगी। माननीय सदस्य ने कहा है कि किसी व्यक्ति के पास गांव में दो मकान हैं तो ये हमारी सरकार की गाइडलाइन नहीं है। ये गवर्नमैंट ऑफ इंडिया की गाइडलाइन है

जिसको गवर्नमैंट ऑफ हरियाणा ने फूड सेफ्टी एक्ट के अन्दर अपनाया है। जिसके अन्दर five acres of agricultural land; residential flat of 1000 square ft.; residential plot of 100 square yards in municipality; residential plot of 200 square yards in rural area, immovable assets of one crore or more. जैसी गाईलाईन्ज हैं जिनके अंदर हम इकोनॉमिक वीकर सैक्शंज को गवर्नमैंट ऑफ इंडिया की डायरैक्शंज के अनुसार फोलो करते हैं। मैं तो चाहूंगा कि किसी भी सदस्य के कोई भी सुझाव जिसके अंदर वैरीफिकेशन प्रोसैस और सरल हो तथा जल्दी इसके अंदर कार्यवाही हो और पात्र नागरिकों को ई.डब्ल्यू.एस. स्कीमों के लाभ मिलें, हरियाणा सरकार उसको जरूर अपनाने का काम करेगी।

श्री अमित सिहाग : स्पीकर सर, इसके अंदर एक बात हुई है जो माननीय उप मुख्यमंत्री जी सरलता की बात कह रहे हैं कि कैसे बैटर हो। मैं वही कहूंगा कि जो आपके कैम्प लगाये जायें इन कैम्प्स में कम से कम जो इंकम का क्राईटेरिया है उसको कैसे ठीक किया जाये उसका भी वहीं पर एक पैमाना बताया जाये। एटलिस्ट वह व्यक्ति वहीं पर सिस्टम में डलवा तो सके। उसको तो यही पता नहीं कि इसको कहां पर जाकर सिस्टम में डालना है। यही सबसे बड़ी बात है। अभी जो कैम्प लगे थे उनमें यह नहीं हुआ। अभी मैं अपने खुद के गांव का एक उदाहरण देना चाहूंगा। चौटाला गांव में एक धरना लगा हुआ था। मैं वहां गया उन्होंने मुझे 250–300 लोगों की एक सूची दी। वहां पर लोग बैठे हुए थे। उनको देखकर यह लग रहा था कि उनमें से अधिकतम लोग बड़े जरूरतमंद लग रहे थे। मैंने उनकी चण्डीगढ़ से इंक्वॉयरी भी करवाई। उस डाटा के अंदर भी त्रुटियां थी, टैक्नीकल एरर था। उनमें से बहुत सारे लोगों के बारे में यह जानकारी दिखा दी गई कि उनके अर्बन एरियाज के अंदर 100 गज से ज्यादा के प्लॉट हैं, इस कारण से उनका नाम वहां से काट दिया गया। वो बेचारे गरीब लोग थे वे कभी चौटाला गांव से बाहर नहीं गए होंगे लेकिन उनका अर्बन एरिया में प्लॉट दिखाया हुआ था। बाद में यह पता चला कि वह एक टैक्नीकल मिस्टेक थी। मैं यह कह रहा हूं कि इस तरह की बहुत सारी त्रुटियां आज की तारीख में भी हैं तो केवल और केवल जो लोग लाभार्थी नहीं थे उनको निकालने का काम किया वह बहुत सही बात है। जो लोग लाभार्थी होने चाहिएं उनको इसका लाभ मिलना चाहिए। मेरा यह भी कहना है कि जहां तक इंकम के पैमाने का सम्बन्ध है कोविड से पहले बहुत सारे लोगों की सालाना इंकम शायद 1.80 लाख से थोड़ा सा ऊपर थी लेकिन कोविड के बाद वे

आज की तारीख में बहुत बड़ी बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। उनका विशेष ध्यान रखते हुए उनके लिए जो इनकम का पैमाना है उसको सरलतम बनाने के लिए कुछ न कुछ प्रयास जरूर किये जायें। हम जो भी सहयोग दे सकेंगे, उसकी हम भरपूर कोशिश करेंगे।

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने खुद ही एक बात कही कि निकाल दिये और नये नहीं बनाये गये। उन्हीं की पार्टी के एक माननीय सदस्य श्री शीश पाल जी ने कहा कि 12 लाख से 15 लाख नये लोग बैनिफिसरी बने हैं।

श्री अमित सिहाग : अध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि नये नहीं बनाये हैं बल्कि मैंने यह कहा है कि कोई ऐसा व्यक्ति न छूट जाये जिसको होना चाहिए। कोविड के बाद जो नये लोग इसमें जुड़े हैं, वह बहुत बड़ी बात है।

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष जी, मैं तो माननीय सदस्य को इतना ही बोल सकता हूं कि अगर इनका साथ रहेगा तो जरूर हरियाणा का कोई भी नागरिक जो ई.डब्ल्यू. एस. श्रेणी में होना चाहिए उसको हमारी सरकार नहीं छोड़ेगी। माननीय सदस्य भी जब अपनी कांस्टीचुएंशी में जायेंगे अगर इंकम 1.80 लाख रूपए सालाना से नीचे वैरीफाईड है तो इनका लोग आभार प्रकट करेंगे कि उनका पीला राशन कार्ड बन चुका है।

————————

To Open Blood Banks

***27. Shri Pardeep Chaudhry**: Will the Health Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to open Blood Bank in the CHCs of Kalka and Raipur Rani in the Kalka Assembly Constituency; if so, the time by which above said Blood Banks are likely to be opened?

Health Minister (Shri Anil Vij): No, Sir.

श्री प्रदीप चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सवाल था कि क्या स्वास्थ्य केन्द्र, रायपुर रानी और कालका में कोई ब्लड बैंक स्थापित करने की सरकार की योजना है? इसका मंत्री महोदय ने "नहीं" में जवाब दिया। हमारे रायपुर रानी एरिया से 50 किलोमीटर दूर तक अभी भी कोई ब्लड नहीं है। चाहे कोविड का समय था, चाहे डेंगू की बात हो, प्लाजमा की बात हो और ब्लड की कमी की बात हो तो कई जगह परिवहन के साधन उपलब्ध नहीं हैं। बसों की दिक्कतें व दूसरी परेशानियां होने के कारण दूर–दराज क्षेत्र से लोगों को धक्के खाकर प्राइवेट अस्पतालों में जाना पड़ता

है। वहां पर पिछले दिनों बड़ी लूट मार हुई जहां पर बिमारियां फैली। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सब को ध्यान में रखते हुए मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि रायपुर रानी और कालका में अगर वे ब्लड बैंक स्थापित नहीं करना चाहते तो कम से कम मिनी ब्लड बैंक वहां पर जरूर स्थापित किया जाये।

श्री अनिल विज : अध्यक्ष महोदय, ब्लड बैंक यूनिट लगाने के लिए डब्ल्यू.एच.ओ. की गाइडलाइन्ज के मुताबिक जनसंख्या का एक प्रतिशत नैसेसरी है। वर्ष 2011 की सैंशस के मुताबिक पंचकूला की जनसंख्या 5.60 लाख है। इसको अगर आज के हिसाब से कैलकूलेट किया जाये तो यह 6.7 लाख आती है। इसके मुताबिक पंचकूला की रिक्वॉयरमैंट 6700 यूनिट प्रति वर्ष बनती है और पंचकूला की आज की तारीख में 11160 ब्लड यूनिट्स प्रति वर्ष की कैपेसिटी है। मेरा यही कहना है कि डब्ल्यू. एच.ओ. की गाइडलाइन्ज के मुताबिक ही हम कहीं पर ब्लड बैंक की स्थापना करते हैं। पंचकूला में सिविल अस्पताल में ब्लड बैंक है और कमाण्ड हॉस्पिटल में भी ब्लड बैंक है। इसी प्रकार से प्राईवेट सैक्टर के तीन ब्लड बैंक भी काम कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त एक ब्लड स्टोरेज सैंटर कम्युनिटी हैल्थ सैंटर, रायपुर रानी में है। Presently the number of Blood Banks in Kalka Assembly Constituency is sufficient. अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रदेश में अगर हम देखें तो 140 ब्लड बैंक हैं जिनमें से 32 सरकारी सैक्टर के हैं तथा 108 प्राइवेट सैक्टर के हैं। इन 140 ब्लड बैंकों में से 113 ब्लड बैंकों में ब्लड कम्पोनेंट सैप्रेटर की सुविधा है। इन 113 ब्लड बैंकों में से 20 सरकारी अस्पतालों में हैं तथा 93 प्राइवेट हॉस्पिटल्स में यह सुविधा उपलब्ध है। अगर हम डब्ल्यू.एच.ओ. की गाइडलाइन्ज 1 प्रतिशत की जनसंख्या के हिसाब से देखें तो हमारे प्रदेश की रिक्वायरमैंट 3,30,000/– ब्लड यूनिट बनती है और इस समय हमारे प्रदेश में 4,25,000/– ब्लड यूनिट की सुविधा उपलब्ध है इसलिए मैं समझता हूं कि हमारे प्रदेश में ब्लड बैंक सफिशियेंट मात्रा में हैं, बल्कि अधिक हैं। इसके अतिरिक्त मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हम डब्ल्यू.एच.ओ. की गाइडलाइन्ज के मुताबिक ही ब्लड बैंक सैटअप करते हैं।

श्री प्रदीप चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि पिंजौर, कालका और रायपुररानी का क्षेत्र दूर–दराज का क्षेत्र है इसलिए यहां पर कोई मिनी ब्लड बैंक खोलने की कृपा करें।

....

Crops Damaged due to Unseasonal Rains

***28. Ch. Aftab Ahmed**: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state-

(a) the total district wise and crop wise details of the area of agriculture land in which crops have been damaged due to unseasonal rain during the month of September/October, 2022 in the State;

(b) whether any special girdawari has been conducted by the Government or any compensation has been provided to the farmers whose crops have been damaged during the abovesaid period in State; if so, the district wise and crops wise details thereof; and

(c) the steps taken by the Government to solve the abovesaid problem so that the farmers may cultivate the next crop togetherwith the details thereof?

@**Deputy Chief Minister (Shri Dushyant Chautala):** (a &b) Sir, In order to assess the damage to Kharif crops, 2022 on account of heavy rain/water logging at many places after 22 September 2022, special girdawari was ordered to be conducted on 28.10.2022 and on 09.11.2022 (for Hisar district due to enforcement of Model Code of conduct). Reports of special girdawari from the districts through Divisional Commissioners are still awaited. Necessary action will be taken as per norms/instructions of the Government, on receipt of reports.

(c) State Government made all efforts for dewatering of accumulated rain water by deploying diesel and electric pump sets. For the same, a total funds of Rs.3,34,14,585/- have also been released to the districts in the current financial year as an advance as well as on the demand basis. The table below is showing the funds sanctioned to the Deputy Commissioners on demand basis-

---

@Replied by the Deputy Chief Minister (Shri Dushyant Chautala)

Sr. No.	Name of the District	Sanctioned Amount (in Rs.)
1	Bhiwani	33,80,413/-
2	Fatehabad	91,29,192/-
3	Hisar	9,04,980
4	Jind	30,00,000/-
5	Rewari	5,00,000/-
6	Sonipat	70,00,000/-
7	Charki Dadri	20,00,000/-
8	Rohtak	20,00,000/-
Total		2,79,14,585

श्री आफताब अहमदः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप–मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि पिछले विधान सभा सत्र में भी जब किसानों की जल भराव की समस्या का उप–मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे थे तो हमारे जिले मेवात की गिरदावरी का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था। जब हमने यहां पर मामला उठाया तो इन्होंने कहा कि चैक करवा लेंगे। अगले दिन इन्होंने मुझे जवाब दिया कि जल भराव के कारण मेवात में 25–30 हजार एकड़ फसल का नुकसान हुआ है। लेकिन उसका आज तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया है। जहां तक आज के प्रश्न की बात है तो माननीय उप–मुख्यमंत्री जी ने गिरदावरी के आदेश तो दे दिये हैं लेकिन अभी तक गिरदावरी हो कर कोई रिपोर्ट नहीं आई है। आज वहां पर हालात यह हैं कि किसानों की पिछली फसल तो खराब हो ही गई लेकिन अगली फसल की बिजाई की भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है क्योंकि दिसम्बर का अंतिम सप्ताह चल रहा है। अभी तक वहां पर गेहूं और सरसों की बिजाई नहीं हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप–मुख्यमंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि इसकी गिरदावरी कब तक हो जायेगी? इसके अतिरिक्त यह जो हर साल जल भराव की समस्या का सामना करना पड़ता है इसका कोई स्थायी समाधान किया जाये तथा मुआवजे के लिए कोई टाइमफ्रेम बना कर समय पर किसानों को मुआवजा दिया जाये। उस एरिया की गिरदावरी की जाये तथा किसानों को उनकी खराब फसल का मुआवजा शीघ्र जारी किया जाये। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि पिछले साल की खराब फसल का मुआवजा भी शीघ्रातिशीघ्र जारी किया जाये।

श्री दुष्यंत चौटालाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि पहले आदमपुर उप–चुनाव को लेकर हिसार में तथा बाद में पंचायती राज के चुनावों के कारण पूरे प्रदेश में आचार संहिता लगी हुई थी, उस कारण से इसमें

देरी हुई है। मैं कहना चाहूंगा कि जैसे ही गिरदावरी की रिपोर्ट आ जायेगी तो इनका मुआवजा भी भेज दिया जायेगा। जहां तक रबी फसल 2022 के मुआवजे की बात है तो मैं बताना चाहूंगा कि हरियाणा प्रदेश में फसलों के खराबे के लिए 109 करोड़ रुपये मुआवजे के तौर पर पहले ही सैंक्शन कर दिये गये हैं। मेवात के लिए 32.26 करोड़ रुपया फसलों के खराबे के मुआवजे के तौर पर पहले ही ट्रेजरी में जा चुका है। ट्रेजरी में चला गया है तो वह इनको शीघ्र ही मिल जायेगा।

श्री आफताब अहमदः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय उप–मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा कि पिछले साल की खराब फसलों का मुआवजा मेवात जिले के किसानों को अभी तक नहीं मिला है और जब तक नहीं मिलेगा तो क्या फायदा?

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, जहां की माननीय सदस्य ने बात कही है कि वहां आज भी फसल खराबा है, वहां आज भी पानी खड़ा है और दूसरी फसल की बुआई नहीं हो रही है। पहले हरियाणा प्रदेश के अन्दर जहां बुआई नहीं होती थी तो किसानों को उसका मुआवजा राशि 6 हजार रुपये प्रति एकड़ मिलती थी। उसको बदलकर हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि हरियाणा प्रदेश के किसानों को 7500 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा मिले। इसी तरह से हमारी सरकार ने 100 प्रतिशत फसल खराबे पर मुआवजा राशि 12 हजार रुपये प्रति एकड़ किया और उसके बाद उसको बढ़ाकर 15 हजार रुपये प्रति एकड़ कर दिया है। मेवात में क्षतिपूर्ति के अन्दर लगभग 3667 किसानों ने अपनी फसल खराबे का, पानी खड़े होने का और अगली फसल की बुआई न होने का डाटा अपलोढ किया है जिसके अन्दर 16007 एकड़ एरिया नॉन–साउन(बिजाई रहित) या डैमेज था। उसकी वैरिफिकेशन चल रही है। जैसे ही इन किसानों का भी 'मेरी फसल, मेरा ब्यौरा' के ऊपर डाटा वैरिफाई हो जाएगा उनको भी हरियाणा सरकार तुरंत मुआवजा देगी। जहां की माननीय सदस्य बात कर रहे हैं कि सरकार ने मुआवजा दे तो दिया लेकिन वह किसान को कब मिलेगा। उस संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि माननीय सदस्य इस हाऊस में पहले भी रहे हैं और आज भी हैं। आज के दिन खातें में मुआवजे का पैसा डलवाने के लिए खुद किसान ने अपना खाता वैरिफाई करवाना पड़ेगा। उसमें मैं माननीय सदस्य से भी आग्रह करूंगा और इस सदन के माध्यम से हरियाणा प्रदेश के प्रत्येक किसान से भी आग्रह करूंगा कि वे 'मेरी फसल, मेरा ब्यौरा' के अन्दर अपने एरिया की वैरिफिकेशन को ट्रैजरी से जल्द से जल्द वैरिफाई कराएं क्योंकि किसान का मुआवजा ट्रैजरी में पड़ा रहता है। एक खेवट के अन्दर 4–5 या 10 हिस्सेदार हैं और मुआवजे का पैसा उस पूरी खेवट का आएगा और जब डिविजन होगी तो प्रत्येक हिस्सेदार के नाम पर होगी उस कारण से उसमें डिले हो जाता है। आज भी मुआवजे

का बहुत सा पैसा ऐसा है जो हरियाणा सरकार ने ट्रैजरी में भेजा हुआ है जो जिले में, डिविजंस में, सब डिविजंस में पड़ा हुआ है लेकिन 8—9 सालों से उस पैसे का क्लेमैंट कोई नहीं आया जिससे उनका अकाउंट वैरिफाई होकर वह पैसा उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो सके। मैं तो इसके लिए सभी विधायकों से भी आग्रह करूंगा कि आप अपनी विधान सभा के अन्दर सब डिविजन लैवल पर इसको मॉनिटर करवाकर जिस किसान की फसल का उचित नुकसान हुआ है उसके खाते में मुआवजे का पैसा भिजवाने का काम जरूर करें।

श्री आफताब अहमद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उप मुख्यमंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि आपने गिरदावरी और मुआवजे की बात तो कर दी लेकिन बार—बार जो जल भराव की समस्या हो रही है उसके लिए भी प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। जैसे आपने अपने रिप्लाई में लिख दिया कि डीजल और बिजली के पम्प सैट से पानी निकाला जाए लेकिन उससे बात नहीं बनेगी। आपके पास लॉ लाईंग एरिया के लिए बार—बार सर्वे हो रहा है, गिरदावरी हो रही है वह आपके पास है। आप लॉ लाईंग एरिया के लिए एक कमेटी बनाकर उन एरिया को आईडैंटिफाई करके उन कारणों का समाधान कीजिए ताकि हर बार किसान को इसके लिए मुआवजा लेने के लिए मजबूर न होना पड़े। हमारे वहां तो पानी वैसे ही नहीं है। हम तो एक फसल की उम्मीद करते हैं वही होती नहीं है। अबकी बार हमारे किसानों को बड़ा भारी नुकसान हुआ है। आपने जो अकाउंट वैरिफिकेशन की बात कही है उसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि इसके लिए आप डिप्टी कमिश्नर को भी हिदायत दीजिए कि वे लोकल रिप्रजैंटेटिव के साथ बैठकर 2—4—6 महीनों में कोई मीटिंग जरूर कर लें। अगर किसानों की फसल के मुआवजे की कोई बात अटकी पड़ी है तो लोकल लैवल पर इक्ट्ठे बैठकर इसका समाधान कर सकते हैं। मतलब आईडैंटिफाई के लिए और क्या हो सकता है जिससे लोगों में जागरूकता आए। खातें में पैसा पड़ा रहना और किसान को न मिलना यह भी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है।

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, सुजेशन वैल टेकन। मैं इसके लिए डिप्टी कमिश्नर को जरूर डायरैक्ट करूंगा कि वे अपने सारे रिप्रजैंटेटिव को बताएं कि विधान सभा वाईज कितना मुआवजा आज भी ट्रैजरी में पैंडिंग है। अगर हाऊस सहमत हो तो जिस मुआवजे का क्लेमैंट 5 साल से अपनी फसल का मुआवजा लेने नहीं आया है उसके अन्दर भी जरूर हमने विचार करना पड़ेगा कि उस पैसे को हम कहीं

और जगह उपयोग करने का प्रयास करें। क्योंकि आज ऐसा करोड़ों रुपया मुआवजे का ट्रैजरी में पड़ा हुआ है जो उपयोग नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष : उप मुख्यमंत्री जी, यह तो सरकार ने निर्णय करना है। इस पर सरकार कोई डिसिजन ले।

श्री दुष्यंत चौटाला : अध्यक्ष महोदय, हम तो निर्णय कर लेंगे लेकिन कल को विपक्ष के सदस्य ही सामने खड़े होकर कहेंगे कि आपने किसान का पैसा वापिस ले लिया।

....

Delay in Constitution of S.C. Commission

***29. Shri Varun Chaudhry:** Will the Welfare of Scheduled Castes & Backward Classes Minister be pleased to state the time by which the S.C. Commission is likely to be constituted in the State togetherwith the reasons for delay?

अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण मंत्री (डॉ0 बनवारी लाल): श्रीमान् जी, हरियाणा राज्य अनुसूचित जाति आयोग का गठन राज्य सरकार के विचाराधीन है।

अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न माननीय सदस्य ने पूछा है उस समय तक यह मामला अण्डर कंसीड्रेशन था लेकिन अब हरियाणा सरकार ने राज्य अनुसूचित जाति के आयोग अधिनियम 2018 के धारा 3 की उप धारा 2 के खंड क और ख अनुसार दिनांक 26.12.2022 को हरियाणा राज्य अनुसूचित आयोग के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की अधिससूचना जारी कर दी है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत–बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अध्यक्ष पद के लिए श्री रविन्द्र बलियाला जी, पूर्व विधायक और श्री विजय बडबुजर, वाईस चेयरमैन, श्री रवि रतनावली, मैंबर, श्रीमती मीना नरवाल, मैंबर, श्री रतनलाल बामनिया, मैंबर आदि की अधिसूचना सरकार ने जारी कर दी है। धन्यवाद।

श्री वरूण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मैंने अपना प्रश्न 15 दिन से भी अधिक पहले लगाया था। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: वरूण जी, शायद आपके प्रश्न की वजह से ही यह आयोग बना हो। (शोर एवं विघ्न)

शहरी स्थानीय निकाय एवं आवासीय मंत्री: (डॉ कमल गुप्ता): अध्यक्ष महोदय, इस कार्य के लिए धन्यवाद मंत्री जी का ही नहीं बल्कि वरूण जी का भी किया जाना चाहिए।

श्री वरूण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि मेरे इस प्रश्न को लगाने के बाद ही सरकार ने यह कार्य किया है। वैसे यह यह एक अच्छी बात है। मेरा प्रश्न जो था इसमें दो भाग थे कि अनुसूचित जाति आयोग का गठन कब तक किए जाने की संभावना है तथा इसकी देरी के क्या कारण हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः वरूण जी, देर आए पर दुरूस्त आए, आपको इस कहावत को भी याद रखना चाहिए। (हंसी)

श्री वरूण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, यह बात भी तो मायने रखती है कि मुझे इस बाबत अपना सवाल लिखित में देना पड़ा। अनुसूचित जाति आयोग को भंग कर दिया गया था और इसके बाद इसको पुनः बनाने में आठ साल का एक लंबा समय लगा है परन्तु देर से ही सही सरकार ने अनूसचित जाति आयोग का गठन करने का काम आखिरकार किया है और इसके लिए मैं सरकार का बहुत–बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ और साथ ही यह भी कहना चाहूंगा कि सफाई कर्मचारी आयोग जोकि अभी भी पैंडिंग पड़ा हुआ है, का भी जल्द से जल्द गठन करने का काम किया जाये और यही नहीं एस.सी. सब कंपोनेंट प्लॉन अथारिटी भी अभी तक नहीं बन पाई है। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा प्रदेश में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या 20 परसेंट है। अतः मेरी प्रार्थना है कि अनुसूचित जाति के लोगों की कदापि नज़रअंदाजी नहीं की जानी चाहिए और इनका पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हरियाणा स्टेट कमीशन फोर शैड्यूल्ड कास्ट एक्ट के मुताबिक अनुसूचित जाति आयोग का गठन करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं था बल्कि यह अनिवार्य था। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने इस कमीशन को बनाया है इसके लिए मैं फिर से धन्यवाद प्रकट करना चाहूंगा और यह भी प्रार्थना करना चाहूंगा कि सफाई कर्मचारी आयोग को भी जल्द से जल्द बनाया जाये और साथ ही हरियाणा प्रदेश में एस.सी. सब कंपोनेंट प्लॉन अथारिटी बनाने का भी काम किया जाये।

सहकारिता मंत्री (डॉ. बनवारी लाल): अध्यक्ष महोदय, यह भी जरूर बनायेंगे।

....

The Details of Scholarship to the Students Belonging to Scheduled Castes

***30 Smt. Kiran Chaudhary**: Will the Education Minister be pleased to state-

(a) whether it is fact that the scholarship to the students belonging to Scheduled Castes for higher education has not been paid by the Government since 2020- 2021; if so, the details thereof together with the number of students effected alongwith the district wise details thereof;

(b) the details of the students to whom scholarship have not been paid by the Government in Government college Ateli (Mahendergarh) during the above said period; and

(c) the action taken by the Government against erring officers /official togetherwith the detail thereof?

शिक्षा मंत्री (श्री कंवर पाल): महोदय, विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा **2020-21** से अनुसूचित जाति वर्ग के 95052 में से **83834** छात्रो को छात्रवृति दी गई । वर्ष **2020-21** से अब तक लगभग **11218** छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जा सका क्योंकि इन छात्रों ने ऑनलाइन छात्रवृत्ति पोर्टल पर या तो गलत आधार नंबर जमा किया है या उसका आधार नंबर उसके बैंक खाते से नहीं जोड़ा गया है या छात्र द्वारा आवेदन/दस्तावेज जमा नहीं किया गया है या छात्रवृत्ति आवेदन पत्र में गलत श्रेणी या गलत जिले का उल्लेख किया गया है ।जिलेवार विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	जिला	कुल छात्र सख्या जिनको छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया गया
1.	अम्बाला	767
2.	भिवानी	558
3.	चरखीदादरी	33
4.	फरीदाबाद	729
5.	फतेहाबाद	475
6.	गुरुग्राम	1409

7.	हिसार	560
8.	झज्जर	742
9.	जींद	516
10.	कैथल	83
11.	करनाल	667
12.	कुरुक्षेत्र	84
13.	महेंद्रगढ़	1106
14.	नूह	118
15.	पलवल	166
16.	पंचकूला	525
17.	पानीपत	103
18.	रेवाड़ी	771
19.	रोहतक	917
20.	सिरसा	420
21.	सोनीपत	253
22.	यमुनानगर	216
		11218

(ख) उक्त अवधि में राजकीय महाविद्यालय, अटेली(महेन्द्रगढ़), के 249 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति का विवरण नहीं किया गया है । इन छात्रों का विवरण नीचे दिया गया है:-

क्रमाक सख्या	महाविधालय का नाम	पाठयक्रम का नाम	छात्र का नाम	पिता का नाम
1	राजकीय महाविधालय अटेली	बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम	मनोज कुमार	कृष्ण कुमार
2	राजकीय महाविधालय अटेली	बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम	नवीन कुमार	पवन कुमार
3	राजकीय महाविधालय अटेली	बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम	निर्मल	लाल चंद
4	राजकीय महाविधालय अटेली	बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम	रविंदर	जगदीश
5	राजकीय महाविधालय अटेली	बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम	बीरेंद्र कुमार	अनिल कुमार
6	राजकीय महाविधालय अटेली	बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम	राहुल	मनोज कुमार
7	राजकीय महाविधालय अटेली	बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम	करिश्मा	रोहताश

8	राजकीय महाविधालय अटेली	बैचलर ऑफ साइंस बीएससी नॉन मेडिकल	लोकेश	सुभाष चंद
9	राजकीय महाविधालय अटेली	बैचलर ऑफ साइंस बीएससी नॉन मेडिकल	विशाल	लाल चंद
10	राजकीय महाविधालय अटेली	बैचलर ऑफ साइंस बीएससी नॉन मेडिकल	नरेश कुमार	सरवन सिंह
11	राजकीय महाविधालय अटेली	बैचलर ऑफ साइंस बीएससी नॉन मेडिकल	नीरज	तेजपाल
12	राजकीय महाविधालय अटेली	बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम	अमरपाल	मोहन लाल
13	राजकीय महाविधालय अटेली	बैचलर ऑफ साइंस बीएससी नॉन मेडिकल	अमन कुमार	कंवर सिंह
14	राजकीय महाविधालय अटेली	बैचलर ऑफ साइंस बीएससी नॉन मेडिकल	गौरव	राजेंद्र कुमार
15	राजकीय महाविधालय अटेली	बैचलर ऑफ साइंस बीएससी नॉन मेडिकल	कमल	सुनील कुमार
16	राजकीय महाविधालय अटेली	बैचलर ऑफ साइंस बीएससी नॉन मेडिकल	लोकेश	छाजू राम
17	राजकीय महाविधालय अटेली	बैचलर ऑफ साइंस बीएससी नॉन मेडिकल	राहुल	राजेंद्र सिंह
18	राजकीय महाविधालय अटेली	बैचलर ऑफ साइंस बीएससी नॉन मेडिकल	गौरव	महेश कुमार
19	राजकीय महाविधालय अटेली	बैचलर ऑफ साइंस बीएससी नॉन मेडिकल	खुशबु	सुरेश कुमार
20	राजकीय महाविधालय अटेली	मास्टर आफ कार्मस एम कोम	हमंत कुमार	राम प्रसाद
21	राजकीय महाविधालय अटेली	मास्टर आफ कार्मस एम कोम	स्वाति	अशोक कुमार
22	राजकीय महाविधालय अटेली	मास्टर आफ कार्मस एम कोम	रीना	याद राम
23	राजकीय महाविधालय अटेली	मास्टर आफ कार्मस एम कोम	रविंदर	हजारीलाल
24	राजकीय महाविधालय अटेली	मास्टर आफ कार्मस एम कोम	रेणु बाई	राजेश कुमार
25	राजकीय महाविधालय अटेली	मास्टर आफ कार्मस एम कोम	ईशा कुमारी	मीर सिंह
26	राजकीय महाविधालय अटेली	मास्टर आफ कार्मस एम कोम	प्रियंका	लाल चंद
27	राजकीय महाविधालय अटेली	मास्टर आफ कार्मस एम कोम	सपना	प्रमोद कुमार
28	राजकीय महाविधालय अटेली	मास्टर आफ कार्मस एम कोम	काजल	प्रकाश चंद
29	राजकीय महाविधालय अटेली	मास्टर ऑफ साइंस कंप्यूटर साइंस	जितेन्द्र	पूरन सिंह
30	राजकीय महाविधालय अटेली	मास्टर ऑफ साइंस कंप्यूटर साइंस	नीरू मौर्य	राजबीर

31	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	चरणजीत	सुरेंद्र सिंह
32	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	अरुण	बीरेंद्र सिंह
33	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	जतीश कुमार	विनोद कुमार
34	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	दीपक कुमार	लाला राम
35	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	एक आदमी	लाल चंद
36	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	मनपाल	विजय पाल
37	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	निखिल	अजयपाल
38	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	परमजीत	सूरज प्रकाश
39	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	अक्षय कुमार	मुकेश कुमार
40	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	साहिल कुमार	सतीश कुमार
41	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	हिमांशु	विनोद कुमार
42	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	परवीन कुमार	विक्रम सिंह
43	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	साहिल	बंसी लाल
44	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	गिरवर	दिनेश कुमार
45	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	दिलखुश	अशोक कुमार
46	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	अरुण कुमार	बीर सिंह
47	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	सोमेश जातिवाल	ईश्वर दयाल
48	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	मोनू कुमार	रामनिवास
49	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	प्रवीण कुमार	आनंद पाल
50	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	हिम्मत	यादराम
51	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	विकाश	अशोक
52	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	राकेश कुमार	जगत सिंह
53	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	जितेन्द्र	देवेंद्र कुमार

54	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	कपिल	विनोद कुमार
55	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	राहुल	लीला राम
56	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	राहुल	उदय सिंह
57	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	राकेश	सुशील कुमार
58	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	रोहित	रोशन लाल
59	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	साहिल कुमार	संजय कुमार
60	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	संदीप	महेंद्र सिंह
61	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	आकाश	सुरेश
62	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	आशीष कुमार	राजेंद्र सिंह
63	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	दीपक कुमार	राजेंद्र सिंह
64	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	प्रदीप कुमार	मनोज कुमार
65	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	दीपांशु	कालीचरण
66	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	पुष्कर	मुकेश कुमार
67	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	नितिन	विजय कुमार
68	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	रविंदर कुमार	जसवंत सिंह
69	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	मनीष कुमार	नवीन कुमार
70	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	अरविंद	छतर पाल
71	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	भरत सिंह	प्यारेलाल
72	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	पवन	संजय कुमार
73	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	संजीत सिंह	बलबीर सिंह
74	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	सोनू कुमार	रामनिवास
75	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	राहुल	शेरसिंह
76	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	गजेंद्र	धर्मेंद्र

77	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	ललित कुमार	सतीश कुमार
78	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	हिमांशु	राधेश्याम
79	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	आलोक	हरि सिंह
80	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	अभिषेक	श्याम सुंदर
81	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	सनी बुलान	राजेंद्र कुमार
82	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	राहुल जोया	जय सिंह
83	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	हरीश कुमार	मुकेश कुमार
84	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	जितेन्द्र कुमार	राजेन्द्र
85	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	साहिल	राजेन्द्र
86	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	जशन कुमार	संतोष कुमारश्
87	राजकीय महाविधालय अटेली	मास्टर ऑफ आर्ट्स एमए अंग्रेजी	रवि कुमार	राजेश कुमार
88	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	हेमंत कुमार	रमेश कुमार
89	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	अभिषेक	राम सिंह
90	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	राहुल	कृष्ण सिंह
91	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	छोटू	मदन लाल
92	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	अरुण कुमार	मुकेश कुमार
93	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	दीपक	भूप सिंह
94	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	मनोज कुमार	अशोक कुमार
95	राजकीय महाविधालय अटेली	मास्टर ऑफ आर्ट्स एमए अंग्रेजी	करिश्मा	सुंदर लाल
96	राजकीय महाविधालय अटेली	मास्टर ऑफ आर्ट्स एमए अंग्रेजी	शीतल कुमारी	पूरन मल
97	राजकीय महाविधालय अटेली	मास्टर ऑफ आर्ट्स एमए अंग्रेजी	चंचल	हरि सिंह
98	राजकीय महाविधालय अटेली	मास्टर ऑफ आर्ट्स एमए अंग्रेजी	सुनीता	महावीर
99	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	रजत	करतार चंद

100	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	मुकुल कुमार	सुरेंद्र पाल
101	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	गुरु वचन	पूरन चंद
102	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	सुनील कुमार	रविंदर कुमार
103	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	मोनु	ज्ञानी
104	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	अमित कुमार	वेद प्रकाश
105	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	दीपक अहरोदिया	बालकिशन
106	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	प्रेम प्रकाश	कृष्ण कुमार
107	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	अक्षय	सतीश
108	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	अंकित	राकेश
109	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	देवेश कुमार	अनिल कुमार
110	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	कल्पेश कुमार	बाबू लाल
111	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	नूतन कुमार	दिलीप कुमार
112	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	मनीषा	प्रकाश चंद
113	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	किरण	सुरेंद्र सिंह
114	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	कपिल कुमार	राजपाल सिंह
115	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	सन्नी कुमारी	राजकुमार
116	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	दिव्या	संजय कुमार
117	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	रवीना	सतीश कुमार
118	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	नवीन	किशोरी लाल
119	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	अक्षय कुमार	सूबे सिंह
120	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	संजू कुमारी	रमाकांत
121	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	प्रिया	बाबूलाल
122	राजकीय महाविधालय अटेली	मास्टर ऑफ आर्ट्स.संस्कृत	सनूप	धर्मबीर

123	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	बबली	सतीश कुमार
124	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	कुसुम	मनोज कुमार
125	राजकीय महाविधालय अटेली	मास्टर ऑफ आर्ट्स संस्कृत	इंद्राणी	महेंद्र सिंह
126	राजकीय महाविधालय अटेली	मास्टर ऑफ आर्ट्स संस्कृत	अनीता	रमेश चंद
127	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	रिंकी	नंद किशोर
128	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	सपना	सुरेंद्र
129	राजकीय महाविधालय अटेली	मास्टर ऑफ आर्ट्स संस्कृत	ज्योति	हर चंद
130	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	रजनी	पूरन मल
131	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	सोनू रानी	अशोक कुमार
132	राजकीय महाविधालय अटेली	मास्टर ऑफ आर्ट्स संस्कृत	संगीता	राम फल
133	राजकीय महाविधालय अटेली	मास्टर ऑफ आर्ट्स संस्कृत	कविता	रोहताश
134	राजकीय महाविधालय अटेली	मास्टर ऑफ आर्ट्स संस्कृत	सीमा	सीता राम
135	राजकीय महाविधालय अटेली	मास्टर ऑफ आर्ट्स संस्कृत	प्रमिला	सत्यवीर सिंह
136	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	सोनिया	राजेंद्र सिंह
137	राजकीय महाविधालय अटेली	बैचलर ऑफ साइंस बीएससी नॉन मेडिकल	कपिल कुमार	राकेश कुमार
138	राजकीय महाविधालय अटेली	बैचलर ऑफ साइंस बीएससी नॉन मेडिकल	कुलदीप	यशपाल सिंह
139	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	दीपेंद्र	भूप सिंह
140	राजकीय महाविधालय अटेली	बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम	जोनी खन्ना	श्री लेखराज
141	राजकीय महाविधालय अटेली	बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम	गौरव कुमार	विजय कुमार
142	राजकीय महाविधालय अटेली	बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम	भूपेंद्र	वेद प्रकाश
143	राजकीय महाविधालय अटेली	बैचलर ऑफ साइंस बीएससी नॉन मेडिकल	कपिल	बाबूलाल
144	राजकीय महाविधालय अटेली	बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम	लोकेश भामनिया	प्रवीण भामनिया
145	राजकीय महाविधालय अटेली	बैचलर ऑफ साइंस बीएससी नॉन मेडिकल	प्रीति	परवीन कुमार

146	राजकीय महाविधालय अटेली	बैचलर ऑफ साइंस बीएससी नॉन मेडिकल	सचिन	राम दयाल
147	राजकीय महाविधालय अटेली	बैचलर ऑफ साइंस बीएससी नॉन मेडिकल	पंकज कुमार	रति राम
148	राजकीय महाविधालय अटेली	बैचलर ऑफ साइंस बीएससी नॉन मेडिकल	शर्मिला	श्रीराम
149	राजकीय महाविधालय अटेली	बैचलर ऑफ साइंस बीएससी नॉन मेडिकल	योगेश कुमार	रण सिंह
150	राजकीय महाविधालय अटेली	बैचलर ऑफ साइंस बीएससी नॉन मेडिकल	रोहित कुमार	राजेंद्र कुमार
151	राजकीय महाविधालय अटेली	बैचलर ऑफ साइंस बीएससी नॉन मेडिकल	संजीव कुमार	अंजू कुमार
152	राजकीय महाविधालय अटेली	बैचलर ऑफ साइंस बीएससी नॉन मेडिकल	महेश	अटेंडर
153	राजकीय महाविधालय अटेली	बैचलर ऑफ साइंस बीएससी नॉन मेडिकल	धर्मेंद्र	सूबे सिंह
154	राजकीय महाविधालय अटेली	बैचलर ऑफ साइंस बीएससी नॉन मेडिकल	कपिल	लक्ष्मी नारायण
155	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	भीम सिंह	भूप सिंह
156	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	आशीष कुमार	महाबीर प्रसाद
157	राजकीय महाविधालय अटेली	बैचलर ऑफ साइंस बीएससी नॉन मेडिकल	नितिन	मुंशी राम
158	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	अक्षय कुमार	कृष्ण कुमार
159	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	आकाश	चिरंजी लाल
160	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	आकाश कुमार	नरेश कुमार
161	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	वंदना	फूल सिंह
162	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	मधु बाला	लक्ष्मी चंद
163	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	प्रियंका	लाल चंद
164	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	वर्षा	राजा राम
165	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	सुरेश कुमार	मणि राम
166	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	कर्मवीर कुमार	राजेश
167	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	भूपेंद्र सिंह	राम सिंह
168	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	हरीश	रविंदर

169	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	विकाश	विनोद कुमार
170	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	मनमोहन सिंह	पूरन चंद
171	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	अशोक कुमार	नंद राम
172	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	मोनु	ओमप्रकाश
173	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	पवन कुमार	सुरेश कुमार
174	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	सुचित्रा	बलवंत सिंह
175	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	प्रदीप कुमार	सुरेश कुमार
176	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	सोनू	जगजीत
177	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	दीपक कुमार	राजेश कुमार
178	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	प्रदीप	जयपाल
179	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	मनीष कुमार	हरदावरी लाल
180	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	हेमंत कुमार	अशोक कुमार
181	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक	मे जाट	विनोद
182	राजकीय महाविधालय अटेली	एस बीण्एण्द्ध	जितिन भारती	राम चरण
183	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	आशीष कुमार	कृष्ण कुमार
184	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	मोनिका	महेंद्र सिंह
185	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	हरमेंद्र	माला राम
186	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	बाला	छोटे लाल
187	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	पिंकी कुमारी	नरेश कुमार
188	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	मनजीत	दया चंद
189	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	मोनू कुमार कुमार	राज कुमार
190	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	प्रमोद	सत्यबीर सिंह
191	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	दीपू कुमारी	देशराज

192	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	नीरज कुमार	दीपक कुमार
193	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	राहुल कुमार	गोपी राम
194	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	योगिता	अशोक
195	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	राहुल	हनुमान सिंह
196	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	ज्योत्सना कुमारी	बीरेंद्र सिंह
197	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	विकाश कुमार	मरु राम
198	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	चरण सिंह कुमार	मनोज कुमार
199	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	मनीष कुमार	राजेश कुमार
200	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	सोमवती कुमारी	मामनम सिंह
201	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	अजय कुमार	किशोर
202	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	निखिल कुमार	रामफल
203	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	आकाश कुमार	कंवर सिंह
204	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	योगेश कुमार	हंसराज
205	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	राहुल कुमार	छोटे लाल
206	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	सतेंद्र	मुकेश
207	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	राजेश कुमार	जसवंत सिंह
208	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	अरविंद	सत्यवीर
209	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	भीम	देशराज
210	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	उषा कुमारी	मुंशी राम
211	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	नवरतन	सुरेश कुमार
212	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	दीपक	अशोक कुमार
213	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	ललित कुमार	ओम प्रकाश
214	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	खुशहाल	श्री कृष्ण

215	राजकीय महाविधालय अटेली	बैचलर ऑफ साइंस बीएससी नॉन मेडिकल	जितेन्द्र कुमार	शीशराम
216	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	अजय कुमार	प्रदीप कुमार
217	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	प्रियंका कुमारी	सुभाष
218	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	ममता बाई	लाल चंद
219	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	अनीषा	जसवंत सिंह
220	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	अनिल कुमार	गुरुवचन
221	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	ज्योति	सांवल राम
222	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	महेश कुमार	मदन लाल
223	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	मनीषा	हनुमान
224	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	मोनिका कुमारी	फूल सिंह
225	राजकीय महाविधालय अटेली	मास्टर ऑफ आर्ट्स एमए अंग्रेजी	प्रियंका	कृष्ण कुमार
226	राजकीय महाविधालय अटेली	मास्टर ऑफ साइंस कंप्यूटर साइंस	विजय कुमारी	हीरा लाल
227	राजकीय महाविधालय अटेली	मास्टर ऑफ आर्ट्स संस्कृत	गजराज कुमार	नेकिराम
228	राजकीय महाविधालय अटेली	मास्टर आफ कार्मस एम कोम	रीना कुमारी	फूल सिंह
229	राजकीय महाविधालय अटेली	मास्टर ऑफ आर्ट्स एमए अंग्रेजी	अर्चना	जयचन्द
230	राजकीय महाविधालय अटेली	मास्टर ऑफ आर्ट्स संस्कृत	पूजा	फकीर चंद
231	राजकीय महाविधालय अटेली	मास्टर ऑफ आर्ट्स संस्कृत	नचिता	जगदीश प्रसाद
232	राजकीय महाविधालय अटेली	मास्टर ऑफ आर्ट्स संस्कृत	अविनाश कुमार	सुरेश कुमार
233	राजकीय महाविधालय अटेली	मास्टर ऑफ साइंस . कंप्यूटर साइंस	अनुप्रिया	वेद प्रकाश
234	राजकीय महाविधालय अटेली	मास्टर ऑफ आर्ट्स संस्कृत	राखी कुमारी	बलबीर सिंह
235	राजकीय महाविधालय अटेली	मास्टर ऑफ आर्ट्स संस्कृत	लक्ष्य	देशराज
236	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	मैनपाल	महेंद्र सिंह
237	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	साहिल	ईश्वर सिंह

238	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	भूनेश कालिया	धर्मेंद्र कालिया
239	राजकीय महाविधालय अटेली	बैचलर ऑफ साइंस बीएससी नॉन मेडिकल	गर्वित	निहाल सिंह
240	राजकीय महाविधालय अटेली	बैचलर ऑफ साइंस बीएससी नॉन मेडिकल	नीरज कुमार	रमेश चंद
241	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	अमित आशिवाल	विजय कुमार
242	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	रोहन	सुरेश कुमार
243	राजकीय महाविधालय अटेली	बैचलर ऑफ साइंस बीएससी नॉन मेडिकल	सोनू	महावीर
244	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	नितेश	सुभाष चंद
245	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	रितु	।छप्स्
246	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	एक आदमी	जगदीश
247	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	गौरव	देश राज
248	राजकीय महाविधालय अटेली	कला स्नातक बीए	अनुज कुमार	बिजेन्द्र
249	राजकीय महाविधालय अटेली	बैचलर ऑफ कॉमर्स बीकॉम	अभिषेक गुड़िया	महेंद्र सिंह

इन 249 मामलों में से 27 दावों को गलत जानकारी के कारण कॉलेज द्वारा खारिज कर दिया गया है व 30 दावों को दावेदारों द्वारा आवश्यक दस्तावेज जमा नहीं करने के कारण कॉलेज द्वारा सत्यापित नहीं किया गया है ।

हालांकि, पोर्टल में 192 छात्रों के सत्यापित दावे प्राप्त हुए हैं और इन दावों का भुगतान अगले 7 दिनों में कर दिया जाएगा ।

(ग) चूंकि देरी दावों के आवेदन और सत्यापन में प्रक्रियात्मक चूक के कारण हुई थी, इसलिए किसी भी अधिकारी/कर्मचारी ने जानबूझकर गलती नहीं की।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही अहम मसला है। स्कालरशिप किस लिए दी जाती है ? स्कालरशिप इसलिए दी जाती है ताकि गरीब बच्चे अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर सकें लेकिन अब हालात ऐसे हो रहे हैं कि वर्ष 2014 से लेकर वर्ष 2019 तक हरियाणा प्रदेश में मात्र 52 परसेंट एप्लीकेंट्स को केवल पोस्ट मैट्रिक स्कालरशिप ही दी गई है और 37 परसेंट एप्लीकेंट्स को यह स्कालरशिप नहीं दी गई और इसका कारण यह रहा कि यह एजुकेशन डिपार्टमैंट से एप्रूव ही नहीं हुई

थी। जहां तक टैक्निकल एजुकेशन डिपार्टमैंट की बात है, इस डिपार्टमैंट में Rs. 18 crores have not been given to 7757 eligible beneficiaries so far. पैसे का विद्ड्राल हो गया और पैसा ट्रेजरी से निकाल दिया गया लेकिन बावजूद इसके यह पैसा नहीं दिया गया। अध्यक्ष महोदय, गवर्नमैंट इंस्टीट्यूशंज जो हैं उनको starve किया जा रहा है। उनको फंड्ज नहीं दिए जा रहे हैं लेकिन इसके साथ ही ऐसे भी इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे रोहतास इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमैंट, अटेली, इस तरह के इंस्टीटयूट्स का अनड्यू फेवर भी किया जाता है। अध्यक्ष महोदय, ऑडिट ने प्वॉयंट आउट किया है कि Payment of Rs. 4.74 crores have been given to students who are studying outside Haryana अध्यक्ष महोदय, यह तो बहुत ज्यादा ज्यादती है और कैग की रिपोर्ट के मुताबिक Payment of Rs. 7.36 Crores was made to 2490 Students who were not registered with the respective Universities. अब अगर इस तरह के हालात होंगे तो मैं यह जरूर कहना चाहूंगी कि चूंकि स्टेट गवर्नमैंट ने इस मामले में जो विजिलेंस प्रोब इंस्टीट्यूट किया है, इसके आगे क्या हुआ है, हमें इस बात की जानकारी दी जाये। अध्यक्ष महोदय, जो ये बच्चे हैं छात्रवृति के संबंध में इन्होंने कहा है कि Out of 249 cases, 27 claims have been rejected by the College due to wrong information अब ये कालेज ने क्यों रिजेक्ट किए हैं, इनका भी ब्यौरा हमें दिया जाये। रांग इंफार्मेशन का नाम दिया जाता है। रांग इंफार्मेशन का तो बहुत ही वाइड एंगल होता है और ऐसी अवस्था में हमें पता ही नहीं चलता है कि क्या–क्या रांग इंफार्मेशन दी गई हैं और 30 claims have not been verified by the college due to non submission of the requisite documents by the claimants. चलिए इसका तो हम फिर भी बात कर लेते हैं। Verified claims of 192 students have been received in the portal and the payments against these claims will be made in the next 7 days. जो यह 2020–21 से पैंडिंग चल रहे हैं, अब कह रहे हैं कि अगले सात दिन के अंदर हम दे देंगे। यह जो स्कालरशिप के बच्चे हैं और इनका जो इतना लंबा समय निकल गया है आखिरकार इसकी भरपाई कैसे हो पायेगी। हमें इस बारे में बताया जाये। अध्यक्ष महोदय, ये जो हालात हैं ये हम सबके सामने हैं। अभी भी 249 स्टूडेंट्स को इस सुविधा से वंचित क्यों रखा गया है। यह जो छात्रवृत्ति दी जाती थी मेरे ख्याल से 12000 रूपये के करीबन दी जाती है। अध्यक्ष महोदय, हालत ऐसे हो गए हैं कि स्टूडेंट्स को जो किताबों के लिए पैसा दिया जाता है, वह भी नहीं दिया गया है तो

ऐसे हालात में हमारे गरीब बच्चे क्या करें और कहां जायें ? इन सब बातों के उपर प्लीज रोशनी डाली जाये।

श्री कंवर पालः अध्यक्ष महोदय, शैक्षणिक वर्ष 2020–21 में प्रदेश में अनुसूचित जाति से संबंधित विद्यार्थियों की संख्या 95 हजार 52 थी, जिसमें से 83 हजार 834 विद्यार्थियों को छात्रवृति जारी कर दी गई थी। हरियाणा के सभी जिलों में 11 हजार 218 विद्यार्थियों को छात्रवृति जारी नहीं की जा सकी, जिसका मुख्य कारण विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी जानकारी सही न भरना है। सभी लाभार्थियों को छात्रवृति प्राप्त हो सके इसके लिये संबंधित छात्रों से ही जानकारी ऑनलाइन पोर्टल पर भरवाई जाती है। छात्रवृति प्राप्त न होने वाले विद्यार्थियों की जिले वार संख्या सदन के पटल पर रख दी गई है तथा विभाग को आदेश दिया गया है कि हम सभी विद्यार्थियों की डिटेल ऑनलाइन पोर्टल पर एंट्री करवा कर अगले 21 दिनों में छात्रवृति जारी करवाई जाये। अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के भाग 'ख' के संदर्भ में मेरा यह कहना है कि शैक्षणिक वर्ष 2020–21, गवर्नमैंट कॉलेज, अटेली, जिला महेन्द्रगढ़ में 487 अनुसूचित जाति से संबंधित विद्यार्थियों में से 238 विद्यार्थियों को छात्रवृति जारी कर दी गई है, 249 ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी डिटेल ठीक नहीं भरी, जिसके कारण इन विद्यार्थियों को छात्रवृति जारी नहीं की जा सकी। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान जानकारी के अनुसार 192 छात्रों की डिटेल्स ऑनलाइन पोर्टल पर प्राप्त हो गई है, विभाग को यह आदेश दे दिया गया है कि अगले 7 दिनों में इन छात्रों की छात्रवृति जारी कर दी जाये और बचे हुए 57 विद्यार्थियों में से 27 के दावों में जानकारी गलत प्राप्त हुई है, कॉलेज द्वारा भी इनके दावे को खारिज कर दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, 30 छात्रों के दावों को कागज–पत्र पूरे न होने के कारण कॉलेज द्वारा सत्यापित नहीं किया गया। अध्यक्ष महोदय, जो दावे कॉलेज द्वारा सत्यापित कर दिये जायेंगे उनको छात्रवृति जारी कर दी जायेगी।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह भी पूछना चाहती हूँ कि माननीय मंत्री जी के जवाब से पता चला है कि महेन्द्रगढ़ के अंदर 1106 छात्रों को छात्रवृति नहीं मिली है, भिवानी में 558 छात्रों को छात्रवृति नहीं मिली है इसी प्रकार अम्बाला में 767 छात्रों को छात्रवृति नहीं दी गई है। अध्यक्ष महोदय, आज ऑनलाइन पोर्टल ही सबसे बड़ा जंजाल बना हुआ है। माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी नहीं है कि इसको बंद कर दिया जाता है, इस बात की जानकारी माननीय मंत्री जी अपने महकमे के अधिकारियों से भी पूछ सकते हैं।

यह पोर्टल बहुत ही थोड़े समय के लिये ही खोला जाता है और जब विद्यार्थी रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं, उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, इसका मुख्य कारण जो है वह प्रशासनिक स्तर पर है, इसको टेकअप करना पड़ेगा ताकि बच्चों को सुविधा समय पर मिल सके। वे बच्चे इस बारे में इधर–उधर भटकते रहते हैं, जिससे उनका बहुत बुरा हाल हो जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी इस विषय पर जरूर ध्यान देंगे, नहीं तो यह एक जंजाल बनकर रह जायेगा। सरकार जो सुविधा दे रही है, उसका लाभ बच्चों को जरूर से जरूर मिलना चाहिये।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, जहां तक पोर्टल की बात है, किसी भी महकमे से कोई इन्फोर्मेशन लेनी और शिकायत करनी हो तो कहा जाता है कि इसके लिये पोर्टल बना हुआ है। प्रदेश में पोर्टल सरकार चल रही है। यदि पोर्टल सरकार ही चलानी है तो मंत्री मण्डल की क्या जरूर है। पोर्टल से ही सरकार चलाई जा सकती है। सरकार ने तो एक ही रट लगाया हुआ है पोर्टल–पोर्टल–पोर्टल। आज तक कोई भी पोर्टल ठीक नहीं चल रहा है।

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, भविष्य में धीरे–धीरे सभी काम पोर्टल के माध्यम से ही होने हैं। यह हमारे प्रोग्रेस की निशानी है, इसलिए सभी को पोर्टल पर आना ही होगा।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, पोर्टल के कारण ही मेरे प्रश्न का नम्बर पहले स्थान से 10वें नम्बर पर आ गया।

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, इसमें एक कंफ्यूजन है, जिसके बारे में मेरा यह कहना है कि पहले हमारी स्कीम 100 प्रतिशत केन्द्र से स्पॉन्सर्ड थी और अब 60:40 की रेशो में है अर्थात् 60 प्रतिशत हिस्सा केन्द्र का है और 40 प्रतिशत हिस्सा स्टेट का रहता है। स्टेट इस प्रकार से समयानुसार अपना हिस्सा भरे। शिड्यूल्ड कॉस्ट डिपार्टमैंट वर्ष 2018–19 से पहले सभी की स्कॉलरशिप देने का काम करता था। वर्ष 2018–19 के बाद यह दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप को अब हायर एजुकेशन, तकनीकी, हैल्थ, आई.टी.आई. अपने–अपने तरीके से अलग–अलग कर रहे हैं। इस वजह से उन बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं । हमें ऐसे बच्चों ने हजारों की संख्या में पत्र लिखे हैं जिनमें उन्होंने कहा है कि हमें सही समय पर स्कॉलरशिप न मिलने की वजह से हम अपनी शिक्षा को छोड़ गए हैं । अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि पहले यह जिम्मेवारी वेलफेयर ऑफ शिड्युल्ड कास्ट डिपार्टमैंट के पास थी और वह विभाग

अन्य विभागों को पैसे देता था लेकिन अब विभागों को स्वयं पैसा देना पड़ रहा है । इसकी वजह से आज हजारों बच्चों को इसमें दिक्कत आ रही है । अतः माननीय मंत्री जी काइंडली आइडेंटीफाई करके हमें बता दें कि कोऑर्डिनेशन के लिए इसमें कौन–सा विभाग नोडल डिपार्टमैंट रहेगा ?

श्री कंवर पाल : अध्यक्ष महोदय, इसमें पहले बहुत–सी त्रुटियां थी और एक ही व्यक्ति 2–2, 3–3 जगह से स्कॉलरशिप ले लेता था । अब नई तकनीक आने से काफी लाभ हुआ है । जहां तक पोर्टल बंद करने की बात है तो मैं इसकी जानकारी लूंगा । अगर इस प्रकार की कोई बात पाई गई तो हम उस पर निश्चित तौर पर कार्यवाही करेंगे । (विघ्न) इसमें कुल 57 विद्यार्थी हैं जिनमें से 27 के दावों को हमने खारिज कर दिया और 30 को हमने स्कॉलरशिप देने के लिए कह दिया है । (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, जब सदन में यह प्रश्न लगा है तो सरकार ने फटाफट इस काम को किया है । यह मामला तो वर्ष 2021 का है । अब हम वर्ष 2022 के अंत में आ चुके हैं । (विघ्न)

श्री कंवर पाल : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या के प्रश्न के बाद भी केवल 192 छात्र आये हैं । (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, अगर गरीब बच्चों को समय पर स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा तो वे अपनी शिक्षा को कैसे कंटीन्यू कर पाएंगे । वे तो ड्रॉप आउट करेंगे। (विघ्न)

श्री कंवर पाल : अध्यक्ष महोदय, इसका मुख्य कारण आधार कार्ड और बैंक खाते का लिंक न होना है । इसकी वजह से इस कार्य के पूर्ण होने में समस्या आ रही है । आने वाले समय में यह समस्या भी सोल्व हो जाएगी । (विघ्न)

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, अगर प्राथमिक तौर पर इसका समनव्य बैठा दिया जाएगा तो ही बात बनेगी, इसलिए माननीय मंत्री जी इसे जरूर देख लें नहीं तो यह काम खराब हो जाएगा ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब प्रश्न काल समाप्त होता है ।

....

12:00 बजे

नियम 45 (1) के अधीन सदन की मेज पर रखे गए तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर

To Issue NOC in Time

***31. Smt. Shalley Chaudhry** : Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state the reasons for which no objection certificates are not being issued in time by the Municipal Committee for sale, purchase and construction of the properties in Naraingarh togetherwith the details thereof?

शहरी स्थानीय निकाय एवं आवासीय मंत्री (डॉ. कमल गुप्ता): नारायणगढ़ सहित किसी भी पालिका द्वारा "अनापत्ति प्रमाण पत्र" नाम से कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के पास ऑनलाइन पोर्टल (**www.ulbhryndc.org**) के माध्यम से 'नो ड्यूज सर्टिफिकेट (NDC)' जारी करने के लिए सिस्टम है, जो 'वेब–हैलरिस पोर्टल' के साथ विधिवत एकीकृत है। इसके माध्यम से नागरिक द्वारा संपत्ति कर, अग्नि कर, विकास शुल्क, उपयोगकर्ता शुल्क आदि जैसे पालिका के बकाया अदा किया जा सकता हैं। शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा अगस्त, 2020 में नो ड्यूज सर्टिफिकेट (NDC) पोर्टल लॉन्च किया गया था। नगरपालिका, नारायणगढ़ में चालू वित्त वर्ष 2022–23 के दौरान 1 अप्रैल, 2022 से 21 दिसंबर, 2022 तक नो ड्यूज सर्टिफिकेट पोर्टल (NDC) से कुल 828 NDC जारी की गई हैं।

To make the Amendment

***32. Smt. Renu Bala**: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to make the amendment in the Haryana Targeted Public Distribution System (Licence and Control) Order, 2022; and

(b) if so, the time by which the abovesaid amendment is likely to be made?

उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यन्त चौटाला):

(क) जी नहीं, श्रीमान जी।

(ख) उपरोक्त (क) के दृष्टिगत् लागू नहीं है।

Enhancement of Ghaggar Land

***33. Shri Ram Kumar Gautam**: Will the Chief Minister be pleased to state the reasons for which no action has been taken by the Government /HSVP on the assurance given by the Hon'ble Chief Minister that the enhancement of 76 acre of Ghaggar land other that the initially acquired 44 acre of land in Sector-24 of Panchkula will not be imposed on the Plot holders?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): वक्तव्य सदन के पटल पर रखा जाता है।

वक्तव्य

एलएफएसएस दर की गणना करते समय 76 एकड़ घग्गर भूमि की लागत को पहले ही वृद्धि की दरों में शामिल नहीं किया गया है। तदनुसार,01-04-2015 के बाद जारी वृद्धि राशि को घटाकर एलएफएसएस मे 1372.71 रुपये प्रति वर्ग मीटर मूल वृद्धि राशि 8898.74 रुपये प्रति वर्ग मीटर के बजाय कर दिया गया है। घटी हुई वृद्धि दर का लाभ योजना का लाभ लेने वाले सैक्टर-24 के आबंटियों सहित 24 से 28 पंचकूला के सैक्टर के आबंटियों को पहले ही मिल चुका है। रिकार्ड के अनुसार सैक्टर-24 की 19 सोसायटियों में से अब तक 8 सोसायटियों ने लाभ उठाया है।

Works under Amrit Sarovar Yojana

***35**. **Shri Sita Ram Yadav**: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the name and number of villages in which the works have been started under the Amrit Sarovar Yojana in Ateli Assembly Constituency; and

(b) the time by which the works under Amrit Sarovar Yojana in the remaining villages of Ateli Assembly Constituency are likely to be started togetherwith the details thereof?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): श्रीमान जी, विवरणी सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरणी

(क) अटेली विधानसभा क्षेत्र में अमृत सरोवर योजना के तहत 7 गांवों के 7 तालाबों के जीर्णोद्वार का कार्य शुरू किया गया है, जिनका विवरण इस प्रकार हैः

Rural ponds where work has already started in Ateli Constituency							
S/N	**Village**	**Name of Pond**	**UID**	**Present condition of Pond**	**Area (in acre)**	**Estimated Amount (in Rs Lakh)**	**Likely Target date of Completion**
1	SUJAPUR (25/2)	Sujapur 1st (Guga Mandir)	01HRNRLATL0025SUJA002	Polluted but not overflowing	1.21	18.26	28.02.2023
2	BEWAL (30)	Pirag wala Pond	01HRNRLKNN0030BEWA004	Polluted but not overflowing	1.00	17.47	28.02.2023
3	GHARIRUTHAL (41)	Johadi Wala Pond	01HRNRLATL0041GHAR103	Polluted but not overflowing	2.00.	34.07	31.03.2023
4	CHANDPURA (25/1)	Chandpura (Guga Mandir Pond)	01HRNRLATL0CHAN038	Polluted and overflowing	1.70	37.08	31.03.2023
5	ATELI (RURAL) (21)	Nanak Wala	01HRNRLATL0021ATEL001	Polluted and overflowing	2.60	29.43	30.04.2023
6	BAJAR (24)	Bazad (Hanuman Temple)	01HRNRLATL0024BAZA002	Polluted and overflowing	3.77	44.45	30.04.2023
7	GANIYAR (23)	Ganiyar (Hanuman Mandir)	01HRNRLATL0023GANI001	Polluted but not overflowing	5.87	111.67	30.04.2023

(ख) 1. अटेली निर्वाचन क्षेत्र के 18 गांवों में शेष 21 तालाबों में काम नीचे दिए गए विवरण के अनुसार चरणबद्‌व तरीके से शुरू किए जाने की संभावना हैः-

S/N	Village	Name of Pond	UID	Present condition of Pond	Area (in acre)	Estimated Amount (in Rs Lakh)	Likely Date of Start
1	BEWAL (30)	Dirty Water pond Bewal	01HRNRLKNN0030BEWA005	Polluted but not overflowing	2.79	29.57	15.02.2023
2	KALWARI (34)	Khana wala Johad	01HRNRLSHM0034KALW003	Polluted but not overflowing	1.10	28.65	15.02.2023
3	BAGHOT(6)	bab ala pond	01HRNRLKNN0006BHAG001	Polluted but not overflowing	18.05	247.07	15.02.2023
4	DHANAUNDA (12)	Aashram Wala	01HRNRLKNN0012DHAN007	Polluted but not overflowing	1.54	22.05	15.02.2023
5	SEHLANG (9)	Annasir Johad	01HRNRLKNN0009SEHL004	Polluted but not overflowing	5.98	70.40	15.02.2023
6	SEHLANG (9)	Nappa wala johad	01HRNRLKNN0009SEHL003	Polluted but not overflowing	8.56	44.63	15.02.2023
7	ATELI (RURAL)(21)	Ateli 4th	01HRNRLATL0021ATEL002	Dry Pond	2.95	59.11	15.03.2023
8	BEGPUR (22)	Khoshya Wali 2nd	01HRNRLATL0022BEGP002	Polluted but not overflowing	3.25	40.20	15.03.2023
9	KANTI (17)	Kanti 6th	01HRNRLATL0017KANT007	Polluted but not overflowing	2.72	52.43	15.03.2023
10	KANTI (17)	kanti 7th	01HRNRLATL0017KANT004	Polluted but not overflowing	1.07	40.31	15.03.2023
11	KANTI (17)	Kanti 2nd	01HRNRLATL0017KANT001	Polluted but not overflowing	2.47	77.02	15.03.2023

12	RATAKALAN (43)	Ratta Kalan Pond	01HRNRLATL0043RATT001	Polluted but not overflowing	1.01	87.26	15.03.2023
13	AGHIYAR (53)	Dirty pond Bani wala	01HRNRLKNN0053AGIH002	Polluted but not overflowing	0.84	16.17	15.03.2023
14	BHOJAWAS (42)	Bhura Ram ki Johari	01HRNRLKNN0042BHOJ005	Polluted but not overflowing	2.98	30.89	15.03.2023
15	DHANAUNDA (12)	Khandri Wala	01HRNRLKNN0012DHAN011	Polluted but not overflowing	2.31	32.50	15.03.2023
16	KAPOORI (18)	Kapoori Latary Water	01HRNRLKNN0018KAPO001	Polluted but not overflowing	1.72	11.25	15.03.2023
17	KHERI (51)	Temple Wala	01HRNRLKNN0050KHER004	Polluted but not overflowing	4.33	44.77	15.03.2023
18	PATHERA (55)	Dirty water pond Pathera	01HRNRLKNN0055PATH002	Polluted but not overflowing	1.02	13.92	15.03.2023
19	ATALI (37)	Goga Peer	01HRNRLSHM0037ATAL004	Polluted but not overflowing	1.21	37.23	15.03.2023
20	BACHHOD (178)	Baba Baka wala johar	01HRNRLATL0178BACH002	Polluted and overflowing	8.89	99.27	01.04.2023
21	BEGPUR (22)	Begpur Talab	01HRNRLATL0022BEGP003	Polluted but not overflowing	1.97	35.12	01.04.2023

(ख) 2. एम.सी.कनीना के अंतर्गत आने वाले 6 शहरी तालाबों में 01.04.2023 तक काम शुरू किए जाने की संभावना है जिसका विवरण इस प्रकार है:-

S/N	**Municipal committee**	**Name of Pond**	**UID**	**Present condition of Pond**	**Area (in acre)**	**Estimated Amount (in Rs Lakh)**	**Likely Date of Start**
1	KANINA	BABA MOHLAD NATH	02HRMHGKAL0013BASD004	Polluted but not overflowing	1.20	35.20	01.04.2023

2	KANINA	Holi wala johar	02HRMHGKAL0001BASD002	Polluted but not overflowing	2.20	55.26	01.04.2023
3	KANINA	PIPLA WALI BANI POND	02HRMHGKAL0000BASD005	Dry Pond	26.00	302.20	01.04.2023
4	KANINA	BABA RADHEY DASS POND	02HRMHGKAL0003BASD003	Polluted but not overflowing	1.00	29.20	01.04.2023
5	KANINA	SAHLAWALI POND	02HRMHGKAL0010BASD006	Polluted but not overflowing	3.00	68.20	01.04.2023
6	KANINA	kalar wali johar	02HRMHGKAL0012BASD001	Polluted but not overflowing	3.49	52.59	01.04.2023

Details of Works Under C.M. Announcement

***36. Smt. Seema Trikha**: Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state-

(a) the name of the works to be executed by the Government under the Hon'ble Chief Minister announcement code 10202 togetherwith the number of said works executed so far; and

(b) the time by which the remaining works are likely to be executed togetherwith the details thereof?

शहरी स्थानीय निकाय एवं आवासीय मंत्री (डा0 कमल गुप्ता): (क) श्रीमान जी, नगर निगम फरीदाबाद द्वारा मुख्यमंत्री घोषणा कोड 10202 के तहत 15 विकास कार्यों को मंजूरी दी गई, जिनमें से 14 विकास कार्य अब तक पूरे करवाए जा चुके हैं और 1 कार्य राज्य सतर्कता ब्यूरो द्वारा जांच के अधीन है। कार्यों का विवरण **अनुलग्नक–क** में दिया गया है।

(ख) शेष एक कार्य, जो बोध विहार से आईटीआई, आईटीआई से नीलम चौक, नीलम चौक से हार्डवेयर चौक और बोध विहार से हार्डवेयर चौक तक सड़कों के फुटपाथो की चौड़ाई बढ़ाने व निर्माण से संबंधित है, की राज्य सतर्कता ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है (जांच सख्या न0 5 दिनांक 26.04.2019)। नगर निगम फरीदाबाद द्वारा एजेंसी को कार्य शुरू करने और एक साल में पूरा करने का नोटिस जारी किया गया है।

ANNEXURE-A

Detail of Developments works under CM Announcement Code No.10202 dt. 07.06.2015

Sr. No.	Name of Work	Agreement Cost (In Rs.)	D.O.S. / D.O.C. of work	Status of Work
1	widening and construction of footpath of the road i) Bodh Vihar to ITI ii) ITI to Neelam Chowk iii) Neelam Chowk to Hardware Chowk and iv) Bodh Vihar to Hardware Chowk. (Part-A from Estimate of Rs.102.00 Crore)	72,52,89,652	27.07.17 20.07.19	75% work held up due to ongoing Vigilance Enquiry
2	Providing and laying RMC M-40 grade on road at Metro Road from Petrol Pump to ESI Chowk, NIT Faridabad Balance work Alongwith 5 Year Maintenance guarantee.	31,76,596	11.09.19 10.12.19	Complete
3	Special repair of road by BC from Daulat Ram Dharamshala to Stadium to Metro Road T-Point to Golf Club road, Ward No.11 NIT Faridabad.	19,37,095	08.03.19 07.09.19	Complete
4	Providing and laying RMC M-20 grade on various approach roads to Parifari road in NIT Faridabad. alongwith 5 Year Maintenance guarantee	95,03,716	08.03.19 07.09.19	Complete
5	Supply and Erection of electric pole with LED based Street lighting system on B.K. Chowk to Bhagat Singh Chowk, Ward No. 14, NIT Faridabad	41,60,297	15.01.19 14.07.19	Complete
6	Supply and Erection of electric pole with LED based Street lighting	52,80,329	15.01.19 14.07.19	Complete

	system on B.K. Chowk to Hardware Chowk & B.K. to Neelam Flyover, Ward No. 12, NIT Faridabad			
7	Supply and Erection of electric pole with LED based Street lighting system on NH-4 Crimination Ground to Bhagat Singh Chowk & Mullah Hotel to Shivaji Park, Ward No. 14, NIT Faridabad	43,29,491	15.01.19 14.07.19	Complete (Work done by Smart city)
8	Supply and Erection of electric pole with LED based Street lighting system on Neelam Chowk to Bata Chowk to Hardware Chowk, Ward No. 12, NIT Faridabad	50,58,777	15.01.19 14.07.19	Complete
9	Supply and Erection of electric pole with LED based Street lighting system on Bhagat Singh Chowk to Neelam Chowk, Ward No. 14, NIT Faridabad	32,77,370	15.01.19 14.07.19	Complete
10	Shifting of existing HT / LT and Transformers by DHBVNL Department.	2,80,00,000	-	Complete
11	Preparation of DPR for widening of road and construction of footpath on road from budhvihar Chowk to ITI, ITI to Nellam Chowk to Hardware Chowk to Budhvihar	275600	12.05.16 26.05.16	Complete
12	Preparation of DPR for widening of road and construction of footpath on road from budhvihar Chowk to ITI, ITI to Nellam Chowk to Hardware Chowk to Budhvihar	25,00,000	18.05.16 17.07.16	Complete
13	Advance to DHBVNL sub Div. No. 1 Neelam Bata road, CBR lab test for construction of road neelam to bata	3,81,86,347	-	Complete. Work

	road, Payable to DHBVNL sub div. No. 2, Payable to DHBVNL sub div. No. 5, Payable to DHBVNL sub div. No. 1, Payable to DHBVNL sub div. No. 3, Payable to DHBVNL sub div. No. 5, Payable to DHBVNL sub div. No. 1, Payable to DHBVNL sub div. No. 1, Payable to DHBVNL sub div. No. 5, Payable to DHBVNL sub div. No. 5, Payable to DHBVNL sub div. No. 5, Payable to SDO F21 to No. 1 DHBVN through Khem chand A.E. & Nawal singh A.E, Payable to SDO F25 to No. 5 DHBVN through Khem chand A.E. & Nawal singh A.E, Payable to SDO F25 to No. 5 Gandhi colony through Khem chand A.E. & Nawal singh A.E, Payable to SDO F25 to No. 5 Neelam Bata road through Khem chand A.E. & Nawal singh A.E, Widing of road and construction of drain and central verge from Budh Vihar Chowk to ITI Chowk to Neelam Chowk, Neelam Chowk to Hardware chowk to Budh vihar chowk.			done by DHBVN
14	Conducting of feasibility servey and perpearation of detail project report of ewerage system in shiv Durga Vihar Lakkerpur, Dayalbagh in Ward no. 19	18,00,000	17.12.15 13.03.16	Complete
15	Rough to carry out to graphic survey bankelman beam deflection (BBD) testing existing road and soil sub grade testing of existing road land	5,67,700	17.10.18 26.10.18	Complete

	scale and open area of Sainik colony sector 49 Faridabad required for preparation of detail project report to cover deficiency in road related civil amenties.			
	Total Work = 15 **Completed = 13** **In Progress = 1** **Work Transfer = 1**	**83,33,42,970**		

To Solve the Problem of Overloaded Sewerage System

***37. Shri Bharat Bhushan Batra**: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact a well was constructed on Kanheli road to drain out the sewerage water of the newly constructed 308 houses of old housing board colony of Rohtak in year 1978 and in second phase newly constructed 300 houses in the abovesaid colony had also been linked with the said old system;

(b) whether it is also a fact that the storm water drainage system of ward no. 20 and 15-20 colonies on the surrounding of housing board colony had also been diverted towards housing board due to which the whole system of sewerage remain chocked during rainy season ; and

(c) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government for the permanent solution of the abovesaid problem togetherwith the time by which the said problem is likely to be solved alongwith the details thereof ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): (क) हाँ, श्रीमान् जी।

(ख) हाँ, श्रीमान् जी। पुरानी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के साथ लगती हुई कॉलोनियों जैसे कि प्रीत विहार, अजाद नगर, कमला नगर का बरसाती पानी जमीन के प्राकृतिक ढलान पुरानी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी की तरफ होने के कारण पुरानी हाउसिंग बोर्ड

कॉलोनी में एकत्रित हो जाता है। पुरानी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में दो डिस्पोजल है, एक मल निकासी प्रणाली के लिए व एक बरसाती पानी निकासी के लिए है। भारी वर्षा के दौरान बरसाती पानी मल निकासी प्रणाली में आ जाता है, जिसके कारण पुरानी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के निचले क्षेत्रों में बरसाती पानी का जल भराव हो जाता है।

(ग) हाँ, श्रीमान् जी। पुरानी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के बरसाती पानी की निकासी वाले डिस्पोजल की बढोतरी का प्रस्ताव विचाराधीन है, जिसका कार्य 31.12.2024 तक पूर्ण होने की संभावना है।

———

Purpose to implement the Gram Darshan Yojana

***38. Shri Ram Kumar:** Will the Development and Panchayats Minister be pleased to State the purpose to implement the Gram Darshan Yojana by the Government in State?

विकास एवं पंचायत मंत्री(श्री देवेंदर सिंह बबली): महोदय, ग्राम दर्शन पोर्टल माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा द्वारा 23 जुलाई 2021 को लॉन्च किया गया था। ग्राम दर्शन पोर्टल को लॉन्च करने का उद्देश्य ग्राम निवासियों को विकास से सम्बंधित मांगों/सुझावों, सेवा से सम्बंधित मांगों/सुझावों और शिकायतों को अपलोड करने की सुविधा प्रदान करना है।

Details of Development Works in the Adopted Villages

***39. Shri Indu Raj**: Will the Development & Panchayats Minister be pleased to state the details of the villages adopted by the Hon’ble Chief Minister, Ministers and MPs of State during the last eight years together with the details of the development works completed in the said villages during the above said period?

@ **विकास एवं पंचायत मंत्री(श्री देवेंदर सिंह बबली):** श्रीमान, सांसद आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत माननीय सांसद सदस्यों लोक सभा एवं राज्य सभा द्वारा गोद ली गई 87 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से 10 ग्राम पंचायतें वर्ष 2023–24 के लिए माननीय सांसदों द्वारा गोद ली गई हैं। पिछले 8 वर्षों के दौरान गोद ली गई ग्राम पंचायतों में पूर्ण हुए विकास कार्यों इसके साथ वित्तीय वर्ष 2023–24 में गोद ली गई 10 ग्राम पंचायतों का विवरण अनुबंध 'क' व 'ख' पर है।

विधायक आदर्श ग्राम योजना के तहत पिछले 8 वर्षों के दौरान माननीय मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रियों द्वारा 19 गांवों को गोद लिया गया था। इन गोद लिए गए गांवों में पूरे किए गए विकास कार्यों का विवरण अनुबंध "ग" पर है।

To Construct PHC

***40**. **Shri Satya Prakash** : Will the Health Minister be pleased to state:-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct a PHC on the name of Shaheed Kapil Kundu at Ransika in Pataudi as per the announcement of the Hon'ble Chief Minister; and

(b) whether there is also any proposal under consideration of the Government to provide ICU and ventilator facilities at CHC Pataudi?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज): (क) तथा (ख) नहीं, श्रीमान जी।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

To Provide Land for Pandit Deen Dayal Upadhyaya Library

41. Shri Amarjeet Dhanda: Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that an application, to provide 610 square yards land from the land of M.C. Julana on collector rate for Pandit Deen Dayal Upadhyaya Library under the section 9(1) of the Haryana Management of

----

@ तारांकित प्रश्न संख्या 39 का उत्तर अनैक्सचर सहित 107 पेजिज का होने के कारण इस डिबेटस के अंत में लगाया गया।

Municipal Properties and State Properties Rules 2007, sent by the Brahmin Dharamshala through the letter no. 11870 dated 26.11.2021 to the Secretary, Municipal Committee, Julana through District Officer is lying pending at the office of Director, Urban Local Bodies Department, Haryana; and

(b) if so, the time by which above said land is likely to be provided by the Government?

शहरी स्थानीय निकाय एवं आवासीय **मंत्री (डॉ. कमल गुप्ता):** (क) जी महोदय, पंडित दीन दयाल उपाध्याय पुस्तकालय के लिए कलैक्टर रेट पर नगर पालिका, जुलाना की 610 वर्ग गज भूमि उपलब्ध कराने का मामला विभाग में प्रक्रियाधीन है।

ख) निदेषक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा के कार्यालय के पत्र दिनांक 19.10.2022 द्वारा जिला नगर आयुक्त, जीन्द एवं सचिव, नगर पालिका, जुलाना से कुछ सूचना/स्पष्टीकरण मांगा गया है जो प्रतीक्षित है। सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त होने के उपरान्त मामला सरकार के अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा।

To Re-construct the buildings of Veterinary Hospitals

42. Shri Amarjeet Dhanda: Will the Animal Husbandry & Dairying Minister be pleased to state-

(a) the details of the veterinary hospitals falling under the Julana Assembly Constituency whose buildings have been dilapidated or declared condemn; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to reconstruct the abovesaid buildings; if so, the time by which these are likely to be re-constructed?

पशुपालन एवं डेयरी मंत्री (श्री **जय प्रकाश दलाल):** (क) जींद जिले के जुलाना विधानसभा क्षेत्र में कुल 54 राजकीय पशुचिकित्सा संस्थान हैं (12 राजकीय पशु

चिकित्सालय तथा 42 राजकीय पशु औषधालय)। इन राजकीय पशुचिकित्सा संस्थानों में से राजकीय पशु औषधालय, पौली का भवन जर्जर अवस्था में है और कण्डम घोषित किया जा चुका है।

(ख) नहीं, श्रीमान् जी। परन्तु राजकीय पशु औषधालय, पौली के भवन के पुनर्निर्माण का प्रस्ताव हाल ही में उपनिदेशक, पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग, जींद से प्राप्त हुआ है। राजकीय पशु औषधालय, पौली के भवन का निर्माण कार्य सरकार से प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने उपरांत शुरू किया जाएगा।

Construction of IIIT Building

43. Shri Jagbir Singh Malik: Will the Technical Education Minister be pleased to state the reasons for which the construction work of the building of IIIT in village Kilorad of Gohana Assembly Constituency has not been started by the Government so far togetherwith the present status of the said project?

तकनीकी शिक्षा मंत्री (**श्री अनिल विज**)ः श्रीमान जी, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, किलोड़द, सोनीपत का निर्माण कार्य भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के माध्यम से किया जा रहा है। आई.आई.आई.टी. सोनीपत की बी0ओ0जी0 ने दिनांक 07-11-2022 की दूसरी बैठक में आई.आई.आई.टी. सोनीपत के निर्माण हेतु नक्शे व अनुमानित लागत का अनुमोदन कर दिया है। संस्थान अपने स्वंय के परिसर किलोड़द, सोनीपत में लगभग दो साल बाद आरम्भ होने की सम्भावना है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सोनीपत की कक्षाऐं राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरूक्षेत्र के परिसर में शैक्षणिक सत्र् 2014-15 से प्रारम्भ की गईं थी। अब, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, सोनीपत की प्रथम वर्ष की कक्षाऐं आई.आई.टी. दिल्ली के टैक्नो पार्क, राजीव गांधी एजुकेशन सिटी सोनीपत के परिसर में शैक्षणिक सत्र 2019-20 से शुरू की गई हैं।

Details Regarding Property IDs

44. Shri Jagbir Singh Malik: Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state-

(a) whether property IDs of all cities falling under the Urban Local Bodies Department in State have been issued by the Government to every property owner;

(b) whether all the IDs issued by the Government are correct and all the objections have been removed by the concerned companies;

(c) the details of the companies which have been hired by the Government for the registration of property IDs in State togetherwith the terms of contract thereof; and

(d) the number of wrong IDs detected by the Government in district Sonepat togetherwith the number of property IDs corrected by the concerned companies so far?

शहरी स्थानीय निकाय एवं आवासीय **मंत्री** (**डॉ. कमल गुप्ता**): (क) जी महोदय, राज्य भर में घर-घर जाकर संपत्ति कर सर्वेक्षण का कार्य जी0आई0एस0 आधारित तकनीक का उपयोग करके किया जा रहा है, जिसमें ड्रोन/सैटेलाइट इमेजरी का उपयोग करके पालिका के पूरे क्षेत्र की तस्वीर ली गई है। वर्तमान सर्वेक्षण में हरियाणा में कुल 42,75,579 संपत्तियों की पहचान और सर्वेक्षण किया गया है। सर्वेक्षण की गई संपत्तियों की संपत्ति आईडी और अन्य सभी मापदंडों के साथ अॉनलाइन सत्यापन के लिए पी0एम0एस0 पोर्टल पर अपलोड किया गया था। उचित सत्यापन और डेटा अपडेशन के बाद, पालिकाओं द्वारा सूचना नोटिस ऑनलाइन या अॉफलाइन माध्यम से दावे या आपत्तियों को प्राप्त करने के लिए सभी संपत्तियों को वितरित किए गए थे। नागरिकों द्वारा उठाई गई सभी आपत्तियों का निस्तारण करने के बाद सर्वेक्षण/एकीकृत की गई संपत्तियों को नगरपालिको द्वारा सत्यापन, मान्यता और अपडेषन के बाद सभी मापदंडों और संपत्ति आईडी के साथ संपत्ति कर पोर्टल पर लाइव कर दिया गया था।

(ख) सर्वेक्षण की गई संपत्तियों के साथ संपत्ति आई0डी0 और सभी मापदंडों के साथ अॉनलाइन सत्यापन के लिए पहले पी0एम0एस0 पोर्टल पर अपलोड किए गए थे। उचित सत्यापन और डेटा अपडेशन के बाद, अॉनलाइन या अॉफलाइन माध्यम से किसी भी दावे या आपत्तियों को प्राप्त करने के लिए सभी संपत्तियों को नगरपालिका अनुसार कर सूचना नोटिस वितरित किए गए।

(i) डेटा लाइव किए जाने से पहले, अॉनलाइन और अॉफलाइन दोनों तरीकों से नागरिकों से प्राप्त कुल दावे/आपत्तियां **3,10,395** थीं और सभी आपत्तियों का समाधान सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा संबंधित पालिका के साथ समन्वय में किया गया था। पालिकाओं द्वारा सत्यापन, मान्यता और अपडेषन के बाद सर्वेक्षण और एकीकृत संपत्तियों को सभी मापदंडों और संपत्ति आईडी के साथ संपत्ति कर पोर्टल पर नवंबर, 2022 के महीने में लाइव कर दिया गया है।

(ii) उपरोक्त आपत्तियों के अलावा, एनडीसी पोर्टल पर नवंबर, 2022 से दिनांक 21.12.2022 तक कुल 2,21,691 आपत्तियां प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 1,22,232 स्वीकृत और 66,368 अस्वीकृत हैं। प्रतिवेदन दिनांक 21.12.2022 के अनुसार 33,091 आपत्तियां अभी भी निपटान के लिए लम्बित हैं, जिनमें से 31,544 आपत्तियां नगर निगम स्तर पर तथा 1,547 आपत्तियां नागरिकों के पास विवरण/दस्तावेज उपलब्ध कराने हेतु लंबित हैं।

(iii) नगर पालिकाएं डेटा की प्रतिदिन निगरानी कर रही हैं और किसी भी डेटा सुधार या अपडेषन के संबंध में नागरिकों से प्राप्त आपत्तियों का संबंधित नगर पालिका द्वारा समयबद्ध तरीके से निपटारण किया जा रहा है।

(ग) शहरी स्थानीय निकाय विभाग के लिए अलग-अलग सभी छह समूहों के लिए संपत्ति कर मांग, संग्रह, रजिस्टर आदि को तकनीकी सहायता के साथ नोटिस और बिल जारी करने सहित संपत्ति कर सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए रिक्वेस्ट फॉर

प्रपोज़ल (आर0एफ0पी0) ई-टेंडरिंग के माध्यम से दिनांक 10.05.2018 को आमंत्रित की गई थीं। सभी 6 समूहों की सभी पालिकाओं में नई संपत्ति कर सर्वेक्षण करने के लिए 6 अलग-अलग कार्य **04.10.2018** को 'याशी कंसल्टिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड' को आवंटित किया गया था। कार्य आदेष और अनुबंध की प्रति संलग्न हैं। परियोजना समझौते पर **13.08.2019** को हस्ताक्षर किए गए थे और समझौते पर हस्ताक्षर के बाद काम शुरू किया गया था। सभी 6 समूहों के कार्य आदेश एवं रोहतक समूह के अनुबंध की प्रति संलग्न है।

(घ) वर्तमान सर्वेक्षण के अनुसार, जिला सोनीपत में सर्वेक्षण की गई संपत्तियों की कुल संख्या **2,62,943** है, जिसके लिए अब तक **10,127** आपत्तियां प्राप्त हुई हैं, जिनमें से **5,974** स्वीकृत और **2,930** खारिज कर दी गईं। दिनांक 21.12.2022 की रिपोर्ट के अनुसार, **1,223** आपत्तियां निस्तारण के लिए लम्बित हैं, जिनमें से **1,042** आपत्तियां नगरपालिका स्तर पर तथा **181** आपत्तियां नागरिकों के पास विवरण/दस्तावेज उपलब्ध कराने हेतु लंबित है।

To Widen the Bridge

45. Shri Jagbir Singh Malik: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the side walls of bridge on Delhi Canal near village Barwasni have been damaged many times and persons have fallen in the canal due to insufficient width of bridge; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to widen the abovesaid bridge togetherwith the details thereof?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): (क) नहीं, श्रीमान जी।

(ख) उपरोक्त (क) के मद्देनज़र इस प्रश्न का कोई औचित्य ही नहीं है।

Total Number of Street Lights

46. Shri Neeraj Sharma: Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state the ward-wise and location wise details of total number of street lights/mini high mask/high mask lights installed by the Government in NIT-Faridabad Assembly Constituency from January, 2015 to 31st December, 2019?

शहरी स्थानीय निकाय एवं आवासीय मंत्री (डा0 कमल गुप्ता): श्रीमान जी, 2015 से 2019 तक नगर निगम फरीदाबाद द्वारा एन.आई,टी फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र में स्थापित स्ट्रीट लाइटों/हाई मास्ट लाइटों की कुल संख्या का वार्डवार और स्थानवार विवरण अनुलग्नक–क में दिया गया है।

अनुलग्नक–क

Ward wise detail of street lights installed in NIT constituency of Municipal Corporation Faridabad during the period of 2015 to 2019.

Ward no.	LED 24/60/90 Watt	Sodium	Tube light
1	989	68	24
3	1117	52	31
5	1137	58	34
6	1005	53	27
7	1277	51	30
8	1207	52	27
9	1630	49	29
10	1678	41	33
Total	**10040**	**424**	**235**

Location wise detail of High mast lights installed in NIT constituency of Municipal Corporation Faridabad during the period of 2015 to 2019.

Sr. No.	Location of Site	Qty.	Latitude	Longitude
1	Pali road- Disposal (Ward no 8 to 10 office)	1	28.389654	77.281454

2	Near Panchmukhi Hanuman Mandir at dabuapali road	1	28.38726	77.276201
3	Fagna Chowk Dispensary in Dabua Colony	1	28.3831663	77.2821541
4	Dabua Colony Boosting Station	1	28.38093667	77.28364167
5	Govt. School Village Dabua near ganga ram devta mandir	1	28.3861011	77.2698031
6	3 no. Pulia	1	28.391292	77.284236
7	3 no. Pulia	1	28.39087	77.284492
8	Near Disposal Dabua Colony	1	28.390574	77.283066
9	Pooja Garments Dabua Pali road	1	28.389086	77.280009
10	Rehan Hospital Dabua Pali Road	1	28.388317	77.27869
11	Near Bhadana office Dabua Pali Road	1	28.387834	77.277757
12	17no Chungi	1	28.386782	77.27451
13	17no Chungi	1	28.387017	77.275672
14	Shamshan Ghat	1	28.3874825	77.2738952
15	Near Talab Nawada village	1	28.3889238	77.2714401
16	Near to Samadhi Nawada Road	1	28.3895514	77.272662
17	MLA Residence Nawada	1	28.3904586	77.2708664
18	Khansal Traders Banga Chowk	1	28.38981	77.281172
19	HRH Boosting-Dabua Pali road	1	28.385277	77.273189
20	near Shiv chowk ent the road of hanuman mandir	1	28.3560917	77.2769037
21	G.D. Convent School nearby Maya Kunj Area	1	28.3564965	77.279715
22	Nearby H. No. 1028 in Sanjay Enclave	1	28.35487832	77.2778633
23	At Sonia chowk (Atal chowk to sohna road) Sanjay Enclave	1	28.3559479	77.2762693
24	Front of Radha Krishan steel Sohna Road Sanjay Enclave	1	28.3536646	77.2757808
25	Aggarwal School Boosting at Nagla road -I	1	28.3637946	77.2791995
26	Aggarwal School Boosting at Nagla road -II	1	28.3629453	77.279446
27	Near Verma Property at Aggarwal School road	1	28.3623058	77.2796412
28	Gautam clinic at chacha chowk to sohna road	1	28.3529524	77.2777405
29	Dr. Lodhi near Sohna Road	1	28.3576635	77.2782167
30	Airforce station gali no.2	1	28.3705032	77.278005
31	Boosting Aggarwal School	1	28.36482164	77.27881832
32	Baba Mandi	1	28.35644833	77.27759167
33	Khand-B Shani Market	1	28.3672456	77.280572
34	Crusher Colony near Sohna Road	1	28.3523803	77.2790194

35	Near Surya Mandir	1	28.3868268	77.273195
36	Khatana Chowk	1	28.3829567	77.2852433
37	EWS Flat-I	1	28.387611	77.2813229
38	EWS Flat-II	1	28.3851067	77.28129834
39	EWS Flat-III	1	28.3838106	77.282154
40	EWS Flat-IV	1	28.3846411	77.281356
41	EWS Flat-V	1	28.3887322	77.2817471
42	Near Gurudwara Dabua Colony	1	28.3805767	77.28298167
43	Inside Lazer valley park	1	28.3805767	77.28512165
44	Chhat Ghat ward 8	1	28.3768935	77.2855882
45	Sabji Mandi -I	1	28.3767832	77.285875
46	Ravi Dass Mandir	1	28.3746165	77.2892799
47	Nearby Disposal Parvartiya Colony	1	28.355482	77.287733
48	Sharma X-ray shoe market	1	28.370652	77.287705
49	Lalit sabji mandi	1	28.352582	77.283832
50	Bhawna Hotel	1	28.3857455	77.2704446
51	Shiv Mandir Saran	1	28.373905	77.287027
52	Opp to Vijay Furniture	1	28.3765121	77.2847613
53	DabuaSabji Mandi Gate-II	1	28.380524	77.2858512
54	Jain Mandir near Khatana Chowk	1	28.3829233	77.2844601
55	60' road MLA Office	1	28.3671865	77.28248
56	Opp. NTPC flat in boundary of Govt. school, Sec-23	1	28.36063	77.296777
57	Rajender chowk Sec-23A Community center	1	28.354003	77.296948
58	Dispensary 33 feet Road near Sohna road	1	28.350894	77.291705
59	Sahid Nagar Juggi Basti near 33 feet road	1	28.358005	77.29071
60	JaatChaupalEnterance Saran village	1	28.373305	77.288457
61	Suresh NamberdarGajipur Road	1	28.374896	77.266419
62	Nagla Sohna Road	1	28.361303	77.263437
63	Jawahar Colony -Shiv Park	1	28.364101	77.284256
64	Parvartiya Colony Boosting- I	1	28.360906	77.285543
65	Parvartiya Colony Boosting- II	1	28.360313	77.285333
66	Jawahar Colony Old Disposal chowk	1	28.359484	77.287835
67	Parvartiya Colony near disposal chowk	1	28.355313	77.283475
68	Sarpanch chowk at Nagla Road	1	28.363151	77.269716
69	BL Convent High School	1	28.370164	77.269276
70	Mini Rose Garden, Pyali chowk	1	28.37722	77.289975
71	Opp. Indian oil Petrol pump	1	28.352411	77.278793
72	Gujjar Chowk, Gajipur Road	1	28.362904	77.265209
73	Rajiv Colony near chungi	1	28.326734	77.29708
74	Rajiv Colony near Sohna road	1	28.324276	77.290637

75	Near Khand-B TulsiVatika	1	28.3672016	77.2805463
76	MeethaKuaa near Saran School	1	28.372086	77.287052

NOTE:- No mini high mast light installed by Municipal Corporation Faridabad from 2015 to 2019.

Total Number of Organizations Registered under Industries and Commerce Department

47. Shri Neeraj Sharma: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state-

(a) the district wise total number of organizations registered under the Industries and Commerce department in State;

(b) the district wise number of administrators appointed by the Government in above said registered organizations together with the time period since when they have been appointed; and

(c) the extent of payment made by the Government/institution per month to the administrators appointed in the above said institutions from the year 2014 to 2022?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यन्त चौटाला): (क) उद्योग और वाणिज्य विभाग संगठनों को पंजीकृत नहीं करता है। हालांकि, यह जिला रजिस्ट्रार कार्यालयों के माध्यम से सोसायटियों को पंजीकृत करता है। पंजीकृत सोसायटियों की जिलेवार संख्या निम्नानुसार हैः

क्रमांक	जिले का नाम	पंजीकृत सोसायटियों की संख्या
1.	अम्बाला	5383
2.	बहादुरगढ़	4747
3.	भिवानी	10043
4.	चरखी दादरी	
5.	फरीदाबाद	5745
6.	फतेहाबाद	5502
7.	गुरूग्राम	8416
8.	हिसार	9447
9.	जीन्द	8541

10.	करनाल	5601
11.	कैथल	6763
12.	कुरूक्षेत्र	5752
13.	मेवात	710
14.	नारनोल	4524
15.	पानीपत	5286
16.	पंचकुला	4002
17.	पलवल	2326
18.	रोहतक	7484
19.	रेवाड़ी	4205
20.	सोनीपत	3061
21.	सिरसा	9087
22.	यमुनानगर	4384
	कुल	**121009**

(ख) 08 राजकीय सहायता प्राप्त सोसायटियों में सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासकों की संख्या जो वर्तमान में कार्यरत हैं, निम्नानुसार हैः–

क्रमांक	**सोसायटी का नाम**	**कार्यकाल अवधि**
1.	गौड़ ब्राहम्ण विद्या परचारिणी सभा, रोहतक	14.03.2014 से 24.02.2023 तक
2.	जाट एजुकेशन सोसायटी, रोहतक	16.07.2015 से आगे
3.	एजुकेशन सोसायटी, समालखा, पानीपत	17.01.2020 से 29.05.2023
4.	वैश्य एजुकेशन सोसायटी, पानीपत	11.11.2022 से 10.11.2023 तक
5.	बी.पी.आर. कालेज एजुकेशन सोसायटी, कुरूक्षेत्र	10.08.2021 से 08.08.2023
6.	जाट एजुकेशन सोसायटी, हिसार	25.05.2022 से 24.05.2023 तक
7.	छोटू राम किसान शिक्षा समिति, जीन्द	24.09.2014 से कार्यकारणी के चुनाव कराने तक। चुनाव नही होने के कारण मामल माननीय उच्च न्यायालय में मामल लंबित पड़ा है।
8.	दी सोनीपत हिन्दू एजुकेशनल एवं चैरिटेबल सोसायटी, सोनीपत	06.04.2021 से 12.04.2023 तक

जिला रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त प्रशासकों की संख्या इस प्रकार हैः–

क्रमांक	सोसायटी का नाम	नियुक्ति की तिथि
	अम्बाला (04)	
1.	सरलिया वैश्य हिन्दी महाजनी स्कूल, पीली कोठी, अम्बाला सीटी	27.07.2021
2.	अम्बाला क्लब	02.04.2021
3.	श्री गुरू हरिकृष्ण साहिब सेवा आश्रम सोसायटी, सैक्टर 8–9–10, अम्बाला सीटी	15.03.2022
4.	श्री सनातन सेवा सभा, सैक्टर 10,	30.06.2022
	बहादुरगढ़ (02)	
1.	दीन बंधु सर छोटू राम धर्मशाला सोसायटी, बहादुरगढ़	02.01.2018
2.	हरियाणा एजुकेशन सोसायटी, बहादुरगढ़	19.05.2015
	गुरूग्राम (17)	
1.	ब्रह्म ऋषि अंगीरा एजुकेशन एंड रिसर्च सोसायटी c/o जे.बी. हाई स्कूल, न्यू रेलवे रोड़, गुरूग्राम	14.01.2022
2.	बलगारिया रैजिडेन्टस (सैन्ट्रल पार्क ।।) वैलफेयर एसोसिएशन, गुरूग्राम	06.09.2021
3.	रहेजा मॉल स्पेश ऑनर एसोसिएशन, रहेजा माल, सैक्टर–47, सोहना रोड़, गुरूग्राम	10.10.2022
4.	सीडको अरावली अपार्टमेन्ट रेजिडेन्ट्स वैलफेयर एसोसिएशन, जीएच–1, मानेसर, गुरूग्राम	25.11.2022
5.	हर्टसोंग कोन्डोमिनियम एसोसिएशन, गुरूग्राम	22.03.2022
6.	गोदरेज फ्रंटियर रेजिडेन्ट्स वैलफेयर एसोसिएशन,सैक्टर–80, गुरूग्राम	07.04.2022
7.	ग्लोबल फोयर कोन्डोमिनियम 17 एसोसिएशन सैक्टर–43, गुरूग्राम	12.05.2022
8.	अर्बन होम पिरामिड कोन्डोमिनियम एसोसिएशन, सैक्टर–86, गुरूग्राम	24.05.2022
9.	पंजाबी बिरादरी महासभा, गुरूग्राम	25.05.2022
10.	माउन्ट विले कोन्डोमिनियम एसोसिएशन, फ्लैट न0 902, टावर–डी, माउन्ट विले, सैक्टर 78–79 वीलेज–नौरंगपुर, गुरूग्राम	10.11.2022
11.	एटीएस कोकून अपाटमेन्ट ऑनर्स एसोसिएशन फैसिलिटी आफिसर एटीएस कोकून, ओपोजिट जहाजगढ़ वीलेज, सैक्टर–109, गुरूग्राम	10.11.2022
12.	इ.इ कोन्डोमिनियम एसोसिएशन, अस्टेट मेनेजमेन्ट ऑफिस, अमेराल्ड़ अस्टेट सैक्टर 65, विलेज मैदावास तहसील एवं जिला गुरूग्राम	01.07.2022
13.	पी. जी. कोन्डोमिनियम एसोसिएशन, पाम गार्डन सैक्टर.83, वीलेज खरखीधोला, गुरूग्राम	24.06.2022
14.	सैन्ट्रल प्लाजा मॉल ऑनर वैलफेयर एसोसिएशन, फर्स्ट बेसमैन्ट सैन्ट्रल प्लाजा, सैक्टर.53 गोल्फ कोर्स रोड़, गुरूग्राम	07.07.2022

क्रमांक	सोसायटी का नाम	नियुक्ति की तिथि
15.	हैरिटेज वन कोन्डोमिनियम एसोसिएशन, हैरिटेज वन ग्रुप हाउसिंग काम्पलैक्स, सैक्टर.62, गुरूग्राम	18.07.2022
16.	एनके टाउन प्लाजा ऑनर्स एसोसिएशन, एनके टाउन प्लाजा, 1 ब्लाक, पाम विहार, गुरूग्राम	22.09.2022
17.	तकशिला हाईट्स रेजिडेन्स वैलफेयर एसोसिएशन, सैक्टर.37–सी, वीलेज बसई, गुरूग्राम	03.02.2022
	फतेहाबाद (01)	
1.	श्री दुर्गा महिला महाविद्यालय समिति, टोहाना	24.05.2022
	सिरसा (01)	
1.	श्री धानक सभा प्रबन्धक समिति, सिरसा	24.08.2022
	रेवाड़ी (03)	
1.	ब्राह्मण सभा, तहसील बावल	04.09.2019
2.	गुरू रविदास मंदिर एवं हॉस्टल मैनेजमेन्ट कमेटी, सांघी	08.04.2022
3.	हरिज्ञान एजुकेशन सोसायटी, मॉडल टाउन, रेवाड़ी	15.07.2022
	पानीपत (02)	
1.	हरियाणा स्टेट जुड़ो एसोसिएशन	11.07.2022
2	एल्डेको अस्टेट 1 वैलफेयर सोसायटी, पानीपत	25.02.2022
	रोहतक (03)	
1.	हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसिज एसोसिएशन, रोहतक	09.09.2022
2.	स्वामी आत्मानन्द हरियाणा अनुसूचित जाति शिक्षा समिति, रोहतक	29.09.2022
3.	श्री गांधी हरिजन सेवा आश्रम सोसायटी, गनीपूरा, रोहतक	06.10.2022
	पलवल (01)	
1.	रेजिडेन्टल वैलफेयर एसोसिएशन, ओमेक्स हाईस्ट्स, पलवल	22.07.2022
	पंचकुला (05)	
1.	यादव सभा (रजि0 यू.टी. चण्डीगढ़)	02.12.2020
2.	दिव्य ज्योति, पंचकुला	09.11.2021
3.	अमरावती फ्लैट रेजिडेन्ट्स वैलफेयर एसोसिएशन,	29.11.2021
4.	श्री गुरू रविदास सभा, सैक्टर–15, पंचकुला	10.08.2022
5.	एच.एस.आई.आई.डी.सी. एवं डिमार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज हरियाणा इम्लाईज वैलफेयर एसोसिएशन, (सीडको)	04.10.2022
	भिवानी (06)	
1.	हलवासिया विद्या विहार मेनेजमेन्ट कमेटी, भिवानी	29.07.2016
2.	यादव महासभा, भिवानी	03.02.2020

क्रमांक	सोसायटी का नाम	नियुक्ति की तिथि
3.	स्वामी जीतू पतीत पवन धानक चेरिटेबल ट्रस्ट, भिवानी	08.12.2015
4.	हरियाणा शेखावटी ब्रह्मचारी आश्रम समिति, भिवानी	08.04.2022
5.	वैश्य मॉडल प्राइमरी एजुकेशन सोसायटी, लोहारू रोड़ भिवानी	25.08.2022
6.	श्री षाम अर्पण मण्डल, भिवानी	22.09.2022
	कुरूक्षेत्र (02)	
1.	अखिल भारतीय बाबा सैन सभा, कुरूक्षेत्र	31.12.2021
2.	क्षेत्रीय सभा, कुरूक्षेत्र	02.02.2022
	करनाल (01)	
1.	धर्मशाला कश्यप राजपूत सभा	14.12.2022
	हिसार (03)	
1.	डा0 बी.आर. अम्बेडकर सभा, हरिदास कालोनी, हिसार	25.02.2018
2.	जाट धर्मशाला सभा, मटका चौक, हिसार	24.08.2021
3.	गुरूद्वारा श्री गुरू सिंह सभा, नागौरी गेट, हिसार	26.04.2018
	नरनौल (04)	
1.	अग्रवाल सभा, नारनौल	18.07.2017
2.	पंडित हरभक्त जोशी जन सेवा सोसायटी, वीलेज–सीगरा	22.08.2017
3.	यादव समाज कल्याण सभा, नांगल चौधरी	29.08.2022
4.	अमर शिक्षा समिति	06.12.2022
	फरीदाबाद (06)	
1.	डेरा संत भक्त सिंह जी महाराज बन्नुवाले, मार्किट न0 1, एन. आइ.टी, फरीदाबाद	03.10.2022
2.	रेजिडेन्ट्स वैलफेयर एसोसिएशन, आई.पी. कालोनी, सैक्टर. 30/33	14.11.2022
3.	गढ़वाल सभा, फरीदाबाद	27.07.2022
4.	प्रजापति महासंघ, फरीदाबाद	12.08.2022
5.	न्यू ग्रीन फिल्ड्स आर.डब्लू.ए, ग्रीन फिल्ड कालोनी, फरीदाबाद	05.12.2022
6.	श्री राम जी चेरिटेबल होस्पीटल सोसायटी, तिकोना पार्क एन.आई.टी. फरीदाबाद	15.03.2022

(ग) सरकार ने सरकार द्वारा नियुक्त प्रशासकों को कोई भुगतान नहीं किया है यद्यपि, सस्थानों द्वारा किए गए किसी भी भुगतान का डेटा उपलब्ध नही है।

To Construct the Bye-Pass

48. Shri Neeraj Sharma: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that a by-pass to be constructed from village Mangar of the NIT Faridabad Assembly Constituency as per the Hon'ble Chief Minister announcement no.- 11148 is lying pending due to acquisition of land and permission from NGT; and

(b) if so, the steps taken or likely to be taken by the Government to construct the said by-pass togetherwith the details thereof?

श्री **दुष्यंत चौटाला** (**उप मुख्यमंत्री**):(क) हां श्रीमान जी, यह सही है की माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा ने घोषणा संख्या 11148 दिनांक के तहत मांगर गाँव की सड़क निर्माण करने की घोषणा की थी । यह घोषणा पंचायत विभाग से हरियाणा लोक निर्माण (भवन एवं सड़क) विभाग को दिनांक 20.01.2017 को स्थानांतरित की गई थी । बाद में माननीय मुख्यमंत्री, हरियाणा द्वारा यू. ओ. संख्या 232-आर -।।-17/ 89068 दिनांक 26.04.2017 के तहत यह घोषणा वन विभाग को स्थानांतरित करने की मंजूरी दी थी और वन विभाग द्वारा आगे की कार्यवाही की जा रही है।

(ख) अब प्रधान मुख्य वन संरक्षक, हरियाणा ने डी. ओ. संख्या पी एस / पी सी सी पी / 988 दिनांक 21.11.2022 के द्वारा उपायुक्त, फरीदाबाद को कहा गया है कि सरकार ने सुझाव दिया है कि उपायुक्त, फरीदाबाद/ आधीक्षक आभियंता / कार्यकारी आभियंता के साथ दौरा करे और निम्नलिखित कार्य करे-

(i) माननीय एन.जी.टी. के दिनांक 20.07.2015 के आदेशानुसार अनुमति प्राप्त करने के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता है ।

(ii) जिस भूमि पर सड़क का निर्माण किया जाना है उसके स्वामी का पता लगाया जाए ।

(iii) माननीय न्यायाधिकरण की अनुमति सीधे मालिकों द्वारा ली जाए या मालिकों द्वारा सड़क के निर्माण के लिए एन.ओ.सी. दी जाए, जिसके आधार पर लोक निर्माण (भवन एवं सड़क) विभाग उक्त आवेदन कर सकता है । उपरोक्त अनुसार मामले में आगे की कार्यवाही की जा रही है ।

To Construct the Drains and Streets

49. Shri Neeraj Sharma: Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that there are no arrangements for drainage of water in Dabua, Gazipur road, Uttam Nagar and polutary farm area of Ward no-9 in NIT Faridabad Assembly Constituency; if so, the time by which the drains are likely to be constructed for the drainage of water in the abovesaid areas;

(b) the time by which the Five Star Cable road in Ward no-9 is likely to be constructed; and

(c) the time by which the works regarding laying of sewerage line and construction of streets are likely to be completed in the Gazipur road, Parvatiya temple street, Mishra ji wali gali, Neta ji wali gali and Masjid wali gali in Ward no-9 of NIT Faridabad Assembly Constituency?

शहरी स्थानीय निकाय एवं आवासीय मंत्री (डा0 कमल गुप्ता): (क) एनआईटी फरीदाबाद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में वार्ड संख्या 9 में डबुआ, गाजीपुर सड़क, उत्तम नगर तथा पोल्ट्री फार्म क्षेत्र में पानी की निकासी के लिए कोई मुख्य प्रणाली नहीं है।

वर्तमान में नगर निगम फरीदाबाद के पास उपरोक्त क्षेत्रों में नालियो के निर्माण के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) फाइव स्टार केबल रोड (सीमेंट कंक्रीट रोड) का निर्माण पहले ही हो चुका है। नगर निगम फरीदाबाद के पास उक्त सड़क के सुधार/उन्नयन के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ग) यहां प्रस्तुत किया जाता है कि गाजीपुर रोड पहले ही हो चुका है और इस सड़क पर सीवरेज लाइन भी स्थित है, जबकि वार्ड नंबर–9 में पार्वतिया मंदिर गली, मिश्रा जी वाली गली, नेता जी वाली गली और मस्जिद वाली गली कच्ची गलियां हैं और इन सड़कों पर सीवर लाइन व नालियां मौजूद नहीं हैं। वर्तमान में नगर निगम फरीदाबाद के पास इन सड़कों के निर्माण और सीवर लाइन बिछाने के लिए कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

To Solve the Problem of Flooding Water/ Drain Overflow

50. Shri Kuldeep Vats: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the drain no. 8 passes through dozens of villages in Badli Assembly Constituency of district Jhajjar overflow due to excess water during every monsoon and unseasonal rain as a result of which water flooded in to the fields; and

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to take effective steps to check the abovesaid problem togetherwith the time by which the said problem is likely to be solved permanently?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): (क) नही श्रीमान जी, ड्रेन नंबर 8 झज्जर जिले के बादली विधानसभा क्षेत्र के गांवों से होकर नहीं गुजरती है। हालांकि, आउटफॉल ड्रेन नंबर 8 झज्जर के बादली विधानसभा क्षेत्र के दर्जनों गांवों से होकर गुजरती है, लेकिन पिछले मानसून के दौरान अत्यधिक पानी आने के बाद भी ओवरफ्लो की समस्या नहीं आई क्योंकि आउटफॉल ड्रेन नंबर 8 की बुर्जी संख्या 2.258 कि0मी0 से 42.590 कि0मी0 तक विकट इलाकों (critical reaches) में दाएं ओर की पटड़ी के निर्माण का कार्य 30.06.2022 को पूरा हो गया था, जिससे आसपास के क्षेत्रों में उक्त ड्रेन से किसी भी तरह के ओवरफ्लो को रोकने में मदद मिली।

(ख) नहीं, उपरोक्त (क) के मद्देनज़र।

To Fix Time Limit for the Development Works

51. Shri Kuldeep Vats: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the Government has sought the proposal from all the MLAs for the development works of worth Rs. 25-25 crores for the construction of roads in all the constituencies of the State; and

(b) whether any time limit has been fixed by the Government for the completion of above said development works; if so, the details thereof?

उप मुख्यमंत्री (दुष्यंत चौटाला):(क) जी हां, सरकार ने सभी विधायकों से सड़कों की मरम्मत के लिए 25- 25 करोड़ रुपये के सभी निर्वाचन क्षेत्रों के लिए प्रस्ताव मांगा है।

(ख) नहीं श्रीमान जी, उपरोक्त विकास कार्यों को पूरा करने के लिए सरकार ने कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की हैं ।

To Change Block and Police Station of Villages

52. Shri Kuldeep Vats: Will the Deputy Chief Minster be pleased to state-

(a) whether it is a fact that residents of the villages Surehti, Fatehpuri, Subana and Kasni falling under the Salhawas Block have to go to Machhrauli and Jhajjar police stations for their respective works;

(b) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to include the abovesaid villages under Machhrauli block and police station togetherwith the time by which the abovesaid proposal is likely to be materialized;

(c) whether it is also a fact that the residents of the villages Tumbaheri, Mubarikpur, Girdharpur and Babepur falling under Salhawas block have to go to Machhrauli police station for their respective works; and

(d) if so, whether there is any proposal under consideration of the Government to include the villages mentioned in at ‘c’ above under

Salhawas block and police station togetherwith the time by which the abovesaid proposal is likely to be materialized?

विकास एवं पंचायत मंत्री (श्री देवेन्द्र सिंह बबली): श्रीमान जी,

(क) हां, श्रीमान। गांव सुरेहती, फतेहपुरी एवं कासनी खण्ड साल्हावास थाना सदर झज्जर के अन्तर्गत आतें हैं तथा गांव सुबाना खण्ड साल्हावास थाना माछरौली के अर्न्तगत आता है।

(ख) नहीं, श्रीमान।

(ग) हां, श्रीमान। गांव तुम्बाहेड़ी, मुबारिकपुर, गिरधरपुर और बाबेपुर खण्ड साल्हावास थाना माछरौली के अन्तर्गत आते है।

(घ) नहीं, श्रीमान।

Details of Works Under Jal Jeewan Mission

53. **Dr. Krishan Lal Middha**: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the total number of works executed under the Jal Jeevan Mission in Jind district during the financial years 2021-22 and 2022-23; and

(b) the village wise details of the said works in which estimates have been enhanced at the time of payment of bill?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): (क) जल जीवन मिशन के तहत जींद जिले में वित्त वर्ष 2021-22 में कुल 05 कार्य पूर्ण किए गये थे एवम् वित्त वर्ष 2022-23 में 34 कार्य पूर्ण हो चुके हैं।

(ख) अब तक, बिल भुगतान के समय किसी भी अनुमान को बढाया नहीं गया है।

Amount Spent on Maintenance Works

54. Dr. Krishan Lal Middha: Will the Chief Minister be pleased to state the total amount spent on the maintenance works conducted by the Public Health Engineering Department, Jind in Jind Circle during the financial years 2021-22 and 2022-23 togetherwith the details of the works and payments made in regard to the said works?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): जींद सर्कल में मरम्मत कार्यों पर वित्तीय वर्ष 2021-22 में 29.24 करोड़ रूपये खर्च किए गये एवम् वित्तीय वर्ष 2022-23 में नवम्बर, 2022 तक 18.72 करोड़ रूपये खर्च किए गये हैं। मरम्मत हेतु किए गये कार्यों एवम् भुगतानों का ब्यौरा अनुलग्नक-क पर सलंग्न है।

अनुलग्नक-क

क्र.सं	**मरम्म्त कार्यों का ब्यौरा**	**खर्च 2021-2022 (रूपये लाखों में)**	**खर्च 2022-2023 नवम्बर, 2022 तक (रूपये लाखों में)**	**टिप्पणी**
1	शहरी जल आपूर्ति योजना, जींद	276.28	324.46	अनुबंधित कर्मचारियों के वेतन, मशीनों का रख-रखाव उपभोग्य सामान, ठेकेदारों के द्वारा संचालन व रख-रखाव एवं बिजली शुल्क पर खर्च किया गया।
2	शहरी सीवरेज योजना, जींद	482.11	185.28	
3	शहरी जल आपूर्ति योजना, जुलाना	59.27	23.94	
4	शहरी सीवरेज योजना, जुलाना	42.12	13.04	
5	शहरी जल आपूर्ति योजना, सफीदों	36.34	41.46	
6	शहरी सीवरेज योजना, सफीदों	42.68	34.62	
7	शहरी जल आपूर्ति योजना, नरवाना	228.04	106.37	
8	शहरी सीवरेज योजना, नरवाना	187.95	123.19	
9	शहरी जल आपूर्ति योजना, उचाना	38.71	05.62	
10	शहरी सीवरेज योजना, उचाना	35.16	25.41	
	उप-कुल	1428.66	883.39	
11	ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाएं, ज़िला जींद	1495.75	989.06	
	उप-कुल	**1495.75**	**989.06**	
	कुल योग	**2924.41 (29.24 करोड़)**	**1872.45 (18.72 करोड़)**	

———

Amount Spent on Maintenance by HSAMB

55. Dr. Krishan Lal Middha: Will the Agriculture & Farmers Welfare Minister be pleased to state the total amount spent on maintenance and forest clearance by the HSAMB during the financial year 2022-23 in Jind Division togetherwith the detailed report on the basis of work?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल) : ब्यौरा सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

ब्यौरा

हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्धारा जींद जिले में 1125 किलोमीटर लंबाई की 353 सड़कें बनाई गई है । वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्धारा 416 किलोमीटर लंबाई की 130 सड़कों के रख-रखाव व झाड़ियाँ हटाने पर 268 लाख रुपये की राशि खर्च की गई । सड़कों के वार्षिक रख-रखाव के कार्य में सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाना तथा सड़क की बर्म पर मिट्टी का कार्य करना शामिल है । खर्च की गई राशि का कार्यवार विवरण निम्नानुसार है:-

क्रमांक	विधान सभा क्षेत्र का नाम	सड़क संख्या	सड़क का नाम	लंबाई (कि.मी. में)	वर्ष 2022-23 में खर्च की गई राशि (लाख रु में)
1	जींद	H-6863	मनोहरपुर से लोचब	3.62	0.20
2	जींद	H-5765	मांडो खोड़ी से मनोहरपुर	1.70	0.06
3	जींद	H-3287	मनोहरपुर से बरसाना	3.47	4.93
4	जींद	H-3312	मनोहरपुर से बोहटवाला	4.05	4.30
5	जींद	H-3290	अहिरका से जींद-नरवाना रोड	1.62	1.52
6	जींद	H-8437	हैबतपुर से निर्जन	1.77	1.54
7	जींद	H-3310	जीतगढ़ से शाहपुर	3.65	3.02
8	जींद	H-3300	कंडेला से शुगर मिल वाया कैर खेरी	6.11	0.20
9	जींद	H-5335	पिंडारा से लखमीरवाला	2.93	1.10
10	जींद	H-6685	इंटल से दरियावाला वाया संगतपुरा	4.03	0.40
11	जींद	H-8090	खुंगा से दादरथ	2.70	5.20
12	नरवाना	H-3199	हरनामसिंह वाला से फुलियां	3.29	0.98
13	नरवाना	H-3223	अमरगढ़ से लोचब	2.44	1.95
14	नरवाना	H-3244	खर्दवाल से लोचब	3.65	0.21
15	नरवाना	H-3274	कलवन से जुल्हेरा	3.28	0.63
16	नरवाना	H-3215	बदनपुर से ग्राम नरवाना	5.08	1.02
17	नरवाना	H-3228	धनौरी से पंजाब सीमा	4.42	3.01
18	नरवाना	H-3212	उझाना से डुडवा	7.50	1.69

क्रमांक	विधान सभा क्षेत्र का नाम	सड़क संख्या	सड़क का नाम	लंबाई (कि.मी. में)	वर्ष 2022-23 में खर्च की गई राशि (लाख रु में)
19	नरवाना	H-3211	ढाकल से नरवाना	2.98	2.83
20	नरवाना	H-3245	नेपेवाला से कोयल	2.88	2.30
21	नरवाना	H-3208	उझाना से नेपेवाला	4.12	4.40
22	नरवाना	H-3277	दबलेन से सच्चाखेड़ा	2.98	1.83
23	नरवाना	H-3250	पीपलथा से उझाना	5.04	3.64
24	नरवाना	H-3229	धनौरी से सिनंद	3.94	2.15
25	नरवाना	H-3279	सुरजाखेड़ा से गुरुसर	2.60	1.23
26	नरवाना	H-3207	धरोढ़ी से फ्रैन कलां	5.91	3.20
27	नरवाना	H-3284	सुरजाखेड़ा से सुरजाखेड़ा-गुरथली मार्ग	2.44	2.31
28	नरवाना	H-3100	दनोदा से भीखेवाला	5.37	1.41
29	नरवाना	H-3236	हमीरगढ़ से नरवाना	8.12	3.77
30	नरवाना	H-3261	धरोढ़ी से रेलवे स्टेशन	0.75	0.59
31	नरवाना	H-3214	गांव खरल में कन्या गुरुकुल से खरल हाई स्कूल	1.00	0.19
32	नरवाना	H-3281	हंसधर से धनौरी	3.88	2.36
33	नरवाना	H-3282	धनौरी से सांघन	4.93	2.96
34	नरवाना	H-3217	फ्रैन से कान्हाखेड़ा	4.80	0.24
35	नरवाना	H-3286	हमीरगढ़ में स्पोर्ट्स स्टेडियम का मुख्य मार्ग	0.44	0.35
36	नरवाना	H-3269	राजगढ़ धोबी से कालवन वाया सुलहेरा	6.45	1.69
37	नरवाना	H-3254	रेवर से दाता सिंहवाला	3.44	2.75
38	नरवाना	H-3276	राजगढ़ डोबी से समैन	3.88	1.66
39	नरवाना	H-3201	धमतान से जुल्हेरा	4.77	1.14
40	नरवाना	H-3251	पिपलथा से खरल	7.10	4.90
41	नरवाना	H-3271	अमरगढ़ से खांडाखेड़ा	2.36	1.12
42	नरवाना	H-3241	खरल से पीपलथा रोड से धमतान साहिब माइनर	2.60	1.10
43	नरवाना	H-3243	खरल से लोन	3.81	1.52
44	नरवाना	H-8451	सीसर से ढाकल	5.01	0.81
45	नरवाना	H-3255	सच्चाखेड़ा से फ्रैन कलां	4.94	3.69
46	नरवाना	H-8456	धरोढ़ी से नरवाना-इस्माइलपुर रोड (राजा की गोहर के साथ)	4.34	3.79
47	नरवाना	H-3227	धनौरी से नेपेवाला	2.91	0.69
48	नरवाना	H-3285	अंबरसर से उझाना	3.26	2.61
49	नरवाना	H-3278	गुरथली से हाथो	3.00	0.69
50	उचाना	H-3093	कन्या विद्यालय से माता मंदिर उचाना खुर्द तक	0.76	0.61
51	उचाना	H-3095	रिंग बांध से झील गांव	0.40	0.31
52	उचाना	H-3096	फिरनी से डेरा काकरौत	0.33	0.17
53	उचाना	H-3109	खेड़ी मसानिया से उचाना खुर्द	1.74	1.30
54	उचाना	H-6852	भगवानपुरा से घासो कलां	2.91	1.66
55	उचाना	H-3081	सेदा माजरा से अनाज मंडी उचाना की ओर जाने वाली पीडब्ल्यूडी रोड	2.89	2.30
56	उचाना	H-8970	सफा खेड़ी से घासो कलां	2.11	1.02
57	उचाना	H-7903	मखंड से उचाना कलां	7.69	3.86
58	उचाना	H-7902	पलवन से तारखा वाया खरक बूरा	4.54	0.79

क्रमांक	विधान सभा क्षेत्र का नाम	सड़क संख्या	सड़क का नाम	लंबाई (कि.मी. में)	वर्ष 2022-23 में खर्च की गई राशि (लाख रु में)
59	उचाना	H-6185	सफ्फा खेड़ी से करसिंधु वाया खरक बूरा	4.46	0.63
60	उचाना	H-5766	घोगड़िया से करसिंधु	6.37	2.07
61	उचाना	H-3092	दोहाना खेड़ा से धरौली खेड़ा	3.39	2.71
62	उचाना	H-7760	झील से घासो रेलवे स्टेशन	2.76	1.93
63	जुलाना	H-7431	बड़छप्पर से देश खेड़ा	5.43	3.08
64	जुलाना	H-8256	खरंटी से उगालन	4.64	0.31
65	जुलाना	H-3117	बख्ता खेड़ा से जमोला	2.74	1.69
66	जुलाना	H-7472	करसोला से लिजवाना	4.61	2.92
67	जुलाना	H-3124	फतेहगढ़ से लिजवाना	2.41	1.79
68	जुलाना	H-3125	रामकली से करसोला	5.25	2.86
69	जुलाना	H-3138	रामकली से डिगाना	4.30	3.60
70	जुलाना	H-5181	नंदगढ़ से मेहरदा	3.32	2.98
71	जुलाना	H-7473	डिगाना से लिजवाना	6.19	4.17
72	जुलाना	H-3136	बीबीपुर से किनाना वाया बहबलपुर	6.84	4.75
73	जुलाना	H-3298	बहन राजपुरा से मिर्चपुर	4.73	3.29
74	जुलाना	H-3133	किनाना से रेलवे स्टेशन किनाना	1.08	0.75
75	जुलाना	H-7498	जींद-रोहतक रोड से जय जयवंती	1.24	0.86
76	जुलाना	H-5770	रामराय खेड़ा से रामगढ़	2.22	1.70
77	जुलाना	H-8264	बागनवाला से राजथल	1.35	0.69
78	जुलाना	H-8336	अशरफगढ़ से किसनपुरा	1.59	1.12
79	जुलाना	H-3289	राजपुरा बहन से गुलकानी	1.36	1.02
80	जुलाना	H-7260	सुंदरपुर रेलवे स्टेशन से लोहचब	3.97	3.17
81	जुलाना	H-3293	ब्रहाखुर्द से सिंधवी खेड़ा	0.63	0.50
82	जुलाना	H-3299	आसन से धरौली	1.66	1.30
83	पिल्लूखेड़ा	H-3174	खड़क गाग्गर से हंडवा	2.28	1.82
84	पिल्लूखेड़ा	H-3191	लुदाना से बिरथाना	3.78	2.93
85	पिल्लूखेड़ा	H-3143	होशियारपुर से कलावती	3.41	3.40
86	पिल्लूखेड़ा	H-3149	होशियारपुर से मलार	1.00	0.10
87	पिल्लूखेड़ा	H-3176	बुड़ा खेड़ा से कलवा	4.98	4.52
88	पिल्लूखेड़ा	H-7564	दादरथ रोड से सफीदों जींद रोड तलोदा तक	2.02	1.10
89	पिल्लूखेड़ा	H-3192	हंडवा से बागरु	5.50	4.40
90	पिल्लूखेड़ा	H-3169	बेरीखेड़ा से अखनूर मंदिर	2.41	1.90
91	पिल्लूखेड़ा	H-6270	बनिया खेड़ा से रितौली	2.30	1.80
92	पिल्लूखेड़ा	H-3188	पिल्लूखेरा से तलोदा (शहीद सौरभ गर्ग मार्ग)	2.08	2.78
93	पिल्लूखेड़ा	H-3162	होशियारपुर से बुटानी तक 18 फीट चौड़ी सड़क	5.05	3.50
94	पिल्लूखेड़ा	H-3150	कलवा से धरोली	3.28	1.44
95	पिल्लूखेड़ा	H-3172	गांगोली से कलावती वाया खरक गाग्गर	4.91	3.92
96	पिल्लूखेड़ा	H-7654	दादरथ से वाया मंडी खुर्द, हसनपुर, दिलुवाला रोड	4.10	3.28
97	पिल्लूखेड़ा	H-8839	तेली खेड़ा से मोहम्मद खेड़ा	1.76	0.54
98	पिल्लूखेड़ा	H-7721	मोरखी से भाग खेड़ा	2.45	1.76
99	पिल्लूखेड़ा	H-3177	कलवा से पिल्लूखेड़ा	2.56	2.43

क्रमांक	विधान सभा क्षेत्र का नाम	सड़क संख्या	सड़क का नाम	लंबाई (कि.मी. में)	वर्ष 2022-23 में खर्च की गई राशि (लाख रु में)
100	सफीदों	H-5339	बागरू खुर्द से सिवाना माल	4.64	3.68
101	सफीदों	H-3164	मलार से जींद-सफीदों रोड	1.81	1.27
102	सफीदों	H-6851	अंटा से जोशी माजरा	4.18	3.31
103	सफीदों	H-3165	धरमगढ़ से मलिकपुर	0.61	2.38
104	सफीदों	H-3140	मलिकपुर से दिदवाड़ा	3.00	2.30
105	सफीदों	H-3159	निमनाबाद से खाटला	2.93	2.01
106	सफीदों	H-6792	मलिकपुर से ढूपेडी	4.12	0.55
107	सफीदों	H-3147	मलार से बहादुरगढ़	3.99	3.11
108	सफीदों	H-8841	मलिकपुर से सफीदों असंद पीडब्ल्यूडी रोड	2.68	2.14
109	सफीदों	H-3153	दिदवाड़ा भुसलाना रोड से भुसलाना में खातला रोड	0.67	0.53
110	सफीदों	H-7948	कुरार को हाट	3.37	2.01
111	सफीदों	H-7243	अंचरा खुर्द से हरिगढ़	1.93	1.52
112	सफीदों	H-6642	असंद रोड खेड़ा खेमावती से धरमगढ़ बोहाली रोड तक स्काईलार्क फीड मिल	0.97	0.54
113	सफीदों	H-3144	चपैर से मुआना	3.88	3.08
114	सफीदों	H-3141	मलिकपुर से दिदवाड़ा (बी.पी.)	2.43	1.87
115	सफीदों	H-7947	खरखाना से सिला खोड़ी	2.44	1.92
116	सफीदों	H-3187	रोध से आफताबगढ़	2.62	2.59
117	सफीदों	H-7946	सीवानमाल से भम्बेवा	3.97	3.17
118	सफीदों	H-7949	बहादुरगढ़ से रोजला	3.31	2.45
119	सफीदों	H-7950	रत्ता खेड़ा से कारखाना	2.91	2.26
120	सफीदों	H-6299	पांजू कलां से खेड़ा खेमावती	3.03	2.40
121	सफीदों	H-2588	बागडू से राणा खेड़ी	2.95	1.94
122	सफीदों	H-3157	भागखेड़ा से सिवाना माल 18 फीट चौड़ा	5.37	4.27
123	सफीदों	H-3163	कुराड़ से नहर पुल (बुटानी शाखा)	3.84	2.90
124	सफीदों	H-6892	बुढा खेड़ा से डेरा फत्तू वाया./ मुआना	6.68	5.29
125	सफीदों	H-3166	रामपुरा सिंघाना से खरीद केंद्र सिंघाना	0.55	0.42
126	सफीदों	H-7368	टीटो खेड़ी से उरलाना	1.65	0.96
127	सफीदों	H-8595	बागडू से राजा वाली सड़क	0.89	0.70
128	सफीदों	H-8634	हरिगढ़ से राम नगर	1.49	1.16
129	सफीदों	H-9442	चैपर सिंघाना से खरीद केंद्र सिंघाना	1.40	1.09
130	सफीदों	H-7244	बागडू से भागखेड़ा (जल घर)	6.24	4.85
	कुल जोड़			**415.81**	**268.08**

Shortage of Bus Services

56. Shri Pardeep Chaudhry: Will the Transport Minister be pleased to state whether it is a fact that there is shortage of bus services in the Morni Block of Kalka Assembly Constituency togetherwith the time by which

the bus service is likely to be provided to the villages Badi Sher, Dhaman, Thapli, Morni to Samlotha Devi and Tikkar Tal?

परिवहन मंत्री (मूलचन्द शर्मा): नहीं श्रीमान् जी, कालका विधानसभा क्षेत्र के मोरनी खण्ड में बस सेवा की कोई कमी नहीं है। पंचकूला आगार जनता की मांग अनुसार मोरनी क्षेत्र में नियमित बस सेवा प्रदान कर रहा है। वर्तमान में मोरनी क्षेत्र में 14 मार्गों पर बस सेवा का संचालन करवाया जा रहा है जिसमें 06 रात्रि ठहराव सेवाएं सम्मिलित हैं। पंचकूला आगार मोरनी क्षेत्र में नियमित बस सेवाओं का संचालन कर रहा है जिसमें मोरनी से बड़ी शेर मार्ग पर 06 फेरे, मोरनी से धामन मार्ग पर 06 फेरे, पंचकूला से मोरनी वाया थापली मार्ग पर 05 फेरे, कालका से मोरनी वाया थापली मार्ग पर 04 फेरे, मोरनी से समलोठा देवी मार्ग पर 04 फेरे व मोरनी से टिक्कर ताल मार्ग पर 08 फेरे सम्मिलित हैं।

To Handover the Veterinary Hospital Buildings

57. Shri Pardeep Chaudhry: Will the Animal Husbandry & Dairying Minister be pleased to state whether it is a fact that the buildings of Veterinary Hospital constructed about three years ago in villages Ganauli and Manak Tabra in the Raipur Rani Block has not been handed over to the Department so far; if so, the reasons therefor togetherwith the time by which the abovesaid buildings are likely to be handed over?

पशुपालन एवं डेयरी मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल): श्रीमान् जी, पंचकुला के रायपुर रानी खण्ड के गनौली तथा मानक टाबरा गांवों के पशु चिकित्सालयों के भवनों को विभाग द्वारा अधिग्रहित किया जा चुका है।

Loss in Paddy Crop due to Grassy Stunt Virus Disease

58. Shri Pardeep Chaudhry: Will the Agriculture & Farmers Welfare Minister be pleased to state whether it is a fact that the production of paddy was affected due to Grassy Stunt Virus disease in the Panchkula

District in 2022; if so, the total number of farmers of Kalka Assembly Constituency who have been paid compensation by the Government for the loss of paddy crop due to above disease?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल): श्रीमान, जी हां, खरीफ 2022 के दौरान पंचकूला जिले में ग्रासी स्टंट वायरस रोग के कारण धान की फसल का उत्पादन प्रभावित हुआ है ।

राजस्व विभाग में इस बीमारी के लिए मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए राजस्व विभाग क्षतिपूर्ति नहीं करेगा।

हालांकि, कालका विधानसभा क्षेत्र में खरीफ 2022 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 1260 किसानों ने धान की फसल का बीमा कराया। इस बीमारी सहित विभिन्न कारणों से बीमित किसानों को 2.19 करोड़ रूपये का मुआवजा योजना के मानदंडों के अनुसार संबंधित बीमा कंपनी द्वारा दिया जाएगा, किसानों को मुआवजा जारी करने की प्रक्रिया प्रक्रियाधीन है और शीघ्र ही पूरी होने की संभावना है।

To Meet Out the Shortage of Teachers

59. Ch. Aftab Ahmed : Will the Education Minister be pleased to state-

(a) the present position of teachers in the Government Schools in district Nuh;

(b) the total number of schools closed by the Government during the last five years in district Nuh; and

(c) the steps taken by the Government to meet out the shortage of teachers in district Nuh togetherwith the details thereof ?

शिक्षा मन्त्री (श्री कंवर पाल): श्रीमान जी, विवरण सदन के पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(क) जिला नूंह के राजकीय विद्यालयों में अध्यापकों की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार हैः–

पदनाम	कुल आवश्यकता	कार्यरत				रिक्त
		नियमित	अतिथि	अनुबंध (एच.के.आर.एन.)	कुल कार्यरत	
प्रधानाचार्य	119	110	0	0	110	09
मुख्याध्यापक उच्च विद्यालय	08	0	0	0	0	08
पी0जी0टी0 / प्राध्यापक	1678	647	94	38	779	899
मौलिक विद्यालय मुख्याध्यापक	198	104	0	0	104	94
टी0जी0टी0 / मास्टर	3436	994	236	16	1246	2190
मुख्य शिक्षक / प्राथमिक शिक्षक / जे.बी.टी.	4644	1420	1032	0	2452	2192

(ख) जिला नूंह में पिछले पांच वर्षो में कुल 06 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों को बंद किया गया है।

(ग) (i) विभाग द्वारा मेवात कैडर के विभिन्न विषयों के 613 पी0जी0टी0 के पदों को भरने के लिये हरियाणा लोक सेवा आयोग, पंचकूला को मांग पत्र भेजा गया है। इसके अतिरिक्त पदोन्नति कोटे के विभिन्न विषयों के पी0जी0टी0 के रिक्त पदों को भरने बारे पदोन्नति मामले आमंत्रित किये गए है।

(ii) विभाग द्वारा प्राईमरी अध्यापकों के 952 पदों को भरने के लिये हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भी मांगपत्र भेजा गया है। इसके अतिरिक्त शेष हरियाणा कैडर में से 494 अध्यापकों ¼पी0जी0टी0 / टी0जी0टी0 तथा पी0आर0टी0½ को जिला नूंह में एक वर्ष के लिये प्रतिनियुक्ति प्रदान की गई है। जिला नूंह में अक्टूबर, 2022 में 59 पी0आर0टी0 ¼उर्दू½ को भी नियुक्ति प्रदान की गई है।

(iii) इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा विभिन्न विषयों के पी0जी0टी0 के 183 पद तथा टी0जी0टी0 के 430 पदों को अनुबंध आधार पर भरने बारे हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एच0के0आर0एन0) को भी मांग पत्र भेजा गया है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एच0के0आर0एन0) द्वारा पी0जी0टी0 तथा टी0जी0टी0 के पदों पर 81 उम्मीदवारों को नियुक्ति की पेशकश की गई है, जिनमें से कुल 38 पी0जी0टी0 तथा 16 टी0जी0टी0 द्वारा पहले ही जिला नूंह के विद्यालयों में कार्यग्रहण कर लिया गया है।

Relaxation to the Local Residents in Toll Tax

60. Ch. Aftab Ahmed: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state whether it is a fact that the rates of toll tax on the Gurugram to Sohna road are very high and no relaxation has been given to the local residents/ villagers as per the policy of relaxation of toll tax; if so, the details thereof?

माननीय उप मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): श्रीमान जी, गुरुग्राम-सोहना राष्ट्रीय राजमार्ग (NH-248A) पर घमरोज गाँव के पास स्थित टोल प्लाजा NHAI के अधिकार क्षेत्र में है और शुल्क की दरें राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों और संग्रह का निर्धारण) नियमों के अनुसार हैं। टोल प्लाजा के 20 किलोमीटर के भीतर रहने वाले और गैर-व्यावसायिक उद्देश्य के लिए वाहन का उपयोग करने वाले व्यक्तियों के लिए मासिक पास के प्रावधान के माध्यम से स्थानीय निवासियों को उपरोक्त नियमों के अनुसार छूट दी गई है।

Number of incidents of Stubble/ Farm Fires

61. Shri Rakesh Daultabad: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the day-wise number of incidents of stubble/farm fires recorded by the Government across the State over the last 3 months;

(b) the measures taken by the Government to reduce the incidents of stubble/farm fires across the State;

(c) the number of zero tillage machines available with the Government in State; and

(d) the measures being adopted by the Government to promote the usage of zero tillage machines in State?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : (क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर), भारत सरकार द्वारा एक निश्चित अवधि यानी 15 सितंबर से 30 नवंबर तक पराली में आग लगने की घटनाओं की प्रतिदिन की रिपोर्ट दी जाती है। तदानुसार, राज्य भर में पिछले 3 वर्षों के दौरान पराली में आग लगने की प्रतिदिन की घटनाओं की संख्या अनुलग्नक-1 पर संलग्न है।

(ख) राज्य भर में पराली/खेतों में आग लगने की घटनाओं को कम करने के लिए सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किए गए, जिनका विवरण निम्नानुसार है:

i) पिछले वर्ष के दौरान रिपोर्ट की गई जलने की घटनाओं के आधार पर हॉटस्पॉट गांवों की पहचान की गई एवं इनका वर्गीकरण क्रमशः रेड (6 से अधिक जलने की घटनाएं) और येलो (2-5 जलने की घटनाएं) जोन में किया गया । इसके अनुसार, इन हॉटस्पॉट गांवों में पराली जलाने की घटनाओं को कम करने के लिए सभी संसाधनों को इन गांवों में केन्द्रित कर दिया गया, इसके अलावा इन गांवों में नोडल अधिकारियों को तैनात किया गया ताकि लोगों को पराली न जलाने के लिए प्रेरित किया जा सके।

ii) किसानों को फसल अवशेषों के प्रबंधन के लिए मशीन खरीदने पर 50% से 80% की दर से अनुदान दिया जा रहा है। वर्ष 2018-19 से अब तक 79477 फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों की खरीद के लिए किसानों को 666 करोड़ रुपये की अनुदान राशि प्रदान की जा चुकी है ।

iii) किसानों को फसल अवशेषों के इन-सीटू/एक्स-सीटू प्रबंधन करने के लिए 1000/- रुपये प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान क्रमशः 9 करोड़ रुपये और 25 करोड़ रुपये की राशि का वितरण किया गया। चालू वर्ष के दौरान, 92442 किसानों ने 8.43 लाख एकड़ क्षेत्र में धान फसल अवशेष प्रबंधन के लिए पंजीकरण किया है । जिसके लिए 84.3 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है ।

iv) आईओसीएल के 2जी इथेनॉल संयंत्र के लिए धान फसल अवशेष की आपूर्ति हेतू वर्तमान में 500/- रुपये मीट्रिक टन की दर से दी जा रही सहायता के अतिरिक्त 500/- रुपये मीट्रिक टन की सहायता का प्रावधान किया गया है । इस प्रकार आईओसीएल के 2जी इथेनॉल संयंत्र के लिए चयनित क्लस्टरों के लिए कुल 1000/- रुपये मीट्रिक टन की सहायता का प्रावधान किया गया है। ताकि प्लांट के लिए लगभग 2 लाख मीट्रिक टन धान की फसल के अवशेषों की आपूर्ति की जा सकें ।

v) औद्योगिक इकाइयों को फसल अवशेषों की निर्बाध आपूर्ति एवं किसानों को वित्तीय लाभ सुनिश्चित करने के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा के परामर्श से विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के आसपास बायोमास उत्पन्न करने वाले गांवों का कलस्टर बनाया जा रहा है।

vi) धान फसल अवशेषों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और निकटवर्ती क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देशों के अनुसार एक एक्स-सीटू नीति

तैयार की गई है और इसे जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा। नीति में उद्योगों को विभिन्न प्रकार के लाभ प्रदान करते हुए धान फसल अवशेषों की निर्बाध और पर्याप्त आपूर्ति की परिकल्पना की गई है।

vii) संबंधित पंचायतों द्वारा धान फसल अवशेषों के भण्डारण हेतू पंचायत भूमि उपलब्ध करायी जाती है।

viii) फसल अवशेषों को जलाने के दुष्प्रभावों और उनके वैकल्पिक समाधानों की जागरूकता हेतू गांव/ब्लॉक/उपमंडल/जिला स्तरीय जागरूकता शिविरों, प्रिंट/सोशल मीडिया, किसान प्रशिक्षण, स्कूल/कॉलेज स्तर की गतिविधियों/रैलियों और महिलाओं और धार्मिक स्थलों यानी गुरुद्वारा, मंदिर, सत्संग भवन आदि को शामिल किया गया ।

ix) हरियाणा कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान (हमेटी), जींद द्वारा किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी के संचालन, रखरखाव बारे प्रशिक्षण दिया गया और इसके अलावा फसल अवशेष जलाने के दुष्प्रभावों के बारे में भी जागरूक किया गया।

x) फसल अवशेषों के उपयोग एवं पराली न जलाने के लिए जिला स्तर पर उपायुक्त एवं उपमंडल स्तर पर उपमंडल अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया ।

xi) फसल अवशेषों को जलाने की रोकथाम और निगरानी के लिए राज्य स्तर और जिला स्तर पर नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए हैं।

xii) पराली जलाने की घटनाओं की रिपोर्टिंग के लिए हरियाणा अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र (एचएआरएसएसी) की सेवाएं ली गई ताकि पराली जलाने वालों के खिलाफ कार्यवाई की जा सके ।

xiii) पराली जलाने में शामिल किसानों के खिलाफ कार्यवाई के लिए उड़नदस्ते गठित किए गए । मौजूदा सीजन के दौरान 61.90 लाख रुपये का जुर्माना लगाते हुए कुल 2641 चालान काटे गए।

xiv) लंबरदार को फसल अवशेषों के उपयोग और फसल अवशेषों को न जलाने के लिए किसानों को लामबंद करने के लिए हेतु नियुक्त किया गया ।

राज्य द्वारा किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप, इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में फसल अवशेष जलाने की घटनाओं में 48% की कमी हासिल की गई है, जो पिछले वर्षों में किसी भी वर्ष में सबसे महत्वपूर्ण कमी है। विवरण निम्नानुसार दिया गया है:

2021	2022	% कमी
6987	3661	48%

(ग)"पंजाब, हरियाणा, यू पी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के राज्यों में फसल अवशेषों के इन-सीटू प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने" की योजना के तहत इस योजना की शुरुआत यानी 2018-19 से अब तक सब्सिडी पर किसानों को कुल 15671 जीरो टिल मशीनें उपलब्ध कराई गईं ।

(घ) जीरो टिलेज मशीनों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किये जा रहे प्रयासों का विवरण नीचे दिया गया है:-

- जीरो टिलेज मशीन की खरीद पर किसानों को सब्सिडी दी जा रही है।
- धान की फसल के अवशेषों के प्रबंधन में जीरो टिलेज मशीनों के उपयोग के लिए प्रति एकड़ 1000/- प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है।
- जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल के उपयोग एवं इसके लाभ के लिए किसानों में जागरूकता पैदा करना।

अनुलग्नक-1

आईसीएआर द्वारा रिपोर्ट की गई धान अवशेष जलाने की घटनाओं की तिथिवार संख्या (15 सितंबर से 30 नवंबर)							
हरियाणा							
तिथि	**2020**	**2021**	**2022**	**तिथि**	**2020**	**2021**	**2022**
15-सितंबर	2	0	0	24-अक्टूबर	57	38	250
16-सितंबर	1	0	0	25-अक्टूबर	155	71	12
17-सितम्बर	3	0	0	26-अक्टूबर	77	175	123
18-सितंबर	0	0	1	27-अक्टूबर	96	93	83
19-सितंबर	2	0	0	28 अक्टूबर	139	149	123
20 सितंबर	6	0	0	29 अक्टूबर	52	161	112
21-सितंबर	2	0	0	30 अक्टूबर	100	148	112
22-सितंबर	1	0	0	31 अक्टूबर	108	353	70
23-सितंबर	0	0	0	01-नवंबर	151	124	88
24-सितंबर	0	0	0	02-नवंबर	111	203	166
25 सितंबर	11	0	0	03-नवंबर	93	197	128
26-सितंबर	5	0	0	04-नवंबर	72	228	63
27-सितंबर	8	0	0	05-नवंबर	66	331	90
28-सितंबर	6	1	0	06-नवंबर	151	219	46
29-सितंबर	9	4	0	07-नवंबर	150	182	37

30-सितंबर	22	2	0	08-नवंबर	115	138	11
01-अक्टूबर	15	4	1	09-नवंबर	21	217	69
02-अक्टूबर	30	2	7	10-नवंबर	80	184	35
03-अक्टूबर	8	6	8	11-नवंबर	93	126	152
04-अक्टूबर	29	2	7	12-नवंबर	83	127	99
05-अक्टूबर	17	3	24	13-नवंबर	105	210	132
06-अक्टूबर	30	0	26	14-नवंबर	35	195	17
07-अक्टूबर	32	11	6	15-नवंबर	31	129	21
08-अक्टूबर	29	27	0	16-नवंबर	0	269	84
09 अक्टूबर	20	39	1	17-नवंबर	9	101	39
10 अक्टूबर	33	95	2	18-नवंबर	60	111	108
11-अक्टूबर	90	51	0	19-नवंबर	37	132	79
12-अक्टूबर	69	51	4	20-नवंबर	77	127	32
13-अक्टूबर	47	91	15	21-नवंबर	65	178	11
14-अक्टूबर	69	98	30	22-नवंबर	15	91	20
15 अक्टूबर	106	363	36	23-नवंबर	52	59	27
16-अक्टूबर	80	176	76	24-नवंबर	20	37	32
17-अक्टूबर	143	0	86	25-नवंबर	1	41	28
18-अक्टूबर	166	1	134	26-नवंबर	0	48	12
19 अक्टूबर	72	55	122	27-नवंबर	26	28	8
20-अक्टूबर	62	155	78	28-नवंबर	57	9	13
21-अक्टूबर	101	131	107	29-नवंबर	65	14	5
22-अक्टूबर	128	140	122	30-नवंबर	17	18	14
23-अक्टूबर	106	218	217	**कुल**	**4202**	**6987**	**3661**

Number of Anti-smog Machines

62. Shri Rakesh Daultabad: Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state-

(a) the number of anti-smog machines available in the Municipal Corporation of Gurugram;

(b) the budget allocated by the Government for the usage of the abovesaid machines; and

(c) the net expenditure incurred by the Municipal Corporation of Gurugram on anti-smog machines during the financial year 2021-22?

स्थानीय शहरी निकाय एवं आवासीय मंत्री (डा० कमल गुप्ता): (क) नगर निगम, गुरुग्राम में 03 एंटी स्मॉग मशीनें उपलब्ध हैं।

(ख) उपरोक्त वर्णित मशीनें के उपयोग के लिए नगर निगम, गुरुग्राम द्वारा रू० 16,49,700/– का बजट आबंटित किया गया है।

(ग) वित्तीय वर्ष 2021–22 के दौरान एंटी स्मॉग मशीन लगाने व उनके परिचालन एंव संचालन पर रू0 14,08,000/– की राशि खर्च की गई है।

————————

To Control Pollution

63. Shri Rakesh Daultabad: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that Gurugram is one of the top polluted areas of State;

(b) if so, the details thereof together with the action taken by the Government to control pollution in Gurugram;

(c) the details of the funds disbursed by the Government for improving real-time air quality monitoring initiatives in State;

(d) whether there is any proposal under consideration of the Government to establish more AQI monitoring centers in all the cities of the State; if so, the details thereof and if not, the reasons therefore; and

(e) the details of measures taken by the Government to strengthen the network of monitoring system in Gurugram?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): (क) और (ख) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (के0प्र0नि0बो0) ने व्यापक पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक (सीईपीआई) के आधार पर गुरुग्राम को हरियाणा राज्य में गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों में से एक के रूप में चिन्हित किया है। प्रदूषण को कम करने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण अनुलग्नक –1 में संलग्न है।

(ग) हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (ह0रा0प्र0नि0बो0) ने राज्य में 29 सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्रों (सी0ए0ए0क्यू0एम0एस0) की स्थापना, संचालन और रखरखाव पर अब तक लगभग 32.5 करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

(घ) और (ङ) उपरोक्त 29 सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्रों के अलावा, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राज्य में 22 मैनुअल वायु गुणवत्ता निगरानी

केन्द्र भी स्थापित किए हैं। राज्य सरकार ने हरियाणा राज्य में अतिरिक्त 100 वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है, जिनमें से 22 केन्द्र पहले चरण में गुरुग्राम सहित स्थापित किए जाएंगे।

अनुलग्नक –1

गुरुग्राम में प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और निगरानी के लिए जिला प्रशासन, गुरुग्राम नगर निगम, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (ह0रा0प्र0नि0बो0)और अन्य संबंधित एजेंसियों/विभागों के माध्यम से सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैंः–

i) गुरुग्राम में प्रदूषण के नियंत्रण और रोकथाम के लिए जिला पर्यावरण कार्य योजना तैयार की गई है और इसे जिला प्रशासन और हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सभी संबंधित हितधारकों के परामर्श से कार्यान्वित किया जा रहा है।

ii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग(सीएक्यूएम)/केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्डद्वारा जारी दिशा–निर्देशों को ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (जीआरएपी) के तहत में विशेष रूप से निष्ठा से लागू किया जा रहा है।

iii) अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले विभिन्न उद्योगों/परियोजनाओं, संयुक्त बहिःस्राव उपचार संयत्र (सीईटीपी), मलजल उपचार संयत्र (एसटीपी), सामान्य खतरनाक अपशिष्ट और जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार और निपटान सुविधाओं को वायु उत्सर्जन और बहिःस्राव के लिए ऑनलाइन निगरानी उपकरणों की स्थापना के लिए दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं और अनुपालन की स्व–निगरानी के लिए वास्तविक समय पर डेटा प्रदर्शित करने के लिए उन्हें हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सर्वर से जोड़ने के निर्देश जारी किए गए हैं, और गुरुग्राम जिले में 228 इकाइयों ने इसे लगा लिया है।

iv) जिले में स्थापित 04 सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्रों (सीएक्यूएम)के माध्यम से वास्तविक समय के आधार पर गुरुग्राम की परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी की जा रही है।

v) माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा परिभाषित निरीक्षणों की आवृत्ति के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की स्थापना और संचालन और पर्यावरण प्रदूषकों के निर्वहन के लिए निर्धारित मानकों के अनुपालन की जांच के लिए हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विभिन्न श्रेणियों के उद्योगों के लिए वायु और जल प्रदूषणकारी उद्योगों का नियमित निरीक्षण कर रहा है।नियमित अनिवार्य निरीक्षणों के अलावा, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जहां भी प्रदूषण के खिलाफ उचित निर्दिष्ट चैनलों के माध्यम से शिकायतें प्राप्त करता है, और जहां भी निरीक्षण के संचालन के लिए न्यायालय/न्यायाधिकरण के निर्देश प्राप्त होते हैं, विशेष निरीक्षण भी कर रहा है।

vi) वायु प्रदूषण को कम करने के प्रयास में, गुरुग्राम सहित राज्य के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जिलों में 10 वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहनों के पंजीकरण पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

vii) गुरुग्राम जिले सहित राज्य में बहने वाली नदियों और नालों के पानी की गुणवत्ता की नियमित निगरानी हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की जा रही है।

viii) निर्माण और विध्वंस गतिविधियों से धूल उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए स्वयं निगरानी व्यवस्था के तहत धूल पैदा करने वाली परियोजनाओं द्वारा धूल नियंत्रण ऑडिट की स्वघोषणा का एक पोर्टल विकसित किया है।

ix) खुले क्षेत्रों में कृषि फसल अवशेषों और कचरे को जलाने से रोकने के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं।

x) गुरूग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (जीएमडीए) ने गुरुग्राम में 07 स्थानों पर निगरानी और प्रदर्शन स्क्रीन स्थापित की हैं और शहर में हरित आवरण को बढ़ाने के लिए 07 लाख झाड़ियों और पेड़ प्रजातियों को लगाया है।

xi) प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पर्यावरण के मुद्दों पर जागरूकता पैदा की जा रही है ताकि लोगों की भागीदारी को संवेदनशील बनाया जा सके।

xii) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गुरुग्राम जिले सहित पूरे हरियाणा राज्य में ईंधन के रूप में फर्नेस ऑयल के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसी तरह चूना–भट्टों और सीमेंट प्लांट को छोड़कर सभी उद्योगों में पेट कोक के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी गई है. राज्य के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जिलों में उद्योगों के लिए स्वीकृत ईंधन सूची जारी कर दी गई है।

xiii) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गुरुग्राम सहित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, हरियाणा के जिलों के लिए 24X7 वायु प्रदूषण संबंधी शिकायतों के निवारण के लिए बल्लभगढ़ में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है।

————————

Number of Corruption Cases

64. Shri Chaudhary Abhay Singh Chautala: Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state the total number of registered/under investigation cases related to corruption in respect of municipal bodies of State during the period from October, 2014

tillto date together with the year wise, Municipal Corporation/Council/ Committee-wise details thereof?

शहरी स्थानीय निकाय एवं आवासीय **मंत्री (डॉ कमल गुप्ता):** श्रीमान जी, अक्टूबर, 2014 से 30.11.2022 की अवधि के दौरान राज्य की पालिकाओं (नगर निगमों, नगर परिषद्ksa एवं नगर पालिकाओं) के सम्बन्ध में भ्रष्टाचार से संबंधित पंजीकृत/जांच के तहत मामलों की कुल संख्या की जानकारी **अनुबन्ध 'ए'** में महानिदेशक, राज्य सतर्कता ब्यूरो, हरियाणा एवं पालिकाओं द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर संलग्न है।

ANNEXURE 'A'

Consolidated report regarding details of registered/under investigation cases related to corruption in respect of the Municipal Bodies (Municipal Corporations/Municipal Councils/Municipal Committees) in the State of Haryana during the period October, 2014 to 30.11.2022 (Year-wise and Municipalities-wise) on the basis of report received from State Vigilance Bureau and Municipalities.

Sr. No.	Year of registration	Case Sr. No.	Name of Municipality	Case FIR No., date & Police Station	Against (S/Shri/Smt.)	Status as per SVB	Status/Action taken by Urban Local Bodies Department
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	2014	1	Municipal Corporation, Faridabad	32 dated 24.12.2014, u/s 7, 13 PC Act, PS, SVB, Gurugram.	1. Neter Pal, Driver, Municipal Corporation, Faridabad, Ballabhgarh Zone, Enforcement Wing. 2. Gaffar, Beldar, Municipal Corporation, Faridabad, Ballabhgarh Zone, Enforcement Wing.	Accused have been acquitted by the Hon'ble Court of ASJ, Faridabad on 22.01.2018.	Charge-sheets issued against delinquent officials have been dropped and their suspension period was treated as duty period from 24.12.2014 to 06.04.2015.
2.		2	Municipal Council, Bhiwani	29 dated 18.11.2014, u/s 7, 13 PC Act, PS, SVB, Hisar.	Sanjeev Kumar Arora, Building Inspector, Municipal Committee, Bhiwani.	Accused has been convicted by the Hon'ble Court of ASJ, Bhiwani on 17.12.2015	Accused has been convicted by Hon'ble court of ASJ and was terminated from service.

Sr. No.	Year of registration	Case Sr. No.	Name of Municipality	Case FIR No., date & Police Station	Against (S/Shri/Smt.)	Status as per SVB	Status/Action taken by Urban Local Bodies Department
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**
3.		**3**	Municipal Council, Bahadurgarh	41 dated 19.12.2014, u/s 7, 13 PC Act, PS, SVB, Rohtak.	Mintu, JE, Municipal Committee, Bahadurgarh, District Jhajjar.	Accused has been convicted by the Hon'ble Court of SJ, Jhajjar on 20.10.2015.	Shri Mintu, JE has been dismissed from services vide Directorate, ULB order No. DULB/ESTT/2E/42118 dated 24.04.2017.
4.	**2015**	**1**	Municipal Corporation, Ambala	160 dated 02.06.2015	1. Shri Sandeep Raj, ME 2. Shri Mohinder Pal, JE	Convicted by District Court.	Convicted by Hon'ble Court on 17.03.2020 and services of both the employees were terminated.
5.		**2**	Municipal Corporation, Karnal	36 dated 04.06.2015, u/s 7, 13 PC Act, PS, SVB, Rohtak.	1. Hari Parkash, Clerk, Municipal Corporation, Karnal. 2. Raj Kumar, Driver, Municipal Corporation, Karnal.	Both accused have been convicted by the Hon'ble Court of ASJ, Karnal on 30.01.2016.	1. Shri Hari Parkash, Clerk has been sentenced to undergo rigorous imprisonment for four years and dismissed from the services by Municipal Corporation, Panipat vide order dated 15.03.2016. 2. Shri Raj Kumar, Tractor Driver was acquitted from the charges framed against him (now reported deceased).
6.		**3**	Municipal Corporation, Gurugram	32 dated 23.07.2015, u/s	Dilbag, JE, Municipal Corporation, Gurugram	Challan of the case has been submitted in the Hon'ble Court on 23.06.2022 and now	Shri Dilbag Singh, JE was on deputation from HSAMB in Municipal Corporation, Gurugram (MCG). NOC has been granted by MCG to HSAMB for issuance of

Sr. No.	Year of registration	Case Sr. No.	Name of Municipality	Case FIR No., date & Police Station	Against (S/Shri/Smt.)	Status as per SVB	Status/Action taken by Urban Local Bodies Department
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**
				7, 13 PC Act, PS, SVB, Gurugram.		adjourned to 16.01.2023 in the Hon'ble Court of ASJ, Gurugram.	prosecution sanction against Shri Dilbag Singh, JE vide their letter dated 22.08.2022.
7.		**4**	Municipal Corporation, Gurugram	55 dated 24.12.2015, u/s 7, 13 PC Act, PS, SVB, Gurugram.	Rinku Sharma, Clerk (Outsourcing basis) Municipal Corporation, Gurugram (MCG).	Accused has been convicted by the Hon'ble Court of ASJ, Gurugram on 14.04.2021.	Imprisonment for 6 years and a fine of Rs. 20,000/- on 20.07.2021 sentenced by Hon'ble Court. The services of Shri Rinku Sharma (Outsourced) had been dispensed with by MCG.
8.		**5**	Municipal Council, Sirsa	461, dated 18.06.2015	1. Suresh Kumar, President 2. B.N. Bharti, EO 3. Suber Singh, ME 4. Arun Kumar, JE		(i) Three cases are pending in this FIR in the Hon'ble Court. 1. Under trial in the Hon'ble Court next date of hearing 01.03.2023. 2. Under trial in the Hon'ble Court next date of hearing 09.01.2023. 3. Under trial in the Hon'ble Court next date of hearing 09.01.2023. (ii) Shri B.N. Bharti, EO has been retired from the services.

Sr. No.	Year of registration	Case Sr. No.	Name of Municipality	Case FIR No., date & Police Station	Against (S/Shri/Smt.)	Status as per SVB	Status/Action taken by Urban Local Bodies Department
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**
9.		**6**	Municipal Council, Sirsa	29 dated 29.07.2015 u/s 420, 467, 468, 471, 120 B, IPC PS, SVB, Hisar.	1. Neki Ram, EO, Municipal Council, Sirsa. 2. Phool Singh, M.E. Municipal Council, Sirsa. 3. Manish Kumar, J.E., Municipal Council, Sirsa. 4. Ashok Kumar, J.E., Municipal Council, Sirsa. 5. Jagdish Rai, J.E., Municipal Council, Sirsa. 6. Ramesh Chander, M.E. Municipal Council, Sirsa.	Challan of the case has been submitted in the Hon'ble Court on 23.01.2017 and now adjourned to 22.12.2022 in the Court of JMIC, Sirsa.	The draft of charge-sheets against EO, MEs have been sent to AD vide Directorate letter No. DULB/ESTT/2E/ 2019/923 dated 07.01.2020. I. The draft of charge-sheet against Shri Manish, JE (Panchyant Deptt.) has been sent to Panchayat Deptt. Vide Directorate letter No. DULB/ ESTT/2E/2019/924 dated 07.01.2020. II. The draft of charge-sheet against Shri Jagdish Rai, JE (HSAMB) has been sent to HSAMB vide Directorate letter No. DULB/ESTT/2E/2019/922 dated 07.01.2020.
10.	**2016**	**1**	Municipal Corporation, Faridabad	04 dated 02.02.2016, u/s 7, 13 PC Act, PS, SVB, Gurugram.	Krishan Kumar, Safai Daroga, Nagar Nigam, Faridabad.	Accused has been acquitted by the Hon'ble Court of ASJ, Faridabad on 03.04.2018.	The official was reinstated and suspension period has been treated as Leave of Kind Due for the purpose of retiral benefits.
11.		**2**	Municipal Corporation, Faridabad	08 dated 14.03.2016, u/s 7, 13 PC Act, PS, SVB, Gurugram.	Ravinder Kumar, Clerk, M.C., Faridabad.	Accused has been acquitted by the Hon'ble Court of ASJ, Faridabad on 14.05.2018.	The official was reinstated and suspension period has been treated as duty period.

Sr. No.	Year of registration	Case Sr. No.	Name of Municipality	Case FIR No., date & Police Station	Against (S/Shri/Smt.)	Status as per SVB	Status/Action taken by Urban Local Bodies Department
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**
12.		**3**	Municipal Corporation, Panipat	11 dated 17.03.2016, u/s 7, 13 PC Act, PS, SVB, Rohtak.	Vasim Khan, Computer Clerk (on DC rate), M.C., Panipat.	Accused has been convicted by the Hon'ble Court of ASJ, Panipat on 27.04.2018.	Accused was sentenced for three years imprisonment and Rs. 5,000 fine. The services of Shri Vasim Khan, Computer Clerk (Outsourced) had been dispensed with by MC, Panipat.
13.		**4**	Municipal Corporation, Gurugram	20 dated 21.09.2016, u/s 7, 13 PC Act, PS, SVB, Gurugram.	Shashi Bhan, PA to DTPO, MC, Gurugram.	Accused has been convicted by the Hon'ble Court of ASJ, Gurugram on 18.10.2019.	Imprisonment for 4 years and a fine of Rs. 25,000 imposed. Shri Shashi Bhan was on deputation with MC, Gurugram from Agriculture Department. He was repatriated to his parent department immediately on registration of case by the SVB.
14.		**5**	Municipal Council, Fatehabad	37 dated 09.08.2016, u/s 7, 13 PC Act, PS, SVB, Hisar.	Ishwar Dutt, Safai Daroga, Municipal Committee, Fatehabad.	Accused has been acquitted by the Hon'ble Court of SJ, Fatehabad on 21.02.2022.	Accused has been acquitted by the Hon'ble Court of SJ, Fatehabad on 21.02.2022 and has been re-instated.

Sr. No.	Year of registration	Case Sr. No.	Name of Municipality	Case FIR No., date & Police Station	Against (S/Shri/Smt.)	Status as per SVB	Status/Action taken by Urban Local Bodies Department
A	B	C	D	E	F	G	H
15.		**6**	Municipal Committee, Barwala	15 dated 09.03.2016, u/s 7, 13 PC Act, PS, SVB, Hisar.	Mani Ram, Clerk, M.C., Barwala, Distt. Hisar.	Accused has been acquitted by the Hon'ble Court of ASJ, Hisar on 15.12.2017.	Shri Mani Ram, Clerk was acquitted by the court of ASJ, Hisar on 15.12.2017. The Government did not file appeal against the said order of ASJ, Hisar but the complainant filed the case in Hon'ble High Court against the decision of ASJ, Hisar. The next date of hearing in the said case is 31.01.2023. Shri Mani Ram, Clerk has retired from the services.
16.		**7**	Municipal Committee, Kalayat	06 dated 28.06.2016, u/s 7, 13 PC Act, PS, SVB, Ambala	Sandeep Kumar, Clerk, Nagar Palika, Kalayat, Distt. Kaithal	Accused has been convicted by the Hon'ble Court of Session Judge, Kaithal on 08.02.2022.	Case finalized by Ld. ASJ, Kaithal and accused was terminated from services w.e.f. 10.02.2022.
17.		**8**	Municipal Committee, Mandi Dabwali	215 dated 20.07.2016	1. Subhash Sheoran, HCS (Retired) 2. Raja Ram ,Secretary 3. Phool Singh, ME, 4. Avinash Singhla, SI 5. Satpal, JE (Public Health Deptt.)	Under investigation	Under investigation. The report in the matter has already been provided by DMC, Sirsa to Chief Secretary, Haryana vide letter dated 04.10.2022. 1. The draft of chargesheet against Shri Satpal, JE (PHED) was sent to PHED vide this office letter dated

Sr. No.	Year of registration	Case Sr. No.	Name of Municipality	Case FIR No., date & Police Station	Against (S/Shri/Smt.)	Status as per SVB	Status/Action taken by Urban Local Bodies Department
A	B	C	D	E	F	G	H
							02.08.2019 and accordingly, the chargesheet has also been issued against the said official vide PHED office leter dated 25.05.2022. 2. Chargesheet against Shri Raja Ram Secretary has been dropped by A.D. vide their order No. 06/3/2021-5C1 dated 16.11.2020. 3. Shri Phool Singh, ME, has now deceased. 4. Shri Avinash Singla, SI has been charge-sheeted.
18.		**9**	Municipal Committee, Sohna	569, dated 04.10.2016	1. Manoj Kumar, Clerk 2. Bijender kumar, Clerk 3. Thandi Ram, Accountant, Re-employment.	Under investigation	(i) Shri Manoj Kumar, Clerk and Shri Bijender Kumar, Clerk are under suspension. (ii) The services of Shri Thandi Ram, Accountant have been dispensed with.
19.	**2017**	**1**	Municipal Corporation, Faridabad	14 dated 23.06.2017, u/s 7, 13 PC Act, PS, SVB, Gurugram.	1. Ashok Kumar Saxena, Inspector House Tax, Municipal Corporation, Faridabad.	Both accused have been acquitted by the Hon'ble Court of ASJ,	Both accused were suspended but were re-instated into service and their suspension period was treated as duty period.

Sr. No.	Year of registration	Case Sr. No.	Name of Municipality	Case FIR No., date & Police Station	Against (S/Shri/Smt.)	Status as per SVB	Status/Action taken by Urban Local Bodies Department
A	B	C	D	E	F	G	H
					2. Udey Ram, Inspector House Tax, Municipal Corporation, Faridabad.	Faridabad on 21.10.2020.	
20.		2	Municipal Corporation, Gurugram	10, dated 07.04.2017	Ajay Kumar, Patwari (DC rate).	Convicted by Hon'ble Court	The services of Shri Ajay Kumar, Patwari (DC rate) have been dispensed with.
21.		3	Municipal Corporation, Ambala	359 dated 03.08.2017	Jivan Ram, Safai Karamchari (Retd.).	Acquitted by Hon'ble Court.	Acquitted by Hon'ble Court.
22.		4	Municipal Corporation, Ambala	08 dated 21.08.2017, u/s 7, 13 PC Act, PS, SVB, Ambala	Sushil Kumar, Clerk, Municipal Committee, Ambala City.	Accused has been acquitted by the Hon'ble Court of ADSJ, Ambala on 06.01.2022.	Accused has been acquitted by the Hon'ble Court of ADSJ, Ambala on 06.01.2022 and has been re-instated.
23.		5	Municipal Council, Bhiwani	02 dated 20.02.2017 u/s 7 PC Act, PS, SVB, Hisar.	Ashok Kamra, Councillor, Municipal Council, Bhiwani.	Under Investigation	He was not Municipal Councillor at the time of lodging of FIR by SVB, Hisar due to expiry of tenure of elected body on 05.01.2016. However, presently the case is under investigation at the level of SVB.
24.		6	Municipal Council, Fatehabad	21 dated 20.09.2017 u/s 7	Manjeet Kaur, Clerk, Municipal Committee, Ratia, District Fatehabad.	Under Investigation	Charge-sheet was issued by DC, Fatehabad against Smt. Manjeet Kaur, Clerk under rule 7 of HCS (P&A) Rules, 2016 on 30.11.2017. SDM, Ratia was

Sr. No.	Year of registration	Case Sr. No.	Name of Municipality	Case FIR No., date & Police Station	Against (S/Shri/Smt.)	Status as per SVB	Status/Action taken by Urban Local Bodies Department
A	B	C	D	E	F	G	H
				PC Act, PS, SVB, Hisar.			appointed as Inquiry Officer for submitting the report on the charge-sheet issued on 30.11.2017 Further, Smt. Manjit Kaur, Clerk has filed a case in Hon'ble High Court for quashing the charge-sheet. The next date of hearing is **07.02.2023.**
25.		**7**	Municipal Committee, Uchana	48, dated 09.03.2017	1. Nijesh, the then ME (now EE) 2. Rajesh Dalal, JE 3. Dharampal, JE 4. Raj Kumar, Peon	Under Investigation	Prosecution sanction had been granted aginast S/Shri Nijesh, the then ME and Rajesh Dalal & Dharampal, JEs. Shri Dharampal, JE has retired from service. Further, Shri Rajesh Dalal, JE has been charge-sheeted and Shri Raj Kumar, Peon is under suspension. The matter is under trial in Hon'ble Court and next date of hearing is **22.02.2023**.

Sr. No.	Year of registration	Case Sr. No.	Name of Municipality	Case FIR No., date & Police Station	Against (S/Shri/Smt.)	Status as per SVB	Status/Action taken by Urban Local Bodies Department
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**
26.		**8**	Municipal Committee, Mahendragarh	13 dated 16.06.2017, u/s 7, 13 PC Act, PS, SVB, Gurugram.	1. Bijender Singh, Peon, Municipal Committee, Mahendergarh 2. Bhim Singh, Building Inspector, Municipal Committee, Mahendergarh.	Both Accused has been convicted by the Hon'ble Court of ASJ, Narnaul on 26.07.2021.	(i) The matter of Shri Bijender Singh, Peon is under process. (ii) The services of Shri Bhim Singh were terminated.
27.	**2018**	**1**	Municipal Corporation, Ambala.	09 dated 06.08.2018, u/s 13(1)d PC Act & 218, 120-B IPC, PS, SVB, Ambala	1. D.K. Mangla, ME, Municipal Corporation, Ambala. 2. Surender Verma, Building Inspector, Municipal Corporation, Ambala. 3. Darshan Lal, Building Inspector, Municipal Corporation, Ambala.	Under investigation	The matter against all the officials is under consideration in the department and Court Case is also pending in Hon'ble Court. Further, Shri DK Mangla, ME and Shri Surender Verma, BI have retired from the services. Ld. Court has granted bail to Shri Darshan Lal, BI and he is presently working as ME in MC, Kalka.
28.		**2**	Municipal Corporation, Yamunanagar	05 dated 25.09.2018 u/s 7, 13 PC Act, PS, SVB, Panchkula.	Bharat Joon, J.E., Municipal Corporation, Yamunanagar.	Accused has been convicted by the Hon'ble Court of ASJ, Yamunanagar on 29.09.2022.	Shri Bharat Joon, JE has been dismissed from services vide this department order dated 19.12.2022.

Sr. No.	Year of registration	Case Sr. No.	Name of Municipality	Case FIR No., date & Police Station	Against (S/Shri/Smt.)	Status as per SVB	Status/Action taken by Urban Local Bodies Department
A	B	C	D	E	F	G	H
29.		3	Municipal Council, Ambala Cantt.	06 dated 01.08.2018, u/s 13(1)d PC Act & 420, 467, 468, 471, 120-B IPC, PS, SVB, Ambala	1. Krishan Kumar Yadav, Secretary, MC, Ambala Cantt. 2. Vikram Katyal, Clerk (outsourced). 3. Gaurav, Clerk (outsourced). 4. Amarjeet, Clerk (outsourced). 5. Mohan Lal, Clerk	Under investigation	Under investigation by the State Vigilance Bureau. Shri Krishan Kumar Yadav, now EO, has been suspended vide Administrative Deptt Order dated 12.10.2022 and presently is under suspension. The services of Shri Vikram Katyal, Clerk, Gaurav, Clerk (outsourced) and Amarjeet, Clerk have been dispensed with. Charge-sheet was issued against Shri Mohan Lal, Clerk and Ld. Court has granted bail to Shri Mohan Lal, Clerk. He has now retired from services.
30.		4	Municipal Committee, Hathin	07 dated 26.06.2018 u/s 409, 120-B IPC & 13(1)d, 13(1)c 13(2) PC Act, PS, SVB, Faridabad.	1. Lakhmi Chand Raghav, the then ME, Municipal Corporation, Hathin. 2. Rakesh Kumar, the then JE, Municipal Corporation, Hathin 3. Balram Mangla, Secretary, Municipal Corporation, Hathin	Under investigation	Under investigation by the State Vigilance Bureau. Shri Balram Mangla, Secretary (Sr. No. 3 of column No. (F)) has now deceased.

Sr. No.	Year of registration	Case Sr. No.	Name of Municipality	Case FIR No., date & Police Station	Against (S/Shri/Smt.)	Status as per SVB	Status/Action taken by Urban Local Bodies Department
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**
					4. Saroj Devi, President, Municipal Corporation, Hathin.		
31.	**2019**	**1**	Municipal Corporation, Gurugram	03 dated 16.01.2019, u/s 7, 13 PC Act, PS, SVB, Gurugram.	Tanmay Gupta, Computer Operator, Citizen Facilitation Centre, MC, Gurugram.	Accused has been convicted by the Hon'ble Court of ASJ, Gurugram on 15.12.2021.	Imprisonment of 4 years and fine of Rs. 25000 sentenced by Ld. Court. The services of Tanmay Gupta, Computer Operator (Outsourced) were dispensed with by MC, Gurugram.
32.		**2**	Municipal Corporation, Hisar	02 dated 22.01.2019 u/s 7 PC Act, PS, SVB, Hisar.	Kuldeep Singh, Computer Operator, Municipal Corporation, Hisar.	Challan of the case has been submitted in the Hon'ble Court on 02.04.2021 and now adjourned to 11.01.2023 in the Hon'ble Court of SJ, Hisar.	Accused was a contractual employee in MC, Hisar and he was removed from services. The matter is pending in Hon'ble Court and the next date of hearing is **11.01.2023.**
33.		**3**	Municipal Corporation, Panipat	04 dated 05.02.2019 u/s 7, 13 PC Act, PS, SVB, Karnal.	Kapil, Clerk, O/o Municipal Corporation, Panipat.	Challan of the case has been submitted in the Hon'ble Court on 05.04.2019 and now	At the time of arrest Shri Kapil was not the employee of Municipal Corporation, Panipat. He had already been removed from the service, prior to the arrest by

Sr. No.	Year of registration	Case Sr. No.	Name of Municipality	Case FIR No., date & Police Station	Against (S/Shri/Smt.)	Status as per SVB	Status/Action taken by Urban Local Bodies Department
A	B	C	D	E	F	G	H
						adjourned to 05.01.2023.	SVB. Matter is under investigation as per the report of SVB.
34.		4	Municipal Corporation, Gurugram	05, dated 28.02.2019	Shri Naveen Kumar, Tax Inspector	Convicted by Hon'ble court	Convicted by the Hon'ble Court on 20.07.2021 and the services of Shri Naveen Kumar, Tax inspector have been terminated.
35.		5	Municipal Corporation, Faridabad	03 dated 22.08.2019 u/s 120-B, 420, 467, 468, 471 IPC & 7, 13(1) PC Act, PS, SVB, Faridabad.	1. Satish Parashar, Chief Town Planner, MC, Faridabad. 2. R.P. Singla, Senior Town Planner, MC, Faridabad. 3. Jitender Singh, Project Assistant, MC, Faridabad. 4. Vinod Singh, Assistant Engineer, Survey Branch, MC, Faridabad. 5. Daya Kishan Solanki, JE, Survey Branch, MC, Faridabad. 6. Rajesh Nandan, Head Draftsman, MC, Faridabad. 7. Satish Aggarwal, XEN, MC, Faridabad.	Under Investigation	Shri Daya Kishan, JE (now Assistant Engineer) has been exonerated from charges by Government vide their letter No. 12/104/2019/5CI dated 27/04/2022 as per record received from MC, Faridabad. The matter is under investigation of the SVB in respect of remaining officials.

Sr. No.	Year of registration	Case Sr. No.	Name of Municipality	Case FIR No., date & Police Station	Against (S/Shri/Smt.)	Status as per SVB	Status/Action taken by Urban Local Bodies Department
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**
36.		**6**	Municipal Corporation, Faridabad	08 dated 09.12.2019 u/s 7 PC Act, PS, SVB, Faridabad.	Shiv Dutt, Water Meter Reader, Municipal Corporation, Faridabad.	Challan of the case has been submitted in the Hon'ble Court of ASJ, Faridabad on 16.09.2020 and now adjourned to 09.01.2023.	The official is under suspension from 11.12.2019. The case is under trial and listed in the Court for **11.01.2023.**
37.		**7**	Municipal Council, Kaithal	128, dated 25.03.2019	1. Seema Kashyap, Ex-Chairman, 2. Vikram Singh, Ex-EO, 3. Kuldeep Singh, Ex-Secretary, 4. Raj Kumar Sharma, ME, 5. Sumit Malik, Ex-ME, 6. Mukesh Sharma, Ex-ME, 7. Ramesh Verma, Ex-ME, 8. Pardeep Gupta, Ex-JE, 9. Hawa Singh, Ex-JE, 10. Mohit, Ex-JE 11. Shashank Garg, Contactor	Under investigation	The prosecution sanction has been issued by the Government against Shri Sumit Malik and Shri Hawa Singh. The matter is under Investigation at the level of department.
38.		**8**	Municipal Council, Sohna	299, dated 30.05.2019	1. Rosni Devi, Ex-President 2. Surinder Singh, JE 3. Mahender Singh, ME	Under Investigation	The matter is under investigation in the department and as well as in Hon'ble Court.

Sr. No.	Year of registration	Case Sr. No.	Name of Municipality	Case FIR No., date & Police Station	Against (S/Shri/Smt.)	Status as per SVB	Status/Action taken by Urban Local Bodies Department
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**
39.		**9**	Municipal Council, Nuh	639 dated 05.08.2019	1. Seema Singla, President, 2. Mahender Singh, Secretary, 3. Dalchand, ME, 4. Jashmer, JE 5. Raj Kumar, Clerk	………...	The matter is under investigation in the department and under trial in Hon'ble Court. The next date of hearing is **08.02.2023.** (i) Smt. Seema Singla, President is on bail. (ii) Draft Charge-sheet against Shri Jashmer, JE has been sent to his parent department i.e., Panchayats Department vide letter dated 04.10.2022. (iii) Shri Raj Kumar, Clerk is under suspension.
40.		**10**	Municipal Committee, Mahendragarh	04 dated 13.02.2019, u/s 420, 120-B IPC & 13(1)d PC Act, PS, SVB, Gurugram.	Chaman Lal, the then Municipal Engineer, Municipal Committee, Mahendergarh.	Challan of the case has been submitted in the Hon'ble Court on 03.02.2022 and now adjourned to 03.01.2023 in the Hon'ble Court of ASJ, Narnaul.	The official has already retired from service after attaining the age of 58 years. The matter is under trial and the next date of hearing is **03.01.2023.**

Sr. No.	Year of registration	Case Sr. No.	Name of Municipality	Case FIR No., date & Police Station	Against (S/Shri/Smt.)	Status as per SVB	Status/Action taken by Urban Local Bodies Department
A	B	C	D	E	F	G	H
41.	**2020**	**1**	Municipal Corporation, Faridabad	02 dated 05.02.2020 u/s 7 PC Act, PS, SVB, Faridabad.	Rajpal, Water Pump Operator, Municipal Corporation, Faridabad.	Challan of the case has been submitted in the Hon'ble Court of ASJ, Faridabad on 18.09.2020 and now adjourned to 13.03.2023.	The official is under suspension from 19.02.2020 and charge-sheet has also been issued against him.
42.		**2**	Municipal Corporation, Faridabad	03 dated 19.05.2020 u/s 7 PC Act, PS, SVB, Faridabad.	Tek Chand, JE (under Outsourcing) Municipal Corporation, Sector 7, Faridabad	Challan of the case has been submitted in the Hon'ble Court of ASJ, Faridabad on 01.09.2021 and now adjourned to 24.02.2023.	The services of Shri Tek Chand, JE (Contractual) were dispensed with by MC, Faridabad vide their letter No. MCF/E1/ 2020/2792 dated 10.07.2020.
43.		**3**	Municipal Corporation, Hisar	436 dated 09.10.2020	Vikas Sharma, Peon	Under investigation	Shri Vikas Sharma, Peon is under suspension and the matter is under investigation by SVB.

Sr. No.	Year of registration	Case Sr. No.	Name of Municipality	Case FIR No., date & Police Station	Against (S/Shri/Smt.)	Status as per SVB	Status/Action taken by Urban Local Bodies Department
A	B	C	D	E	F	G	H
44.		4	Municipal Corporation, Yamunanagar	11 dated 12.12.2020 u/s 7 PC Act, PS, SVB, Panchkula.	Anil Kumar, Chief Sanitary Inspector, Municipal, Corporation Yamunanagar.	Challan of the case has been submitted in the Hon'ble Court on 09.02.2021 and now adjourned to 25.01.2023 in the Hon'ble Court, Jagadhari.	Ld. Court has granted Bail to Shri Anil Kumar, CSI on 21.12.2021. He is now posted at DULB (HQ), PKL vide order No. DULB/ESTT/4E/23906 dated 08.06.2022 after reinstatement under pending inquiry.
45.		5	Municipal Council, Hodal	01 dated 20.01.2020 u/s 7 PC Act, PS, SVB, Faridabad.	Hitesh Kumar, Junior Engineer (Under Outsourcing), Municipal Committee, Hodal, Faridabad.	Challan of the case has been submitted in the Hon'ble Court of ASJ, Palwal on 13.10.2020 and now adjourned to 06.02.2023.	The services of Shri Hitesh Kumar, JE (Contractual) have been dispensed with by MC, Hathin vide their letter No. 686 dated 05.03.2020.
46.		6	Municipal Council, Nuh	124 dated 08.06.2020	1. Seema Singla, President, 2. Mahender Singh, Secretary 3. Maksood, Contactor	....	Under trial in Hon'ble Court.

Sr. No.	Year of registration	Case Sr. No.	Name of Municipality	Case FIR No., date & Police Station	Against (S/Shri/Smt.)	Status as per SVB	Status/Action taken by Urban Local Bodies Department
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**
47.		**7**	Municipal Council, Bhiwani	03 dated 29.07.2020 u/s 7 PC Act, PS, SVB, Hisar.	Deepak Goel, Executive Officer, Municipal Council, Bhiwani.	Challan of the case has been submitted in the Hon'ble Court on 14.10.2021 and now adjourned on 22.12.2022 in the Hon'ble Court of ASJ, Bhiwani.	Matter is under trial in the Hon'ble Session Court at Bhiwani. The next date of hearing is **12.01.2023.**
48.	**2021**	**1**	Municipal Corporation, Faridabad	04 dated 19.02.2021 u/s 7 PC Act, PS, SVB, Faridabad.	Narender Singh, Clerk (Outsource) Advertisement Branch, NIT Zone, Municipal Corporation, Faridabad.	Challan of the case has been submitted in the Hon'ble Court of ASJ, Faridabad on 02.09.2022 and no date is fixed till now.	The services of Shri Narender Singh, Clerk (Outsource) have been dispensed with by MC, Faridabad. Matter is pending in the Session Court at Faridabad.
49.		**2**	Municipal Corporation, Panipat	04 dated 31.05.2021 u/s 7 PC Act, PS, SVB, Karnal.	Sudhir, Chief Sanitary Inspector, Nagar Nigam, Panipat.	Challan of the case has been submitted in the Hon'ble Court, Panipat on 29.07.2021 and now adjourned to 31.03.2023.	The services of Shri Sudhir Kumar, CSI were engaged on the re-employment basis, after his retirement. However, he was relieved from services by the Government vide order No. 8/127/2020-2CI dated 03.06.2022.

Sr. No.	Year of registration	Case Sr. No.	Name of Municipality	Case FIR No., date & Police Station	Against (S/Shri/Smt.)	Status as per SVB	Status/Action taken by Urban Local Bodies Department
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**
50.		**3**	Municipal Corporation, Faridabad	14 dated 20.12.2021 u/s 13(1)e PC Act, PS, SVB, Faridabad.	Jeet Ram, AE, Municipal Committee, Faridabad.	Under investigation	Under investigation by the State Vigilance Bureau. He is on bail since January, 2022.
51.		**4**	Municipal Council, Jind	02 dated 10.02.2021 u/s 7 PC Act, PS, SVB, Karnal.	Suresh Kumar, Safai Karamchari (Palika Roll) O/o Municipal Council, Jind.	Challan of the case has been submitted in the Hon'ble Court, Jind on 06.04.2021 and now adjourned to 02.02.2023.	The matter is under trial with Hon'ble Court. Next date of hearing is **02.02.2023**. Presently Shri Suresh Kumar, Safai Karamchari (Palika Roll) is not attending duty.
52.		**5**	Municipal Council, Kaithal	04 dated 04.05.2021, u/s 7A PC Act, PS, SVB, Ambala	Seema Kashyap, the then Chairman, Municipal Council, Kaithal.	Under investigation	Ms. Seema Kashyap, the then President, MC, Kaithal was suspended vide DULB order No. 4AE/2021/12722 dated 07.05.2021. The tenure of elected body of MC, Kaithal has already been completed on 21.06.2021. However, the case is under investigation of SVB.

Sr. No.	Year of registration	Case Sr. No.	Name of Municipality	Case FIR No., date & Police Station	Against (S/Shri/Smt.)	Status as per SVB	Status/Action taken by Urban Local Bodies Department
A	B	C	D	E	F	G	H
53.		6	Municipal Council, Nuh	158 dated 12.07.2021	1. Seema Singla, President 2. Lalit Goyal, Secretary	Under Investigation	The matter is under Trial in Hon'ble Court. Shri Lalit Goyal, Secretary is on Bail.
54.		7	Municipal Committee, Indri	03 dated 17.03.2021 u/s 7 PC Act, PS, SVB, Karnal.	Parveen Kumar, Accountant, Nagar Palika, Indri, District Karnal.	Challan of the case has been submitted in the Hon'ble Court, Karnal on 12.05.2021 and now adjourned to 28.03.2023.	Prosecution sanction against Shri Parveen Kumar, Accountant has been issued vide this office letter No. DULB/ESTT/3E/ 12934 dated 11.05.2022 and Charge-sheet has been issued vide this office letter No. DULB/ESTT/3E/26594 dated 20.06.2022.
55.	2022	1	Municipal Corporation, Faridabad	06 dated 15.02.2022 u/s 7 PC Act, PS, SVB, Faridabad.	1. Ravi Sharma, Superintending Engineer, Municipal Corporation, Faridabad. 2. Ravi Shankar, Clerk, Municipal Corporation, Faridabad.	Under investigation	Shri Ravi Sharma, SE (Re-employed) has been relieved from the services vide Government order No. 18/155/2021-3C1 dated 17.02.2022. Further, the matter is under investigation by the State Vigilance Bureau. Shri Ravi Shankar, Clerk was placed under suspension by MC, Faridabad. Further, he has been relieved from the service on account of his selection in the other department in the recent reshuffling by the HSSC.

Sr. No.	Year of registration	Case Sr. No.	Name of Municipality	Case FIR No., date & Police Station	Against (S/Shri/Smt.)	Status as per SVB	Status/Action taken by Urban Local Bodies Department
A	B	C	D	E	F	G	H
56.		2	Municipal Corporation, Gurugram	02 dated 17.02.2022 u/s 7 PC Act, PS, SVB, Gurugram	Anshu Prashar, Surveyor for Municipal Corporation, Gurugram.	Under investigation	Shri Anshu Prashar was not the employee of MC, Gurugram. He was the employee of private agency working for MC, Gurugram. The matter is under investigation of the State Vigilance Bureau.
57.		3	Municipal Corporation, Karnal	150, dated 14.03.2022	1. Deepak Kinger, SE 2. Vikas Sharma, Clerk on contract basis.	Under investigation	Under trial in Hon'ble Court and next date of hearing is **07.01.2023.** 1. Shri Deepak Kinger, SE has retired from services while under suspension. 2. The services of Shri Vikas Sharma, Clerk (Contractual) have been dispensed with.
58.		4	Municipal Corporation, Faridabad	11 dated 24.03.2022 u/s 166, 167, 218, 120-B IPC & 13(1) r/w 13(2) PC Act, PS, SVB, Faridabad.	1. Sonal Goel, IAS, the then Commissioner, MC, Faridabad. 2. Anita Yadav, IAS, the then Commissioner, MC, Faridabad. 3. D.R. Bhaskar, Chief Engineer, MC, Faridabad.	Challan of the case has been submitted in the Hon'ble Court of District & Session Judge, Faridabad on 04.06.2022 and no date is fixed till now.	(i) Shri D.R. Bhaskar, Chief Engineer, MC, Faridabad is retired from the services on 30.09.2022 while under suspension. (ii) Shri Vishal Kaushik, Accounts Officer is under suspension since 17.10.2022 and is on bail. Charge-sheet has been issued.

Sr. No.	Year of registration	Case Sr. No.	Name of Municipality	Case FIR No., date & Police Station	Against (S/Shri/Smt.)	Status as per SVB	Status/Action taken by Urban Local Bodies Department
A	B	C	D	E	F	G	H
					4. Deepak Thapar, the then Joint Director, MC, Faridabad. 5. Manish Kumar, the then Resident Senior Auditor, MC, Faridabad. 6. Satish Kumar, the then Officer In-charge Accounts, MC, Faridabad. 7. Vishal Kaushik, the then Accounts Officer, MC, Faridabad. 8. Shashi Arya, the then Superintendent, Accounts Branch, MC, Faridabad. 9. Naveen Ratra, Clerk, Accounts Branch, MC, Faridabad. 10. Satbir Singh, Contractor, MC, Faridabad. 11. Sher Singh, Junior Engineer, MC, Faridabad. 12. Prem Raj, Junior Engineer, MC, Faridabad. 13. Pankaj Kumar, Clerk, MC, Faridabad. 14. Pardeep Kumar, Clerk, MC, Faridabad. 15. Taslim, Clerk, MC, Faridabad.		(iii) The services of outsourced employees i.e., Shri Pankaj, Clerk, Shri Taslem, Clerk and Shri Pardeep, Clerk have been dispensed with by MC, Faridabad. (iv) Shri Sher Singh, JE has now deceased. (v) Shri Prem Raj, JE has retired from the service. The matter is under investigation in SVB as well as in the department and is being inquired by Joint Commissioner, MC, Faridabad. Further, Committee has also been constituted in this regard.

Sr. No.	Year of registration	Case Sr. No.	Name of Municipality	Case FIR No., date & Police Station	Against (S/Shri/Smt.)	Status as per SVB	Status/Action taken by Urban Local Bodies Department
A	B	C	D	E	F	G	H
59.		5	Municipal Corporation, Faridabad	13 dated 19.04.2022 u/s 166, 167, 218, 467, 468, 471, 120-B IPC & 13(1)c r/w 13(2)d r/w 13(2) PC Act, PS, SVB, Faridabad.	1. Sonal Goel, IAS, the then Commissioner, MC, Faridabad. 2. Navin Yadav, the then Resident Senior Auditor, MC, Faridabad. 3. Satish Kumar, the then Officer Incharge Accounts/FC, Accounts Branch, MC, Faridabad. 4. Vishal Kaushik, the then Accounts Officer, MC, Faridabad. 5. Shashi Arya, the then Superintendent, Accounts Branch, MC, Faridabad. 6. Deepak Thapar, Joint Director, MC, Faridabad. 7. Deepak Kumar, JE, MC, Faridabad. 8. Raman Sharma, XEN, MC, Faridabad. 9. Daulat Ram Bhaskar, Chief Engineer, MC, Faridabad. 10. Pankaj Kumar, Clerk, MC, Faridabad.	Challan of the case has been submitted in the Hon'ble Court of ASJ, Faridabad on 11.07.2022 and no date is fixed till now.	**Shri D.R. Bhaskar, the then CE** (now retired):- 1. He has been suspended vide Government order No. 18/84/2022-3C1 dated 09.05.2022. 2. Charge-sheet has been issued against him vide Government order No. 12/124/2020-5C1/3C1 dated 13.07.2022. 3. Prosecution sanction has been issued by the Government vide order No. 12/124/2020-5C1/3C1 dated 18.08.2022. 4. Shri D.R. Bhaskar has retired from the service while under suspension vide Government order No. 16/51/2022-3C1 dated 30.09.2022. **Shri Raman Kumar Sharma, Chief Engineer (Retd.)** 1. Suspended vide Government order No. 18/84/2022-3C1 dated 09.05.2022. 2. Charge-sheet under rule 7 has been issued vide Government order No. 12/124/2020-5C1/3C1 dated 13.07.2022.

Sr. No.	Year of registration	Case Sr. No.	Name of Municipality	Case FIR No., date & Police Station	Against (S/Shri/Smt.)	Status as per SVB	Status/Action taken by Urban Local Bodies Department
A	B	C	D	E	F	G	H
					11. Pardeep Kumar, Clerk, MC, Faridabad. 12. Taslim, Clerk, MC, Faridabad.		3. Shri Raman Kumar Sharma has retired from the service on 31.10.2022 vide Government order No. 16/51/2022-3C1 dated 28.10.2022. Shri Vishal Kaushik, Accounts Officer is under suspension since 17.10.2022 and is on bail. Charge-sheet has been issued. The services of outsourced employees i.e., S/Shri Pankaj, Clerk, Taslem, Clerk and Pardeep, Clerk have been dispensed with by MCF. Shri Sher Singh, JE has now deceased. Shri Prem Raj, JE has retired from the service. The matter is under investigation in the department as well as in the state vigilance bureau. The matter is inquired by Joint Commissioner, MC, Faridabad.
60.		**6**	Municipal Corporation, Gurugram	148, dated 06.05.2022	Sumit Kumar Chahal, JE	Convicted by Hon'ble Court	Shri Sumit Kumar Chahal, JE is under suspension from 07.05.2022 and next date of hearing in Hon'ble Court is **28.02.2023**. Prosecution sanction has

Sr. No.	Year of registration	Case Sr. No.	Name of Municipality	Case FIR No., date & Police Station	Against (S/Shri/Smt.)	Status as per SVB	Status/Action taken by Urban Local Bodies Department
A	B	C	D	E	F	G	H
							been issued by MC, Gurugram vide order dated 13.09.2022 and charge-sheet has been issued by MC, Gurugram vide letter dated 27.05.2022.
61.		7	Municipal Corporation, Faridabad	19 dated 15.06.2022, U/S 7, PC Act, PS, SVB, Faridabad.	1. Yogesh Kumar, Tube well Helper, MCF, Faridabad. 2. Kapil Bhardwaj, JE, MCF, Faridabad.	Under investigation	The said officials are under suspension with effect from 16.06.2022.
62.		8	Municipal Corporation, Faridabad	21 dated 16.06.2022 u/s 166, 167, 201, 218, 409, 420, 467, 468, 471 IPC & 7, 13 PC Act, PS, SVB, Faridabad.	1. Satbir Singh, Contractor, MC, Faridabad. 2. Sher Singh, Engineer, MC, Faridabad. 3. Rajan Tewadia, JE, MC, Faridabad. 4. Deepak Thapar, Joint Director, MC, Faridabad. 5. Deepak Kumar, JE, MC, Faridabad. 6. Raman Sharma, XEN, Faridabad. 7. Daulat Ram Bhaskar, CE, Faridabad.	Under investigation	Under investigation.

Sr. No.	Year of registration	Case Sr. No.	Name of Municipality	Case FIR No., date & Police Station	Against (S/Shri/Smt.)	Status as per SVB	Status/Action taken by Urban Local Bodies Department
A	B	C	D	E	F	G	H
					8. Pankaj Kumar, Clerk, MC, Faridabad. 9. Pardeep Kumar, Clerk, MC, Faridabad. 10. Taslim, Clerk, MC, Faridabad.		
63.		9	Municipal Corporation, Faridabad	23 dated 15.07.2022 u/s 166, 167, 201, 218, 409, 120-B, IPC & 13(1)c r/w 13(2)d r/w 13(2) PC Act, PS, SVB, Faridabad.	1. Satbir Singh, Contractor, MC, Faridabad. 2. Sher Singh, Engineer, MC, Faridabad. 3. Prem Raj, Engineer, MC, Faridabad. 4. Pankaj Kumar, Clerk, MC, Faridabad. 5. Pardeep Kumar, Clerk, MC, Faridabad. 6. Taslim, Clerk, MC, Faridabad.	Under investigation	Under investigation.
64.		10	Municipal Corporation, Gurugram	29 dated 13.08.2022 u/s 7 PC Act, PS, SVB, Gurugram	1. Rajesh, Helper (Outsource) 2. Bajrang, Clerk (Outsource)	Challan of the case has been submitted in the Hon'ble Court on 10.10.2022 and now adjourned for 07.02.2023 in the Hon'ble Court of ASJ, Gurugram.	The services of Shri Rajesh, Helper and Bajran, Clerk (both Outsourced) were dispensed with by MC, Gurugram.

Sr. No.	Year of registration	Case Sr. No.	Name of Municipality	Case FIR No., date & Police Station	Against (S/Shri/Smt.)	Status as per SVB	Status/Action taken by Urban Local Bodies Department
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**
65.		**11**	Municipal Corporation, Faridabad	27 dated 16.08.2022 u/s 13(1) r/w 13(2) PC Act & 109 IPC, PS, SVB, Faridabad.	Mahipal Singh, Narwat, Deputy Town Planner, Faridabad.	Under investigation	The services of Shri Mahipal Singh Narwat, Deputy Town Planner were engaged on the re-employment basis, after his retirement. However, he was relieved from services by the Government on 18.08.2022.
66.		**12**	Municipal Corporation, Faridabad	29 dated 31.08.2022 u/s 7 PC Act, PS, SVB, Faridabad.	Kanhaiya Lal, Taxation Clerk, MC, Old Faridabad.	Challan of the case has been submitted in the Hon'ble Court of ASJ, Faridabad on 27.10.2022 and no date is fixed till now.	The said official was placed under suspension from 31.08.2022.
67.		**13**	Municipal Corporation, Faridabad	31 dated 06.10.2022 u/s 7 PC Act, PS, SVB, Faridabad.	1. Naseem Mohmad, JE, MC, Faridabad. 2. Ombir, Tube well Helper, MC, Faridabad.	Under investigation	1. The services of Shri Naseem Mohmad, JE (Contractual) were dispensed with by MC, Faridabad vide their order No. MCF/1E/2022/ 5765 dated 10.10.2022. 2. Shri Ombir, Tubewell Helper, MC, Faridabad has been placed under suspension from 06.10.2022.

Sr. No.	Year of registration	Case Sr. No.	Name of Municipality	Case FIR No., date & Police Station	Against (S/Shri/Smt.)	Status as per SVB	Status/Action taken by Urban Local Bodies Department
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**
68.		**14**	Municipal Corporation, Sonipat	25 Dated 26.11.2022 u/s 7 PC Act PS, SVB, Rohtak.	Imran Khan, Field Officer, Nagar Palilka, Ganaur, District Sonepat.	Under investigation	Shri Imran Khan, Field Officer was not the employee of MC, Sonipat. He was the employee of private agency working for MC, Sonipat. The matter is under investigation of the State Vigilance Bureau.
69.		**15**	Municipal Council, Palwal	10 dated 07.03.2022 u/s 7 PC Act, PS, SVB, Faridabad.	Chiman Lal, Building Inspector, Municipal Council, Palwal.	Challan of the case has been submitted in the Hon'ble Court of ASJ, Palwal on 05.05.2022 and now adjourned to 12.01.2023	The official is under suspension. The bail has been granted by the Hon'ble High Court and next date of hearing is **12.01.2023.**
70.		**16**	Municipal Council, Hansi	186, dated 09.03.2022	1. Sanjay, EO 2. Rahul, JE (Contractual)	Under investigation	1. Shri Sanjay, EO is under suspension since 14.07.2022 and Prosecution sanction has been issued by Government on 10.11.2022, 2. The services of Shri Rahul, JE (contractual) have been dispensed with by MC, Hansi.
71.		**17**	Municipal Council, Bhiwani	149 dated 10.03.2022	1. Sanjay Yadav, Executive Officer, MC, Bhiwani. 2. Suresh Kumar, Accountant. 3. Sanjay Bansal, Assistant.		1. Prosecution sanction has been issued by the Government against Shri Sanjay Yadav, EO, MC, Bhiwani on 24.06.2022. 2. Prosecution sanction has been issued by the Directorate against Shri

Sr. No.	Year of registration	Case Sr. No.	Name of Municipality	Case FIR No., date & Police Station	Against (S/Shri/Smt.)	Status as per SVB	Status/Action taken by Urban Local Bodies Department
A	B	C	D	E	F	G	H
							Suresh Kumar, Accountant on 24.06.2022. 3. Prosecution sanction has been issued by the Directorate against Shri Sanjay Bansal, Assistant on 24.06.2022. All above mentioned officials are under suspension and are on bail.
72.		**18**	Municipal Council, Rewari	05 dated 29.03.2022 u/s 7A PC Act, PS, SVB, Gurugram	1. Nand Lal, SDO, Irrigation Department. 2. Sohan Lal, ME, Municipal Council, Rewari. 3. Abhay Singh, EO, Municipal Council, Rewari.	Under investigation	1. Shri Nand Lal, SDO, is an employee of Irrigation Department and the action is to be taken by the Irrigation Department. 2. Shir Sohan Lal, ME is under suspension and is on bail. 3. Shri Abhay Singh Yadav, E.O. has been suspended by A.D. vide their order No. 2/71/ 2022-3CII dated 31.08.2022.
73.		**19**	Municipal Council, Jind	13 dated 10.06.2022, U/S 7, PC Act, PS, SVB, Karnal	Naresh Kumar, Clerk O/o Nagar Parishad, Jind.	Challan of the case has been submitted in the Hon'ble Court, Jind on 06.08.2022	The matter is under trial in the Hon'ble Court. Next date of hearing is **20.02.2023**.

Sr. No.	Year of registration	Case Sr. No.	Name of Municipality	Case FIR No., date & Police Station	Against (S/Shri/Smt.)	Status as per SVB	Status/Action taken by Urban Local Bodies Department
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**
						and now adjourned to 20.02.2023.	
74.		**20**	Municipal Council, Narwana	18 dated 06.07.2022 u/s 7 PC Act, PS, SVB, Karnal.	Rajender Soni, Executive Officer, M.C., Narwana, District Jind.	Challan of the case has been submitted in the Hon'ble Court, Jind on 01.09.2022 and now adjourned to 20.01.2023.	Shri Rajender Soni, E.O. has been suspended by A.D. vide order No. 03/57/ 2022/3CII dated 11.07.2022 and prosecution sanction has been issued vide order No. 03/57/2022/3CII dated 11.10.2022. The services of Shri Gaurav Sharma, JE (outsourced) has been dispensed with.
75.		**21**	Municipal Council, Thanesar	21 dated 17.09.2022, u/s 7 PC Act, PS, SVB, Ambala	Rajkumar, Supervisor, Municipal Council, Thanesar through Haryana Kaushal Rozgar Nigam.	Under investigation	The services of Shri Rajkumar, Helper (outsourced) have been dispensed with by MC, Thanesar. The matter is under trial in the Hon'ble Court and fixed for hearing on **13.02.2023**.

____

Extent of Amount Received from the Central Government

65. Chaudhary Abhay Singh Chautala: Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the year-wise extent of amount received by the government under various schemes from the Central Government during the last three years; and

(b) the extent of amount spent by the Government out of the above said amount received from the Central Government during the last three years (2020-21, 2021-22, 2022-23 upto November) together with the year-wise details thereof?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : (क) गत 3 वर्षो के दौरान केन्द्र सरकार से विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सरकार द्वारा प्राप्त की गई राशि का वर्ष–वार ब्यौरा निम्नानुसार दिया गया है:–

(राशि लाख में)

विवरण	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23** (मास नवम्बर तक)
केन्द्र सरकार से विभिन्न योजनाओं के तहत जारी राशि	**594176.86**	**567814.21**	**259821.25**

स्कीम अनुसार एवं वर्षवार विस्तृत विवरण साथ संलग्न है।

(ख) गत 3 वर्षो (2020–21, 2021–22 व 2022–23 से नवम्बर तक) केन्द्र सरकार से उपरोक्त प्राप्त हुई राशि में से सरकार द्वारा खर्च की गई कुल राशि का वर्षवार ब्यौरा निम्नानुसार दिया गया है:–

(राशि लाख में)

विवरण	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23** (मास नवम्बर तक)
खर्च की गई राशि	**544742.67**	**497832.64**	**194475.46**

स्कीम अनुसार एवं वर्षवार विस्तृत विवरण साथ संलग्न है।

Centre Share Schemes Released and Expenditure for the year 2020-21

Sr. No.	Description	Dept Name	Centre Share Released	Centre Expenditure
1	P-02-27-2401-51-001-96-51-N-V-	Agriculture and Farmer Welfare Department	18.23	17.30
2	P-02-27-2401-51-109-77-51-N-V-	Agriculture and Farmer Welfare Department	1080.20	569.06
3	P-02-27-2401-51-109-78-51-N-V-	Agriculture and Farmer Welfare Department	8535.29	4793.22
4	P-02-27-2401-51-109-80-51-N-V-	Agriculture and Farmer Welfare Department	5623.44	4262.91
5	P-02-27-2401-51-109-85-51-N-V-	Agriculture and Farmer Welfare Department	1655.39	1243.95
6	P-02-27-2401-51-111-90-51-N-V-	Agriculture and Farmer Welfare Department	0.00	0.00
7	P-02-27-2401-51-789-85-51-N-V-	Agriculture and Farmer Welfare Department	453.95	19.53
8	P-02-27-2401-51-789-90-51-N-V-	Agriculture and Farmer Welfare Department	362.76	196.07
9	P-02-27-2401-51-789-97-51-N-V-	Agriculture and Farmer Welfare Department	930.08	702.87
10	P-02-27-2402-51-101-95-51-N-V-	Agriculture and Farmer Welfare Department	305.78	251.80
11	P-02-27-2402-51-102-77-51-N-V-	Agriculture and Farmer Welfare Department	437.24	49.00
12	P-02-27-2402-51-789-98-51-N-V-	Agriculture and Farmer Welfare Department	57.83	43.09
13	P-02-27-2402-51-789-99-51-N-V-	Agriculture and Farmer Welfare Department	0.00	0.00
14	P-03-27-2401-51-105-94-51-N-V-	Agriculture and Farmer Welfare Department	0.00	0.00
15	P-03-27-2401-51-111-96-51-N-V-	Agriculture and Farmer Welfare Department	62.75	55.15
16	P-03-27-2401-51-111-97-51-N-V-	Agriculture and Farmer Welfare Department	56.00	49.79
17	P-03-27-2401-51-190-98-51-N-V-	Agriculture and Farmer Welfare Department	0.00	0.00
18	P-03-27-2401-51-789-86-51-N-V-	Agriculture and Farmer Welfare Department	0.00	0.00
19	P-02-28-2403-51-101-63-51-N-V-	Animal Husbandry	383.12	347.13
20	P-02-28-2403-51-102-65-51-N-V-	Animal Husbandry	0.00	0.00
21	P-02-28-2403-51-102-67-51-N-V-	Animal Husbandry	1200.00	1200.00
22	P-02-28-2403-51-113-96-51-N-V-	Animal Husbandry	57.77	51.44
23	P-02-28-2403-51-789-88-51-N-V-	Animal Husbandry	0.00	0.00
24	P-02-28-2403-51-789-89-51-N-V-	Animal Husbandry	240.00	240.00
25	P-02-28-2403-51-789-92-51-N-V-	Animal Husbandry	90.00	72.59
26	P-03-28-2403-51-102-76-51-N-V-	Animal Husbandry	49.01	47.79
27	P-03-28-2403-51-789-87-99-N-V-	Animal Husbandry	110.00	52.38
28	P-02-13-2210-04-101-81-51-N-V-	AYUSH	2841.50	2841.50
29	P-03-07-3454-02-001-80-51-N-V-	Department of Economic and Statistical Analysis, Haryana	2.50	0.43
30	P-03-07-3454-02-001-82-98-N-V-	Department of Economic and Statistical Analysis, Haryana	0.00	0.00
31	P-03-07-3454-02-001-92-51-N-V-	Department of Economic and Statistical Analysis, Haryana	0.00	0.00
32	P-02-32-2515-51-003-98-98-N-V-	Development and Panchayat	0.00	0.00
33	P-02-32-2515-51-101-81-51-N-V-	Development and Panchayat	989.00	989.00
34	P-02-32-2515-51-102-93-99-N-V-	Development and Panchayat	5902.49	2445.57
35	P-02-32-2515-51-789-98-51-N-V-	Development and Panchayat	2202.28	2202.28
36	P-03-32-2515-51-198-98-51-N-V-	Development and Panchayat	126400.00	126400.00
37	P-02-15-2217-80-192-86-51-N-V-	Director Urban Local Bodies	17074.84	17074.84
38	P-02-15-2217-80-192-87-51-N-V-	Director Urban Local Bodies	16600.00	16600.00
39	P-02-15-2217-80-192-88-51-N-V-	Director Urban Local Bodies	564.90	530.33
40	P-02-15-2217-80-192-89-51-N-V-	Director Urban Local Bodies	816.86	816.86

41	P-02-15-2217-80-192-94-51-N-V-	Director Urban Local Bodies	381.76	381.76
42	P-02-15-2217-80-789-90-51-N-V-	Director Urban Local Bodies	237.15	237.15
43	P-02-15-2217-80-793-99-51-N-V-	Director Urban Local Bodies	2682.00	2682.00
44	P-03-15-2217-80-191-97-51-N-V-	Director Urban Local Bodies	36576.23	33542.83
45	P-03-15-2217-80-192-93-51-N-V-	Director Urban Local Bodies	24957.17	24957.17
46	P-02-25-2851-51-102-63-51-N-V-	Directorate of Industries	0.00	0.00
47	P-02-25-2851-51-102-71-51-N-V-	Directorate of Industries	0.00	0.00
48	P-02-25-2851-51-103-89-51-N-V-	Directorate of Industries	0.00	0.00
49	P-03-25-2851-51-001-97-51-N-V-	Directorate of Industries	0.00	0.00
50	P-02-09-2202-01-111-99-51-N-V-	Education (Elementry)	28160.05	28160.05
51	P-02-09-2202-01-112-99-51-N-V-	Education (Elementry)	11677.80	9008.89
52	P-02-09-2202-01-793-98-51-N-V-	Education (Elementry)	2400.00	2283.22
53	P-02-09-2202-01-793-99-51-N-V-	Education (Elementry)	8534.65	8534.65
54	P-02-09-2202-03-103-97-51-N-V-	Education (Higher)	1095.01	1095.01
55	P-03-11-2204-51-102-93-51-N-V-	Education (Higher)	120.00	36.85
56	P-03-12-2205-51-105-86-51-N-V-	Education (Higher)	0.00	0.00
57	P-02-09-2202-02-001-97-51-N-V-	Education (Secondary)	0.00	0.00
58	P-02-09-2202-02-105-90-51-N-V-	Education (Secondary)	12.00	5.63
59	P-02-09-2202-02-105-91-51-N-V-	Education (Secondary)	138.00	82.94
60	P-02-09-2202-02-105-92-51-N-V-	Education (Secondary)	4413.00	3571.72
61	P-02-09-2202-02-107-89-51-N-V-	Education (Secondary)	3.00	3.00
62	P-02-09-2202-02-109-86-51-N-V-	Education (Secondary)	28550.44	28435.65
63	P-02-09-2202-02-793-98-51-N-V-	Education (Secondary)	5422.79	5422.79
64	P-02-09-2202-04-200-97-51-N-V-	Education (Secondary)	0.00	0.00
65	P-02-11-2204-51-102-94-51-N-V-	Education (Secondary)	4.00	0.00
66	P-03-09-2202-02-109-94-51-N-V-	Education (Secondary)	0.00	0.00
67	P-03-17-2230-02-101-85-51-N-V-	Employment	503.90	139.51
68	P-03-13-2211-51-001-97-51-N-V-	Family Welfare	858.61	681.17
69	P-03-13-2211-51-001-98-51-N-V-	Family Welfare	1508.50	1144.73
70	P-03-13-2211-51-001-99-51-N-V-	Family Welfare	464.80	383.21
71	P-03-13-2211-51-003-95-51-N-V-	Family Welfare	45.90	15.59
72	P-03-13-2211-51-003-96-51-N-V-	Family Welfare	67.85	54.82
73	P-03-13-2211-51-003-98-51-N-V-	Family Welfare	670.69	381.12
74	P-03-13-2211-51-003-99-51-N-V-	Family Welfare	106.35	84.03
75	P-03-13-2211-51-101-98-51-N-V-	Family Welfare	16793.90	14938.97
76	P-03-13-2211-51-102-99-51-N-V-	Family Welfare	492.00	470.33
77	P-03-13-2211-51-103-99-51-N-V-	Family Welfare	0.00	0.00
78	P-03-13-2211-51-200-99-51-N-V-	Family Welfare	0.00	0.00
79	P-02-29-2405-51-101-72-51-N-V-	Fisheries	1197.71	933.76
80	P-02-29-2405-51-101-82-51-N-V-	Fisheries	0.00	0.00
81	P-02-29-2405-51-101-83-51-N-V-	Fisheries	240.00	95.64
82	P-02-29-2405-51-109-98-51-N-V-	Fisheries	0.00	0.00
83	P-02-29-2415-05-004-98-51-N-V-	Fisheries	579.31	385.50
84	P-03-29-2405-51-101-81-98-N-V-	Fisheries	0.00	0.00
85	P-03-29-2405-51-109-98-51-N-V-	Fisheries	0.00	0.00
86	P-02-13-4059-01-051-63-51-N-V-	Food and Drugs Administration Haryana	0.00	0.00
87	P-02-13-4210-04-107-99-51-N-V-	Food and Drugs Administration Haryana	0.00	0.00
88	P-02-23-2408-01-001-91-51-N-V-	Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department	187.50	50.50
89	P-02-30-2406-01-101-96-51-N-V-	Forests	0.00	0.00
90	P-02-30-2406-01-102-64-51-N-V-	Forests	0.00	0.00
91	P-02-30-2406-01-102-74-51-N-V-	Forests	85.19	62.23
92	P-02-30-2406-02-110-87-51-N-V-	Forests	50.47	17.22
93	P-02-30-2406-02-110-88-51-N-V-	Forests	91.64	84.52
94	P-02-30-2406-02-110-91-51-N-V-	Forests	14.40	14.40

95	P-02-30-2406-04-101-99-51-N-V-	Forests	0.00	0.00
96	P-02-13-2210-01-110-43-51-N-V-	Health	0.00	0.00
97	P-02-13-2210-01-200-98-51-N-V-	Health	2856.00	2222.25
98	P-02-13-2210-03-103-84-51-N-V-	Health	42398.00	40427.31
99	P-02-13-2210-80-199-99-51-N-V-	Health	0.00	0.00
100	P-03-13-2210-01-110-70-51-N-V-	Health	0.00	0.00
101	P-03-13-2210-06-101-77-51-N-V-	Health	0.00	0.00
102	P-03-13-2210-06-101-86-51-N-V-	Health	0.00	0.00
103	P-03-13-2210-80-800-97-51-N-V-	Health	0.00	0.00
104	P-02-42-2014-51-105-95-51-N-V-	High Court	0.00	0.00
105	P-02-42-4059-60-051-98-51-N-V-	High Court	0.00	0.00
106	P-02-42-4216-01-106-99-51-N-V-	High Court	0.00	0.00
107	P-03-42-2014-51-105-92-51-N-V-	High Court	0.00	0.00
108	P-02-27-2401-51-119-50-51-N-V-	Horticulture	0.00	0.00
109	P-02-27-2401-51-119-63-51-N-V-	Horticulture	0.00	0.00
110	P-02-27-2401-51-119-69-51-N-V-	Horticulture	7101.68	7082.47
111	P-02-27-2401-51-119-72-51-N-V-	Horticulture	2944.00	2936.95
112	P-02-27-2401-51-789-84-51-N-V-	Horticulture	0.00	0.00
113	P-02-27-2401-51-789-87-51-N-V-	Horticulture	836.00	836.00
114	P-02-27-2401-51-789-88-51-N-V-	Horticulture	1698.90	1698.90
115	P-02-08-2216-02-192-99-51-N-V-	Housing for All	0.00	0.00
116	P-02-08-2216-02-789-99-51-N-V-	Housing for All	0.00	0.00
117	P-02-08-2216-03-196-99-51-N-V-	Housing for All	0.00	0.00
118	P-02-08-2216-03-789-99-51-N-V-	Housing for All	0.00	0.00
119	P-02-41-2852-07-190-99-51-N-V-	Information Technology, Electronics and Communication Department	0.00	0.00
120	P-02-41-2852-07-202-89-51-N-V-	Information Technology, Electronics and Communication Department	0.00	0.00
121	P-02-24-2705-51-190-94-51-N-V-	Irrigation and Water Resources Department	0.00	0.00
122	P-02-24-2705-51-190-95-51-N-V-	Irrigation and Water Resources Department	0.00	0.00
123	P-02-24-2705-51-789-97-51-N-V-	Irrigation and Water Resources Department	0.00	0.00
124	P-02-24-4700-25-800-98-51-N-V-	Irrigation and Water Resources Department	0.00	0.00
125	P-02-24-4701-23-800-97-51-N-V-	Irrigation and Water Resources Department	0.00	0.00
126	P-02-16-2230-01-112-99-51-N-V-	Labour	0.00	0.00
127	P-02-04-2506-51-103-99-97-N-V- National Land Records Modernization Programme - Computerization of Registration	Land Records	0.00	0.00
128	P-02-04-2506-51-103-99-98-N-V- National Land Records Modernization Programme - Survey/resurvey and Modern Record Rooms	Land Records	0.00	0.00
129	P-03-04-2029-51-103-96-51-N-V- Headquarters staff Land Records Agricultural Census	Land Records	54.25	46.14
130	P-03-04-2029-51-103-97-98-N-V- Rationalisation of Minor Irrigation Statistics Headquarter staff - Establishment Expenses	Land Records	70.00	31.68
131	P-03-04-2506-51-103-99-99-N-V- National Land Records Modernization Programme - Computerization of Land Records	Land Records	0.00	0.00
132	P-02-13-4210-03-105-82-51-N-V-	Medical Education and Research	0.00	0.00
133	P-02-13-4210-03-105-83-51-N-V-	Medical Education and Research	0.00	0.00

134	P-02-13-4210-03-105-84-51-N-V-	Medical Education and Research	0.00	0.00
135	P-02-13-4210-03-105-93-51-N-V-	Medical Education and Research	0.00	0.00
136	P-02-36-2055-51-109-96-51-N-V-	Police	0.00	0.00
137	P-02-36-2055-51-109-97-51-N-V-	Police	0.00	0.00
138	P-02-36-2055-51-115-99-51-N-V-	Police	900.00	614.53
139	P-03-36-2055-51-109-95-51-N-V-	Police	920.00	0.00
140	P-03-36-2055-51-114-96-51-N-V-	Police	721.30	629.22
141	P-03-45-6801-51-205-91-98-N-V-	Power	4968.34	1927.13
142	P-03-45-6801-51-205-91-99-N-V-	Power	5647.23	1467.12
143	P-03-43-2056-51-800-99-51-N-V-	Prisons	174.98	169.93
144	P-02-38-4215-01-102-98-91-N-V-	Public Health Engineering Department	527.95	263.17
145	P-02-38-4215-01-102-98-93-N-V-	Public Health Engineering Department	477.75	473.03
146	P-02-38-4215-01-102-98-94-N-V-	Public Health Engineering Department	780.00	403.06
147	P-02-38-4215-01-102-98-96-N-V-	Public Health Engineering Department	0.00	0.00
148	P-02-38-4215-01-102-98-99-N-V-	Public Health Engineering Department	14684.21	12199.17
149	P-02-38-4215-01-789-93-51-N-V-	Public Health Engineering Department	0.00	0.00
150	P-02-08-4059-60-051-98-51-N-V-	PWD (Buildings and Roads)	0.00	0.00
151	P-02-08-4216-01-106-99-51-N-V-	PWD (Buildings and Roads)	0.00	0.00
152	P-02-08-5054-04-337-49-99-N-V-	PWD (Buildings and Roads)	0.00	0.00
153	P-03-08-3054-80-797-99-51-N-V-	PWD (Buildings and Roads)	0.00	0.00
154	P-03-08-5054-03-337-87-51-N-V-	PWD (Buildings and Roads)	19700.00	19674.03
155	P-03-08-5054-03-902-51-51-N-V-	PWD (Buildings and Roads)	0.00	0.00
156	P-03-08-5054-04-337-49-99-N-V-	PWD (Buildings and Roads)	0.00	0.00
157	P-02-33-2425-51-107-97-51-N-V-	Registrar, Co-operative Societies, Haryana	3.60	3.60
158	P-03-33-2425-51-107-74-51-N-V-	Registrar, Co-operative Societies, Haryana	0.00	0.00
159	P-03-33-4425-51-108-74-51-N-V-	Registrar, Co-operative Societies, Haryana	92.00	92.00
160	P-03-33-4425-51-108-79-51-N-V-	Registrar, Co-operative Societies, Haryana	10.00	10.00
161	P-03-33-4425-51-108-88-51-N-V-	Registrar, Co-operative Societies, Haryana	50.00	50.00
162	P-03-33-4425-51-108-94-51-N-V-	Registrar, Co-operative Societies, Haryana	0.00	0.00
163	P-03-45-6425-51-108-82-51-N-V-	Registrar, Co-operative Societies, Haryana	0.00	0.00
164	P-03-45-6425-51-108-99-51-N-V-	Registrar, Co-operative Societies, Haryana	0.00	0.00
165	P-02-04-2245-05-101-99-51-N-V- State and Centre Contribution	Revenue	26293.75	26293.75
166	P-03-04-2245-80-102-93-51-N-V- Capacity Building to Emergency Operations Center (EOC)	Revenue	0.00	0.00
167	P-03-04-2245-80-102-94-51-N-V- Strengthening of District Disaster Management Authorities of Hazard Prone District Mewat	Revenue	0.00	0.00
168	P-03-04-2245-80-102-95-51-N-V- Implementation of the Sandai Framework for Disaster risk Reduction (DRR)	Revenue	0.00	0.00
169	P-03-04-2245-80-102-96-51-N-V- Apada Mitra- Training of community volunteers in Disaster Response	Revenue	22.70	0.00
170	P-03-04-2245-80-102-97-51-N-V- Mock Excercise	Revenue	0.00	0.00

171	P-03-04-3454-01-001-99-51-N-V- Provision for Distt. Staff to be deployed in Connection with Census	Revenue	978.30	978.30
172	P-02-32-2501-05-101-99-51-N-V-	Rural Development	1493.00	1218.70
173	P-02-32-2501-05-789-99-51-N-V-	Rural Development	264.00	264.00
174	P-02-32-2501-06-101-99-99-N-V-	Rural Development	4314.14	4070.36
175	P-02-32-2501-06-789-99-51-N-V-	Rural Development	3602.95	3100.71
176	P-02-32-2501-06-800-97-51-N-V-	Rural Development	540.40	270.86
177	P-02-32-2505-01-702-93-99-N-V-	Rural Development	1900.40	1900.40
178	P-02-32-2505-01-789-98-51-N-V-	Rural Development	1554.88	1554.88
179	P-02-32-2505-02-101-99-99-N-V-	Rural Development	20463.24	18890.91
180	P-02-32-2505-02-789-99-51-N-V-	Rural Development	0.00	0.00
181	P-02-32-2515-51-106-96-51-N-V-	Rural Development	0.00	0.00
182	P-02-32-2515-51-106-97-51-N-V-	Rural Development	1787.00	1696.66
183	P-03-32-2515-51-106-98-51-N-V-	Rural Development	638.10	638.10
184	P-03-32-2553-51-101-98-51-N-V-	Rural Development	0.00	0.00
185	P-02-18-2230-03-003-60-51-N-V-	Skill Development and Industrial Training Department	280.00	280.00
186	P-03-18-2230-03-003-61-51-N-V-	Skill Development and Industrial Training Department	1083.00	1083.00
187	P-03-18-2230-03-003-74-51-N-V-	Skill Development and Industrial Training Department	50.00	37.63
188	P-03-18-2230-03-190-99-51-N-V-	Skill Development and Industrial Training Department	0.00	0.00
189	P-03-18-4250-51-800-92-51-N-V-	Skill Development and Industrial Training Department	0.00	0.00
190	P-02-20-2235-02-800-73-51-N-V-	Social Justice and Empowerment	150.60	150.60
191	P-02-20-2235-60-102-95-51-N-V-	Social Justice and Empowerment	307.60	303.86
192	P-02-20-2235-60-102-96-51-N-V-	Social Justice and Empowerment	2120.00	2119.87
193	P-02-20-2235-60-102-98-51-N-V-	Social Justice and Empowerment	6467.92	6456.99
194	P-03-20-2235-02-105-99-51-N-V-	Social Justice and Empowerment	38.65	38.65
195	P-03-20-2235-02-199-98-51-N-V-	Social Justice and Empowerment	0.00	0.00
196	P-03-20-2235-03-102-99-51-N-V-	Social Justice and Empowerment	619.38	619.20
197	P-03-20-4235-02-101-92-51-N-V-	Social Justice and Empowerment	0.00	0.00
198	P-03-10-2203-51-105-55-51-N-V-	Technical Education	0.00	0.00
199	P-03-10-2203-51-105-82-51-N-V-	Technical Education	0.00	0.00
200	P-03-10-2203-51-105-89-51-N-V-	Technical Education	0.00	0.00
201	P-02-19-2225-01-102-96-51-N-V-	Welfare of S.Cs,S.Ts and Other B.Cs	900.00	806.33
202	P-02-19-2225-01-277-84-51-N-V-	Welfare of S.Cs,S.Ts and Other B.Cs	0.00	0.00
203	P-02-19-2225-01-277-99-51-N-V-	Welfare of S.Cs,S.Ts and Other B.Cs	0.00	0.00
204	P-02-19-2225-01-800-84-51-N-V-	Welfare of S.Cs,S.Ts and Other B.Cs	6.25	5.59
205	P-02-19-2225-01-800-85-51-N-V-	Welfare of S.Cs,S.Ts and Other B.Cs	0.00	0.00
206	P-02-19-2225-01-800-87-51-N-V-	Welfare of S.Cs,S.Ts and Other B.Cs	1.50	1.50
207	P-02-19-2225-01-800-88-51-N-V-	Welfare of S.Cs,S.Ts and Other B.Cs	25.00	19.25
208	P-02-19-2225-01-800-89-51-N-V-	Welfare of S.Cs,S.Ts and Other B.Cs	700.00	699.68
209	P-02-19-2225-01-800-90-51-N-V-	Welfare of S.Cs,S.Ts and Other B.Cs	52.44	3.05
210	P-02-19-2225-03-277-91-51-N-V-	Welfare of S.Cs,S.Ts and Other B.Cs	0.00	0.00
211	P-02-19-2225-03-277-92-51-N-V-	Welfare of S.Cs,S.Ts and Other B.Cs	0.00	0.00
212	P-02-19-2225-03-277-95-51-N-V-	Welfare of S.Cs,S.Ts and Other B.Cs	0.00	0.00
213	P-02-19-4225-01-190-99-51-N-V-	Welfare of S.Cs,S.Ts and Other B.Cs	0.00	0.00

214	P-02-19-4225-03-277-99-51-N-V-	Welfare of S.Cs,S.Ts and Other B.Cs	0.00	0.00
215	P-03-19-2225-01-277-68-51-N-V-	Welfare of S.Cs,S.Ts and Other B.Cs	0.00	0.00
216	P-03-19-2225-01-277-70-51-N-V-	Welfare of S.Cs,S.Ts and Other B.Cs	0.00	0.00
217	P-03-19-2225-01-277-80-51-N-V-	Welfare of S.Cs,S.Ts and Other B.Cs	0.00	0.00
218	P-03-19-2225-01-277-83-51-N-V-	Welfare of S.Cs,S.Ts and Other B.Cs	0.00	0.00
219	P-03-19-2225-01-277-99-51-N-V-	Welfare of S.Cs,S.Ts and Other B.Cs	1265.62	58.20
220	P-03-19-2225-01-793-78-51-N-V-	Welfare of S.Cs,S.Ts and Other B.Cs	500.00	0.00
221	P-03-19-2225-01-793-79-51-N-V-	Welfare of S.Cs,S.Ts and Other B.Cs	0.00	0.00
222	P-03-19-2225-03-277-93-51-N-V-	Welfare of S.Cs,S.Ts and Other B.Cs	2688.24	458.82
223	P-02-21-2235-02-102-69-51-N-V-	Women and Child Development	290.65	38.71
224	P-02-21-2235-02-102-70-51-N-V-	Women and Child Development	0.00	0.00
225	P-02-21-2235-02-102-73-51-N-V-	Women and Child Development	2391.13	1813.77
226	P-02-21-2235-02-102-74-51-N-V-	Women and Child Development	7.26	1.70
227	P-02-21-2235-02-102-88-51-N-V-	Women and Child Development	0.00	0.00
228	P-02-21-2235-02-102-92-51-N-V-	Women and Child Development	13638.99	12035.42
229	P-02-21-2235-02-103-65-51-N-V-	Women and Child Development	0.00	0.00
230	P-02-21-2235-02-103-67-51-N-V-	Women and Child Development	0.00	0.00
231	P-02-21-2235-02-103-74-51-N-V-	Women and Child Development	181.40	33.44
232	P-02-21-2235-02-199-99-51-N-V-	Women and Child Development	0.00	0.00
233	P-02-21-2235-02-789-90-51-N-V-	Women and Child Development	3554.19	2878.69
234	P-02-21-2236-02-101-87-51-N-V-	Women and Child Development	0.00	0.00
235	P-02-21-2236-02-101-88-51-N-V-	Women and Child Development	833.66	694.62
236	P-02-21-2236-02-101-89-51-N-V-	Women and Child Development	27.65	11.71
237	P-02-21-2236-02-101-95-51-N-V-	Women and Child Development	5173.92	4548.43
238	P-02-21-2236-02-789-96-51-N-V-	Women and Child Development	604.44	604.44
239	P-02-21-2236-02-789-97-51-N-V-	Women and Child Development	3.15	0.00
240	P-02-21-2236-02-789-98-51-N-V-	Women and Child Development	745.13	686.89
241	P-02-21-2236-80-102-99-51-N-V-	Women and Child Development	3066.29	1428.67
242	P-02-21-4235-02-102-99-51-N-V-	Women and Child Development	491.06	128.49
243	P-02-21-4235-02-103-95-51-N-V-	Women and Child Development	0.00	0.00
244	P-03-21-2235-02-103-66-51-N-V-	Women and Child Development	0.00	0.00
245	P-03-21-2235-02-103-69-51-N-V-	Women and Child Development	15.71	15.71
246	P-03-21-4235-02-103-96-51-N-V-	Women and Child Development	0.00	0.00
		Grand Total	**594176.86**	**544742.67**

Center Share Schemes Released and Expenditure for the year 2021-22

(Rs. in lakhs)

Sr.No.	Description	Department Name	Centre Share Released	Centre Expenditure
1	P-02-27-2401-51-001-96-51-N-V-	Agriculture and Farmer Welfare Department	0.00	0.00
2	P-02-27-2401-51-109-77-51-N-V-	Agriculture and Farmer Welfare Department	1972.44	580.26
3	P-02-27-2401-51-109-77-98-N-V-	Agriculture and Farmer Welfare Department	0.00	0.00

4	P-02-27-2401-51-109-77-99-N-V-	Agriculture and Farmer Welfare Department	0.00	0.00
5	P-02-27-2401-51-109-78-51-N-V-	Agriculture and Farmer Welfare Department	6491.01	3712.76
6	P-02-27-2401-51-109-80-51-N-V-	Agriculture and Farmer Welfare Department	8581.64	7913.11
7	P-02-27-2401-51-109-85-51-N-V-	Agriculture and Farmer Welfare Department	1169.38	1061.12
8	P-02-27-2401-51-111-90-51-N-V-	Agriculture and Farmer Welfare Department	0.00	0.00
9	P-02-27-2401-51-789-85-51-N-V-	Agriculture and Farmer Welfare Department	631.73	22.71
10	P-02-27-2401-51-789-85-98-N-V-	Agriculture and Farmer Welfare Department	0.00	0.00
11	P-02-27-2401-51-789-85-99-N-V-	Agriculture and Farmer Welfare Department	0.00	0.00
12	P-02-27-2401-51-789-90-51-N-V-	Agriculture and Farmer Welfare Department	361.94	140.13
13	P-02-27-2401-51-789-97-51-N-V-	Agriculture and Farmer Welfare Department	1692.33	1603.34
14	P-02-27-2402-51-101-95-51-N-V-	Agriculture and Farmer Welfare Department	97.17	95.66
15	P-02-27-2402-51-102-77-51-N-V-	Agriculture and Farmer Welfare Department	748.24	748.24
16	P-02-27-2402-51-789-98-51-N-V-	Agriculture and Farmer Welfare Department	18.00	17.90
17	P-02-27-2402-51-789-99-51-N-V-	Agriculture and Farmer Welfare Department	0.00	0.00
18	P-03-27-2401-51-105-94-51-N-V-	Agriculture and Farmer Welfare Department	0.00	0.00
19	P-03-27-2401-51-111-96-51-N-V-	Agriculture and Farmer Welfare Department	72.69	68.42
20	P-03-27-2401-51-111-97-51-N-V-	Agriculture and Farmer Welfare Department	60.20	53.72
21	P-03-27-2401-51-190-98-51-N-V-	Agriculture and Farmer Welfare Department	0.00	0.00
22	P-03-27-2401-51-789-86-51-N-V-	Agriculture and Farmer Welfare Department	0.00	0.00
23	P-02-28-2403-51-101-63-51-N-V-	Animal Husbandry	208.27	169.12
24	P-02-28-2403-51-102-65-51-N-V-	Animal Husbandry	0.00	0.00
25	P-02-28-2403-51-102-67-51-N-V-	Animal Husbandry	0.00	0.00
26	P-02-28-2403-51-113-96-51-N-V-	Animal Husbandry	46.04	38.57
27	P-02-28-2403-51-789-88-51-N-V-	Animal Husbandry	0.00	0.00
28	P-02-28-2403-51-789-89-51-N-V-	Animal Husbandry	0.00	0.00
29	P-02-28-2403-51-789-92-51-N-V-	Animal Husbandry	61.05	39.75
30	P-03-28-2403-51-102-76-51-N-V-	Animal Husbandry	0.00	0.00
31	P-03-28-2403-51-789-87-99-N-V-	Animal Husbandry	0.00	0.00
32	P-02-13-2210-04-101-81-51-N-V-	AYUSH	677.70	677.70

33	P-03-07-3454-02-001-80-51-N-V-	Department of Economic and Statistical Analysis, Haryana	0.00	0.00
34	P-03-07-3454-02-001-82-98-N-V-	Department of Economic and Statistical Analysis, Haryana	0.00	0.00
35	P-03-07-3454-02-001-90-98-N-V-	Department of Economic and Statistical Analysis, Haryana	0.00	0.00
36	P-03-07-3454-02-001-92-51-N-V-	Department of Economic and Statistical Analysis, Haryana	0.00	0.00
37	P-02-32-2515-51-003-98-98-N-V-	Development and Panchayat	0.00	0.00
38	P-02-32-2515-51-101-81-51-N-V-	Development and Panchayat	0.00	0.00
39	P-02-32-2515-51-102-93-99-N-V-	Development and Panchayat	4386.11	1096.15
40	P-02-32-2515-51-789-98-51-N-V-	Development and Panchayat	888.86	888.86
41	P-03-32-2515-51-198-98-51-N-V-	Development and Panchayat	78030.00	46750.00
42	P-02-15-2217-80-192-86-51-N-V-	Director Urban Local Bodies	15624.40	15624.40
43	P-02-15-2217-80-192-87-51-N-V-	Director Urban Local Bodies	6800.00	6800.00
44	P-02-15-2217-80-192-88-51-N-V-	Director Urban Local Bodies	5765.50	5765.38
45	P-02-15-2217-80-192-89-51-N-V-	Director Urban Local Bodies	0.00	0.00
46	P-02-15-2217-80-192-94-51-N-V-	Director Urban Local Bodies	0.00	0.00
47	P-02-15-2217-80-789-90-51-N-V-	Director Urban Local Bodies	0.00	0.00
48	P-02-15-2217-80-793-99-51-N-V-	Director Urban Local Bodies	0.00	0.00
49	P-03-15-2217-80-191-97-51-N-V-	Director Urban Local Bodies	21511.99	21511.99
50	P-03-15-2217-80-192-93-51-N-V-	Director Urban Local Bodies	15361.34	15361.34
51	P-02-25-2851-51-102-63-51-N-V-	Directorate of Micro, Small and Medium Enterprises	228.75	0.00
52	P-02-25-2851-51-102-71-51-N-V-	Directorate of Micro, Small and Medium Enterprises	0.00	0.00
53	P-02-25-2851-51-103-89-51-N-V-	Directorate of Micro, Small and Medium Enterprises	0.00	0.00
54	P-03-25-2851-51-001-97-51-N-V-	Directorate of Micro, Small and Medium Enterprises	0.00	0.00
55	P-02-09-2202-01-111-99-51-N-V-	Education (Elementry)	22104.39	17392.88
56	P-02-09-2202-01-112-99-51-N-V-	Education (Elementry)	9710.58	9651.39
57	P-02-09-2202-01-793-98-51-N-V-	Education (Elementry)	2456.77	2456.77
58	P-02-09-2202-01-793-99-51-N-V-	Education (Elementry)	6522.00	5540.87
59	P-02-09-2202-03-103-97-51-N-V-	Education (Higher)	0.00	0.00
60	P-03-11-2204-51-102-93-51-N-V-	Education (Higher)	118.00	32.35
61	P-03-12-2205-51-105-86-51-N-V-	Education (Higher)	0.00	0.00
62	P-02-09-2202-02-105-90-51-N-V-	Education (Secondary)	12.00	10.34
63	P-02-09-2202-02-105-91-51-N-V-	Education (Secondary)	130.20	60.67
64	P-02-09-2202-02-105-92-51-N-V-	Education (Secondary)	4748.70	3498.44
65	P-02-09-2202-02-107-89-51-N-V-	Education (Secondary)	12.00	6.34
66	P-02-09-2202-02-109-86-51-N-V-	Education (Secondary)	22695.68	22695.68
67	P-02-09-2202-02-793-98-51-N-V-	Education (Secondary)	4284.24	4284.24
68	P-02-09-2202-04-200-97-51-N-V-	Education (Secondary)	150.60	0.00
69	P-02-11-2204-51-102-94-51-N-V-	Education (Secondary)	2.00	0.00
70	P-03-09-2202-02-109-94-51-N-V-	Education (Secondary)	10.00	0.00
71	P-03-17-2230-02-101-85-51-N-V-	Employment	153.03	48.92
72	P-03-13-2211-51-001-97-51-N-V-	Family Welfare	771.21	619.23

73	P-03-13-2211-51-001-98-51-N-V-	Family Welfare	1324.68	1099.16
74	P-03-13-2211-51-001-99-51-N-V-	Family Welfare	487.55	386.47
75	P-03-13-2211-51-003-95-51-N-V-	Family Welfare	33.25	21.34
76	P-03-13-2211-51-003-96-51-N-V-	Family Welfare	36.60	19.52
77	P-03-13-2211-51-003-98-51-N-V-	Family Welfare	365.25	102.42
78	P-03-13-2211-51-003-99-51-N-V-	Family Welfare	126.15	96.72
79	P-03-13-2211-51-101-98-51-N-V-	Family Welfare	16749.48	15794.06
80	P-03-13-2211-51-102-99-51-N-V-	Family Welfare	495.17	404.00
81	P-03-13-2211-51-103-99-51-N-V-	Family Welfare	0.00	0.00
82	P-03-13-2211-51-200-99-51-N-V-	Family Welfare	0.00	0.00
83	P-02-29-2405-51-101-72-51-N-V-	Fisheries	1577.46	1356.56
84	P-02-29-2405-51-101-83-51-N-V-	Fisheries	0.00	0.00
85	P-02-29-2415-05-004-98-51-N-V-	Fisheries	414.18	395.63
86	P-03-29-2405-51-101-81-98-N-V-	Fisheries	0.00	0.00
87	P-03-29-2405-51-109-98-51-N-V-	Fisheries	0.00	0.00
88	P-02-13-4210-04-107-99-51-N-V-	Food and Drugs Administration Haryana	0.00	0.00
89	P-02-23-2408-01-001-91-51-N-V-	Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department	750.00	669.55
90	P-02-30-2406-01-101-96-51-N-V-	Forests	0.00	0.00
91	P-02-30-2406-01-102-64-51-N-V-	Forests	0.00	0.00
92	P-02-30-2406-01-102-74-51-N-V-	Forests	0.00	0.00
93	P-02-30-2406-02-110-87-51-N-V-	Forests	0.00	0.00
94	P-02-30-2406-02-110-88-51-N-V-	Forests	148.90	134.45
95	P-02-30-2406-02-110-91-51-N-V-	Forests	4.23	4.23
96	P-02-30-2406-04-101-99-51-N-V-	Forests	0.00	0.00
97	P-02-01-2011-02-101-98-51-N-V- National e-Vidhan Application (NeVA)	Haryana Vidhan Sabha	102.42	102.42
98	P-02-13-2210-01-110-43-51-N-V-	Health	0.00	0.00
99	P-02-13-2210-01-200-98-51-N-V-	Health	3012.20	3012.20
100	P-02-13-2210-03-103-84-51-N-V-	Health	63114.89	63114.89
101	P-02-13-2210-06-101-86-51-N-V-	Health	0.00	0.00
102	P-02-13-2210-06-188-98-51-N-V-	Health	0.00	0.00
103	P-02-13-2210-06-188-99-51-N-V-	Health	0.00	0.00
104	P-02-13-2210-80-199-99-51-N-V-	Health	0.00	0.00
105	P-03-13-2210-01-110-70-51-N-V-	Health	15640.00	15640.00
106	P-03-13-2210-06-101-77-51-N-V-	Health	300.00	300.00
107	P-03-13-2210-06-101-86-51-N-V-	Health	0.00	0.00
108	P-03-13-2210-80-800-97-51-N-V-	Health	0.00	0.00
109	P-02-42-2014-51-105-95-51-N-V-	High Court	402.00	354.31
110	P-03-42-2014-51-105-92-51-N-V-	High Court	0.00	0.00
111	P-02-27-2401-51-119-50-51-N-V-	Horticulture	0.00	0.00
112	P-02-27-2401-51-119-69-51-N-V-	Horticulture	4860.00	3552.18
113	P-02-27-2401-51-119-72-51-N-V-	Horticulture	0.00	0.00
114	P-02-27-2401-51-789-84-51-N-V-	Horticulture	0.00	0.00
115	P-02-27-2401-51-789-87-51-N-V-	Horticulture	0.00	0.00
116	P-02-27-2401-51-789-88-51-N-V-	Horticulture	960.00	669.16

117	P-02-08-2216-02-192-99-51-N-V-	Housing for All	5634.32	5634.32
118	P-02-08-2216-02-789-99-51-N-V-	Housing for All	3817.80	3817.80
119	P-02-08-2216-03-196-99-51-N-V-	Housing for All	0.00	0.00
120	P-02-08-2216-03-789-99-51-N-V-	Housing for All	0.00	0.00
121	P-02-41-2852-07-190-99-51-N-V-	Information Technology, Electronics and Communication Department	35.00	35.00
122	P-02-24-2705-51-190-94-51-N-V-	Irrigation and Water Resources Department	5840.00	5840.00
123	P-02-24-2705-51-190-95-51-N-V-	Irrigation and Water Resources Department	0.00	0.00
124	P-02-24-2705-51-789-97-51-N-V-	Irrigation and Water Resources Department	1460.00	1460.00
125	P-02-24-4700-25-800-98-51-N-V-	Irrigation and Water Resources Department	0.00	0.00
126	P-02-24-4701-23-800-97-51-N-V-	Irrigation and Water Resources Department	0.00	0.00
127	P-03-24-4701-80-800-95-51-N-V-	Irrigation and Water Resources Department	0.00	0.00
128	P-02-16-2230-01-112-99-51-N-V-	Labour	0.00	0.00
129	P-02-04-2506-51-103-99-97-N-V- National Land Records Modernization Programme - Computerization of Registration	Land Records	0.00	0.00
130	P-02-04-2506-51-103-99-98-N-V- National Land Records Modernization Programme - Survey/resurvey and Modern Record Rooms	Land Records	0.00	0.00
131	P-03-04-2029-51-103-96-51-N-V- Headquarters staff Land Records Agricultural Census	Land Records	90.48	50.70
132	P-03-04-2029-51-103-97-98-N-V- Rationalisation of Minor Irrigation Statistics Headquarter staff - Establishment Expenses	Land Records	41.30	18.35
133	P-03-04-2506-51-103-99-99-N-V- National Land Records Modernization Programme - Computerization of Land Records	Land Records	0.00	0.00
134	P-02-13-4210-03-105-82-51-N-V-	Medical Education and Research	0.00	0.00
135	P-02-13-4210-03-105-83-51-N-V-	Medical Education and Research	0.00	0.00
136	P-02-13-4210-03-105-84-51-N-V-	Medical Education and Research	0.00	0.00
137	P-02-13-4210-03-105-93-51-N-V-	Medical Education and Research	6159.26	4184.10
138	P-02-36-2055-51-109-96-51-N-V-	Police	0.00	0.00
139	P-02-36-2055-51-109-97-51-N-V-	Police	0.00	0.00
140	P-02-36-2055-51-115-99-51-N-V-	Police	1176.00	0.00
141	P-03-36-2055-51-109-95-51-N-V-	Police	0.00	0.00
142	P-03-36-2055-51-114-96-51-N-V-	Police	547.60	540.89

143	P-03-45-6801-51-205-91-98-N-V-	Power	515.28	515.28
144	P-03-45-6801-51-205-91-99-N-V-	Power	514.53	514.53
145	P-03-43-2056-51-800-99-51-N-V-	Prisons	0.00	0.00
146	P-02-38-4215-01-102-98-91-N-V-	Public Health Engineering Department	182.77	182.77
147	P-02-38-4215-01-102-98-93-N-V-	Public Health Engineering Department	517.94	517.93
148	P-02-38-4215-01-102-98-94-N-V-	Public Health Engineering Department	1778.57	1778.55
149	P-02-38-4215-01-102-98-99-N-V-	Public Health Engineering Department	26358.97	26359.26
150	P-02-08-4059-60-051-98-51-N-V-	PWD (Buildings and Roads)	1000.00	212.13
151	P-02-08-4216-01-106-99-51-N-V-	PWD (Buildings and Roads)	1000.00	866.44
152	P-02-08-5054-04-337-49-99-N-V-	PWD (Buildings and Roads)	35322.61	29472.33
153	P-02-13-4059-01-051-63-51-N-V-	PWD (Buildings and Roads)	0.00	0.00
154	P-02-13-4059-01-051-63-51-N-V-	PWD (Buildings and Roads)	600.00	3.60
155	P-03-08-3054-04-337-98-51-N-V-	PWD (Buildings and Roads)	0.00	0.00
156	P-03-08-3054-80-797-99-51-N-V-	PWD (Buildings and Roads)	0.00	0.00
157	P-03-08-5054-03-337-87-51-N-V-	PWD (Buildings and Roads)	10290.00	9544.38
158	P-03-08-5054-03-902-51-51-N-V-	PWD (Buildings and Roads)	0.00	0.00
159	P-03-08-5054-04-337-49-99-N-V-	PWD (Buildings and Roads)	0.00	0.00
160	P-02-33-2425-51-107-97-51-N-V-	Registrar, Co-operative Societies, Haryana	123.00	123.00
161	P-03-33-2425-51-107-74-51-N-V-	Registrar, Co-operative Societies, Haryana	13.47	13.47
162	P-03-33-4425-51-108-74-51-N-V-	Registrar, Co-operative Societies, Haryana	28.00	28.00
163	P-03-33-4425-51-108-79-51-N-V-	Registrar, Co-operative Societies, Haryana	5.00	5.00
164	P-03-33-4425-51-108-88-51-N-V-	Registrar, Co-operative Societies, Haryana	50.00	50.00
165	P-03-33-4425-51-108-94-51-N-V-	Registrar, Co-operative Societies, Haryana	1200.00	1200.00
166	P-03-45-6425-51-108-82-51-N-V-	Registrar, Co-operative Societies, Haryana	0.00	0.00
167	P-03-45-6425-51-108-99-51-N-V-	Registrar, Co-operative Societies, Haryana	1200.00	1200.00
168	P-02-04-2245-05-101-99-51-N-V- State and Centre Contribution	Revenue	37224.79	36503.77
169	P-03-04-2245-80-102-93-51-N-V- Capacity Building to Emergency Operations Center (EOC)	Revenue	0.00	0.00
170	P-03-04-2245-80-102-94-51-N-V- Strengthening of District Disaster Management Authorities of Hazard Prone District Mewat	Revenue	0.00	0.00
171	P-03-04-2245-80-102-95-51-N-V- Implementation of the Sandai	Revenue	0.00	0.00

	Framework for Disaster risk Reduction (DRR)			
172	P-03-04-2245-80-102-96-51-N-V-Apada Mitra- Training of community volunteers in Disaster Response	Revenue	22.70	7.37
173	P-03-04-2245-80-102-97-51-N-V-Mock Excercise	Revenue	0.00	0.00
174	P-03-04-3454-01-001-99-51-N-V-Provision for Distt. Staff to be deployed in Connection with Census	Revenue	0.00	0.00
175	P-02-32-2501-05-101-99-51-N-V-	Rural Development	211.56	129.82
176	P-02-32-2501-05-789-99-51-N-V-	Rural Development	90.66	0.00
177	P-02-32-2501-06-101-96-51-N-V-	Rural Development	0.00	0.00
178	P-02-32-2501-06-101-97-51-N-V-	Rural Development	0.00	0.00
179	P-02-32-2501-06-101-99-99-N-V-	Rural Development	2934.24	2934.24
180	P-02-32-2501-06-789-97-51-N-V-	Rural Development	0.00	0.00
181	P-02-32-2501-06-789-98-51-N-V-	Rural Development	0.00	0.00
182	P-02-32-2501-06-789-99-51-N-V-	Rural Development	1324.85	1324.85
183	P-02-32-2501-06-800-97-51-N-V-	Rural Development	324.41	324.41
184	P-02-32-2505-01-702-93-99-N-V-	Rural Development	0.00	0.00
185	P-02-32-2505-01-789-98-51-N-V-	Rural Development	0.00	0.00
186	P-02-32-2505-02-101-99-99-N-V-	Rural Development	19476.05	19476.05
187	P-02-32-2515-51-106-96-51-N-V-	Rural Development	556.57	535.78
188	P-02-32-2515-51-106-97-51-N-V-	Rural Development	300.00	0.00
189	P-03-32-2501-06-102-97-51-N-V-	Rural Development	0.00	0.00
190	P-03-32-2515-51-106-98-51-N-V-	Rural Development	0.00	0.00
191	P-03-32-2553-51-101-98-51-N-V-	Rural Development	0.00	0.00
192	P-02-18-2230-03-003-60-51-N-V-	Skill Development and Industrial Training Department	0.00	0.00
193	P-02-18-2230-03-190-98-51-N-V-	Skill Development and Industrial Training Department	0.00	0.00
194	P-02-18-2230-03-199-99-51-N-V-	Skill Development and Industrial Training Department	225.00	180.00
195	P-03-18-2230-03-003-61-51-N-V-	Skill Development and Industrial Training Department	316.00	316.00
196	P-03-18-2230-03-003-74-51-N-V-	Skill Development and Industrial Training Department	0.94	0.60
197	P-03-18-2230-03-190-98-51-N-V-	Skill Development and Industrial Training Department	500.00	500.00
198	P-03-18-2230-03-190-99-51-N-V-	Skill Development and Industrial Training Department	600.00	600.00
199	P-03-18-4250-51-800-92-51-N-V-	Skill Development and Industrial Training Department	0.00	0.00
200	P-02-20-2235-02-800-73-51-N-V-	Social Justice and Empowerment	0.00	0.00
201	P-02-20-2235-60-102-95-51-N-V-	Social Justice and Empowerment	428.00	427.86
202	P-02-20-2235-60-102-96-51-N-V-	Social Justice and Empowerment	2120.00	2120.00

203	P-02-20-2235-60-102-98-51-N-V-	Social Justice and Empowerment	8884.00	8790.36
204	P-03-20-2235-02-105-99-51-N-V-	Social Justice and Empowerment	70.81	70.81
205	P-03-20-2235-02-199-98-51-N-V-	Social Justice and Empowerment	75.00	10.35
206	P-03-20-2235-03-102-99-51-N-V-	Social Justice and Empowerment	900.00	849.00
207	P-03-20-4235-02-101-92-51-N-V-	Social Justice and Empowerment	0.00	0.00
208	P-03-10-2203-51-105-55-51-N-V-	Technical Education	100.00	100.00
209	P-03-10-2203-51-105-82-51-N-V-	Technical Education	0.00	0.00
210	P-03-10-2203-51-105-89-51-N-V-	Technical Education	194.00	194.00
211	P-02-19-2225-01-102-96-51-N-V-	Welfare of S.Cs,S.Ts and Other B.Cs	900.00	887.74
212	P-02-19-2225-01-277-84-51-N-V-	Welfare of S.Cs,S.Ts and Other B.Cs	0.00	0.00
213	P-02-19-2225-01-277-99-51-N-V-	Welfare of S.Cs,S.Ts and Other B.Cs	0.00	0.00
214	P-02-19-2225-01-800-84-51-N-V-	Welfare of S.Cs,S.Ts and Other B.Cs	6.37	5.57
215	P-02-19-2225-01-800-87-51-N-V-	Welfare of S.Cs,S.Ts and Other B.Cs	2.50	1.78
216	P-02-19-2225-01-800-88-51-N-V-	Welfare of S.Cs,S.Ts and Other B.Cs	7.75	0.68
217	P-02-19-2225-01-800-89-51-N-V-	Welfare of S.Cs,S.Ts and Other B.Cs	1000.00	967.46
218	P-02-19-2225-01-800-90-51-N-V-	Welfare of S.Cs,S.Ts and Other B.Cs	2.75	1.54
219	P-02-19-2225-03-277-91-51-N-V-	Welfare of S.Cs,S.Ts and Other B.Cs	0.00	0.00
220	P-02-19-2225-03-277-92-51-N-V-	Welfare of S.Cs,S.Ts and Other B.Cs	0.00	0.00
221	P-02-19-2225-03-277-95-51-N-V-	Welfare of S.Cs,S.Ts and Other B.Cs	0.00	0.00
222	P-02-19-4225-01-190-99-51-N-V-	Welfare of S.Cs,S.Ts and Other B.Cs	0.00	0.00
223	P-02-19-4225-03-277-99-51-N-V-	Welfare of S.Cs,S.Ts and Other B.Cs	0.00	0.00
224	P-03-19-2225-01-277-68-51-N-V-	Welfare of S.Cs,S.Ts and Other B.Cs	0.00	0.00
225	P-03-19-2225-01-277-70-51-N-V-	Welfare of S.Cs,S.Ts and Other B.Cs	0.00	0.00
226	P-03-19-2225-01-277-80-51-N-V-	Welfare of S.Cs,S.Ts and Other B.Cs	0.00	0.00
227	P-03-19-2225-01-277-83-51-N-V-	Welfare of S.Cs,S.Ts and Other B.Cs	0.00	0.00
228	P-03-19-2225-01-277-99-51-N-V-	Welfare of S.Cs,S.Ts and Other B.Cs	0.00	0.00
229	P-03-19-2225-01-793-77-51-N-V-	Welfare of S.Cs,S.Ts and Other B.Cs	0.00	0.00
230	P-03-19-2225-01-793-78-51-N-V-	Welfare of S.Cs,S.Ts and Other B.Cs	302.00	302.00

231	P-03-19-2225-01-793-79-51-N-V-	Welfare of S.Cs,S.Ts and Other B.Cs	0.00	0.00
232	P-03-19-2225-03-277-93-51-N-V-	Welfare of S.Cs,S.Ts and Other B.Cs	2231.40	1401.67
233	P-02-21-2235-02-102-69-51-N-V-	Women and Child Development	375.32	99.41
234	P-02-21-2235-02-102-70-51-N-V-	Women and Child Development	0.00	0.00
235	P-02-21-2235-02-102-73-51-N-V-	Women and Child Development	1015.54	1015.54
236	P-02-21-2235-02-102-74-51-N-V-	Women and Child Development	6.00	0.28
237	P-02-21-2235-02-102-88-51-N-V-	Women and Child Development	0.00	0.00
238	P-02-21-2235-02-102-92-51-N-V-	Women and Child Development	13245.88	11411.63
239	P-02-21-2235-02-103-65-51-N-V-	Women and Child Development	0.00	0.00
240	P-02-21-2235-02-103-67-51-N-V-	Women and Child Development	0.00	0.00
241	P-02-21-2235-02-103-74-51-N-V-	Women and Child Development	0.07	0.07
242	P-02-21-2235-02-199-99-51-N-V-	Women and Child Development	0.00	0.00
243	P-02-21-2235-02-789-90-51-N-V-	Women and Child Development	2320.41	1789.92
244	P-02-21-2236-02-101-88-51-N-V-	Women and Child Development	486.23	390.62
245	P-02-21-2236-02-101-89-51-N-V-	Women and Child Development	25.18	0.12
246	P-02-21-2236-02-101-95-51-N-V-	Women and Child Development	3958.49	3557.14
247	P-02-21-2236-02-789-96-51-N-V-	Women and Child Development	102.98	79.22
248	P-02-21-2236-02-789-97-51-N-V-	Women and Child Development	0.50	0.00
249	P-02-21-2236-02-789-98-51-N-V-	Women and Child Development	1270.18	1045.25
250	P-02-21-2236-80-102-99-51-N-V-	Women and Child Development	1882.87	1043.88
251	P-02-21-4235-02-102-99-51-N-V-	Women and Child Development	17.72	0.00
252	P-02-21-4235-02-103-95-51-N-V-	Women and Child Development	0.00	0.00
253	P-03-21-2235-02-103-66-51-N-V-	Women and Child Development	0.00	0.00
254	P-03-21-2235-02-103-69-51-N-V-	Women and Child Development	0.00	0.00
255	P-03-21-4235-02-103-96-51-N-V-	Women and Child Development	0.00	0.00
		Grand Total	**567814.21**	**497832.64**

Centre Share Schemes Released and Expenditure for the year 2022-23

(Rs. in lakhs)

Sr. No.	Description	Department Name	Centre Share Released	Centre Expenditure
1	P-02-10-2401-51-001-96-51-N-V- National e-Governance Plan for Agriculture (NeGP-A)	Agriculture and Farmer Welfare Department	126.98	126.98
2	P-02-10-2401-51-109-77-51-N-V- National Food Security Mission	Agriculture and Farmer Welfare Department	760.42	760.42
3	P-02-10-2401-51-109-77-98-N-V- National Food Security Mission -Oilseeds and Oil Palm	Agriculture and Farmer Welfare Department	0.00	0.00
4	P-02-10-2401-51-109-77-99-N-V- National Food Security Mission -Wheat, Pulses and other nutri cereals etc.,	Agriculture and Farmer Welfare Department	0.00	0.00
5	P-02-10-2401-51-109-78-51-N-V- Sub-Mission on Agriculture Mechanization	Agriculture and Farmer Welfare Department	1431.60	1283.67
6	P-02-10-2401-51-109-80-51-N-V- Scheme for Rashtriya Krishi Vikas Yojna	Agriculture and Farmer Welfare Department	2118.14	1996.74

7	P-02-10-2401-51-109-85-51-N-V- Scheme for Central Sector Scheme Support to State Extension Programmes for Extensions Reforms	Agriculture and Farmer Welfare Department	822.52	819.08
8	P-02-10-2401-51-789-85-51-N-V- National Food Security Mission for Scheduled Castes	Agriculture and Farmer Welfare Department	540.62	540.62
9	P-02-10-2401-51-789-85-98-N-V- National Food Security Mission for Scheduled Castes -Oilseeds and Oil Palm	Agriculture and Farmer Welfare Department	0.00	0.00
10	P-02-10-2401-51-789-85-99-N-V- National Food Security Mission for Scheduled Castes -Wheat, Pulses and other nutri cereals etc.,	Agriculture and Farmer Welfare Department	0.00	0.00
11	P-02-10-2401-51-789-90-51-N-V- Support to State Extension Programme for Extension Reforms for Scheduled Caste Farmers	Agriculture and Farmer Welfare Department	424.66	422.69
12	P-02-10-2401-51-789-97-51-N-V- Scheme for Rashtriya Krishi Vikas Yojna for Scheduled Castes	Agriculture and Farmer Welfare Department	926.20	694.20
13	P-02-10-2402-51-101-95-51-N-V- Soil Health Cards Scheme	Agriculture and Farmer Welfare Department	68.02	68.01
14	P-02-10-2402-51-102-77-51-N-V- National Mission on Sustainable Agriculture	Agriculture and Farmer Welfare Department	248.61	248.61
15	P-02-10-2402-51-789-98-51-N-V- Soil Health Cards Scheme for Scheduled Castes farmers	Agriculture and Farmer Welfare Department	11.98	11.98
16	P-02-10-2402-51-789-99-51-N-V- National Mission on Sustainable Agriculture for Scheduled Castes farmers	Agriculture and Farmer Welfare Department	0.00	0.00
17	P-03-10-2401-51-111-96-51-N-V- Scheme for Improvement of Crops Statistics	Agriculture and Farmer Welfare Department	54.50	48.45
18	P-03-10-2401-51-111-97-51-N-V- Timely reporting of Estimates of area on production of Principal Crops in Haryana	Agriculture and Farmer Welfare Department	49.25	37.23
19	P-03-10-2401-51-190-98-51-N-V- Sub-Mission on Seed & Planting Material (SMSP) under National Mission on Agriculture extension and Technology (NMAET)	Agriculture and Farmer Welfare Department	0.00	0.00
20	P-02-10-2403-51-101-63-51-N-V- Livestock health and disease control	Animal Husbandry	0.00	0.00
21	P-02-10-2403-51-102-65-51-N-V- National Plan for Dairy Development	Animal Husbandry	0.00	0.00
22	P-02-10-2403-51-102-67-51-N-V- Scheme for implementation of National Livestock Mission	Animal Husbandry	0.00	0.00
23	P-02-10-2403-51-113-96-51-N-V- Scheme for Sample Survey Estimation of Prod.of Milk,Eggs,Wool&Meat /Fodder &Grasses/ Assessment Dev.Project	Animal Husbandry	41.35	10.35
24	P-02-10-2403-51-789-88-51-N-V- National Plan for Dairy Development	Animal Husbandry	0.00	0.00

25	P-02-10-2403-51-789-89-51-N-V- Scheme for implementation of National Livestock Mission for SCs	Animal Husbandry	0.00	0.00
26	P-02-10-2403-51-789-92-51-N-V- Livestock Health and Disease Control	Animal Husbandry	0.00	0.00
27	P-03-10-2403-51-102-76-51-N-V- Scheme for Assistance to States for Conduct of Livestock Census	Animal Husbandry	0.00	0.00
28	P-03-10-2403-51-789-87-99-N-V- White Revolution -Scheme for Assistance to State for Census of Livestock (100% CSS)	Animal Husbandry	0.00	0.00
29	P-02-14-2210-04-101-81-51-N-V- GIA to State Ayush Society, Haryana for National Ayush Mission	AYUSH	406.64	0.00
30	P-03-06-3454-02-001-80-51-N-V- Rajiv Awas Yojana- Capacity Buildings/Preparatory/ICE Activities	Department of Economic and Statistical Analysis, Haryana	1.60	0.71
31	P-03-06-3454-02-001-82-98-N-V- State Strategic Statistical Plan (SSSP) at State and district Level . -Establishment Expenses	Department of Economic and Statistical Analysis, Haryana	0.00	0.00
32	P-03-06-3454-02-001-90-98-N-V- Assistance under Eleventh Finance Commission for Computerisation -Establishment Expenses	Department of Economic and Statistical Analysis, Haryana	0.00	0.00
33	P-03-06-3454-02-001-92-51-N-V- Seventh Economic Census in Haryana	Department of Economic and Statistical Analysis, Haryana	0.00	0.00
34	P-02-20-2515-51-003-98-98-N-V- Community Development -Setting up of Haryana Institute of Rural Development Nilokheri renamed as Scheme for Training & Capacity Building - Haryana Institute of Rural Development Nilokheri	Development and Panchayat	0.00	0.00
35	P-02-20-2515-51-101-81-51-N-V- Rashtriya Gram Swaraj Abhiyan (R G S A)	Development and Panchayat	0.00	0.00
36	P-02-20-2515-51-102-93-99-N-V- Scheme for Sanitation under Swachh Bharat Mission(Gramin) -Normal Plan	Development and Panchayat	0.00	0.00
37	P-02-20-2515-51-789-98-51-N-V- Scheme for Sanitation under Swachh Bharat Mission(Gramin)- for Scheduled Castes	Development and Panchayat	0.00	0.00
38	P-03-20-2515-51-198-97-51-N-V- United Grants to Gram Panchayats on the recommendations of the Central Finance Commission	Development and Panchayat	0.00	0.00
39	P-03-20-2515-51-198-98-51-N-V- Tied Grants to Gram Panchayats on the recommendations of the Central Finance Commission	Development and Panchayat	0.00	0.00
40	P-02-20-2217-80-190-98-51-N-V- Karnal Smart City Limited	Director Urban Local Bodies	4900.00	4900.00
41	P-02-20-2217-80-190-99-51-N-V- Faridabad Smart City Limited	Director Urban Local Bodies	4900.00	4900.00

42	P-02-20-2217-80-192-86-51-N-V- New Urban Renewal Mission (AMRUT)	Director Urban Local Bodies	1120.00	1120.00
43	P-02-20-2217-80-192-88-51-N-V- Swachh Bharat Mission	Director Urban Local Bodies	0.00	0.00
44	P-02-20-2217-80-192-89-51-N-V- National Urban Livelihood Mission	Director Urban Local Bodies	1102.29	1102.29
45	P-02-20-2217-80-789-90-51-N-V- National Urban Livelihood Mission for Scheduled Castes	Director Urban Local Bodies	320.02	320.02
46	P-03-20-2217-80-191-97-51-N-V- Grant-in-Aid to Municipal Corporations on the recommendation of Central Finance Commission	Director Urban Local Bodies	10784.04	10784.04
47	P-03-20-2217-80-192-93-51-N-V- Grant-in-Aid to Muncipalities/Municipal Councils on the recommendation of Central Finance Commission	Director Urban Local Bodies	9190.96	9190.96
48	P-02-20-2217-80-192-87-51-N-V- Smart City	Director Urban Local Bodies	20000.00	0.00
49	P-02-19-2851-51-102-63-51-N-V- Pradhan Mantri Formalisation of Micro Food Processing Enterprises (PMFME)	Directorate of Micro, Small and Medium Enterprises	432.20	432.20
50	P-02-19-2851-51-103-89-51-N-V- Comprehensive Handlooms Development Scheme	Directorate of Micro, Small and Medium Enterprises	0.00	0.00
51	P-03-19-2851-51-001-97-51-N-V- Enforcement of Handloom Act 1985	Directorate of Micro, Small and Medium Enterprises	0.00	0.00
52	P-02-12-2202-01-111-99-51-N-V- Sarva Shiksha Abhiyan	Education (Elementry)	18286.22	6938.58
53	P-02-12-2202-01-112-99-51-N-V- Mid-Day Meal for Primary School Children	Education (Elementry)	5521.53	5517.53
54	P-02-12-2202-01-793-98-51-N-V- National Programme of Mid-day-meals schools	Education (Elementry)	1765.83	1765.83
55	P-02-12-2202-01-793-99-51-N-V- Sarv Shiksha Abhiyan	Education (Elementry)	5629.85	2136.21
56	P-02-12-2202-03-103-97-51-N-V- Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA)	Education (Higher)	0.00	0.00
57	P-03-13-2204-51-102-93-51-N-V- Opening of NSS Cell in DHE,Haryana	Education (Higher)	78.00	15.22
58	P-03-13-2205-51-105-86-51-N-V- Development and Upgradation of Public Libraries under Central Finance Commission	Education (Higher)	0.00	0.00
59	P-02-12-2202-02-105-90-51-N-V- Strengthening of SCERT Haryana, Gurgaon	Education (Secondary)	19.50	19.50
60	P-02-12-2202-02-105-91-51-N-V- Setting up of Block Institution of Education and Training (BIETs)	Education (Secondary)	68.10	66.60
61	P-02-12-2202-02-105-92-51-N-V- Setting up of District Institute of Education and Training (DIETs)	Education (Secondary)	2622.30	2565.66

62	P-02-12-2202-02-107-89-51-N-V- National Merits Scholarship	Education (Secondary)	0.00	0.00
63	P-02-12-2202-02-109-86-51-N-V- Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA)	Education (Secondary)	13477.26	5092.01
64	P-02-12-2202-02-793-98-51-N-V- Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan (RMSA)	Education (Secondary)	3313.10	1361.75
65	P-02-12-2202-04-200-97-51-N-V- Sakshar Bharat Scheme/ Renamed as Padhna Likhna Abhiyan Renamed as New India Literacy Programme (NILP)	Education (Secondary)	0.00	0.00
66	P-02-13-2204-51-102-94-51-N-V- Field Staff	Education (Secondary)	2.75	0.00
67	P-03-15-2230-02-101-85-51-N-V- National Career Service Project	Employment	92.20	92.20
68	P-03-14-2211-51-001-97-51-N-V- Child Survival Safe Motherhood	Family Welfare	736.62	452.14
69	P-03-14-2211-51-001-98-51-N-V- District Family Planning Bureau	Family Welfare	1419.45	863.05
70	P-03-14-2211-51-001-99-51-N-V- State Family Planning Bureau	Family Welfare	589.55	326.53
71	P-03-14-2211-51-003-95-51-N-V- MPW Training School (Male), Rohtak	Family Welfare	55.07	21.99
72	P-03-14-2211-51-003-96-51-N-V- Promotional Training School for MPW (Female), Bhiwani	Family Welfare	19.07	3.92
73	P-03-14-2211-51-003-98-51-N-V- Training of A.N.Ms	Family Welfare	137.03	35.69
74	P-03-14-2211-51-003-99-51-N-V- Regional Family Planning Training Centre Rohtak	Family Welfare	130.75	58.40
75	P-03-14-2211-51-101-98-51-N-V- Sub Centres	Family Welfare	16751.27	12324.85
76	P-03-14-2211-51-102-99-51-N-V- Urban Family Welfare Services	Family Welfare	414.68	297.30
77	P-03-14-2211-51-103-99-51-N-V- Immunisation Programme	Family Welfare	0.00	0.00
78	P-03-14-2211-51-200-99-51-N-V- Conventional Contraceptives	Family Welfare	0.00	0.00
79	P-02-10-2405-51-101-72-51-N-V- Development of Fresh Water Aquaculture Renamed as Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY)	Fisheries	2076.11	2076.11
80	P-03-10-2405-51-101-81-98-N-V- Strengthening of Databases and Information Networking for Fisheries Sector -Establishment Expenses	Fisheries	0.00	0.00
81	P-03-10-2405-51-109-98-51-N-V- Training, Skill Dev. and Capacity Building of Fish Farmers and Other Stakeholders in all Fisheries related activities both Marine and Inland Fisheries	Fisheries	0.00	0.00
82	P-02-14-4059-01-051-63-51-N-V- Construction of Food and Drug Administration Building	Food and Drugs Administration Haryana	600.00	600.00
83	P-02-14-4210-04-107-99-51-N-V- Strengthening of State Drug Requlatory System	Food and Drugs Administration Haryana	0.00	0.00

84	P-02-11-2408-01-001-91-51-N-V- Revamping of End to End Computerisation of TPDS Operation	Food, Civil Supplies and Consumer Affairs Department	0.00	0.00
85	P-02-10-2406-01-101-96-51-N-V- Agro- Forestry under National Mission for sustainable Agriculture (NMSA) Centrally Sponsored Scheme	Forests	0.00	0.00
86	P-02-10-2406-01-102-64-51-N-V- National Afforestation Progamme (National Mission for a green India)	Forests	955.26	955.26
87	P-02-10-2406-01-102-74-51-N-V- Integrated Forest Protection	Forests	0.00	0.00
88	P-02-10-2406-02-110-87-51-N-V- Conservation and Management of Wetland in Haryana under the National Plan for Conservation of Aquatice Eco-systems	Forests	0.00	0.00
89	P-02-10-2406-02-110-88-51-N-V- Integrated Development of Wild Life Habitats	Forests	150.00	150.00
90	P-02-10-2406-02-110-91-51-N-V- Strengthening, Expansion and Improvement of Sanctuaries	Forests	8.70	8.70
91	P-02-01-2011-02-101-98-51-N-V- National e-Vidhan Application (NeVA)	Haryana Vidhan Sabha	204.85	204.43
92	P-02-14-2210-01-200-98-51-N-V- National Urban Health Mission	Health	664.00	664.00
93	P-02-14-2210-03-103-84-51-N-V- Grant-in-aid under NRHM	Health	33176.00	33176.00
94	P-02-14-2210-06-188-97-51-N-V- PM Ayushman Bharat Health Infrastucture Mission	Health	0.00	0.00
95	P-02-14-2210-06-188-98-51-N-V- Coronavirus disease (COVID-19) Vaccination	Health	0.00	0.00
96	P-02-14-2210-06-188-99-51-N-V- India Coronavirus disease (COVID-19) Emergency Response and Health Systems Preparendness Package	Health	0.00	0.00
97	P-02-14-2210-80-199-99-51-N-V- Ayushman Bharat Haryana Health Protection Mission	Health	0.00	0.00
98	P-03-14-2210-01-110-70-51-N-V- Upgradation of Standards of Administration Central Finance Commission	Health	15959.07	15640.00
99	P-03-14-2210-06-101-86-51-N-V- National Goitre Control Programme renamed as Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission	Health	0.00	0.00
100	P-03-14-2210-80-800-97-51-N-V- Strengthening of the Office of the Chief Registrar of Death & Birth	Health	0.00	0.00
101	P-02-05-2014-51-105-95-51-N-V- District & Session Courts - Fast Track Courts	High Court	840.00	840.00

102	P-03-05-2014-51-105-92-51-N-V- Speedier Justice Delivery in case of Heinous Crimes etc. Central Finance Commission	High Court	0.00	0.00
103	P-02-10-2401-51-119-69-51-N-V- Scheme for National Horticulture Mission	Horticulture	3483.00	3483.00
104	P-02-10-2401-51-789-88-51-N-V- Scheme for National Horticulture Mission for Scheduled Caste Farmers.	Horticulture	437.00	437.00
105	P-02-17-2216-02-192-99-51-N-V- Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban Normal)	Housing for All	290.25	290.25
106	P-02-17-2216-02-789-99-51-N-V- Pradhan Mantri Awas Yojana (Urban SC)	Housing for All	0.00	0.00
107	P-02-17-2216-03-196-99-51-N-V- Pradhan Mantri Awas Yojana (Rural Normal)	Housing for All	260.85	260.85
108	P-02-17-2216-03-789-99-51-N-V- Pradhan Mantri Awas Yojana (Rural SC)	Housing for All	213.42	213.42
109	P-02-18-2852-07-190-99-51-N-V- Establishment of Centre of Excellence for Internet of things in Haryana	Information Technology, Electronics and Communication Department	0.00	0.00
110	P-02-19-2705-51-190-94-51-N-V- Implementation of Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana-Per Drop More Crop	Irrigation and Water Resources Department	5760.00	5760.00
111	P-02-19-2705-51-190-95-51-N-V- Area Development Progamme for Canal Area (50% Basis)	Irrigation and Water Resources Department	0.00	0.00
112	P-02-19-2705-51-789-97-51-N-V- Implementation of Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana "Per Drop More Crop"	Irrigation and Water Resources Department	0.00	0.00
113	P-02-19-4700-25-800-98-51-N-V- Construction of canal	Irrigation and Water Resources Department	0.00	0.00
114	P-02-19-4701-23-800-97-51-N-V- Repair, Renovation and Restoration of Water Bodies	Irrigation and Water Resources Department	0.00	0.00
115	P-03-19-4701-80-800-95-51-N-V- Rehabilitating the existing canal network Remodeling and Rehabliation of Water Coures	Irrigation and Water Resources Department	0.00	0.00
116	P-02-15-2230-01-112-99-51-N-V- Rehabilation of Bonded Labour	Labour	0.00	0.00
117	P-02-04-2506-51-103-99-97-N-V- National Land Records Modernization Programme - Computerization of Registration	Land Records	0.00	0.00
118	P-02-04-2506-51-103-99-98-N-V- National Land Records Modernization Programme - Survey/resurvey and Modern Record Rooms	Land Records	0.00	0.00
119	P-03-04-2029-51-103-96-51-N-V- Headquarters staff Land Records Agricultural Census	Land Records	30.78	8.26
120	P-03-04-2029-51-103-97-98-N-V- Rationalisation of Minor Irrigation Statistics Headquarter staff - Establishment Expenses	Land Records	109.78	100.03

121	P-03-04-2506-51-103-99-99-N-V- National Land Records Modernization Programme - Computerization of Land Records	Land Records	0.00	0.00
122	P-02-14-4210-03-105-82-51-N-V- Construction of Government Medical College, Yamuna Nagar	Medical Education and Research	0.00	0.00
123	P-02-14-4210-03-105-83-51-N-V- Construction of Government Medical College, Kaithal	Medical Education and Research	0.00	0.00
124	P-02-14-4210-03-105-84-51-N-V- Construction of Government Medical College, Sirsa	Medical Education and Research	0.00	0.00
125	P-02-14-4210-03-105-93-51-N-V- Construction works of New Government Medical College at Bhiwani	Medical Education and Research	8978.66	8978.66
126	P-03-14-4210-03-105-81-51-N-V- Setting up/Strengthening of Medical Infrastructure under Central Finance Commission	Medical Education and Research	0.00	0.00
127	P-02-05-2055-51-109-96-51-N-V- Haryana Cadet Corps	Police	0.00	0.00
128	P-02-05-2055-51-109-97-51-N-V- Special Mahila Police Volunteers	Police	0.00	0.00
129	P-02-05-2055-51-115-99-51-N-V- Purchase of Equipment Renamed as CCTNS	Police	1035.00	1035.00
130	P-03-05-2055-51-109-95-51-N-V- Haryana State Emergency Response System	Police	0.00	0.00
131	P-03-05-2055-51-114-96-51-N-V- Crime and Criminal Tracking Network and System (CCTNS) Renamed as Nirbhya/Cyber Crime Prevention against Women and Children (CCPWC). Assistance to State for Narcotics	Police	201.57	201.57
132	P-03-07-6801-51-205-91-98-N-V- Loans to Haryana Discom for Power Project -Loan to DHBVNL	Power	283.25	283.25
133	P-03-05-2056-51-800-99-51-N-V- Modernisation of Prisons	Prisons	7.20	0.00
134	P-02-20-4215-01-101-93-51-N-V- Implementation of AMRUT-II for Water Supply	Public Health Engineering Department	0.00	0.00
135	P-02-20-4215-01-102-98-91-N-V- Accelerated Rural Water Supply -NRDWP (National Water Quality Sub Mission on Arsenic and Fluoride)	Public Health Engineering Department	0.00	0.00
136	P-02-20-4215-01-102-98-93-N-V- Accelerated Rural Water Supply -NRDWP (Water Quality Monitoring & Surveillance WQMS) Renamed Jal Jeevan Mission (J J M) -WQMS	Public Health Engineering Department	0.00	0.00
137	P-02-20-4215-01-102-98-94-N-V- Accelerated Rural Water Supply -NRDWP-(Support Activities) Renamed Jal Jeevan Mission (JJM) -Support Activities	Public Health Engineering Department	0.00	0.00
138	P-02-20-4215-01-102-98-99-N-V- Accelerated Rural Water Supply -NRDWP- Coverage Central Renamed Jal Jeevan Mission (JJM) Coverage	Public Health Engineering Department	0.00	0.00

139	P-02-17-4059-60-051-98-51-N-V- Administration of Justice	PWD (Buildings and Roads)	0.00	0.00
140	P-02-17-4216-01-106-99-51-N-V- Administration of Justice	PWD (Buildings and Roads)	0.00	0.00
141	P-02-17-5054-04-337-49-99-N-V- Rural Road under PMGSY Scheme -Upgradation of rural roads in Ambala Circle CFC	PWD (Buildings and Roads)	7330.87	7330.87
142	P-03-17-3054-80-797-99-51-N-V- Transfer From CRF-Inter Account Trasfer	PWD (Buildings and Roads)	0.00	0.00
143	P-03-17-5054-03-337-87-51-N-V- Construction Stregthening/widening and Upgradation of roads under CRF	PWD (Buildings and Roads)	6081.00	3118.84
144	P-03-17-5054-04-337-49-99-N-V- Rural Road under PMGSY Scheme -Upgradation of rural roads in Ambala Circle CFC	PWD (Buildings and Roads)	0.00	0.00
145	P-02-11-2425-51-107-97-51-N-V- Integrated Co-operative Development Project	Registrar, Co-operative Societies, Haryana	241.92	0.00
146	P-03-07-6425-51-108-82-51-N-V- Loan to Cooperative Societies under Central Sector Integrated Scheme of NCDC	Registrar, Co-operative Societies, Haryana	0.00	0.00
147	P-03-07-6425-51-108-99-51-N-V- Integrated Co-Operative Development Programme.	Registrar, Co-operative Societies, Haryana	1500.00	1500.00
148	P-03-11-2425-51-107-74-51-N-V- Subsidy to Cooperative Societies under Central Sector Integrated Scheme	Registrar, Co-operative Societies, Haryana	17.29	17.29
149	P-03-11-4425-51-108-74-51-N-V- Share Capital to Primary Agriculture Cooperative Societies from National Cooperative Development Corporation	Registrar, Co-operative Societies, Haryana	92.00	92.00
150	P-03-11-4425-51-108-79-51-N-V- Share Capital to Fruit & Vegetable Societies	Registrar, Co-operative Societies, Haryana	0.00	0.00
151	P-03-11-4425-51-108-88-51-N-V- Government contribution to the Share Capital of Marketing Co-operatives	Registrar, Co-operative Societies, Haryana	0.00	0.00
152	P-03-11-4425-51-108-94-51-N-V- Integrated Cooperative Development Project	Registrar, Co-operative Societies, Haryana	1500.00	1500.00
153	P-02-04-2245-05-101-99-51-N-V- State and Centre Contribution	Revenue	0.00	0.00
154	P-03-04-2245-80-102-94-51-N-V- Strengthening of District Disaster Management Authorities of Hazard Prone District Mewat	Revenue	4.20	0.00
155	P-03-04-2245-80-102-95-51-N-V- Implementation of the Sandai Framework for Disaster risk Reduction (DRR)	Revenue	19.64	0.00
156	P-03-04-2245-80-102-97-51-N-V- Mock Excercise	Revenue	13.30	12.94

157	P-02-20-2501-05-101-99-51-N-V- Batch VI projects under Integrated Wasteland Development/Management Project under Watershed Component of Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana	Rural Development	211.56	211.56
158	P-02-20-2501-05-789-99-51-N-V- Integrated Waste Land Development Management Project	Rural Development	90.66	90.66
159	P-02-20-2501-06-101-96-51-N-V- Start-up Village Enterpreneurship Programme (NRLM, SVEP)	Rural Development	0.00	0.00
160	P-02-20-2501-06-101-97-51-N-V- Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana (NRLM, DDU-GKY) (Project, Admn.)	Rural Development	0.00	0.00
161	P-02-20-2501-06-101-99-99-N-V- National Rural Livelihood Mission (N R L M / Aajeevika) -Normal Plan	Rural Development	1842.27	1842.27
162	P-02-20-2501-06-789-97-51-N-V- Start-up Village Enterpreneurship Programme (NRLM, SVEP) for SCSP	Rural Development	0.00	0.00
163	P-02-20-2501-06-789-98-51-N-V- Deen Dayal Upadhyaya Grameen Kaushalya Yojana (NRLM, DDU-GKY) (Project, Admn.) for SCSP	Rural Development	0.00	0.00
164	P-02-20-2501-06-789-99-51-N-V- National Rural Livelihood Mission (N R L M/ Aajeevika)	Rural Development	546.87	546.87
165	P-02-20-2501-06-800-97-51-N-V- DRDA Administration	Rural Development	0.00	0.00
166	P-02-20-2505-02-101-99-99-N-V- Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGA) -Normal Plan	Rural Development	7194.24	7194.24
167	P-02-20-2515-51-106-96-51-N-V- Scheme for Development of Minority under Pradhan Mantri Jan Vikas Karyakram (PMJVK)	Rural Development	781.75	781.75
168	P-02-20-2515-51-106-97-51-N-V- Shyama Prasad Mukherjee Rurban Mission (SPMRM)	Rural Development	3187.25	3187.25
169	P-03-20-2501-06-102-97-51-N-V- Scheme for Rural Self Employment Training Institute (RSETI)	Rural Development	0.00	0.00
170	P-03-20-2515-51-106-98-51-N-V- Pardhan Mantri Adarsh Gram Yojana (PMAGY)	Rural Development	0.00	0.00
171	P-03-20-2553-51-101-98-51-N-V- Saansad Adarsh Gram Yojana (SAGY)	Rural Development	0.00	0.00
172	P-02-15-2230-03-003-60-51-N-V- Up-Gradation of ITIs into Model ITIs	Skill Development and Industrial Training Department	0.00	0.00
173	P-02-15-2230-03-199-99-51-N-V- Skill Acquisitionand Knowledge Awareness for Livelivood project (SANKALP).	Skill Development and Industrial Training Department	0.00	0.00
174	P-03-15-2230-03-003-61-51-N-V- Skill Strengthening for Industrial Value Enhancement (STRIVE)	Skill Development and Industrial Training Department	0.00	0.00

175	P-03-15-2230-03-003-74-51-N-V- Organising Special Training for S.C., S.T. under Special Central Assistance System	Skill Development and Industrial Training Department	0.00	0.00
176	P-03-15-2230-03-190-98-51-N-V- National Apprenticeship Promotion Scheme	Skill Development and Industrial Training Department	0.00	0.00
177	P-03-15-2230-03-190-99-51-N-V- Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojna	Skill Development and Industrial Training Department	0.00	0.00
178	P-02-16-2235-60-102-95-51-N-V- Pension to Differently Able Person	Social Justice and Empowerment	0.00	0.00
179	P-02-16-2235-60-102-96-51-N-V- Financial Assistance to Destitute Women and Widow	Social Justice and Empowerment	0.00	0.00
180	P-02-16-2235-60-102-98-51-N-V- Old Age Samman Allowance Scheme	Social Justice and Empowerment	0.00	0.00
181	P-03-16-2235-02-105-99-51-N-V- National Action Plan for Drug de-addiction and Rehabilitation	Social Justice and Empowerment	0.00	0.00
182	P-03-16-2235-02-199-98-51-N-V- National Action Plan for Senior Citizens	Social Justice and Empowerment	0.00	0.00
183	P-03-16-2235-03-102-99-51-N-V- Family benefit scheme	Social Justice and Empowerment	900.00	341.20
184	P-03-16-4235-02-101-92-51-N-V- Accessible India Campaign sugamya Bharat Abhiyan (SIPDA)	Social Justice and Empowerment	0.00	0.00
185	P-03-12-2203-51-105-55-51-N-V- Community Development Through Polytechnics	Technical Education	0.00	0.00
186	P-03-12-2203-51-105-82-51-N-V- Modernisation of existing Polytechnic	Technical Education	0.00	0.00
187	P-03-12-2203-51-105-89-51-N-V- Setting up of new Govt.Polytechnics in the State.	Technical Education	0.00	0.00
188	P-02-16-2225-01-102-96-51-N-V- Monetary relief to the victims of Atrocities	Welfare of S.Cs,S.Ts and Other B.Cs	0.00	0.00
189	P-02-16-2225-01-277-68-51-N-V- Pre-Matric Scholarship to Scheduled Castes students scheme Renamed as and other-Component-I	Welfare of S.Cs,S.Ts and Other B.Cs	0.00	0.00
190	P-02-16-2225-01-277-83-51-N-V- Award of Pre-Matric Scholarships to Children of those whose parents are engaged in unclean occupation Renamed as and other-Component-II	Welfare of S.Cs,S.Ts and Other B.Cs	0.00	0.00
191	P-02-16-2225-01-277-84-51-N-V- Girls Boys Hostel	Welfare of S.Cs,S.Ts and Other B.Cs	0.00	0.00
192	P-02-16-2225-01-277-99-51-N-V- Post-Matric Scholarships to Scheduled Castes	Welfare of S.Cs,S.Ts and Other B.Cs	0.00	0.00
193	P-02-16-2225-01-800-84-51-N-V- Publicity Scheme	Welfare of S.Cs,S.Ts and Other B.Cs	0.00	0.00
194	P-02-16-2225-01-800-87-51-N-V- Debates and Seminars on Removal of untouchability	Welfare of S.Cs,S.Ts and Other B.Cs	0.00	0.00

195	P-02-16-2225-01-800-88-51-N-V- Encouragement awards to Panchayat for their outstanding work	Welfare of S.Cs,S.Ts and Other B.Cs	0.00	0.00
196	P-02-16-2225-01-800-89-51-N-V- Mukhyamantri Samajik Samrasta Antarjatiya Vivah Shagun Yojna	Welfare of S.Cs,S.Ts and Other B.Cs	0.00	0.00
197	P-02-16-2225-01-800-90-51-N-V- Legal aid	Welfare of S.Cs,S.Ts and Other B.Cs	0.00	0.00
198	P-02-16-2225-03-277-91-51-N-V- Dr Ambedkar Pre-Matric and Post Matric Scholarship scheme for Denotified Tribes (DNTs)	Welfare of S.Cs,S.Ts and Other B.Cs	0.00	0.00
199	P-02-16-2225-03-277-92-51-N-V- Construction of hostel for OBC Boys & girls	Welfare of S.Cs,S.Ts and Other B.Cs	0.00	0.00
200	P-02-16-2225-03-277-93-51-N-V- Post Matric Scholarship to BC Students Renamed as for OBC, EBC and DNT Students Component -II	Welfare of S.Cs,S.Ts and Other B.Cs	0.00	0.00
201	P-02-16-2225-03-277-95-51-N-V- Pre-matric scholarship to B.C. Students renamed as for OBC, EBC and DNT Students Component -I	Welfare of S.Cs,S.Ts and Other B.Cs	0.00	0.00
202	P-02-16-4225-01-190-99-51-N-V- Share Capital & Matching assistance @ 1% & 3% for promotional activities recov. and eval. to Har. S/C Fin.Dev.Corp.	Welfare of S.Cs,S.Ts and Other B.Cs	0.00	0.00
203	P-02-16-4225-03-277-99-51-N-V- Nanaji Deshmukh scheme for construction of Hostels	Welfare of S.Cs,S.Ts and Other B.Cs	0.00	0.00
204	P-03-16-2225-01-277-68-51-N-V- Pre-Matric Scholarship to Scheduled Castes students scheme Renamed as and other-Component-I	Welfare of S.Cs,S.Ts and Other B.Cs	500.00	0.00
205	P-03-16-2225-01-277-70-51-N-V- Babu Jagjivan Ram Chhatrawas Yojna	Welfare of S.Cs,S.Ts and Other B.Cs	0.00	0.00
206	P-03-16-2225-01-277-80-51-N-V- Upgradation of Merit to SC/ST Students	Welfare of S.Cs,S.Ts and Other B.Cs	0.00	0.00
207	P-03-16-2225-01-277-83-51-N-V- Award of Pre-Matric Scholarships to Children of those whose parents are engaged in unclean occupation Renamed as and other-Component-II	Welfare of S.Cs,S.Ts and Other B.Cs	0.10	0.00
208	P-03-16-2225-01-277-99-51-N-V- Post-Matric Scholarships to Scheduled Castes	Welfare of S.Cs,S.Ts and Other B.Cs	1207.42	1207.42
209	P-03-16-2225-01-793-77-51-N-V- Pradhan Mantri Anusucit Jaati Abhyuday Yojna (PM-AJAY)	Welfare of S.Cs,S.Ts and Other B.Cs	0.00	0.00
210	P-03-16-2225-01-793-78-51-N-V- Infrastructure Development for Scheduled Castes & Others	Welfare of S.Cs,S.Ts and Other B.Cs	0.00	0.00
211	P-03-16-2225-01-793-79-51-N-V- Skill Development Programme Various field for Scheduled Castes	Welfare of S.Cs,S.Ts and Other B.Cs	0.00	0.00
212	P-03-16-2225-03-277-93-51-N-V- Post Matric Scholarship to BC Students Renamed as for OBC, EBC and DNT Students Component -II	Welfare of S.Cs,S.Ts and Other B.Cs	9400.00	827.75

213	P-02-12-2235-02-102-69-51-N-V- Rajiv Gandhi National Creche Scheme Renamed as National Creche Scheme	Women and Child Development	10.49	9.22
214	P-02-12-2235-02-102-70-51-N-V- Scheme for Beti Bachao Beti Padhao	Women and Child Development	0.00	0.00
215	P-02-12-2235-02-102-73-51-N-V- Integrated Child Protection Scheme (ICPS)	Women and Child Development	300.48	300.48
216	P-02-12-2235-02-102-74-51-N-V- Rajeev Gandhi Scheme for Empowerment of Adolesent Girls (RGSEAG)-SABLA	Women and Child Development	0.00	0.00
217	P-02-12-2235-02-102-88-51-N-V- Setting up of Anganwadi Training Centres(UDISHA Project)	Women and Child Development	0.00	0.00
218	P-02-12-2235-02-102-92-51-N-V- Integrated Child Development Services Schemes (WCD)	Women and Child Development	4533.99	4547.07
219	P-02-12-2235-02-103-65-51-N-V- Protection Houses (Suraksha Greh) for combating Honour Killing	Women and Child Development	0.00	0.00
220	P-02-12-2235-02-103-67-51-N-V- Swadhar Grah Scheme	Women and Child Development	0.00	0.00
221	P-02-12-2235-02-103-74-51-N-V- Mahila Shakti Kendra.	Women and Child Development	129.11	129.11
222	P-02-12-2235-02-199-99-51-N-V- Ujjawla Scheme	Women and Child Development	0.00	0.00
223	P-02-12-2235-02-789-90-51-N-V- Financial Assistance to Scehdule Castes Anganwadi Workers/helper	Women and Child Development	977.95	977.95
224	P-02-12-2236-02-101-88-51-N-V- Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (P M M V Y)	Women and Child Development	2.14	1.87
225	P-02-12-2236-02-101-89-51-N-V- Scheme for Adolescent Girls	Women and Child Development	0.00	0.00
226	P-02-12-2236-02-101-95-51-N-V- Supplementary Nutrition Programme	Women and Child Development	1667.77	1667.77
227	P-02-12-2236-02-789-96-51-N-V- Financial Assistance To Scheduled Caste Women(Pradhan Mantri Matru Vandana Yojna)	Women and Child Development	0.00	0.00
228	P-02-12-2236-02-789-97-51-N-V- Financial assistance to Scheduled Castes adolescent girls under Rajiv Gandhi Scheme for Empowerment of adolescent girls (SABLA)	Women and Child Development	0.00	0.00
229	P-02-12-2236-02-789-98-51-N-V- Supplementary Nutrition Programme for Scheduled Castes	Women and Child Development	1045.96	1045.96
230	P-02-12-2236-80-102-99-51-N-V- Scheme for Poshan Abhiyan	Women and Child Development	853.54	853.12
231	P-02-12-4235-02-102-99-51-N-V- Construction of Anganwadi Centres	Women and Child Development	0.00	0.00
232	P-02-12-4235-02-103-95-51-N-V- Construction of Protection Houses (Suraksha Grah) for Combating Honour Killing	Women and Child Development	0.00	0.00

233	P-03-12-2235-02-103-66-51-N-V-Universalization of Women Helpline	Women and Child Development	0.00	0.00
234	P-03-12-2235-02-103-69-51-N-V- Scheme for setting up One Stop Crises Centre for women	Women and Child Development	0.00	0.00
		Grand Total	**259821.25**	**194475.46**

Details of the Compensation for Damaged Crops

66. Shri Abhay Singh Chautala: Will the Agriculture & Farmers Welfare Minister be pleased to state-

(a) the district-wise details of area in which the Rabi crops of 2021- 2022 and Kharif crops of current year have been damaged due to unseasonal rains in State togetherwith the crop-wise details thereof; and

(b) whether the loss caused to the crops as mentioned in at part ‘a’ above has been compensated by the Government; if so, the cropwise details of the per acre compensation given by the Government in this regard and if not, the reasons therefor?

उप-मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला):

(क व ख) श्रीमान जी, वर्ष 2021-22 मे भारी वर्षा/जलभराव एवं ओलावृष्टि से 12 जिलों के 125342.56 एकड़ में हुई क्षति हेतू मुआवजा प्रदान करने के लिए 151.42 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की जा चुकी हैं। जिसका जिलावार, फसलवार, नुकसान और उसके मुआवजे का विवरण निम्न तालिका में दिया गया हैः-

क्रम सं	जिला का नाम	फसल का नाम	फसल बार खराबा रकबा (एकड़ में)	स्वीकृत मुआवजा राशि
1	अम्बाला	गेंहू	159	22,90,250/-
		अन्य फसलें	11	
2	यमुनानगर	गेंहू	12896	193335438/-
		अन्य फसलें	1620	
3	कैथल	गेंहू	19	2,40,000/-
4	नूंह	गेंहू	22305	32,25,86,500/-
		अन्य फसलें	1064	
5	रेवाडी	गेंहू	522	1,09,45,500/-
		अन्य फसलें	95	
6	हिसार	गेंहू	2760	3,74,95,000/-
		अन्य फसलें	120	

7	जीन्द	गेंहू	1340	1,85,88,000/-
8	रोहतक	गेंहू	17287	23,83,65,664/-
		अन्य फसलें	61	
9	सोनीपत	गेंहू	4463.56	7,06,69,969/-
		अन्य फसलें	3	
10	झज्जर	गेंहू	13506	20,19,59,000/-
		अन्य फसलें	551	
11	भिवानी	गेंहू	4054	15,95,74,000/-
		अन्य फसलें	14340	
12	चरखी दादरी	गेंहू	4265.5	25,81,59,250/-
		अन्य फसलें	23900.5	
कुल जोड़			125342.56	151,42,08,571/-

मुआवजा प्रदान करने के नार्मज इस प्रकार से हैः-

खराबा प्रतिशत	फसल का नाम	मुआवजे की दर
≥ 25 से ढ 33 प्रतिशत तक	गेहू, धान, कपास और गन्ना	9000/-रूपये प्रति एकड़
	सरसों और अन्य फसलें	7000/-रूपये प्रति एकड़
≥ 33 से ढ 50 प्रतिशत तक	गेहू, धान, कपास और गन्ना	9000/-रूपये प्रति एकड़
	सरसों और अन्य फसलें	7000/-रूपये प्रति एकड़
≥ 50 से < 75 प्रतिशत तक	गेहू, धान, कपास और गन्ना	12000/-रूपये प्रति एकड़
	सरसों और अन्य फसलें	9000/-रूपये प्रति एकड़
≥ 75 प्रतिशत से अधिक	गेहू, धान, कपास और गन्ना	15000/-रूपये प्रति एकड़
	सरसों और अन्य फसलें	12500/-रूपये प्रति एकड़

इसके अतिरिक्त, दिनांक 22 सितम्बर, 2022 के बाद कई स्थानों पर हुई भारी वर्षा/जलभराव के कारण खरीफ फसल, 2022 में हुए नुकसान के आंकलन हेतू सरकार के पत्र दिनांक 28.10.2022 और 09.11.2022 (जिला हिसार में आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण) द्वारा विशेष गिरदावरी के आदेश दिए गये थे। जिलों से मण्डलीय आयुक्तों के माध्यम से विशेष गिरदावरी की रिपोर्ट अभी अपेक्षित हैं। रिपोर्ट प्राप्त होने पर सरकार के नार्मज/हिदायतों अनुसार आवश्यक कार्यवाही कर ली जायेगी।

Action Taken to Set Up Tool Room

67. Shri Varun Chaudhry: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state the action taken by the Government to set up Tool Room in Industrial Growth Centre, Saha in District Ambala?

उप–मुख्यमंत्री (श्री दुष्यंत चौटाला): श्रीमान जी, हरियाणा राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम (एच. एस. आई. आई. डी. सी.) ने टूल रुम/तकनीकी केन्द्र (टीसी) की स्थापना के लिए आई. एम. टी. रोहतक में 19.8 एकड़ भूमि और आई. जी. सी. साहा में 10 एकड़ भूमि आवंटित की है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एम.एस.एम.ई.) भारत सरकार ने आई. एम. टी. रोहतक में तकनीकी केन्द्र की स्थापना कर दी है, जबकि आई. जी. सी. साहा में तकनीकी केन्द्र की स्थापना की जानी है। इसके अलावा, एम.एस.एम.ई. मंत्रालय ने पहले से आवंटित 10 एकड़ प्लॉट का समर्पण करके 20 एकड़ भूमि (उनके द्वारा चिन्हित) के आवंटन के लिए अनुरोध किया था। एच. एस. आई. आई. डी. सी. ने पत्र दिनांक 24.03.2022 के माध्यम से एम.एस.एम.ई. मंत्रालय को उक्त 20 एकड़ भूमि आवंटन की सूचना दी। इसके बाद एम.एस.एम.ई. मंत्रालय ने पत्र दिनांक 09.09.2022 के माध्यम से 20 एकड़ भूमि का आवंटन रद्द करने का अनुरोध किया, क्योंकि माननीय एम.एस.एम.ई. मंत्री, भारत सरकार ने पूर्व में आवंटित 10 एकड़ भूमि पर तकनीकी केन्द्र की स्थापना की मंजूरी दे दी है।

फलस्वरुप, एच. एस. आई. आई. डी. सी. द्वारा पत्र दिनांक 25.11.2022 के माध्यम से एम.एस.एम.ई. मंत्रालय को पूर्व में आवंटित 10 एकड़ भूमि को अपने पास रखने की अनुमति दे दी है। विभाग, एम.एस.एम.ई. मंत्रालय, भारत सरकार के साथ इस मामले को आगे बढ़ा रहा है और प्रतिक्रिया की प्रतिक्षा है।

The Criteria of Selection of Delegations

68. **Shri Varun Chaudhry**: Will the Agriculture & Farmers Welfare Minister be pleased to state-

(a) the foreign countries visited by the Government delegations during the last 5 years;

(b) the criteria of selection of delegates alongwith the name and designation of delegates who have visited foreign countries;

(c) the tour wise expenditure incurred by the Government; and d) the tour-wise action taken by the Government on the report of the delegation?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल): श्रीमान, प्रश्न संख्या 68 का विस्तृत उत्तर संलग्न है।

विस्तृत उत्तर

क), ख) और ग) - पिछले 5 वर्षों के दौरान सरकारी प्रतिनिधिमंडलों द्वारा दौरा किए गए विदेशी देश (01.04.2017 से) उनके नाम, पदनाम और दौरे के अनुसार बागवानी विभाग व एच.एस.ए.एम. बोर्ड द्वारा वहन किया गया व्यय के साथ निम्नानुसार है

तालिका-1 बागवानी विभाग के विदेश दौरों का विवरण

क्रम सं.	दौरे की तारीखें (क)	दौरा किए गए देशों के नाम	प्रतिनिधियों के नाम और पदनाम (ख)	व्यय का विवरण (ग)
1.	04.08.2016 से 13.08.2016	संयुक्त राज्य अमेरिका (यू.एस.ए)	i. श्री ओम प्रकाश धनखड़, माननीय कृषि मंत्री, हरियाणा। ii. श्री वरिंदर सिंह कुंडू, एसीएस, कृषि और किसान कल्याण हरियाणा सरकार iii. श्री अर्जुन सिंह सैनी, महानिदेशक बागवानी विभाग iv. श्री भगवान दास, विधायक, हरियाणा v. श्री जसबीर देसवाल, विधायक, हरियाणा vi. श्री गजेंद्र सिंह, महानिदेशक पशुपालन	रु. 57,00,611/- ¼#- 6,35,231/- का व्यय निदेशक पशुपालन द्वारा वहन किया गया)
2.	06.05.2018 से 09.05.2018	इज़राइल	i. श्री मनोहर लाल, माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा। ii. श्री कृष्ण कुमार, राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता iii. श्री दीपेंद्र सिंह ढेसी, मुख्य सचिव iv. श्री मनदीप सिंह बराड़, सी.ए.एच.एस.ए.एम. बोर्ड v. श्री अश्विन जौहर, अध्यक्ष विदेशी निवेश और एनआरआई सेल	रु. 59,77,878.89/- (रु. 2,98,891/- का व्यय एच.ए.यू. हिसार द्वारा वहन किया गया)

			vi. श्री नीरज दफ्तुआर, प्रधान ओएसडी, मुख्यमंत्री, हरियाणा vii. श्री दुष्मंत कुमार बेहरा, निदेशक, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा viii. श्री राज कुमार बेनीवाल, सीएमईओ, एच.एस.ए.एम.बी ix. श्री विनय प्रताप सिंह, उपायुक्त, गुरुग्राम x. श्री अर्जुन सिंह सैनी, महानिदेशक बागवानी विभाग xi. श्री नवदीप सिंह विर्क, पुलिस महानिरीक्षक, रोहतक xii. श्री अनिल कुमार राव, आई.जी, सी.आई.डी. xiii. श्री मोहम्मद अकील, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून एवं व्यवस्था) xiv. श्री करण गोयल, मुख्यमंत्री के पीएसए, हरियाणा xv. श्री अभिमन्यु, मुख्यमंत्री के पीए, हरियाणा	(रू. 4,14,179/- का व्यय कृषि विभाग द्वारा वहन किया गया) और (रु. 4,08,982/- का व्यय एच.एस.ए.एम.बी. द्वारा वहन किया गया)
3.	07.01.2020 से 11.01.2020	यूनाइटेड किंगडम	i. श्री जे गणेशन, आई.ए.एस, मुख्य प्रशासक, एच.एस.ए.एम.बी. ii. डॉ. अर्जुन सिंह सैनी, महानिदेशक बागवानी विभाग iii. श्री पवन कुमार, उप निदेशक बागवानी	रु. 8,78,000/-
4.	2018-19	चीन	i. श्री मनोज कुमार, उप निदेशक उद्यान/एन ii. श्री अजय सिंह यादव, (एम.एच.यू.) iii. श्री बीएस सहरावत, मिशन निदेशक	रु. 5,48,757/-

5.	2022-23	यूके, स्पेन, फ्रांस और नीदरलैंड	i. श्री जय प्रकाश दलाल, माननीय कृषि मंत्री, हरियाणा ii. डॉ. सुमिता मिश्रा, अतिरिक्त मुखय सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग iii. श्री अर्जुन सिंह सैनी, महानिदेशक बागवानी विभाग iv. श्री रणबीर सिंह, अतिरिक्त निदेशक बागवानी	रु. 16,30,040/-

तालिका-2 : एच.एस.ए.एम.बी. के विदेश दौरों का विवरण

क्रम सं.	दौरे की तारीखें	दौरा किए गए देशों के नाम	प्रतिनिधियों के नाम और पदनाम	व्यय का विवरण
1.	06.06.2017 से 19.06.2017	ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फिजी	i. श्री ओम प्रकाश धनखड़, माननीय कृषि मंत्री, हरियाणा। ii. डॉ. गुरदयाल सिंह, कुलपति, लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (लुवास), हिसार। iii. श्री सुभाष बराला, विधान सभा सदस्य, हरियाणा। iv. श्री टेक चंद शर्मा, विधान सभा सदस्य, हरियाणा। v. श्री मूलचंद शर्मा, विधान सभा सदस्य, हरियाणा। vi. श्री ऋषि प्रकाश शर्मा, अध्यक्ष, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड, पंचकूला। vii. डॉ. जे. गणेशन, आई.ए.एस., मुख्य प्रशासक, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड।	रु.2,59,89,853/-

			viii. श्री अशोक कुमार मीणा, आई.ए.एस, निदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा। ix. श्री डी.के. बेहरा, आई.ए.एस, महानिदेशक, कृषि विभाग, हरियाणा। x. डॉ. अर्जुन सिंह सैनी, महानिदेशक, बागवानी विभाग, हरियाणा। xi. डॉ. जी.एस. जाखड़, महानिदेशक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, हरियाणा। xii. श्री राज कुमार बेनीवाल, मुख्य विपणन प्रवर्तन अधिकारी, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंचकूला।	
2.	23.01.2018 से 25.01.2018	नीदरलैंड	i. श्री मनदीप सिंह बराड़, आई.ए.एस, मुख्य प्रशासक, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड। ii. श्री राज कुमार बेनीवाल, मुख्य विपणन प्रवर्तन अधिकारी, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड।	रु.3,88,786/-
3.	15.04.2018 से 30.04.2018	स्पेन, नीदरलैंड, अर्जेंटीना और ब्राजील	i. श्री ओम प्रकाश धनखड़, माननीय कृषि मंत्री, हरियाणा। ii. श्री बख्शीश सिंह विर्क, विधान सभा सदस्य, हरियाणा। iii. श्री बलवंत सिंह, विधान सभा सदस्य, हरियाणा। iv. श्री अनुराग रस्तोगी, आइ.ए.एस, प्रधान सचिव, विकास एवं पंचायत विभाग, हरियाणा।	रु.3,32,04,778/- (रुपये 1,70,29,091/- एचएसएएमबी द्वारा और रु.1,61,75,687/- द्वारा एचआरडीएफ बोर्ड)

			v. डॉ. अभिलक्ष लिखी, आइ.ए.एस, प्रधान सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा। vi. श्री मनदीप सिंह बराड़, आई.ए.एस, मुख्य प्रशासक, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड। vii. डॉ. सतबीर सिंह कादियान, मुख्य अभियंता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, हरियाणा। viii. श्री राज कुमार बेनीवाल मुख्य विपणन प्रवर्तन अधिकारी, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड। ix. श्री दिलबाग सिंह, प्रशासनिक अधिकारी, हरियाणा ग्रामीण विकास निधि प्रशासन बोर्ड। x. श्री राजेश, नियंत्रक वित्त एवं लेखा, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड। xi. श्री विशाल बेरी, उप निदेशक, भारतीय उद्योग परिसंघ (सी.आई.आई)। xii. डॉ. जे.एस. यादव, प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय राज्य कृषि विपणन बोर्ड परिषद (COSAMB).।	
4.	06.05.2018 से 09.05.2018	इज़राइल	i. श्री राज कुमार बेनीवाल, मुख्य विपणन प्रवर्तन अधिकारी, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड।	रु.4,08,982/-

5.	22.01.2019 से 30.01.2019	हंगरी और ऑस्ट्रिया	i. डॉ. जे. गणेशन, आईएएस, मुख्य प्रशासक, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड। ii. श्री अमर सिंह, मुख्य अभियंता, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड। iii. श्री उदय भान, अधीक्षण अभियंता, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड।	रु.20,64,283/-
6.	14.05.2019 से 25.05.2019	सर्बिया, मोंटेनेग्रो और पोलैंड	i. श्री ओम प्रकाश धनखड़, माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, हरियाणा। ii. श्रीमती नवराज संधू, आईएएस, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा iii. डॉ. जे. गणेशन, आईएएस, मुख्य प्रशासक, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड iv. डॉ. अर्जुन सिंह सैनी, महानिदेशक, बागवानी विभाग, हरियाणा v. डॉ. सतबीर सिंह कादियान, मुख्य अभियंता, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, हरियाणा vi. श्री राज कुमार बेनीवाल, मुख्य विपणन प्रवर्तन अधिकारी, हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड	रु.76,17,801/-

सभी विदेश दौरे के कार्यक्रमों की योजना सरकार स्तर पर उचित विचार-विमर्श के बाद और नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद बनाई गई थी।

घ) समग्र कृषि व्यवसाय नेटवर्क के संबंध में विदेशी दौरों से प्राप्त अनुभव का उपयोग राज्य के कृषि/बागवानी क्षेत्र में अपनाई जा रही बुनियादी सुविधाओं और प्रक्रियाओं में सुधार के लिए किया गया है।

The Amount of Money Spent Under Haryana Rural Development Fund

69. **Shri Varun Chaudhry**: Will the Development & Panchayats Minister be pleased to state-

(a) the amount of money spent by the Government during the year 2018-2019, 2019-20, 2020-21 and 2021-22 under the Haryana Rural Development Fund in State;

(b) the balance amount available under the abovesaid fund alongwith interest earned by the Government as on 15th November, 2022; and

(c) the criteria of spending out the abovesaid fund ?

विकास एवं पंचायत मंत्री (श्री देवेंद्र सिंह बबली): श्रीमान, (क) सरकार द्वारा राज्य में हरियाणा ग्रामीण विकास निधि के अन्तर्गत वर्ष 2018-2019, 2019-20, 2020-21 तथा 2021-22 के दौरान क्रमशः मु०924.19 करोड़; मु०686.03 करोड़; मु०101.99 करोड़ तथा मु०113.67 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है।

(ख) 15 नवंबर, 2022 तक उपरोक्त निधि के अन्तर्गत उपलब्ध शेष राशि अर्जित ब्याज सहित मु०1752.68 करोड़ रुपये है; तथा

(ग) उपरोक्त निधि को हरियाणा ग्रामीण विकास अधिनियम, 1986 की धारा 6(5) के अन्तर्गत प्रावधानों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्यों को पूरा करने के लिए खर्च किया जाता है।

To Construct Underpass

70. Shri Ram Karan: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to construct underpass opposite to bus stand of Shahbad on National Highway; if so, the details thereof?

उप मुख्यमंत्री (श्री **दुष्यंत चौटाला):** शाहबाद के बस स्टैंड के सामने राष्ट्रीय राजमार्ग यानी NH-44 (पुराना NH-1) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अधिकार क्षेत्र में है। परियोजना निदेशक, एन.एच.ए.आई., अंबाला ने सूचित किया है कि शाहबाद बस स्टैंड के सामने एक नए अंडरपास के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है, क्योंकि पास के स्थान पर मौजूदा फ्लाईओवर के कारण यह संभव नहीं है।

To Complete the Works Under AMRUT

71. Shri Deepak Mangla: Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the work to lay down the pipelines of water and sewerage under Amrut Scheme in Palwal city has not been completed by the Government so far; and

(b) if so, the time by which the abovesaid work is likely to be completed togetherwith the details thereof?

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (डॉ कमल गुप्ता)**:** सर, (क) अमरूत योजना के तहत जलापूर्ति प्रणाली बिछाने का कार्य 57.82 करोड़ रू की मूल लागत के साथ आबंटित किया गया है जो कि लगभग 80% पूर्ण हो गया है तथा अमरूत के तहत सीवरेज प्रणाली बिछाने का कार्य 117.24 करोड़ रू की मूल लागत के साथ आबंटित किया गया है जो कि लगभग 90% पूर्ण हो गया है।

(ख) अमरूत के तहत जलापूर्ति प्रणाली बिछाने का कार्य 31.05.2023 तक पूर्ण होने की संभावना है तथा अमरूत के तहत सीवरेज प्रणाली बिछाने का कार्य 31.03.2023 तक पूर्ण होने की संभावना है।

To Complete the Construction Work of ROB

72. Shri Deepak Mangla: Will the Deputy Chief Minister be pleased to state the time by which the construction work of ROB in Rasulpur as per the Hon'ble Chief Minister's announcement in Palwal is likely to be completed?

उप मुख्यमंत्री (श्री **दुष्यंत चौटाला):**श्रीमान जी, यह कार्य प्रगति पर है और 31.03.2023 तक पूरे किए जाने की संभावना है।

To Repair the Track

73. Shri Deepak Mangla: Will the Minister of State for Sports & Youth Affairs be pleased to state-

(a) whether it is a fact that the track around Netaji Subhash Chandra Bose Stadium, Palwal has been damaged; and

(b) if so, the time by which the abovesaid track is likely to be repaired togetherwith the details thereof?

खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री (सरदार **संदीप सिंह):** (क) तथा (ख) नहीं, श्रीमान् जी। हांलाकि नेताजी सुभाष चन्द्र बोस स्टेडियम, पलवल के चारों ओर की सड़क को मुरम्मत की आवश्यकता है, जो लोक निमार्ण (भवन एवं सड़कें) विभाग द्वारा की जा सकती है।

To Set up 33 K.V Sub-Stations

74. Shri Ghanshyam Saraf: Will the Power Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to setup 33 K.V. SubStations on Dhana road and Dadri road in Urban area of Bhiwani city; if so, the time by which these are likely to be setup?

बिजली मंत्री (श्री रणजीत सिंह): श्रीमान जी, नहीं।

To Replace the Old Sewerage Line

75. Shri Ghanshyam Saraf: Will the Chief Minister be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Government to replace the 50 years old sewerage line of Anaj Mandi, Bhiwani; if so, the time by which the said sewerage line is likely to be replaced?

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल): जी हाँ श्रीमान; पुरानी सीवरेज लाइन बदलने के कार्य को वित्त वर्ष 2023-24 मे पूर्ण होने की सम्भावना है ।

To Repair the road

76. Shri Ghanshyam Saraf: Will the Chief Minister be pleased to state the time by which the damaged road of HSVP opposite the Basia Bhawan Bhiwani is likely to be repaired?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : श्रीमान जी, बसिया भवन के सामने की सड़क की एक लेन की विशेष मरम्मत का कार्य हाल ही में 96.05 लाख रुपये की अनुमानित लागत से पूरा हुआ है। उक्त सड़क की दूसरी लेन की विशेष मरम्मत के लिए 80.45 लाख रुपये राशि की डीएनआईटी अनुमोदन के अधीन है। कार्य आबंटित होने के 3 माह के भीतर कार्य पूर्ण होने की संभावना है।

Facilities and Assistance to Women Self Help Groups

77. Smt. Naina Singh Chautala: Will the Development & Panchayats Minister be pleased to state the facilities and assistance being provided by the Government to women selfhelp groups in State together with the details thereof?

विकास एवं पंचायत मंत्री (श्री देवेंद्र सिंह बबली): श्रीमान, दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत उन्हें परिक्रामी राशि @ 20,000 रुपये प्रति स्वयं सहायता समूह और सामुदायिक निवेश कोष @ 50,000 रुपये प्रति स्वयं सहायता समूह को वित्तीय सहायता ग्राम संगठन/क्लस्टर स्तरीय संघ के माध्यम से प्रदान की जाती है।

इसके अतिरिक्त स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को स्वयं सहायता समूह चलाने व वित्तीय प्रबंधन हेतु उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। समूह के सदस्यों की आवश्यकता के अनुसार आजीविका गतिविधियों को शुरू करने के लिए कौशल प्रशिक्षण भी दिया जाता है। सभी स्वयं सहायता समूह, जिनके आधे सदस्यों की प्रतिवर्ष आय 1,80,000/- रुपये से कम है , उनके द्वारा लिए गये ऋणों पर वे समूह ब्याज पर अनुदान के पात्र हैं।

To Meet the Shortage of Buses

78. Smt. Naina Singh Chautala: Will the Transport Minister be pleased to state-

(a) the time by which the shortage of bus services for the girl students to their respective Educational Institutions in Dadri district is likely to be met out; and

(b) whether there is any proposal under consideration of the Government to meet the shortage of buses in Dadri Bus-Depot; if so, the details thereof?

परिवहन मंत्री (श्री **मूलचन्द शर्मा):** (क) श्रीमान जी, बस सेवा की कोई कमी नहीं है। वर्तमान में चरखी दादरी जिले के गांव पैंतावास, सारंगपुर, झोझूकलां, मौड़ी, झींझर,

रानिला, मानकावास, फतेहगढ़, घसोला, आदमपुर दाढ़ी, कादमा एवं कलियाणा में छात्राओं के लिए 11 बसों का संचालन करवाया जा रहा है।

(ख) जी हां श्रीमान, जून 2023 तक चरखी दादरी आगार के वर्तमान बेड़े में 21 नई बसें शामिल किए जाने का प्रस्ताव है।

……………………………

To Reconstruct the Health Centres

79. Smt. Naina Singh Chautala: Will the Health Minister be pleased to state-

(a) the details of the dilapidated health centres in district Dadri;

(b) the time by which the said dilapidated health centres are likely to be reconstructed; and

(c) whether there is any proposal under consideration of the Government to set-up a dispensary in each village of the district Dadri?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री अनिल विज): श्रीमान, विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) चरखी दादरी जिले मे कुल 25 उपस्वास्थ्य केन्द्र जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है जो कि गांव सांजरवास, रावलधी, उन्न, मिसरी, जीतपूरा, मकराना, माउरी, चंदेनी, चांगरोड, घसौला, कलियाना, राशिवास, बिगोवा, समसपुर, बास, मोरवाला, संतोड, बौंद खुर्द, झिंजर, लौहारवारा, बिरहीकलां, लाड, डुडीवाला किशनपुरा, तिवाला व फतेहगढ़ में है।

(ख) इन उप स्वास्थ्य केन्द्रो का पुनर्निमाण प्रारम्भ कर दिया गया है जिसके लिए इनके साईट प्लान ड्राईंगस बनाने के लिए वास्तुकला विभाग को भेज दिए गए है।

(ग) नही, श्रीमान।

……………………………

To Advertise the Posts of Punjabi Teachers

80. Shri Amit Sihag: Will the Education Minister be pleased to state-

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to recruit Punjabi language teachers in State; and

(b) if so, the time by which the posts of abovesaid teachers are likely to be advertised by the Government togetherwith the number of posts likely to be advertised?

शिक्षा मन्त्री (श्री कंवर पाल):

(क) नही, श्रीमान जी,

(ख) उपरोक्त 'क' के दृष्टिगत प्रश्न उत्पन्न नही होता।

....

शून्यकाल में भाग लेने के लिए सदस्यों के नामों के संबंध में सूचना

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब शून्य काल शुरू होता है । हमने कल शून्य काल में बोलने के लिए माननीय सदस्यों को 4–4 मिनट्स का समय दिया था । इसी तरह आज भी हमारा यही प्रयास रहेगा कि शून्य काल में बोलने के लिए पहले 15 माननीय सदस्यों को पूरा समय दिया जाए ।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आप शून्य काल में बोलने वाले 15 माननीय सदस्यों के नाम बता दें ।

श्री अध्यक्ष : किरण जी, मैं सदन में शून्य काल में बोलने वाले 15 माननीय सदस्यों के नाम बता देता हूं । ये इस प्रकार हैं :– माननीय सदस्य सर्व श्री बिशन लाल सैनी, लक्ष्मण नापा, जोगी राम सिहाग, जगबीर सिंह मलिक, शिशपाल सिंह, श्री बलबीर सिंह, नरेन्द्र गुप्ता, लक्ष्मण सिंह यादव, बलराज कुण्डू, दीपक मंगला, श्री ईश्वर सिंह, माननीय सदस्या श्रीमती सीमा त्रिखा, सुरेन्द्र पंवार, अमरजीत ढाण्डा और प्रवीण डागर । इन 15 माननीय सदस्यों को शून्य काल में बोलने के लिए 4–4 मिनट्स का समय दिया जाएगा ।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, मेरा प्वॉयंट ऑफ ऑर्डर है । मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं और यह सुझाव मैंने कल भी देने की कोशिश की थी । (विघ्न)

श्री सोमबीर : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी अपने नाम की पर्ची ड्रॉ बोक्स में डाली थी लेकिन अभी आपने शून्य काल में बोलने वाले जिन 15 माननीय सदस्यों के नाम बतायें हैं उनमें मेरा नाम नहीं है ।

श्री अध्यक्ष : सोमबीर जी, अगर आपने अपने नाम की पर्ची ड्रॉ बोक्स में डाली है तो वह उसमें जरूर होगी । आपने 2 पर्चियां डाली हुई हैं । आपने 2 पर्चियां क्यों डाली हुई हैं, यह अलग बात है । (विघ्न)

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, शून्य काल में बोलने के लिए जिनका नंबर आज आ गया है क्या उनको कल बोलने के लिए दोबारा पर्ची डालनी पड़ेगी ?

श्री अध्यक्ष : बतरा जी, ऐसा नहीं है । जो माननीय सदस्य आज और कल शून्य काल में बोल लेंगे वे कल शून्य काल में नहीं बोल पाएंगे ।

————————

शून्यकाल में सदस्यों द्वारा उठाई गई मांगों के संबंध में मामला उठाना

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : स्पीकर सर, मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूं और इसका कारण भी बता देता हूं । आपने अभी हुड्डा साहब की पोर्टल से संबंधित बात के बारे में कहा था कि it is a sign of progress. आपने बहुत–से फैसले ऐसे लिये हैं जोकि praiseworthy हैं । आपने जो जीरो आवर शुरू किया है इसमें माननीय सदस्य अपने हल्के की मांगें और समस्याएं सदन में रखते हैं । मेरा सुझाव है कि उनका एक tabulation होना चाहिए । इस टैबूलेशन को कोई हाउस का ऑफिशियल बनाए या कोई संबंधित डिपार्टमैंट का ऑफिशियल बनाए।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, इसके लिए पोर्टल बनवा लें।

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, पहले तो आप पोर्टल बनाने से मना कर रहे थे और अब पोर्टल बनवाने की बात कह रहे हैं।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में आपने सुझाव भी दिया था। आपने यह भी कहा था कि इसके लिए टाईम नहीं होता है। माननीय सदस्यों के द्वारा सैशन के दौरान जो डिमांड्स रखी जाती हैं उनके संबंध में सरकार की तरफ से रिप्लाई अगले सैशन में आ जाए। इसके अलावा भी कोई रिप्लाई रह जाता है तो उसके लिए एक हाऊस की कमेटी बना दें। आपने विधान सभा में बहुत सी कमेटीज बनायी हुई हैं। इनमें प्रिविलेज कमेटी भी बनायी हुई है। एक हाऊस की कमेटी इस बात के लिए भी बनायी जाए कि सैशन के दौरान माननीय सदस्यों के द्वारा जीरो ऑवर में हल्का वाईज डिमांड रखी जाती हैं तो उनका रिव्यू किया जाए कि उनमें से कौन– सी डिमांड पॉशिबल है और कौन– सी डिमांड पॉशिबल नहीं है ? इस बात का जवाब संबंधित माननीय कमेटी दे। वह माननीय कमेटी अपनी मीटिंग में संबंधित डिपार्टमैंट्स के ऑफिसर्ज को बुलाकर पूछे कि माननीय सदस्यों ने जो डिमांड्स उठायी हैं, उन पर डिपार्टमैंट का क्या कहना है ? तभी इन बातों के मायने निकलेंगे अन्यथा माननीय सदस्यगण सदन में अपनी बात रखकर चले जाते हैं और उन बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं।

श्री अध्यक्षः कादियान जी, इन बातों पर विचार करेंगे।

Dr. Raghuvir Singh Kadian: Speaker Sir, you have the point to take this decision.

श्री अध्यक्षः कादियान जी, पिछले सैशन के दौरान हमने विधान सभा सचिवालय के माध्यम से प्रत्येक माननीय सदस्य के 3 प्रश्न पूछने के बारे में निर्णय लिया था। मुझे लगता है कि अगर सैशन में किसी माननीय सदस्य के प्रश्न का रिप्लाई नहीं आता है तो वह विधान सभा सचिवालय के द्वारा अपना प्रश्न पूछ सकता है। इसमें माननीय सदस्यों के प्रश्नों का रिप्लाई जरूर आएगा।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, एक घंटे में केवल 15 माननीय सदस्यों को ही अपनी बात रखने का मौका मिलता है। सैशन के 3– 4 दिनों में 60 माननीय सदस्यों की मांगे आएंगी तो आपको उनका प्रोसैस करना ही पड़ेगा। यह मेरा सुझाव है और आप इस पर विचार कर लें।

श्री अध्यक्षः कादियान जी, ठीक है। प्लीज, अब आप बैठ जाएं।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, आप बड़े फराक दिल आदमी हैं।

श्री अध्यक्षः कादियान जी, अगर यह संभव होगा तो इस काम को जरूर करेंगे।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, आप सदन की बैठक का समय बढा दें ताकि सभी माननीय सदस्य अपनी बात रख सकें।

श्री अध्यक्षः किरण जी, कल की सीटिंग के दौरान सैशन को 4:00 बजे ही समाप्त करना पड़ा और उसमें फिर भी 2 घंटे की सीटिंग का समय बचा हुआ था। अगर कोई बिजनैस ही नहीं होगा तो टाईम बढ़ाने का क्या फायदा होगा ? सदन को नियमों के मुताबिक ही चलाना पड़ता है।

श्री आफताब अहमदः अध्यक्ष महोदय, आप मेरे द्वारा दिये गये कॉलिंग अटैंशन मोशन को स्वीकार कर लें। चूंकि मैंने सिर्फ एक ही कॉलिंग अटैंशन मोशन लगाया है।

श्री अध्यक्षः आफताब जी, आपने शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कसन के लिए भी नोटिस दिया था। एक दिन में केवल 2 कॉलिंग अटैंशन मोशंज ही लग सकते हैं। आपकी पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा 53 कॉलिंग अटैंशन मोशंज दिये गये हैं। इस प्रकार से तो 1–2 महीने तक सैशन चलाना पड़ेगा।

Dr. Raghuvir Singh Kadian: Speaker Sir, you are the custodian of the House. अध्यक्ष महोदय, मैंने जो सुझाव दिया है, उसमें यह बात आ सकती है कि विपक्ष के माननीय सदस्यों के साथ डिस्क्रिमिनेशन न हो।

श्री अध्यक्षः कादियान जी, किसी भी माननीय सदस्य के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, मेरे द्वारा रखे गये सुझाव से माननीय सदस्यगण डिस्क्रिमिनेशन से बच सकते हैं। चूंकि माननीय सदस्यों ने सैशन के दौरान अपनी जो– जो डिमांड्स रखी हैं, उनको अमलीजामा पहनाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि माननीय सदस्यगण बजट बनाने से पहले अपने– अपने सुझाव दे दें। सैशन के दौरान हर माननीय सदस्य अपना सुझाव/मांग रखता है, इसलिए उन सुझावों/मांगों के हिसाब से बजट तैयार कर लें।

श्री अध्यक्षः कादियान जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि अब से बजट बनाने में 2 महीने का समय बचा हुआ है और उससे पहले कोई भी माननीय सदस्य अपनी डिमांड्स लिखकर देना चाहता है तो वह दे सकता है।

डॉ0 रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यगण हर सैशन में अपने– अपने हल्के की डिमांड्स रखते हैं। इस प्रकार ये एक तरह से सुझाव ही हैं, इसलिए इनको बजट में इन्कॉरपोरेट कर लें।

श्री अध्यक्षः कादियान जी, दूसरे माननीय सदस्यों को भी अपनी बात रखनी है। अगर आप ऐसे ही बोलते रहेंगे तो बाकी माननीय सदस्यों का जीरो ऑवर में बोलने का टाईम कम हो जाएगा।

____

ध्यानाकर्षण प्रस्तावों/स्थगन प्रस्ताव/गैर सरकारी संकल्पों/अल्पकालिक चर्चाओं की सूचना

श्री आफताब अहमदः अध्यक्ष महोदय, आप पहले हमारे द्वारा दिये गये कॉलिंग अटैंशन मोशंज के फेट के बारे में बता दें और फिर उसके बाद जीरो ऑवर शुरू करवा लें।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, हमारे पास कुल 55 कॉलिंग अटैंशन मोशंज आये हैं और उनमें से 11 स्वीकृत हुए हैं और 43 अस्वीकृत हुए हैं। इनके अलावा 1 कॉलिंग अटैंशन मोशन सरकार के पास टिप्पणी के लिए भेजा हुआ है। 1 एडजर्नमैंट मोशन आया है जिसको अस्वीकृत कर दिया गया है। 2 नॉन ऑफिशियल रेजोल्यूशन आये हैं जिनमें से 1 नॉन ऑफिशियल रेजोल्यूशन को अस्वीकृत कर दिया गया है और 1 नॉन ऑफिशियल रेजोल्यूशन को लम्बित रखा गया है। 2 शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कसन के नोटिस आये हैं जिनमें से एक पर कल डिस्कस हो चुका है और दूसरे शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कसन को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में कन्वर्ट कर दिया गया है जोकि आज

चर्चा करने के लिए लगा हुआ है। प्राईवेट मैम्बर बिल कोई नहीं आया है। इनके अलावा सरकार की तरफ से 15 विधेयक आये हैं।

श्री वरुण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैंने किसानों के खिलाफ दर्ज केसिज के संबंध में काम रोको प्रस्ताव दिया था।

श्री अध्यक्षः वरुण जी, आपके द्वारा दिया गया काम रोको प्रस्ताव रिजैक्ट हो गया है।

श्री वरुण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, किसानों के खिलाफ दर्ज किये गये केसिज वापिस होने चाहिएं।

श्री अध्यक्ष : वरुण जी, प्लीज आप बैठ जायें। माननीय सदस्या श्रीमती किरण चौधरी अपनी बात रखेंगी।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हम इतने महत्वपूर्ण विषयों पर कॉलिंग अटैंशन मोशंज और दूसरे मोशंज भेजने के लिए बहुत मेहनत करते है। आप कम से कम यह बता दो कि आपने कौन–कौन मोशंज असैप्ट किये हैं और कौन–कौन से मोशंज रिजैक्ट किये ताकि हमें पता चल सके और सरकार किस बात पर हमारे द्वारा दिये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रिजैक्ट करके भेज देती है।

श्री अध्यक्ष : किरण जी, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि जिस माननीय सदस्य ने कॉलिंग अटैंशन मोशन भेजे हैं, उसका क्या स्टेटस है, क्या हमने उसको असैप्ट या रिजैक्ट किया है उसका लैटर सभी संबंधित माननीय सदस्यों को भेज दिया गया है। हमने सभी को जानकारी दे दी है।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, सदन के अंदर यह बात रिकॉर्ड पर आती है।

श्री अध्यक्ष : किरण जी, मेरे पास इसका रिकॉर्ड है। जब मैंने 55 नोटिसिज की बात कही है और इसमें आपके द्वारा जो नोटिसिज भेजे गये हैं, मैंने उनको भी इन्कलूड करके ही आपको जानकारी दी है।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, क्या आपने इसमें सभी मैम्बर्ज का नाम सहित लिखें हैं।

श्री अध्यक्ष : किरण जी, हमने इनके साथ सभी मैम्बर्ज का नाम सहित लिखा हुआ है।

श्री शमशेर सिंह गोगी : अध्यक्ष महोदय, मैं किसान आंदोलन के मुद्दे पर बोलना चाहूंगा क्योंकि किसान आंदोलन के समय को डेढ़ साल से भी ऊपर हो गया है।

शून्यकाल में विभिन्न मामले/मांगे उठाना

श्री अध्यक्ष : गोगी जी, प्लीज आप बैठ जायें। अब श्री बिशन लाल सैनी जी जीरो ऑवर में बोलेंगे।

श्री बिशन लाल सैनी (रादौर) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जीरो ऑवर पर बोलने का समय दिया, मैं इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं। आज सदन में पोर्टल से संबंधित विषय पर काफी चर्चा हुई। मैं अपनी बात कहने से पहले एक छोटी सी बात पोर्टल से संबंधित कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें चिट्‌ठी लिखी थी कि सरकार ने 2 पोर्टल खोले हैं। इसमें उन्होंने कहा था कि इस पोर्टल में ''बतायें अपने मन की बात'' का सब्जैक्ट दिया था। इसमें एक पोर्टल ग्राम दर्शन के नाम से और दूसरा दर्शन पोर्टल के नाम से था। हमने इस पोर्टल के माध्यम से अपने मन की बात 253 बार बताई थी लेकिन हमारे मन की बातें किसी ने एक नहीं सुनी। मेरे पास इसका रिकॉर्ड भी है, चाहे तो आप देख सकते हैं। हमने जितनी भी डिमांड लिखकर भेजी थी उसकी प्रोग्रैस रिपोर्ट जीरो है। एक नये पैसे का काम इस मन की बात में नहीं हो पाया। इस समय सदन में माननीय मुख्यमंत्री, उप–मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री भी उपस्थित नहीं है। अब आप ही बतायें कि हम अपनी बात किसको कहें? मेरा आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री, उप–मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री जी से अनुरोध है कि जहां कहीं भी मेरी बात सुन रहे हैं तो मेरी यह बात सुन लें कि जब सरकार ने अपने मन की बात बतायें का पोर्टल खोला था और हमने भी अपने मन की बात बता दी थी लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्य नहीं हो पाया। अब मैं दूसरी बात यह कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा में एक ''पोंड अथॉरिटी हरियाणा'' के नाम से डिपार्टमैंट बनाया था। हमने उसमें भी अपनी बहुत सी बातें जोहड़ों और तालाबों को लेकर लिखी थी कि जोहड़ और तालाब गंदे पानी से भरे पड़े थे। इसमें यह भी कहा गया था कि इन पर जल्दी से जल्दी काम शुरू किया जायेगा लेकिन इसकी भी प्रोग्रैस 2 परसैंट से ऊपर नहीं पहुंच पाई है। मेरे कहने का मतलब यही है कि किसी भी योजना के तहत किसी भी तालाब या जोहड़ की खुदाई का काम नहीं हो पाया और न ही इनकी किसी तरह से सफाई हो पाई। इसमें इन्होंने यह भी कहा था कि अच्छी–अच्छी मशीनें लगाकर जोहड़ों और तालाबों के पानी को साफ करेंगे और उस पानी को खेतों में सिचांई के लिए भेजने का भी काम करेंगे। आज तक ऐसा कुछ भी कार्य नहीं हो पाया। अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें यह कहना है कि सरकार ने ''पोंड अथॉरिटी हरियाणा'' डिपार्टमैंट बनाया है, इस पर

भी जल्दी से जल्दी काम शुरू करवाया जाये। अब यहां पर माईनिंग मिनिस्टर साहब बैठे हैं। मंत्री जी थोड़ा सा मेरी बात पर भी गौर जरूर करें। मैं माननीय मंत्री जी को आपके माध्यम से बताना और पूछना चाहूंगा कि जो यमुना नदी के अंदर लगातार माईनिंग हो रही है। क्या सरकार ने ऐसा कोई अधिकार ठेकेदारों को दे रखा है कि नदी के जल के प्रवाह को ही चेंज कर दिया जाये? मेरे कहने का अभिप्राय यही है कि जिसकी वजह से पानी दूसरी ओर चला जाता है तो संबंधित ठेकेदार द्वारा वहां से खुदाई कर दी जाती है। क्या सरकार ने ऐसा कोई कानून नहीं बना रखा है? क्या सरकार ने कोई मापदंड नहीं बना रखे हैं? इस प्रकार का काम रादौर के अंदर लगातार किया जा रहा है यह बहुत ही दुख की बात है। जब माइनिंग वालों को ठेका दिया जाता है, उस समय उसकी कोई न कोई बाउन्ड्री जरूर निश्चित की जाती होगी कि इस बाउन्ड्री से बाहर माइनिंग नहीं की जाएगी। लेकिन उस बाउन्ड्री से बाहर माइनिंग की जाती है। किसानों को डरा–धमका करके ठेका लिखवा लिया जाता है और वहां माइनिंग की जाती है। जिसका नुकसान दूसरे किसानों को होता है। जब बाढ़ आती है उससे पहले सरकार करोड़ों रुपया खर्च करके वहां ठोकरें बनाती हैं और पैचवर्क लगाया जाता है उनको नष्ट कर दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि उनके खिलाफ क्या कार्यवाही चल रही है ?

श्री लक्ष्मण नापा (रतिया, एस.सी.): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि आज एस.सी. आयोग का गठन हुआ है। इस आयोग में मेरे से पूर्व के रतिया से विधायक श्री रविन्द्र बलियाना जी को चेयरमैन बनाया गया है इसके अलावा आयोग में वाईस चेयरमैन तथा मेम्बर भी बनाए गए हैं इसके लिए मैं सभी मेम्बरों को बधाई देना चाहता हूं। सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के सभी सदस्य इस बात की चिंता करते रहते थे कि एस.सी. आयोग का गठन हो। जिससे ए.सी. समाज के लोगों के उत्थान के लिए चल रही योजनाओं की मॉनिटरिंग हो सके। इसके लिए मैं आज सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा एक बहुत ही अहम विषय पराली से संबंधित है। मेरे विधान सभा क्षेत्र रतिया में जीरी की फसल ज्यादा होती है। पराली प्रबंधन का जो मामला है इसके लिए केन्द्र की सरकार जो माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी नेतृत्व में चल रही है उसने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर का गठन किया। इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। जिसमें 3900 करोड़ रुपये हरियाणा सरकार के हिस्से में भी है। इसके लिए कोई भी एफ.पी.ओ. एग्रीकल्चरिस्ट अथवा

एंटरप्रेन्योर अप्लाई कर सकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से हरियाणा सरकार से ये अपील करना चाहूंगा कि इसमें केन्द्र सरकार ने 2 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, जिसमें सिर्फ 3 प्रतिशत ब्याज की ही माफी है। मैं सरकार से यह चाहूंगा कि इसमें 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जाए जिससे लोग इसकी ओर बढ़ें ताकि पॉल्यूशन कम हो सके। अध्यक्ष महोदय, हम किसानों की आय बढ़ाने की बात करते हैं, अगर किसान पराली न जलाकर उसे बेचेंगे तो इससे किसानों की आय बढ़ सकेगी। अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर कारखाना लगाये तो उससे बिजली का बिल कृषि ट्यूबवैल कनैक्शन के स्तर का ही लिया जाए। अध्यक्ष महोदय, ऐसे प्रोजैक्ट्स के लिए हरियाणा सरकार और भी बहुत–सी रियायतें दे सकती हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरा अगला विषय घूमंतु जाति के लोगों के आवास से है। इस विषय को सरकार द्वारा पिछले समय ही लिया गया था जिसका ड्रॉफ्ट बन चुका है, इसलिए मैं हरियाणा सरकार से यही मांग करना चाहूंगा कि घूमंतु जातियों के लोगों के आवास के लिए बहुत जल्द योजना लाई जाए। जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी का हर सर पर छत का सपना पूरा हो सके और हरियाणा के हर निवासी को छत मिले। अध्यक्ष महोदय, जो मुक्त घूमंतु जाति का बोर्ड बना हुआ है उसे कारपोरेशन बनाया जाए जिससे केन्द्र सरकार की बहुत–सी स्कीमें और फंड हैं वे मिल सकें। ऐसे कारपोरेशन कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश राज्यों में बने हुए हैं। मध्य प्रदेश राज्य में तो घूमंतु जाति के लिए अलग से एक विभाग भी बना हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मेरे रतिया विधान सभा क्षेत्र में घग्गर नदी बहती है जिसके ऊपर सरकार और एन.जी.टी. बड़ा अच्छा काम कर रही है, जो काफी है, लेकिन मैं सरकार से एक मांग रखूंगा कि इस पर कोई प्रोजैक्ट बने ताकि जो प्रदूषित पानी है उसको साफ किया जा सके। उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री जोगी राम सिहाग (बरवाला) : अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जीरो ऑवर में बोलने के लिए समय दिया सबसे पहले मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। मैं सदन का ध्यान एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी मुद्दे की ओर दिलाना चाहता हूं। अभी–अभी पंचायतों के चुनाव हुये हैं। डेढ़ साल पहले जो पंचायतें थी उनको जो पॉवर्ज थी डेढ़ साल के अंदर वो पॉवर्ज घटा दी गई। सरपंच को 20 लाख रूपये तक के काम अपने स्तर पर करवाने की पॉवर थी। इसको 2 लाख रूपये यह कहकर कर दिया गया कि अब सरपंच नहीं है और पंचायत भी नहीं है अधिकारी पंचायत फण्ड में कोई गड़बड़ी न करें इसलिए इस सीमा को घटाकर 2 लाख रूपये किया

गया था। मेरा सरकार से अनुरोध है कि जो पंचायतें हैं उनकी पॉवर्ज घटाने के बजाए बढ़ाने का कार्य किया जाये। प्रजातंन्त्र के अंदर थ्री टियर सिस्टम है। सबसे छोटी पंचायत होती है जिसका मुखिया सरपंच होता है, उसके बाद विधान सभा जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होता है और तीसरी देश की पार्लियामैंट है। सिर्फ पंचायतों को छोड़कर किसी की भी कोई पॉवर नहीं घटाई गई। इसके विपरीत समय–समय पर बढ़ाई जाती हैं। एम.पी. को एम.पी. लैड कभी 5 लाख रूपये मिलती थी उसको बढ़ाकर 5 करोड़ रूपये कर दिया गया। ऐसा क्या कारण है कि सरपंचों की पॉवर्ज को घटाया जा रहा है। मैं यह मांग करता हूं कि सरपंचों को जो पहले 20 लाख रूपये तक के काम करवाने की पॉवर थी उसको बहाल करने का कार्य किया जाये। रही बात इसके ऊपर यह तर्क देने की कि 2 लाख रूपये से ऊपर के कार्य ई–टैंडरिंग से करवाये जायेंगे अर्थात् 1.99 लाख रूपये से ऊपर के कामों को ई–टैंडरिंग से करवाया जायेगा। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि छोटे टैण्डर्ज को ई–टैंडरिंग से कोई ठेकेदार लेने नहीं आयेगा। अगर लेगा भी तो उसको माईनस में भरेगा। आप तीन लाख का टैण्डर कर दीजिए उसके ऊपर 18 परसैंट जी.एस.टी. लगेगा और यह 18X3 करने पर 54 हजार हो जायेगा। इस प्रकार से 54 हजार रूपये ये चले जायेंगे। कुछ वह माईनस में करेगा। उसके बाद वह रकम भी उसमें से चली जायेगी। अधिकारी वही हैं। उन्होंने ही बिल को पास करना है। अगर बिल को सरपंच पास करवायेगा तो भी वे ही अधिकारी बिल को पास करेंगे। ऐसा होने से किस प्रकार से भ्रष्टाचार रूकेगा और कौन भ्रष्टाचार को रोकेगा। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरपंच भ्रष्टाचार करता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरपंच एक चुना हुआ प्रतिनिधि होता है। जिस प्रकार से जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है उसी प्रकार से सरपंच की भी जवाबदेही है। हम तो किसी गांव में जल्दी से जल्दी 4 से 5 दिन में एक बार जा सकते हैं लेकिन सरपंच को तो प्रतिदिन अपने गांव में ही रहना है इसलिए उसको हररोज जनता को जवाब देना पड़ेगा। इसके लिए मैं यहां पर एक उदाहरण देना चाहता हूं कि बहुत से काम ऐसे हैं जिनको एस्टीमेट में कवर नहीं किया जाता। जैसे खेत–खलिहान के अंदर कोई रास्ता बनाया जाता है। उसके एस्टीमेट्स में लैवलिंग का पैसा नहीं दिया जाता। जो रास्ता बन गया उसके साईड में जो मिट्टी लगानी है उसका पैसा नहीं दिया जाता। ठेकेदार उस रास्ते को बनाकर चला जायेगा। (विघ्न) ठेकेदार को उस रास्ते से कोई भी लेना

देना नहीं है। ऐसी स्थिति में सरपंच या तो सम्बंधित किसान से लैवलिंग करवा लेगा या सम्बंधित किसान सरपंच को ही लैवलिंग करवाने के लिए बोलेगा।

श्री अध्यक्ष : जोगी राम जी, आपका समय समाप्त हो गया है इसलिए अब आप कृपया बैठ जायें। अब श्री जगबीर सिंह मलिक जी अपनी बात रखेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिक(गोहाना): अध्यक्ष महोदय, जो सरपंचों को 20 लाख रुपये तक के कार्य करवाने की पॉवर देने की बात है तो मैं उसका स्मर्थन करता हूं और यह भी कहना चाहता हूं कि 2 साल तक गांवों में जो ग्रांट नहीं दी गई वह भी दी जाये। अध्यक्ष महोदय, आज कर्मचारी सड़कों पर हड़ताल कर रहे हैं। वैटरनरी डिप्लोमा धारक एसोसिएशन 15 जून, 2020 से आंदोलनरत है। विभाग में इनके डी.जी. की जगह पर आई.ए.एस. की नियुक्ति की जाये। उनकी 5 मांगें मान ली गई थी लेकिन विभाग ने उनको नोटिफाई नहीं किया इसलिए उनकी नोटिफिकेशन जारी की जाये। इसी तरह से पी.टी.आई. पिछले 31 महीने से संघर्षरत हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके चूल्हे न बुझने का वायदा किया था इसलिए उनकी नौकरी बचा कर उनके चूल्हे जलाने का काम किया जाये। इसी तरह से हरियाणा यूनिवर्सिटीज कांट्रैक्चुअल टीचर्स को खाली पदों पर समायोजित करने का काम किया जाये ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। इसी तरह से पी.डब्ल्यू.डी. मैकेनिकल वर्कर्स यूनियन भी संघर्षरत है उनका भी समाधान किया जाये। इसके अतिरिक्त ग्रुप सी में स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 24.11.2022 की नोटिफिकेशन के तहत ग्रुप–सी में जो 4 डिपार्टमैंट्स दिये हैं उसको विद्ड्रा करके जैसे पहले सिस्टम था वही लागू किया जाये। इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी और खेल मंत्री जी की तरफ से ट्विट करके कहा गया था कि इसका सिस्टम पहले वाला ही रखा जायेगा लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। अगर स्पोर्ट्स पर्सन को 4 विभागों तक सीमित कर दिया गया तो इनको कहीं पर भी नौकरी नहीं मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, अब मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की दो चार डिमांड रखना चाहता हूं जो आज तक पूरी नहीं हुई हैं। मुख्यमंत्री जी ने पंचकुला वर्कशॉप में भी कहा था विधायक अपनी डिमांड दे सकते हैं। मेरी सबसे बड़ी डिमांड गोहाना शहर के पश्चिमी बाईपास की है। इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा घोषणा की हुई है जिसकी कॉपी मेरे पास है। इस बारे में मैंने विधान सभा में भी प्रश्न पूछा था और मंत्री जी की तरफ से इस बारे में कहा गया था कि इसको बनाया जायेगा। उसके बाद अखबार में पत्र दे दिया गया कि यह बाईपास नहीं बनेगा। मैं आपके माध्यम से सरकार को बताना चाहता हूं कि गोहाना में ट्रैफिक अधिक होने के

कारण इस बाईपास के बिना गोहाना को पार करने में बहुत अधिक समय लगता है इसलिए गोहाना का यह पश्चिमी बाईपास बहुत जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, विधान सभा का सत्र न चलने की स्थिति में माननीय सदस्यों द्वारा तीन क्वैरीज पूछने का आपने जो सिस्टम लागू किया है उस बारे में मेरा कहना है कि या तो इसको ठीक ढंग से लागू किया जाये या इसको बंद कर दिया जाये। मैंने क्वैरी नं. 42 के तहत यह पूछा था कि जो गोहाना में सैक्टर 7 और सैक्टर–13 डिवैल्प होने हैं उसमें कितनी जमीन पर नाजायज कब्जे हैं? विभाग की तरफ से दिया गया जवाब मेरे पास उपलब्ध है। इसमें लिखा हुआ है कि – At present there is an unauthorised illegal cultivation by some unknown farmers approximately on 55 acres of acquired land. अध्यक्ष महोदय, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक गांव की लगभग 250 एकड़ जमीन में नाजायज कब्जे हैं। मेरे पास एक गांव की 6 फसलों की गिरदावरी रिपोर्ट है। इन दोनों सैक्टर्स के लिए लगभग 693 एकड़ जमीन एक्वायर की गई है और उसमे से लगभग अधिकतर जमीन पर नाजायज कब्जे हैं।

श्री अध्यक्षः मलिक साहब, अगर आपको कोई गलत जानकारी दी गई है तो आप मुझे लिख कर दीजिए उसके बाद विभाग के अधिकारियों को बुलाया जायेगा।

श्री जगबीर सिंह मलिकः सर, मैं यह सारी जानकारी सदन के पटल पर रख दूंगा। मेरे पास विभाग का जवाब भी है और गिरदावरी की कॉपी भी है। विभाग ने अपने जवाब में कहा है कि 55 एकड़ जमीन पर नाजायज कब्जा है जबकि 250 एकड़ जमीरन पर तो रिकॉर्ड के हिसाब से नाजायज कब्जे हैं जिनकी गिरदावरी मेरे पास है। इस प्रकार के जवाब देने से कोई फायदा होने वाला नहीं है।

श्री अध्यक्षः मलिक साहब, मैं आपको एश्योर करता हूं कि this is the question of dignity of the House. अगर कोई अधिकारी हाउस के किसी निर्णय की उल्लंघना करता है तो उसको यहां विधान सभा में बुला कर उससे जवाब तलब किया जायेगा।(इस समय मेजें थपथपाई गई।)

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार से मेरा दूसरा सवाल यह था कि वर्ष 2019 से अब तक कितने राशन कार्ड निरस्त हुए जिसका जवाब उप–मुख्यमंत्री जी की तरफ से दिया गया है कि एक भी राशन कार्ड निरस्त नहीं हुआ है। मेरे पास 200 फर्जी राशन कार्ड की लिस्ट है और मैं 30 निरस्त किए गए राशन कार्ड इस समय यहां पर लेकर आया हूं जो फर्जी हैं जबकि जवाब यह दिया गया था कि कोई

राशन कार्ड निरस्त नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त अभी हाल ही में 3400 फर्जी राशन कार्ड अकेले राई ब्लॉक में निकले हैं और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, किसी से कोई पूछताछ नहीं की जा रही है। इस प्रकार के जवाब विधान सभा में दिये जा रहे हैं इसलिए मेरा कहना यह है कि अगर सही तरह से जवाब नहीं दिये जाते हैं तो इस सिस्टम को बंद कर दिया जाये।

श्री अध्यक्षः मलिक साहब, आपका समय समाप्त हो गया है इसलिए अब आप बैठ जाइये। अब श्री शीश पाल सिंह जी अपनी बात रखेंगे।

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, मैं तो आपके द्वारा बनाये गये सिस्टम के बारे में बात कर रहा हूं। अपनी क्वैरीज के जवाबों के बारे में जानकारी दे रहा हूं। मैं कोई अपनी बात नहीं कह रहा हूं, मैं तो हाउस की प्रैस्टीज की बात कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : मलिक साहब, मैंने कहा है कि अगर आपके पास कोई गलत उत्तर आता है या उत्तर पूरा नहीं आता है तो आप मुझे लिखकर दीजिए। मैं उसके ऊपर एक्शन लूंगा।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, मैं ये सारे सवाल आपके सामने पेश कर रहा हूं। मैं तो इनके बारे में पूरे हाऊस को बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : मलिक साहब, आप मुझे लिखकर दीजिए। मैं इसके ऊपर एक्शन लूंगा।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, यह गांव खानपुर व लाठ की क्यूरी नम्बर–36 है जिसमें कोई पानी नहीं आ रहा है। मेरे पास उसके फोटो हैं।

श्री अध्यक्ष : मलिक साहब, आप मुझे लिखकर भिजवा दीजिए। मैं उसके ऊपर एक्शन लूंगा।

श्री जगबीर सिंह मलिक : अध्यक्ष महोदय, ठीक है।

————————

पूर्व सांसद और पूर्व सदस्य हरियाणा विधान सभा तथा राज्य सभा के सदस्य का अभिनंदन

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज सदन में श्री विनोद शर्मा, पूर्व संसद सदस्य एवं पूर्व केन्द्रीय मंत्री तथा पूर्व विधायक हरियाणा विधान सभा, अध्यक्ष दीर्घा में सदन की कार्यवाही देखने के लिए उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा सदन की तरफ से उनका अभिनन्दन करता हूं।

माननीय सदस्यगण, श्री कार्तिकेय शर्मा, सदस्य राज्य सभा, अध्यक्ष दीर्घा में सदन की कार्यवाही देखने के लिए उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा सदन की तरफ से उनका अभिनन्दन करता हूं।

____

शून्यकाल में विभिन्न मामले/मांगे उठाना (पुनरारम्भ)

श्री शीशपाल सिंह केहरवाला (कालांवाली) (एस.सी.) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रदेश के व कुछ अपने हल्के के मुद्दे सदन के सामने रखना चाहूंगा। एक तरफ तो सरकार कहती है कि हरियाणा में हमने पंजाबी भाषा को दूसरी भाषा का दर्जा दिया है। अगर हम प्रैक्टिकल देखें तो सरकार पंजाबी भाषा को खत्म करने का काम कर रही है। अभी पीछे टीचर्स की 4 हजार पोस्टें निकाली गई थी जिसमें पंजाबी टीचर्स के लिए एक भी आवेदन नहीं लिया गया है। उनको कैप्ट दिखा दिया गया है। मेरा सिरसा जिला व वह पूरी बैल्ट पंजाब के साथ लगती है। वहां पर पंजाबी विषय के अध्यापकों की बहुत ज्यादा कमी है। मेरा निवेदन है कि इस मुद्दे पर सरकार दोबारा से जांच कराए और पंजाबी भाषा के अध्यापकों की भर्ती भी निकाले। इसी के साथ पीछे मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम वर्ष 1983 में लगे पी.टी.आई. अध्यापकों को भी एडजैस्ट करेंगे लेकिन अभी तक वे पी.टी.आई. अध्यापक भी एडजैस्ट नहीं हो पाए हैं। तीसरा जो सरपंचों की शक्तियों की बात चल रही थी उस संबंध में राजीव गांधी जी ने एक कानून बनाया था कि लोकतंत्र में सबसे नीचे का पायदान सरपंच है उसको जितनी ज्यादा शक्तियां देंगे उतना ही देश मजबूत होगा लेकिन आज सरकार उससे उल्ट काम कर रही है। आज सरपंचों की शक्तियां कम कर दी गई हैं जिसमें सरपंच अपने लैवल पर गांव में केवल दो लाख रुपये तक का काम करवा सकता है। अध्यक्ष महोदय, आज दो लाख रुपये में कुछ भी काम नहीं हो पाता। उससे एक कमरा भी नहीं बन पाता, एक दीवार नहीं बन सकती तो फिर

वह दो लाख रुपये का प्रयोग कहां करेगा। अतः हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस दो लाख रुपये की राशि को बढ़ाकर कम से कम 20 लाख रुपये किया जाए। इसके साथ–साथ मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहूंगा कि स्कूलों में अध्यापकों की बहुत ज्यादा कमी है। चाहे वह कालांवाली क्षेत्र है, चाहे सिरसा क्षेत्र है वह शिक्षा के अन्दर पिछड़ा हुआ क्षेत्र है क्योंकि वहां पर हर स्कूल्ज के अन्दर अध्यापकों की कमी है। अतः हम सरकार से निवेदन करते हैं कि वहां पर शिक्षकों की भर्ती की जाए। अगर वहां तुरंत भर्ती नहीं की जाती है तो हम चाहते हैं कि वहां उन गांवों का जो शिक्षित बच्चा है अर्थात जिसने बी.एड. व जे.बी.टी. का कोर्स कर रखा है उनको उन स्कूल्ज में पढ़ाने के लिए लगाया जाए। इसके साथ–साथ अगर मैं कालांवाली में तहसील की बात करूं तो वहां पर तहसीलदार नहीं है। मैं सरकार से चाहूंगा कि वहां पर स्थाई तहसीलदार की नियुक्ति की जाए क्योंकि वह पद काफी समय से रिक्त पड़ा हुआ है। इसके साथ–साथ मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि किसान आन्दोलन में सिरसा किसान आन्दोलन का केन्द्र रहा है। वहां अनेक किसानों पर केस बनाए गये थे। उस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि वे सभी केस वापिस ले लिये जाएंगे। अतः अब उन सभी केसों को वापिस लेकर निरस्त कर दिया जाना चाहिए। इसके साथ–साथ मैं एक और गम्भीर विषय पर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि किसानों को जो खेतों के लिए बिजली दी जा रही है वह रात को दी जा रही है। आज के दिन बहुत ज्यादा ठंड का समय है। मेरे हल्के में रात को खेत में ठंड के कारण एक किसान की मौत हुई है। हम चाहते हैं कि अब जो सर्दी का मौसम है इसमें खेतों की बिजली दिन में दी जाए। इसके साथ–साथ हमारी हुडा कॉलोनी की सड़कों की बदहाली बहुत ज्यादा है उस पर भी ध्यान दिया जाए। बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री बलबीर सिंह (इसराना) (एस.सी.): माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सभी विधायकों को कुछ सभाओं व संघों ने अपने–अपने ज्ञापन देने का काम किया है। अब मैं इनके बारे में सदन में बात करना चाहूंगा। अभी किसानों ने धरने दिए थे और उनकी मांग थी कि कईं वर्षों से गन्ने का भाव नहीं बढ़ाया जा रहा है अतः जल्द से जल्द गन्ने का भाव बढ़ाने का काम किया जाये। एक यह भी बात थी कि गन्ना किसानों के जो बांड थे उन पर जो उनको सस्ते रेट पर चीनी मिलती थी, सरकार ने उसको बंद करने का काम किया है। मेरा सदन के माध्यम से अनुरोध है कि इसको दोबारा से चालू किया जाये। एक ज्ञापन आया था हरियाणा अतिथि अध्यापक संघ नम्बर–22 की तरफ

से। इसमें कहा गया था कि जो अतिथि अध्यापक हैं, समायोजन के लिए प्रत्येक गैस्ट टीचर से डिस्ट्रिक्ट लैवल पर ऑन लाइन चॉइस भरवाई गई थी ताकि गैस्ट टीचरों का समायोजन उनके गृह जिले में ही हो सके परन्तु गृह जिले के अलावा उनका अन्य 200–300–400 किलोमीटर की दूरी पर तबादला कर दिया गया है। सरकार ने जो चॉइस भरवाई थी, मेरा निवेदन है कि सरकार को उस हिसाब से इनके साथ न्याय करने का काम करना चाहिए। दूसरा ज्ञापन आया था सामाजिक चिकित्सक महासंघ की तरफ से। वर्ष 1972 से इनका हरियाणा में अनुभव आधार पर अब तक सूचीकरण नहीं हुआ है, जबकि चिकित्सक महासंघ गांवों में, कालोनियों में 80 से 90 प्रतिशत लोगों की प्राथमिक चिकित्सा करने का काम करते हैं। 22 सितम्बर, 2017 को करनाल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस संगठन के पदाधिकारियों से मीटिंग करके विश्वास दिलाया था कि इनका सूचीकरण करने या ट्रेनिंग देने का काम किया जायेगा और जो इनके खिलाफ मुकदमें हैं, उनको भी वापिस लेने का काम किया जायेगा लेकिन आज तक भी यह वायदा पूरा नहीं किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मेरा इस सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा करने का काम किया जाये। अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल अखबार में एक बयान दिया था कि हमारे विधायकों को जो आदर्श ग्राम योजना के तहत पैसे मिलते हैं, के लिए कुछ विधायकों ने एस्टिमेट बनाकर ही नहीं भेजे हैं। इसमें मेरा हल्का भी शामिल है। अध्यक्ष महोदय, असलियत यह है कि हमने एस्टिमेट बनाकर भेजे हैं और भी कईं विधायक साथी हैं जिन्होंने एस्टिमेट्स बनाकर भेजे हैं। मेरे पास वह अखबार भी है जिसमें यह सब कुछ वर्णित है। इसको हम आपको भी दे देंगे। अध्यक्ष महोदय, वास्तविकता यह है कि हमने एस्टिमेट बनवाये भी थे और साथ ही कंसंर्ड अधिकारियों से भी मिलते रहे। अधिकारियों ने हर बार यही बात की कि अभी टैंडर लगने हैं। अध्यक्ष महोदय, मान लिया की अधिकारी अपनी बात पर सही हैं और यह भी मान लिया कि उन्होंने टैंडर की प्रक्रिया चालू की हुई है परन्तु मुझे एक बात बताई जाये कि जो यह पैसे हमें अढ़ाई साल पहले मिले थे उनसे आज की डेट में कैसे काम करवाया जा सकता है। मैं इसका उदाहरण देकर बताना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, अढ़ाई साल पहले जो एक बिल्डिंग 15 लाख रूपये में तैयार होती थी आज अढ़ाई साल के बाद वही बिल्डिंग 15 लाख रूपये में कैसे तैयार हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, यह सही नहीं है और मैं मांग करता हूँ कि पंचायतों में जो सरपंच हैं उनको जिस प्रकार चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के शासन काल में 20

लाख रूपये तक के काम कराने का अधिकार हुआ करता था और इस राशि से सरपंच और ग्राम पंचायत गांव में अपने आप काम करवा सकती है, ठीक उसी प्रकार 20 लाख रूपये तक के काम करवाने का अधिकार पुनः सरपंच और ग्राम पंचायतों को देने का काम करना चाहिए। चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा के चीफ मिनिस्टर काल में 20 लाख रूपये तक की राशि के काम पंचायतों को कराने की पावर होती थी, अगर यह पावर आज भी होती तो मैं मानता हूँ कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी को गलत बयान नहीं देना पड़ता जोकि आज अखबार में छपा है। अध्यक्ष महोदय, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इस तरफ संज्ञान लेने की जरूरत है और पता नहीं क्यों मेरे हल्के इसराना के ही ऐसा बार–बार क्यों होता है। (घंटी)

श्री अध्यक्षः बलबीर जी, आपका बोलने का समय समाप्त हो गया है, आप प्लीज बैठिए।

श्री नरेन्द्र गुप्ता (फरीदाबाद): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मेरी विधान सभा से संबंधित जो ज्वलंत मुद्दे हैं, उनको सरकार तक पहुँचाने का काम करूंगा। अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद विधान सभा का सौभाग्य है कि उसके बीचों–बीच दो हाईवे सरकार ने बनाने का काम किया है, इसके लिये मैं सरकार का तहेदिल से स्वागत करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ–साथ जो दिक्कतें हमें आई हैं, उनके बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। फरीदाबाद में गुडईयर कट बहुत पहले से था, उससे हम लोग दिल्ली, पलवल या मथुरा आदि जाने के लिये यूज करते थे, अब उसको बंद करके हमारे लिये बहुत बड़ी समस्या हो गई है। फरीदाबाद के सैक्टर्ज 4, 7 और 8 और उसके बाद बल्लभगढ़ विधान सभा क्षेत्र के सैक्टर 3 और बहुत सी कॉलोनियों के लोग इसी गुडईयर कट से दिल्ली आदि जाने का काम करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार से प्रार्थना है कि इस गुडईयर कट पर ऊपरगामी पुल बनाने का काम करें। इससे वहां के लोगों का बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो जायेगा, क्योंकि दिल्ली जाने के लिये पहले बल्लभगढ़ जाना पड़ता है और बल्लभगढ़ में बहुत लम्बा जाम लगा रहता है। लोगों को इस जाम से निजात पाने के लिये आध–आध घंटा का सामना करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, वाई.एम. सी., इंजीनियरिंग कॉलेज के पास जो सड़क है उसके बीचो–बीच 63 के.वी.ए. का बहुत बड़ा टावर लगा हुआ है। इसका हम कई बार मुद्दा उठा चुके हैं। वहां एक्सीडेंट की संभावना बनी रहती है। मैं इस महान सदन से उम्मीद करता हूँ कि इस समस्या

का भी जल्दी से जल्दी समाधान हो। ट्रामा सैन्टर की मेरे हल्के के ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा की समस्या बनी हुई है। मैंने पहले भी विधान सभा सत्र के दौरान एक ट्रामा सैन्टर की मांग उठाई थी। सड़क सुरक्षा के हिसाब से यह बहुत जरूरी है और बहुत सारे एन.जी.ओज. भी सड़क सुरक्षा के बारे में चिंतित रहते हैं। मैं 'दैनिक जागरण' न्यूज पेपर का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने दिनांक 16 नवम्बर, 2022 से सड़क सुरक्षा का एक महा अभियान चलाया हुआ है। इस क्षेत्र के जो विशेषज्ञ थे, उन्होंने उनके साथ इसका सर्वे किया था। सर्वे में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आये हैं कि पूरे हरियाणा में 10 से 11 हजार एक्सीडैंट्स हर साल होते हैं। उसमें से लगभग 5 हजार लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। यह हमारे लिये बहुत ही सोचनीय विषय है। इसमें अधिकतर युवा पीढ़ी अपनी जान गंवाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करता हूँ कि अवैध कट, लाइट की कमी, रख–रखाव आदि की तरफ सरकार को तुरंत प्रभाव से ध्यान देना चाहिये। दैनिक जागरण न्यूज पेपर ने जो सर्वे किया उसमें 6227 किलोमीटर लम्बी सड़कें थी, 218 मुख्य सड़कों का ऑडिट किया गया था। उसमें 255 सड़कें बॉटलनेक और 377 सड़कें दुर्घटना संभावित क्षेत्र आईडैंटीफाई हुई थी। इस प्रकार से बहुत ही अच्छा काम दैनिक जागरण न्यूज पेपर ने किया है। (घंटी) अध्यक्ष महोदय, मैं जल्दी ही अपनी वाणी को विराम देने वाला हूँ। पलवल से लेकर हमारे बॉर्डर तक कोई भी ट्रामा सैन्टर नहीं है, इसलिए हर समय दुर्घटना से डर लगा रहता है। हाईवे पर जरूर से जरूर एक ट्रामा सैंटर बनाया जाये, जिससे लोगों को समय रहते सुविधा मिल सके। अध्यक्ष महोदय, फरीदाबाद बहुत ही अच्छा निर्वाचन क्षेत्र है और जहां कहीं भी पीने के पानी की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, वहां पर भी व्यवस्था पूरी की जाये। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिये मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।

श्री लक्ष्मण सिंह यादव (कोसली): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्यकाल में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। अभी मेरे से पहले माननीय सदस्य दैनिक जागरण की मुहिम की चर्चा कर रहे थे। मैं भी इस महान सदन का इस प्वायंट पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ क्योंकि सड़कों के कारण बहुत ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं। यदि किसी भी एक साल का इस संबंध में मौत का आंकड़ा लिया जाये तो वह आंकड़ा किसी भी युद्ध से ज्यादा ही होता होगा। इस प्रकार से सड़क सुरक्षा को लेकर जो दैनिक जागरण का सर्वे आ रहा है, सरकार को उसकी तरफ

ध्यान देना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, दूसरी बात यह है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछ समस्याएं और डिमाण्ड्स हैं, उनको भी आपके माध्यम से सदन के पटल पर रखना चाहता हूँ। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मेरा निवेदन है कि जाटुसाना कॉलेज की बिल्डिंग को बनाकर उसका जल्द–से–जल्द शिलान्यास किया जाए ताकि बाहर बैठकर पढ़ने वाले बच्चों को छत मिल सके । दूसरा, एक गांव टहना दीपालपुर में ऐग्रीकल्चर की 25 एकड़ जमीन पड़ी है । मेरे क्षेत्र में सरसों की खेती बहुत की जाती है । इस जमीन पर मैंने पहले भी सरसों का एक्सीलैंस सैंटर बनाए जाने की मांग की थी । मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि वे वहां पर सरसों का एक्सीलैंस सैंटर अवश्य बनवायें । इसके अलावा मेरे क्षेत्र में हॉकी के लिए एक एस्ट्रोटर्फ का भी निर्माण करवाया जाए क्योंकि हमारे क्षेत्र से हॉकी के नैशनल और स्टेट लैवल के बहुत अच्छे प्लेयर्ज निकलते हैं । इसके लिए माननीय मंत्री श्री संदीप सिंह जी ने भी घोषणा की हुई है । तीसरा, गुरावड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को 50 बैडिड किया जाए । गुरावड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एन.एच. पर स्थित है । झज्जर से रेवाड़ी के बीच में कोई भी ट्रामा सैंटर नहीं है । अतः मैं चाहता हूं कि इसको एक ट्रामा सैंटर बनाने की भी घोषणा की जाए । इसके अलावा कोसली को खण्ड विकास कार्यालय का भी दर्जा दिया जाए । मेरे विचार से पूरे प्रदेश में कोसली के अलावा ऐसा कोई भी सब–डिविजन नहीं है जहां पर पंचायत का खण्ड कार्यालय न हो । अतः मेरा निवेदन है कि कोसली को खण्ड विकास कार्यालय का भी दर्जा दिया जाए । माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने लगभग 6 साल पहले कोसली विधान सभा क्षेत्र के जाटुसाना कस्बे में एक फ्लोर मिल बनाने की घोषणा की थी लेकिन अभी तक उसका कोई काम नहीं किया गया है । अतः उसके काम को भी आगे बढ़ाया जाए । कोसली कस्बा वैसे तो एक ग्रामीण आंचल है लेकिन उसमें शहरों से भी ज्यादा आबादी रहती है । उसमें बहुत–सी कॉलोनीज हैं । मैं उनकी डिटेल भी आपको दूंगा । मेरा निवेदन है कि उन कॉलोनीज को भी अप्रूव किया जाए ताकि उनमें भी शहरी सुविधाएं दी जा सकें । इसके अलावा हमारे बेरली और नाहड़ में बिजली विभाग का एक–एक नवर्निमित कार्यालय है । अभी तक उनकी बिल्डिंग्ज नहीं बनी हैं । अतः उनकी बिल्डिंगज का निर्माण कार्य पूरा किया जाए । मेरी मांग है कि कोसली में बिजली विभाग के सब–डिविजन में एक स्टोर रूम का भी निर्माण करवाया जाए । बिजली विभाग के ही सब–डिविजन कोसली और बुड़ौली की बिल्डिंग्ज बहुत पुरानी हैं और उनकी हालत जर्जर हो चुकी हैं । वे बिल्डिंग्ज कभी भी दुर्घटना का शिकार हो

सकती हैं । अतः सब–डिविजन कोसली और बुड़ौली की बिल्डिंग्ज का भी पुनर्निर्माण करवाया जाए । अध्यक्ष महोदय, मेरा सारा क्षेत्र ही ट्यूबवैल्ज से सिंचित होता है । वर्ष 2018 के बाद ट्यूबवैल्ज के लिए पावर के कनैक्शंज हेतू जो ऐप्लीकेशंज आई हुई हैं उन पर संज्ञान लेते हुए किसानों को पावर के कनैक्शंज दिए जाएं । इसके अलावा एक और बड़ी दिक्कत है कि मुस्तर खाते में अलग–अलग ऐफिडेविट मांगा जाता है जबकि उसमें और भी शेयर होल्डर्ज होते हैं । वे शेयर होल्डर्ज ऐफिडेविट नहीं देते हैं । इस वजह से किसान ट्यूबवैल्ज का कनैक्शन नहीं ले पा रहे हैं । अतः इसमें सुधार किया जाना चाहिए ।

श्री बलराज कुण्डू (महम): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय । मैं सदन का ध्यान बेमौसमी बरसात की वजह से हुए जलभराव की ओर दिलाना चाहता हूं । मेरे हल्के में आज भी हजारों एकड़ जमीन ऐसी है जिस पर एक दाने की भी बिजाई नहीं हुई है । पिछले सत्र में भी माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय ने वहां की गिरदावरी करवाकर किसानों को नुक्सान का मुआवजा दिलाने का वादा किया था लेकिन धरातल पर कोई भी कार्यवाही नहीं की गई । यह दुर्भाग्य की बात है कि मुझे उनके लिए सदन में दोबारा कहना पड़ रहा है । मेरा पुनः निवेदन है कि सरकार वहां की गिरदावरी करवाकर किसानों को नुक्सान का मुआवजा देने का काम करे । इसके अलावा हमारे महम शहर और महम के 90 प्रतिशत गांवों में पानी की बेहद किल्लत है । वहां पर वाटर वर्क्स की सफाई नहीं की जाती है । वहां पर पाइपलाइन के लीक होने की वजह से लोगों को मजबूरी में गन्दा पानी पीना पड़ रहा है । मैं पिछले 3 साल से इस बात को सदन में उठा रहा हूं लेकिन सरकार इसकी ओर ध्यान नहीं दे रही है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इसका संज्ञान लेकर इस पर कार्यवाही करने का काम करे । अध्यक्ष महोदय, सरकार 'सबका साथ, सबका विकास' का नारा देती है । मैं एम.एल.ए. बनने के बाद पिछले 3 साल से महम शहर में एक गर्ल्ज कॉलेज बनवाने के लिए और हॉस्पिटल की जर्जर हालात में पड़ी हुई बिल्डिंग को दोबारा बनवाने के लिए आवाज उठाता आ रहा हूं लेकिन मेरी बात पर कार्यवाही नहीं की जाती है । इसके अलावा महम में सीवरेज सिस्टम बिल्कुल जर्जर हालत में है । मैं पिछले 3 साल से उसकी रिपेयर की आवाज उठाता आ रहा हूं लेकिन आज तक धरातल पर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है । मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस पर जल्द–से–जल्द कार्यवाही करे । अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के की सड़कों की हालत जर्जर है । मेरे हल्के में महम–बलम्भा–बसाना रोड, महम

भैरो–भैणी रोड, बहु अकबरपुर–समर गोपालपुर रोड, बहु अकबरपुर–निडाणा रोड, गिरावड़–समर गोपालपुर रोड, गिरावड़–निडाणा रोड, बैंसी–गुगा हेड़ी रोड की हालत जर्जर है । पिछले 6 महीने से माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय कह रहे हैं कि हमने हर हल्के में 25 करोड़ रुपये दे दिए हैं लेकिन अभी तक धरातल पर कोई भी काम नहीं हुआ है । मेरा निवेदन है कि माननीय उप–मुख्यमंत्री महोदय मेरे हल्के की इन सड़कों को दुरूस्त करवाने का काम करें । इसके अलावा युवाओं के साथ सी.ई.टी. के नाम पर 4 गुना टॉपर बच्चों को लेने की बात कहकर बहुत बड़ी नाइंसाफी की जा रही है । मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि यू.पी. और राजस्थान की तर्ज पर 15–20 गुना बच्चों को बुला लिया जाए और उनका इंटरव्यू लेकर नौकरी दी जाए । उनके साथ इंसाफ किया जाए क्योंकि मौजूदा व्यवस्था से उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है । अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहूंगा कि हमारे पड़ोसी राज्य हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान में ओल्ड पैंशन स्कीम लागू कर दी गयी है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि हरियाणा सरकार को भी ओल्ड पैंशन स्कीम को लागू करने के लिए विचार करना चाहिए। यह हमारे प्रदेश के कर्मचारियों के लिए बहुत ही गम्भीर विषय है। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त खेल कोटा के तहत नौकरी देने की बात आती है। अभी माननीय सदस्य श्री जगबीर सिंह मलिक जी भी सदन में दिखा रहे थे कि इस संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय खेल एंव युवा मामले मंत्री जी द्वारा एक ट्विट किया गया था। उन्होंने कहा था कि सभी विभागों की नौकरियों में 3 प्रतिशत खेल कोटा as it is दिया जाएगा। लेकिन इसको केवल 3 विभागों तक ही सीमित करके खिलाड़ियों के साथ अन्याय किया जा रहा है। इसको भी सरकार को दुरूस्त करना चाहिए। इस पर पुनः विचार करके सभी विभागों में खेल कोटा लागू करना चाहिए। इसके अलावा मैं पुलिस विभाग की बात रखना चाहूंगा कि पुलिस विभाग में ज्वाईनिंग करने के लिए संबंधित अभ्यार्थी आंदोलन कर रहे हैं। मैं उन अभ्यार्थियों के संबंध में कहना चाहूंगा कि सरकार उनके लिए माननीय कोर्ट में पूरी तरह से पैरवी करके ज्वाईनिंग करवाने का काम करे। इसी तरह से वर्ष 2019 से आई.टी.आई. इंस्ट्रक्टर्ज की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन उनकी आज तक ज्वाईनिंग नहीं करवायी गयी है। मैं सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इनकी ज्वाईनिंग करवाने का काम किया जाए। इसके बाद मैं सरकार का ध्यान वी.एल.डी.ए. की पोस्ट की तरफ दिलाना चाहूंगा। यह वी.एल.डी.ए. की पोस्ट ऐसी है कि इसमें कर्मचारी जिस पद पर ज्वाईनिंग करता

है, उसी पद से रिटायर हो जाता है। लेकिन उसको कोई सम्मान का पद नहीं दिया जाता है। इन वी.एल.डी.ए. कर्मचारियों की 4– 5 मांगे हैं और उन पर भी सरकार विचार करके लागू करे। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त मैं पटवारियों की बात रखना चाहूंगा कि सरकार ने पटवारियों की योग्यता को बारहवीं से बढाकर स्नातक कर दिया है। लेकिन उनका पे स्केल बारहवीं की योग्यता रखने वाले कर्मचारियों के बराबर ही है। इसलिए ये पटवारी भी काफी समय से आंदोलनरत हैं। मेरा कहना है कि इनको स्नातक के बराबर कर्मचारियों का पे स्केल देकर न्याय करने का काम करें। इसके अतिरिक्त एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आज पूरे प्रदेश में हमारी पंचायतों के सरपंच त्रस्त हैं और सड़कों पर हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उनको चोर न समझा जाए क्योंकि ये भी लोकतंत्र का अभिन्न अंग हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि उनके काम करने की 2 लाख रुपये की पॉवर को बढ़ाकर 20 लाख रुपये करके सम्मान किया जाए। मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन है और मैं यह मानता हूं कि इसके लिए पूरा सदन समर्थन करता है।

श्री अध्यक्षः कुंडू जी, आपकी बात पूरी हो चुकी है। प्लीज, अब आप बैठ जाएं।

श्री बलराज कुडूंः अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अपनी बात रखने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं।

विकास एवं पंचायत मंत्री (श्री देवेन्द्र सिंह बबली): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य की बात को स्पष्ट करना चाहता हूं। यह माननीय सदस्य का एक कन्फयूजन है। चूंकि इस संबंध में पहले भी एक माननीय सदस्य ने अपनी बात रखी थी और अब माननीय सदस्य श्री बलराज कुंडू जी ने अपनी बात रखी है। सरकार के द्वारा किसी भी चुनी हुई पंचायत की पॉवर कम नहीं की गयी है। हम सिर्फ जो मैन्यूअली प्रोसैस था उसको टैंडर प्रोसैस में लेकर गये हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी ड्राफ्टिंग रात के 12:00 बजे तक मीटिंग लेकर तैयार करवा ली है। माननीय मुख्यमंत्री जी कल सदन में उसका उल्लेख भी करेंगे। हमने किसी भी सरपंच को चोर नहीं कहा है। माननीय सदस्य स्वयं ही सरपंचों को चोर कह रहे हैं। सरपंच चुने हुए प्रतिनिधि हैं और उनके संवैधानिक राईट्स हैं। सरकार उनके राईट्स को सुरक्षित कर रही है। यह सिर्फ काम की एकाउंटेबिलिटी का मामला है और उसको ठीक करना चाहते हैं। सरकार जीरो टॉलरैंस की नीति पर काम करना चाहती है। पहले जिन सरपंचों ने घपले किये थे उनमें से हजारों सरपंचों की इनक्वायरीज खुली

हुई हैं और उनमें अधिकारी/ कर्मचारी भी शामिल हैं। सरकार ने उन पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की है और आगे भी कार्रवाई होती रहेगी। माननीय सदस्य ने जो बात कही है, वह उचित नहीं है। माननीय सदस्य तो स्वयं ठेकेदार हैं और उनको पता है कि संबंधित वर्क्स के लिए ऑनलाईन टैंडर प्रक्रिया होती है। चूंकि हम तो सिर्फ पहले वाले मैन्यूअली प्रोसैस को टैंडर प्रोसैस में लेकर गये हैं। माननीय सदस्य स्वयं ठेकेदार हैं और वे बता दें कि क्या किसी रोड का टैंडर मैन्यूअली होता है ? इस प्रक्रिया में सरकार ने प्रदेश के हित के लिए कुछ बदलाव किये हैं। सरकार जीरो टॉलरैंस की नीति पर काम करना चाहती है। इसके लिए सरकार ने एक कड़ा फैसला लिया है, लेकिन माननीय सदस्य उनको बार– बार चोर बताकर भड़का रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, सरकार चुने हुए सरपंचों का सम्मान करती है। हम सिर्फ पहले जो मैन्यूअली प्रोसैस था उसको टैंडर प्रोसैस में लेकर गये हैं। इसके अलावा कोई चेंज नहीं किया है।

श्री दीपक मंगला (पलवल): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जीरो ऑवर में अपनी बात रखने के लिए समय दिया, इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पलवल के हसनपुर रजवाहे की लाईनिंग का काम शुरू करवाया है, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। पलवल के हसनपुर रहवाहे का जो लाईनिंग का काम चल रहा है, उसके पक्के होने की वजह से लगभग 20 फुट का एक रास्ता/रोड बन जाता है। यह रोड रेलवे स्टेशन से शुरू होकर कैलाश नगर, मोहन नगर, आई.टी.आई. के पीछे, राधा कॉलोनी, महाराणा प्रताप नगर कॉलोनी, वसन्त विहार, प्रकाश विहार, सैक्टर– 2, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी से होते हुए सोहना रोड तक जाता है। यह सारा घनी आबादी वाला एरिया है। इस रोड के बनने से जो ट्रैफिक शहर के बीचों– बीच से जाता है, वह ट्राफिक इस रोड से होकर बाहर की बाहर ही चला जाएगा। जिससे पलवल शहर में जाम की समस्या से छुटकारा मिलेगा इसलिए मेरी आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है कि इस रोड को जल्दी से जल्दी बनवाया जाये। एक हमारे पलवल में नेता जी सुभाष चन्द्र बोस स्टेडियम है। उस स्टेडियम के चारों ओर ट्रेक बना हुआ है, जो आज टूट गया है और उसकी हालत बड़ी ही जर्जर अवस्था में है। मैंने इस पर एक क्वैश्चन भी लगाया था और माननीय स्पोर्ट्स मंत्री जी ने यह आंसर दिया था कि इसको पी.डब्ल्यू.डी. बनायेगा। मेरी यह मांग है कि हमारा यह ट्रेक जल्दी से जल्दी बनवाया जाये ताकि वहां पर घुमने वाले आम जनमानष को इसकी सुविधाओं का लाभ मिल सके। एक

हमारा पलवल का नैशनल हाईवे है। वहां पर डी.सी. रैजीडैंस में फुट ओवर ब्रिज बनाया जाये क्योंकि जब लोग उस रोड को क्रॉस करते हैं तो उनको बहुत बड़ी दिक्कत आती है। वहां पर एक लड़कियों का स्कूल और एक लड़कों का भी सीनियर स्कूल है। वहां पर आये दिन एक्सीडैंट होते रहते हैं। अगर एक फुट ओवर ब्रिज बन जायेगा तो हमारे पलवल शहर में रहने वाले लोगों को काफी सुविधा मिलेगी। एक हमारे पलवल में खादर का क्षेत्र है, जो यमुना नदी के पार का क्षेत्र है। उस क्षेत्र में बागपुर, सुनहरी नंग्ला, माला सिंह फार्म, सोहन सिंह की ढांडी, भूड खेड़ली, शेखपुर, बहरमपुर, नगलिया, झुप्पा, पहरूखा, भोलडा, सोलडा, राजुपुर खादर, दोस्तपुर इत्यादि गांव हैं। वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं नाममात्र की हैं। अगर वहां पर एक सी.एच.सी. बना दी जाये तो वहां के रहने वाले लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी क्योंकि हमारे लोगों को आये दिन पलवल शहर में आने के लिए बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अध्यक्ष महोदय, वहां पर कोराना के समय में भी लोगों को बहुत भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी भी सदन में बैठे हुए हैं इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हमारे पहरूखा, में प्राईमरी स्कूल है उसकी सारी फॉर्मेलिटीज भी पूरी हो गई हैं और एक वेला में भी प्राईमरी स्कूल है और एक नांगल ब्राहमण मीडिल स्कूल है। अगर ये अपग्रेड हो जायेंगे तो हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए अच्छी सुविधा मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, हमारे बागपुर में एक स्कूल की बिल्डिंग बनी हुई है। अगर वहां पर लड़कियों के लिए एक स्कूल खुल जाये तो हमारी लड़कियों को पढ़ने के लिए काफी सुविधा होगी। मेरे पलवल विधान सभा क्षेत्र के गांव अल्लिकां, यादूपुर, कारना, राजोलका, ककराली आदि आते हैं हालांकि हथीन विधान सभा क्षेत्र में भी सेम की बहुत बड़ी समस्या है। अगर इन गांवों में बोरवेल लग जायें हालांकि इन गांवों में बोरवेल लगे भी हैं लेकिन और बोरवेल लग जाये तो सेम की समस्या का भी समाधान हो जायेगा। (घंटी) अध्यक्ष महोदय, हमारे पलवल में यमुना नदी के पास ग्राम पंचायत कुशक की लगभग 800 एकड़ जमीन पड़ी हुई है क्योंकि धीरे–धीरे पानी का जलस्तर नीचे जा रहा है। अभी हमारे लिए खेतों में सिंचाई करने के लिए पानी की दिक्कत है क्योंकि आगे आने वाले समय में पीने के पानी की भी दिक्कत होगी। अगर वहां पर पानी को स्टोर करने का प्रावधान हो जाये तो इस समस्या से भी छुटकारा पाया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका बहुत–बहुत धन्यवाद करता हूं।

श्री ईश्वर सिंह (गुहला) (एस.सी.): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। इस समय मेरे हल्के में सड़कों की बहुत ज्यादा हालत खराब है क्योंकि यह एक अहम ज्वलंत मुद्दा है। वहां पर सड़कों की दशा इतनी खराब है कि कैथल से चीका, खरकां से गुहला और भागल से चीका तक की सड़कें बहुत ही दयनीय दशा में हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं इन सड़कों के मुद्दे पर कहना चाहता हूं कि जो सड़कें डी.एल.पी. (डिफैक्ट लायबिलिटी पीरियड) के अंतर्गत आती हैं और आपने भी इस बात का जिक्र किया था। इन सड़कों की रिपयेर करने की लिमिट पांच साल तय की गई है कि यह सड़क सिर्फ पांच साल के लिए बनाई जायेगी। अगर उसके बाद यह सड़क टूट जाये तो इस सड़क को संबंधित ठेकेदार द्वारा नहीं बनाया जाता है। इसकी क्या गारंटी है कि वह सड़क 2 साल, 3 साल के बाद नहीं टूटेगी। अगर सड़क का आधा किलोमीटर का टुकड़ा टूटा हुआ है या खराब हो गया है तो उस पर पैच वर्क का काम कर दिया जाता है और इसमें संबंधित ठेकेदार की रिस्पोंसिबिलिटी बनती थी, उसको इग्नोर कर दिया जाता है। वह सड़क डेढ़ साल या दो साल के बाद ही टूट जाती है तो ऐसे में बाकी बचे हुए 3 साल तक उस सड़क को रिपेयर नहीं किया जाता है। सड़क टूटने के कारण लोगों को आये दिन मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और उन लोगों के 3 साल तो टूटी हुई सड़क पर ही निकल जाते हैं। सड़कों की ऐसी हालत मेरे हल्के में नहीं बल्कि बाकी हल्कों में भी जस की तस बनी हुई है। मेरा इसमें कहना है कि अगर पांच साल पहले सड़क टूटती है तो संबंधित ठेकेदार की सिक्योरिटी जब्त की जाये या फिर ठेकेदार की जो आमदनी है उस पर पाबंदी लगाई जाये कि आपको आपकी आमदनी का तीसरा हिस्सा तब मिलेगा जब सड़क को बने हुए 5 साल पूरे हो जायेंगे। मेरा यह सुझाव है। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से तो ठेकेदारों ने सिस्टम या फैशन बना लिया है कि अगले 5 साल तक सड़क नहीं बनानी पड़ेगी और इस सड़क बनाने का नम्बर 5 साल बाद आयेगा। जिसके कारण लोग टूटी हुई सड़कों पर चलने को मजबूर हो जाते हैं और धीरे–धीरे इन सड़कों पर गड्ढे पड़ जाते हैं इसलिए इन सड़कों की दशा बहुत ज्यादा खराब हो जाती है।अब तो सड़कों पर तारकोल भी नहीं डाला जाता, तारकोल के बजाया तेल–सा आ गया है। जिससे सड़कें बनने के दो–तीन महीने बाद ही टूटना शुरू हो जाती हैं। अब सड़कें बनाने में पहले प्रयोग में ली जाने वाली सामग्री ही नहीं रही।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मेरा इस संबंध में एक सुझाव है कि जो ठेकेदार इस प्रकार की सड़क बनाते हैं, उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए।

श्री ईश्वर सिंहः अध्यक्ष महोदय, मेरे हल्के में सबसे जरूरी यह था कि वहां पर ठेकेदारों ने सड़क बनाई तो वहां के जिम्मेदार लोग कमिशन खाते रहे। अध्यक्ष महोदय, या तो वे सड़क पक्की हो गयी या फिर उनका कमिशन खाया गया। अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी दूसरी बात फोरलेन से संबंधित है उसके बारे में कहना चाहूंगा कि करनाल से कैथल तक यह फोरलेन बनकर आ गई। मेरा हल्का चीका जो पटियाला के साथ लगता है लेकिन फोरलेन को कैथल में ही रोक दिया गया। अगर इस फोरलेन को कैथल से चीका तक बना दिया जाता और बॉर्डर तक पहुंचा दिया जाता तो स्टेट की वाह–वाह हो जाती और लोगों को सहूलियत भी मिलती। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस फोरलेन को रोकने का कारण क्या है ? जब फोरलेन बनते–बनते आ गई तो इसे कैथल से चीका तक बनाने में क्या एतराज था, क्या कारण था, इसे बनाने से क्यों रोका गया ? अध्यक्ष महोदय, तीसरी सबसे बड़ी समस्या मेरे हल्के के दो ब्लॉकों में डार्क जोन से संबंधित है। इसमें पहला ब्लॉक सीवण तथा दूसरा गुहला है इन ब्लॉकों में तीन सालों से कनैक्शन देना बंद किया हुआ है, जबकि ये ब्लॉक पहले से ही डार्क जोन में हैं इनमें पहले से ही समस्या खड़ी हुई है और हमारा पैडी का एरिया है वहां बड़ी मात्रा में जीरी लगायी जाती है, लेकिन बिना कनैक्शन मिले जीरी कैसे लगायी जाएगी। इसलिए कनैक्शन देने पर जो पाबंदी लगाई गई है, वह पाबंदी हटाई जाए। अध्यक्ष महोदय, हमारी म्युनिसिपल कमेटी की जमीन का मेरे लिए बड़ा अहम मुद्दा है। म्युनिसिपल कमेटी की जमीन पर पुराना बस अड्डा बन गया था। वह बस अड्डा चला नहीं और अब वह 11 साल से खस्ताहाल में है। अब नया बस अड्डा बन गया और वह जमीन खाली हो गई है। वह जमीन म्युनिसिपल कमेटी के रिकॉर्ड में भी है, इसलिए इस जमीन को म्युनिसिपल कमेटी को वापस करवाया जाए। अध्यक्ष महोदय, एट्रोसिटी एक्ट के अन्दर केस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं इनको बंद किया जाए। धन्यवाद।

श्रीमती किरण चौधरी (तोशाम): अध्यक्ष महोदय, आप बहुत गरिमामय पद पर बैठे हुए हैं। माननीय सदस्य द्वारा सदन में सड़क का मुद्दा उठाया है, यह बहुत ही गंभीर मामला है। सड़कों के मामले में यही हाल सारे हल्कों के साथ हो रहा है कि इनको बनाने में कमीशन खाया जाता है, जिससे सड़कें बनने के दो या तीन साल के अन्दर ही तहस–नहस हो जाती हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगी कि

सरकार द्वारा कोई ऐसा प्रावधान बनाया जाए कि जिस भी ठेकेदार को सड़क बनाने का टेंडर दिया गया है, अगर वह सड़कों को ठीक तरह से नहीं बनाता तो उसे ब्लैकलिस्ट किया जाए ताकि वह अगली बार सड़क नहीं बना पाए। जिससे पूरे हरियाणा के अन्दर यह मैसेज जाए कि जो भी ठेकेदार ठीक तरह से सड़क नहीं बनायेगा उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अगर आप इस विषय को अपनी तरफ से लेंगे तो यह बहुत बड़ी बात होगी।

श्रीमती सीमा त्रिखा (बड़खल): अध्यक्ष महोदय, आज मैं जीरो आवर की शुरुआत अपने दो अल्फाजों से शुरू करना चाहती हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ थैंक्यू श्री मनोहर जी बोलकर अपने शब्दों को आगे बढ़ाना चाहती हूं। मैं फरीदाबाद के बड़खल विधान सभा क्षेत्र से चुनकर आती हूं। बड़खल विधान सभा क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से अनेकों सौगाते दी हैं जिसके लिए मैंने थैंक्यू श्री मनोहर जी कहा है। बड़खल का सब–डिविजन बनना, पासपोर्ट ऑफिस आना और उसके बाद में अपने आप में नायाब किस्म का हरियाणा का पहला पी.पी.पी. मोड पर बस अड्डा बना जिसका हाल ही में बड़खल विधान सभा क्षेत्र में शुभारंभ किया गया है। उसके लिए भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं। इसके अलावा बड़खल को तीन नए बिजली के सब–स्टेशंज मिले हैं। जिनमें से एक सब–स्टेशन का निर्माण कम्पलीट हो चुका है, दूसरे सब–स्टेशन का निर्माण प्रक्रियाधीन है तथा तीसरे सब–स्टेशन के लिए जगह दी जानी है। अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा मुद्दा जो कि मुझे लगता है कि पिछले 70 सालों से कोई सॉल्व नहीं कर पाया था, यह मुद्दा स्वामित्व योजना के तहत लीज दुकानों का फ्री होल्ड करना जिसने बहुत सारे परिवारों को सुविधा दी है। अध्यक्ष महोदय, इससे आगे मैं जोड़ना चाहती हूं बड़खल झील को आगे बढ़ाने व एस. टी.पी. बनाने को। अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे ज्यादा सोचती हूं कि हरियाणा सरकार देश में आगे पहुंचाने में ट्रांसपेरेंसी और क्रप्शन फ्री व्यवस्था करना है और इसके साथ–साथ बाकी देशों से हम आगे बढ़ें हैं। उसमें 1.80 लाख रुपये सालाना कमाने वाले को गरीबी रेखा में लेकर आने के लिए मैं धन्यवाद देती हूं। जिसकी वजह से अनेकोंनेक परिवारों को सुविधा लाभ पहुंचेगा। मैं आपके माध्यम से चिरायु हरियाणा, निरोगी हरियाणा ये सभी ऐसी चीजें हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसके साथ ही साथ सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को टैबलेट्स बांटने में भी पूरे देश में पहला प्रदेश बना। बहुत सारी चीजें ऐसी आई जिनमें आज हरियाणा पूरे देश में अपने आप में मॉडल बनकर उभरा है। मैं समझती हूं कि आज भी कुछ चीजें

ऐसी हैं जिनके मामले में हमें कुछ और मशक्कत करने की जरूरत है। मैं आपके माध्यम से उनकी तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहूंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जे.सी. बोस यूनिवर्सिटी की हमारी डिमाण्ड को स्वीकार किया और उन्होंने वहां पर खुद विजिट भी की। मैं यह चाहती हूं कि इस काम का जल्दी से जल्दी शिलान्यास करवाया जाये। इसके साथ–साथ बड़खल झील के जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है। उसमें मैं चाहूंगी कि हमारे टूरिज्म मिनिस्टर यहीं पर बैठे हैं जो इतने पुराने वहां पर होटल्ज बने हुए हैं और उसके रखरखाव का कार्य टूरिज्म डिपार्टमैंट के माध्यम से होना है। मैं एक बात ये और कहना चाहूंगी कि यू.एल.बी. के मिनिस्टर डॉ. कमल गुप्ता जी भी वहां पहुंचकर इस काम को गति दिलवायें। मैं आपके माध्यम से बोलना चाहती हूं कि मैं आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद करना चाहती हूं कि जो आज शायद हर किसी की जुबान पर होगा। जो हमारे साहेबजादे शहीदी में गिने गये उनके शहीदी दिवस को जो उन्होंने वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करती हूं और साथ ही साथ मैं अपने मुख्यमंत्री जी से मांग करती हूं कि सैक्टर–21, फरीदाबाद में उनके नाम से एक गुरूद्वारा साहब और साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहूंगी कि एस.जी.एम. नगर में हमारे यहां पर 50 हजार से अधिक परिवार रहते हैं लेकिन उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए वहां पर कोई बढ़िया सरकारी स्कूल नहीं है। वहां पर एक 200 या 250 गज का स्कूल है उसको 12वीं तक का कर दिया जाये। इसके साथ ही साथ मैं स्पोर्ट्स कॉम्पलैक्स को भी दोबारा बनाने की मांग करती हूं और साथ–साथ अपने अंतिम शब्दों के रूप में मैं यह कहना चाहूंगी कि जब राजा राजनीतिक न होकर सामाजिक हो जाता है तो मैं सोचती हूं कि समाचार–पत्र भी सामाजिक हो जाते हैं। वो भी राजनीति का राजनीतिक तरीके से तो प्रस्तुतिकरण करते हैं पर समाज को भी आगे लेकर जाते हैं। यह बात इसलिए मेरे जहन में आई क्योंकि नरेन्द्र गुप्ता जी ने दैनिक जागरण अखबार की बात की है तो मैं दैनिक जागरण का भी धन्यवाद करना चाहती हूं। आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री सुरेन्द्र पंवार (सोनीपत) : अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया सबसे पहले इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस विषय की ओर दिलाना चाहूंगा कि जब वर्ष 2014 में सोनीपत नगर निगम बना उस समय उसमें 26 गांवों को लिया गया था। उस समय उन 26 गांवों ने इसका विरोध किया था कि वे नगर निगम, सोनीपत में नहीं आना चाहते क्योंकि इन सभी गांवों में पंचायत

भी थी और पंचायत का बजट भी था। इन सभी गांवों में पंचायत की जमीनें भी थी लेकिन उस समय सरकार ने उनमें से सिर्फ 13 गांव ही निकाले और 13 गांवों को यह कहते हुए नगर निगम में लिया था कि उनसे एक तो कभी हाउस टैक्स नहीं लिया जायेगा, जो पंचायत का पैसा होगा वह गांव में ही खर्च किया जायेगा, बिजली निगम की ओर से जो एम.सी. टैक्स है वह नहीं लगेगा। गांव की फिरनी से बाहर के लोगों का भी कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगेगा लेकिन उसके बाद उन सभी गांवों में प्रॉपर्टी टैक्स लगाया गया। जिन व्यक्तियों के पास एक भैंस और एक गाय दो पशु बंधे हुए हैं उसको डेयरी के तौर पर काउंट करके मालिक से कमर्शियल टैक्स लिया जा रहा है। उन गांवों की यह मांग है कि जब उन्हें नगर निगम, सोनीपत में शामिल किया गया था उस समय जो शर्तें रखी गई थी उनको माना जाये। इन सभी गांवों के लोगों का यह कहना है कि अगर सरकार उनकी इस बात को नहीं मानती है तो उन्हें इसका विरोध करना पड़ेगा और उन्हें सड़कों पर आना पड़ेगा। अध्यक्ष जी, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि जिन शर्तों पर उन गांवों को नगर निगम में शामिल किया गया था उन शर्तों को माना जाये। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आज सबसे बड़ी समस्या जो पुरानी कालोनियां हैं जैसे हमारे सोनीपत में वैस्ट राम नगर, राम नगर, दहिया कालोनी, देव नगर, विकास नगर मालवीय नगर, गढ़ी ब्राह्मणा, कालूपुर, मोहन नगर, बाबा कालोनी, आदर्श नगर, न्यु जीवन नगर, न्यु ब्रह्म कालोनी, सिक्का कालोनी, जनता कालोनी सहित अन्य बहुत सी कॉलोनियां जोकि करीब–करीब 40 साल से बसी हुई हैं। उस समय लोगों को यह पता नहीं होता था कि इंतकाल भी चढ़वाना होता है। उन्होंने रजिस्ट्रियां करवा ली लेकिन इंतकाल नहीं चढ़वाया। उस समय रजिस्ट्रियां होती रही लेकिन अब यह बहुत भारी समस्या आ रही है। अब बिना इंतकाल के आगे उनकी रजिस्ट्रियां नहीं हो रही हैं और अब वह इंतकाल इसलिए नहीं चढ़ रहा है क्योंकि अब उस एक खेवट में जमीन नहीं बची हुई है। आज लोग पटवारी के पास चक्कर लगा रहे हैं। अगर किसी की अधिक पैसा देने की क्षमता है तो पटवारी कोई न कोई रास्ता निकाल कर उसका इंतकाल चढ़ा देता है अन्यथा हजारों लोग आज धक्के खा रहे हैं। इस बारे में मेरा एक सुझाव है कि जब सरकार पोर्टल बना रही है तो जिन रजिस्ट्रियों का इंतकाल नहीं चढ़ा हुआ है उनका एक अलग से पोर्टल बना दिया जाये जिससे उनको रजिस्ट्री करवाने में असुविधा न हो। अब चूंकि उस खेवट में जमीन नहीं बची हुई है इसलिए उनका इंतकाल नहीं चढ़ पायेगा। यह एक गम्भीर समस्या है और पूरे हरियाणा में लोग

इससे परेशान हैं इसलिए इस समस्या का कोई न कोई समाधान अवश्य निकाला जाए। इसी प्रकार से सोनीपत में बेसहारा पशुओं की गम्भीर समस्या है। सोनीपत में सड़कों पर बहुत सारे बेसहारा पशु घूमते हैं जिससे हर रोज एक्सीडैंट्स हो रहे हैं तथा लोगों की जान जा रही हैं इसलिए इस मामले में किसी न किसी की जिम्मेदारी तय की जाये। मैं तो यह कहता हूं कि उपायुक्त की ही जिम्मेदारी तय की जाये कि सड़कों पर बेसहारा पशु दिखाई न दें। इसी प्रकार से मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि धार्मिक, सामाजिक और चैरिटेबल संस्थाओं की प्रॉपर्टी पर प्रॉपर्टी टैक्स माफ किया जाये क्योंकि ये सभी संस्थायें सामाजिक और चैरिटेबल के काम करती हैं। इसी प्रकार से सोनीपत में सैक्टर के जितने भी मास्टर रोड्स हैं वे बनवाये जायें। मैं पिछले 3 साल से विधान सभा में यह प्रश्न उठा रहा हूं लेकिन आज तक किसी भी सैक्टर का मास्टर रोड नहीं बना है इसलिए उनको शीघ्रातिशीघ्र बनवाया जाये।

श्री अमरजीत ढांडा (जुलाना): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे शून्यकाल पर बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मेरा निर्वाचन क्षेत्र जुलाना फ्लड से बहुत बुरी तरह से प्रभावित है। अब सरकार की तरफ से इस बाढ़ का जो समाधान किया गया है उससे लगभग 80 प्रतिशत कार्य हुआ है। जुलाना में पहली बार ऐसा हुआ है कि धान की कटाई भी समय पर अच्छी तरह से हो गई और गेहूं की बिजाई भी सही समय पर हो गई है इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं। लेकिन अभी इसका 80—85 प्रतिशत कार्य हुआ है। इसके आगे के ऐजेंडे बन चुके हैं और अगर 60—65 करोड़ रुपया सरकार की तरफ से और जारी हो जाये तो इसका स्थाई समाधान हो सकता है। इसके अतिरिक्त मेरे निर्वाचन क्षेत्र के कुछ गांव ऐसे हैं जिनमें सिंचाई के पानी की दिक्कत है। उनमें से कुछ गांव तो जीन्द ब्लॉक में पड़ते हैं और एक गांव जुलाना ब्लॉक में पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए बरौली माइनर है जो चौधरी भूपेन्द्र सिंह हुड्डा जी की सरकार के समय में पास हुई थी लेकिन किसी कारण से वह बन नहीं पाई थी इसलिए उसको जल्दी बनवाया जाये ताकि लोगों को सिंचाई के लिए पानी मिल सके। इसी तरह की एक माइनर करेला माइनर है जो पास हो गई है लेकिन बन नहीं पाई है इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उक्त दोनों माइनर्स को यथाशीघ्र बनाया जाये ताकि लोगों की प्यासी जमीनों को पानी मिल सके। किसान देश का अन्नदाता है और अगर किसान की फसल अच्छी होगी तो वह सभी का पेट भर

सकेगा। अध्यक्ष महोदय, कुरूक्षेत्र से नारनौल जो 152–डी तथा गोहाना से जीन्द 352 सड़क बनी हैं यह सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है लेकिन मेरे निर्वाचन क्षेत्र की कुछ सड़कें तो बन चुकी हैं लेकिन मार्केटिंग बोर्ड की सड़कों पर अभी काम शुरू नहीं हुआ है। मुझे कल पता चला है कि मेरे हल्के की 11 सड़कें पास की गई हैं लेकिन अभी भी 11 सड़कें बची हुई हैं इसलिए उनको भी पास किया जाये। जो 11 सड़कें बची हुई हैं उनमें फतेहगढ़ से लिजवाना कलां, पोली से धनाणा वाया हथवाला, देशखेड़ा से देवड़, निन्दाना से ललित खेड़ा, रामकली से करसोला, देवड़ से माली वाया कमासखेड़ा, सामलो खुर्द से रधाना, खरैंटी से उगालन, सुन्दरपुर से सिवाया, डिगाना से नंदगढ़ तथा रामराय खेड़ा से रामगढ़ शामिल हैं। इन सड़कों पर पैदल चलने का रास्ता भी नहीं है इसलिए मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इन 11 सड़कों को पास किया जाये। इसी प्रकार से गतोली गांव ने लड़कियों के कॉलेज के लिए वर्ष 2019 में 10 एकड़ जमीन दी थी और यहां पर शिक्षा मंत्री जी बैठे हुए हैं उस कॉलेज को बनाने के लिए हां की गई थी लेकिन अभी तक उस पर काम नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि गतौली में एक लड़कियों का कॉलेज बनाया जाए और उसका काम इसी वर्ष 2021–22 में शुरू करवाया जाए। जहां तक सरपंचों की बात है सरपंच गांव का जनप्रतिनिधि होता है जिसको गांव ने गांव की जिम्मेवारी दी है और हमें हल्के की जिम्मेवारी दी है। ठेकेदार काम करके चले जाते हैं। कोई गेट लगाकर नहीं गया, कोई टुंटी लगाकर नहीं गया, कोई दीवार पूरी करके नहीं गया तो उस संबंध में या तो सरपंच गाली खाएगा या फिर एम.एल.ए. गाली खाएगा क्योंकि गांव में सरपंच रहता है और एम.एल.ए. का भी गांव में आना–जाना रहता है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि सरपंच को 20 लाख रुपये खर्च करने की पावर दी जाए। अगर हम किसी गांव में जाते हैं तो वहां कोई बुजुर्ग कहता है कि बेटा एक किले की दूरी के लिए गली बनवा दे, दो किले की दूरी के लिए गली बनवा दे लेकिन वह हम बनवा नहीं पाते हैं क्योंकि टैंडर प्रक्रिया ही ऐसी है। मेरी विधान सभा में एक साल से आज भी आठ करोड़ रुपये के काम बाकी हैं। वहां पर कोई टैंडर भी नहीं लगे और बिल्कुल धीमी प्रक्रिया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि आप सरपंच को 20 लाख रुपये की पावर दे दीजिए उससे विकास कार्य हो जाएंगे क्योंकि पीछे कोरोना काल में व किसान आन्दोलन के समय काम नहीं हो पाए थे। आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री प्रवीन डागर (हथीन) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत–बहुत धन्यवाद। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में एक बात लाना चाहता हूं जो पूरे प्रदेश के हित में है। हमारे जो किसान सेम की समस्या से पीड़ित हैं उनके लिए कोई ऐसी योजना तैयार करवाई जाए जिससे हमारे उन किसानों को सेम की समस्या से निजात मिल सके। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश के अन्दर लाखों एकड़ भूमि सेम की समस्या से पीड़ित है। उस पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ी तेजी से कार्य किये हैं लेकिन फिर भी अभी वह कार्य ना काफी हैं क्योंकि मेरा हथीन क्षेत्र सेम की समस्या से बहुत पीड़ित है। आज सुबह भी हमारी इस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई थी कि जहां–जहां किसान सेम की समस्या से पीड़ित हैं उन किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। दूसरा जो भी किसान सीजनेबल या स्थाई रूप से बिजली के कनैक्शन लेना चाहें तो उन किसानों को मुफ्त में बिजली के कनैक्शन दिये जाएं जिससे वे ट्यूबवैल चलाकर वहां के पानी के लैवल को नीचे कर सकें। अध्यक्ष महोदय, पिछले बजट सत्र के दौरान माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे पलवल जिले को एक मैडिकल कॉलेज की सौगात दी थी लेकिन अभी तक उस मैडिकल कॉलेज पर कोई कार्य नहीं हुआ है। अतः उस कॉलेज के निर्माण कार्य के लिए जल्दी से बजट का प्रावधान किया जाए और निर्माण कार्य शुरू करवाया जाए। अध्यक्ष महोदय, मेरे हथीन क्षेत्र के आस पास एक मुम्बई–वड़ोदरा एक्सप्रैस–वे, एन.एच, के.एम.पी. आदि रोडज निकल रहे हैं। वहां पर कनैक्टिविटी की एक बहुत बड़ी मांग काफी समय से चली आ रही है। माननीय उप–मुख्यमंत्री जी ने भी पिछले बजट सत्र में आश्वासन दिया था कि आपकी उस मांग को पूरा करवाया जाएगा लेकिन अभी तक हमारी वह मांग पूरी नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो जमीन की उपलब्धता की बात है तो हम किसानों को एग्री करके ई–भूमि पोर्टल के माध्यम से जमीन भी उपलब्ध करवा देंगे। हमारी इस कनैक्टीविटी की मांग को माननीय मुख्यमंत्री जी व माननीय उप मुख्यमंत्री जी जल्दी पूरा करवाएं क्योंकि हमारे हल्के की यह एक बहुत बड़ी मांग है। अध्यक्ष महोदय, एक नूंह–पलवल स्टेट हाई–वे को चौड़ा करने के लिए ऐस्टीमेट पास हुआ पड़ा है इस पर भी जल्दी से जल्दी निर्माण कार्य करवाया जाए। मेरे क्षेत्र में हथीन नगरपलिका के अपने आय के स्त्रोत नहीं हैं इसलिए उस नगरपालिका को विकास कार्यों के लिए कम से कम 15 करोड़ रुपये दिये जाएं और एक सीवर साफ करने की मशीन भी उपलब्ध करवाई जाए। मेरे हथीन

विधान सभा क्षेत्र में लगभग 106 ग्राम पंचायतें हैं और सभी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़ी–बड़ी समस्यायें हैं। अध्यक्ष महोदय, जो जल जीवन मिशन के तहत पाइप लाइनें डाली गई हैं, इन पाइप लाइनों को डालने के बाद ही हमारे यहां सारे रास्ते, नालियां और गलियां खराब हो गई हैं। मेरा सदन के माध्यम से अनुरोध है कि इनको दुरूस्त करवाने के लिए लगभग 20 करोड़ रूपये का बजट मंजूर करने का काम किया जाये। गांव मानपुर मेरे हल्के का बहुत बड़ा गांव है। वहां पर एक डिग्री कालेज मंजूर किया जाये। गुरूग्राम कैनाल जो हमारे इलाके से होते हुए राजस्थान तक जा रही है, इसके लिए कंक्रीट लाइन की मंजूरी दी जाये। गांव मंडकोला को तहसील का दर्जा दिया जाये और यहां पर कृषि विज्ञान केन्द्र को डिग्री कालेज भी बनाया जाये। अध्यक्ष महोदय, मैं मंगला जी की एक मांग का भी समर्थन करता हूँ कि यमुना के उपर एक बैराज बनाया जाये जिससे हमारे इलाके में वाटर लैवल की समस्या खत्म हो सकेगी। अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया इसके लिए आपका बहुत–बहुत धन्यवाद।

―――――――――

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री द्वारा दोपहर भोज के लिए आमंत्रण

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जी एक घोषणा करेंगे।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री जय प्रकाश दलाल): अध्यक्ष महोदय, मेरी हरियाणा विधान सभा के सभी माननीय सदस्यों, अधिकारी साहेबान व सभी पत्रकार बंधूओं से प्रार्थना है कि आज मिलेट्स भोजन का आयोजन किया गया है। इसके लिए आप सभी सादर आमंत्रित हैं।

――――――――――

बैठक का स्थगन

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब सदन की कार्यवाही दोपहर भोज के लिए 1 घंटे के लिए स्थगित की जाती है।

*01.30 बजे

(तत्पश्चात् सभा मध्याहन पश्चात 14.30 बजे तक के लिए *स्थगित हुई।)

दयाल सिंह पब्लिक स्कूल, पानीपत के अध्यापकगण एवं विद्यार्थियों का अभिनंदन

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, आज सदन की कार्यवाही देखने के लिए दयाल सिंह पब्लिक स्कूल, पानीपत के अध्यापकगण एवं विद्यार्थी दर्शक दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपनी तथा सदन की तरफ से इनका अभिनंदन करता हूँ।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव–

(i) राज्य में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा भर्ती संबंधी

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, मुझे श्रीमती किरण चौधरी, विधायक द्वारा राज्य में हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा भर्ती से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–17 प्राप्त हुई है। मैंने इसको स्वीकार कर लिया है।

इसी प्रकार से ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–28 जोकि श्री बलराज कुंडू, विधायक द्वारा दी गई है, समान विषय का होने के कारण इसे ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–17 के साथ जोड़ दिया गया है। श्री बलराज कुंडू, विधायक चर्चा के समय प्रश्न पूछ सकते हैं।

इसी प्रकार से अल्प अवधि सूचना संख्या–2 जोकि श्री भारत भूषण बतरा, विधायक तथा अन्य दो विधायकों सर्वश्री वरूण चौधरी तथा आफताब अहमद जी द्वारा दी गई है। इसे ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–42 में परिवर्तित कर दिया गया है और समान विषय का होने के कारण इसे ध्यानाकर्षण सूचना संख्या–17 के साथ जोड़ दिया गया है। श्री भारत भूषण बतरा, विधायक तथा अन्य दो विधायक भी इस पर अपनी सप्लीमैंट्री पूछ सकते हैं। अब श्रीमती किरण चौधरी, विधायक अपनी ध्यानाकर्षण सूचना पढ़ें।

श्रीमती किरण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में कौशल रोजगार निगम के तहत होने वाली भर्तियों के बारे इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक हित के विषय की ओर दिलाना चाहती हूँ कि कौशल रोजगार निगम में पढ़े–लिखे युवाओं को कम वेतन पर रोजगार देकर एक तरह से सरकार द्वारा उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का ही काम किया जा रहा है। ऐसा लगता है यह निगम पढ़े–लिखे युवाओं का शोषण करने के लिए ही बनाया गया है। इसमें आरक्षण देने की भी सही ढंग से पालना नहीं हो पा रही है और न ही इसमें किसी तरह की पारदर्शिता बरती जा रही है। कौशल रोजगार निगम में भर्तियों के नाम पर सरकार युवाओं के साथ धोखा करने का काम

कर रही है। इस निगम के तहत सरकार ठेका प्रथा को बढ़ावा देने का काम कर रही है जिससे हमारे युवा मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तौर पर अपने आपको पीड़ित महसूस कर रहे हैं। हाल ही में जो टी.जी.टी. और पी.जी.टी. की भर्तियां की गई हैं, उनमें भी नियमों की सरासर अनदेखी की गई है। इस निगम के तहत आनन–फानन में बिना किसी प्रक्रिया के पालन किए भर्तियां की जा रही हैं। जिन लोगों को भर्ती किया गया है, उनको दूर–दराज के स्टेशन दिये जाते हैं। बहुत सी नौकरियों में तो पेरेट्स डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट खाली होने के बावजूद भी दूसरे जिलों में नौकरियां देने का काम किया जा रहा है। ऐसा करके सरकार पक्की नौकरियों के साथ–साथ दलित व पिछड़े वर्गों का आरक्षण भी खत्म करने का प्रयास कर रही है। आज के दिन करीब 180000 से ज्यादा विभिन्न कैटेगरीज के बहुत से विभागों में पद खाली पड़े हुए हैं औरा सी.एम.आई. के आंकड़ों के अनुसार प्रदेश 30.6 प्रतिशत की बेरोजगारी दर झेल रहा है। सरकार कोई भी भर्ती करती है तो उसकी ज्वाईनिंग समय पर नहीं दे पाती और कई भर्तियों में ऐसी खामियां पाई जाती हैं जो कोर्ट द्वारा निरस्त कर दी जाती है। आज युवा निराश एवं हताश है क्योंकि उन्हें अपने जीवन यापन के लिए कोई पथ दिखाई नहीं दे रहा है। अतः मैं सरकार से अनुरोध करूंगी कि इस विषय को अत्यंत गंभीर मानते हुए एक रोडमैप तैयार करके समयबद्ध तरीके से रिक्त पद भरे जाएं। अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा सी.ई.टी. (कॉमन एलिजिबिलिटी टैस्ट) लिया जा रहा है उसके विषय में मेरा कहना है कि यह टैस्ट हर साल लिया जाना चाहिए ताकि बच्चों को इसका लाभ मिल सके । इसमें सरकार ने 3 साल की जो अवधि दी है वह सही नहीं है क्योंकि बाद में जो बच्चे आएंगे वे कहां जाएंगे ? अतः इसमें जो अनियमिताएं हैं उनकी ओर भी ध्यान दिया जाए । हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत प्राइवेट एक्सपीरियंस रखने वाले युवाओं को नहीं लिया जाता है । अतः इसमें उनको भी लिया जाए । इसका मतलब यह है कि इसके तहत जिन युवकों को नौकरियां मिलेंगी उनको आगे बढ़ोतरी के लिए कोई साधन नहीं मिलेंगे । अतः यह प्रावधान डालना भी बहुत जरूरी है कि जो अच्छा काम कर रहे हैं और मैरिट में आ रहे हैं इसमें उनको भी लिया जाए ताकि उनको भी यह आशा रहे कि हमारा भविष्य अच्छा होगा । इस समय सदन में माननीय मुख्य मंत्री महोदय बैठे हुए हैं । मैं उनको बताना चाहती हूं कि जब रोडवेज की स्ट्राइक हुई थी तो अनेक प्राइवेट ड्राइवर्ज और कंडक्ट्र्ज को बुलाकर बसों को चलवाया गया था । उन ड्राइवर्ज और कंडक्ट्र्ज ने मुझे बताया कि उनको यह आश्वासन दिया गया था कि उनको भी इसमें शामिल

किया जाएगा । बहुत–से ड्राइवर्ज को तो सरकार ने ले लिया है लेकिन जिन्होंने बुरे समय में सरकार का साथ दिया था मेरा कहना है कि उनको भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत शामिल किया जाए । अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहती हूं कि कैंडीडेट्स की जब शॉर्ट लिस्टिंग की जाती है तो हरियाणा कौशल रोजगार निगम में ऐलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिक्स क्यों नहीं किया गया ? हरियाणा कौशल रोजगार निगम में ऐलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिक्स होना चाहिए था । इसके अलावा मेरा कहना है कि सरकार के हर काम में पारदर्शिता होनी चाहिए । जो मैरिट लिस्ट बनती है उसको सभी को क्यों नहीं दिखाया जाता ताकि सभी को पता चले कि कौन मैरिट बेस पर आया है और किसन बैकडोर से एंट्री की है । अतः ये सब चीजें दर्शाई जानी चाहिए । मैं पूछना चाहती हूं कि उनको लगाने के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो किया गया है for verification of character and antecedents of the applicants ? क्या क्राइटेरिया फॉलो किया गया है ? मैं पूछना चाहती हूं कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत टी.जी.टी. और पी.जी.टी. की जो भर्तियां की गई हैं क्या उनको कभी रैगुलराइज किया जाएगा ? इसके अलावा जब एच.पी.एस.सी./एच.एस.एस.सी. के जरिये जो रैगुलर टीचर्स आएंगे तो इनके बारे में क्या फैसला किया जाएगा ? क्या सरकार इनको नौकरी से बाहर निकाल देगी क्योंकि ये एक तरह से ठेके पर ही लगे हैं ? सरकार इस पर भी रोशनी डाले । इसके साथ–साथ मेरा कहना है कि सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम को बना तो दिया लेकिन इसकी कोई भी स्टैच्युटरी बैकिंग नहीं है । आज के दिन सरकार द्वारा जो भी कार्यवाही की जाती है तो वह स्टैच्युटरी बैकिंग के साथ करवाई जाती है ताकि इसके तहत लगने वाले बच्चे भी कुछ कार्यवाही कर पाएं । अध्यक्ष महोदय, इस तरह से तो ठेका प्रथा को बढ़ावा देने की ही बात हो रही है । इससे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है । मैं यह भी बताना चाहती हूं कि आज सरकारी विभागों में लगभग 1.82 लाख पोस्ट्स खाली पड़ी हुई हैं । इनमें से 40 हजार से भी ज्यादा पोस्ट्स have been deployed through outsourcing and through backdoor entry. इसका मतलब है कि सरकार ठेका प्रथा को बढ़ावा दे रही है । हम सब जानते हैं कि मस्टर रोल में किस तरह से क्रप्शन होता है, किस तरह से शॉट सर्किटिंग की जाती है और किस तरह से इधर–उधर की अन्य कार्यवाही होती है । इसके अलावा स्पॉर्ट्स कोटे की 1,518 पोस्ट्स को खत्म कर दिया गया है । सरकार ने जो एलिजिबिलिटी क्रॉयटेरिया बनाया है उसमें ग्रुप डी की पोस्ट्स में कोटे को पूरी तरह से स्क्रैप कर दिया है। इसलिए

इसमें संबंधित बच्चों का क्या होगा ? खासतौर से प्राईमरी टीचर्ज की 38,612 पोस्ट्स खाली पड़ी हुई हैं और सीनियर सैकेण्डरी लेवल पर 25,534 पोस्ट्स खाली पड़ी हुई हैं। इसके अतिरिक्त हरियाणा प्रदेश में हॉयर एजुकेशन डिपार्टमैंट में 6,618 पोस्ट्स खाली पड़ी हुई हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगी कि इनको भरने के लिए सरकार के पास क्या रोड मैप है ? हम जानते हैं कि आज के दिन सबसे बड़ा ज्वलन्त प्रश्न हमारे सामने यह आता है कि संबंधित बेरोजगार बच्चे हतास होकर घूम रहे हैं। मेरे पास इस तरह के बच्चे भी आते हैं जो यह कहते हैं कि उनकी नौकरी नहीं लगी तो उनकी शादी भी नहीं होगी। चूंकि बेरोजगार बच्चे के साथ कोई भी अभिभावक अपनी लड़की की शादी नहीं कराना चाहता है। इससे सोशल फैबरिक भी खराब हो रहा है। हमें इन सभी चीजों को भी गम्भीरता के साथ लेना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को किस तरह से एडजैस्ट कर पाएंगे ? उनको इस तरह का कॉन्फिडैंस दे पाएं कि वे खाली नहीं रहेंगे क्योंकि उनको आने वाले समय में पक्का किया जाएगा या सैलरी में बढोतरी की जाएगी। मैंने जो ये प्रश्न पूछे हैं, सरकार उन सभी प्रश्नों का जवाब दे। इसके बाद मुझे अपना प्रश्न पूछने की इजाजत दी जाए।

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 28
स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 17 के साथ सलंग्न

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 28 के द्वारा, श्री बलराज कुंडू, विधायक प्रदेश में कौशल रोजगार निगम के तहत जो नौकरियां लगाई जा रही हैं उनकी प्रक्रिया में पारदर्शिता का घोर अभाव बारे इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक हित के विषय की ओर दिलाना चाहते हैं कि प्रदेश में अनेक पदों पर स्थाई नियुक्ति के बजाए राज्य सरकार हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत युवाओं को रोजगार देने के लम्बे–चौड़े दावे कर रही है लेकिन सच्चाई यह है कि सरकार द्वारा तमाम नियमों को ताक पर रखते हुए सिर्फ अपने चहेते लोगों को ही एडजेस्ट किया जा रहा है और उनकी नियुक्ति प्रक्रिया में कोई पारदर्शिता नहीं बरती जा रही जिससे कौशल रोजगार निगम की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी हाल ही में TGT और PGT की जो नियुक्तियां की गयी हैं उनमें भी जमकर धांधलियां की गयी है। इसके लिए कब आवेदन मांगे गए और क्या प्रक्रिया अपनाई गयी, यह भी अपने आप में एक रहस्य ही बना हुआ है। लोग सवाल उठा रहे हैं लेकिन सरकार जवाब देने से भाग रही है। जिन लोगों को TGT और PGT लगाया गया है उनमें भी बहुत से ऐसे हैं जिनको उनके गृहजिलों से 200 किलोमीटर दूर नियुक्ति दी गयी हैं जबकि

उनके गृहजिलों में भी अनेक पोस्ट खाली थी। ऐसे में अनेक युवाओं ने तो नौकरी ज्वॉइन ही नहीं की। इतना ही नहीं अध्यक्ष महोदय, कौशल रोजगार निगम के तहत जो भी नौकरियां लगाई जा रही हैं उनकी प्रक्रिया में पारदर्शिता का घोर अभाव है और सरकार के अलावा कोई नहीं जानता कि कब आवेदन निकलते हैं और किस प्रक्रिया ओर कौन से नियम–कायदों के तहत नियुक्तियों की लिस्ट जारी हो रही है। भयावह बेरोजगारी झेल रहे हरियाणा में 1 लाख 80 हजार से भी अधिक स्थाई पद रिक्त पड़े हैं लेकिन उन पर स्थाई कर्मचारी भर्ती करने की बजाय कौशल रोजगार निगम के माध्यम से सरकार खुद ही ठेकेदार बनकर अपने लोगों को एडजेस्ट करके जनता की आँखों में धूल झोंक रही है। ऐसे हालत में युवा वर्ग निराश एवं हताश है और उसे अपना भविष्य अंधकारमय नजर आ रहा है अतः माननीय सदस्य माननीय अध्यक्ष महोदय से विनम्र अनुरोध करते हैं कि इस गंभीर मामले में सदन में विस्तार से चर्चा करवाई जाये और सरकार इस पर अपना व्यक्तव दे।

अल्प अवधि चर्चा संख्या 2 परिवर्तित ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 42
स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 17 के साथ सलंग्न

अल्प अवधि चर्चा संख्या 2 के द्वारा, श्री भारत भूषण बत्तरा, विधायक, श्री वरूण चौधरी, विधायक एवं श्री आफताब अहमद, विधायक कौशल रोजगार निगम के तहत होने वाली भर्तियों मे पारदर्शिता ना बरतने बारे इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक हित के विषय की ओर दिलाना चाहते हैं कि आज के दिन करीबन 180000 से अधिक विभिन्न कैटेगरी के प्रदेश में बहुत से विभागों में पद खाली पड़े हुए हैं और प्रदेश करीबन 30.6 प्रतिशत की बेरोजगारी दर झेल रहा है। इसको लेकर प्रदेश के नौजवान युवाओं में सरकार के प्रति गहरा रोष व्याप्त है। इसके बावजूद भी कौशल रोजगार निगम में पढ़े–लिखे युवाओं को कम वेतन पर रोजगार देकर एक तरह से सरकार द्वारा उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का ही काम किया जा रहा है। ऐसा लगता है कि यह निगम पढ़े लिखे युवाओं का शोषण करने के लिए ही बनाया गया है। इसमें आरक्षण देने की भी सही ढंग से पालना नहीं हो पा रही है और ना ही इसमें किसी तरह की पारदर्शिता बरती जा रही है। कौशल रोजगार निगम में भर्तियों के नाम पर सरकार युवाओं के साथ धोखा करने का काम कर रही है। इस निगम के तहत सरकार ठेका प्रथा को बढ़ावा देने का कार्य कर रही है और युवाओं से कम पैसे में पूरा काम लेने का कार्य कर रही है जिससे हमारे युवा मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तौर पर अपने आप को पीड़ित महसूस कर रहे हैं। निगम द्वारा

आनन–फानन में बिना किसी प्रक्रिया के पालन किए भर्तियां की जा रही हैं। जिन लोगों को भर्ती किया गया है, उनको दूर–दराज के स्टेशन दिए जाते हैं जिसके कारण बहुत से युवा कम सैलरी और कच्ची नौकरी होने के कारण ज्वाइन भी नहीं कर रहे हैं। बहुत सी नौकरियों में तो पेरेंट्स डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट खाली होने के बावजूद भी दूसरे जिलों में नौकरियां देने का काम किया जा रहा है। ऐसा करके सरकार पक्की नौकरियों के साथ–साथ दलित व पिछड़े वर्गों का आरक्षण भी खत्म करने का प्रयास कर रही है। अतः माननीय सदस्यगण सरकार से मांग करते हैं कि इस विषय पर सरकार सदन में चर्चा करवाएं।

श्री अध्यक्षः अब माननीय मंत्री जी अपना वक्तव्य देंगे।

वक्तव्य

कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री (पंडित मूल चन्द शर्मा): अध्यक्ष महोदय, यह कहना बिल्कुल अनुचित होगा कि राज्य सरकार हरियाणा कौशल रोज़गार निगम (एच.के.आर.एन.एल.) के अंतर्गत युवाओं को कम वेतन पर रोज़गार देकर युवाओं का शोषण कर रही है, नियमों को ताक पर रखकर अपने चहेतों को ही एडजस्ट कर रही है और आरक्षण नीति का सही ढंग से पालन नहीं कर रही है, जबकि सच तो यह है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों में काम के लिए दिए जाने वाले अनुबंधित कर्मचारियों की भर्ती के लिए किया गया जिसमें युवाओं की भर्ती सरकार द्वारा तय की गई नीति के तहत ऑनलाइन पोर्टल द्वारा पारदर्शी तरीके से की जाती है | भर्ती के दौरान गरीब और अंत्योदय परिवार के युवाओं के रोज़गार और उत्थान के लिए विशेष प्रावधान है| सरकार को यह अंदेशा था कि ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से काम कर रहे अनुबंधित कर्मचारियों को उचित वेतन, ई.पी.एफ., ई.एस.आई. आदि की उचित सुविधा समयानुसार नहीं मिल पाती जिससे कि संबंधित कर्मचारियों को विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ता है| अतः सरकार ने इस प्रकार की अनियमितताओं और विसंगतियों को दूर करने के उद्देश्य से हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन

किया| इसके तहत लगाए गए अनुबंधित कर्मचारियों को उचित वेतन, ई.पी.एफ., ई.एस.आई., लेबर वेलफेयर फंड आदि सुविधाएं समयानुसार दी जाती हैं| एच.के.आर.एन.एल के तहत होने वाली सभी भर्तियां सरकार द्वारा तय की गई डिप्लॉयमेंट ऑफ़ कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सन्स पॉलिसी-2022 दिनांक 30.6.2022 के तहत की जाती हैं जिसका उल्लेख सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध है| एच.के.आर.एन.एल के तहत सभी भर्तियां पूरी तरह से पारदर्शी तरीके और बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के एक टेक इनेबल्ड ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा की जाती हैं| निगम द्वारा 800 करोड़ रूपए से ज्यादा का पारिश्रमिक सीधा अनुबंधित कर्मचारियों के बैंक खातों में डाला जा चुका है, इस सम्बन्ध में सरकार की उचित नीति और पारदर्शिता को दर्शाता है| यह कहना भी बिल्कुल गलत होगा की भर्तियों में एस.सी., ओ.बी.सी. श्रेणी के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया जबकि वास्तव में निगम द्वारा भर्तियों में डिप्लॉयमेंट ऑफ़ कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सन्स पॉलिसी 2022 का पालन किया गया है जिसके क्लॉज़ नंबर 9 में आरक्षण पॉलिसी का उल्लेख किया गया है और वर्तमान भर्तियों में निगम द्वारा आरक्षण पॉलिसी का पालन किया गया है|

श्रीमान् जी, हाल ही में हुई टी.जी.टी. पी.जी.टी. भर्तियों में उठ रहे तमाम सवाल गलत हैं। वर्तमान में टी.जी.टी. पी.जी.टी. भर्तियों में एच.के.आर.एन.एल. ने एजुकेशन विभाग द्वारा अनुमोदित और सरकार द्वारा तय की गई डिप्लॉयमेंट ऑफ़ कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सन्स पॉलिसी-2022 में निर्धारित मानदंडों का पालन किया है। वर्तमान में एच.के.आर.एन.एल. ने सरकार द्वारा निर्धारित इस प्रक्रिया के तहत 2075 टी.जी.टी. पी.जी.टी. उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया। उन उम्मीदवारों के प्राथमिक मूल्यांकन के दौरान यह पाया गया कि कुछ उम्मीदवारों का एचटेट प्रमाण पत्र 7 साल से ज्यादा पुराना है जो कि मान्य नहीं है| अतः उन उम्मीदवारों को अगली प्रक्रिया के लिए चुना नहीं जा सका। अतः उम्मीदवारों की ऑफर की स्वीकृति के उपरांत 1592 उम्मीदवारों को डिप्लॉयमेंट ऑफर लेटर (डी.ओ.एल) पंजीकरण की

अंतिम तिथि के एक महीनें से भी कम समय में दे दिया गया। एच.के.आर.एन.एल. द्वारा अभी तक विभिन्न विभागों में काम कर रहे 106000 से ज्यादा अनुबंधित कर्मचारियों को हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत लाया गया है| इसके अलावा 4422 नए उम्मीदवारों को ऑफर लेटर दिए गए जिनमें से 3128 लोगों ने विभिन्न विभागों में ज्वाइन कर लिया है| निगम द्वारा की गई भर्तियों को कोर्ट द्वारा निरस्त नहीं किया गया है, जो कि सरकार द्वारा युवाओं के लिए उठाये जा रहे कदम की सक्रियता को दर्शाता है|

श्रीमान् जी, यह कहना भी अनुचित होगा कि टी.जी.टी. पी.जी.टी. टीचर्स को उनके गृह जिलों से 200 किलोमीटर दूर नियुक्ति दी गई,जबकि सच तो यह है कि टी.जी.टी. पी.जी.टी. उम्मीदवारों का पंजीकरण करते समय उनसे तीन जिलों की वरियता मांगी गई थी। तदानुसार, अधिकांश उम्मीदवारों को उनके गृह जिलों और उनकी वरियता के अनुसार स्टेशनों के आबंटन के सफल प्रयास किए गए। हालांकि, विभिन्न जिलों में उपलब्ध सीटों की संख्या और पंजीकृत उम्मीदवारों की संख्या के बीच में अंतर था। अतः कुछ मामलों में, गृह जिलों और उनकी वरियता के अनुसार सीटों की उपलब्धता न होने और दूसरे जिलों में अधिक सीटों की उपलब्धता होने के कारण कुछ उम्मीदवारों को दूर के स्टेशन आबंटित किए जाने पड़े।

श्रीमान् जी, एच.पी.एस.सी. और एच.एस.एस.सी. के द्वारा भी समय समय पर स्थाई भर्तियां निकाली जाती हैं, जिनकी जानकारी उनकी वेबसाइट और विभिन्न समाचार पत्रों द्वारा लोगों को दी जाती है|

श्रीमान् जी, यह कहना भी अनुचित होगा कि निगम के तहत जो भी नौकरी निकलती है उनकी पारदर्शिता का घोर अभाव है और सरकार के आलावा कोई नहीं जानता कि कब आवेदन निकलते हैं और किस प्रक्रिया में कौन कौन से नियमों के तहत लिस्ट जारी हो रही है, जबकि निगम द्वारा जो भी नौकरी निकलती हैं उनकी जानकारी निगम के पोर्टल पर और विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से समय-

समय पर प्रकाशित की जाती है| उन सभी भर्तियों में सरकार द्वारा तय की गई डिप्लॉयमेंट ऑफ़ कॉन्ट्रेक्चुअल पर्सन्स पॉलिसी-2022 का पालन किया जाता है| युवाओं की भर्ती सरकार द्वारा तय की गई नीति के तहत ऑनलाइन पोर्टल द्वारा पारदर्शी तरीके से की जाती है| जिसका उल्लेख हरियाणा सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध है|

श्रीमान् जी, **एच.के.आर.एन.एल. के गठन के बाद ठेकेदारी प्रथा से मुक्ति और निगम में लाये जाने से बेरोज़गार युवाओं का शोषण ख़त्म हो रहा है और उनके जीवन में आशा की नई किरण जागी है। समयानुसार उचित पारश्रमिक मिलने के साथ-साथ युवाओं व उनके आश्रितों को सरकार द्वारा प्रदान की जा रही ई.पी.एफ., ई.एस.आई. आदि विभिन्न सुविधाओं का उचित लाभ मिलना शुरू हो गया है| अतः सरकार सदन से यह आशा करती है कि युवाओं के लिए किये जा रहे सकारात्मक** कार्यों **में सरकार का सहयोग** दें **जिससे कि सरकार युवाओं के उत्थान के लिए और अधिक कार्य कर सके ।**

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि पहले इसी सदन में डी. सी. रेट्स की नौकरियों के लिए बार–बार आरोप–प्रत्यारोप लगते रहे हैं कि जो डी. सी. रेट्स की नौकरियां मिलती हैं, उनमें ठेकेदार अपनी मर्जी और अपने हिसाब से नौकरी देते हैं। सरकार से ज्यादा पैसे लेते हैं और संबंधित कर्मचारियों को कम पैसे देते हैं और उनके बैंकों के खाते भी उनके पास ही रहते थे। माननीय सदस्या श्रीमती किरण चौधरी जी ने जो प्रश्न पूछे हैं मैं उन सभी प्रश्नों का एक– एक करके रिप्लाई विस्तार से दूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि सरकार भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए ही संबंधित पॉलिसी लेकर आयी है ताकि आम आदमी को न्याय मिले। माननीय सदस्या ने अपनी ध्यानाकर्षण सूचना में लिखा है कि कौशल रोज़गार निगम में पढ़े– लिखे युवाओं को कम वेतन पर रोजगार देकर एक तरह से सरकार द्वारा उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम किया जा रहा है और ऐसा लगता है कि यह निगम पढ़े–लिखे युवाओं का शोषण करने के लिए बनाया गया है। ये बातें माननीय सदस्या ने अपनी ध्यानाकर्षण सूचना में लिखी हैं। निगम का वेज रेट, डी.सी. रेट से ज्यादा है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से

माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि पहले पंचकूला में ड्राइवर्ज को डी.सी. रेट के हिसाब से 19,953 रुपये प्रति महीना दिया जाता था, लेकिन अब निगम वेज के तहत 20,590 रुपये प्रति महीना के हिसाब से मिलते हैं। पहले युवाओं का निजी ठेकेदारों द्वारा शोषण किया जाता था जिसमें अनुबंध कर्मचारियों को कम वेतन दिया जाता था। पहले जब हम बार– बार किसी स्कूल में चैक करने के लिए जाते थे या आई. टी.आई. में चैक करने के लिए जाते थे या परिवहन विभाग में चैक करने के लिए जाते थे तो वहां पर सफाई कर्मचारियों से 12,000 रुपये पर साईन करवाकर 6,000 रुपये दिये जाते थे। पहले ये इस तरह के आरोप– प्रत्यारोप प्रदेश में लगते रहते थे और इस तरह का काम होता आया है। सफाई कर्मचारी अपने द्वारा किये गये काम का हक मांगता है, इसलिए हमारी सरकार की योजना के तहत संबंधित कर्मचारियों के खातों में सैलरी का पैसा सीधा भेजा जाता है। जब से हरियाणा कौशल रोजगार निगम बना है तब से किसी भी कर्मचारी ने यह नहीं कहा है कि उनको समय पर सैलरी का पैसा नहीं मिल रहा है या पूरी सैलरी नहीं मिल रही है। इस संबंध में पहले आये दिन इस तरह की बातें होती रहती थी और सदन में आरोप–प्रत्यारोप भी लगते रहते थे। पहले ठेकेदारों द्वारा युवाओं का शोषण होता था और निजी ठेकेदारों द्वारा संबंधित कर्मचारियों को कम वेतन दिया जाता था। अध्यक्ष महोदय, सरकार को यह अंदेशा था कि ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से काम कर रहे अनुबंधित कर्मचारियों को उचित वेतन, ई.पी.एफ., ई.एस.आई. आदि की उचित सुविधा समयानुसार नहीं मिल पाती जिससे कि संबंधित कर्मचारियों को विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतः सरकार ने इस प्रकार की अनियमितताओं और विसंगतियों को दूर करने के उद्देश्य से हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन किया। इसके तहत लगाए गए अनुबंधित कर्मचारियों को उचित वेतन, ई.पी.एफ.,ई.एस.आई., लेबर वैल्फेयर फंड आदि सुविधाएं समयानुसार दी जाती हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम का गठन हरियाणा सरकार के विभिन्न विभागों में काम के लिए दिए जाने वाले अनुबंधित कर्मचारियों की भर्ती के लिए किया गया जिसमें युवाओं की भर्ती सरकार द्वारा तय की गई नीति के तहत ऑनलाइन पोर्टल द्वारा पारदर्शी तरीके से की जाती है। भर्ती के दौरान गरीब और अंत्योदय परिवार के युवाओं के रोजगार और उत्थान के लिए प्रावधान है। जिन परिवारों की वार्षिक इन्कम 1,80,000 रुपये से कम है उन गरीब व्यक्तियों का कैसे उद्धार हो ? ऐसे गरीब बच्चे के रोजगार और उत्थान के लिए प्रावधान है। पहले ऐसे गरीब इंटैलीजैंट बच्चों को

कोई सहारा नहीं मिलता था क्योंकि संबंधित आसपास के जानकार बच्चे ही डी.सी. रेट की नौकरी पर लगते थे। इसमें गरीब आदमी को कैसे न्याय मिले और गरीब आदमी के परिवार का उत्थान कैसे हो ? इसके लिए भर्ती के दौरान गरीब और अंत्योदय परिवार के युवाओं के रोजगार और उत्थान के लिए विशेष प्रावधान है। पहले वर्तमान कर्मचारियों में से कुछ बोगस कर्मचारी निकलकर बाहर आये हैं, माननीय सदस्या ने आरोप लगाया है कि भर्तियों में पारदर्शिता नहीं है। इसके अतिरिक्त माननीय सदस्या ने अपने चहेतों को एडजस्ट करने से संबंधित आरोप लगाये हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को जानकारी देना चाहूंगा कि सरकार ने एन.के. आर.एन.एल. के तहत होने वाली सभी भर्तियां सरकार द्वारा तय की गई डिप्लॉयमैंट ऑफ कांट्रैक्चुअल पर्सन्स पॉलिसी, 2022 दिनांक 30.06.2022 के तहत की जाती है। जिसका उल्लेख सरकार की वेबसाइट पर उलपब्ध है। एन.के.आर.एन.एल. के तहत सभी भर्तियां पूरी तरह से पारदर्शी तरीके और बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के एक टेक इनेबल्ड ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा की जाती है। इस प्रकार से आपको इसकी एक–एक जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध मिलेगी। दूसरा आरोप माननीय सदस्या ने लगाया है कि निगम के तहत सरकार ठेका प्रथा को बढ़ावा देने का काम कर रही है जिससे हमारे युवा मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तौर पर अपने आपको पीड़ित महसूस करते हैं। जैसा कि इन अनुबंधित कर्मचारियों को उचित वेतन, ई.एस.आई. और ई.पी.एफ. आदि की उचित सुविधा समयानुसार नहीं मिल पाती है जिसके कारण इनको विभिन्न परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो हमारी सरकार ने इस प्रकार की अनियमितताओं और विसंगतियों को दूर करने के उद्‌देश्य से हरियाणा रोजगार निगम का गठन किया है। पहले इन युवाओं को मासिक सैलरी 12000 रुपये महीने मिलती थी लेकिन उसमें से उनको 6000 रुपये ही दिये जाते थे और बाकी के 6000 रुपये ठेकेदार अपनी जेब में रख लेता था। हमारी सरकार ने इस प्रकार के भ्रष्टाचार की बीमारी को भी खत्म करने का काम किया है। अब अनुबंधित कर्मचारी के खाते में पूरे पैसे जाते हैं। जो बेरोजगार लोग थे जिनके पास कोई काम नहीं था, जो आदमी रोटी कपड़े के लिए तरसता था उनके लिए हमारी सरकार ने इस प्रकार की एक पॉलिसी बनाई ताकि युवाओं का शोषण न हो सके। उन युवाओं को हमारी सरकार पर भरोसा हुआ है कि कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भी नौकरी मिल सकती है। अध्यक्ष महोदय, पहले ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के पैसे ठेकेदार खा जाता था जो अनुबंधित कर्मचारियों के खातों में पैसा जमा ही नहीं करता था लेकिन हमारी

सरकार ने उन युवाओं के खाते में ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के पैसे डालने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक और आरोप लगाया है कि निगम द्वारा आनन–फानन में बिना किसी प्रक्रिया के पालन किए भर्तियां की जा रही हैं। मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि इस प्रकार की पूरी जानकरी पोर्टल पर उपलब्ध है और विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से समय–समय पर प्रकाशित की जाती है। उन सभी भर्तियों में सरकार द्वारा तय की गई डिप्लॉयमैंट ऑफ कांट्रैक्चुअल पर्सन्स पॉलिसी–2022 का पालन किया जाता है। युवाओं की भर्ती सरकार द्वारा की गई नीति के तहत ऑनलाइन पोर्टल द्वारा पारदर्शी तरीके से की जाती है । जिसका उल्लेख हरियाणा सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध है। हमारी बहन किरण ने यह आरोप लगाया है कि हाल ही में टी.जी.टी. और पी.जी.टी. की भर्तियां की गई हैं उनमें भी नियमों की सरासर अनदेखी की गई है। मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि टी.जी.टी. और पी.जी.टी. उम्मीदवारों का पंजीकरण करते समय उनसे तीन जिलों की वरियता मांगी गई थी। तदानुसार, अधिकांश उम्मीदवारों को उनके गृह जिलों और उनकी वरियता के अनुसार स्टेशनों के आबंटन के सफल प्रयास किए गए हैं। हालांकि विभिन्न जिलों में उपलब्ध सीटों की संख्या और पंजीकृत उम्मीदवारों की संख्या के बीच में अंतर था। अतः कुछ मामलों में, गृह जिलों और उनकी वरीयता के अनुसार सीटों की उपलब्धता न होने और दूसरे जिलों में अधिक सीटों की उपलब्धता होने के कारण कुछ उम्मीदवारों को दूर के स्टेशन आबंटित किए गये थे। माननीय सदस्या ने एक और आरोप यह लगाया है कि बहुत सी नौकरियों में तो पेरेंट्स डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट खाली होने के बावजूद भी दूसरे जिलों में नौकरियां देने का काम किया जा रहा है। ऐसा करके सरकार पक्की नौकरियों के साथ–साथ दलित व पिछड़े वर्गों का आरक्षण भी खत्म करने का प्रयास कर रही है। अध्यक्ष महोदय, मैं किरण बहन जी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि निगम द्वारा भर्तियों में डिप्लॉयमेंट ऑफ कांट्रैक्चुअल पर्सन्स पॉलिसी–2022 का पालन किया गया है, जिसके क्लॉज नम्बर 9 में आरक्षण पॉलिसी का उल्लेख किया गया है और वर्तमान भर्तियों में निगम द्वारा आरक्षण पॉलिसी का पालन किया गया है। **(इस समय उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)** उपाध्यक्ष महोदय, इस पॉलिसी के माध्यम से 1 लाख युवा नौकरी कर रहे हैं। जिसमें 40045 जनरल कैटेगरी से संबंध रखते हैं और 26629 बैकवर्ड कैटेगरी से संबंध रखते हैं और 30170 एस.सी. कैटेगरी से संबंध रखते है। हमने अभी जो नई भर्ती इस पॉलिसी के माध्यम से की है उसमें 1301 जनरल कैटेगरी के युवाओं को,

655 बैकवर्ड कैटेगरी के युवाओं को और 1214 एस.सी कैटेगरी के युवाओं को नौकरी दी है। मेरा मानना है कि हमने जो क्राइटेरिया लिया है उसमें जनरल कैटेगरी 41 प्रतिशत, बैकवर्ड कैटेगरी 27.2 प्रतिशत तथा एस.सी. कैटेगरी 31.4 प्रतिशत है। मैं यह मानकर चलता हूं कि जो पॉलिसी कौशल विकास रोजगार निगम में हैं उसमें एक–एक चीज पॉलिसी के तहत ही है। पहले भ्रष्टाचार का बार–बार किसी विधायक पर आरोप लगता था कि उसके द्वारा अपने चहेतों को लगा दिया गया। उसने अपने चहेतों को फरीदाबाद जिले में लगा दिया, हिसार जिले में लगा दिया, आदमपुर जिले में लगा दिया, सिरसा जिले में लगा दिया या रोहतक जिले में लगा दिया लेकिन आज जिस जिले में पढ़े–लिखे बेरोजगार साथी हैं पहले उसको भर्ती मिलेगी बाद में दूसरे जिले को मिलेगी। उपाध्यक्ष महोदय, पहले भ्रष्टाचार का आरोप बार–बार पूरे हरियाणा में लगता था, हमने उस भ्रष्टाचार को खत्म करने का काम किया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने भ्रष्टाचार की लीकेज को बंद करने का काम किया है। इससे पहले ठेकेदार बार–बार ई.एस.आई., ई.पी.एफ. खा जाते थे। यह मैं नहीं कहता आप स्वयं जाकर गरीब आदमी को, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को पूछिये कि किसका बेटा नौकरी लगा है, वह अपनी योग्यता के आधार पर नौकरी लगा है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः मंत्री जी, क्या इसमें मैरिट लिस्ट का क्राइटेरिया रखा गया है?

पंडित मूलचन्द शर्माः उपाध्यक्ष महोदय, कौशल रोजगार निगम में नियुक्ति के लिए 150 नंबरों का मापदंड है। इसमें मैं पारिवारिक आय के संबंध में बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना में अगर किसी उम्मीदवार के परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये है तो उसे 40 नंबर मिलेंगे, 1 लाख से कम आय वाले को 50 नंबर मिलेंगे, 1.80 से 2.50 लाख वाले को 30 अंक मिलेंगे, 2.50 से 4 लाख आय वाले को 20 अंक मिलेंगे तथा 4 लाख से 6 लाख आय वाले को 10 अंक मिलेंगे। जहां उम्मीदवार की आयु की छूट का संबंध है। मैं बताना चाहूंगा कि जिस उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से 24 वर्ष है उसे 5 अंक मिलेंगे, 24 से 30 वर्ष वाले उम्मीदवार को 10 अंक मिलेंगे, 30 से 36 वर्ष वाले उम्मीदवार को 15 अंक मिलेंगे तथा 36 से 42 वर्ष वाले उम्मीदवार को 10 अंक मिलेंगे एवं जिस उम्मीदवार की आयु 42 वर्ष से ज्यादा होगी उसे 0 अंक मिलेगा। इसी तरह क्वॉलिफिकेशन के बारे में जानकारी मांगी गई है, इसमें 20 अंक तक दिये जाते हैं। जिस उम्मीदवार के पास एन.एस.क्यू.एफ. सर्टिफिकेट यानी आई.टी.टाई / एस.वी.एस.यू / यूनिवर्सिटी / एस.एस.

सी. वगैरा से मान्यता प्राप्त एन.सी.वी.टी./एस.सी.वी.टी. सर्टिफिकेट होगा उसे 20 अंक मिलेंगे। इसी तरह Socio-Economic के हिसाब से उम्मीदवार को 5 अंक तक दिये जाएंगे। अगर कोई उम्मीदवार विधवा है या आवेदक ऐसा पहला या दूसरा बच्चा है जिसके पिता की मृत्यु 42 वर्ष पूरे होने से पहले हो गई या आवेदक पहला या दूसरा बच्चा है, जिसके पिता की मृत्यु आवेदक की उम्र 15 वर्ष पूरी होने से पहले हो गई उसे सरकार ने 5 अंक देने का काम किया है। जो बच्चा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट पास कर लेगा उसे 10 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी। जो उम्मीदवार उसी जिले का निवासी है और उस जिले में पोस्ट निकलती है तो उसे 10 अंक अतिरिक्त रूप में दिये जाते हैं। उपाध्यक्ष जी, प्रदेश सरकार ने कौशल रोजगार निगम योजना इसलिए बनाई है क्योंकि पहले भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे। मैं स्वयं फरीदाबाद जिले का रहने वाला हूं, मैंने तो भोगा है, देखा है। पहले फरीदाबाद जिले का उम्मीदवार डी.सी. रेट पर नहीं लगता था। हमारे यहां तो उम्मीदवार बाई एयर आते थे और बाई एयर नौकरी करके अपने घर चले जाते थे, लेकिन आज इस पॉलिसी से सबको लाभ मिलेगा। अगर किसी जिले में पोस्ट निकलती हैं तो उस जिले के उम्मीदवार को अतिरिक्त 10 नंबर मिलेगे। पहले उसे फरीदाबाद जिला मिलेगा। अगर फरीदाबाद जिला नहीं मिला तो पलवल जिला मिलेगा और पलवल जिला नहीं मिला तो गुरुग्राम जिला मिलेगा। इस पॉलिसी से पूरे प्रदेश के नौजवान साथियों को लाभ मिलेगा। यह पॉलिसी प्रदेश के हित में है, लोगों के हित में है तथा नौजवान साथियों के हित में है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं कौशल रोजगार निगम पॉलिसी पर इतना ही कहना चाहूंगा बाकी मैंने इससे संबंधित हर चीज को बताने का प्रयास किया है। धन्यवाद।

श्री जगबीर सिंह मलिकः उपाध्यक्ष महोदय, कौशल रोजगार निगम में बहुत बड़ा घपला हुआ है।

श्रीमती किरण चौधरी : उपाध्यक्ष जी, बहुत ही विस्तार से माननीय मंत्री जी ने इसका जवाब दिया लेकिन कई चीजें ऐसी हैं जो अभी भी ग्रे एरिया के अंदर हैं। उनके बारे में मैं आपके माध्यम से सरकार से खास तौर से पूछना चाहूंगी कि जो पी.जी.टी. के पोस्टों की एडवरटीजमैंट एच.एस.एस.सी. के थ्रू की गई थी और बाद में वह एडरवरटीजमैंट विद्ड्रॉ कर ली गई थी क्योकि as they have come under the gazetted group B. इन पोस्टों पर रिक्रूटमैंट के लिए केवल एच.एस.एस.सी. ही कम्पीटैंट था। अब इनको एच.एस.एस.सी. में से निकाल कर हरियाणा कौशल रोजगार

निगम के अधीन कर दिया गया है। इसका मतलब यही है कि आगे से एच.एस.एस.सी. के द्वारा इनकी रिक्रूटमैंट नहीं की जायेगी। उपाध्यक्ष जी, दूसरी बात मैं यह पूछना चाहती हूं कि सरकार ने एलिजिबिलिटी क्राईटेरिया और मैरिट की बात बहुत विस्तार से बताई है। अगर इसमें पूरी तरह से पारदर्शिता है तो इसको पूरी तरह से दर्शाना चाहिए था। इनके बारे में पब्लिक डोमेन के अंदर कम्पलीट इनफर्मेशन डालना चाहिए ताकि इस बारे में सभी को पता चल सके। मैं आपके माध्यम से सरकार को अपने हल्के की एक बात बताना चाहती हूं। मेरे हल्के में एक बहुत ही गरीब औरत है उसके पास कुछ भी नहीं है। मैंने उसके बारे में सारी जगहों पर फोन कर लिए। उसको दिया नहीं गया क्योंकि वहां पर किसी और की सिफारिश आ गई और उसका कर दिया गया। इस तरह के जो डिजर्विंग लोग रह गए हैं क्या उनके लिए कोई योजना बनाई जायेगी और जो अधिकारी सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं क्या उनके खिलाफ सरकार के स्तर पर कोई सख्त कार्यवाही की जायेगी। उपाध्यक्ष जी, एक बात मैं यह कहना चाहती हूं कि वैरियस गवर्नमैंट डिपार्टमैंट्स में लगभग 1.82 लाख वैकेंसीज हैं। इनको अभी भरा जाना है। जो सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के थ्रू 4144 पर्ससंज को टी.जी.टी. और पी.जी.टी. के तौर पर कांट्रैक्ट पर लगाया हुआ है। ये वाली सारी की सारी पोस्ट्स जो एच.पी.एस.सी. और एच.एस.एस.सी. द्वारा भरी जानी थी सरकार इन पोस्ट्स को इस निगम के जरिये भर रही है जो एक स्टैच्यूटरी बॉडी भी नहीं है। मैं यह पूछना चाहती हूं कि आने वाले समय के अंदर इन बच्चों के रोजगार की क्या गारंटी है? इसका क्या क्राईटेरिया है कि इनको जो रोजगार मिला है, वह मिला ही रहेगा। उपाध्यक्ष जी, इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहती हूं कि अब जो एच.पी.एस.सी. और एस.एस.एस.सी. से रेगूलर भर्तियां होंगी तो जो सरकार ने टी.जी.टी. और पी.जी.टी. के पदों पर भर्तियां की हैं इनका क्या होगा? साथ ही साथ जो महिलाएं हैं उनको बहुत परेशानी हो रही है क्योंकि यह 22 हजार रूपये की नौकरी है। कम से कम उनको उनके होम डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही पोस्टिंग दे दी जाये। एक तो यह पक्की नौकरी न होकर कच्ची नौकरी है इसके बाद उनको होम डिस्ट्रिक्ट से बाहर भेजा जा रहा है। इससे उन्हें बहुत जबरदस्त परेशानियां होती हैं इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि कम से कम महिलाओं के लिए तो इस क्राईटेरिया को थोड़ा चेंज करना ही पड़ेगा। उपाध्यक्ष जी, इसके साथ ही साथ मैंने एक प्रश्न पूछा था कि इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राईटेरिया है जो प्राईवेट एक्सपीरियंस वाले लोग हैं। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने

सरकारी विभागों के अंदर काम नहीं किया है। वे कहीं पर भी डी.सी. रेट पर नहीं लगे और उन्होंने कहीं दूसरे सरकारी विभागों में भी कार्य नहीं किया लेकिन उनका एक्सपीरियंस और बहुत है और अब वे सरकारी विभागों में नौकरी करना चाहते हैं। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत वे सरकारी सेवा में आना चाहते हैं जहां पर उनको तीस हजार रूपये मिलेंगे। उनका जो प्राईवेट एक्सपीरियंस है क्या उसको भी इसके अंदर कैलकूलेट किया जा रहा है या प्राईवेट एक्सपीरियंस वाले जो बाहर के लोग हैं उनके एक्सपीरियंस को इसमें काउंट नहीं किया जायेगा। उपाध्यक्ष जी, यह बहुत जरूरी है। इसी तरह से मैं एक बात और कहना चाहूंगी कि जो बस कंडक्टर हैं वे सारे बाहर धरने पर बैठे हुए हैं पहले उनको यह कहा गया था कि उनको अगली रेगूलर भर्ती में लिये जाने की बात कही थी लेकिन उनको अब नहीं लिया जा रहा है। मेरा यह कहना कि जब उन्होंने सरकार का बुरे वक्त में काम किया हुआ है। इसके अलावा सरकार ने जो कैप लगाई है इसके बारे में हमारे बच्चों को जानकारी होनी चाहिए कि ये जो 30 हजार रूपये आप दे रहे हैं यह बहुत अच्छी बात है लेकिन यह जो कैप सरकार द्वारा लगाई जा रही है इसमें फिर आगे बढ़ने का तो कोई सिलसिला नहीं रहता। जो इसके अंदर आ जायेगा वह तो बेचारा बुढ़ापे तक उसके बाल सफेद हो जायेंगे और दांत टूटने लगेंगे तब तक वह 30 हजार रूपये पर ही अटक कर रह जायेगा। मेरी सरकार से मांग है कि सरकार को इसका भी कोई न कोई प्रावधान करना चाहिए। ये सारे का सारा काम केवल अगर आप यह मापदण्ड बनायेंगे और रूल्ज़ व रेगूलेशन बनायेंगे ये एक स्टैच्यूटरी बॉडी के तहत ही हो सकते हैं। So, I think you should also explore an idea of forming this as a Statutory Body so that nobody is taken for a right. This is very important. उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इन सारे बिन्दुओं पर सरकार से जवाब की मांग करती हूं।

श्री बलराज कुंडू: उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आज सदन के पटल पर यह जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आया है यह बहुत ही महत्वपूर्ण इशू है और आज प्रदेश में युवा हताश और निराश हैं। बेरोजगारी में आज हरियाणा नं. 1 पर आ गया है। आज प्रदेश में चारों तरफ शोर है और माननीय मंत्री जी ने विस्तार से अपने जवाब में बताया है। मैं एक बात मानता हूं कि पहले जो ठेकेदारी प्रथा थी वह एक लूट थी और उसमें बहुत सारा शोषण होता था और उससे बचने के लिए सरकार ने हरियाणा कौशल रोजगार निगम

के माध्यम से ये भर्तियां निकाली हैं, यह अच्छी बात है। लेकिन आज इस पर भी बहुत बड़ा सवाल आ गया है। सबसे पहली बात तो यह है कि जब पोर्टल पर अप्लाई करते हैं तो उसके बारे में किसी को मालूम नहीं होता कि वह पोर्टल कब बंद होता है और कब खुलता है। बहुत सारे युवाओं को इसके बारे में पता ही नहीं चलता। यह पूरे प्रदेश के युवाओं के लिए बहुत गम्भीर मामला है इसके लिए मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस पर उनको चिन्तन करना चाहिए। इस बारे में प्रदेश के युवाओं में बहुत अधिक रोष है। मैं यह जवाब पढ़ रहा था इसमें लिखा हुआ है कि सरकार ने 1 लाख 6 हजार युवाओं को कौशल रोजगार निगम के तहत नौकरियां दी हैं, यह बहुत अच्छी बात है। उसमें शिक्षा विभाग में कुछ टी.जी.टी. और पी.जी.टी. भी लगाये हैं तथा जो पहले पोस्ट्स निकाली गई थी वे विद्ड्रा कर ली गई हैं। जैसा कि माननीय सदस्या श्रीमती किरण चौधरी जी ने भी पूछा था वही बात मैं भी पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार की स्थाई नौकरियां देने की कोई प्लानिंग है या ऐसे ही कौशल रोजगार निगम के माध्यम से अस्थाई भर्तियां की जायेंगी? आज माननीय मंत्री जी ने बताया कि बहुत गरीब लोगों को रोजगार दिया जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि ऐसे हजारों गरीब बच्चे हैं जो अच्छी क्वालिफिकेशन के बावजूद बेरोजगार घूम रहे हैं। मैं एक उदाहरण बताना चाहता हूं। इस रविवार को मेरे पास मदीना गांव से एक बैकवर्ड क्लास का बच्चा आया और साथ में उसके पिता जी भी थे, वह आ कर रोने लग गया। उसके बच्चे ने सिविल इंजीनियरिंग से बी.टेक की हुई है और उसने हरियाणा कौशल रोजगार निगम में पियन के लिए अप्लाई किया हुआ है। इससे बड़ा दुर्भाग्य युवाओं के लिए और क्या हो सकता है? मैंने उस बच्चे से कहा कि आप बी.टेक होकर पियन की नौकरी करोगे तो आपकी अन्तरात्मा आपको रोज कचोटेगी। मैंने उसी समय उसको अपनी कम्पनी में लगा कर 20 हजार रुपये की नौकरी देकर वहां भेजा। मैंने उसको कहा कि इससे अच्छा आप टीचिंग का काम कर लो और बच्चों को पढ़ा लो। अगर आप बी.टेक करके पियन की नौकरी करोगे तो इससे समाज में और युवाओं में बहुत गलत मैसेज जायेगा। इस प्रकार के मैं बहुत सारे उदाहरण सरकार को दे सकता हूं जो 1 लाख 80 हजार से भी नीचे की कैटेगरी के हैं और जो एम.ए., एम.एस.सी. और बी.टेक बच्चे हैं जिनका हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत नाम नहीं आता है जबकि 12वीं पास बच्चे को निगम के तहत रोजगार मिल जाता है। इसमें कौन सी पारदर्शिता है, इस बारे में मैं जानना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री

जी से कहना चाहता हूं कि यह एक गम्भीर विषय है इसको आप देखिये। उसके बाद एक बहुत बड़ी बात है कि बिना कोई नोटिस दिये किसी को 6 महीने बाद हटा दिया जाता है, किसी को 8 महीने बाद हटा दिया जाता है तथा किसी को 1 साल के बाद हटा दिया जाता है। उसका कोई कारण नहीं है। पता नहीं अधिकारी उसकी सेवाओं से संतुष्ट नहीं होते या कोई दूसरा कारण होता है। बच्चा घर से नौकरी पर जाता है और वहां उसको कह दिया जाता है कि आप जाइये आपकी छुट्टी हो गई है हम किसी दूसरे को रख लेंगे। एक बहुत गम्भीर मामला और है कि हमारे यहां पर एग्जाम के लिए जो पेपर्ज बनते हैं वे बहुत अटपटे बनते हैं। अभी हाल ही में ए.डी.ओ. की 600 पोस्ट्स निकली थी।

श्री उपाध्यक्षः कुंडू साहब, आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर बोलिए, इधर–उधर की बात मत कीजिए।

श्री बलराज कुंडू: सर, मैं उसी से संबंधित बात कर रहा हूं। यह रोजगार से संबंधित मामला है।

पंडित मूल चन्द शर्माः उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य हरियाणा कौशल रोजगार निगम के बारे में पूछें न कि रोजगार के बारे में।

श्री बलराज कुंडू: उपाध्यक्ष महोदय, यह उसी से संबंधित है। ए.डी.ओ. का जो पेपर दिया गया उसमें 50 प्रतिशत क्वालीफाई मार्क्स के साथ नैगेटिव मार्किंग भी लागू कर दी गई है। इस प्रकार से पेपर को बहुत मुश्किल कर दिया गया है। उसमें केवल 57 बच्चों को क्वालीफाई किया गया है।

श्री उपाध्यक्षः कुंडू साहब, आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम के बारे में बात कीजिए।

श्री बलराज कुंडू: उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अगर इस प्रकार का पेपर लिया जायेगा तो यही मतलब है कि आप हमारे बच्चों को लगाना तो दूर उनका शोषण करना चाह रहे हैं।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : उपाध्यक्ष महोदय, एच.के.आर.एन.एल. में कोई पेपर नहीं लिया जाता है। यह एच.के.आर.एन.एल. का विषय नहीं है। अभी एच.के.आर.एन.एल. के विषय पर ही सीमित रहें।

श्री उपाध्यक्ष : कुंडू साहब, वह अलग विषय है। प्लीज आप बैठ जाइये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलराज कुंडू : उपाध्यक्ष महोदय, जो मात्र ऑर्डनरी बच्चे हैं वे वह काम करते हैं तो सरकार 15 हजार, 18 हजार रुपये में ए.डी.ए. क्यों लगाएगी इसलिए ही यह जटिल पेपर बनाया जाता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कुंडू जी, आपका कोई प्रश्न हो तो पूछिये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री बलराज कुंडू : उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई चार मिनट का प्रश्न नहीं है, यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है जिसमें मेरी बहुत क्यूरीज हैं जो मैं आपसे व सदन के मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि एच.एस.एस.सी. ने और एच.पी.एस.सी. ने जो पोस्टें निकालनी थी उनको सरकार कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भर रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि वे कर्मचारी कब तक उन पोस्टों पर रहेंगे और उनको आगे स्थाई नौकरी देने की सरकार की क्या व्यवस्था रहेगी? उनकी आगे किस प्रकार से एप्वायंटमैंट होगी? क्या इनके लिए आगे कोई रिक्रूटमैंट निकाली जाएगी? यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। मेरा मतलब बस यही है कि कौशल रोजगार में जो पारदर्शिता की बात की जा रही है तो जिस तरह से हमारी और नौकरियों की लिस्टें आती हैं कौशल रोजगार निगम की लिस्ट भी पब्लिक डोमेन पर आनी चाहिए ताकि पता लगे कि किस तरह ही योग्यता वाले कैंडीडेट्स को क्राईटेरिया में क्या नम्बर मिले और बाकी को कितने नम्बर मिले हैं ताकि वे कैंडीडेट्स सैटिसफाई हों सकें लेकिन उसकी कोई लिस्ट नहीं लगाई जाती है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कुंडू जी, प्लीज आप बैठ जाइये।(शोर एवं व्यवधान)

श्री बलराज कुंडू : उपाध्यक्ष महोदय----- (शोर एवं व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कुंडू जी, आपका यह प्रश्न सप्लीमैंट्री में पूछने का है।(शोर एवं व्यवधान)

Shri Bharat Bhushan Batra : Hon'ble Deputy Speaker Sir, first of all, what was the need to form this Nigam by the Government? Why it has been made a Limited Company by the Government to make such recruitments? Secondly, had this been only with the Government Bodies then the matter would have been different. कम से कम सरकार के अधिकारी को ये सारी पावर देते तो वे एक विधि से काम करते। तभी इस बात के लिए संतोष होता कि अधिकारी ठीक काम करके सब कुछ ठीक करेंगे। आपने intending

organization के साथ में जिसको रिक्रूटमैंट का टैंडर देना है उसमें आपने बीच में Private players को भी डाल दिया। इसमें है कि intending organization means all the Departments, Boards, Corporations, Statutory Bodies, Universities, Public Sector Undertakings, Mission Authorities etc. which are under the control of the Government. Up-to this it is very alright. But private establishments were sent there intending to deploy manpower to the Nigam. अब इनको आपने अख्तिहार दे दिया तो ये लिस्टें कहां से आई।

श्री मनोहर लाल : बतरा जी, आप तो अच्छे भले विद्वान हैं, वकील हैं जरा लैंग्वेज पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ये तो जो इंडेंट देते हैं अर्थात जिनको वर्कफोर्स चाहिए तो वह गवर्नमैंट का डिपार्टमैंट भी इस कम्पनी से मांग सकता है, बोर्ड कोरपोरेशन भी मांग सकता है, इवन कोई प्राईवेट एजेंसी को भी वर्कफोर्स चाहिए तो वह भी उस कम्पनी से मांग सकता है। प्राईवेट वालों को बीच में डालकर हमने उनको कोई रिक्रूटमैंट एजेंसी नहीं बनाया है।

श्री भारत भूषण बतरा : उपाध्यक्ष महोदय, अगर किसी दूसरे डिपार्टमैंट को नौकरी चाहिए तो उसके लिए वह सरकार के पास आ जाए। सरकार के पास अपनी नौकरी तो देने की बात है नहीं ।

श्री उपाध्यक्ष : बतरा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी जो जवाब दे रहे हैं पहले आप उसको सुन लें।

श्री मनोहर लाल : उपाध्यक्ष महोदय, हमने तो एक फैसिलिटी दी है। मान लीजिए सरकार को 10 हजार लोग चाहिएं। अब मानलीजिए हमारे पास नहीं हैं और वह 10 हजार लोग हमने ले लिये। कल को अगर प्राईवेट वाले भी यह कह दें इन्हीं शर्तों के ऊपर उन्हें 100 या 500 या 1000 लोगों की रिक्रूटमैंट दे दीजिए। हम अगर ट्रांसपेरेंट्स तरीके से उस प्राईवेट एजेंसी को भी 1000 लोगों की रिक्रूटमैंट दे देते हैं तो अगर वे हमारे दायरे में से होकर निकलकर जाएंगे तो उनको भी तसल्ली रहेगी। उनको ई.पी.एफ., उनका प्राईवेट फंड, ई.एस.आई. वह सारा कुछ कटना शुरू हो जाएगा। आज जो सारी चीज ठेकेदारों के माध्यम से चल रही थी जिसका सरकार भी उपयोग करती थी, बोर्ड कोरपोरेशन भी उपयोग करते थे, यूनिवर्सिटीज भी उपयोग करती थी और जो private entrepreneur हैं, कोई फैक्ट्री वाला है, कोई कम्पनी वाला है वह भी

प्राईवेट एजेंसी से ही लेता था। हमने सभी को अब सरकारी प्लेटफॉर्म दे दिया है।

(इस समय श्री अध्यक्ष पदासीन हुए)

अध्यक्ष महोदय, इस सरकारी प्लेटफार्म से अगर किसी को कोई फायदा होता है तो क्या गलत है। हम एक ओवरसिस प्लेसमैंट सैल बना रहे हैं। अभी तक तो सब प्राइवेट एजेंसीज विदेशों में नोजवानों को भेजती रही हैं। यही नहीं कबूतरबाजी करके दुनिया भर में इल्लीगल तरीके से नोजवानों को बाहर भेजने का काम किया जाता रहा है और इसके लिए कितने ही केसिज भी बने हुए हैं। आज मान लो हम जनता को ऐसी सुविधाओं के लिए कोई सरकारी प्लेटफार्म दे रहे हैं जिसके माध्यम से वे विदेश में जाकर नौकरी प्राप्त करें तो ऐसा करके हम जनता को एक तरह से फैसिलिटेट करने का ही काम कर रहे हैं तो बताओ इसमें हम क्या गुनाह कर रहे है? हम तो जनता को एक एक्सट्रा प्लेटफार्म ही देने का काम कर रहे हैं। सरकार प्राईवेट लोगों के माध्यम से चयन करने का काम कर रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो कंपनी इस तरह का काम करती है, उस कंपनी का सारा काम गवर्नमैंट के अधिकारी ही देखने का काम करते है। हमने केवल प्राइवेट क्षेत्र को फैसिलिटेट करने का ही काम किया है कि उन्हें अगर आदमी चाहिए तो वे हमसे ले सकते हैं। हमारे पास सारी लिस्ट है और इसका कारण यह है कि हमारे पास लोगों ने एप्लाई किया हुआ है। अगर सरकार को जरूरत होगी तो सरकार भी इन बच्चों को लेगी और अगर बाहर भी जरूरत है तो वहां पर भी इन बच्चों की सेवाओं को लिया जा सकेगा लेकिन यह सारा काम नार्म्ज के मुताबिक ही होगा।

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जानना चाहूंगी कि क्या इसमें शैड्यूल्ड कास्ट्स, बैकवर्ड क्लासिज, एक्स सर्विसमैन तथा डिसेबल्ड को रिजर्वेशन दी जायेगी या नहीं ?

श्री अध्यक्षः गीता जी, आपकी पार्टी के एक सदस्य भारत भूषण बतरा जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, पहले उनको अपनी बात पूछ लेने दें।

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, क्या मुख्यमंत्री जी कृपया बतायेंगे कि आज तक कितनी प्राइवेट आर्गेनाइजेशंज ने, सरकार के निगम के थ्रू एम्पलायमैंट देने का काम किया है। अगर मुख्यमंत्री जी नहीं बताना चाहते तो कंसंर्ड मंत्री इस बारे में बता दें कि कितने लोगों को एंप्लाइमैंट देने का काम किया गया है। सेकेंडली मैं सदन के माध्यम से जानना चाहता हूँ कि इस तरह की प्रक्रिया में मैरिट लिस्ट को कौन डिसाइड करता है। मैरिट लिस्ट का जो फॉर्मेट बनाया गया है, इस मैरिट लिस्ट को

कौन डिसाइड करने का काम करता है। अध्यक्ष महोदय, भगत फूल सिंह मैडिकल कालेज, खानपुर के अंदर 32 एम्प्लायज आलरेडी वर्क कर रहे थे। सरकार कह रही है कि प्राइवेट प्लेयर्ज की कोई बात नहीं है। मैं सरकार की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि वहां पर एक ठेकेदार ने निगम को लिस्ट दे दी और लिस्ट में शामिल लोगों को एम्पलाय कर दिया गया और सरकार कह रही है कि प्राइवेट प्लेयर्ज का कोई रोल नहीं है। अध्यक्ष महोदय, सरकार तो प्राइवेट प्लेयर्ज का नाम तक मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर प्राइवेट प्लेयर्ज का कोई रोल नहीं है तो प्रश्न उठता है कि प्राइवेट प्लेयर्ज ने जो निगम को लिस्ट दी उस लिस्ट में शामिल लोगों को निगम ने कैसे एप्वॉयंटमैंट लैटर दे दिया और जो आलरेडी यहां पर लगे हुए थे उनको हटा दिया। सरकार किस आधार पर यह कह रही है कि प्राइवेट प्लेयर्ज का कोई रोल नहीं है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार जो लोग यहां पर आलरेडी काम कर रहे थे उनको किस कैपेसिटी से हटाने का काम किया गया। मेरे इस प्रश्न का उत्तर दिया जाये। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत बड़ा स्कैंडल है। यह केस पैटीशन कमेटी के सामने भी आया है and Government has admitted that this fraud has been committed and inquiry should have been there और सरकार को इस सारे विषय पर रिप्लाई देने का काम करना चाहिए इस मामले में एफ.आई. आर. भी दर्ज की जानी चाहिए।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, आज इस विषय पर काफी चर्चा हुई और मंत्री जी ने भी काफी लंबा चौड़ा जवाब दिया और उन्होंने कहा कि मैरिट पर हमने नौकरी देने का काम किया है। कितनी अजीब बात है कि एलीजिबिलिटी के क्राइटेरिया को मैरिट का नाम दिया जा रहा है और इस तरह से लिस्ट बनाई जा रही है कि इतनी आमदनी होगी तो इतने नम्बर दिए जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, एलीजिबिलिटी का क्राइटेरिया और मैरिट दो अलग–अलग चीजें होती हैं। मैं सदन के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार यह कौन तय करता है कि किसकी कितनी आमदनी है ? क्या आमदनी का पता परिवार पहचान पत्र से करते हो ? अगर ऐसा है तो बताओ परिवार पहचान पत्र कौन तय कर रहा है ? आमदनी का सर्टिफिकेट या तो तहसीलदार देगा या फिर एस.डी.एम. देगा ऐसे थोड़े ही होता है कि कोई मास्टर भी आमदनी का सर्टिफिकेट दे दे उसको कैसे मालूम होगा कि किसकी कितनी आमदनी है। अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा प्रश्न तो यह है कि मैरिट का क्राइटेरिया क्या है और इसके लिए क्या प्रक्रिया एडाप्ट की जाती है। एच.एस.एस.सी. या एच.पी.एस.सी. जो है, वह टैस्ट

लेने का काम करती है, इंटरव्यू लेने का काम करती है और इसके बाद मैरिट तैयार की जाती है लेकिन जिस प्रकार का काम आज इस सरकार के कार्यकाल में किया जा रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ कि जो लोग मैरिट तैयार कर रहे हैं, उन लोगों ने कौन सी प्रक्रिया एडाप्ट करके मैरिट बनाने का काम किया है। अगर सरकार को इसी तरह से काम करना है तो फिर एच.एस.एस.सी. या एच.पी.एस.सी. को डिजोल्व ही कर दिया जाये क्योंकि अगर ऐसा ही होता रहेगा तो फिर एच.एस.एस.सी. और एप.पी.एस.सी. की क्या जरूरत रहेगी। यह हमारी युवा पीढ़ी के साथ एक खिलवाड़ है। हम इस तरह के खिलवाड़ को किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं इस खिलवाड़ को दिखाने वाली एक बात बताता हूँ और इसे सुनकर सबको पता चल जायेगा कि आज लोगों का किस प्रकार से तमाशा बनाने का काम किया जा रहा है। एक श्रीमती सीमा देवी है इसकी दिनांक 6.12.2022 को कौशल रोजगार निगम के माध्यम से टी.जी.टी. के पद भर्ती हुई और दिनांक 9.12.2022 को इसे नौकरी से निकाल दिया गया। इस दौरान इस बेचारी ने मिठाई भी बांट दी। अब उसके दिल पर क्या बीती होगी इसका हम सब अनुमान भी नहीं लगा सकते। आखिर सरकार बच्चों के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों कर रही है ? यह खिलवाड़ है और यह एक तरह से चोर दरवाजा ही खोला गया है। इसमें न कोई क्राइटेरिया है और न ही कोई मैरिट है। क्राइटेरिया को एक तरह से खत्म ही कर दिया गया है। इंकम सर्टिफिकेट कौन दे रहा है, कोई पता नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से सरकार को चेताना चाहता हूँ कि इस युवा पीढ़ी के साथ इस किस्म का खिलवाड़ मत करो। जब कौशल रोजगार निगम बनाया था तो उस समय मुख्यमंत्री जी का बयान मैंने पढ़ा था कि यह काम ठेका प्रथा को खत्म करने के लिए किया जा रहा है। क्या इस तरह से ठेका प्रथा खत्म हो रही है ? वास्तव में सरकार खुद ठेकदार बन रही है। दो साल के लिए सरकार युवाओं को भर्ती कर रही है और उनको 30 हजार रूपये देने का काम कर रही है। इनको न कोई प्रमोशन दी जाती है और न ही किसी प्रकार की कोई अन्य सुविधा दी जाती है। इस तरह से तो ये बेचारे सारी उम्र कच्चे ही रह जायेंगे। नौकरी में कितने दिन रहेंगे। कच्ची नौकरी के लिए ठेका प्रथा शुरू कर दी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी एक तरफ तो कह रहे हैं कि ठेका प्रथा खत्म करेंगे दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हरियाणा कौशल रोजगार में 25 हजार भर्ती करेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि सरकार द्वारा हजारों पोस्ट्स खत्म कर दी जायेंगी। सरकार इस प्रकार का काम क्यों कर रही है? हरियाणा में करीब 180000

से ज्यादा विभिन्न कैटेगरीज के बहुत से विभागों में पद खाली पड़े हुए हैं, सरकार को उनकी सीधी भर्ती करनी चाहिये। पढ़े–लिखे बच्चे जो ऑफिसर्ज लग सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। सरकार द्वारा इस तरह की भर्ती करके उनको कम सैलरी देकर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यह बात हरियाणा के लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। हमारी पार्टी इसको पूरी तरह से रिजैक्ट करती है और सरकार से अनुरोध करती है कि इस निर्णय को तुरंत प्रभाव से वापिस लिया जाये। अध्यक्ष महोदय, हम हमारे बच्चों के साथ इस तरह का खिलवाड़ नहीं होने देंगे।

श्री वरूण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मेरा पारदर्शिता के बारे में यह कहना है कि यदि इसमें इतनी ज्यादा पारदर्शिता होती तो आज सदन में इतने माननीय सदस्यों को चर्चा करने की जरूरत नहीं होती। पहली बात तो यह है इस संबंध में पोर्टल कभी खुलता नहीं और दूसरी बात इस संबंध में यह कही जाती है कि जिन्होंने किसी भी सरकारी कार्यालय में काम किया हुआ है केवल वही अपना पंजीकरण करवा सकते हैं, दूसरे नहीं करवा सकते। पारदर्शिता की बात तो यहां से साफ दिखती है कि विधायक श्री रणधीर गोलन के बेटे ने सरकार पर इल्जाम लगाया कि नौकरी के नाम पर 49 लाख रुपये दिये फिर भी नौकरी नहीं लगी।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, यह हरियाणा कौशल रोजगार निगम से संबंधित बात नहीं है।

श्री वरूण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, जवाब में बताया गया है कि हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग से भी अलग से भर्ती हो रही है। यदि भर्ती हो रही है तो आज इतनी पोस्ट्स खाली क्यों पड़ी हुई हैं? अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने अपना पंजीकृत करवाया और नौकरी नहीं मिली तो क्या उन्हें बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है? प्रदेश में लाखों युवा तो ऐसे हैं जो पोर्टल पर अपना पंजीकरण नहीं करवा पा रहे हैं। कितनी भर्तियां हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से हुई हैं? अभी माननीय प्रतिपक्ष नेता ने अपनी स्टेटमैंट दी है कि प्रार्थी को 3–4 दिन के बाद नौकरी से निकाल दिया गया। अध्यक्ष महोदय, यदि किसी को दो महीने बाद निकाल दिया जायेगा और किसी को 6 महीने बाद निकाल दिया जायेगा तो उन बच्चों का भविष्य क्या होगा? इस प्रकार से हमारे प्रदेश के युवाओं का शोषण तो हो रहा है। वे बच्चे एक बार नौकरी से निकालने के बाद कहां जायेंगे, क्या इस बारे में सरकार ने कभी सोचा है? अध्यक्ष महोदय, जो भर्तियां हरियाणा लोक सेवा आयोग और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से होनी चाहियें, वे भर्तियों हरियाणा

कौशल रोजगार निगम के माध्यम से नहीं होनी चाहियें। मेरा यह भी कहना है कि पारदर्शिता को बढ़ावा दिया जाना चाहिये। धन्यवाद।

श्री आफताब अहमदः अध्यक्ष महोदय, शहीद हसन खां मैडिकल कॉलेज में जो बच्चे पिछले 10 वर्षों से ठेकेदारों के तहत अपनी सेवाएं दे रहे थे उनको निकाल कर और दूसरे ठेकेदारों द्वारा ही उनको भर्ती की जा रही है लेकिन उन बच्चों का जो 10 वर्षों का अनुभव था उसको नजरअंदाज किया जा रहा है। यह बात बिल्कुल सच्ची है कि वहां बच्चे इसके विरोध में धरने पर बैठे हुए हैं। उनकी लिस्ट और बच्चों के नाम बदले जा रहे हैं, क्या हरियाणा कौशल रोजगार निगम की यही पारदर्शिता है? अध्यक्ष महोदय, पुराने बच्चों के अनुभव और क्राइटेरिया को पूरी तरह से नजर अंदाज कर दिया गया है। इस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जब 10 वर्ष की सेवा देने के बाद भी उनका भविष्य सुरक्षित नहीं है तो वे बेचारे कहां जायेंगे? सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, इसमें कहीं भी पारदर्शिता दिखाई नहीं देती है।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो यह है कि यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हरियाणा कौशल रोजगार निगम को लेकर ही है, ना हरियाणा लोक सेवा आयोग को लेकर है, ना ही हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को लेकर है और ना ही बेरोजगारी को लेकर है। यदि माननीय सदस्यगण थोड़ा सा सब्र रखेंगे तो सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जायेंगे।

श्री वरूण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं बोलना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्षः वरूण जी, सदन के नेता जवाब दे रहे हैं, प्लीज आप बैठ जाइये।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम (एच.के.आर.एन.) एक विशेष पर्पज से बनाया गया है । इस बारे में माननीय मंत्री जी ने भी बताया है और उसे हमारी बहन किरण जी ने भी स्वीकार किया है । पहले ठेकेदारों के माध्यम से लोगों को नौकरी में लिया जाता था, एच.के.आर.एन. उसका एक विकल्प है। हमारे पास ठेकेदारों से संबंधित बहुत–सी शिकायतें आती थी । उन शिकायतों को खत्म करने और युवाओं को शोषण से बचाने के लिए एच.के.आर.एन. आवश्यक था । हमें इसकी जानकारी है कि ठेकेदारों के माध्यम से लगने वाले युवकों की सैलरी बहुत कम होती थी और उस कम सैलरी में से भी उनके पैसे काटकर उनका शोषण किया जाता था । किसी व्यक्ति से ऐडवांस में पैसे ले लिये जाते थे और फिर उनके बैंक खाते में पैसे डाले जाते थे, किसी का पी.एफ. जमा नहीं करवाया

जाता था, किसी को ई.एस.आई. की सुविधा नहीं दी जाती थी आदि । इन सभी समस्याओं को खत्म करने के लिए हमने एच.के.आर.एन. को शुरू किया है । एच.के. आर.एन. एक नया पोर्टल है । अतः हमारा यह दावा नहीं है कि इसमें कोई भी कमी नहीं होगी । अगर इसमें कुछ कमियां होंगी तो चर्चा के पश्चात् वे सामने आ जाएंगी और उनको निश्चित ही ठीक कर लिया जाएगा । एच.के.आर.एन. के तहत अभी मात्र 4–5 हजार लोगों की ही भर्ती हुई है । बाकी तो इसमें वे लोग हैं जो ठेकेदारों के माध्यम से लगे थे । हमने उनको एच.के.आर.एन. में ठेकेदारों से पोर्ट किया है । हमने उन लोगों को ठेकेदारों की सूचि से निकालकर इसमें लगाया है ताकि उनको वहां जो कठिनाइयां आ रही थी वे बंद हो जाएं । इसके अलावा हम यह कार्य उनकी सहमति से कर रहे हैं । इसमें जांच का एक विषय भी है कि पहले आउटसॉर्स के माध्यम से जो भर्तियां होती रही उनका न तो हमारे एच.के.आर.एन. डिपार्टमैंट में कोई रिकॉर्ड होता था और न ही उनकी तनख्वाहें हमारे सिस्टम में से जाती थी । उनको तो ठेकेदारों के माध्यम से पैसा मिलता था । ठेकेदार सरकार को लोगों के नाम की सूचि देते थे और सरकार ठेकेदारों को एक–साथ पेमैंट कर देती थी । अभी भी ऐसे हजारों लोग हैं जिनके नामों को ठेकेदार एच.के.आर.एन. में पोर्ट नहीं कर रहे हैं और वे लोग हमें मिल भी नहीं रहे हैं तथा न ही उनकी हमारे पास कोई शिकायत आई है । इससे प्रतीत होता है कि ठेकेदारों के स्तर पर नीचे कोई गड़बड़ रही होगी कि उन्होंने सरकार के पास नाम बहुत ज्यादा लोगों के भेज दिए होंगे और उन्होंने भर्ती कम लोगों की की होगी । अतः यह एक ध्यान देने का विषय भी है । ऐसे में यह जांच का एक विषय है कि वे लोग फिजिकली अवेलेबल थे भी या नहीं और हम इसकी जांच करेंगे । हम कोशिश करेंगे कि हम इस बारे में जांच करके अगले सत्र में इस बारे में सदन को जानकारी दे दें । जो विषय एक गलत दिशा में चल रहा था हम उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं । यह बात स्पष्ट है कि यह कोई पक्की नौकरी नहीं है बल्कि यह आउटसॉर्सिंग की एक कच्ची नौकरी है । यह नौकरी प्रारम्भ में एक साल के लिए दी जाती है । अगर जरूरत होगी तो इसे हर साल एक–एक साल के लिए एक्सटैंड किया जाएगा । यह भी तय है कि अगर एच.पी. एस.सी./एच.एस.सी.सी. के माध्यम से पक्की नौकरी के लोग आएंगे तो ये लोग हटने ही हैं । ऐसा नहीं है कि ये लोग नहीं हटेंगे । इसमें मैरिट की जो बात उठाई जा रही है उसके विषय में मैं सदन को बताना चाहता हूं कि इंडैंटिंग डिपार्टमैंट ने कर्न्सन्ड पोस्ट के लिए हमें जो मिनिमम योग्यता बताई है उसको हमने पूरा किया है । मान

लीजिए टी.जी.टी. / पी.जी.टी. की भर्ती के लिए संबंधित विभाग ने हमें बताया कि इनके लिए फलां योग्यता होनी चाहिए और साथ ही एच.टी.ई.टी. का टैस्ट भी पास होना चाहिए तो उस कंडीशन को हमने पूरा किया है । इसमें अध्यापकों की पहले जो भर्ती की गई थी उसमें एच.टी.ई.टी. टैस्ट के पास होने की कंडीशन नहीं रखी गई थी । इसका कारण यह था कि यह टैम्पोरेरी बेस की भर्ती थी और ऐसी भर्ती इसलिए की जाती है क्योंकि सरकार को अध्यापकों की उसी समय जरूरत थी । एच.पी.एस.सी. / एच.एस.एस.सी. के माध्यम से अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने में बहुत ज्यादा समय लगता है । सभी को पता है कि एच.पी.एस.सी. / एच.एस.एस.सी. के माध्यम से अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया को शुरू करने के बाद भी कम से कम 6 महीने या एक साल का समय लग जाता है । अतः तत्कालीन जरूरत को देखते हुए इंडैंटिंग विभाग को 15 दिन से 1 महीने के अंदर–अंदर अध्यापक देने के लिए टैम्पोरेरी तौर पर भर्ती की गई थी ताकि बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो। इसी तरह अन्य विभागों के कामकाज को दृष्टि में रखते हुए उनके लिए भर्ती की गई थी । इसमें पीयन भी होंगे, ड्राइवर्ज भी होंगे, इंजीनियरिंग के लोग भी होंगे, क्लर्क्स भी होंगे आदि । इस तरह की अनेक पोस्ट्स के लिए जरूरत के मुताबिक भर्ती की जाएगी । अभी तक हमने अध्यापकों आदि की जो बड़ी–बड़ी भर्तियां की हैं उनमें हमें जो कठिनाई आई हैं, मैं उसके बारे में बता देता हूं । शिक्षा विभाग ने हमें पहले एच.टी.ई.टी. की कंडीशन को लिखकर नहीं दिया था लेकिन बाद में उन्होंने हमें बताया कि अध्यापकों के लिए एच.टी.ई.टी. टैस्ट पास होना चाहिए । फिर हमने यह विचार करके कि इनकी भर्ती टैम्पोरेरी तौर पर की जा रही है उन कंडीडेट्स की एक्चुअल क्वालिफिकेशन के मुताबिक उनको कुछ नंबर दिए ताकि किसी तरीके से वे भर्ती हो जाएं और बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो । बाद में जब पक्के अध्यापक आ जाएंगे ता उनको अलग कर दिया जाएगा । सैकेण्ड टाइम जब हमने उनका टैस्ट ले लिया तो बाद में हमें एच.के.आर.एन. ने बताया कि यह टैस्ट तो उनके विभाग के हिसाब से होना चाहिए था । मुझे यह जानकारी पहली बार मिली कि हरेक विभाग का टैस्ट अलग होता है । इस कारणवश कुछ बच्चों को ऑफर लैटर देने के बावजूद भी उनको अप्वॉयंटमैंट लैटर इशू नहीं किये जा सके । 9 तारीख और 12 तारीख के लैटर्स की जो बात की गई तो उनमें भी ऐसे कुछ कंडीडेट्स अवश्य होंगे । अभी ऐसे 600–700 कंडीडेट्स को अप्वॉयंटमैंट लैटर नहीं भेजा गया है । कुल 2000 कंडीडेट्स सिलैक्ट हुए थे जिनमें से 1400 कंडीडेट्स ने ज्वॉयन कर लिया है और 600 कंडीडेट्स

रह गए हैं । भविष्य में जैसी उनकी आवश्यकता होगी उस बारे में भी विचार कर लिया जाएगा । फाइनल मैरिट के हिसाब से वे तो फिर सिलैक्ट हो जाएंगे और नौकरी लग जाएंगे । तीसरी बात यह है कि इसमें कोई एग्जॉम नहीं है क्योंकि मैरिट एग्जॉम से तो नापी जा सकती है तो इसका क्रॉयटेरिया और प्राथमिकता क्या है ? इस विषय को बोर्ड ऑफ डॉयरेक्टर्ज के सामने रखा जाता है और वहां पर क्रॉयटेरिया और प्रॉयोरिटी तय करते हैं। क्रॉयटेरिया में जो क्वॉलिफिकेशन मांगते हैं वह तो अनिवार्य ही है। दूसरा क्रॉयटेरिया में जितना लोकलाईज्ड हो सके उतने लोगों को लेना चाहिए। चूंकि संबंधित कैंडिडेट की थोड़ी तनख्वाह है और अगर उसकी 200 किलोमीटर दूर पोस्टिंग आएगी तो हो सकता है कि संबंधित कैंडिडेट प्रारम्भ में कह दे कि ठीक है और वह संबंधित जगह पर ज्वाईन कर लेगा क्योंकि वह घर में खाली बैठा हुआ है। उसके पास नौकरी नहीं है, इसलिए वह 100–200 किलोमीटर दूर के लिए भी हां कहेगा। लेकिन बाद में हम सभी के पास आकर कहेगा कि उसकी तो थोड़ी तनख्वाह है, इसलिए उसकी ट्रांसफर घर के नजदीक करवा दें। इस प्रकार हमने संबंधित क्रॉयटेरिया में लोकलाइज्ड लोगों को ज्यादा प्राथमिकता दी है। इसके अतिरिक्त जो गरीब परिवार अन्तोदय की श्रेणी में आते हैं जिनको नौकरी की तुरंत आवश्यकता है और उनको पक्की नौकरी नहीं मिल रही है। ऐसे लोगों को जब तक पक्की नौकरी नहीं मिलती है तक तक वहां पर एडजैस्ट हो जाएं। इसमें क्रॉयटेरिया के हिसाब से जिन परिवारों की 1,20,000 रुपये से कम इन्कम है उनको शामिल किया है। यानी उनकी इन्कम 10,000 रुपये प्रति महीना से भी कम है। अब माननीय सदस्य कहेंगे कि यह क्रॉयटेरिया किसने तय किया है ? हमने परिवार पहचान पत्र में बहुत ही पारदर्शिता तरीके से 70 लाख परिवारों का रजिस्ट्रेशन किया है। इन 70 लाख परिवारों में से जिनकी इन्कम गरीबी से भी नीचे है, उसको भी पहली बार हरियाणा सरकार ने ही तय किया है। जोकि अभी तक 1,20,000 रुपये वार्षिक इन्कम थी। यानी 10,000 रुपये प्रति महीना के हिसाब से थी जिसको बढाकर 15,000 रुपये प्रति महीना कर दिया है। इससे गरीबी रेखा का लेवल ऊपर हो जाएगा तो उसमें ज्यादा परिवार समाहित हो जाएंगे। अब संबंधित परिवार 30 लाख के आसपास हैं। हमने कल भी सदन में परिवार पहचान पत्र के माध्यम से राशन कार्ड की बात कही थी या दूसरी बातें कही थी। इस प्रकार के 30 लाख परिवारों में 30–35 साल की आयु के आसपास के कैंडिडेट्स को प्रॉयरिटी दी है क्योंकि इनसे बड़ी आयु का कैंडिडेट कहीं न कहीं पर एडजैस्ट हो चुका है। खासतौर से 30–35 साल का कैंडिडेट तो एजुकेशन

क्वॉलिफिकेशन के साथ न्याय कर सकता है। हालांकि हमने रिवर्जेशन में 45 और 47 साल की उम्र भी रखी हुई है। अगर हम विचार करें कि 47 साल के एक कैंडिडेट को नौकरी देंगे तो क्या वह संबंधित बच्चों के साथ न्याय कर पाएगा ? चूंकि वह 8–10 सालों के बाद तो उम्र के हिसाब से रिटायर हो जाएगा। इसलिए इसमें एक आदर्श आयु सीमा की बहुत ज्यादा जरूरत है और वह 30– 35 साल की है। इनको प्रॉयरिटी दी गयी है। ऐसा भी नहीं है कि दूसरे कैंडिडेट्स को नौकरी पर नहीं लगाया जाएगा। हमने बाकी चीजों के मार्क्स कम कर दिये हैं। पहले हमने जिले को एक इकाई माना था कि एक जिले के कैंडिडेट्स को प्राथमिकता दी जाए। इसमें यह विचार आया कि कई जिले बड़े भी होते हैं। उदाहरण के तौर पर सिरसा जिले में डबवाली भी है, नाथूश्री चौपटा भी है और डिंग भी है। इसमें दो जगहों की दूरी मिलाकर 80 किलोमीटर पड़ती हैं। इसलिए ब्लॉक के हिसाब से इनकी एक श्रेणी बनायी गयी है। अगर कोई ब्लॉक में है तो ज्यादा मार्क्स दिये जाएं, जिले में है तो उससे कम मार्क्स दिये जाएं और एडज्वाईनिंग जिले में उससे भी कम मार्क्स दिये जाएं। हमारी कोशिश यही है कि ऐसी कच्ची नौकरी में एडज्वाईनिंग जिले से ज्यादा दूर के कैंडिडेट्स को बेशक टाल दिया जाए। उसकी जहां पर जरूरत पड़ेगी, वहां पर देख लेंगे। इस प्रकार ये सारे क्रॉयटेरिया बनाये गये हैं। इन्हीं के आधार पर योग्यता और अनुभव रखे गये हैं। एच.के.आर.एन. में प्रारम्भ में यह बात आयी थी कि हरियाणा सरकार के किसी विभाग/कॉरपोरेशन/बोर्ड के अनुभवी कैंडिडेट्स को प्राथमिकता दी जाए क्योंकि वहां से भी कच्चे कर्मचारियों को हटाया ही जाता है। हमारा इस बात पर जोर है कि एच.पी.एस.सी. और एच.एस.एस.सी. के थ्रू नौकरियों को बढाया जाए। अगर हम इन संस्थाओं के थ्रू कैंडिडेट्स को भर्ती करेंगे तो उन पोस्ट्स के एगेंस्ट लगे हुए कर्मचारी तो हटेंगे ही। इस प्रकार जो कैंडिडेट्स हटेंगे उनको अनुभव के आधार पर पहले प्राथमिकता दें। इसमें अनुभव के मार्क्स अलग से दिये जाएंगे और सभी संबंधित अनुभवी कैंडिडेट्स का रजिस्ट्रेशन करवाया गया था। जिन कैंडिडेट्स का अनुभव नहीं था उनको रजिस्र्ड नहीं करवाया गया था। एक विषय यह आया था कि इसमें प्राइवेट अनुभवी कैंडिडेट्स को भी शामिल किया जाए। लेकिन प्राइवेट अनुभव की एथेंटीसिटी कोई नहीं कर पाएगा क्योंकि कोई प्राइवेट संस्था से सर्टिफिकेट लेकर आएगा उसके लिए हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। चूंकि कोई भी प्राइवेट फैक्ट्री या कम्पनी से सर्टिफिकेट बनवाकर लाएगा और फिर बाद में कहेंगे कि सब कुछ घालमेल हो गया या फेल हो गया। इसलिए एथेंटीसिटी जिस

डिपार्टमैंट/बोर्ड/कॉरपोरेशन की है, उसी का अनुभव माना जाएगा। इनके अलावा किसी और प्राइवेट संस्था के अनुभव के सर्टिफिकेट को नहीं मान सकते। इस प्रकार यह अनुभव का विषय था। फिर इसमें आगे क्या होगा ? माननीय सदस्यों की यह चिन्ता भी जायज है क्योंकि 2–4 सालों के बाद संबंधित कैंडिडेट के एगेंस्ट पोस्ट पर कोई दूसरा रेगूलर कैंडिडेट आ गया तो वह हट जाएगा। यह पूरी उम्र तक सर्विस में लगे रहने के लिए नहीं है। माननीय सदस्य कह रहे हैं कि संबंधित कैंडिडेट्स की पूरी उम्र की चिन्ता है। यह प्रावधान तो पक्की नौकरी में ही है। जो कैंडिडेट्स कच्ची नौकरी में ठेकेदार या एच.के.आर.एन. के तहत लगेंगे, उनके लिए उम्र भर नौकरी करने के लिए व्यवस्था नहीं बना सकते। इसमें न ही कोई स्टेच्यूटरी प्रावधान हो सकता है।

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि एच.के.आर.एन. के तहत सर्विस में रखने का मिनिमम कितना टाईम रखा गया है ?

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्या को बताना चाहूंगा कि इसके लिए 1 साल का मिनिमम टाईम रखा गया है।

श्रीमती किरण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, क्या संबंधित कैंडिडेट्स को 1 साल से पहले सर्विस से नहीं हटाया जाएगा ? मैं बताना चाहूंगी कि इसमें संबंधित कैंडिडेट्स को 3 तीन में ही हटा दिया गया था।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि उन कैंडिडेट्स की योग्यता में कोई गड़बड़ थी। इसमें 600–700 कैंडिडेट्स ऐसे बचे हुए हैं जिनकी योग्यता पूरी नहीं थी, लेकिन उनके पास ऑफर लैटर चला गया था। उनको एप्वायंटमैंट नहीं दिया गया था।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मेरे पास इससे संबंधित एक कागज है जिसमें लिखा हुआ है कि पंचकुला के आदेश क्रमांक दिनांक 06.12.2022 को पी.जी.टी. के पद पर ज्वाईन किया था और दिनांक 09.12.2022 को दोपहर कार्यभार से मुक्त कर दिया जाता है। इन्होंने दिनांक 06.12.2022 को ज्वाईन किया था और दिनांक 09.12. 2022 को कार्यभार से मुक्त कर दिया। इस संबंध में मेरे पास वाणिज्य प्रवक्ता का लैटर है।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा साहब, आप जिस लैटर की बात कर रहे हैं यह एप्वॉयंटमैंट लैटर तो नहीं है। यह रिलीविंग लैटर है। आप यह बता दें कि संबंधित लैटर में क्या लिखा हुआ है?

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, जब उसने ज्वाईनिंग की तभी तो उसको कार्यभार से मुक्त किया होगा। क्या उसको बगैर एप्वॉयंटमैंट के ज्वाईनिंग दे दी।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैंने इस बारे में पहले ही कह दिया है कि अगर ऐसी गलतियां हुई हैं तो उनको ठीक करने का काम किया जायेगा। अगर और भी इस तरह के केसिज हैं तो उनको भी हम देख लेंगे। एक बार अगर किसी की ज्वाईनिंग हुई है तो उनको वापिस, उनकी जो भी योग्यता होगी, आखिर हमारे पास हर योग्यता के लोगों की डिमांड तो आयेगी। अब इसके बाद और विभागों की डिमांड्स हैं क्योंकि अध्यापकों का चयन दो चरणों में किया है और हमें इसमें भी कठिनाईयों ध्यान में आई हैं। नये सिरे से हमारे ध्यान में जो कठिनाईयां आई हैं उनको भी दूर किया जायेगा। मैं स्वयं और हमारे प्रिंसीपल सैक्रेटरी श्री के.एम.पांडुरंग जी हैं, वे इस काम को देख रहे हैं। मैं उनको कहूंगा कि इन कठिनाईयों को दूर किया जाये और आगे से ऐसी कठिनाईयां न आयें, इसके लिए प्रयास किया जाये। जैसा कि मैंने बताया कि यह सारा प्रोसैस क्लियर कट है और कहीं भी किसी की तरफदारी करके कोई पर्ची देकर अब नौकरी नहीं लगता है, ऐसा मैं गारंटी के साथ इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम सारे सिस्टम को समझ करके ही इस तरह का फैसला कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, इस मामले में खानपुर मैडीकल कॉलेज में एफ. आई.आर. दर्ज भी हो रखी हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री मनोहर लाल : हुड्डा साहब, यह बात मेरे नोटिस में नहीं है। (विघ्न) अगर हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत एफ.आई.आर. दर्ज हुई है तो इसकी जानकारी लेकर उस पर कार्रवाई करेंगे। (शोर एवं व्यवधान) अगर किसी ने जानबूझकर अपना नाम इसमें घूसेड़ दिया है तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। (विघ्न) अध्यापकों से संबंधित 2074 और 2049 के दो प्रोसैस ऑलरेडी हो चुके हैं। हमारा उद्देश्य क्राइटेरिया के हिसाब से इन लोगों को अवसर देना था। अध्यक्ष महोदय, मैंने तो स्वयं बटन दबाकर 10–10 लोगों से फोन पर बात तक करने का काम किया है। एक बार जब मैंने फोन पर इस संबंध में बात की तो दूसरी तरफ से कहा गया कि अभी तक तो कोई समाचार प्राप्त नहीं हुआ है। मैंने कहा कि अपना फोन उठाकर

देखो, तुम्हारे पास कोई मैसेज आया होगा तो इसके पांच मिनट बाद फोन आया कि हां जी मैसेज आ गया। यह बात मैं इस बात की तसदीक के लिए बताना चाह रहा हूँ कि हम लोगों ने हाथों हाथ बटन दबाकर लोगों के मोबाईल फोन पर मैसेज पहुंचाया। अध्यक्ष महोदय, इस सारे प्रोसैस में इस तरह का प्रावधान किया गया है कि सर्वप्रथम मोबाईल में स्कूल का नम्बर डालना पड़ता है इसके बाद उनको स्कूल का स्थान का सही–सही पता लग जाता है और मैसेज में यह बात भलीभांति वर्णित होती है कि फलां स्कूल में 15 दिन के अंदर–अंदर जाकर ज्वॉयन कर लें। अगर वह 15 दिन में ज्वॉयन नहीं करता है तो फिर उनको मैसेज जाता है कि आपका नाम इसमें से काट दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, इस सारे प्रोसैस में हमारे पास ज्यादा समय नहीं होता है क्योंकि हमें और भी नये लोगों को नौकरी पर लगाना होता है। इसके बाद हमारे पास बहुत बड़ा डाटा परिवार पहचान पत्र का भी है। इस परिवार पहचान पत्र में से अब हम आगे गरीबी के क्राईटेरिया के हिसाब से हमारे पास जो एंथेटीकेटिड डाटा है, हम उसी में से ही जो हमें योग्यता के आधार पर लोग मिलते हैं, हमारी पहली प्रॉयर्टी यही रहती है कि उनको पहले नौकरी दी जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसमें इन्कम से संबंधित डॉक्यूमैंट्स का सर्टिफिकेट कौन देगा?

श्री मनोहर लाल : हुड्डा साहब, हम इन्कम के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, सरकार फिर कैसे इन्कम वैरीफाई करेगी?

श्री मनोहर लाल : हुड्डा साहब, हमारे 70 लाख परिवारों की, किसके परिवार की क्या इन्कम है, हम इसमें कई राउंड की वैरीफिकेशन करवा चुके हैं। जहां तक इन्कम सर्टिफिकेट की बात है तो मैं इस बारे में भी आपको जानकारी देना चाहूंगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मेरा यही सवाल है कि सरकार के किस कर्मचारी ने उस व्यक्ति के इन्कम की पहचान की है। जो आपने इस काम के लिए टीचर लगा रखे थे उनको किसी व्यक्ति की इन्कम के बारे में क्या मालूम है? अगर आप हिन्दुस्तान में कहीं भी जाओगे तो तहसीलदार या इन्कम टैक्स ऑफिसर उसको इन्कम सर्टिफिकेट देगा। (शोर एवं व्यवधान) इस मामले में कल को रिट भी होगी और अगर रिट होगी तो वह बेचरा अपने घर आ जायेगा।

श्री मनोहर लाल : हुड्डा साहब, अगर इस मामले में रिट होगी तो मैं इसको संभाल लूंगा। (शोर एवं व्यवधान) जहां तक परिवार पहचान पत्र की बात है तो इसमें जिस परिवार की जितनी इन्कम दर्शाई गई है, हमारी सरकार उसको उसी के अनुरूप बैनीफिट देने का काम कर रही है। मैं सदन से निवेदन करता हूं कि इन्कम को लेकर कभी भी गलती आ जाये तो आप इस चीज को संबंधित ए.डी.सी. के पास भेजिये। वह इसको रिवैरीफाई करवायेगा। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि ए.डी.सी., तहसीलदार से ऊपर ही होता है। ए.डी.सी. की वैरिफिकेशन के बाद उसकी इन्कम दर्ज होती है, कोई भी अपने आप इन्कम दर्ज नहीं कर सकता।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः मुख्यमंत्री जी, पहले आप इसे शुरू तो करवाएं।

श्री मनोहर लालः हुड्डा जी, हम इसे शुरू कर रहे हैं, आप पहले मेरी पूरी बात तो सुन लीजिए।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः जिस तरह से आई.डी. और पहचान पत्र बने हैं और जितनी गलतियां हुई हैं। इसका आप सबको पता है और अगर नहीं है, तो लग जाएगा। उसकी कोई एथेंटिफिकेशन नहीं है।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, हम उस हिसाब से नहीं चलते कि 2011 में बैठकर कोई एक लिस्ट बना दी और उसे एस.ई.सी.सी. (सोशियो इकॉनोमिक कास्ट सेंसस) का नाम दे दिया गया हो। आज हमारी सरकार द्वारा राशन कार्ड में जिन लाखों लोगों के नाम काटे गए हैं ,उनमें किसी व्यक्ति की इन्कम 4 लाख थी तो किसी की 5 लाख थी और इन 11 वर्षों में जितने भी बेरोजगार लोगों में से जो इम्पलॉयी बने, उन सबके नाम भी इसमें थे। किसी ने भी इम्पलॉयी बनने के बाद अपना नाम नहीं कटवाया। आखिर में 9 लाख लोगों का नाम कटा और 12 लाख लोगों का नाम जुड़ा तो इसका मतलब हुआ कि इन 12 लाख लोगों का अधिकार ये 9 लाख इनेलीजिबल लोग तथा परिवार खा रहे थे, लेकिन अब आगे ये सारा विषय डायनैमिक रहेगा।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष जी, सरकार ने बुजुर्ग लोगों की पेंशन काटी है।

श्री मनोहर लालः हुड्डा जी, आपने इतने अयोग्य लोगों की पेंशन क्यों बनवाई। आपकी सरकार ने यह बनाया था कि पेंशन के लिए बुजुर्ग की वार्षिक आय 2 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यह हमने नहीं बनाया। उसके बाद आपके समय में और शुरू में हम भी हमारे समय में इसको चैक नहीं कर पाए। जिन परिवारों की आय 4–5 लाख रुपये सालाना थी वे सब परिवार इसमें जुड़े हुए थे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः मुख्यमंत्री जी, जितने वर्ष मेरी सरकार रही, उतने वर्ष आपकी सरकार को भी हो गए हैं, जबकि आप मेरी बात कह रहे हो, आप 8 वर्ष में क्या करते रहे।

श्री मनोहर लालः हुड्डा जी, आप बहस मत करिये। मैं आपकी और अपनी बात भी कह रहा हूं, लेकिन हम गलत बात कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः मुख्यमंत्री जी, इसमें बहस की कोई बात नहीं है। आपको मेरे तजुर्बे से कुछ सीखना चाहिए। हमने गेस्ट टीचर भर्ती किये थे जिस तरह से आपने ये कौशल रोजगार निगम बनाया है। आज तक उन गेस्ट टीचर्स की पक्के होने की कोई सुविधा नहीं हुई। उनको कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता था। तो आप ऐसा काम क्यों कर रहे हैं ?

श्री मनोहर लालः हुड्डा साहब, आप मेरी एक छोटी–सी बात सुन लीजिए कि–

आईना उठाया ना करो, आईना उठाओ तो पहले खुद
देखा करो और बाद में किसी दूसरे को दिखाया करो।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः मुख्यमंत्री जी, यही बात मैं कह रहा हूं कि आईना तो आपने उठाया है। मैं उठा दूंगा आपका आईना तो छोड़ो इस बात को मैं आपसे कन्सर्ड नहीं हूं, मैं हरियाणा के युवाओं के भविष्य के लिए कन्सर्ड हूं जिनके साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो कौशल रोजगार निगम योजना है यह युवाओं के भविष्य के प्रति खिलवाड़ है, ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, मैं तो केवल यही बात बता रहा हूं। अगर आप कोई अच्छा काम करोगे तो वह अच्छी बात है।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, युवाओं को नौकरी देना, युवाओ को कौशल रोजगार निगम में अवसर देना हमारा काम है और हम ये करेंगे। ये सरकार आपकी तरह नहीं है कि सी.एम. बनकर फोटो खिंचवाते रहें।

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, प्लीज आमने–सामने बहस न करें। आप एक बार मुख्यमंत्री जी को बोल लेने दीजिए फिर अपना पक्ष रख लीजिए।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी, मेरा नाम लेकर कह रहे हैं और मैं बैठा सुनता रहूं।(विघ्न)

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, आप बोलिए मैं आपको बोलने के लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन इस तरह आमने–सामने बहस करना ठीक नहीं है, आप बोलिए। इसके लिए

मैं मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा। जब मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप बीच में इंटरफेयर न करें।(विघ्न)

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी, गलतियों को मान नहीं रहे हैं।

श्री अध्यक्षः मुख्यमंत्री जी, इस बात को मान रहे हैं कि अगर कोई कमी रही होगी तो उसमें सुधार करेंगे।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैंने बताया कि अगर कोई कमी रही है तो हम उसमें सुधार करेंगे, लेकिन इसके लिए केवल और केवल किसी बात का विरोध करना ठीक नहीं है। मैं एक बात और बता रहा हूं कि हमारे समय में जितने भी काम हुए हैं, उसमें कुछ शब्दों का कटाक्ष हमारे विपक्षी मित्र करते हैं कि हम आएंगे तो पी.पी. पी. को खत्म कर देंगे, हम आएंगे पोर्टल उड़ा देंगे, हम आएंगे मैरिट को फाड़कर फेंक देंगे। (विघ्न) मैं क्या कह रहा हूं मेरी बात तो पूरी सुनें।(विघ्न) हुड्डा साहब, आप पहले मेरी बात पूरी सुन लीजिए।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष जी, मुख्यमंत्री जी, हमारा नाम लेकर कह रहे हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः हुड्डा साहब, एक बार आप मुख्यमंत्री जी को बोल लेने दीजिए, उसके बाद आप बोल लेना।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, एक बार हुड्डा साहब मेरी बात पूरी सुन लें। मैं आज इस सदन में बहुत ही दावे के साथ कह रहा हूं कि जितनी ज्यादा बार ये बोलेंगे कि पी.पी.पी. को खत्म कर देंगे, पोर्टल उड़ा देंगे, मैरिट फाड़ देंगे और ये सब(विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, हमने कब कहा कि हम मैरिट को खत्म करेंगे (विघ्न)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, इन्होंने नहीं कहा, किसी और विपक्षी ने कहा होगा। मैंने आपका नाम नहीं लिया। मैंने इनका नाम नहीं लिया। (विघ्न) अध्यक्ष जी, मैंने यह कहा है कि विपक्ष के लोग कहते हैं। मेरा यह भी कहना है कि विपक्ष में कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों के अलावा और भी माननीय सदस्य हैं। (विघ्न) विपक्ष के लोग ये भी हैं। ये कह रहे हैं कि पोर्टल–वोर्टल और सरकार भी पोर्टल से चला लेना और विधान सभा तो नेवा पोर्टल से ही चल रही है। मेरा इनको यही कहना है कि हम पोर्टल को तो खूब लागू करेंगे। हम इन पोर्टल्ज़ के माध्यम से भ्रष्टाचार के खान्ने को पूरी तरह से खाली करेंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष जी, मेरा यह कहना है कि 8 साल में तो मुख्यमंत्री जी से कुछ नहीं हुआ अब ये एक साल में क्या करेंगे?

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष जी, मेरा यही कहना है हमने इतना कर दिया है कि इनको उसकी तकलीफ इसलिए हो रही है कि जो इनके इशारे से लोगों की एक फौज खड़ी हुई थी जिनका काम कमीशन खाने का और तरह–तरह की दलाली करने का था आज वो सारे के सारे काम खत्म हो रहे हैं और सभी लोग बेरोजगार हो रहे हैं। ये प्रदेश में बेरोजगारी का आंकड़ा बार–बार इसीलिए गिना रहे हैं क्योंकि प्रदेश में इनके द्वारा खड़ी की गई फौज के लोग बेरोजगार हो रहे हैं। मेरा यही कहना है कि आने वाले समय में इस प्रकार के बेरोजगारों की लाईन और लम्बी होने वाली है।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को बुगुला भक्त नहीं बनना चाहिए। आज प्रदेश में इतना भारी करप्शन है जिसका कोई हिसाब नहीं है। (विघ्न)

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य कुण्डू साहब ने अध्यापकों की भर्ती के बारे में कहा था। उसके बारे में मैंने सारी बात बता दी है। उन्होंने यह भी कहा था कि पियन (Peon) की पोस्ट के लिए भी बहुत बड़ी–बड़ी क्वॉलिफिकेशन के कैंडीडेट फार्म भर रहे हैं। इस बारे में पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार की भर्ती के लिए कोई एक रिक्वॉयरमैंट होती है उसमें जो–जो लोग एप्लाई करते हैं उनमें से एक्सपीरियंस के लोग पहले लिये जाते हैं। उनके बाद क्वॉलीफिकेशन के हिसाब से लिये जाते हैं। क्वॉलीफिकेशन के नाते से कोई भी नौकरी होती है उसमें मैरिट का मतलब होता है हॉयर क्वॉलीफिकेशन के हिसाब से नियुक्ति दी जाये क्योंकि आज की तारीख में कोई भी ऐसी कंडीशन या कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है यह किसी भी सरकार के समय में नहीं था और हमारी सरकार के समय में भी नहीं है कि किसी नौकरी के लिए एक निर्धारित क्वॉलीफिकेशन से ऊपर की क्वॉलीफिकेशन के लोग नहीं लिये जायेंगे। अगर कोई बेरोजगार है और वह अपनी मर्जी से लोअर कैटेगरी की सर्विस पर आना चाहता है तो हम उसको रोक नहीं सकते हैं। हां, उसके लिए मैदान खुला है कि वह अपनी आगे की नौकरी के लिए अपने प्रयास जारी रख सकता है। पहले कभी तो यह होता था कि इसके लिए उसको किसी भी डिपार्टमैंट से एन.ओ.सी. लेनी पड़ती थी। अब हमने एन.ओ.सी. के प्रावधान को खत्म कर दिया है। अब उसको एन.ओ.सी. नहीं लेनी है। अगर वह कहीं पर भी नौकरी कर रहा है तो उसके बाद अगर उसको एच.सी.एस. या आई.ए.एस. भी बनना है तो वह उसकी सूचना देता जाये और आगे बढ़ता जाये लेकिन

प्रारम्भ में जीवन स्टार्ट करने के लिए अगर उसको छोटी नौकरी भी मंजूर है तो वह उसको लेगा। यह उसके हित में है और इससे उसको आगे बढ़ने में भी सुविधा मिलेगी। अगली बात मैं यह बताना चाहूंगा कि एस.के.आर.एन. में भी जब ये कई तरह की पोस्टें आयेंगी तो हमने उसमें यह भी नियम बनाया हुआ है कि पहले हॉयर एजुकेशन की पोस्टों को भरा जायेगा। मानो अगर दस पोस्टें एम.ए. के लिए उपलब्ध हैं तो एम.ए. वालों को उसका अवसर दिया जायेगा। इसके बाद अगर बी.ए. वालों की पोस्टें उपलब्ध हैं तो उसमें एम.ए. वाला भी आयेगा और बी.ए. वाला भी आयेगा। इसके बाद अगर प्लस टू की पोस्टें हैं और बचे हुए अगर ग्रेजुएट व पोस्ट ग्रेजुएट कैंडीडेट प्लस टू की पोस्टें लेना चाहते हैं तो वे उसनकी भर्ती की प्रोसैस में भी शामिल हो सकते हैं। इस प्रकार से हॉयर एजुकेशन के लोगों को नौकरी में प्रॉयोरिटी दी जायेगी। उनके बाद में जो कैंडीडेट उपलब्ध होंगे उनको नौकरी मिलेगी।

श्रीमती किरण चौधरी : अध्यक्ष जी, मैं केवल यह बात जानना चाहती हूं कि जो बाकी जगहें हैं वहां पर principle of reservation for SC and OBC क्यों फोलो नहीं किया जा रहा है?

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष जी, इस बारे में मैं यह बताना चाहता हूं कि रिजर्वेशन के प्रिंसीपल को फोलो किया जाता है। इसमें यह किया जाता है कि पहले रिजर्वेशन कैटेगरीज के लोगों को उसमें से निकालकर नियुक्ति दी जाती है। अगर मानो रिजर्वेशन का क्राईटेरिया पूरा हो जाता है। मान लीजिए कि एस.सी. कैटेगरी की रिजर्वेशन 20 परसैंट हैं और एस.सी. कैटेगरी के 20 परसैंट कैंडीडेट पूरे हो जाते हैं। उसके बाद बी.सी. "ए" और बी.सी. "बी" के क्रमशः 11 और 16 परसैंट कैंडीडेट लिये जाते हैं। इसके बाद जब रिजर्वेशन की कैटेगरी के लोग पूरे हो जाते हैं तो फिर शुरू से लेकर नीचे तक ओपन में सभी को लिया जाता है। उसमें जनरल कैटेगरी के लोग भी आते हैं, उसमें बचे हुए एस.सी. व बी.सी. के लोग भी आयेंगे। इसी प्रकार से बी.सी. "ए" और बी.सी. "बी" के लोग भी आयेंगे। इसी कारण से अभी तक एस.के.आर.एन. में जितनी भर्तियां की गई हैं उनमें 37 परसैंट एस.सी. कैटेगरी के लोग हैं। इसी प्रकार से बी.सी. "ए" और बी.सी. "बी" के लोग 27 परसैंट चाहिएं वे 27.4 परसैंट हैं इसलिए ये कहीं कम नहीं हुए हैं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष जी, वे लोग तो अपनी मैरिट के आधार पर हो गये होंगे लेकिन इसमें उनकी कोई रिजर्वेशन तो नहीं है।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, रिजर्वेशन के कोटे से ज्यादा उन लोगों की हाजिरी हो यह हमारा प्रयत्न है। अगर हम पी.जी.टी. की बात करें तो यह स्वाभाविक है कि एस.सी. और बी.सी. में पी.जी.टी. के कैंडिडेट्स कम मिलेंगे। अगर बी.सी. के कैंडिडेट्स नहीं मिलते हैं तो उनको ओपन करके भर लिया जायेगा लेकिन उन पदों को खाली नहीं छोड़ा जायेगा। सरकारी नौकरी में तो उसका बैकलॉग छोड़ कर आगे बढ़ा जाता है लेकिन यह चूंकि टैम्पोरेरी नौकरी है और इसमें हमें काम करने के लिए अर्जेंट आदमी चाहिएं। अगर किसी रिजर्व कैटेगरी में कैंडिडेट्स उपलब्ध नहीं हैं तो उसको सामान्य से भरकर उस साल के लिए लगा लिया जायेगा। आगे फिर जरूरत पड़ेगी तो जितना उनका रिजर्वेशन का कोटा बनता है वह लेकर फिर अगर खाली बचती हैं तो उनको कहीं से भी भरा जायेगा। हमें तुरन्त काम करने के लिए आदमी चाहिएं और अगर हम इंतजार में रहेंगे तो ये पोस्ट्स खाली रह जायेंगी। फिर इसका नम्बर बढ़ाना पड़ेगा, तो जितना नम्बर दिया हुआ है उस हिसाब से इसमें भर्ती की जाती है। जहां तक लिस्ट की बात है तो लिस्ट इसलिए नहीं बनाई जाती कि जो क्राइटेरिया तय कर लिया है उस क्राइटेरिया के हिसाब से जो लोग अपर आते हैं उन सभी को ऑफर लैटर भेज दिया जाता है। अगर लिस्ट बनायेंगे तो वह तो लाखों की बनेगी इसलिए जो क्राइटेरिया है उसमें जिनका सलैक्शन हो गया वह कम्प्यूट्राइज्ड है। एक चीज जो अभी तक नहीं हो रही थी उसको हम करेंगे कि क्राइटेरिया के मार्क्स क्या–क्या हैं। आज यह विषय ध्यान में आ रहा है और हम इसको ओपन करेंगे कि मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार योजना के कैंडिडेट्स को इतने मार्क्स मिलेंगे, 1.80 लाख तक की लिमिट वाले कैंडिडेट्स के इतने मार्क्स मिलेंगे, 1.40 तक के इतने मार्क्स तथा 2.00 लाख तक इतने मार्क्स मिलेंगे। हम यह सारा क्राइटेरिया डाल देंगे। उसमें आयु, जिला और ब्लॉक का भी क्राइटेरिया डाल देंगे। उसके बाद घर बैठे ही कोई भी अपने मार्क्स देख सकता है तथा देखने के बाद कट ऑफ लिस्ट के साथ अपने मार्क्स का मिलान कर सकता है। अगर कट ऑफ से नीचे रह गया तो नौकरी नहीं मिलेगी और अगर कट ऑफ से ऊपर आ गया तो उसको नौकरी मिल जायेगी।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि आपने क्राइटेरिया की बात की है वह अच्छी बात है। गरीब से गरीब आदमी को भी नौकरी मिलनी चाहिए, उनको नौकरियों में प्राथमिकता मिलनी चाहिए लेकिन सवाल यह है कि इसको तय कौन कर रहा है? परिवार पहचान पत्र सही तरह से जस्टीफाई नहीं कर पा रहा है क्योंकि इसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं इसलिए

यह हमें मंजूर नहीं है। मेरा यही कहना है कि आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से भर्तियां न करें। अगर आपने हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से ही भर्तियां करनी हैं तो हमारे एच.एस.एस.सी. और एच.पी.एस.सी. क्या करेंगे? आप यह भी बताइये कि क्या एच.पी.एस.सी. और एच.एस.एस.सी. में भी यही क्राइटेरिया लागू होगा, क्या वहां पर भी आप कोई एग्जाम और इन्टरव्यू नहीं लेंगे? कल जब आप रेगुलर भर्ती निकालते हैं, और ये ही लोग अप्लाई करते हैं तो क्या इनका कोई एग्जाम या इन्टरव्यू नहीं होगा? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष ने जो नौकरियां बताई हैं वे सभी पक्की सरकारी नौकरियां हैं परमानैंट नौकरियां हैं तथा परमानैंट नौकरियों का क्राइटेरिया एक दम अलग होता है लेकिन जो आउटसोर्सिंग की नौकरियां हैं, टैम्पोरेरी नौकरियां हैं जो हम एक साल के लिए जरूरतमंद को दे रहे हैं इनका और पक्की नौकरियों का मुकाबला नहीं किया जा सकता है। ये सभी लोग पक्की नौकरियों के लिए अप्लाई करेंगे और एग्जाम देंगे। यदि पास होंगे तो वे नौकरी भी प्राप्त कर लेंगे।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि क्या सरकार पक्की नौकरियों को खत्म करना चाहती है, क्या सरकार सिर्फ कच्ची नौकरियां ही लगायेगी?

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं एक नई घोषणा कर रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि समय–समय पर व्यवस्था में बहुत सारे चेंजिज होते रहते हैं। उसमें सबसे पहली बात यह होती है कि किस विभाग में कितनी पोस्ट्स चाहिएं, कितनी जरूरत है, कितनी भरी हुई हैं तथा कितनी खाली हैं। समय के साथ–साथ इसमें बहुत से चेंजिज होते रहते हैं। मैं दो चेंजिज सदन के ध्यान में लाना चाहता हूं। एक चेंज तो यह है कि अब टैक्निकल युग आ गया है और टैक्निकल युग की बात आती है तो फिर वही पोर्टल वाली बात आ जाती है। अब आई.टी. के युग में बहुत सी चीजें ऑनलाइन हो गई हैं। मैनुअली पहले जितने लोगों की जरूरत होती थी अब उतने लोगों की जरूरत नहीं रह गई है। अगर हमें अच्छी सरकार की व्यवस्थाएं बनानी हैं यानि इसको इफैक्टिव करना है, समय पर करना है, कॉस्ट इफैक्टिव करना है तो हमें हर विभाग के सिस्टम को दोबारा से रैशनेलाइज करना पड़ेगा। कितनी पोस्ट्स की जरूरत है उस हिसाब से पोस्ट्स सैंक्शन करवायेंगे। नये सिरे से हर साल फिर

जरूरत पड़ेगी तो फिर सैंक्शन करवायेंगे लेकिन अगर कहीं पर पहले से पोस्ट्स अधिक हैं और आज उतनी जरूरत नहीं है तो उनको कम करने की भी आवश्यकता पड़ेगी, उनको कम भी करेंगे लेकिन यह काम सरकार अपने आप नहीं कर सकती। हमने विभागों में इसके लिए बहुत कोशिश की है क्योंकि विभाग का सोचने का अपना एक तरीका है। इसके लिए हमने यह विचार किया है कि हम रैशनेलाइजेशन कमीशन बनायेंगे। यह कमीशन इंडिपैंडैंटली हरेक विभाग में कितनी पोस्ट्स की जरूरत है वह हमें रिपोर्ट देगा। उसके बाद डिपार्टमैंट उसको स्वीकार करेगा और स्वीकार करने के बाद ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है तो बढ़ाएंगे और कम करने की जरूरत है तो कम करेंगे। अब मैं इसका दूसरा उदाहरण बता रहा हूं।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, 14000 स्कूल्ज से लेकर 9700 स्कूल्ज रह गये और पोस्ट खत्म हो गई। बेरोजगारी बढ़ रही है तभी तो हमारा हरियाणा बेरोजगारी में नम्बर–1 पर आया है। आप इस रैशनेलाइजेशन के चक्कर में बेरोजगारी को बढ़ा देंगे।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं बेरोजगारी के ऊपर भी बोलूंगा। आज मैंने संभाला है तो इसलिए संभाला है ताकि सबकी तसल्ली हो जाए। जहां तक स्कूलों की बात है उस संबंध में मैं जो बात बताने जा रहा हूं उस पर पता नहीं आप खुश होंगे या चिन्ता का विषय होगा। अब हमारी आबादी की दर लगातार कम हो रही है। जीरो से लेकर 10 साल तक अब हमारी आबादी मात्र 9 प्रतिशत है और 10 साल से 20 साल तक 12 प्रतिशत है तथा 20 साल से 30 साल तक 18 प्रतिशत है। अगर नीचे का बैच ज्यादा हो तो ऊपर स्वाभाविक है प्राकृतिक तौर पर कम होने की सम्भावना बनी रहती है लेकिन नीचे कम है और ऊपर ज्यादा है तो इसका मतलब हमारी आबादी की दर कम होती जा रही है। अगर आबादी की दर कम हो रही है तो ये आंकड़े मेरे ऑथैंटिक आंकड़े हैं इनकी आप कहीं से भी इंक्वायरी कर लेना। अगर आबादी की दर कम हो रही है तो स्कूलों में बच्चे कम हो जाएंगे। अगर बच्चे कम होंगे तो हमें सिस्टम को रिवाईज तो करना ही पड़ेगा। अब जे.बी.टी की बात आती है। जे.बी.टी. की आज जितनी स्वीकृत पोस्टें हैं उनमें आज भी 30–40 हजार पोस्टें खाली दिखाई जाती हैं। जबकि आज गैस्ट टीचर लगाने के बाद वे टीचर हमारे सरप्लस हो गये हैं। सरप्लस को बचाया कैसे जाए उसके बारे में पिछली बार भी सैशन में बताया गया था कि जो नॉर्म्स One is to thirty था उसको हमने one is to twenty five किया है ताकि हम गैस्ट टीचर्स को खपा सकें। ये तो मैंने एक उदाहरण

दिया है। ऐसे ही हर क्लास में या हर मिडिल स्कूल में प्राईमरी टीचर्स कितने, टी.जी.टी. कितने और पी.जी.टी. कितने हैं। अब वे सारे टी.जी.टी., पी.जी.टी. टीचर्स सब्जैक्ट वाईज चाहिएं। पी.आर.टी. टीचर्स तो सब्जैक्ट वाईज नहीं चाहिए। इस प्रकार से उन सबका मूल्यांकन करना पड़ेगा। स्कूलों में विद्यार्थी कितने हैं वह भी देखना पड़ेगा। ऐसे–ऐसे प्राईमरी स्कूल्ज भी हैं जिनमें केवल पांच–आठ या दस बच्चे हैं और नॉर्म्स क्या हैं कि किसी भी सरकारी स्कूल में दो पी.आर.टी. टीचर्स होने जरूरी हैं। अगर हम 10 बच्चों पर 2 पी.आर.टी. टीचर्स रखेंगे तो हमें सिस्टम को संभालना है या नहीं संभालना। इसी वजह से हमने 145 स्कूल्ज बंद किये हैं। वे स्कूल्ज बंद इसलिए किये हैं क्योंकि उनमें बच्चों की संख्या 20 से कम थी। हमने उन स्कूल्ज को वाहन व्यवस्था दी है जिसकी व्यवस्था बच्चे के पेरेंट्स या स्कूल टीचर्स करेंगे। हमने उनके वाहन का पैसा प्रति बच्चा प्रति किलोमीटर के हिसाब से तय कर दिया है कि हम उन स्कूल्ज को जो एक किलोमीटर से ज्यादा दूर हैं ट्रांसपोर्ट के लिए इतना पैसा रिलीज करेंगे। अगर कोई स्कूल एक किलोमीटर के अन्दर है तो उसके लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। हमें कई जगह तो यह स्थिति भी देखने को मिली है कि एक किलोमीटर के अन्दर एक ही गांव में दो स्कूल्ज हैं। कई बार हमें गांवों में पोलिटीकल डिसीजन करवा लेते हैं लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा उसका ध्यान करना चाहिए। उसी प्रकार से हम बिल्डिंग्ज के ऊपर बात करेंगे। आज बिल्डिंग्ज की बहुत उपयोगिता है। हमें अच्छे पंचायत घर भी चाहिए। हमें अच्छी लाईब्रेरी बनानी हैं, हमें अच्छे कॉम्यूनिटी सैंटर बनाने हैं। इन सब के लिए हम उन स्कूल्ज के मैदान का उपयोग करेंगे। केवल बिल्डिंग के लिए हम अध्यापकों को लगाएंगे ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि अध्यापक हमारे बच्चों की आवश्यकता है। हमारा टारगेट बच्चों को पढ़ाना है। बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें जितने जरूरी अध्यापक चाहिएं उतने हम रखेंगे लेकिन अध्यापकों को नौकरी देनी है या अध्यापकों को इम्प्लाईमैंट देनी है तो अध्यापकों को इम्प्लाईमैंट देने का जहां तक विषय है उसको भी मैं स्पष्ट कर देता हूं। क्या आज हम सभी को सरकारी नौकरी में इम्प्लाईमैंट दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। हमारे यहां 20 साल से 60 साल तक लोग 57 प्रतिशत हैं। यह 57 प्रतिशत आबादी लगभग डेढ़ करोड़ हो गई। अब डेढ़ करोड़ से ऊपर हमारी इम्प्लाईमैंट तो 3 से 4–5 लाख है। अगर आउटसोर्सिंग को भी मिला लेंगे तब भी 5 लाख से ऊपर नहीं हैं। अगर हमने 5 लाख लोगों को इम्प्लाईमैंट देना है। अगर हम उसको 30 प्रतिशत से भी डिवाईड कर लें तो 20 हजार से ज्यादा नहीं बनते हैं। आखिर 30

प्रतिशत नौकरी करते हैं या 25 प्रतिशत भी नौकरी करते हैं तब भी 20 हजार हो गये। हम एक साल में 20 हजार से ज्यादा सरकारी पक्की नौकरी ऑन एवरेज नहीं दे सकते हैं। हमने पिछले सात–आठ साल में एक लाख नौकरी दी हैं इससे ज्यादा नहीं दे पाए अभी भी और दो साल में 50–60 हजार या एक लाख जितनी भी बनेंगी उसमें हम प्रयत्न कर रहे हैं कि हम अपनी सारी जरूरतों के हिसाब से एच.पी.एस.सी. की नौकरी एच.पी.एस.सी. में, स्टाफ सलैक्शन कमीशन स्टाफ में और जहां एच.के.आर.एन.एल. में इमीजियेट जरूरत है वे करके भर्ती को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। कोविड के दिनों में हमारा बैकलॉग जरूर हुआ है लेकिन अब हम उन सबको पूरा करेंगे इसलिए मैंने रोजगार पर भी बताया, एच.के.आर.एन.एल. पर भी बताया, क्राइटेरिया भी बताया, मैरिट में क्वालिफिकेशन ये होगी इन सबके बारे में मैंने बताया है। कोई किसी के साथ भाई–भतीजावाद नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि किसी के कहने पर हमने नौकरी दी हो। मैं चैलेंज करता हूं कि हमारे जितने विधायक हैं।(विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, एच.पी.एस.सी. में क्या हुआ है वह सभी को पता है।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं एच.के.आर.एन.एल. का चैलेंज कर रहा हूं कि 90 के 90 विधायक चाहे वह विपक्ष के हों, चाहे सत्ता पक्ष के हों किसी के भी रिश्तेदार को नौकरी लगाकर दिखा दो तो मैं कह दूंगा कि सिफारिश हुई है। किसी एक विधायक का भी नजदीकी रिश्तेदार नौकरी लगा कर दिखा दो। मुझे पता है कि बहुत गरीब परिवारों के बच्चे लगे हैं। (विघ्न) आज आप एच.के.आर.एन.एल. की बात कीजिए। एच.पी.एस.सी. के बारे में भी मैं बता दूंगा और आज से नहीं पिछले 30 सालों में क्या–क्या कहानियां हुई हैं वे सारी कहानियां बता दूंगा (विघ्न) मैं ठीक काम कर रहा हूं तभी तकलीफ है। विपक्ष के सभी लोगों को अगर तकलीफ है तो यही है कि ठीक काम क्यों हो रहा है।(विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि आईना देखना चाहिए तो मैंने उनका आईना देख लिया है। दिल में कुछ और मुंह पर कुछ।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, ''आईना कहीं भी टूटे, नाम मेरा ही आता है। क्या मैं पत्थर हूं जो मेरे ही सिर पर ये सब इल्जाम लगाये जाते हैं।'' मैं पत्थर नहीं हूं मेरा भी दिल है। मित्रों, मैंने ये सारी बातें आपको बताई हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जितना विषय है वह मैंने सारा स्पष्ट किया है। मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कोई बात बची होगी।

वॉक–आउट

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, आज भी मैं कह रहा हूं कि यह युवाओं के हित में नहीं है। मुख्यमंत्री जी ने बड़े तक्सीम में जवाब दिया है लेकिन एण्ड क्या हुआ? 'पतनाला वहीं पड़ेगा' यह हमारे को मंजूर नहीं है। इसलिए हम वॉकआउट करते हैं।

(इस समय सदन में उपस्थित इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सभी सदस्य हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा भर्ती से संबंधित कालिंग अटैंशन मोशन नं. 17 पर मुख्यमंत्री जी द्वारा दी गई क्लैरिफिकेशन से असंतुष्ट होकर एज ए प्रोटैक्ट सदन से वॉकआउट कर गये।)

श्री बलराज सिंह कुंडू : अध्यक्ष महोदय *** (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : बलराज कुंडू जी, प्लीज आप बैठिये। (विघ्न)

श्री बलराज सिंह कुंडू : अध्यक्ष महोदय *** (विघ्न)

श्री अध्यक्ष : बलराज कुंडू जी, जो बोल रहे हैं, उसको रिकॉर्ड न किया जाए।

नगर निगम, पंचकुला के महापौर एवं पार्षदों/नव निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य खंड विकास समिति रायपुर रानी तथा नव निर्वाचित सरपंच एवं सदस्य पंचायत समिति, पटौदी का अभिनन्दन

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज सदन में पंचकूला नगर निगम के महापौर एवं पार्षद अध्यक्ष दीर्घा में सदन की कार्यवाही देखने के लिए उपस्थित हैं। मैं अपनी और सदन की तरफ से उनका अभिनन्दन करता हूं।

माननीय सदस्यगण, आज सदन में रायपुर रानी के खंड विकास समिति के नव निर्वाचित अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं सदस्य अध्यक्ष दीर्घा में सदन की कार्यवाही देखने के लिए उपस्थित हैं। मैं अपनी और सदन की तरफ से उनका अभिनन्दन करता हूं।

माननीय सदस्यगण, आज सदन में पटौदी क्षेत्र के पंचायत समिति के नव निर्वाचित सदस्य एवं सरपंच दर्शक दीर्घा में सदन की कार्यवाही देखने के लिए उपस्थित हैं। मैं अपनी और सदन की तरफ से उनका अभिनन्दन करता हूं।

*** चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव–

(ii) नई प्रॉपर्टी आई.डी. बनाने संबंधी

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, मुझे श्री भारत भूषण बतरा, विधायक तथा दो अन्य विधायकों सर्वश्री वरूण चौधरी तथा सुभाष गांगोली द्वारा नई प्रॉपर्टी आई.डी. को बनाने में सरकार द्वारा एकत्र किए गए गलत डेटा से संबंधित ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 20 प्राप्त हुई है। मैंने इसको स्वीकार कर लिया है।

इसी प्रकार से ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 22 जोकि श्री जगबीर सिंह मलिक, विधायक द्वारा दी गई है, समान विषय का होने के कारण इसे ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 20 के साथ जोड़ दिया गया है। श्री जगबीर सिंह मलिक, विधायक भी सप्लीमैंट्री पूछ सकते हैं।

इसी प्रकार से ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 32 जोकि श्री नीरज शर्मा, विधायक द्वारा दी गई है, समान विषय का होने के कारण इसे ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 20 के साथ जोड़ दिया गया है। श्री नीरज शर्मा, विधायक भी सप्लीमैंट्री पूछ सकते हैं। अब श्री भारत भूषण बतरा, विधायक अपनी सूचना पढ़ें।

Shri Bharat Bhushan Batra: Speaker Sir, I alongwith Shri Varun Chaudhary, MLA and Shri Subhash Gangoli, MLA want to draw the kind attention of this august House towards a matter of great importance that the Government under Municipal Corporation Act 1994 took an ambitious project to make Property Survey Data of the area within Municipal Committee/Corporation etc. To streamline the property tax data is the responsibility of the Urban Local Bodies. Survey has been assigned to firm YCSPL. The survey has not been done properly and no physical verification of property. Wrong data has been collected by the Government. There is complaint by the public at large. People are being harassed. It is breeding corruption. System is causing failure. Survey of lac of property is still pending. Residents/ property holders are deprived to sell their property. A property holder is also deprived of to sell part of the portion of plot or property without formation of new PID. Before registration of the property NOC is required from the ULB Department. People are facing great hardship in selling and purchasing the property.

Right to property is constitutional right. Mixed use of property is not properly being marked in the record. It is just an entry in the record and it does not create ownerships rights. For registration of property for selling/purchasing, proposition of property ID and NOC compulsory is not correct. The Government should make a statement on the floor of the House.

Calling Attention Notice No.22

Clubbed with admitted calling attention notice no. 20

Shri Jagbir Singh Malik: I want to draw the kind attention of this august House towards a matter of great importance that the property survey of 80 cities of Haryana was conducted by Yashi Company of Jaipur with the estimated cost of Rs. 18.11 crore with the condition that if 20% of its survey if found wrong the contract will be cancelled. That the survey of this company was found about 95% wrong. It was found commercial property has been shown as Residential Property and Residential Property has been shown commercial property, vacant plot has been shown as constructed house and constructed house has been shown as plot. Single story has been shown as double story. Somewhere wrong telephone No., wrong address etc. have been shown in the survey, owner name has been wrongly shown, tenant of shop has been shown as owner etc. That a Govt. has issued a circular on dated 28.05.2021 that without taking property ID and NOC from local body no property can be sold or purchased and this has caused great inconvenience to the public. Haryana govt. has launched Tatkal Scheme for correction of the wrong entry of property ID and fee of Rs. 5000 will be charged from the applicant thus for the wrong of company people are being penalized without their fault. That in villages survey also the same above-mentioned shortcoming have been done like wrong ownership, wrong area and the owners who were living in the cities have not been shown as owner the whole property of family has been shown in name of single person like- wise where the Abadi Deh has been got partitioned through civil court and the property number ownership

have been changed and this property ID of the company cannot override the decree of Civil Court. Lal Dora has been wrong fixed and this has disturbed the whole property survey. In view of the above facts the Govt. should make a statement of the floor of house regarding action taken on these surveys.

ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 32
स्वीकृत ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 20 के साथ संलग्न

श्री नीरज शर्मा: मैं, नगर निगम क्षेत्र के अधीन हुए गलत प्रोप्रटी आईडी के सर्वे बारे इस महान सदन का ध्यान एक अति लोक हित के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि सरकार ने नगरपालिका निगम अधिनियम 1994 के तहत संपत्ति कर डेटा को सुव्यवस्थित करने के लिए नगरपालिका समिति निगम आदि के क्षेत्र के संपत्ति सर्वेक्षण डेटा बनाने के लिए एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है। शहरी स्थानीय निकाय सर्वेक्षण की जिम्मेदारी वाईसीएसपीएल फर्म को सौंपी गई है। सर्वेक्षण ठीक से नहीं किया गया है और संपत्ति का कोई भौतिक सत्यापन नहीं किया गया है। सरकार द्वारा गलत डेटा एकत्र किया गया है, बड़े पैमाने पर जनता की शिकायते है। लोगों को परेशान किया जा रहा है। भ्रष्ट प्रणाली विफलता का कारण बन रही है। लाखों मकानों का सर्वे अभी भी बाकी है। प्लाट धारक/निवासी अपनी संपत्ति बेचने से वंचित हैं। संपत्ति धारक को नई प्रोपटी आईडी के प्रारूप के बिना भूखंड या संपत्ति के हिस्से का हिस्सा बेचने से भी वंचित होना पड़ता है। संपत्ति के पंजीकरण से पहले शहरी स्थानीय निकाय विभाग से एनओसी आवश्यक है। लोगों को जमीन/जायदाद बेचने और खरीदने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। संपत्ति पर अधिकार संवैधानिक अधिकार है। संपत्ति के मिश्रित उपयोग को रिकॉर्ड में ठीक से अंकित नहीं किया जा रहा है। यह रिकॉर्ड में केवल एक प्रविष्टि है और यह स्वामित्व अधिकार नहीं बनाता है। बिक्री और खरीद के लिए संपत्ति के पंजीकरण के लिए संपत्ति आईडी और एनओसी अनिवार्य का प्रस्ताव सही नहीं है। इस मामले में पर सदन में विस्तृत चर्चा की जाए।

वक्तव्य–

शहरी स्थानीय निकाय एवं आवासीय मंत्री द्वारा उपरोक्त ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संबंधी

शहरी स्थानीय निकाय एवं आवासीय मंत्री (डॉ. कमल गुप्ता): अध्यक्ष महोदय, तीन ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 20, 22 और 32 स्वीकृत हुए हैं। ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 32 की सभी बातें ध्यानाकर्षण सूचना संख्या 20 में लिखी हुई हैं। इन ध्यानाकर्षण सूचनाओं के विस्तृत उत्तर सभी को भिजवा दिये हैं तथा नेवा (राष्ट्रीय ई–विधान एप्लीकेशन) पर अपलोड कर दिये गये हैं। तथापि, मैं इन तीनों ध्यानाकर्षण सूचनाओं की मुख्य बिंदू संक्षिप्त तौर पर प्रस्तुत कर रहा हूँ जो इस प्रकार हैः–

1. यह महसूस किया गया कि पालिकाओं की सीमा के भीतर स्थित प्रत्येक प्रॉपर्टी की पहचान करके 100 प्रतिशत हाउस टैक्स इक्ट्ठा करने का प्रयास किया जाना चाहिए। इस प्रकार, यह निर्णय लिया गया कि पालिका सीमा के भीतर आने वाली सभी प्रॉपर्टियों की पहचान उनकी नेचर के अनुसार न होकर अपितु प्रॉपर्टी आई.डी. के अनुसार होनी चाहिए।

2. सरकार ने वर्ष 2018 में राज्य में सभी प्रॉपर्टियों का एजेंसी के माध्यम से सर्वे करवाने के लिये आर.एफ.पी. (Request for Proposal) जारी करने का फैसला किया और टैंडर प्रक्रिया के माध्यम से मै0 याशी कंसल्टिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटड का चयन किया गया था। इस कार्य हेतु राज्य को छह कलस्टरों (डिवीजनों) में बांटा गया तथा इन सभी कलस्टरों का काम एजेंसी को दिनांक 04.10.2018 को दिया गया। दिनांक 13.08.2019 को एग्रीमेंट साईन हुआ। एजेंसी को निम्न तीन चरणों में कार्य करना थाः–

(क) प्रथम चरण – राज्य की सभी प्रॉपर्टी (भूमि एवं भवन) का शत प्रतिशत जी.आई. एस. आधारित सर्वे।

(ख) दूसरा चरण– पहले चरण समाप्ति के बाद अगले चार वर्षों तक ऑपरेशन व मैंटीनैंस जिसमें सप्लीमैंट्री सर्वे भी शामिल है।

(ग) तीसरा चरण– विभाग/पालिकाओं द्वारा दिये जाने वाले बेस मैप के साथ प्रॉपर्टी सर्वे डाटा का मिलान करना।

3. टैण्डर रेट के माध्यम से प्रत्येक प्रॉपर्टी के जो रेट फाइनल किये गये मैं उनके बारे में बताना चाहता हूं । फेज–1 में अम्बाला का प्रति प्रॉपर्टी दर 170 रुपये, फरीदाबाद

का प्रति प्रॉपर्टी दर 190 रुपये, गुरूग्राम का प्रति प्रॉपर्टी दर 190 रुपये, हिसार का प्रति प्रॉपर्टी दर 180 रुपये, करनाल का प्रति प्रॉपर्टी दर 180 रुपये और रोहतक का प्रति प्रॉपर्टी दर 170 रुपये था ।

4. वर्ष 2017—18 में संबंधित पालिका के पास उपलब्ध प्रॉपर्टी रिकॉर्ड के अनुसार इन सभी 6 कलस्टरों में 32,06,839 प्रॉपर्टियां थी । इसके अनुसार प्रथम चरण मुबलिक 57.55 करोड़ रुपये का था । कार्य आबंटन के समय पालिकाओं की संख्या 81 थी ।

इस सर्वे के दौरान पालिकाओं की संख्या बढ़कर 93 हो गई थी तथा कई पालिकाओं के क्षेत्र भी बढ़ा/घटा था । वर्तमान में कुल 83 पालिकाएं हैं । सर्वे में प्रॉपर्टियों की संख्या बढ़कर 42,75,579 हो गई है । इस प्रकार प्रथम चरण की लागत भी बढ़कर 77.12 करोड़ रुपये हो गई है ।

पूर्व में राज्य भर में हाउस टैक्स के मूल्यांकन की गई प्रॉपर्टियों (32,06,839) का कर निर्धारण 540.56 करोड़ रुपये तथा वर्तमान सर्वे की गई सम्पत्तियों का कर निर्धारण 924.11 करोड़ रुपये हो गया है । पूरे राज्य में सम्पत्तियों की संख्या में 33 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि है ।

एजेंसी को अभी तक 57.50 करोड़ की राशि का एजेंसी को भुगतान भी किया गया है ।

5. वर्ष 2019 में प्रॉपर्टी सर्वे शुरू किया गया था और यह देखा गया कि मालिक/किरायेदार का नाम, प्रॉपर्टी श्रेणी, उप—श्रेणी आदि समय—समय पर बदल गई हैं । साथ ही सर्वे के दौरान जो प्लॉट खाली और निर्माणाधीन बताए गए थे, उन प्लॉटों पर पिछले दो—तीन वर्षों में निर्माण भी हो गये । इसके अतिरिक्त बहुत से निवासियों ने सर्वे करने की अनुमति नहीं दी और कुछ निवासियों ने सर्वेक्षण के दौरान सही जानकारी भी नहीं दी । बंद प्रॉपर्टियों पर कोई मकान नंबर भी अंकित नहीं था तथा खाली प्लॉट पर कोई पहचान चिन्ह नहीं था । ऐसी सभी प्रॉपर्टियों के घर का नंबर सर्वे के दौरान दर्ज करना कभी भी संभव नहीं था ।

इसके अलावा हाउस टैक्स का नोटिस या नो ड्यूज सर्टिफिकेट किसी भी प्रॉपर्टी के लिए मालिकाना अधिकार नहीं देता है । प्रॉपर्टी डाटा में सर्वे के दौरान नागरिकों द्वारा प्रदान किये गए मालिक/किरायेदार के नाम दर्ज किये जाते हैं । इस मुद्दे पर जांच रखने और किसी भी त्रुटि को दूर करने के लिए विभाग द्वारा निम्नलिखित कार्रवाई की गई —

(क) प्रॉपर्टी मैनेजमैंट सिस्टम (पी.एम.एस.) (www.pmsharyana.com) पोर्टल एजेंसी (मै. याशी कंसल्टिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड) के द्वारा सर्वे के दौरान डाटा के सुधार के लिए बनाया गया ताकि नागरिकों से दावे और आपत्तियां प्राप्त करके दुरुस्त की जा सके । साथ ही एजेंसी (YCSPL) के द्वारा सर्वे डाटा के आधार पर कर निर्धारण सूचना वितरित किये गए ताकि नागरिक कर निर्धारण सूचना को समझकर अपने दावे या आपत्ति दर्ज कर सकें ।

(ख) नागरिक अपने दावे/आपत्तियों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से या पालिकाओं में अपने दस्तावेज जमा करवाकर दर्ज कर सकता है । नागरिकों से प्राप्त दावे/आपत्तियों को सभी पालिकाओं को एक निर्धारित समय सीमा के भीतर इनका समाधान करना होता है ।

(ग) डाटा को लाइव किये जाने से पहले ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से नागरिकों से प्राप्त कुल दावे/आपत्तियां 3,10,395 थी और सभी आपत्तियों का सर्वे एजेंसी द्वारा संबंधित पालिका के साथ मिलकर समाधान किया गया था ।

(घ) पालिकाओं द्वारा सत्यापन के बाद सर्वे की गई प्रोपर्टीयों को प्रापर्टी टैक्स पोर्टल पर लाइव कर दिया गया।

(ङ) पालिकाओं द्वारा डाटा की दैनिक निगरानी की जा रही है और किसी भी डाटा सुधार या अपडेशन के संबंध में नागरिकों से प्राप्त आपत्तियों का संबंधित पालिका द्वारा समयबद्ध तरीके से समाधान किया जा रहा है।

6. माह नवम्बर, 2022 से दिनांक 21.12.2022 तक एन0डी0सी0 पोर्टल पर कुल 2,21,691 आपत्तियां प्राप्त हुई हैं जिनमें निरीक्षण के बाद 1,22,232 स्वीकृत एवं 66,368 अस्वीकृत की गई हैं। कुल 33,091 आपत्तियां निपटान हेतु अभी भी शेष हैं जिनमें से 31,544 आपत्तियां पालिका स्तर पर तथा 1,547 आपत्तियां नागरिकों के पास दस्तावेज एवं सूचना देने के फलस्वरुप लम्बित हैं। इन 31,544 आपत्तियों में केवल 680 आब्जैक्शन आर0टी0एस0 (Right to Service) के अन्तर्गत आते हैं। आर0टी0एस0 में आब्जैक्शन की श्रेणी के अनुसार रिजॉल्व करने के लिए 10 से 45 कार्य दिवस का समय दिया जाता है।

7. सर्वे के आकार एवं इसकी व्यापकता के मध्यनजर तथा इसके भविष्य में होने वाले लाभों को देखते हुए, यह कहना उचित नहीं होगा कि पूरा सर्वे गलत है क्योंकि सम्पति आई0डी0 डाटा के 100 प्रतिशत सुधार किए जाने के बाद नो ड्यूज सर्टिफिकेट (एन0डी0सी0) पोर्टल पर नागरिकों को बहुत अधिक लाभ होने वाला है।

8. यह भी नोट किया गया है कि जो आपत्तियां दर्ज की जा रही हैं, वे बड़े पैमाने पर प्रोपर्टी के स्टेट्स (अर्थात स्वीकृत/अस्वीकृत) या विकास शुल्क (development charges) के तहत सूचीबद्ध बकाया राशि के कारण हैं। यह निर्णय लिया गया है कि इस संबंध में जो नो ड्यूज सर्टिफिकेट पोर्टल पर मौजूद डाटा को निदेशायल एवं संबंधित नगर निकाय द्वारा संयुक्त रूप से ठीक किया जाएगा। इससे अधिकांश मुद्दों का समाधान होने की सम्भावना है।

9. किसी भी पालिका द्वारा 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' नाम से कोई भी प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जाता अपितु शहरी स्थानीय निकाय विभाग ऑनलाइन पोर्टल (www.ulbhryndc.org) के माध्यम से 'नो ड्यूज सर्टिफिकेट' (एन0ओ0सी0) जारी किया जाता है तथा यह राजस्व विभाग के वेब– हेलरिस पोर्टल के साथ विधिवत जुड़ा हुआ है। इस उद्देश्य के लिए शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा हरियाणा नगर निगम अधिनियम, 1994 की धारा 96क और हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 99क को दिनांक 22.03.2021 को शामिल किया है।

10. नो ड्यूज सर्टिफिकेट (एन0डी0सी0) पोर्टल से प्राप्त करने के लिए कभी– कभी नागरिकों को सम्पत्ति कर मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर तुरंत आपत्तियों के समाधान की आवश्यकता होती है और प्रतीक्षा करने की स्थिति में नहीं होते हैं। जैसा कि उन्होंने सम्पत्ति पंजीकरण के लिए आवेदन किया होता है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए, उक्त पोर्टल पर 'तत्काल समाधान' का एक नया विकल्प पेश किया गया है। नागरिक 5000/– रुपये प्रति संपति का शुल्क देकर उनके संपत्ति डाटा में निम्नलिखित त्रुटियों जैसे कि नाम में परिवर्तन, संपत्ति का पता परिवर्तन, मोबाइल नंबर में परिवर्तन, देय राशि का अपडेशन, संपत्ति के वर्ग को अपडेट करने, श्रेणी/उपयोग में परिवर्तन, स्थिति परिवर्तन, नई संपत्ति आई0डी0 के निर्माण के लिए अनुरोध, इत्यादि के लिए 'तत्काल समाधान' विकल्प के लिए आवेदन कर सकते हैं। 'तत्काल समाधान' के अंतर्गत आने वाले दावों/आपत्तियों का समाधान दो कार्य दिवस में हल किया जाना है। इस तत्काल सेवा के अतिरिक्त, पोर्टल पर एक सामान्य आपत्ति विकल्प भी निःशुल्क उपलब्ध है।

11. साथ ही शहरी स्थानीय निकायों की सीमा में समय–समय पर शामिल किये गये गांवों के लिए भी प्रोपर्टी सर्वे एंव आब्जैक्शन आमंत्रित करने की भी यही प्रक्रिया

अपनायी गयी है। गांवों में स्थित प्रोपर्टीयों के लिए भी ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से प्रदान किये गये हैं।

12. गांवों में सम्पत्ति मालिकों के नाम उपलब्ध नहीं हैं इसका यह भी एक कारण है कि जमाबंदी में एक खसरा नंबर पर कई–कई मालिकों के नाम इंद्राज हैं। संबंधित पालिका द्वारा ग्रामीण क्षेत्र सहित पालिका क्षेत्रों में विशेष शिविर आयोजित किए गए हैं और ऐसे सभी आवेदन जो दस्तावेजों के साथ पूर्ण थे उनको सर्वेक्षण एजेंसी द्वारा अपडेट भी किया गया है। इसके अतिरिक्त सर्वे के दौरान अधिकांश गांवों में लोग अपनी जानकारी सांझा करने के लिए इच्छुक थे। इसके बावजूद भी इच्छुक संपत्ति मालिकों की सूचना प्राप्त करके उनकी प्रोपर्टीयों का इंद्राज किया गया।

13. सर्वे की जानकारी निर्धारित प्रोफॉर्मा के अनुसार दर्ज की गई है। इसके अतिरिक्त प्रोपर्टी सर्वे का डाटा कभी भी प्रोपर्टी के मालिकाना हक का प्रमाण नहीं रहा है। प्रोपर्टी सर्वे का डाटा नागरिकों द्वारा प्रदान की गई सूचना के आधार पर ही तैयार किया गया है।

14. यह ठीक है कि एग्रीमैंट के अनुसार सर्वे डाटा में 20 प्रतिशत से अधिक त्रुटि पाए जाने पर एजेंसी का ठेका रद्द किया जा सकता है, परंतु ठेके में यह भी शर्त है कि 5 प्रतिशत से कम त्रुटि पर कोई जुर्माना नहीं है। सभी पालिकाओं ने ठेके की शर्तों के अनुसार कुल सर्वे की गई प्रोपर्टी का कम से कम 10 प्रतिशत का मौके पर जाकर सत्यापन करके प्रमाण पत्र जारी किये हैं। इसके अनुसार राज्य भर में 4.20 प्रतिशत औसत त्रुटि मिली है जो कि 5 प्रतिशत से कम है।

15. लाल डोरा का निर्धारण कॉलोनियों की सीमा, स्वीकृत/अनुमोदित क्षेत्रों, लाल डोरा क्षेत्र आदि को संबंधित पालिका (टाउन प्लानिंग/राजस्व शाखा) द्वारा प्रचलित मानदंडों के अनुसार चिहिन्त किया जात है।

16. सरकार ने सुशासन दिवस यानी 25 दिसम्बर, 2022 को 177 कॉलोनियों को नियमित किया है तथा और अधिक कॉलोनियों को रैगुलर करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। कॉलोनी को रैगुलर किये जाने से स्वतः ही उन कॉलोनियों में स्थिति प्रोपर्टी अनअप्रूव्ड से अप्रूव्ड हो जाएगी। इससे भी नागरिकों के अधिकतम ऑब्जैक्शन दूर हो जायेंगे।

इसके साथ–साथ सरकार यह भी प्रयासरत रहेगी कि भविष्य में अनअथॉराइज कॉलोनियां ना बन सके।

17. इसके अतिरिक्त शिकायतों के मध्यनजर सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि इस प्रोजैक्ट के दूसरे एवं तीसरे चरणों में किए जाने वाले कार्यों को एजेंसी से न करवाकर विभाग द्वारा स्वयं करवाया जाये क्योंकि इसमें गलतियां भले ही टैक्नीकली 5 परसैंट से कम थी लेकिन फिर भी आप लोगों और दूसरे लोगों के माध्यम से जो शिकायतें हमारे पास आ रही थी और ऐसी शिकायतें आज भी आ रही हैं। हमारी सरकार इस बात को मानती भी है कि इसमें कोई शक नहीं कि देश का पहला गौरवपूर्ण इतिहास लिखने वाला कार्यक्रम है जो कि अपने आप में अनूठा है। अध्यक्ष महोदय, इसकी 42 लाख 75 हजार प्रोपर्टीज हैं। इसमें जो गलतियां हुई हैं हम उनको स्वीकार करते हैं लेकिन हम इन गलतियों को दूर करने का वायदा भी कर रहे हैं। इसमें लगभग 78 करोड़ रुपये की लागत आयेगी। जो हमने मै. याशी कंसल्टिंग सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी से दूसरे और तीसरे फेज का इकरारनामा किया था, हमने उसको रद्‌द कर दिया है। अब आगे का काम उस कम्पनी को नहीं दिया जायेगा। सरकार द्वारा इन दोनों चरणों का एजेंसी के साथ हुए एग्रीमैंट को समाप्त कर दिया है। अब विभाग ने अपने स्तर पर इन कार्य हेतु सिस्टम भी तैयार कर लिया है। इसके लिए पालिकाओं को अधिक कुशल स्टाफ दिये जाने का भी प्लान बना लिया है।

18. इसके अलावा हमारी सरकार ने लोगों की सहूलियत के लिए होर्डिंग्ज भी लगवाये थे। उसमें हमने लिखा कि दिनांक 31.12.2022 तक जिस व्यक्ति ने हाउस टैक्स जमा नहीं करवाया है, उसको पैनल्टी के रूप में निगम या नगरपालिका इन्ट्रैस्ट चार्ज करती है वह चार्ज नहीं किया जायेगा।

भारत जोड़ो यात्रा और इंडियन नैशनल कांग्रेस पार्टी के पूर्व नेताओं के विरुद्ध शहरी स्थानीय निकाय एवं आवासीय मत्री द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों के संबंध में मामला उठाना

Shri Bharat Bhushan Batra: Speaker Sir, It is routine by the Government. It is nothing special.

Dr. Kamal Gupta : : Speaker Sir, It is special. It has never been done earlier लेकिन बड़े दुख की बात है और बड़े शर्म की बात है कि ये so called है। **** (शोर एवं व्यवधान)

————————————————————

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, इस बात से यात्रा का क्या संबंध है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. कमल गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो होर्डिंग्ज लगाये थे जिस पर हमने लिखा था कि 31 दिसम्बर, 2022 तक लोग पिछला टैक्स जमा करवायेंगे तो उनको इन्ट्रैस्ट की पैनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। हमने ऐसे–ऐसे 20–20 होर्डिंग्ज लगाये थे उन पर इन्होंने यात्रा के होर्डिंग्ज लगा दिये। ये लोगों के साथ खिलवाड़ नहीं है तो और क्या है? ये कहते हैं कि हम जोड़ने की बात कर रहे हैं। *** (शोर एवं व्यवधान) ****

(इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदन में उपस्थित बहुत से सदस्य सदन की वैल में आकर अध्यक्ष महोदय से भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में की गई टिप्पणियों को लेकर उनसे तर्क वितर्क करने लगे।)

श्री अध्यक्षः मेरा सभी से निवेदन है कि पहले आप अपनी–अपनी सीटों पर जाकर बैठें। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. कमल गुप्ताः अध्यक्ष जी, हमने भारत जोड़ने का काम किया और इन्होंने तोड़ने का काम किया। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः आप सभी अपनी–अपनी सीटों पर जाकर बैठिए। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. कमल गुप्ताः अध्यक्ष जी, लोग अंगुली तुड़वाकर शहीद होते हैं। (शोर एवं व्यवधान) विपक्ष के साथी बिना अंगुली तुड़वाकर शहीद हो रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः पहले आप सभी अपनी–अपनी सीटों पर जाकर बैठिए। नहीं तो मुझे आपको सदन से बाहर निकालना पड़ेगा। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. कमल गुप्ताः अध्यक्ष जी, मुरली मनोहर जोशी ने झंडा लहराने का काम किया (शोर एवं व्यवधान) पत्थर बाजी का काम किसका था ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री महिपाल ढांडाः अध्यक्ष जी, **** भारत माता कि जय बोलने में इनको शर्म किस बात की है ? (शोर एवं व्यवधान) भारत माता की जय।

श्री अध्यक्षः ढांडा जी, प्लीज आप अपनी जगह पर बैठ जाएं।

श्री अध्यक्षः सभी सदस्यगण अपनी सीटों पर जाकर बैंठे। मंत्री जी, प्लीज आप भी अपनी सीट पर बैठ जाएं। (शोर एवं व्यवधान)

श्रीमती गीता भुक्कलः अध्यक्ष जी, एक मंत्री को सदन में ऐसी बात बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री शमशेर सिंह गोगीः अध्यक्ष जी, मंत्री जी यहां इस तरह की बातें बोलकर सदन की बदनामी कर रहे हैं। (शोर एवं व्यवधान)

---

*चेयर के आदेशानुसार रिकॉर्ड नहीं किया गया।

श्री अध्यक्षः गोगी जी, प्लीज पहले आप बैठ जाइए। (शोर एवं व्यवधान) महिपाल जी, प्लीज आप बैठ जाइए। (शोर एवं व्यवधान) मंत्री जी ने सदन में भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में जो भी बातें बोली हैं, ये शब्द सदन की कार्यवाही से हटा दिए जाएंगे। मंत्री जी अगर आपके पास पोस्टर हटाने या फाड़ने के संबंध में कोई ग्रीविंसेज हैं तो आप उसकी कानूनी कार्यवाही कीजिए, इस संबंध में सदन में बताने की क्या जरूरत है।

डॉ. कमल गुप्ताः अध्यक्ष जी, मैं तो सदन में केवल यही बताना चाहता हूं कि पोस्टरों के ऊपर पोस्टर लगाये गये हैं।

श्री अध्यक्षः मंत्री जी, अगर पोस्टर के ऊपर पोस्टर लगाए हैं तो आप कानूनी कार्यवाही कीजिए। उसके लिए सदन में बताने की क्या जरूरत है ? (शोर एवं व्यवधान)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डाः अध्यक्ष जी, आपने भारत जोड़ो यात्रा के संबंध में बोले गये शब्द सदन की कार्यवाही से हटवा दिए हैं, लेकिन हमारे स्वर्गीय राजीव गांधी जी के बारे में, स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू के बारे में जो देश के प्रधानमंत्री रहे हैं तथा स्वर्गीय मोती लाल नेहरू जी के बारे में जो भी शब्द कहें गए हैं, उन सभी को भी सदन की कार्यवाही से वापस करवाया जाए।

श्री अध्यक्षः भारत जोड़ो यात्रा से संबंधित मंत्री जी ने जो भी शब्द कहे और उसके बाद आपस में जो भी तल्खी हुई है और जो वार्तालाप हुआ है वह सारा का सारा सदन की कार्यवाही से डीलिट कर दिया जाए।

श्री शमशेर सिंह गोगीः अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बात कहनी है (विघ्न)

श्री अध्यक्षः गोगी जी, आप फिर वही बात कर रहे हैं, प्लीज आप बैठ जाएं।

श्री शमशेर सिंह गोगीः अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः गोगी जी, एक मंत्री के लिए सदन में ऐसा बोलना गलत बात है। आप मंत्री जी से स्वयं कहते की माफी मांगो, लेकिन आप कम से कम खुद के ऊपर तो संयम रखिए, आप अपने ऊपर भी संयम रखिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री शमशेर सिंह गोगीः अध्यक्ष महोदय, मेरी बात तो सुनिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, ये शब्द भी सदन की कार्यवाही से निकलवा दिए जाएं।

श्री अध्यक्षः ऐसे तो आप हाऊस के अन्दर अपनी जो मर्जी होगी वहीं बोलते रहोगे।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, प्रदेश का कोई भी तथ्य हो उसको विधान सभा में रखना और सूचित करना यह एक प्रक्रिया का हिस्सा है। आपत्तिजनक काम यह है कि कोई भी म्युनिसिपैलिटी का, नगर निगम का या विभाग का कोई एक सरकरी बोर्ड लगा है। उसके ऊपर एक पार्टी के लोग अपना बोर्ड लगाते तो यह घोर अपराध है। ठीक है, इस बारे में कार्यवाही अलग से होगी लेकिन सदन को सूचित करने में मुझे नहीं लगता कि कहीं इसके अंदर कोई आपत्ति है। जो सदन को सूचित किया गया है उसके बारे में डिपार्टमैंट कार्यवाही भी करे और खेद भी व्यक्त करना चाहिए लेकिन सदन को सूचित करने को भी गलत मानना यह ठीक नहीं है।

श्री अध्यक्ष : मुख्यमंत्री जी, सदन को सूचित किया वहां तक तो ठीक है। (विघ्न)

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष जी, यह पार्टी का फैसला नहीं था। किसी ने लगा दिया वह अलग बात है लेकिन ये तो राजीव गांधी जी तक पहुंच गये और पण्डित जवाहर लाल नेहरू जी तक पहुंच गये। हमें उस बात का एतराज है।

श्री अध्यक्ष : हुड्डा जी, उसको सदन की कार्यवाही से निकलवा दिया गया है। बतरा जी, आप बोलें। (विघ्न)

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, एक इशू आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने रेज किया Defacement of the Haryana Property Act. मुख्यमंत्री जी ने वहां पर जो पोस्टर्ज लगवाए हैं क्या वे वहां पर उन पोस्टर्ज को लगवा सकते हैं। मुख्यमंत्री जी पर एफ.आई.आर. दर्ज होनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने पब्लिक प्रॉपर्टी को डिफेसमैंट किया है।

श्री अध्यक्ष : बतरा जी, ये सरकारी नीतियां हैं अगर ये बोर्ड के ऊपर नहीं आयेंगी तो फिर कहां पर आयेंगी? वे सरकारी होर्डिंग्ज ही हैं।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष जी, मेरा भी यही कहना है कि वह सरकारी होर्डिंग्ज ही हैं। (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष जी, मैं बतरा जी से यह पूछना चाहता हूं कि सरकारी होर्डिंग्ज का उपयोग सरकार नहीं करेगी तो और कौन करेगा?

श्री अध्यक्ष : बतरा जी, आप बैठ जायें। पहली बात तो यह है कि सरकारी होर्डिंग्स के ऊपर सरकारी नीतियां लगती हैं। यह कोई पहली बार नहीं हुआ है।

<u>ध्यानाकर्षण प्रस्ताव (पुनरारम्भ)</u>

श्री भारत भूषण बतरा : ऑनरेबल स्पीकर सर, आई.डी. के इशू के ऊपर मेरा यह कहना है कि प्रजातंत्र के अंदर जनता और एक राजा को एक बात कही गई है

"बहुजन हिताए, बहुजन सुखाए"। जितने ज्यादा कानून बनाये जायेंगे उतनी ही ज्यादा लोगों को परेशानी होगी। जितने ज्यादा ये रूल्ज और इंस्ट्रक्शंज पास–ऑन की जायेंगी लोगों को उनसे सहूलियत के बजाए परेशानी होगी। यह बात मैं प्रापर्टी आई.डी. के बारे में कह रहा हूं। मेरा यह भी कहना है कि जितने ये रूल्ज बनते हैं, जितनी ये इंस्ट्रक्शंज पास होती हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जो बेसिक रूल और एक्ट होता है उसके अनुरूप नहीं होते हैं और इनसे करप्शन को बढ़ावा मिलता है। यह एक सिद्धांत है। सरकार जीरो टॉलरैंस की बात करती है जितने ये सरकार पोर्टल बना रही है उसमें वास्तव में यह होता है कि पोर्टल बंद रहता है। कोई व्यक्ति आता है और वह कहता है कि वह किसी काम को 20 हजार में करवा देगा। उसके बाद पोर्टल भी खुल जाता है, पैसे भी चले जाते हैं और उसका काम भी हो जाता है। इस प्रकार से मेरा यह कहना है कि जो प्रापर्टी आई.डी. के मामले में हो रहा है यह कोई अच्छा साईन नहीं है। ऑनरेबल स्पीकर सर, कारपोरेशंज और कमेटीज यह बात आप भी मानेंगे क्योंकि पंचकुला एक बहुत बड़ा कारपोरेशन और मैट्रोपोलिटन सिटी आपने बना दिया है। उसमें भी प्रापर्टी आई.डी. बनाने का काम भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। वहां पर भी बिना पैसे दिये प्रापर्टी आई.डी. नहीं बनती है। वहां पर दलाल टाईप के लोग घूमते हैं। मैं उनको किसी पार्टी विशेष का सदस्य या कार्यकर्ता नहीं कह सकता। वो कारपोरेशन के बाहर होते हैं।

श्री अध्यक्ष : बतरा जी, अगर आपके पास इस प्रकार के 2–4 केसिज हों तो आप उनके बारे में बतायें। आप वाईल्ड एलीगेशन न लगायें। अगर आपके पास ऐसे कोई केसिज हैं तो आप उनके बारे में हमें बतायें।

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष जी, यह मेरा काम नहीं है। It's a fact. मैं आगे अपनी बात रखता हूं। मेरा यह कहना है कि पोर्टल फैलियोर का बहाना लेकर कभी भी पोर्टल ढंग से काम नहीं करते हैं। स्पीकर सर, इसके अलावा एक बड़ी ही इम्पोर्टैंट बात है यह है कि Right to Property एक कांस्टीच्यूशनल राईट है। पहले यह फंडामैंटल राईट हुआ करता था उसके बाद 44वां संविधान संशोधन हुआ और यह कांस्टीच्यूशनल राईट हो गया। उसके बाद आर्टिकल 300–ए को इंसर्ट किया गया। आर्टिकल 300–ए स्पैसीफाई करता है कि–

> "300A. Persons not to be deprived of property save by authority of law.—No person shall be deprived of his property save by authority of law."

यह प्रॉपर्टी का एक कांस्टीच्यूशनल राईट है, स्टेच्यूटरी राईट है। यह स्टेच्यूटरी राईट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, 1861 में है और इसका सैक्शन 17 हमें प्रॉपर्टी बेचने और खरीदने का अधिकार देता है। म्यूनिसिपल कारपोरेशन एक्ट या म्यूनिसिपल एक्ट सैक्शन 96 से सैक्शन 100 तक एक प्रोसीजर एडॉप्ट करता है कि आपको हाउस टैक्स, फायर टैक्स या डिवैल्पमैंट टैक्स, इन टैक्सों को कैसे रिकवर करना है। वह एक प्रोसीजर है और सरकार ने प्रॉपर्टी आई.डी. को लोगों के मालिकाना हक को डिसाइड करने के लिए प्रॉपर्टी एक्ट का प्रोसीजर बना दिया। It is a fact. मैं एक एग्जाम्पल भी दूंगा कि मालिकाना हक डिसाइड करने के लिए तहसीलदार प्रॉपर्टी आई.डी. मांगता है और यदि प्रॉपर्टी आई.डी. में कोई कमी है तो उसकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? सरकार को टैक्स चाहिए तो सरकार टैक्स ले। प्रॉपर्टी का राईट मेरा अपना राईट है। It is my statutory right and it is my constitutional right. मैं अपनी प्रॉपर्टी बेच सकता हूं, सरकार को टैक्स चाहिए सरकार टैक्स ले ले। सरकार को फायर टैक्स चाहिए या डिवैल्पमैंट टैक्स चाहिए तो सरकार ले ले लेकिन यह जो प्रोसीजर अपनाया है कि अगर 50 गज की प्रॉपर्टी है और गलती से 46 गज लिखा गया तो फिर वह उसमें करैक्शन करवायेगा और करैक्शन करवाने के लिए उसको दलालों के पास जाना पड़ेगा तथा उसके बाद वह तहसीलदार के पास आयेगा। सरकार का काम यू.एल.बी. में लोगों का स्टेच्यूटरी राईट, मालिकाना हक डिसाइड करने का कोई अख्तियार नहीं है। सरकार ने तो इसके लिए बहुत सख्त कानून बनाए हुए हैं। अगर 5 गज का फर्क पड़ जाता है तो प्रॉपर्टी आई.डी. बनाने के लिए बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाता है। उसके बाद इस प्रोसीजर को और लम्बा करने के लिए एन.डी.सी. पोर्टल भी बना दिया है। यह सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं बल्कि म्यूनिसिपल एरिया के जितने भी विधायक हैं उन सभी का यही हाल है लेकिन वे कुछ कहते नहीं हैं क्योंकि वे सत्ता पक्ष में बैठे हुए हैं। सत्ता पक्ष में होने के कारण ये नहीं कहेंगे कि वहां पर इस काम के लिए कितनी प्रॉब्लम आती हैं। इस बारे में मेरा यही कहना है कि आप लोगों से टैक्स ले लीजिए लेकिन लोगों को तंग मत कीजिए। पोर्टल पर सरकार मत चलाओ और रोज नई–नई इंस्ट्रक्शन्ज जारी मत करो। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि it is just an entry in the record. इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को कह सकते हैं कि आपके रिकॉर्ड में यह दुकान बनी हुई है, आपके रिकॉर्ड में यह फैक्ट्री बनी हुई है इससे अधिक यह कुछ नहीं है और इसके हिसाब

से आपको टैक्स देना है। This is the purpose of the Property ID. Nothing more than this. कोई गलती होती है तो एन.डी.सी. नहीं मिलती। अगर 5 भाई हैं और उनमें से 4 बाहर रहते हैं तथा प्रॉपर्टी आई.डी. एक के नाम है तो तहसीलदार कहता है कि मैं तो रजिस्ट्री नहीं करता तो वे लोग कहां जायें? जब माननीय मुख्यमंत्री जी रोहतक आए थे तो इस समस्या के बारे में कुछ लोग इनसे मिले थे तथा मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 100 गज से कम जमीन की पार्टीशन की प्रॉपर्टी आई.डी. नहीं बनेगी। मेरा कहना है कि अधिकारियों द्वारा दिया गया यह फीडबैक ठीक नहीं है।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अब हमने उसको चेंज कर दिया है।

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, मैं उसी बात पर आ रहा हूं। इसके बाद क्या है कि मान लो ए–बी दो भाई हैं और उनके पास 100 गज का एक प्लॉट है। इस 100 गज के प्लॉट में से यदि एक भाई अपना 50 गज का हिस्सा बेचना चाहता है तो तहसीलदार रजिस्ट्री नहीं करता है। इसके लिए पहले उसको 50 गज का पार्टिशन करना होगा फिर इसकी अलग से प्रापर्टी आई.डी. बनानी पड़ेगी। जब पार्टिशन करेगा तो इसके लिए उस व्यक्ति से पार्टिशन से संबंधित विभिन्न प्रकार के डाक्यूमैंटेशन के प्रूफ मांगे जायेंगे। अध्यक्ष महोदय, जो ओरल पार्टिशन है, वह भी एक तरह से हमारा राइट होता है। दो भाई बैठकर आपस में मुस्तरखा का फैसला कर सकते हैं। चार भाई आपस में मुस्तरखा का फैसला कर सकते हैं। अब मान लो मेरे पास 400 गज जमीन है और मैं इस जमीन में से 100 गज जमीन बेचना चाहता हूँ लेकिन इस जमीन को नहीं बेच सकता क्योंकि मेरे पास इस प्रापर्टी का आई.डी. नहीं है और ऐसी स्थिति में रजिस्ट्री भी नहीं हो सकती। You are depriving the people from their rights. मेरा अनुरोध है कि इन सबको सुधार की ओर लेकर जाइये। मैं सदन के माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आखिरकार सरकार कौन से कानून से प्रापर्टी का पार्टिशन रोक सकती है ? कौन से कानून से 100 गज से कम की प्रापर्टी आई.डी. नहीं बांटी जा सकती ? इन बातों के लिए यह एक सबसे बड़ी कंप्लेनेंट है। इसके बाद अब मैं इंस्ट्रक्शंज पर आता हूँ। ठीक है 22 जुलाई, 2022 को सरकार द्वारा टाउन प्लानिंग स्कीम की क्लेरिफिकेशन दी गई। यह वह स्कीम है जिसमें सरकार की सभी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद प्लाट्स कटे हुए है उसके पार्टिशन को अलाउ किया हुआ है लेकिन मान लो कोई पुराना शहर है और उसमें किसी के पास 25 गज का मकान है या किसी के पास 100 गज का मकान है या फिर किसी

के पास 200 गज का मकान है। अगर दो भाई पार्टिशन करना चाहते हैं तो उनको पार्टिशन की सहूलियत देकर इस प्रोसैस को इंप्रूव करने की जरूरत है। अध्यक्ष महोदय, इस सारे प्रोसैस के लिए मेरे कुछ सवाल हैं जैसे कि सरकार दो भाइयों के बीच प्रापर्टी का पार्टिशन किस अख्तियार से रोक सकती है and why that should be documented ? That can be oral also. मैं 400 गज का मालिक हूँ। मैं इस प्रोपर्टी की रजिस्ट्री कराता हूँ कि मैं इसमें से 100 गज का हिस्सा बी को बेच रहा हूँ तो ऐसी अवस्था में तहसीलदार 100 गज की अलग से रजिस्ट्री नहीं करता है क्योंकि प्रोपर्टी आई.डी. 400 गज की बनी हुई है और इस बात के लिए पार्टिशन अलाउ नहीं होता है। तहसीलदार कहता है कि उसका पोर्टल पार्टिशन के लिए अलाउ ही नहीं करता है। वह यह भी कहता है एन.डी.सी. से संबंधित जो पोर्टल तहसील में आया है, वह पोर्टल पार्टिशन के लिए बिल्कुल अलाउ ही नहीं करता है। इसकी वजह से कोई एंट्री नहीं होती है और एंट्री नहीं होगी तो रजिस्ट्री भी नहीं होगी। अध्यक्ष महोदय, आखिरकार किस बात के लिए लोगों को तंग करने का काम किया जा रहा है। लोगों को अपनी प्रोपर्टी का राइट है। अगर आप टैक्स लेना चाहते हो तो टैक्स लो, बढ़िया तरीके से टैक्स लो, सरकार रेवेन्यू ले और कुछ भी करना है तो करे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन इस तरह की अड़चनें डालकर लोगों को तंग मत किया जाये। इसके बाद मैं कहना चाहूंगा कि प्रापर्टी आई.डी. जो बनती है, इसके लिए पहले नक्शा बनाया जाता है और इसके साथ ही सरकार तमाम प्रकार की फोरमैलेटिज में आगे बढ़ने का काम कर रही है। मौके पर जाकर प्रोपर्टी का फोटो खिंचा जाता है। अध्यक्ष महोदय, यू.एल.बी. का एच.बी.पी.ए.एस. नाम से एक पोर्टल बना हुआ है जोकि पिछले डेढ महीने से बंद पड़ा हुआ है। ऐसी अवस्था में किसी का नक्शा पास ही नहीं हो सकता है। यह रिकार्ड की बात है। मैं अब रोहतक की बात बता रहा हूँ, सारे हरियाणा की बात नहीं कर रहा हूँ। अध्यक्ष महोदय, रोहतक में एक आदमी का 50 गज का मकान था लेकिन उसकी 48 गज की रजिस्ट्री हुई थी। सर्वे में तो यह मकान 50 गज का लिखा गया था लेकिन जब वह रजिस्ट्री कराने गया तो उसको कहा गया कि पहले रिकॉर्ड को ठीक करवाओ। उस आदमी ने धक्के खाये और चक्कर काटे और इस प्रकार 48 गज की ही आई.डी. बन पाई और इसके बाद जब नक्शा पास करवाकर, आगे नक्शा दिया तो उसके सामने पोर्टल की समस्या आकर खड़ी हो गई। अध्यक्ष महोदय, इसमें और भी बहुत ज्यादा कमियां हैं। मेरा तो यह कहना है कि इस काम के लिए किसी एजेंसी का चयन न करके अपने आफिसर्ज,

अपने क्लर्क या दूसरे एम्पलाईज को ट्रेंड करके, हर एक प्रोपर्टी की फिजिकल वेरिफिकेशन करवानी चाहिए। अब मैं एक और एग्जैम्पल देना चाहूंगा। एक व्यक्ति के पास 117 गज जगह थी। इसके बाद 2022 में उस व्यक्ति ने वहां पर 50 गज में एक आटा चक्की लगा ली। बाकी 67 गज जमीन उस व्यक्ति की खाली पड़ी थी। जब वह व्यक्ति अपनी प्रापर्टी की आई.डी. बनवाने गया तो उस व्यक्ति की 117 गज की कमर्शियल आई.डी. बनाकर पिछले 10 साल का टैक्स लगा दिया गया और उस गरीब आदमी से 1 लाख रूपये की डिमांड कर दी गई। मेरे पास यह सभी डाक्यूमैंट्स हैं। This is the behaviour. That is why I am saying. There is a corruption. It needs rectifications. लोगों को सहूलियत दो लेकिन लोगों का नुकसान मत करवाओ। अगर सरकार इसी तरह से लोगों को तंग करती रही तो इस सरकार को बेड़ा बहुत जल्दी गर्क हो जायेगा। मैं आज सदन के माध्यम से सरकार को चेता देना चाहता हूँ।

श्री वरूण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने माना है कि प्रापर्टी आई.डी. बनाने में कमियां रही हैं लेकिन उसके बाद भी जनता को ही दोष दिया जा रहा है कि जनता ने सहयोग नहीं किया जबकि जनता का ही पैसा खर्च हुआ है। माननीय मंत्री जी ने फेज–1, फेज–2, और फेज–3 की बात की। अध्यक्ष महोदय, फेज–1 में ही जनता के 77 करोड़ से अधिक खर्च हो गये हैं और जनता ही परेशान हो रही है और जनता के लिए कहा जा रहा है कि जनता ने सहयोग नहीं किया। माननीय मंत्री जी ने यह भी बताया है कि 6 कलस्टर बनाये गए हैं अर्थात हरियाणा को 6 हिस्सों में बांट दिया गया लेकिन आश्चर्य इस बात का है कि हरियाणा को 6 हिस्सों में बांटने के बावजूद भी कंपनी को नहीं बांटा गया। अगर अलग–अलग कंपनियों को यह कार्य दिया जाता तो शायद बेहतर ढंग से काम किया जा सकता था। प्रश्न उठता है कि आखिरकार यासुई कास्टिंग कंपनी को ही पूरे प्रदेश का काम क्यों दिया गया। जब सकार ने छह कलस्टर में प्रदेश को बांटने का काम किया था तो कंपनी भी अलग–अलग होनी चाहिए थी। अगर ऐसा होता तो काम सही तरीके से हो सकता था। अगर छह कपनियों को अलग–अलग काम दे देते तो शायद यह काम और ज्यादा बेहतर तरीके से हो सकता था। अध्यक्ष महोदय, जहां तक करेक्टनैस की बात है, के संदर्भ में कहना चाहूंगा कि डाटा में भी करेक्टनेस की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रही है और इसका कारण यह है कि जो संपत्ति का स्वामी था उससे तो पूछा ही नहीं गया बल्कि पूछ किससे रहे हैं यू.एल.बी. से की सही डाटा है या नहीं। अध्यक्ष

महोदय, आपने पहले यह वाक्या सुना भी होगा कि एक व्यक्ति अपने आपको डाक्टर को दिखाने जाता है और डाक्टर कह देता है कि वह आदमी तो मर लिया है ऐसा सुनकर वह आदमी साथ खड़ी नर्स को कहता है कि वह तो जिंदा है तो ऐसी सूरत में नर्स उससे कहती है कि उसे ज्यादा पता है या डाक्टर को ज्यादा पता है तो ठीक इसी प्रकार की अवस्था यहां भी देखने को मिल रही है। संपति के स्वामी की प्रापर्टी आई.डी. में कमियां हैं और इस बारे में यू.एल.बी. के अधिकारियों से पूछा जा रहा है। यह कौन से औचित्य वाली बात है ? अगर सरकार ने सर्वे किया है, 10 परसेंट डाटा का सर्वे किया है तो इस बारे में जानकारी प्रापर्टी ऑनर्ज से ली जानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इस समस्त प्रक्रिया के लिए यह भी बताया गया है कि बहुत ही ऐतिहासिक काम हुआ है जबकि इस सारे मामले में एतिहासिकता इस बात की दिखाई देती है कि गलत प्रापर्टी आई.डी. बनने के कारण प्रदेश के राजस्व को बहुत बड़ा नुकसान होने का काम हुआ है। पूरे देश में सबसे कम अगर प्रापर्टी से राजस्व कम इक्ट्ठा हुआ है तो वह अकेले हरियाणा प्रदेश मे हुआ है और इसका मुख्य कारण यह रहा है कि प्रापर्टी आई.डी. में तरह–तरह की त्रुटियां रही हैं। अतः मैं सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि इन सबको जल्द से जल्द ठीक करने का काम किया जाये।

श्री सुभाष गांगोलीः अध्यक्ष महोदय, सन 1947 में सरकार द्वारा विस्थापितों को बसाने का काम किया गया था। उनको मकान दिए गए थे। उनको अन्य दूसरी सुविधायें भी दी गई थी। उसके बाद फिर एक नया दौर चला नई मंडियों की टाउनशिप का जिसको न्यू मंडी टाउनशिप के नाम से जाना जाता है। कहीं पर नगर सुधार मंडल की तरफ से कालोनियां बसाई गई। कहीं टाउन प्लानिंग की तरफ से कालोनियां बसाने का काम किया गया। इस समय तक एच.एस.वी.पी. अस्तित्व में नहीं आया था। मैं सफीदों का उदाहरण देता हूँ। यहां पर न्यू मंडी टाउनशिप ने अनाज मंडी के 180 गज के प्लॉट पीछे वाली गली में काटे। न्यू मंडी टाउनशिप ने प्लॉट धारकों से डिवेल्पमैंट चार्जिज भी ले लिए और अन्य दूसरी आापचारिकतायें भी पूरा करने का काम किया। इन प्लॉट्स पर किसी के परदादा–दादा ने मकान बना दिए और जो डिवेल्पमैंट चार्जिज बनते थे उनको भी भर दिया। 1947 के विस्थापितों को बसाने के लिए भी नगर सुधार मंडल ने 1960–70 के दशक में यही काम किया था और कालोनियां बसाई थी। 1960–70 के दशक में भी हूडा अस्तित्व में नहीं था। समय बीतने के साथ–साथ नगर सुधार मंडल भी खत्म हो गया और न्यू मंडी टाउनशिप

भी खत्म हो गई। जहां तक सफीदों की बात है, न्यू मंडी टाउनशिप खत्म होने के बाद यह कार्य मार्केटिंग बोर्ड को दे दिया गया और अब इस सबको डिनोटिफाई करने के बाद इस काम को म्युनिसिपल कमेटी को दे दिया गया और जो 500–600 प्लाटों पर जहां 50–60 साल पहले इनके परदादा–दादाओं ने मकान बनाये थे और सभी प्रकार के डिवेल्पमैंट चार्जिज और अन्य दूसरी औपचारिकतायें भी पूरी की थी, के बावजूद भी जब इन प्लाटों के मालिक अपनी प्रापर्टी को सेल करने जाते हैं तो म्युनिसिपल कमेटी वाले उनकी तरफ एक–एक लाख रूपये तक डिवेल्पमैंट चार्जिज निकालकर रख देते हैं। जब वे कहते हैं कि उनके परदादा–दादाओं ने 50–60 साल पहले जब मकान बनाये थे तो उस समय सारे चार्जिज दे दिए गए थे तो उनसे कहा जाता है कि आप रसीद दिखाओ। अध्यक्ष महोदय, परदादा गुजर गए, दादा गुजर गए और जो बाप हैं, वे भी बुर्जुग हो गए हैं लेकिन जब कागज दिखाने की बात आती है तो न तो न्यू मंडी टाउनशिप अब बाकी बचा है तो ऐसी सूरत में जब मार्केटिंग बोर्ड के पास जाते हैं तो वहां भी कह दिया जाता है उनके पास कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह बात मैं पूरे हरियाणा की बता रहा हूँ लेकिन उदाहरण के तौर पर मैं सफीदों को कोट कर रहा हूँ। डिवैल्पमैंट चार्जिज बढ़ा दिये गए, मजदूर लोग कहां से इतनी ज्यादा फीस भरेंगे? बिना एन.ओ.सी. के तो उनकी रजिस्ट्री नहीं होती है। यह सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है कि जिस समय डिवैल्पमैंट चार्जिज लिये गये थे, वह रिकॉर्ड दुरूस्त रखें। मैं माननीय मंत्री जी को उनके अपने गृह क्षेत्र हिसार के बारे में बताना चाहता हूँ कि 3300 प्रॉपर्टी आई.डी. से हाउस टैक्स हटाने के लिये उनका केस तो अर्बन लॉकल बॉडीज डिपार्टमैंट को भेज दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, यह तो माननीय मंत्री का एरिया था, बाकी हरियाणा का क्या होगा? मैं जिस तरह से न्यू मण्डी टाउनशिप सफीदों की बात कर रहा हूँ उसी तरह से नगर सुधार मण्डल, जीन्द की भी बात की जायेगी। अध्यक्ष महोदय, पूरे हरियाणा में इस तरह की समस्या है, इसका समाधान जरूर होना चाहिये। यह केवल प्रार्थी की जिम्मेवारी नहीं बनती कि प्रॉपर्टी की रसीद को सम्भाल कर रखे बल्कि सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है कि वह संबंधित रसीद का रिकॉर्ड सम्भाल कर रखे। संबंधित प्रार्थी के दादा ने लगभग 70 साल पहले डिवैल्पमैंट चार्जिज भरे थे तो उसकी रसीद उससे गुम भी हो सकती है। सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है कि उस प्रॉपर्टी की रसीद का रिकॉर्ड सम्भाल कर रखे। जब वह एन.ओ.सी. लेने आये तो उसके रिकॉर्ड को देखकर एन.ओ.सी. तुरंत जारी करनी चाहिये। अध्यक्ष महोदय, उन लोगों से भी

डिवैल्पमैंट चार्जिज मांगे गये थे जो वर्ष 1947 से बसे हुए हैं। इस संबंध में वे बुजुर्ग तो समय के साथ–साथ गुजर गये, हो सकता है कि उनके बच्चे भी गुजर चुके होंगे, अब उनसे डिवैल्पमैंट चार्जिज मांगे जा रहे हैं। सरकार को गंभीर होकर इस प्रकार के मुद्दों पर काम करना चाहिये। धन्यवाद।

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, इसमें सबसे पहले प्रश्न यह उठता है कि प्रॉपर्टी आई.डी. ऑनरशिप का सबूत है या नहीं है? प्रॉपर्टी टैक्स किससे वसूल करते हैं? प्रॉपर्टी टैक्स मालिक से करेंगे या फिर जिसके पास प्रॉपर्टी आई.डी. होगी उससे टैक्स वसूल किया जायेगा? जब तक इसका जवाब नहीं मिलेगा तब तक मेरी स्पीच आगे नहीं बढ़ेगी। अध्यक्ष महोदय, प्रॉपर्टी आई.डी. का परपज़ क्या होता है? मालिक कोई है और प्रॉपर्टी आई.डी. किसी के नाम बन रही है। अध्यक्ष महोदय, मेरी खुद की प्रॉपर्टी आई.डी. किसी दूसरी के नाम थी। यदि प्रॉपर्टी आई.डी. से मालिक बन जाते हैं तो मेरी प्रॉपर्टी का भी कोई दूसरा मालिक बन गया होता अगर मुझे समय पर इसकी सूचना नहीं मिलती। यदि एक जनप्रतिनिधि के साथ इस तरह का काम हो रहा है तो आम जनमानस के साथ फील्ड में क्या होता होगा? इस बात की कल्पना हम स्वयं ही कर सकते हैं। यह प्रॉपर्टी आई.डी. किस परपज़ के लिये बनाई है? क्या यह हाउस टैक्स के परपज़ के लिये बनाई गई है या फिर मलकियत के लिये बनाई गई है? पहले तो मुझे इन बातों की जानकारी दी जाये, अगली बात तो मैं सदन के पटल पर बाद में रखूंगा।

डॉ. कमल गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, मैंने सभी बातें नोट कर ली हैं, सभी बातों का इक्ट्ठा जवाब दे दिया जायेगा।

श्री अध्यक्षः मलिक साहब, माननीय मंत्री जी सभी प्वायंट वाईज जवाब दे देंगे। माननीय मंत्री जी आपसे भी अनुरोध है कि कोई प्वायंट रह न जाये, इसलिए सभी प्वायंट्स को नोट कर लीजिये।

डॉ. कमल गुप्ताः ठीक है, स्पीकर सर।

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में एक लाइन यह लिख दी है कि the property survey work has been done as per the actual use of property at site. क्या इसमें कहीं सच्चाई दिखती है? प्रॉपर्टी आई.डी. में लोगों के नाम, पिता का नाम, एड्रैस, मोबाईल नं0 आदि सारी की सारी जानकारियाँ गलत लिख दी गई हैं। जो प्रॉपर्टी घरेलू है उसको व्यावसायिक प्रॉपर्टी

लिख दिया गया है और जो प्रॉपर्टी व्यावसायिक है उसको घरेलू प्रॉपर्टी का नाम दिया गया है। इसमें नौकर को मालिक और मालिक को नौकर दिखाया गया है। किसी भवन को प्लॉट दिखा दिया गया और प्लॉट को भवन दिखाया गया है। एक मंजिल को दो मंजिल दिखाया गया है और तीन मंजिला भवन को एक मंजिला भवन दिखाया गया है। इस तरह के काम प्रॉपर्टी आई.डी. में हुए हैं। जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरे पास इस तरह की शिकायतें आई हैं, इसलिए मैं सदन में बता रहा हूँ। अगर यह सर्वे मौके पर ही होता तो क्या उसमें ऐसी गलतियां होती ? इसके अलावा 80 परसैंट प्रॉपर्टीज के गजों में फर्क है । जिसकी प्रॉपर्टी 150 गज की है उसको 200 गज दिखाया हुआ है, जिसकी प्रॉपर्टी 200 गज की है उसको 500 गज दिखाया हुआ है, जिसकी प्रॉपर्टी 500 गज की है उसको 150 गज दिखाया हुआ है आदि । एक्टिविस्ट ने तो यहां तक कहा है कि 95 परसैंट प्रॉपर्टीज में गलती है । किसी प्रॉपर्टी के नाम में गलती है, किसी के रकबे में गलती है, किसी के प्लॉट में गलती है आदि । इसी वजह से सरकार को सर्वे का दूसरा फेज कैंसिल करना पड़ा है । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वे हिसार के सर्वे से खुश हैं ? अगर हिसार में सर्वे अच्छा हुआ है तो इसका अर्थ है कि सोनीपत और दूसरे जिलों के साथ ज्यादती हुई है । सोनीपत के अखबार में हैडलाइन छपी हुई है कि "प्रॉपर्टी सर्वे में गड़बड़ी का मामला, शिकायतें नहीं हो रही कम, 'नागरिक सुविधा केन्द्र' में दिन भर लगी रही भीड़" । वहां पर इतनी शिकायतें जा रही हैं कि लोगों के खड़े होने की भी जगह नहीं है । सोनीपत में कुल डेढ़ लाख प्रॉपर्टीज हैं । मेरा कहना है कि सरकार हमें 15 हजार प्रॉपर्टीज का रिकॉर्ड दे दे कि इनका सर्वे रैंडमली किया गया है और वह सर्वे बिल्कुल ठीक हुआ है । क्या सरकार के पास यह रिकॉर्ड है कि किस–किस प्रॉपर्टी का सर्वे रैंडमली हुआ है ? सरकार के पास ऐसा रिकॉर्ड नहीं है । यह सर्वे जिस तरीके से हुआ है उसके बारे में सभी को पता है । ऐसा नहीं है कि इसके बारे में किसी को पता नहीं है । कोई भी व्यक्ति प्रॉपर्टीज को नापने आदि के लिए बाहर नहीं गया बल्कि यह सर्वे अपने घर पर बैठे–बैठे ही किया गया है । अब कहा जा रहा है कि अगर किसी की प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड में कोई गलती हुई है तो उसको ठीक करवाने के लिए प्रति प्रॉपर्टी 5 हजार रुपये लगेंगे । सरकार ने इसके लिए भी एक पोर्टल बनाया हुआ है । अगर मैं गलत बता रहा हूं तो सरकार मेरी बात को गलत कह दे । इसमें सरकार ने कहा है कि प्रॉपर्टीज में 4.20 परसैंट मिस्टेक ठीक है और 5 परसैंट मिस्टेक पर पैनल्टी है । मैं जानना चाहता हूं कि इसके पीनल क्लॉज क्या

हैं ? अगर एजेंसी ने गलत सर्वे किया है तो उस एजेंसी पर क्या पैनल्टी लगाई जाएगी इसके बारे में सी.ए. नोटिस के जवाब में नहीं बताया गया है । माननीय मंत्री जी ने कहा है कि प्रॉपर्टीज में 4.20 परसैंट मिस्टेक ठीक है और 5 परसैंट मिस्टेक पर पैनल्टी लगाई गई है । मेरा कहना है कि आज तक भी जो गलतियां आने लग रही हैं वे किसके खाते में जाएंगी ? इसमें प्रैक्टीकली जो डिफिकल्टीज आ रही हैं उनके बारे में माननीय सदस्य बतरा जी ने बता दिया है । जब पोर्टल पर प्रॉपर्टी को लोड किया जाता है तो एक चैकर प्रॉपर्टी को चैक करने जाता है और सिस्टम पर उसको सैट करता है । उसके बाद मेकर प्रॉपर्टी को दोबारा चैक करके सिस्टम पर सैट करता है । अतः इसमें चैकर, मेकर जैसा बहुत सिस्टम है । इस सी.ए. नोटिस के जवाब में कह दिया गया कि यह एक एंडलैस प्रोसैस है । अगर यह प्रोसैस एंडलैस है तो मेरा प्रश्न है कि एजेंसी ने इसमें क्या काम किया ? जवाब में जो कहा गया है कि यह एक एंडलैस प्रोसैस है, जब तक काम पूरा नहीं होता तब तक यह चलता रहेगा । इसका अर्थ है कि सरकार का इसे कई साल तक चलाने का मन है और 10–10 साल तक लोग इसे भुगतते रहेंगे । मैं समझता हूं कि इसमें जो अंतिम 31 तारीख दी गई है इस तारीख को तो आगे बढ़ाया जाए और कमेटी के स्तर पर घर–घर जाकर सर्वे करवाया जाए । इसके लिए जितने रुपये एजेंसी को दिए गए हैं अगर उतने ही रुपये कमेटी को दे दिए होते तो वे बेहतर सर्वे कर देते । अतः यह कार्य कमेटीज को सौंपकर और टीम बनाकर सभी प्रॉपर्टीज की वैरीफिकेशन की जाए और गलतियों को ठीक करवाने के लिए 5–5 हजार रुपये देने की जो बात की गई है उसको बंद किया जाए । यह बात ठीक नहीं है कि गलती कोई करे और सजा कोई भुगते । यह सिस्टम ठीक नहीं है । अतः सरकार द्वारा इस सर्वे को स्वयं करना चाहिए ।

श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया कि कुल 42.70 लाख प्रॉपर्टीज का सर्वे किया गया है । माननीय मंत्री जी ने जवाब में यह नहीं बताया कि इनमें से कितनी प्रॉपर्टीज में गड़बड़ी हुई है । मेरी इंफर्मेशन के हिसाब से 15 लाख से भी ज्यादा प्रॉपर्टीज में गड़बड़ी पाई गई है ।

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा 22 जुलाई को एक ऑर्डर पास किया गया है । इसमें लिखा है कि –

In exercise of the powers conferred under Section 250 of the Haryana Municipal Act, 1973 and Section 398 of the Haryana Municipal Corporation Act, 1994, the Government of Haryana is pleased to issue the "Directions in form of policy for regularization of illegal subdivision of plots/permission for sub-division of residential plots in Town Planning Schemes, Rehabilitation Schemes situated in Municipal Areas of Haryana."

इसमें आपने केवल 100–100 गज के प्लॉट्स के लिए ही अलाउ किया है और बाकी के बारे में कोई ऑर्डर नहीं किया है। इन स्कीम्ज के अलावा भी तो पूरा शहर बसता है, इसलिए इन स्कीम्ज को क्लेरिफाई करें और साथ में तहसीलदार को भी डॉयरेक्शन दें कि वे कानून के हिसाब से काम करें और लोगों की प्रोपर्टी की सेल और परचेज में बाधा न डालें।

श्री नीरज शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस विषय पर अपनी बात रखना चाहता हूं, इसलिए मुझे भी अपनी बात रखने के लिए समय दिया जाए। मैं केवल 2 मिनट में ही अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष: नीरज जी, आप केवल 2 मिनट में ही अपनी बात समाप्त कर दें।

श्री नीरज शर्मा: अध्यक्ष महोदय, प्रोपर्टी आई.डी. पर इतनी बातें हो चुकी हैं। अब तो रामायण की चौपाई ही है कि–

'हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहुबिधि सब संता।'

अध्यक्ष महोदय, आप मेरी बातों को हंसी से सुन लीजिए। इसमें इतनी कमियां हैं कि राष्ट्रीय पेपर को सीरीज चलानी पड़ी। बाकी तो 46 गज और 50 गज के प्लॉट्स की ही बात कर रहे हैं। मेरे फरीदाबाद में तो एक बोर्ड पर माननीय मंत्री डॉ0 कमल गुप्ता जी को इतनी आपति हो गयी कि नगर निगम का पार्क, बुस्टर, तालाब और खत्ते की ही प्रोपर्टी आई.डी. बना दी। नगर निगम के माल को किसी प्राइवेट आदमी को बेच दिया। मैं रिकार्ड से बाहर नहीं जाउंगा और मैं संबंधित पेपर्ज को टेबल कर रहा हूं। इनमें आपको तसल्ली से पढ़ने को मिल जाएगा, इसलिए मैं ये चीजें टेबल कर रहा हूं। दूसरा मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही है कि ये 'यासी' गुजरात की कम्पनी है। इस पर सरकार इतनी मेहरबान क्यों हैं? माननीय मंत्री जी स्वयं कह रहे हैं कि हमने पहले चरण में काम करवाया और दूसरा व तीसरा चरण खत्म कर दिया क्योंकि उससे संतुष्ट नहीं हैं। माननीय मंत्री जी बार– बार कह रहे हैं कि इसमें 5 प्रतिशत का क्लॉज था। लेकिन आपने सिर्फ 10 प्रतिशत माल ही तो जांचा है। अगर 100 प्रतिशत जांचेंगे तो पता लग जाएगा कि कितना है ? तीसरी बात यह है कि ये

एक प्रोपर्टी के सर्वे के 190 रुपये बता रहे हैं। एक आदमी मरे से मरा एक दिन में 10 प्रोपर्टीज का सर्वे कर लेगा तो उसके 1,900 रुपये हो जाएंगे। हरियाणा कौशल रोजगार निगम पर इतने बेराजगार रजिस्टर्ड हैं अगर उनको यह काम दे दिया जाए तो उनका महीने का 54,000 रुपये बनता है। इस प्रकार 10 घरों के सर्वे के हिसाब से तो सरकार को उनके बाथरूम तक के पाईपों का पता लग जाएगा। राशन के डिब्बों तक का पता लग जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इसमें जनता के पैसों की लूट हुई है। नगर निगम/नगर पालिकाओं के पास पुराना रिकार्ड था और सरकार का प्रैशर था और उसको हैंड ओवर कर दिया, लेकिन जनता धक्के खा रही है। उसके बाद किरायेदार मकान मालिक और मालिक किरायेदार दिखाने की तो बड़ी आम बात हो गयी। इसमें दूसरी सबसे बड़ी परेशानी यह आ रही है कि सोनीपत में शैक्षणिक संस्थान को ही कॉमर्शियल डिक्लेयर कर दिया। मैं संबंधित कागजात टेबल कर रहा हूं। हालांकि बाद में कह दिया कि यह तो राजनीति द्वेष के कारण हुआ है। सोनीपत शहर में एक दिन प्रोपर्टी आई.डी. का कैम्प लगा और उस दौरान 400 आदमी खड़े हो गये थे। इसके कारण सभी संबंधित अधिकारी/कर्मचारी दफ्तर छोड़कर भाग गये। जब जी.आई.एस. सर्वे हो रहा था और आपको विश्वास था कि हम इतनी बढ़िया चीज दे रहें तो आपने 5 प्रतिशत की छूट क्यों दी ? नगर निगम और यू.एल.बी. डिपार्टमैंट में वैसे ही घोटालों की भरमार है। अब दोबारा से नंगे पैर घूमना मेरे बस की बात नहीं है। मैंने 54 दिनों तक बहुत त्याग किया है। जब आपने वह ठेका दिया तो हर चीज का वर्क ऑर्डर बनता है। उसको किसने चैक किया ? मौहल्ला चैक किया है, गली चैक की है या ब्लॉक चैक किया है और ये 50 घरों की प्रोपर्टी आई.डी. बनी है। तीसरा जो खेल हो गया है उसमें माननीय मंत्री जी को अच्छी तरह से पता है और ये उस बात पर मुस्कराएंगे भी। माननीय मंत्री जी रोहतक में प्रैस कान्फ्रैंस में भी थे। जिन्होंने सर्वे किया और जिस कम्पनी ने सर्वे करवाया था, माननीय मंत्री जी सिर्फ हाऊस को यह बता दें कि उनकी शैक्षणिक योग्यताएं क्या थी ? उनकी शैक्षणिक योग्यता दसवीं और बारहवीं थी। जी.आई.एस. सर्वे, मैपिंग, लम्बी चौड़ी बात की गयी और उसके बाद आज वे आदमी क्या काम कर रहे हैं ? वे दफ्तरों में दलाल बनकर बैठे हुए हैं। जिन्होंने खुद ही काम खराब कर दिया और क्या अब वही आपका काम ठीक करेंगे ? चौथा माननीय मंत्री जी ने यह तो बता दिया कि उनको लगभग 100 करोड़ रुपये दे दिये हैं। माननीय मंत्री जी ने जवाब में यह बताया है। इसमें दूसरा और तीसरा चरण बाकी है। माननीय मंत्री जी

हाऊस को यह बता दें कि अभी कितना पैसा और देंगे ? माननीय मंत्री जी ने 96.00 करोड़ रुपये के बारे में बताया है, लेकिन पूरी रकम के बारे में नहीं बताया है। माननीय मंत्री जी यह जो रेवेन्यू डिपार्टमैंट के साथ टाई अप है, इस हाऊस को पता है कि माननीय सदस्य श्री नीरज शर्मा बिना कागज के सबूत के बात नहीं करता है। ये कानून सिर्फ गरीब आदमी के लिये बनते हैं। जब अमीर आदमी की बात आती है तो आपके सारे कानून ढह जाते हैं। मेरे पास आपके महकमें की चिट्ठी है और यह कई बार आपके पास और सरकार के पास पहुंच चुकी है। इसमें वर्ष 2018 में ठेका दिया गया था। यह पिंकी और प्रीति का केस था जिसको मैं सदन में 4 बार उठा चुका हूं। उनके सुसर साहब की तहसीलों में धक्के खा–खा कर और रेवेन्यू कोर्ट के चक्कर लगा–लगा कर डैथ हो गई थी। अध्यक्ष महोदय, जिस नगर निगम के पास सफेदी करने के लिए पैसे नहीं हैं। सीवरेज की फंटी के लिए बहन बेटियों को कहना पड़ता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बरात आयेगी सीवरेज साफ करवा दो लेकिन दूसरी तरफ एक ही प्लॉट की 24 करोड़ रुपये की रजिस्ट्री हो जाती है इसके लिए न तो एन.डी.सी. चाहिए और न ही एन.ओ.सी. चाहिए। यह क्या बात हुई। ये चिट्ठी नगर निगम कमिश्नर साहब ने ज्वाईंट सब–रजिस्ट्रार, बड़खल, फरीदाबाद को लिखी है कि ये प्रोपर्टी है इसके 23 करोड़ समथिंग बकाया हैं और इसकी रजिस्ट्री न की जाये लेकिन इसकी रजिस्ट्री हो गई। अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें यह कहना है कि एक गरीब के प्लॉट की रजिस्ट्री नहीं होगी क्योंकि गरीब पहले टोकन लेकर आयेगा यदि उसका 50 वर्ग गज का प्लॉट 49 वर्ग गज पोर्टल पर दिखा दिया गया है तो फिर उसको चक्कर लगाने पड़ेंगे। उसके बाद वह किसी दलाल को पकड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह कहना है कि जनता को इतना न लूटा जाये और यह 24 करोड़ रुपये की राशि सरकारी खजाने में जमा करवा दो। अध्यक्ष महोदय, मैं ये सारे पेपर पुनः आपके माध्यम से टेबल करना चाहूंगा। मेरी इतनी सी विनती है।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आप इसको टेबल पर रख दीजिए। इसको प्रोसिडिंग्ज का पार्ट बना दिया जायेगा।

***श्री नीरज शर्मा** : अध्यक्ष महोदय, मेरी यह लिखित में स्पीच निम्न प्रकार से है।

____

*चेयर के आदेशानुसार लिखित स्पीच को प्रोसीडिंग्स का पार्ट बनाया गया।

2/12/2022 Sh. Neeraj Sharma, MLA 396 203

पं० नीरज शर्मा

विधायक - फरीदाबाद NIT-86
सदस्य - स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज कमेटी

निवास व कार्यालय – 1623, जवाहर कॉलोनी,
फरीदाबाद – 121005
ई-मेल - neeraj.sharma0456@gmail.com
☎ 0129-2472211

FBD/22-23/665 Dt 20/11/2022

उप मुख्यमंत्री महोदय जी,
हरियाणा सरकार।

विषयः नगर निगम फरीदाबाद के अनुरोध के बावजूद रजिस्ट्री करने बारे।

श्रीमान जी,

विषयांकित मामले में आपको अवगत करवाना चाहता हूँ कि नगर निगम फरीदाबाद ने अपने पत्र कमांक एमसीएफ/सीटीपी/2021/1910 दिनांक 09.08.2021 के द्वारा सब रजिस्ट्रार बडखल को लिखा था कि खसरा 35/25, 36/21/1, 39/1,2,3, 4/1, 7/2,8,9,10,40/5,6 टोटल 70 कैनाल–14 मरला राजस्व रिकार्ड सराय ख्वाजा फरीदाबाद के उपर नगर निगम की 239630131 ईडीसी एंव 1782448 प्रोप्रटी टैक्स के बकाया है, इसलिए इसकी रजिस्ट्री ना की जांए।

लेकिन बडे दुख के साथ कहना पड रहा है इसके बावजूद रजिस्ट्री कर दी गई जबकि M/S Forgings Pvt Ltd 12/6 DM Road Faridabad through official Liquidator Mr Sajeve Bhushan Deora 606 New Delhi House 27 Barakhamba Road New Delhi के पास नगर निगम के 3976875/–रू ई.डी.सी के 112180505/–रू बकाया है। एक तरफ तो दो सगी बहने प्रीति और पिंकी ने 50 गज का प्लाट खरीदा जिसकी रजिस्ट्री भी कर दी गई लेकिन उसके बाद उनको नोटिस दिए जा रहे।

इस मामले बारे मेरे द्वारा आपको पहले भी विधानसभा सत्र मार्च में अवगत करवाया गया था तथा द्वारा अतिरिक्त वित्तिय आयुक्त को मामले की करने बारे कहा गया था। लेकिन महोदय आजतक कोई कार्यवाही नही हुई। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है की मामले की गहनता से जांच की जाए तथा नगर निगम फरीदाबाद के बकाया पैसे नगर निगम के खाते में जमा किए जाए। इसके अतिरिक्त यह भी देखा जाए कि जो रजिस्ट्री हुई है सरकार को उसमें कोई वित्तिय हानि तो नही हुई अगर हुई है तो उसके पैसे भी जमा करवांए जांए।

आपका

नीरज शर्मा

उपरोक्त की प्रति अतिरिक्त वित्तिय आयुक्त, राजस्य विभाग हरियाणा।

Scanned with CamScanner

397 264

पं० नीरज शर्मा
विधायक - फरीदाबाद NIT-86
सदस्य - स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज कमेटी

निवास व कार्यालय - 1623, जवाहर कॉलोनी,
फरीदाबाद - 121005
ई-मेल - neeraj.sharma0456@gmail.com
☎ 0129-2472211

FBD/22-23/533 Dt 04/09/2022

अतिरिक्त मुख्य सचिव,
वित्तीय आयुक्त राजस्व हरियाणा।

विषयः नगर निगम फरीदाबाद के अनुरोध के बावजूद रजिस्टरी करने बारे।

श्रीमान जी,

विषयांकित मामले में आपको अवगत करवाना चाहता हूँ कि नगर निगम फरीदाबाद ने अपने पत्र क्रमांक एमसीएफ/सीटीपी/2021/1910 दिनांक 09.08.2021 के द्वारा सब रजिस्ट्रार बडखल को लिखा था कि खसरा 35/25, 36/21/1, 39/1,2,3, 4/1, 7/2,8,9,10,40/5,6 टोटल 70 कैनाल–14 मरला राजस्व रिकार्ड सराय ख्वाजा फरीदाबाद के उपर नगर निगम की 239630131 ईडीसी एंव 1782448 प्रोप्रटी टैक्स के बकाया है, इसलिए इसकी रजिस्ट्री ना की जांए।

लेकिन बडे दुख के साथ कहना पड रहा है इसके बावजूद रजिस्ट्री कर दी गई जबकि M/S Forgings Pvt Ltd 12/6 DM Road Faridabad through official Liquidator Mr Sajeve Bhushan Deora 606 New Delhi House 27 Barakhamba Road New Delhi के पास नगर निगम के 3976875/–रू ई.डी.सी के 112180505/–रू बकाया है। एक तरफ तो दो सगी बहने प्रीति और पिंकी ने 50 गज का प्लाट खरीदा जिसकी रजिस्ट्री भी कर दी गई लेकिन उसके बाद उनको नोटिस दिए जा रहे।

इस मामले बारे मेरे द्वारा उप मुख्यमंत्री जी को विधानसभा सत्र मार्च में अवगत करवाया गया था तथा उप मुख्यमत्री जी द्वारा आपको मामले की करने बारे कहां गया था। अतः अब मामले के दस्तावेज आपके कार्यालय में आ गए होगे, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है की मामले की गहनता से जांच की जाए तथा नगर निगम फरीदाबाद के बकाया पैसे नगर निगम के खाते में जमा किए जाए।

आपका

[signature]

नीरज शर्मा

Scanned with CamScanner

398

ANNEXURE-A-14

205

220

Municipal Corporation, Faridabad

From

Commissioner,
Municipal Corporation,
Faridabad

To

M/s Forgings Pvt Ltd, 12/6, DM Road, Faridabad,
through official Liquidator,
Mr. Sajeve Bhushan Deora,
606, New Delhi House,
27, Barakhamba Road, New Delhi

Memo No: MCF/CTP/2021/ 80. Dated 14-01-2021

Subj- Payment of External Development Charges & outstanding property tax etc.

Your kind attention is drawn towards this office memo no. FCA(T)-Supdt-78/7034 dated 18.12.1978 whereby the permission for change of land use for setting up of an Industrial unit on your land measuring 70 kanal 14 marla bearing khasra no. 35//25, 36//21/1, 39//1, 2, 3, 4/1, 7/2, 8, 9, 10, 40//5, 6 in the revenue estate of village Sarai Khwaja, Faridabad situated at 12/6, Delhi Mathura Road, Faridabad was allowed in accordance with conditions with CLU-II agreement executed on 24.10.1978 as per requirement of Rule 26-D of the Punjab Scheduled Roads and Controlled Areas Restrictions of Unregulated Development Rules, 1965.

As per condition no. 1 (a) of CLU-II agreement referred as above read with provisions under Clause X (1) of Final Development Plan, Faridabad- 2031 AD for the Controlled Areas notified on 14.03.2018, you are require to pay the proportionate External Development Charges as and when determined by the competent authority.

In this context you were asked vide this office memo no. FCA/STP/93/2337 dated 28.12.1993 to pay the External Development Charges amounting to Rs. 39,76,875/-@ Rs. 4.5 lacs per gross acre within a period of 30 days from the date of receipt of the said demand notice.

Since you have not paid any amount towards EDC, therefore this Corporation vide memo no. MCF/STP/2002/1928 dated 16.12.2002 asked to pay the EDC amounting to Rs. 1,21,80,505/- @ Rs. 13,78,275/- per gross acre applicable at that time, within a period of 30 days from the date of receipt of said demand notice. These EDC rates will be increased @ 10 % from 01.01.2003 as per policy and compound interest @ 18% per annum will be levied on delayed payment as per applicable policy.

As per record of this office you have not paid any amount towards External Development Charges and the outstanding external development charges is being calculated on the basis of memo no. 1928 dated 16.12.2002 with prevailing rate of interest. As per calculation

TRUE COPY

Scanned with CamScanner

206

221

399

Municipal Corporation, Faridabad

the total outstanding EDC is Rs. 239630131/- (Twenty Three Crore Ninety Six Lakh Thirty Thousand One Hundred Thirty One rupees) interest calculated upto 31.12.2020.

Apart from the above, this Corporation vide memo no. MCF/F/LLO-II/2020/2233 dated 04.12.2020 raised demand from the company to pay Rs. 17,82,448/- (Seventeen Lakh Eighty Two Thousand Four Hundred Forty Eight rupees) towards property tax, fire tax as outstanding dues. An affidavit to this effect was also filed by this Corporation in the Hon'ble Apex Court in the matter titled as Karan Gambhir etc. Vs. Sajeve Bhushan Deora & Ors bearing Civil Appeal No. 3103-04 of 2020.

In view of above you are hereby directed to pay the above mentioned external development charges amounting to Rs. 239630131/- and property tax, fire tax amounting to Rs. 17,82,448/- in this Corporation prior to sale of the property or within a period of 15 days whichever is earlier, enabling this department to issue a no dues certificate in favor of M/s Forgings Pvt. Ltd towards payment of dues.

14/1/2021
Chief Town Planner
For Commissioner

Endst: No. MCF/CTP/2021/ Dated:-

A copy of above is forwarded to Sh. Karan Gambhir R/o F-1/9, Okhla Industrial Area, Phase-I, New Delhi- 110020 in reference to his letter dated 07.01.2021 for kind information please.

Chief Town Planner
For Commissioner

Endst: No. MCF/CTP/2021/ Dated:-

A copy of above is forwarded to Joint Commissioner, Old Faridabad Zone, Municipal Corporation Faridabad for information, please.

Chief Town Planner
For Commissioner

TRUE COPY

Scanned with CamScanner

400

207

BY- HAND

DATE: 03.09.2020

To,

The Tehsildar,
Badkhal, Faridabad.

Subject – Stamp Duty Calculation and charges for sale deed for Factory Land at 12/6, Mathura Road, Sector 27C, Faridabad owned by M/s Forgings Pvt Ltd admeasuring 42,773.5 Sq Yards or 8.84Acres falling in the revenue Estate of Sarai Khawaja, having khasra 35/125, 36/12/1, 39/1, 39/2, 39/3, 39/4/1, 39/7/2, 39/8, 39/10, 40/5, 4

Dear Sir,

The undersigned is the Shareholder and promoter of M/s Forgings Pvt Ltd and would like your good selves to update any demand / current outstanding as on date towards Development charges or any other charges required to be paid in respect of Property at 12/6, Mathura Road, Sector 27C, Faridabad owned by M/s Forgings Pvt Ltd.

You are also requested to provide the following:

1. Stamp Duty Calculation for sale deed and charges with break up.
2. If any demand / current outstanding as on date towards Development charges or any other charges required to be paid by M/s Forgings Pvt Ltd.
3. Whether the said Factory land will be sold as Agricultural land or Industrial Factory.

Your early action will be highly appreciated in this regard.

Karan Gambhir
Promotor & Shareholder of
M/s Forgings Pvt Ltd
TEL : +91-9811634548
E.mail : kg@ddcorp.in

OFFICE BADKHAL
Rcd
2020
2:30

Scanned with CamScanner

208

401

प्रेषक

सब रजिस्ट्रार

बडखल।

प्रेषित

श्री करन गम्भीर प्रमोटर एण्ड शेयरहोलडर

मैसर्ज फोरजिन प्रा0 लि0 12/6 मथुरा रोड सै-27सी फरीदाबाद।

क्रमांक 248 /आर0सी0 दिनांक 3/9/202-

विषय- Stamp Duty Calculation and charges for sale deed for Factory Land 12/6, Mathura Road Sector 27C, Faridabad owned by M/s Forgings Pvt Ltd admeasuring 42,773.5 Sq Yards or 8.84Acres.

उपरोक्त विषय के आपके पत्र क्रमांक - दिनांक 03.09.2020 के सन्दर्भ में मौजा सराय ख्वाजा इन्डस्ट्रीयल एरिया खसरा न0 35/25, 36/21/1, 39/1, 39/2, 39/3, 39/4/1, 39/7/2, 39/8, 39/9, 39/10, 40/5, 40/6 टोटल रकवा 70 कनाल 14 मरले (42,773.5 वर्गगज) इन्डस्ट्रीयल एरिया मथुरा रोड का कलैक्टर रेट मु0 23000/- प्रति वर्गगज (Twenty Three Thousand Per Sq Yards)है। इस जमीन की कलैक्टर रेट के अनुसार कुल कीमत मु0 98,37,90,500/- बनती है। कलैक्टर रेट के अनुसार कन्ट्रेक्सन का रेट मु0 700/- रुपये प्रति वर्ग फुट है। कम्पनी के नाम वसीका पंजीकृत कराने के लिए 7% स्टाम्प डयूटी चार्ज की जाती है (12/6 मथुरा रोड सै-27सी फरीदाबाद) उक्त जमीन इन्डस्ट्रीयल है इसका वसीका/रजिस्ट्री इन्डस्ट्रीयल रेट पर होगी।

सब रजिस्ट्रार
बडखल।
Sub Registrar
BADKHAL
3/9/2020

THE SEAL OF THE SUB REGISTRAR BADKHAL

Scanned with CamScanner

Municipal Corporation Faridabad

2091

402

From
Commissioner,
Municipal Corporation,
Faridabad.

To
Joint/ Sub- Registrar,
Badkhal, Faridabad.

Dated: 09-08-2021

Memo No: MCF/CTP/2021/ 1910

Sub:- Regarding registration of sale deed in respect of land bearing khasra nos. 35//25, 36//21/1, 39//1, 2, 3, 4/1, 7/2, 8, 9, 10, 40//5, 6 total measuring 70K-14M in the revenue estate of village Sarai Khwaja, Faridabad situated at 12/1, D.M. road-M/s. Forging Pvt. Ltd.

In this context, it is intimated that as per record of this Corporation, an amount of Rs. 23,96,30,131/- (alongwith applicable interest calculated upto 31.12.2020) towards EDC and Rs. 17,82,448/- towards property tax/fire tax (calculated upto 31.12.2020) was pending against the property mentioned as per subject. It is further intimated that MCF filed an application of claim before Hon'ble National Company Law Tribunal which was decided against this Corporation on 24.03.2021 but this Corporation is in process of filing an Appeal before Hon'ble NCALT against the Hon'ble NCLT orders dated 24.03.2021. It is further submitted that sale deed of this land may be got registered in the office of Joint/ Sub-Registrar, Badkhal/Faridabad in the near future.

Commissioner MCF vide his order dated 06.08.2021 has decided to forward a request to your good office to hear this Corporation before title change/ Deed Registration.

In view of above, it is requested to hear the claim of MCF before title change/ Deed Registration concerning the land captioned subject please.

06/08/2021
Chief Town Planner
For Commissioner

Dated:-

Endst. No. MCF/CTP/2021/

A copy of the above is forwarded to the following for information & necessary action, please:-

1. District Attorney, MCF with the request to expedite the process of filing the Appeal & to forward another request to Mr. Hemant Gupta, Ld. AAG, Haryana to file the Appeal before Hon'ble NCALT at the earliest. Ld. CMC has also decided to know the reasons for delay in filing the Appeal.
2. Joint Commissioner, MCF Old Fbd. Zone.
3. ZTO MCF, Old Faridabad Zone-II with the directions to provide the status of No Dues Certificate in respect of the aforesaid land at the earliest.
4. DTP, MCF with the directions to contact Mr. Hemant Gupta, Ld. AAG, Haryana & provide all the assistance & requisite documents at the earliest

Chief Town Planner
For Commissioner

Faridabad stepping towards Smart City

E-mail-cmc.mcfbd@gmail.com, ctp.mcfbd@gmail.com Tel No- 0129-2418224, 2415549, Extn-220

Scanned with CamScanner

403

210

ANNEXURE-14

154

Non-Judicial

Indian-Non Judicial Stamp
Haryana Government

Date : 14/04/2021

Certificate No EDN2021D40

GRN No 76445637

Stamp Duty Paid : ₹ 36981000

Penalty : ₹ 0

Seller / First Party Detail

Name: Forgings pvt ltd Th liquidator
H.No/Floor : 12/6 Sector/Ward : X LandMark : Mathura road sarai khawaja
City/Village : Faridabad District : Faridabad State : Haryana
Phone: 96******50

Buyer / Second Party Detail-

Name : Mars Infra Engineering Pvt Ltd
H.No/Floor : 660 Sector/Ward : 16A LandMark : Faridabad
City/Village: Faridabad District : Faridabad State : Haryana
Phone : 95******00 Others : Vidya Wati and Savita Girdhar and Abhishek Amir Girdhar

Purpose : SALE CERTIFICATE

The authenticity of this document can be verified by scanning this QrCode Through smart phone or on the website https://egrashry.nic.in

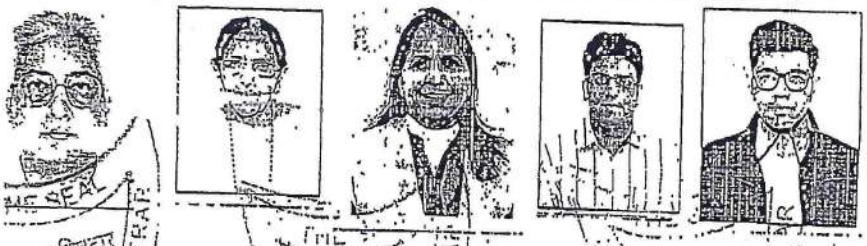

SALE CERTIFICATE FOR IMMOVABLE PROPERTY / LAND & BUILDING, ISSUED UNDER REGULATION 33(1) OF INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA (LIQUIDATION PROCESS) REGULATIONS, 2016

For Forgings Private Limited
In Liquidation

Sajeve Bhushan Deora
(Liquidator)

BADKHAL

BADKHAL

CONTD...P.2

BADKHAL

Mars Infraengineering Pvt. Ltd.

Director

विद्या वती

Santa Girdhar Abhishek

TRUE COPY

Scanned with CamScanner

404

155 211

[illegible]

प्रलेख सम्बन्धी विवरण

[illegible]

भवन का विवरण

भूमि का विवरण

धन संबंधी विवरण

कुल स्टाम्प शुल्क की राशि 11494000 रुपये

पंजीकरण शुल्क 1 रुपये

[illegible]

यह प्रलेख आज दिनांक 04-08-2021 दिन बुधवार समय 4:21:00 PM बजे श्री/श्रीमती/कुमारी [illegible] द्वारा पंजीकरण हेतु प्रस्तुत किया गया।

उप/संयुक्त पंजीयन अधिकारी (बड़खल)

[illegible]

प्रमाणित किया जाता है कि प्रलेख ग्रामीण आयोजना विभाग के अधिनियम 1975 की धारा 7-ए के अंतर्गत [illegible] के अंतर्गत आता है व इस संबंधित विभाग के अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है।

या

प्रमाणित किया जाता है कि प्रलेख ग्रामीण आयोजना विभाग के अधिनियम 1975 की धारा 7-ए के अंतर्गत [illegible] नहीं है इसलिए संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

For Forgings Private Limited

उप/संयुक्त पंजीयन अधिकारी (बड़खल)

दिनांक 04-08-2021

Authorised Signatory

[illegible]

दिनांक 04-08-2021

Mars Infraengineering ... Ltd.

Director

M.C. SAXENA
Advocate
Distt. Courts, Sec.12, Faridabad

M.K. GAUR
Advocate
Distt. Courts, Sec.-12, Faridabad

Scanned with CamScanner

405 — 812

155-A

TRUE TYPED COPY OF PAGE 155

Document No. 2378 Date: 04.08.2021

DEED DETAILS		
NAME OF DEED: CERTIFICATE OF SALE URBAN AREA WITHIN MC		
Tehsil/Sub-Tehsil Badkhal	Village/City Sarai Khawaja Ur Dholpur	LOCATED:
SARAI KHAWAJA		
Within urban municipal area limits		other areas
Address: Sarai Khawaja fbd		
Building Details		
Role Description		
Want agriculture 14 Marla		70 Kanal
Monetary Statement		
Amount Rs 528300000		Total stamp duty amount Rs 31698000
Stamp No: e0n202140	Stamp Amount: Rs. 36981000	
Amount of registration fee Rs 50000	EChallan: 76445822	
Pasting fee Rs.3		
Drafted By Self		
Service Charge: 200		

This document today dated 04-08-2021 Wednesday time at 4:21:00 PM Shri/Mrs./Kumari Forging Pvt. Ltd. th. Sajeve Bhushan Deora Ni fhd. is submitted for Registration

For Forgings Private Limited
in Liquidation

Sd/-
Deputy Commissioner Registration Officer (Badkhal)

Signature Presenter Sajeve Bhushan Deora
(Liquidator)

Forging Pvt Ltd th. Sajeve Bhushan Deora

The area mentioned in the document is notified under Section 7-A of the Town and Rural Planning Department's Act 1975, so no objection certificate has been obtained from the concerned department before registering the document.

Or

TRUE COPY

Scanned with CamScanner

406 155-B

The area mentioned in the document is not notified under Section 7-A of the Town and Country Planning Department's Act 1975, so no objection certificate is required from the concerned department before registering the document.

For Forgings Private Limited
in Liquidation

Sd/-
Deputy Commissioner Registration Officer (Badkhal)

DATED: 04-08-2021

Forging Pvt Ltd th. Sajeve Bhushan Deora

The above claimants are Mr./Mrs./Kum. Vidya Wati wife of Amar Chand, Savita Girdhar wife of Davinder Kumar Abhishek Amar Girdhar son, Mars Infra Engineering Pvt Ltd th. Sahil Virmani are present. The facts of the present document were accepted by both the parties after hearing and understanding. According to the document, the claimant paid an amount of Rs 0 to the presenter before me and accepted the transaction for the amount of advance paid as mentioned in the document. Both the parties were identified by Mr. Smt./Kum. M.C. Saxena adv father – resident fbd and Mr. Mrs. Kumari M.K. Gaur Adv father resident fbd.

We know Witness No.1 Numberdar/Advocate and identifies Witness No.2.

Dated 04-08-2021

Appropriate Registration Officer Badkhal

M.C. SAXENA
Advocate Distt.
Courts, Sec.12. Faridabad

Mars Infra.engineering Pvt. Ltd.
Director

M.K. GAUR
Advocate
Distt. Courts, Sec.12. Faridabad
Distt. Court Sec-12 Faridabad

Sattarpur ______

TRUE COPY

Scanned with CamScanner

407

~~414~~ 156

::2::

SALE CERTIFICATE for Rs. 52,83,00,000/- (Rupees Fifty Two Crores Eighty Three Lakhs only) executed on the 4TH day of August, 2021 by Sajeve Bhushan Deora, (AADHAAR No. 5142 8939 3877) S/o Sh. B. Bhushan Deora Liquidator of Forging Private Limited (In Liquidation) (hereinafter referred to as "Executant") having been so appointed by the Hon'ble National Company Law Tribunal, New Delhi, vide its Order dated 26.10.2018 passed in C.A. No. 656(PB)/2018 in C.P. No. (IB) 455 (PB) 2017 read together with Order dated 06.07.2021 passed in I.A. No. 2739/ 2021 in C.P. No. (IB) 455 (PB) 2017.

This Sale Certificate has been executed by the Executant in respect of property number 12/6 Village Sarai Khawaja, Mathura Road, Tehsil Badhkal, District Faridabad, Haryana (hereinafter referred to as "Land & Building") (details of Land & Building are set out in Schedule attached), belonging to the Liquidation Estate of Forging Private Limited (in liquidation), in favour of (I) the legal heirs of Late Sh. Davinder Kumar son of Sh. Amir Chand resident of House No. 52, Sector 16A, Faridabad 121002, Haryana, namely (a) Smt. Vidya Wati (Aadhar: 7373 7096 4075) wife of Late. Mr. Amir Chand resident of House No. 52, Sector 16A, Faridabad 121002, Haryana,, (b) Smt. Savita Girdhar (Aadhar: 5111 3243 8425) wife of Late Mr. Davinder Kumar resident of House No. 52, Sector 16A, Faridabad 121002, Haryana, and (c) Sh. Abhishek Amir Girdhar (Aadhar: 3344 9483 0178) resident of House No. 52, Sector 16A, Faridabad 121002, Haryana, and (II) Mars Infra Engineering Pvt. Ltd., a company incorporated in India with limited liability and having its registered office at Plot No. 660, Sector-16A, Faridabad 121002, Haryana, acting through its director Sh. Sahil Virmani (Aadhar: 8541 3235 8689) son of Mr. Basant Kumar Virmani resident of 1016, Sector 15, Geeta Mandir, Escorts Nagar, Faridabad, 121007, Haryana authorized by way of resolution passed by Board of Directors of Mars Infra Engineering Pvt. Ltd. at its meeting held on 02-08-2021.

Late Sh. Davinder Kumar and Mars Infra Engineering Pvt. Ltd. were the Co-Bidders for the Land & Building, owned by Forging Private Limited (In Liquidation), in the e-auction held on 07.06.2019. Upon expiry of Sh. Davinder Kumar on 09.05.2021, and pursuant to application filed by the legal heirs of Late Sh. Davinder Kumar, the Hon'ble National Company Law Board has, vide Order dated 06.07.2021 passed in I.A. No. 2739/ 2021 in C.P. No. (IB) 455 (PB) 2017, directed the Liquidator of Forging Private Limited (In Liquidation) (the Executant) to "... *register the property in the name of the legal heirs of Sh. Davinder Kumar as follows: 1. Smt. Vidya Wati 2. Ms. Savita Girdhar 3. Mr. Abhishek Amir Girdhar*".

CONTD...,P.3...

For Forgings Private Limited
In Liquidation
Sajeve Bhushan Deora
(Liquidator)

Savita Girdhar
Abhishek

2
Mars Infraengineering Pvt. Ltd.
Director

TRUE COPY

Scanned with CamScanner

408 215 157

:: 3 ::

Smt. Vidya Wati, Smt. Savita Girdhar and Sh. Abhishek Amir Girdhar of the First Part and Mars Infra Engineering Pvt. Ltd. of the Second Part are hereinafter together referred to as "the Purchasers".

WHEREAS:

1. The Executant hereby sells, transfers, assigns and conveys all rights, title and interest in Land & Building, bearing number 12/6, Village Sarai Khawaja, Mathura Road, Tehsil Badhkal, District Faridabad, Haryana, details whereof are set out in Schedule attached, belonging to Liquidation Estate of Forging Private Limited (in liquidation), to the Co-bidders and Purchasers of Land & Building, namely, (i) Smt. Vidya Wati, Smt. Savita Girdhar and Sh. Abhishek Amir Girdhar, purchaser of 75% joint and undivided interest in Land & Building, and (ii) Mars Infra Engineering Private Limited, purchaser of 25% joint and undivided interest in Land & Building, as Purchaser of Joint and Undivided rights, title and interests in the Land & Building. This Sale Certificate conveys rights, title and interest of an Unspecified and Un-demarcated share in Land & Building, being immovable property, owned by liquidation estate of Forging Private Limited (In Liquidation) in favour of the Purchasers.

2. The Executant acknowledges the receipt of e-auction sale consideration of Rs. 52,83,00,000/- (Rupees Fifty Two Crores Eighty Three Lakhs Only) in full, and has handed over delivery of physical possession of the Land & Building to the Purchasers. Sale consideration amount of Rs. 52,83,00,000/- (Rupees Fifty Two Crores Eighty Three Lakhs only) received by the Executant includes an amount of Rs. 52,83,000/- (Rupees Fifty Two Lacs Eighty Three Thousand only) as TDS.

3. The Executant has also, concurrently handed over the documents, listed in the Annexure, to the Purchasers.

CONTD...P.4...

For Forgings Private Limited
in Liquidation
Sanjeeve Bhushan Daora
(Liquidator)

Mars Infraengineering Pvt. Ltd.
Director

3

Savita Girdhar
विद्या वती
Abhishek

TRUE COPY

Scanned with CamScanner

409 158 216

::4::

4. This Sale Certificate dated 04-08-2021 has been executed by the Liquidator of Forging Private Limited (in Liquidation), in accordance with and pursuant to: .

(i) Advertisement and Sale Notice dated 15/16.05.2019 issued by the Liquidator for e-auction of Land & Building,

(ii) Your Bid Application Form dated 04.06.2019,

(iii) Your participation in e-auction of the Land and Building held on 07.06.2019,

(iv) The directions of the Hon'ble National Company Law Board Tribunal (NCLT), vide Order dated 04.12.2019, in CA No. 1079 of 2019 in CP No. (IB) 455 (PB) of 2017, and in I.A. No. 2739/ 2021 in C.P. No. (IB) 455 (PB) 2017,

(v) The Order dated 17.08.2020 of the Hon'ble National Company Law Appellate Tribunal (NCLAT) upholding the Order of the Hon'ble NCLT in CA No. 1079 of 2019 in CP No. (IB) 455 (PB) of 2017,

(vi) The Order dated 12.01.2021 (certified copy received on 18.01.2021) of the Hon'ble Supreme Court of India dismissing appeals filed against the Order of the Hon'ble NCLAT referred to in (iii) above,

(vii) Provisions of Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 and Regulations framed thereunder,

(viii) The meeting of Stakeholders Consultation Committee constituted in the case of liquidation estate of Forgings Pvt. Ltd. (in liquidation) (a) held on 22.01.2021, also attended by (i) Mr. Davinder Kumar, and (ii) Mr. Sahil Virmani, representative of Mars Infra Engineering Pvt. Ltd., and (b) held on 31.07.2021, also attended by (i) Mr. Sahil Virmani, and (ii) Mr. Abhishek Amir Girdhar for self and His Mother, Mrs. Savita Girdhar and His Grand Mother (Father's Mother), Mrs. Vidya Wati.

CONTD...P.5...

For Forgings Private Limited (In Liquidation)

Rajeev Bhushan Chopra (Liquidator)

Mars Infraengineering Pvt. Ltd.

Director

TRUE COPY

Scanned with CamScanner

90

159

::5::

(ix) Sale Confirmation Letter dated 12.02.2021, and

(x) Letter of Intent dated 12.02.2021.

5. The sale of the Scheduled Property is done on 'As Is Where Is, As Is What Is, As Is Whatever There Is Basis'.

(Sajeve Bhushan Deora)
Liquidator
for Forgings Private Limited (In liquidation)
IBBI/IPA-001/IP-00317/2017-18/10581
606 New Delhi House, 27 Barakhamba Road,
New Delhi 110001.
Tel: +91-11-43542784
Mobile: +91 9811903450
Registered e-mail address:sajeve.deora@deora.com
e-mail id: liq.forgings.sbd@gmail.com

Description of the Immovable Property/ Land & Building

(I). LAND ADMEASURING 70 KANAL 14 MARLA COMPRISED IN KHASRA NOS. 35/25(5-15), 36/21/1(3-07), 39/1(8-00), 39/2(8-00), 39/3(8-00), 39/4/1(1-12), 39/7/2(2-00), 39/8(8-00), 39/9(8-00), 39/10(8-00), 40/5(5-05), 40/6(4-15) SITUATED AT 12/6, VILLAGE SARAI KHWAJA, MAIN MATHURA ROAD, TEHSIL BADKHAL, DISTRICT FARIDABAD, HARYANA

CONTD...P.6...

For Forgings Private Limited
In Liquidation
Sajeve Bhushan Deora

Mars Infraengineering Pvt. Ltd.
Director

5

TRUE COPY

Scanned with CamScanner

411

218
160

:: 6 ::

(II). BUILDING AS PER FOLLOWING DETAILS LOCATED AT THE LAND MENTIONED IN CLAUSE (I) ABOVE:

Sl. No.	Particular	Measurement			Area
		Height	Length	Width	SFT
		In Ft	In Ft	In Ft	
1	Structure 1 – RCC	13.0	13.2	23.0	302.5
2	Structure 2 - Open MS Shed	10.0	19.0	31.0	589.0
3	Structure 3 - Main Shed	21.0	243.8	60.5	14,746.9
4	Structure 4 - RCC (rear)	13.0	12.0	30.0	360.0
5	Structure 5 - Transformer room	10.0	10.0	12.0	120.0
6	Structure 6 - Guard room	10.0	13.0	11.2	145.6
	Total				16,263.9

Boundary Wall	Length: 1,830 running metre

CONTD..P.7...

For Forgings Private Limited
(in Liquidation)
Sajeve Bhushan Arora
(Liquidator)

Mars Infraengineering Pvt. Ltd.
Director

निवेदिता
Sarita Giridhar
Abhishek

6

TRUE COPY

Scanned with CamScanner

412

219

161

::7::

Annexure – List of documents handed over by the Executant to the Purchaser:

S. No.	Document title	Original / Copy
1.	Sale Deed dated 24.09.1969 executed by Bawa Malkhan Singh & Sons HUF in favour of Forgings Private Limited duly registered before the Sub Registrar of Assurances as Document No. 1984 having Volume No. 362 in Book No. 1	Original

For Forgings Private Limited
(in Liquidation)

Shiv Bhushan Desai
(Liquidator)

Mars Infraengineering Pvt. Ltd.

Director

Sarita Girdhar

Abhishek

M.C. SAXENA
Advocate
Distt. Courts. Sec.12, Faridabad

M. K. GAUR
Advocate
Distt. Courts, Sec.-12, Faridabad

TRUE COPY

Scanned with CamScanner

Reg. Year Book No. 413

2378 2021-2022 1

162 220

पेशकर्ता दावेदार गवाह

For Forgings Private Limited
in Liquidation

Sajeve Bhushan Deora उप/सयुंक्त पंजीयन अधिकारी
(Liquidator)

पेशकर्ता :- Forging Pvt Ltd. th. Sajeve Bhushan Deora

दावेदार :- Vidya WatiSavita GirdharAbhishek Amir GirdharMars Infra Engineering Pvt Ltd. th. Sahil Virmani

गवाह 1 :- M.C. saxena, adv

गवाह 2 :- M. kGaur, Adv

Mars Infraengineering Pvt. Ltd.

Director

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यह प्रलेख क्रमांक 2378 आज दिनांक 04-08-2021 को बही नं 1 जिल्द नं 2 के पृष्ठ नं 194.25 पर किया गया तथा इसकी एक प्रति अतिरिक्त बही संख्या 1 जिल्द नं 69 के पृष्ठ संख्या 94 से 98 पर चिपकाई गयी। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस दस्तावेज के प्रस्तुतकर्ता और गवाहों ने अपने हस्ताक्षर/निशान अंगूठा मेरे सामने किये है।

दिनांक 04-08-2021 उप/सयुंक्त पंजीयन अधिकारी(बडखल)

TRUE COPY

Scanned with CamScanner

162-A

TRUE TYPED COPY OF PAGE 162

Reg. No.	Reg. Year	Book No.
2378	2021-2022	1

Presenting Claimant Witness

Deputy /Joint Registration Officer

For Forging Private Limited
in Liquidation
Sd/-
Sajeve Bhushan Deora
(Liquidator)

Presenter: - Forging Pvt Ltd. Th.Sajeve Bhushan Deora ______________

Claimant: - Vidya Wati Savita Girdhar Abhishek Amir Girdhar Mars Infra Engineering Pvt Ltd.th. Sahil Virmani __ Sd/-__ Sd/-__ Sd/-__________

Mars Infraengineering Pvt. Ltd.
____Sd/-______Director

Witness 1:- M.C. Saxena, adv __Sd/-___

Witness 2:- M. K Gaur, Adv. __Sd/-___

Certificate

Certified that this document number 2378 was registered today on 04-08-2021 on page no.194.25 of book no.1 volume no.2 and a copy of it was pasted on page no.94 to 96 of book no.1 volume no.69 . It is also certified that the presenters and witnesses of this document have put their signatures/thumb impression in front of me.

Dated: 04-08-2021 Deputy / Joint Registration Officer (Badkhal)

TRUE COPY

Scanned with CamScanner

4/5 222

TRUE TYPED COPY OF PAGE 162 162-A

Reg. No.	Reg. Year	Book No.
2378	2021-2022	1

Presenting Claimant Witness

Deputy /Joint Registration Officer

For Forging Private Limited
in Liquidation
Sd/-
Sajeve Bhushan Deora
(Liquidator)

Presenter: - Forging Pvt Ltd. Th.Sajeve Bhushan Deora ______________

Claimant: - Vidya Wati Savita Girdhar Abhishek Amir Girdhar Mars Infra Engineering Pvt Ltd.th. Sahil Virmani __ Sd/-__ Sd/-__ Sd/-__________

Mars Infraengineering Pvt. Ltd.
____Sd/-______Director

Witness 1:- M.C. Saxena, adv __Sd/-___

Witness 2:- M. K Gaur, Adv. __Sd/-___

Certificate

Certified that this document number 2378 was registered today on 04-08-2021 on page no.194.25 of book no.1 volume no.2 and a copy of it was pasted on page no.94 to 96 of book no.1 volume no.69 . It is also certified that the presenters and witnesses of this document have put their signatures/thumb impression in front of me.

Dated: 04-08-2021 Deputy / Joint Registration Officer (Badkhal)

TRUE COPY

Scanned with CamScanner

416 223

ANNEXURE 15
163

DDO Code: 2331	E - CHALLAN Government of Haryana	Candidate Copy
Valid Upto:	20-04-2021 (Cash) 14-04-2021 (Chq./DD)	
GRN No.: 0076445822	Date: 13 Apr 2021 18:21:20	
Office Name:	2331-Sub Divisional Officer Civil Badkhal	
Treasury:	Faridabad	
Period:	(2021-22) One Time	

Head of Account	Amount ₹
0030-03-104-99-51 Fees for Registration	50006
PD AcNo	0
Deduction Amount: ₹	0
Total/Net Amount: ₹	50006
₹ Fifty Thousands Six Rupees	

Tenderer's Detail

GPF/PRAN/TIN/Actt. no./VehicleNo/Taxid:-
PAN No:
Tenderer's Name: DAVINDER KUMAR ETC
Address: FBD
Particulars: S R BADKHAL GOVERNMENT FEES FOR REGISTRATION OF DOCUMENT

Cheque-DD-Detail:

Depositor's Signature

FOR USE IN RECEIVING BANK

Bank CIN/Ref No: 12735736597
Payment Date: 13/04/2021
Bank: Punjab National Bank Aggregator
Status: Success

DDO Code: 2331	E - CHALLAN Government of Haryana	AG/ Dept Copy
Valid Upto:	20-04-2021 (Cash) 14-04-2021 (Chq./DD)	
GRN No.: 0076445822	Date: 13 Apr 2021 18:21:20	
Office Name:	2331-Sub Divisional Officer Civil Badkhal	
Treasury:	Faridabad	
Period:	(2021-22) One Time	

Head of Account	Amount ₹
0030-03-104-99-51 Fees for Registration	50006
PD AcNo	0
Deduction Amount: ₹	0
Total/Net Amount: ₹	50006
₹ Fifty Thousands Six only	

Tenderer's Detail

GPF/PRAN/TIN/Actt. no./VehicleNo/Taxid:-
PAN No:
Tenderer's Name: DAVINDER KUMAR ETC
Address: FBD
Particulars: S R BADKHAL GOVERNMENT FEES FOR REGISTRATION OF DOCUMENT

Cheque-DD-Detail:

Depositor's Signature

FOR USE IN RECEIVING BANK

Bank CIN/Ref No: 12735736597
Payment Date: 13/04/2021
Bank: Punjab National Bank Aggregator
Status: Success

TRUE COPY

* Note :->Depositor should approach treasury for judicial stamps etc. after verifying successful/ Account Prepared status of this challan at 'Verify Challan' on e-Gras website. This status become available after 24 hrs of deposit of cash or clearance of cheque / DD.

Scanned with CamScanner

कोरोना का प्रकोप होने के चलते काम-काज प्रभावित होना व वाहनों का आवागमन कम होना इसकी बड़ी वजह थी। ऐसे में प्रदेश सरकार ने पहल करते हुए कुरुक्षेत्र से 210 टन लकड़ी नगर निगम को भिजवाई थी। यह लकड़ी शहर के विभिन्न शवदाह गृहों को भिजवाई जानी थी, पर निगम अधिकारियों की उदासीनता के चलते ऐसा हो न पाया। इधर जब कोरोना का प्रकोप कम हो गया, तो

नगर निगम सभागार प्रांगण में पड़े कुरुक्षेत्र से आई लकड़ियों के ढेर • जागरण

अधिकारी पूरी तरह से निंतामुक्त हो गए। अब हाल यह है कि भारी मात्रा में यह लकड़ी नगर निगम सभागार के प्रांगण में खुले में पड़ी सड़ रही है।

प्रदेश सरकार की ओर से 13 मई 2021 से 5 जुलाई 2021 तक 210 टन लकड़ी नगर निगम को भेजी गई थी और इस पर ट्रांसपोर्टेशन के रूप में साढ़े सात लाख रुपये भी खर्च

72 घंटा ... पहचान न होने पर अंतिम संस्कार करना होता है, उसकी जिम्मेदारी शक्ति सेवा दल संस्था की होती है, जो न्यू जनता

हुए थे, पर इसका रत्ती भर भी प्रयोग नहीं हुआ अर्थात जैसे लकड़ी निगम सभागार में डंप हुई, तब से लेकर जस की तस पड़ी हुई है।

इस दौरान विभिन्न मौकों पर हुई वर्षा का भी इस पर असर पड़ा होगा

नगर निगम के पार्क, बूस्टर, तालाब और खत्ते की ही बना दी गई प्रापर्टी आइडी

संपत्ति कर सर्वे में निजी कंपनी ने किया फर्जीवाड़ा, अब परेशान हो रहे हैं लोग

जागरण पड़ताल

अखिल धेवाब • फरीदाबाद

पहले तो लोग अपने प्लाट के साइज और नाम में गल्ती होने पर उसे दुरुस्त करवाने को लेकर नगर निगम मुख्यालय चक्कर लगा रहे थे। बढ़ती खामियों को ध्यान में रखते हुए अब जब नगर निगम की अलग-अलग शाखाओं की टीमों ने शहरी स्थानीय निकाय विभाग (यूएलबी) के नो ड्यूज सर्टीफिकेट (एनडीसी) पोर्टल की जांचना शुरू किया तो बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। जागरण पड़ताल में पता चला है कि संपत्ति कर सर्वे में निजी कंपनी ने बहुत सी प्रापर्टी आइडी फर्जी बना दी। किसी आइडी में तालाब, बूस्टर, पार्क तो कहीं कार की फोटो अपलोड कर दी है। निजी कंपनी के फर्जीवाड़े से नगर निगम के संपत्ति कर शाखा के अधिकारी व कर्मचारी परेशान हैं। जो भुक्तभोगी हैं, वो निगम स्टाफ को सुना कर चले जाते हैं। सर्वे एजेंसी की इन खामियों के आगे निगम स्टाफ स्वयं को असहाय मान रहा है।

यह किया गया : निजी कंपनी की टीमों ने सही रिकार्ड दर्ज नहीं किया। प्लाट के साइज और सही नामों पर ध्यान नहीं दिया। घर में जो भी मिला, उसका नाम नोट कर लिया गया। रजिस्ट्री किसके नाम है और असल मालिक कौन है, इसका ध्यान ही नहीं दिया गया। रिकार्ड तैयार करने में सिर्फ खानापूर्ति ही की गई। गलत फोटो लगाई गई है। अब नगर निगम के अधिकारी जब आनलाइन रिकार्ड देख रहे हैं, तो फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है।

एक आइडी में खत्ते की फोटो को ही अपलोड किया गया • जागरण

केस स्टडी 1 निजी कंपनी की ओर से सेक्टर-15 के पते पर एक प्रापर्टी आइडी बनाई गई है, जिसका नंबर 1बी-18 डब्ल्यूईई-2 है। इस आइडी के साथ जो फोटो अपलोड की गई है, वह नगर निगम के पार्क और बूस्टर की है। आइडी में 715 गज का प्लाट दर्शाया गया है।

केस स्टडी 2 प्रापर्टी आइडी-1बी-49जे-2एम3 है। इस आइडी के साथ एक खत्ते की फोटो लगाई गई है। आइडी में पता पाय नंबर जे-के ब्लाक दर्शाया गया है।

केस स्टडी 3 सेक्टर-15 के एक पते पर आइडी 1बी32डीआरवाइ बनाई गई है। आनलाइन देखें तो रिकार्ड में नौ गज के मकान की आइडी है। हैरानी की बात है कि इस सेक्टर में नौ गज का कोई मकान ही नहीं है। आइडी में एक कार की फोटो अपलोड की गई है।

नहीं हुआ प्रशिक्षण, निगम अधिकारी जाने से एक बात साफ है कि सर्वे से पहले निजी कंपनी के कर्मियों को सही से प्रशिक्षित नहीं किया गया। संबंधित अधिकारियों ने लापरवाही बरती। अगर समय रहते सर्वे के काम का निरीक्षण किया जाता तो

प्रापर्टी आइडी में जोड़े गए एक तालाब की फोटो • जागरण

पोर्टल पर एक आइडी में दर्शाई गई कार की फोटो • जागरण

यह करना था

- निजी कंपनी के कर्मचारियों को फील्ड में जाकर हर घर, वाणिज्यिक संस्थान के संपत्ति का ब्योरा एकत्र करना था।
- संपत्ति किसके नाम है और प्लाट का साइज भी दर्शाना था। इस दौरान फोटो अपलोड करनी अनिवार्य थी।
- अगर किसी इमारत में भूतल के अलावा दो मंजिला या ऊपरी हिस्से में और इमारत बनी हुई है, घर में ही वर्कशाप है, तो उसका ब्योरा भी दर्ज करना था।
- निजी कंपनी को नगर निगम की ओर से पुराना संपत्ति का ब्योरा दिया गया गया था, ताकि इससे मिलान करके नई रिपोर्ट तैयार की जा सके।

एनडीसी पोर्टल पर प्रापर्टी आइडी के साथ दर्शाई पार्क व बूस्टर की फोटो • जागरण

भटक रहे लोग, नहीं हो रहा समाधान

- एक नंबर ई ब्लाक में अतर कौर की दुकान है। सर्वे में गलत रिपोर्ट बनाई गई तो इस दुकान की आइडी में नरेश कुमार का नाम दर्शाया गया है।
- नेहरू ग्राउंड में मनोज कुमार की 70 गज की दुकान है। संपत्ति कर शाखा के रिकार्ड में 90 गज दर्शाया गया है।
- ऐसे दर्जनों मामले है, जिनका रिकार्ड गलत है और लोग इसे ठीक कराने को नगर निगम में भटक रहे है।

संपत्ति कर सर्वे में बड़ी खामियां सामने आ रही है। हमने लोगों को मौका दिया है कि आनलाइन आपत्ति दर्ज कराए। गलत रिकार्ड को दुरुस्त किया जा रहा है। लोग नगर निगम कार्यालय आकर भी अपनी शिकायत दे सकते है। सारा मामला सरकार के संज्ञान में है।

-अभिषेक मीणा, अतिरिक्त निगमायुक्त।

418

225

शैक्षणिक ट्रस्ट के भवन को दिखा दिया कार्मिशल

प्रापर्टी आइडी में खामियां ठीक कराने को भटक रहे लोग, दैनिक जागरण ने लगातार मुद्दा उठाया तो निगम ने स्पेशल काउंटर बनाया

जागरण पड़ताल

[illegible]

[illegible]

तीन माह का काम, तीन साल में हुआ, फिर भी गड़बड़

[illegible]

[illegible]

419

226

42.70 लाख प्रापर्टी से भरेगा सरकारी खजाना

शहरी निकाय मंत्री डा. कमल गुप्ता व एसीएस अरुण गुप्ता ने ठोंकी सर्वे कंपनी की पीठ

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़: हरियाणा का शहरी निकाय विभाग प्रापर्टी टैक्स से मालामाल होने वाला है। प्रदेश में 42 लाख 70 हजार प्रापर्टी ऐसी चिन्हित की गई हैं, जो टैक्स देने योग्य हैं। प्रापर्टी सर्वे के दौरान 12 लाख नई प्रापर्टी सामने आई हैं। राज्य सरकार ने इन सभी प्रापर्टी की आइडी बना दी है। ऐसा करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। प्रापर्टी आइडी बनने की वजह से अब हरियाणा को केंद्र सरकार से उचित ग्रांट भी मिल सकेगी। बाकी राज्य अपने यहां प्रापर्टी आइडी नहीं बना पाने के कारण केंद्र की ग्रांट से वंचित हैं।

15वें केंद्रीय वित्त आयोग ने सभी राज्यों के लिए इसे अनिवार्य किया है, क्योंकि उन्हें अब अनुदान तभी मिलेगा, जब सभी नगरीय निकाय अपने प्रापर्टी डाटाबेस को आनलाइन कर लेंगे। भारत सरकार का आर्थिक मंत्रालय राज्यों के नगरीय निकाय कार्य के स्तर पर आर्थिक संसाधन बढ़ाएं, इसके लिए म्युनिसिपल बांड जारी करना अनिवार्य करने जा रहा है।

हरियाणा के शहरी निकाय मंत्री डा. कमल गुप्ता और शहरी निकाय विभाग के अतिरिक्त प्रधान सचिव अरुण गुप्ता ने मंगलवार को प्रापर्टी सर्वे करने वाली राजस्थान की कंपनी यशी कंसल्टेंट को न केवल क्लीन चिट दी, बल्कि उसकी पीठ भी ठोंकी है। मंत्री ने कहा कि कंपनी ने प्रापर्टी सर्वे ठीक किया है। कई बार लोग सहयोग नहीं करते। आरंभ में उन्होंने टैक्स बचाने की नीयत से अपनी वास्तविक प्रापर्टी को कम लिखवाया, लेकिन बाद में वह तमाम तरह की अशुद्धियां ठीक कराने लगे। कंपनी के साथ सरकार के अनुबंध में यह प्रावधान है कि कोई सर्वे सौ प्रतिशत सही नहीं हो सकता। इसलिए पांच प्रतिशत त्रुटियों की छूट कंपनी को अनुबंध के दौरान ही दी गई थी। डा. कमल गुप्ता ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में प्रापर्टी सर्वे में जो त्रुटियां सामने आ रही हैं, उनका मुख्य कारण यह है कि प्रापर्टी मालिक अपनी सभी सूचनाएं अपनी प्रापर्टी की रजिस्ट्री में दर्ज सूचनाओं के अनुसार दर्ज कराना चाहते हैं। सर्वे एजेंसी ने टेंडर शर्तों के मुताबिक मौके की स्थिति के अनुसार डाटा कलेक्ट किया था। एनडीसी पोर्टल पर डाटा अपडेट करने की जिम्मेदारी शहरी निकायों की है। यह काम निरंतर चल रहा है। एक बार एनडीसी पोर्टल पर डाटा अपडेट होने के बाद फिर अगले 50 साल तक किसी को कोई समस्या नहीं आएगी। निकाय मंत्री के अनुसार कई बार ऐसा भी होता रहा है कि लोगों ने अपने दस्तावेज में त्रुटियां ठीक करा लीं, लेकिन बाद में संबंधित अधिकारी व कर्मचारी ने उन्हें पोर्टल में अपडेट नहीं किया। पहले केवल 25 प्रतिशत व्यक्ति ही प्रापर्टी टैक्स जमा करवाते थे, लेकिन प्रापर्टी आइडी बन जाने से यह सभी व्यक्ति शहरी स्थानीय निकाय विभाग को प्रापर्टी टैक्स देंगे और इससे निकायों के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। निकाय मंत्री के अनुसार सर्वे के बाद 12 लाख से अधिक नई संपत्तियों की पहचान की गई। अभी एक लाख 98 हजार आपत्तियां दर्ज हुई हैं। इनमें से एक लाख 60 हजार आपत्तियों का निपटान किया जा चुका है तथा शेष 38 हजार आपत्तियों के निपटान का कार्य प्रक्रियाधीन है। जिला नगर आयुक्त रैंक से नीचे के अधिकारियों को इन आपत्तियों को दूर करने की शक्तियां दे दी गई हैं।

- प्रापर्टी आनलाइन करने वाला हरियाणा पहला राज्य बना, पांच प्रतिशत त्रुटियों की छूट
- लोग अपनी रजिस्ट्रियों में दर्ज सूचनाओं के आधार पर अपडेट करना चाहते हैं प्रापर्टी आइडी

हरियाणा के शहरी निकाय मंत्री डा. कमल गुप्ता मीडिया से बात करते हुए • जागरण

डाटा में संशोधन के लिए नहीं लगेगा कोई शुल्क

शहरी निकाय मंत्री के अनुसार उनके मंत्रालय संभालने से पहले प्रापर्टी आइडी का कार्य पूरी तरह रुका पड़ा था। तब उनके पास दो ही विकल्प थे कि या तो अन्य राज्यों की तरह टेंडर निरस्त कर दिया जाए अथवा टेंडर की शर्तों के मुताबिक मौका परिस्थितियों के आधार पर परियोजना और सर्वे कार्य को पूरा करवाया जाए। इसलिए एनडीसी पोर्टल की अनिवार्यता को देखते हुए हमने एक बार पुन: 90 नगरीय निकायों में री-असेसमेंट सूचना पत्र के माध्यम से रजिस्ट्री में दर्ज सूचना के तहत डाटा अपडेट करवाने का फैसला किया। इसके तहत निदेशालय ने कोविड जैसी विपरीत परिस्थितियों और संपत्ति मालिकों द्वारा डाटा एकत्रित करने में असहयोग के बावजूद इस काम को पूरा कराया। उन्होंने बताया कि प्रापर्टी के नाम और एरिया में अब शपथ-पत्र से ही संशोधन करवा सकेंगे। नई रजिस्ट्री और पुराने डाटा में संशोधन कराने 31 मार्च, 2023 तक कोई शुल्क नहीं लगेगा।

शहरी निकायों में तीन हजार भर्तियां होंगी

राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़: हरियाणा के शहरी निकायों में तीन हजार पदों पर शीघ्र ही भर्ती की जाएगी। इसके लिए हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को मांगपत्र भेजा जा चुका है। अग्निशमन विभाग में दो हजार पदों पर व निकायों में अन्य कैटेगरी के एक हजार पदों पर भर्ती की जाएगी। 40 सेवानिवृत्त जेई और 20 सेवानिवृत्त एसडीओ की सेवाएं लेने पर विचार किया जा रहा है। श्री माता मनसा देवी मंदिर परिसर के आसपास के क्षेत्र को पवित्र स्थल घोषित करने का निर्णय लिया गया है। इस क्षेत्र में मांस-मदिरा की दुकानें वर्जित होंगी। शहरी निकाय मंत्री डा. कमल गुप्ता ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि शहरों को स्वच्छ करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। नगर निगमों द्वारा बेसहारा पशुओं को रखने के लिए चारदिवारी, शेड व बाड़े बनाए जा रहे हैं। सरकार ने शहरों में भीड़ वाले स्थानों पर पार्किंग के लिए मार्किंग करने का निर्णय लिया है। गुरुग्राम, फरीदाबाद, यमुनानगर, पानीपत, करनाल, रोहतक, हिसार, पंचकूला, सोनीपत, मानेसर व अंबाला सहित 11 नगर निगमों में एक लाख 20 हजार दोपहिया व चार पहिया वाहनों के लिए स्थानों की मार्किंग का लक्ष्य है

4.20 227

सर्वे में की गई लापरवाही नप को पड़ रही भारी

जिले में 15 करोड़ का प्रोपर्टी टैक्स है बकाया, हजारों लोगों का बिल ही गलत

अमर उजाला पड़ताल

अजित सैनी • रेवाड़ी

नगर निकायों को फंड की जरूरत है और करोड़ों रुपये के प्रोपर्टी टैक्स के अटके पड़े हैं। अकेले रेवाड़ी नगर परिषद की बात की जाए तो 15 करोड़ रुपये का प्रोपर्टी टैक्स बकाया है। धारूहेड़ा नगर पालिका का भी करीब तीन करोड़ रुपये का प्रोपर्टी टैक्स बाकी है। प्रोपर्टी टैक्स के बकाया रहने से निकाय के राजस्व को नुकसान हो रहा है और इसके लिए कहीं न कहीं सर्वेक्षण में बरती गई लापरवाही भी जिम्मेदार है। करीब तीन साल से ज्यादा दिक्कत इसलिए आ रही है क्योंकि प्रोपर्टी टैक्स के सर्वेक्षण का जिम्मा जिस कंपनी को दिया गया उसने सही तरीके से काम ही नहीं किया। इसके परिणाम यह आ रहे हैं कि लोगों के बिल ठीक नहीं बने हैं।

नगर निकायों का बकाया प्रोपर्टी टैक्स का आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। आलम यह हो गया कि अब जिला नगरायुक्त डा. सुभिता ढाका को खुद मोर्चा संभालना पड़ रहा है। नगरायुक्त बकायेदारों को बुलाकर उनसे बकाया टैक्स की रकम जमा कराने के लिए लगातार बैठक कर रही हैं। जिला नगर परिषद के पास 64 हजार के लगभग प्रोपर्टी आइडी हैं। इनका तीन करोड़ रुपये का प्रोपर्टी टैक्स हर साल का बनता है। वहीं निकाय का 15 करोड़ रुपये का टैक्स बकाया है।

नगर निकायों के सामने यह परेशानी तब से आने लगी है जब से याशी कंपनी ने प्रोपर्टी टैक्स का काम लिया है। कंपनी ने वर्ष 2020-21 में जो सर्वेक्षण किया उसके बाद से नप में टैक्स जमा होने की दर बेहद कम हो गई। ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास प्रोपर्टी टैक्स के बिल ही नहीं पहुंचे और जिनके पास पहुंचे वह गलत थे।

शत प्रतिशत ब्याज पर देनी पड़ी छूट: बकायेदारों की सूची बढ़ी तो अब सरकार को बकाया प्रोपर्टी टैक्स पर शत प्रतिशत ब्याज पर छूट देनी पड़ रही है। 31 दिसंबर तक प्रोपर्टी टैक्स जमा कराता है तो पूरा ब्याज माफ कर दिया गया है।

64 हजार के लगभग प्रोपर्टी आइडी है जिला नगर परिषद के पास

2020-21 में सर्वेक्षण किया उसके बाद से टैक्स जमा होने की दर घटी

18 करोड़ टैक्स बकाया है रेवाड़ी व धारूहेड़ा का, जमा कराने का है प्रयास

नगर परिषद कार्यालय रेवाड़ी • अमर उजाला

प्रोपर्टी टैक्स नगर परिषद की आमदनी का बड़ा जरिया है जिससे शहर में विकास कार्य होते है। प्रोपर्टी सर्वे का टेंडर लेने वाली याशी कंपनी के आने के बाद सबसे ज्यादा गड़बड़ियां हुई है। मैंने इस बाबत निकाय मंत्री को पत्र भी भेजा था। बिल अगर ठीक होते और लोगों के घरों तक पहुंचते तो बकायेदारों की सूची कम हो सकती थी। -पूनम यादव, चेयरपर्सन नप

बड़े बकायेदारों से बातचीत की जा रही है। रेवाड़ी और धारूहेड़ा का करीब 18 करोड़ प्रोपर्टी टैक्स बकाया है जिसको जमा कराने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि संबंधित कंपनी ने सर्वे में लापरवाही की, लेकिन अब लोगों की आपत्तियों को ठीक कराकर टैक्स जमा कराने पर ध्यान दिया जा रहा है। -डा. सुभिता ढाका, जिला नगरायुक्त

धारूहेड़ा में करोड़ों प्रापर्टी टैक्स बकाया

संवाद, धारूहेड़ा: औद्योगिक कस्बा धारूहेड़ा में प्रापर्टी टैक्स का करोड़ों रुपये बकाया है। प्रापर्टी टैक्स की बकाया राशि की रिकवरी के लिए जिला नगरायुक्त (डीएमसी) डा. सुभिता ढाका ने नगरपालिका कार्यालय में पार्षदों व बकायेदारों के साथ बैठक की। उन्होंने बकायेदारों से 31 दिसंबर से पहले टैक्स भरने की अपील की है।

जिला नगरायुक्त ने कहा कि हरियाणा सरकार ने बकाया प्रापर्टी टैक्स 31 दिसंबर तक जमा करवाने पर ब्याज राशि में 100 प्रतिशत छूट देने का फैसला किया है। उन्होंने पार्षदों से प्रापर्टी टैक्स की ब्याज राशि में 100 प्रतिशत छूट का व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार करने का आग्रह किया ताकि अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें। इस मौके पर नपा चेयरमैन कंवर सिंह यादव, उप चेयरमैन अजय लांगड़ा, उमेद, नपा सचिव प्रवीन छिकारा, प्रवीन पांचाल, नवल किशोर, सत्यप्रकाश, दीपक यादव, राकेश कुमार, वेदआर्य, विजेंद्र आदि मौजूद रहे।

421

428

प्रापर्टी आइडी के सर्वे में गड़बड़झाले पर निजी कंपनी का बचाव कर रही सरकार

आइडी ठीक कराने के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार पर मंत्री दे चुके अधिकारियों को चेतावनी

500 से 50 हजार रुपये तक की हो रही वसूली

इस तरह की है [illegible]

422

रजिस्ट्री देखे बिना ही बना दी हजारों प्रापर्टी आइडी

रिकार्ड में दर्ज गया मकान मालिक का नाम

रिकार्ड में किरायेदार को दर्शाया मकान मालिक

3.45 **5.70** **32,000**

—अभिषेक मीणा, ...

ऐसे भी कई मामले

मोबाइल नंबर गलत दर्ज!

229

423

~~230~~

कैसे भरें प्रापर्टी टैक्स, नई आइडी लेने में दिक्कत

लापरवाही इस कदर है कि नप कार्यालय में नई आइडी को लेकर किसी की ड्यूटी भी नहीं लगाई गई है

अमर उजाला पड़ताल

अंकुर अग्निहोत्री • पलवल

नगर परिषद में हाउस टैक्स जमा करने सहित एनडीसी निकलवाने जैसे काम के लिए नई प्रापर्टी आइडी होना अनिवार्य है, लेकिन अधिकतर लोगों को नई प्रापर्टी आइडी के बारे में जानकारी ही नहीं है। लोगों के बीच ऑनलाइन प्रॉपर्टीज तथिचका पोर्टल के जरिए आइडी नहीं बनने संबंधी जागरूकता भी नहीं है। नप की लापरवाही इस कदर है कि नई आइडी को लेकर किसी कर्मचारी की ड्यूटी भी नहीं लगाई गई है। इस लापरवाही का खामियाजा आमजन हर रोज भुगत रहा है। लोग चाहकर भी हाउस टैक्स व एनडीसी निकलवाने जैसे कार्य नहीं करवा पा रहे हैं। बाहर सीएससी पर नए कागजात निकलवाने के लिए 500 से 1200 रुपये देने पड़ रहे हैं।

दूसरी समस्या लोगों के सामने यह आ रही है कि नगर परिषद सभी की पुरानी आइडी के हिसाब से हाउस टैक्स बिल तैयार कर रही है, लेकिन लोग जब टैक्स जमा करने जाते हैं तो नई आइडी के हिसाब से टैक्स जमा करवाया जा रहा है। अलग समस्या है कि फिर लोगों को तैयार आवेदन भरवाने को कर्मचारी कह रहे हैं।

नगर परिषद कार्यालय • अमर उजाला

ऑनलाइन आवेदन करने वाले लोगों की फाइल हम क्लियर करते जा रहे हैं। इस समय हमारे पास फकत 11 फाइल पेंडिंग में है। नई आइडी को लेकर किसी को परेशानी न हो उसके लिए किसी की ड्यूटी लगाई जाएगी। - मनोज यादव, ईओ नप पलवल

प्रापर्टी आइडी में खामियों की भरमार: शहर में प्रापर्टी के सर्वे के लिए बाहरी कंपनी को ठेका दिया गया था। कंपनी के कर्मचारियों ने सर्वे कर अपनी रिपोर्ट सौंप दी। सर्वे में नगर परिषद के अंतर्गत 93 हजार प्रापर्टी हैं। लेकिन प्रापर्टी आइडी बनाने के नाम पर हुए सर्वे में कई संपत्ति का मालिक किरायेदारों को ही बना दिया। मनमाने तरीके से किए गए प्रापर्टी सर्वे के दौरान जो मिला उसी का नाम दर्ज कर लिया गया। यही नहीं आइडी में किसी दूसरे का मकान नंबर किसी और की आइडी में दर्ज किया गया। अब गलतियों को ठीक कराने के लिए शहरवासियों को नप कार्यालय के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। इसके बाद भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलने से परेशानी बढ़ रही है।

सीएससी ले रहे मनमाने पैसे: कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) संचालक मनमाने ढंग से ऑनलाइन मैप देने की एवज में मनमाने पैसे वसूल रहे हैं। शहर में सभी सीएससी संचालक मनमानी फीस ले रहे हैं। सेंटर पर कोई रेट तय नहीं है। जो मन में आता है, वो फीस के रूप में वसूला जा रहा है। इसका असर लोगों की जेब पर पड़ रहा है। प्रापर्टी आइडी बनाने के लिए सीएससी संचालक पांच सौ से हजार रुपये वसूल रहे हैं, जबकि नप अधिकारियों के मुताबिक आइडी के लिए मुश्किल से पचास से सौ रुपये लेने चाहिए।

जुर्माने का सता रहा डर

हरियाणा सरकार ने प्रापर्टी टैक्स की राशि 31 दिसंबर, 2022 तक जमा कराए जाने पर ब्याज राशि में 100 प्रतिशत छूट दी है। लेकिन प्रापर्टी आइडी में आ रही दिक्कत के चलते लोग हाउस टैक्स नहीं जमा करा पा रहे हैं। लोगों को डर सता रहा है कि यदि 31 दिसंबर तक टैक्स जमा नहीं कराया तो जुर्माना देना पड़ेगा।

किरायेदार मेरी प्रापर्टी आइडी में किरायेदारी की दुकानें का पता चढ़ा दिया। पोर्टल पर आपत्ति अपलोड करने की कोशिश कर चुका हूं। लेकिन साइट में कुछ न कुछ खराबी आ जाती है। कार्यालय में कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है। - दीपक शर्मा

हाउस टैक्स जमा करना है। नगर परिषद कार्यालय आया तो पता चला नई आइडी से हाउस टैक्स जमा हो रहा है। मेरे पास पुरानी आइडी है। नई आइडी कैसे बनेगी कोई बताने को तैयार नहीं है। कोई इधर भेज रहा तो कोई उधर भेज रहा। परेशान हो गया हूं। - रामदत्त

कार्यालय में अलग से हो हेल्प डेस्क

नगर परिषद कार्यालय में प्रापर्टी आइडी को लेकर एक अलग से हेल्प डेस्क होनी चाहिए। ताकि लोग आइडी और नो ड्यूज से संबंधित जानकारी हेल्प डेस्क से ले सकेंगे। उन्हें भटकना न पड़े।

424 231

नगर निगम कर्मचारियों पर बहुत भारी पड़ रहा है निजी कंपनी का फर्जीवाड़ा

संपत्ति कर की शाखाओं के कर्मचारी पुराने और नए रिकार्ड के मिलान में जुटे

अनिल बेताब • फरीदाबाद

संपत्ति कर सर्वे के मामले में सरकार भले ही निजी कंपनी की पीठ थपथपा रही हो, लेकिन कंपनी की ओर से किए गए फर्जीवाड़े से इन दिनों नगर निगम के संपत्ति कर शाखा के कर्मचारी परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं।

आम नागरिक तो पहले से ही रिकार्ड ठीक करवाने के लिए नगर निगम के चक्कर लगाते-लगाते व्यवस्था को कोस रहा है। अब उनकी परेशानी और बढ़ गई है। निगम के पुराने और निजी कंपनी के नए रिकार्ड के मिलान के लिए नगर निगम के कर्मचारी घर-घर जाने लगे हैं। ऐसे में पहले जो कर्मचारी अपने कार्यालय बैठ कर लोगों की प्रापर्टी आइडी तथा संपत्ति कर के रिकार्ड को ठीक करने के काम में जुटे थे। वे फील्ड में हैं या फिर कार्यालय में डाटा का मिलान कर रहे हैं। लोग नगर निगम आ रहे हैं, तो उनकी सुनने वाला कोई नहीं है। जागरण पड़ताल में यह बात सामने आई कि लोगों को कार्यालय से बिना काम किए ही निराश लौटना पड़ रहा है। संपत्ति कर शाखा नंबर तीन के कार्यालय के बाहर तो एक कर्मचारी ही तैनात किया गया है, जो लोगों को भीतर प्रवेश करने से ही मना कर रहा है।

तनाव की स्थिति में हैं निगम कर्मचारी, मांगा जा रहा स्पष्टीकरण: संपत्ति कर शाखा के बड़े अधिकारी अपने कर्मचारियों पर दबाव बना रहे हैं कि संपत्ति कर रिकार्ड किसी भी तरह से जल्दी ठीक करके दो। निजी कंपनी की गलती पर तो कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। कई कर्मचारियों ने जवाब दिया है कि जो रिकार्ड निजी कंपनी ने दिया है, वह उनके रिकार्ड से मेल नहीं खा रहा है। लोकेशन तथा फोटो अपलोड करने में भी गड़बड़ है। कई जगह दो कर्मचारियों के पास एक ही कंप्यूटर है। ऐसे में एक साथ दोनों कर्मचारी डाटा कैसे फीड करेंगे। कर्मचारी कहते हैं कि उन पर दबाव नहीं बनाया जाना चाहिए। सारी गलती तो निजी कंपनी की है।

दोपहर 12:55 बजे, नगर निगम मुख्यालय में संपत्ति कर शाखा का दरवाजा बंद करता हुआ कर्मचारी • जागरण

निजी कंपनी की ओर से भेजा गया गलत नोटिस दिखाता हुआ मुजेसर निवासी महेश कुमार • जागरण

कैसे मिले ब्याज माफी योजना का लाभ, जब रिकार्ड ही ठीक नहीं

सुधीर कुमार • जागरण

सरकार की ओर से वर्ष 2010-11 से वर्ष 2021-21 तक के संपत्ति कर पर ब्याज माफी योजना चल रही है। बकायेदार इस योजना का 31 दिसंबर तक लाभ ले सकते हैं। अब लोगों के सामने यह परेशानी है कि जब उनका रिकार्ड ही सही नहीं है, तो बकाया राशि कैसे जमा कराएं। सेकटर-23 निवासी सुधीर कहते हैं कि उनका तीन वर्ष का संपत्ति कर बकाया है, वह जमा करवाना चाहते हैं और प्रापर्टी आइडी भी बनवानी है, मगर कार्यालय में सुनने वाला ही कोई नहीं मिला।

कर्मचारी फील्ड में, खाली पड़ी कुर्सियां. कौन सुनेगा लोगों की आपत्ति • जागरण

कोई सुनता नहीं, कई बार लगा चुका हूं चक्कर

मुजेसर निवासी महेश कुमार ने बताया कि उनका 26 गज का मकान है। निजी कंपनी के सर्वे के बाद उन्हें 35 गज के मकान का नोटिस भेज दिया गया। इसे ठीक करवाने के लिए नगर निगम में आ रहे हैं। समाधान नहीं हो पा रहा है।

"हम सभी आपत्तियों को दूर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि हमारे पास जो आपत्तियां आई हैं, उन्हें 31 दिसंबर से पहले दूर कर दिया जाए, ताकि लोग ब्याज माफी योजना का लाभ ले सकें। शाखा कार्यालयों में कहीं कोई कमी नहीं है। लोग आनलाइन भी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।

-अभिषेक मीणा, अतिरिक्त निगमायुक्त।

(बूझा ता जानकाउत्तर · साढ़ा) | जा स्वाभाविक मृत्यु स बचान म विवधता ह, जिसस वह अपन डाएनए फायर डस्क |

जागरण सिटी फरीदाबाद

डेढ़ लाख प्रापर्टी आइडी बनीं, रिकार्ड में मिली बड़ी कमियां

जागरण पड़ताल

अनिल बेताब ● फरीदाबाद

- निजी कंपनी की ओर से तैयार किए नोटिस निगम कार्यालय में पटके गए
- मच्छगर, मलेरना, चंदावली व साहूपुरा की आइडी में सामने आई कमियां

निजी कंपनी द्वारा गलत नाम व पते के तैयार किए गए संपति कर संबंधी नोटिस, जो कई महीने से नगर निगम के क्षेत्रीय कर अधिकारी, मुख्यालय के कार्यालय में बेकार पड़े हैं ● जागरण

प्रापर्टी का सर्वे करने के लिए अधिकृत की गई निजी कंपनी याशी के कार्य में नित नए गड़बड़झाले सामने आ रहे हैं। अब याशी की ओर से ग्रेटर फरीदाबाद (ग्रेफ) की जो डेढ़ लाख प्रापर्टी आइडी बनाई गई हैं, उनमें से बड़ी संख्या में कमियां मिली हैं। किसी के प्लाट का आकार गलत दर्शाया गया है, तो किसी के नाम में त्रुटि है। कमियां सामने आने के बाद भी निजी कंपनी की ओर से ग्रेटर फरीदाबाद में संपत्ति कर सर्वे का काम जारी है।

नगर निगम के क्षेत्रीय कर अ[illegible]री कार्यालय तथा टीम ने पिछले दिनों याशी की ओर से दी गई प्रापर्टी आइडी की सूची के अनुसार जब घर-घर जाकर वास्तविकता की जांच की तो इनमें नगर निगम में शामिल किए गए गांव मच्छगर, मलेरना, चंदावली तथा साहूपुरा की बनाई गई बड़ी संख्या में प्रापर्टी आइडी ऐसी हैं, जिनका रिकार्ड सही नहीं है। शुरुआती जांच में कई आइडी का रिकार्ड सही न मिलने के कारण अब नगर निगम की टीमें ग्रेफ की सभी आइडी की नए सिरे से जांच करेंगी, जिससे रिकार्ड को सही किया जा सके।

खुद बनाई आइडी, अब ढूंढने पर नहीं मिल रहे घर: पहले तो निजी कंपनी ने आनन-फानन में एनआइटी, ओल्ड फरीदाबाद तथा बड़खल में संपत्ति कर सर्वे के नोटिस तैयार कर लिए। फील्ड में गए तो वहां पता चला कि इस नाम से तो किसी का मकान ही नहीं है या फिर सरकारी संपत्ति तथा स्लम बस्ती के ही नोटिस तैयार कर लिए गए। पहले रिकार्ड में गलत नाम व पता दर्ज कर लिया। नोटिस बांटने के समय जब संबंधित व्यक्ति, संस्थान तथा पता के बारे में कुछ जानकारी नहीं मिली तो नोटिस क्षेत्रीय कर अधिकारी कार्यालयों में लाकर पटक दिए गए। अब भी कई शाखा कार्यालयों में हजारों की संख्या में नोटिस बेकार पड़े हैं।

निगम कर्मचारियों की आपत्ति को अनसुना किया अधिकारियों ने, भुगत रहे लोग: सर्वे के दौरान कई बार निजी कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ नगर निगम के क्षेत्रीय कर अधिकारियों, कर्मचारियों की बैठक हुई थी। बैठक में पटवारी भी मौजूद थे। जब लोकेशन पर चर्चा हुई तो उस दौरानकर्मचारियों ने आवाज उठाई थी कि एरिया के अनुसार निजी कंपनी के प्रतिनिधियों को सही जानकारी होनी चाहिए, मगर बड़े अधिकारियों ने उनकी जुबान बंद कर दी कि काम तो शुरू होने दो, बाद में देख लेंगे। अब कर्मचारी कह रहे हैं कि अगर समय रहते उनकी बातों पर ध्यान दिया होता तो आज सरकारी संपत्ति, स्लम बस्ती और एक ही इमारत की कई-कई आइडी नहीं बनती।

निगमायुक्त की ओर से की जा रही अपील: कमियों के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब निगमायुक्त कार्यालय की ओर से आम नागरिकों से संपत्ति कर तथा प्रापर्टी आइडी संबंधी कमियों को दूर करने के लिए अपील की गई है कि वे आपत्ति दर्ज करा रिकार्ड ठीक करवा लें।

कार्यालय में ठीक करवाएं प्रापर्टी आइडी की त्रुटियां: नगर निगम ने ग्रेटर फरीदाबाद और निगम में शामिल किए गए 24 नए गांवों के लिए चंदावली जोन अलग से बना दिया गया है। इसके लिए चंदावली में निगम कार्यालय बनाया गया है। क्षेत्रीय कर अधिकारी पदम सिंह ढांडा ने बताया कि सेक्टर 61ए, सेक्टर 64 से 74, सेक्टर 75 से 84, 84ए, 88 सहित आसपास के कई सेक्टर भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि यदि रिकार्ड में कोई गलती है, तो लोग निगम के चंदावली कार्यालय में आकर संपर्क करें।

426 -233-

प्रापर्टी आइडी में गलतियां ठीक कराने के लिए उमड़े लोग, मौके पर निपटीं 368 शिकायतें

गलतियां ठीक करने के लिए लगाए गए काउंटर पर पहले दिन ही मिलीं 468 शिकायतें

जागरण संवाददाता, सोनीपत : प्रापर्टी आइडी की गलतियों को ठीक कराने के लिए भटक रहे शहरवासियों के लिए नगर निगम ने स्पेशल काउंटर की शुरुआत की है। काउंटर पर 23 दिसंबर तक वार्डों के हिसाब से अलग-अलग दिन गलतियां ठीक की जाएंगी। सोमवार को पहले दिन वार्ड एक, छह, 11 और 14 के प्रापर्टी धारकों की गलतियां ठीक की गईं। पहले दिन 468 शिकायतें मिलीं। उनमें से ज्यादातर शिकायतें ऐसी थीं, जिसके नाम, पता, या फिर भवन की मंजिल से संबंधित जानकारी गलत थी। ऐसे में 468 में से 368 शिकायतें मौके पर ही निपटाने का दावा अधिकारी कर रहे हैं। बाकी शिकायतें खाली प्लाट पर मकान दिखाना या फिर रिहायशी को व्यवसायिक दिखाए जाने जैसी त्रुटि की हैं, जिनके निपटान के लिए साइट विजिट जरूरी है। अधिकारी 31 दिसंबर से पहले इनको ठीक करने की बात कह रहे हैं।

प्रापर्टी आइडी ठीक करवाने के लिए नगर निगम पहुंचे लोग • जागरण

ज्यादातर गलतियों को साथ की साथ ठीक कर दिया गया है। ऐसी गलती जिनका मौके पर निदान नहीं किया जा सकता है, उनको प्रोसेस में डाला गया है। प्रक्रिया 31 दिसंबर तक पूरी कर प्रापर्टी धारक को छूट का फायदा दिलाने का लक्ष्य है।

राजेंद्र चुघ, जोनल टैक्स आफिसर, नगर निगम

नगर निगम क्षेत्र में 1.78 लाख प्रापर्टी हैं। नगर निगम ने वित्त वर्ष 2022-23 में 25 करोड़ रुपये प्रापर्टी टैक्स के रूप में राजस्व जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। निगम कार्यालय में अप्रैल से लेकर अब तक मात्र चार करोड़ रुपये प्रापर्टी टैक्स भी जमा नहीं हो पाया है। निगम की ओर से बनाई गई 25 प्रतिशत प्रापर्टी धारकों की आइडी में कोई न कोई गलती है। इसको लेकर निगम हाउस की बैठक में भी मुद्दा उठा, जिसके बाद सर्वे करने वाली एजेंसी याशी के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्रस्ताव पारित हुआ है। वहीं, त्रुटि ठीक करने के लिए काउंटर लगाने का निर्णय लिया गया था। सोमवार को काउंटर की शुरुआत हो गई, जिससे शहरवासी त्रुटि ठीक करवाने पहुंचे। अब मंगलवार को दूसरे दिन 20 दिसंबर को वार्ड दो, सात, 12 और 17। इसके बाद 21 दिसंबर को वार्ड तीन, आठ, 13 और 18 के लिए नागरिक सुविधा केंद्र में काउंटर लगाएगा। ऐसे ही 22 दिसंबर को चार, नौ, 14 और 19 वार्ड के लोग त्रुटि ठीक करवा सकते हैं। वहीं, आगामी 23 दिसंबर को वार्ड पांच, 10, 15 और 20 के लिए काउंटर लगेगा।

छह लाख टैक्स की रिकवरी, 1.50 लाख रुपये आनलाइन आया : शहरी स्थानीय निकाय विभाग 2010 से लेकर अब तक के बकाया प्रापर्टी टैक्स पर 100 प्रतिशत ब्याज की छूट दे रहा है। ऐसे में इसका फायदा उठा रहे। सोमवार को छूट के तहत छह लाख रुपये की टैक्स रिकवरी हुई, जिसमें से 1.50 लाख रुपये आनलाइन टैक्स आया है। आनलाइन टैक्स भरने वालों को निगम तक नहीं आना पड़ा, बल्कि घर बैठे ही अपना टैक्स भर दिया। आनलाइन हाउस टैक्स पेमेंट के लिए ulbharyana.in पर जाना होगा। टाप बार में आनलाइन सर्विस के आप्शन पर क्लिक करके वहां अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना होगा। इसके बाद मोबाइल पर ओटीपी आएगा, जिसमें भरते ही साइट पर लाग-इन हो जाएगा। यदि आने प्रापर्टी टैक्स बिल भरने की सर्विस पर क्लिक किया है तो उसमें प्रापर्टी आइडी भरनी पड़ेगी। इसके जरिए प्रापर्टी के मालिक का नाम बदलने से लेकर नई प्रापर्टी आइडी बनाने और प्रापर्टी टैक्स के भुगतान तक किया जा सकता है।

427

टेढ़ी खीर है प्रापर्टी आइडी में नाम और मोबाइल नंबर को अपडेट करवाना

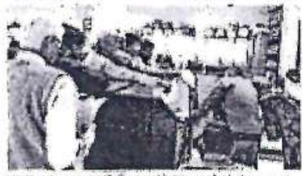

आय पर पड़ रहा है लापरवाही का असर

428 — 225

प्रापर्टी आइडी की गलतियां ठीक कराने पहुंचे लोगों ने किया हंगामा

कर्मचारी एक और शिकायतकर्ता अधिक होने पर बिफरे लोग

जागरण संवाददाता, सोनीपत : प्रापर्टी आइडी व गृहकर के बिलों की गलतियों को ठीक कराने लोगों ने भीड़ अधिक होने और गलतियां ठीक नहीं होने पर नगर निगम में हंगामा कर दिया। इसके बाद गुड़ मंडी क्षेत्र के पार्षद अतुल जैन ने लोगों को टोकन बांटने शुरू किए लेकिन लोग नहीं माने। इसके बाद डीएमसी ने पहुंचकर लोगों को आश्वासन दिया कि सभी गलतियों को ठीक किया जाएगा, इसके बाद लोग शांत हुए।

नागरिक सुविधा केंद्र पर लोगों को समझाते डीएमसी हरदीप सिंह दून • जागरण

नगर निगम में प्रापर्टी आइडी की गलतियों को ठीक कराने के लिए नागरिक सुविधा केंद्र में रोजाना विशेष काउंटर लगाया जा रहा है। बृहस्पतिवार को 436 लोग गृहकर बिल व आइडी की गलतियों को ठीक कराने पहुंचे। वार्ड नंबर चार, नौ, 14 और 19 के लोगों की प्रापर्टी आइडी व गृहकर बिलों में त्रुटियां ठीक की गईं। इस दौरान लोगों ने आठ लाख रुपये बकाया गृहकर भी जमा कराया। दोपहर में काउंटर पर भीड़ अधिक होने और लोगों से बहस होने के बाद शिकायतें ले रहा कर्मचारी काउंटर छोड़कर चला गया। इससे नाराज लोगों ने निगम में हंगामा कर दिया। इसके बाद पार्षद अतुल जैन ने टोकन बांटने शुरू किए, लेकिन लोग शांत नहीं हुए। सूचना मिलने पर डीएमसी हरदीप सिंह दून काउंटर पर पहुंचे और लोगों को आश्वासन दिया कि सभी शिकायतें ली जाएंगी और ठीक की जाएंगी। इसके बाद कर्मचारी ने आकर काम शुरू किया।

शिविर के दौरान ज्यादातर शिकायत ऐसी थी, जिसके नाम, पते, या फिर भवन की मंजिल से संबंधित जानकारी गलत थी। ऐसे में 436 लोग शिकायत लेकर पहुंचे, जिसमें से 284 शिकायतों का मौके पर ही निपटान किया गया। अन्य शिकायत खाली प्लाट पर मकान दिखाना या फिर रिहाशी को व्यवसायिक दिखाए जाने जैसी गलतियां थीं। उनके निपटान के लिए साइट विजिट जरूरी है। 23 दिसंबर को वार्ड नंबर पांच, 10, 15 और 20 के लोगों के लिए शिविर लगाया जाएगा।

क्षेत्रीय कर अधिकारी राजेंद्र चुघ ने बताया कि ज्यादातर त्रुटियों को साथ की साथ ठीक कर दिया गया है। ऐसी त्रुटि जिनका मौके पर निदान नहीं किया जा सकता है। उनको प्रोसेस में डाल दिया गया है। टीम साइट विजिट कर रिपोर्ट तैयार करेगी। जिसके आधार पर उनमें सुधार किया जा जाएगा।

429

किसी का पता गलत है तो कोई अपना नाम सही करवाने को भटक रहा

प्रापर्टी आइडी में खामियां ठीक कराने को सालों से भटक रहे शहर के लोग

जागरण पड़ताल

जागरण संवाददाता, सोनीपत : करोड़ों रुपये खर्च करने के बावजूद नगर निगम शहरवासियों की प्रापर्टी सही सर्वे नहीं करवा पाया। सर्वे एजेंसी बेसिक जानकारी तक सही तरीके से नहीं जुटा पाई। सर्वे में किसी का मोबाइल नंबर ही गलत है तो किसी का नाम और पता गलत है। वहीं, किसी के 200 गज के मकान को 60 गज का दिखा दिया गया है, तो कहीं पड़ोसी दुकानदार को बिल किसी अन्य दुकानदार को जा रहा है। ये सब सर्वे एजेंसी की लापरवाही का ही परिणाम है। इसका सीधा असर नगर निगम के तय किए आय के लक्ष्य पर पड़ रहा है और लोग इधर-उधर धक्के खाने को मजबूर हैं। वहीं, निगम टैक्स वसूली के बजाय गलती ठीक करने में उलझा हुआ है।

पड़ोसी के नाम दिखा दी दुकान : शहर के ककरोई रोड पर अमन की दुकान है। अमन ने दुकान को किराए पर दे रखा है। अमन की दुकान का मालिक उनके बगल में बनी एक अन्य दुकान के मालिक को दिखा दिया गया है। ऐसे ही जिसकी अमन की दुकान का मालिक दिखाया गया है। उनकी दुकान का मालिक रिकार्ड में किसी और को दिखा दिया गया है। ऐसे में अमन और बाकी लोग भी चक्कर लगा रहे हैं।

नगर निगम कार्यालय स्थित सुविधा केंद्र पर लगी भीड़ • जागरण

एजेंसी के खिलाफ शिकायत को लेकर भी हाउस की बैठक में प्रस्ताव पास हुआ है। विधायक मामले को मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे। जो भी आदेश आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर्वे के दौरान जो त्रुटि रह गई थी, उन्हें स्पेशल काउंटर लगाकर ठीक किया जा रहा है। जिनके बिलों में त्रुटि है, वे निगम आकर ठीक करवा सकते हैं या पीएमएस हरियाणा डाट काम पर आनलाइन भी अप्लाई कर सकता है। - हरदीप दून, नगर उपायुक्त नगर निगम

50 चक्कर लगाने पर भी नहीं बदला नाम

केस 1

शहर के सेक्टर-12 के रहने वाले अतुल खुराना ने बताया कि उन्होंने सेक्टर में फ्लोर खरीदा था। जिसके बाद प्रापर्टी टैक्स में मालिक का नाम बदलने के लिए आवेदन किया। उस समय उनको कहा गया कि नाम बदल दिया गया है। जब टैक्स का भुगतान करने आए तो पुराने मालिक के नाम पर ही आइडी मिली। उसके बाद से अब तक निगम में 50वीं बार आया हूं। हैरत की बात ये है कि बुजुर्ग ने एक पेज पर हर बार विजिट की तिथि लिखी है। सीट पर बैठे कर्मचारी पर हर बार निगम में आने की तस्दीक के साइन भी करवा ले जाते है।

तीन महीने में भी नहीं बनी आइडी

केस 2

मयूर विहार के रहने वाले अजय ने बताया कि उन्होंने प्लाट खरीदा था। तीन महीने पहले नई आइडी के लिए आवेदन किया था। बीच में फाइल रद हो गई। अधिकारी फाइल रद करने का कारण तक नहीं बता पाए। फिर से फाइल शुरू की। दोबारा फाइल लगा चुका हू, लेकिन तीन महीने में नई आइडी नही बनी। अब स्पेशल काउंटर की सूचना पर आया हू।

डॉ. कमल गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, सभी माननीय सदस्य पढ़े लिखे और होशियार भी हैं और वकील भी हैं। इन्होंने बड़े ही अच्छे ढंग से अपनी बातों को सदन में रखा और कुछ हद तक मैं इनकी बातों से सहमत भी हूं। जो बात सही है, मुझे उसे

स्वीकार करने में शर्म नहीं और न ही कोई संकोच है लेकिन बात रखते–रखते एक दम हवा में चले जाना और उट–पटांग बात करना, यह उचित नहीं है क्योंकि हम भी समझते हैं और आप भी समझते हैं कि कौन कहां पर बोल रहा है? मैं सबसे पहले यह बताना चाहूंगा कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? मैंने पिछले 18 सालों का रिकॉर्ड देखा है। मैंने वर्ष 2004 से लेकर वर्ष 2014 तक रिकॉर्ड भी देखा है। मैंने इसमें यह पाया कि हाउस टैक्स की जो एवरेज कलैक्शन थी, वह 75 करोड़ रुपये थी। अब वर्ष 2014 से लेकर वर्ष 2022 तक हाउस टैक्स की एवरेज कलैशन देखें तो लगभग 4.25 करोड़ रुपये से लेकर 4.30 करोड़ रुपये ही है। मान लो 30 लाख लोगों की प्रोपर्टी है और इसमें से 7 लाख लोगो ने हाउस टैक्स दे दिया तो इस हिसाब से 25 परसैंट हाउस टैक्स पे हो गया। आज सर्वे में प्रोर्टीज की संख्या बढ़कर 42 लाख 75 हजार हो गई है। आज की कैलकुलेशन के हिसाब से देखें तो सर्वे की गई सम्पत्तियों का कर निर्धारण 924 करोड़ रुपये हो गया है। हम एक ढर्रे पर चल रहे हैं और हमें उस ढर्रे पर क्या मिल रहा है और क्या नहीं, अगर हम इसका आंकलन नहीं करेंगे तो आप ही बतायें कि फिर कैसे बात बनेगी? (शोर एवं व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मैंने इन पांचों विधायकों की बातों को बड़ी शालीनता से सुना है इसलिए मेरा निवेदन है कि ये भी मेरी बातों को ध्यान से सुनें। जहां तक प्रोपर्टी राइट का सवाल है तो प्रोपर्टी आईडी से किसी भी नियम में परिवर्तन नहीं हुआ। जिस प्रोपर्टी का नाम डिमांड रजिस्टर में था वह टैक्स देता था। अगर वहां किरायेदार था और वहां भी सब तरह की चीजें थी लेकिन टैक्स तो कमेटी में ही जाता था तो मैं इनसे यह पूछना चाहूंगा कि फिर इसका टैक्स कौन देता था? इसी तरह से यहां पर भी जैसी डिमांड रजिस्टर में बात थी वैसी ही बात प्रोपर्टी आई.डी. में है और प्रोपर्टी आई.डी. में जिसका भी नाम होगा, उसको टैक्स देना ही पड़ेगा। चाहे उसके बिहाफ पर टैक्स किरायेदार दे या चाहे कोई भी टैक्स दे। एक माननीय सदस्य ने यह सवाल पूछा था कि इस बारे में पब्लिक से नहीं पूछा गया तो मैं माननीय सदस्य की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि 42 लाख 75 हजार प्रोपर्टीज का फैसला एग्रीमैंट में हुआ था तो उसमें कोई न कोई रूल तय करके ही किये होंगे। ये रूल इनके कार्यकाल के दौरान भी तय किये होंगे। इन्होंने जैसा राज किया, वह बात सभी को पता है, इसलिए ये लोग उधर वाली सीटों पर बैठे हैं और उस रूल के मुताबिक यह तय हुआ कि "10 percent of the property" को रैन्डम चैक किया जाएगा। आदरणीय वरुण जी ने कहा कि इस बारे पब्लिक से नहीं पूछा। ये जो 10 प्रतिशत रैन्डम चैकिंग अधिकारियों

ने सभी 89 यू.एल.बी. में की, ये चैकिंग हमारे डिपार्टमैंट के अधिकारियों ने की जिस पर आप विश्वास करते हैं। आप ने कहा कि यासी कंसल्टिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी को क्यों दे दी, हमारे जो कर्मचारी थे उन्हीं पर विश्वास करक उन्होंने रैन्डम चैक किया उसमें 5 प्रतिशत की गलती पाई गई। अगर गलती ज्यादा पाई जाती तो उस पर पैनल्टी लगती, लेकिन 89 यू.एल.बी. के अधिकारियों/कर्मचारियों ने पब्लिक से जाकर पूछा तभी ये चैक हुआ, उसके बिना चैक नहीं हो सकता था। आज आपकी जो शिकायतें आ रही हैं, इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने तय किया है कि हम दो–चार दिनों में सभी एम.एल.एज. को इसका एक्सेस दे देंगे ताकि वे डायरेक्ट इस पोर्टल को खोल सकें और उसको जज कर सकें। ये सही नहीं है कि जैसे किसी माननीय सदस्य ने कह दिया कि ये 95 प्रतिशत गलत है, ऐसी उनके पास कौनसी मशीन थी कि वे 95 प्रतिशत लोगों के पास जाकर चैक करके आ गये ?

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, यह मैंने नहीं कहा, ऐसा अखबार कह रहा है।

डॉ. कमल गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, अखबार का क्या है। विपक्ष के साथी क्या अखबार में विश्वास करते हैं, और हमारे ऑफिसर्स पर विश्वास नहीं करते। एक माननीय सदस्य ने लॉ ऑफ दी लैन्ड के बारे में कहा। कोई प्रॉपर्टी एक भाई के नाम है और उसने मन ही बना लिया कि यह दो में डिवाइड हो गयी, लेकिन उससे तो बात बनती नहीं है। प्रॉपर्टी में अगर वह डिविजन प्रोपर होती है तो दो प्रॉपर्टियां बनेंगी और प्रोपर्टी एक ही रहती है तो वह एक ही चलेगी। मैं आपकी बात से सहमत हूं कि काफी प्रॉपर्टियों में अनअप्रूव्ड लिखा गया। इस गलती को मैं मानता हूं और स्वीकार करता हूं। जो रिहैबिलिटेशन, टी.पी., इम्प्रूवमैंट ट्रस्ट स्कीम, एच.एस.आई.आई.डी.सी. स्कीम तथा एच.एस.वी.पी. की स्कीमज हैं। ये सब तो रेकोग्नाइज कॉलोनियों हैं इनकी प्रॉपर्टियों में, इनके कुछ घरों में अनअप्रूव्ड लिख दिया गया। इसके लिए हमने आदेश दे दिया कि सैंटर लेवल पर, स्टेट लेवल पर सभी घरों का अनअप्रूव्ड हटा दिया जाए। इसे दो–चार दिन के अन्दर हटा देंगे। तीसरी बात रिसिट के संबंध में आयी है। जहां कुछ डेवल्पमैंट चार्ज लग गए। मैं माननीय सदस्य बतरा जी की बात को मानता हूं। आपने यह बात ठीक कही है कि डेवल्पमैंट चार्जिज अब रिहैबिलिटेशन है, 50 साल पुराने है इन्हें कंज्यूमर कहां से पे करेगा। यह गलती हमारे विभाग से कुछ जगह हुई है कि हमने डेवल्पमैंट चार्जिज पेस्ट कर दिए जिसकी वजह से वह अनअप्रूव्ड में चल गया जबकि development charge has nothing to do with the

approved or unapproved. हमने डेवल्पमैंट चार्जिज भी जो हमारी 40 साल पुरानी 50 साल पुरानी रेकोग्नाइज कमेटियां थी जो मैंने आपको गिनाई है। इनमें जो घर थे उन सबसे हटा लिए हैं और जो थोड़े बहुत चार्जिज रह गए होंगे, वे भी हटा लिए जाएंगे।

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, मेरी 100 गज की पॉपर्टी है, मैं उसमें से 50 गज बेचना चाहता हूं, मंत्री जी उसकी रजिस्ट्री करवा दें।

डॉ. कमल गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, यह प्रॉपर्टी कैसे बिकेगी, आप ही बताइये ?

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, मैं 100 गज का मालिक हूं क्या मैं 50 गज का पोर्शन नहीं बेच सकता ? How you can restrict me ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, हर प्रॉपर्टिज की अलग–अलग कैटेगरीज हैं, हर प्रॉपर्टी की एक ही कैटगरी नहीं होती है। बतरा जी ने कांस्टीच्यूशनल राइट प्रॉपर्टी के बारे में कहा है। इनके ध्यान में है, इन्होंने एक शब्द जोड़ा कि हर आदमी को प्रोपर्टी का राइट है, लेकिन say by authority of law. अब ये भी लॉ है कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग प्लानिंग बनाता है और उस प्लानिंग के हिसाब से अगर किसी की प्रोपर्टी है तो वह लॉ के हिसाब से है। अगर किसी ने उस लॉ को माने बिना अनअथॉराइज कॉलानी बना ली तो वे प्लॉट अनअथॉराइज हो गए। जब तक हम अनअथोराईज प्लॉट को अथोराईज नहीं करेंगे तब तक लॉ उसके ऊपर रहेगा ही। उसको सारी चीजों की छूट नहीं है कि अनअथोराईज बनायेगा। अनअथोराईज को बेच भी देगा, लगातार अनअथोराईज ही रहेगा। हमनें पिछले दो–अढ़ाई साल में जो भी चेंजिज किए हैं। एक बात का हमने ध्यान रखा है कि ये जो अनअथोराईज्ड व अनएप्रूब्ड कालोनीज का एक एम्बूस सा खड़ा होता जा रहा है। एक मशरूम ग्रोथ होती रही है और लगातार हो रही है। यह आज से नहीं है बल्कि पिछले कई सालों से ऐसा होता आ रहा है। विपक्ष ने भी अपनी सरकार के समय में अनअथोराईज कालोनियों को एप्रूव किया। इसी प्रकार से हमने भी 2016 से लेकर 2018 तक एप्रूव की। अभी फिर एप्रूवल के लिए 850 कालोनियां तो अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमैंट में आ गई हैं और जो अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमैंट का एरिया है उससे बाहर भी कालोनियां बन गई हैं यानि एग्रीकल्चर एरिया है वह अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमैंट का एरिया नहीं है। उसके बाद भी वहां पर कालोनियां बनी हैं। (विघ्न) मैं दोनों बातें कर रहा हूं। शहरों में भी दो एरियाज हैं। एक कोर एरिया है जो पुराना एरिया है। एक अब जो प्लांड हो गया है। उसमें एच.एस.वी.पी. भी है,

टाउन एंड कंट्री प्लॉनिंग डिपार्टमैंट भी है, हाउसिंग बोर्ड भी और बाकी सारी कालोनियां हैं। इन दोनों एरियाज को हमें अलग–अलग डिफाईन करना पड़ेगा और हमको कोर एरिया के लिए कोई अलग से छूट देनी पड़ेगी। आज जो एक्ट आ रहा है सभी माननीय सदस्यों ने उसका अध्ययन किया हो उसमें एक बात है कि जो 50 साल पुराना बसा हुआ एरिया है उसको कोर एरिया की डैफीनेशन में ला रहे हैं ताकि उसके लिए अलग से नियमावली बने। अभी तक सारे के सारे शहर की एक ही नियमावली बनती थी। अब उसके अंदर हम मिक्स्ड लैंड यूज भी हम दे रहे हैं क्योंकि बहुत से लोगों ने अपने आधे प्लॉट के अंदर दुकान बना ली और इस प्रकार से मकान के बाद दो दुकानें बन गई। ऐसे में वह कॉमर्शियल हो गया लेकिन आज तक कागजों में हम उसको कॉमर्शियल ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वह रैजीडेंशियल है। अब न वह रैजीडैंशियल माना जा रहा है और न ही कॉमर्शियल ही माना जा रहा है। अगर हम उसको कॉमर्शियल करना चाहें तो वह सारे का सारा कॉमर्शियल हो रहा है इसलिए इसमें भी आगे चलकर हमारे सामने एजेंडा है कि हम ये सारी सुविधायें लोगों को दें लेकिन देने के लिए भी एक नियम, एक पॉलिसी और एक कानून बनाकर ही सब करना पड़ेगा। इसमें आने वाली सभी कठिनाईयां हमारे ध्यान में आ गई हैं लेकिन इनको रेगूलराईज करने के लिए, एप्रूव करने के लिए जितने नियम आवश्यक हैं वे करने पड़ेंगे। हमने रूल–7 के तहत रजिस्ट्रियों को रोकने का भी काम किया है वह इसीलिए किया है कि एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर छोटे–छोटे प्लॉट् काटकर अगर कोई अनएप्रूव्ड कालोनियों की रजिस्ट्री करवाने चला जाता है इस प्रकार के मामलों में तो हमारे हाथ में कागजी कार्यवाही है जब हम तुरंत जाकर उनको तोड़ना शुरू करते हैं तो फिर वे लोग विरोध करने के लिए इक्ट्ठे होते हैं इसलिए कुछ चीजें रास्ते बनाकर हम चाहते हैं कि आगे प्लांड वे में शहर बसें, प्लांड वे में आबादी हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जहां पर जिसके मन में आया उसने इण्डस्ट्री बना ली, किसी ने कॉमर्शियल बना लिया और किसी ने रैजीडैंशियल बना लिया। इस प्रकार की प्लॉनिंग का एक पार्ट यह हमारे यहां का ही नहीं है यह थ्रो आउट वर्ल्ड है कि प्लांड शहर और प्लांड गांव बनने चाहिएं। हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसमें आने वाली कठिनाईयों को हम दूर करेंगे। ऐसी बात हरगिज नहीं है कि हम आने वाली कठिनाईयों को दूर नहीं करेंगे लेकिन हर किसी की रजिस्ट्री जाते ही हो जायेगी ऐसा नहीं है क्योंकि उसकी एक नियमावली है इसलिए उसमें एन.ओ.सी. भी होगा और एन.डी.सी. भी होगा। म्युनिसिपैलिटी का काम ड्यूज

के नाते एन.डी.सी. देने का है। उन्होंने अपने ड्यूज देखने हैं कि उनके ड्यूज आ गये या नहीं आ गये। कुछ विधायक साथियों ने यह ठीक कहा कि यह रजिस्ट्री होती है या नहीं होती है इनको नहीं देखना। इनको तो यह देखना है कि ड्यूज क्लीयर हो गये या नहीं हो गये। जब ड्यूज की बात आती है तो आता है डिवैल्पमैंट चार्जिज। ये अनएप्रूव्ड कालोनीज के डिवैल्पमैंट चार्जिज नहीं ले पायेंगे। जब कालोनियों को एप्रूव किया जायेगा उसके बाद ही डिवैल्पमैंट चार्जिज लिये जायेंगे। जब तक कोई कालोनी एप्रूव नहीं होती तब तक डिवैल्पमैंट चार्जिज नहीं होते हैं इसलिए हम उन सारे के सारे अनएप्रूव्ड एरियाज को हम पहले एप्रूव करेंगे। उसके एप्रूव होने के बाद फिर डिवैल्पमैंट चार्जिज लेने का एन.डी.सी. देंगे उसके बाद रजिस्ट्रियां होंगी उससे पहले ये रजिस्ट्रियां बंद हैं। इसके अलावा अगर कोई और कठिनाई होगी उसको अगर बताया जायेगा तो उसके हल का भी रास्ता निकाला जायेगा।

डॉ. कमल गुप्ता : आदरणीय अध्यक्ष जी, एक माननीय सदस्य ने हिसार के बारे में एक बात हिसार के बारे में कही थी। इस सम्बन्ध में मेरा यही कहना है कि हिसार के बारे में मुझे कोई खास जानकारी नहीं है क्योंकि मेरा पूरा स्टेट मेरे लिए एक जैसा है इसलिए जो भी काम होगा वह सभी जगह होगा। हिसार का अलग से आंकड़ा मुझे पता भी नहीं है। 5 हजार रूपये की एक बात और उठी थी। विपक्ष के साथियों ने बार–बार एक शब्द इस्तेमाल किया कि यह पैनल्टी है। इस बारे में मेरा यही कहना है कि यह पैनल्टी नहीं है बल्कि यह तत्काल सर्विस के चार्ज हैं। जिस प्रकार से अगर कोई रेल गाड़ी में कहीं जाता है और उसने 15 दिन पहले टिकट बुक नहीं करवाई उसको तत्काल कोई एमरजैंसी हुई और एमरजैंसी में उसको तत्काल टिकट लेना पड़ता है। यह भी उसी प्रकार का विषय है। (शोर एवं व्यवधान) अगर किसी प्रॉपर्टी के लिए कोई 10 दिन पहले जाता है तो किसी को एक भी पैसा नहीं देना पड़ेगा लेकिन अगर किसी ने प्रॉपर्टी बेच दी या खरीदनी है आप उसी समय चाहते हो तो उस स्थिति में उसको 5 हजार देने ही चाहिएं। (शोर एवं व्यवधान) अंतिम बात यह है कि माननीय सदस्यों ने कहा है कि यह ऐंडलैस प्रोसैस है तो मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सी चीज ऐंडलैस नहीं होती है?

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, चार्जिज हर चीज के होते हैं। एक आदमी को इम्मीडिएट सर्विस चाहिए तो उसको पे करना पड़ेगा। 15 दिन में सभी की ठीक हो रही है और अगर वह भी आज अप्लाई करेगा और 15 दिन में लेगा तो उसका भी

कोई पैसा नहीं लगेगा। कोई आदमी बाहर से आया है और उसको अपनी प्रॉपर्टी तत्काल क्लियर करवानी है, खरीदनी है या बेचनी है और उसके पास टाईम नहीं है और उसको लाखों, करोड़ों रुपये की प्रॉपर्टी बेचेगा तो उसको पे करना पड़ेगा।

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, इस प्रकार से तो सरकार किसी की मजबूरी का फायदा उठाना चाहती है।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो यह बात भी उठेगी कि किसी को तो आते ही दे दी और किसी को 15 दिन में दी गई है। उसके बाद यही विपक्ष के लोग कहेंगे कि इसमें अन्दर ही अन्दर कुछ सौदेबाजी हो गई है इसलिए अगर किसी को इस प्रकार की तत्काल सर्विस का लाभ देना है तो उसका पैसा सरकार के पास या किसी बोर्ड या कारपोरेशन के पास आयेगा और यह तत्काल का प्रावधान सभी जगह पर है। अगर आप किसी बड़े मंदिर में चले जाओ और वी.आई.पी. दर्शन के लिए तत्काल की लाईन में लगते हो तो उसके लिए 11000 या 21000 रुपये देने पड़ते हैं। यह व्यवस्था इसीलिए बनाई है ताकि किसी को कोई ऐतराज न हो और अगर हम इसके बिना करेंगे तो वहां जो लोग लाईन में खड़े हैं वे हमारे कपड़े फाड़ लेंगे कि क्या ये आपका फूफा लगता था, इसको फेवर क्यों किया गया?

डॉ. कमल गुप्ताः अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं आपके माध्यम से मेरे सभी माननीय विधायकों को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसमें जितनी भी त्रुटियां हैं हम उनको ठीक करेंगे। इसमें जो भी संबंधित आदमी गलती पर पाया जायेगा उसको सजा देंगे। हमारे माननीय साथी श्री जगबीर सिंह मलिक जी ने जो बात कही है कि इसमें 31 दिसम्बर तक जो टैक्स में 100 प्रतिशत की छूट दी हुई है इसकी स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दी है और उसके बाद 31 जनवरी, 2023 तक यह यह छूट 50 प्रतिशत इंट्रस्ट में मिलेगी।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब ध्यानाकर्षण सूचना पर चर्चा समाप्त होती है।

व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ ऑर्डर है। मेरी पर्सनल एक्सप्लेनेशन है। कल जब एम.एल.एज. की ग्रांट्स की बात चल रही थी उस समय मैं उपस्थित नहीं था तब मुख्यमंत्री जी की तरफ से यह कहा गया था कि कुछ हल्कों

की तरफ से विधायक आदर्श ग्राम योजना के ऐस्टीमेट्स प्राप्त नहीं हुए। उसमें बेरी हल्के का नाम भी शामिल था।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, यह बात तो 5 करोड़ रुपये वाली स्कीम के बारे में प्रैस कांफ्रेंस में कही गई थी। यह हाउस में कही हुई बात नहीं है।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, विधायक आदर्श ग्राम योजना में भी यह बात आई थी और इसी तरह से जब 5 करोड़ रुपये ग्रांट की बात आई तो मुख्यमंत्री जी ने प्रैस कांफ्रेंस में यह बात कही थी। उस समय मैंने इसको ज्यादा गम्भीरता से नहीं लिया, मैंने सोचा कि सदन के नेता हैं हो सकता है वैसे ही निकल गई हो या किसी अधिकारी ने गलत जानकारी दे दी हो। उस समय यह 2484 था और अब यह 2585 हो गया है। फरवरी, 2020 के पहले सप्ताह में मेरे पास उस समय के फाइनेंशियल कमिश्नर, डिवैल्पमैंट एण्ड पंचायत की चिट्ठी आई कि आप अपने ऐस्टीमेट्स भेजो। उसके बाद एक सप्ताह के अन्दर–अन्दर 53 गांवों के सरपंचों को बुला कर प्रापोशनेटली मैंने सभी 53 गांवों के वर्क के हिसाब से बजट ऐलोकेट करके मैंने उनको भी चिट्ठी दी और वे ऐस्टीमेट्स मैंने 12 फरवरी, 2020 को 4 जगह पर भेजे जिसकी मेरे पास रसीद हैं। सबसे पहले मैंने सी.एम. साहब के पास भेजा था और मैंने उसको वैरिफाई कर लिया है। सी.एम. साहब ने प्रैस कांफ्रेंस में रेवाड़ी, बेरी तथा और 2 नाम लिए थे। उसमें पर्सनली मेरा नाम लिया था कि डॉ. कादियान ने बेरी के ऐस्टीमेट्स नहीं भेजे हैं। मैंने उसको उस समय टेकअप नहीं किया और यही सोचा कि सी.एम. साहब से वैसे ही मेरा नाम निकल गया होगा। मैं यही कहना चाहता हूं कि ग्रेसफुली और गुड टेस्ट में बात होनी चाहिए। इस बारे में जब मैंने सी.एम. साहब के ऑफिस में पूछा तो मुझे बताया गया कि ये ऐस्टीमेट्स आए हुए हैं लेकिन आपने फॉर इन्फोर्मेशन भेजा हुआ है इसलिए हमने रख लिए।

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, हमने तो इसमें कोई कार्यवाही करनी भी नहीं होती है।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, आप जिसको डिजिटल कहो या नोडल कहो या पोर्टल कहो, जो भी कहो। आप जो टैक्नॉलोजी की बात कर रहे हैं उस संबंध में मैंने आपके ऑफिस में लिख कर भेजा हुआ है जिसको आपके एच.सी.एस. ऑफिसर्ज ने वैरिफाई भी किया है। तीसरा मैंने इसी लैटर को डी.सी. झज्जर को भी भेजा है। डी.सी. झज्जर से मैंने वैरिफाई किया है। उन्होंने मुझे कहा है कि आपके एस्टीमेट्स आए हैं और वे हमने ए.डी.सी. को फॉरवर्ड कर दिये हैं। आपको मैं इनकी रसीद भी दे देता हूं।

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, आप वह रसीद मुख्यमंत्री जी को दे दें।

Dr. Raghuvir Singh Kadian: Speaker Sir, it is a matter which amounts to character assassination. पर्टिक्यूलरली उस स्टेज का आदमी जो सदन का नेता है और हमारा भी नेता है। अगर इस तरह की बात किसी इंडिविजुअल मैंबर के खिलाफ की जाए तो what will be the fate? वह तो मेरा इसलिए बचाव हो गया क्योंकि सारे सरपंचों को उन सभी एस्टीमेट्स के बारे में पता था कि इन्होंने ये एस्टीमेट्स भिजवाए हैं। इस संबंध में या तो मुख्यमंत्री जी कहें कि इन्हें ऑफिसर्ज ने गलत इंफॉरमेशन दी है।

श्री अध्यक्ष : कादियान साहब, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी इसकी इंक्वायरी करवाकर जिसने भी कोई गलत इंफॉरमेशन दी है उसके खिलाफ एक्शन लेंगे।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, इसकी इंक्वायरी करवाकर प्रेस कॉन्फ्रैंस करें क्योंकि यह एक सीरियस मैटर है। यह एक चरित्र हनन की राजनीति है। आपने बड़ी भारी संविधान की शपथ ले रखी है कि मैं विधि के अनुसार फैसले करूंगा। मेरे पास ये चारों रसीद हैं।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, आप ये रसीद दे दीजिए। (विघ्न)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, यह रसीद 12 फरवरी 2020 की है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : ठीक है।

वर्ष 2022–23 के लिए अनुपूरक अनुमान (द्वितीय किस्त) प्रस्तुत करना–

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय वित्त मंत्री वर्ष 2022–23 के लिए अनुपूरक अनुमान की (द्वितीय किस्त) नेवा पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में नेवा पोर्टल के माध्यम से वर्ष 2022–23 के लिए अनुपूरक अनुमान की (द्वितीय किस्त) प्रस्तुत करता हूं।

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, यह नेवा पोर्टल तो यहीं पर रहेगा तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हमने किसको कट मोशन देना है, इसलिए इसका प्रिंट भी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : बतरा जी, ये सब आपकी ईमेल पर साथ–साथ चला जाएगा और आपके मोबाईल पर व्हाट्सअप भी आ जाएगा।

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, जो ये सप्लीमैंट्री डिमांड और एप्रोप्रियेशन बिल आता है उसका प्रोसीजर भी इस पर डिफाइन होना चाहिए क्योंकि हमने डिमांड्स के ऊपर बोलना होता है। कई बार हम कुछ बोलते हैं तो यह कहा जाता है कि आप ये क्यों बोल रहे हैं जबकि डिमांड्स के बारे में बोलना बहुत ही रैलेवेंट होता है और यह राईट अपोजिशन के पास ही ज्यादा होता है क्योंकि उसके बारे में ट्रेजरी बैंचिज नहीं बोलती हैं। ये सारा प्रोसीजर एप्रोप्रियेशन बिल या बजट के साथ जो सप्लीमैंट्री डिमांड्स आती हैं उसी तरह से इन सभी डिमांड्स पर भी कट मोशन हो। Whether we have to give a cut motion or not?

श्री अध्यक्ष : बतरा जी, आज तो प्रस्तुत हुआ है।

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, कल आप इसको ले लेंगे क्योंकि कल तक ही हाऊस है। इसका मतलब आज या कल सुबह तक कट मोशन दे सकते हैं।

श्री अध्यक्ष : बतरा जी, इसके ऊपर कट मोशन आता ही नहीं है।

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, कौन कहता है कि इस पर कट मोशन नहीं आता है। सेम प्रोसीजर फॉलो होता है।

श्री अध्यक्ष : बतरा जी, जो खर्चा होता है वह एस्टीमेट कमेटी से एप्रूव होने के बाद होता है।

Shri Bharat Bhushan Batra: Speaker Sir, these are supplementary demands.

श्री अध्यक्ष : यह उसी खर्चे की डिमांड हैं, जिसको एस्टीमेट कमेटी एप्रूव करती है।

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, सप्लीमैंट्री डिमांड्स में कट मोशन आता है।

श्री अध्यक्ष : बतरा जी, सप्लीमैंट्री डिमांड पर खर्चे के लिए एस्टीमेट कमेटी एप्रूव करती है।

Shri Bharat Bhushan Batra: Speaker Sir, this is important. इसीलिए तो सैशन बुलाया जाता है। अगर एप्रोप्रियेशन बिल और डिमांड्स पास न करानी हों तो फिर सैशन बुलाने की किसी हालत में जरूरत नहीं है। एस्टीमेट कमेटी ने डिमांड्स को पास कर दिया उसके बाद मैंबर भी तो सदन में चर्चा करके उनको पास करेंगे।

श्री अध्यक्ष : बतरा जी, जो अगले साल की रिपोर्ट आती है वह तो डिस्कस होती है लेकिन ये तो इसी साल की रिपोर्ट है, जो अब चल रहा है।

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, जो आप डिमांड को एप्रूव करवा रहे हैं, इन डिमांड्ज पर बोलने का हमें अधिकार होना चाहिए। अदरवाइज सरकार अपने आप ही इन डिमांड्ज को पास कर दे तो फिर तो बात ही खत्म हो गई।(विघ्न)

श्री अध्यक्षः बतरा जी, जो भी रूल्ज होंगे, सदन की कार्यवाही उन्हीं के मुताबिक ही चलेगी और रूल्ज के हिसाब से ही सारा काम किया जायेगा। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, डिमांड्ज पर बोलने का प्रावधान बाकायदा तौर पर रूल्ज ऑफ प्रोसीजर में वर्णित है और अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इस संदर्भ में रूल्ज पढ़कर सारा कुछ क्लेरिफाई कर सकता हूँ। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः देखिए, अभी कल भी सदन की कार्यवाही जारी रहेगी। मैं भी रूल्ज देख लेता हूँ और अगर रूल्ज में ऐसा कोई प्रावधान होगा तो आपको बोलने की इजाजत दे दी जायेगी।(शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, मैं आपको इस बारे में बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। बजट सत्र में भी सेम प्रोसीजर होता है। बजट पेश होने के बाद एप्रोप्रिएशन बिल लाया जाता है और इसके बाद फिर इस पर डिस्कशन होती है। सेम प्रोसीजर इस स्टेज पर होनी आवश्यक है। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः बतरा जी, यह बजट सत्र नहीं है। यहां पर सप्लीमैंट्री डिमांड्ज की बात हो रही है। बजट पेश होने के बाद एप्रोप्रिएशन बिल पर डिसकशन होती है लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, यहां पर तो सप्लीमैंट्री डिमांड्ज हैं। आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, सप्लीमैंट्री डिमांड्ज की भी वही सेम वैल्यू होती है जो बजट डिमांड्ज की होती हैं। एप्रोप्रिएशन बिल के बाद डिमांड्ज होती हैं तो इन सप्लीमैंट्री डिमांड्ज की भी सेम वैल्यू है। अध्यक्ष महोदय, आप इस मैटर को केवल अपने हिसाब से देख रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि somebody is asking you and वह व्यक्ति आपको कुछ बता दे और आप उस पर ही काम करना शुरू कर दें। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः बतरा जी, मैं आपको क्लीयर कर देना चाहूंगा कि सदन में जो एस्टिमेट्स पहले अप्रूव किए गए थे उनमें कुछ कम–ज्यादा फर्क आया है जिनको सप्लीमैंट्री डिमांड्ज में शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त इनके अंदर और कुछ नया खर्च थोड़े ही एड किया जा रहा है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, लेकिन आप हाउस से पैसे तो पास करवा रहे हैं ? अगर हाउस पैसे पास नहीं करेगा तो सरकार कैसे चलेगी ? अध्यक्ष महोदय, आप मेरे को टाइम दे देना, मैं आपको सारी बातें क्लियर कर दूंगा और जो आप रूलिंग देंगे फिर तो स्वाभाविक है कि उस पर ही काम होगा। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः बतरा जी, यह सप्लीमैंट्री डिमांड्ज एस्टिमेट्स कमेटी से अप्रूव होकर ही सदन में आई हैं।

Shri Bharat Bhushan Batra: Speaker Sir, the approval from the Estimates Committee does not mean this and if it so, then why these have been put before the House ?

श्री जगबीर सिंह मलिकः अध्यक्ष महोदय, बजट सत्र में भी डिमांड्ज एस्टिमेट्स कमेटी से एप्रूव होकर आती है, उस पर भी तो चर्चा का मौका दिया जाता है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, अगर आप मुझे समय दे दें तो मैं सारी बातें क्लीयर कर सकता हूँ। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः बतरा जी, अब इस विषय को कल देखेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, यह ठीक है कि पैसा खर्च हुआ है और अब जो सप्लीमैंट्री डिमांड्ज आई हैं इनकी अप्रूवल भी सदन ने ही तो देनी है और जब सदन की अप्रूवल होगी तभी जाकर ये सप्लीमैंट्री डिमांड्ज पास होगी। सप्लीमैंट्री डिमांड्ज के उपर आनरेबल मैम्बर्ज को बोलने का पूरा हक होता है और आप हमारे इस हक को नहीं छीन सकते हैं। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः कादियान जी, अगर कोई फ्रैस डिमांड होती तो फिर तो ऐसी कोई बात हो सकती थी लेकिन यह डिमांड्ज तो आलरेडी अप्रूव्ड हैं। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, फ्रैस डिमांड्ज की बात का विषय नहीं है, विषय डिमांड्ज पर चर्चा करने का है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बतरा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपको रूल पढ़कर सुनाता हूँ। Rule 200 of Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly says that-

> "**200.** Supplementary, Additional, Excess and Exceptional grants and Votes of Credit shall be regulated by the same Procedure as is applicable in the case of demands for grants subject to such adaptions, whether by way of modification, addition or omission as the Speaker may deem to be necessary or expedient."

अध्यक्ष महोदय, इससे ज्यादा मैं और क्या कहूं। इस रूल को पढ़कर साफ पता चलता है कि डिमांड्ज पर जो प्रोसीजर बजट सत्र में होता है, वह प्रोसीजर इस स्टेज पर भी होगा। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, जो एक्सैस पैसा खर्च किया गया है, हमें पता तो चलना चाहिए कि वह किस चीज पर खर्च हुआ है। न हमें सप्लीमैंट्री डिमांड्स से संबंधित कोई बुकलेट दी गई है न ही हमारे पास ऐसा कोई डाक्यूमैंट है जो दिखाता है कि पैसा किस परपज पर खर्च किया गया है। अध्यक्ष महोदय, पिछले सैशन में आपने कहा था कि तीन दिन पहले सभी माननीय सदस्यों को बुकलेट दे दी जायेगी। (विघ्न)

श्री अध्यक्ष: कादियान जी, मैंने सप्लीमैंट्री एस्टिमेट्स की बुकलेट के बारे में कुछ नहीं कहा था। मैने ऐसा बिल्ज की कॉपी के बारे में ही कहा था। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, आपने सप्लीमैंट्री एस्टिमेट्स की कापी की बुकलैट के बारे में भी कहा था और बिल्ज की कॉपी के बारे में भी कहा था। उस टाइम जब मैंने डिमांड्ज पर बोलना शुरू किया था और मैंने अलग–अलग डिमांड्ज पर बोलते हुए कहा था कि it is a lapse on the part of the officers जो भी डिपार्टमैंट के हैं तो उस समय आपने यह बात कही थी। कितनी अजीब बात है कि डिपार्टमैंट को यह पता ही नहीं है कि उनको कितना खर्च करना है और कितना नहीं। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्षः बतरा जी, आप हरियाणा विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियामावली का नियम 201 पढ़कर देखें।

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, ठीक है, मैं यह रूल पढ़कर सुनाता हूँ। Rule 201 says that-

> **"201.** The debate on the supplementary grants shall be confined to the items constituting the same and no discussion may be raised on the original grants…."

श्री अध्यक्षः बतरा जी, अब आपने रूल 201 पढ़ लिया है इसमें साफ लिखा गया है किः– "The debate on the supplementary grants shall be confined to the items constituting the same and no discussion may be raised on the original grants…" इसमें भी ओरिजनल डिमांड्ज पर ही चर्चा की बात कही गई है और ओरिजनल डिमांड्ज के उपर ही सप्लीमैंट्री डिमांड्ज आई हैं, अतः इन पर चर्चा का प्रश्न ही नहीं उठता। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः स्पीकर सर, एडिशनल पैसा खर्च किया गया है लेकिन आनरेबल मैम्बर्ज को यह भी तो पता होना चाहिए कि किस बात पर एडिशनल पैसा खर्च किया गया है जिसके लिए सप्लीमैंट्री डिमांड्ज लाई गई हैं और सरकार इन डिमांड्ज को सदन में पास करवाना चाहती है। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः कादियान जी, आप मुझे यह बतायें कि आप डिमांड्ज के कौन से इशू पर चर्चा करना चाहते हैं। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, हमारे पास तो सप्लीमैंट्री डिमांड्ज की बुकलैट तक नहीं है। मैं तो सभी सप्लीमैंट्री डिमांड्ज पर चर्चा करना चाहता हूँ।

श्री अध्यक्षः देखिए, सप्लीमैंट्री डिमांड्ज का सारा मैटीरियल आपके पोर्टल पर चला गया है। अगर इस विषय पर जरूरत होगी तो इस पर कल डिस्कस कर लेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियानः अध्यक्ष महोदय, सप्लीमैंट्री डिमांड्ज की जो बुकलेट है, वह सभी माननीय सदस्यों को दो दिन पहले मिल जानी चाहिए थी। बुकलेट से हमें पता चलेगा कि आफिसर्ज ने किस चीज पर एडिशनल पैसा खर्च करने का काम किया है। ठीक है खर्चा होता भी है लेकिन डैमोक्रेसी नाम की कोई चीज तो होगी। हमें पता तो होना चाहिए कि आखिरकार पैसा कहां खर्च किया गया। (विघ्न)

श्री अध्यक्षः कादियान जी, जब चर्चा का टाइम आयेगा तो मैं आपसे इस बारे में पूछूंगा। उस समय अगर लगेगा कि किसी डिमांड पर चर्चा की आवश्यकता है तो इसको भी देख लेंगे लेकिन for your kind information मैं आपको बता देना चाहूंगा कि सप्लीमैंट्री एस्टिमेट्स पर कट मोशन नहीं आ सकता।

प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब श्री हरविन्द्र कल्याण, चेयरपर्सन, प्राक्कलन समिति वर्ष 2022—2023 के लिये अनुपूरक अनुमान (द्वितीय किस्त) पर प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट नेवा पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे।

चेयरपर्सन, प्राक्कलन समिति (श्री हरविन्द्र कल्याण): अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2022—2023 के लिये अनुपूरक अनुमान (द्वितीय किस्त) पर प्राक्कलन समिति की रिपोर्ट को नेवा पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत करता हूँ।

वर्ष 2022—23 के लिए अनुपूरक अनुमानों (द्वितीय किस्त) की मांगों पर चर्चा तथा मतदान

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब वर्ष 2022—2023 के अनुपूरक अनुमान (द्वितीय किस्त) पर चर्चा तथा मतदान होगा।

पिछली प्रथानुसार और सदन का समय बचाने के लिए ऑर्डर पेपर पर रखी गई सभी डिमाण्ड्ज एक साथ पढ़ी और मूव की गई समझी जायें। माननीय सदस्यगण किसी भी डिमांड पर चर्चा हरियाणा विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 201 के तहत अनुपूरक अनुदानों पर बहस उन मुद्दों तक सीमित रखें जिनसे वे जुड़ी हों और जहां तक विचाराधीन विशेष विषयों की व्याख्या करने या उन्हें स्पष्ट करने के लिए आवश्यक हो, उस सीमा तक, मूल अनुदानों पर या उनसे संबंधित नीति पर कोई चर्चा नहीं होगी लेकिन बोलने से पहले वे अपनी डिमाण्ड का नम्बर बता दें जिस पर वे बोलना चाहते हैं।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹13,20,000/- **से अधिक न हो, मांग संख्या** 1-**विधान सभा के सम्बन्ध में** 31 **मार्च**, 2023 **को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।**

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹10,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 2-राज्यपाल तथा मंत्रीपरिषद् के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹23,50,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए ₹1,00,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 3-सामान्य प्रशासन/ निर्वाचन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹3,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 5-गृह /कारागार/गृह रक्षी और नागरिक सुरक्षा/ न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/कानूनी सेवा प्राधिकरण) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹68,07,00,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए ₹8,09,60,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 10-खानएवं भू-विज्ञान/कृषि/बागवानी/पशुपालन तथा डेयरी विकास/मछली पालन/वन तथा वन्य प्राणी/परिस्थिति कि विज्ञान तथा पर्यावरण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹2,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 11-खाद्य एवं आपूर्ति/सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹345,01,00,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए ₹30,00,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 12- शिक्षा (उच्चतर/माध्यमिक/प्राथमिक)/तकनीकी शिक्षा/महिला एवं बाल विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹3,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 13-खेलकूद तथा युवा कल्याण/ कला एव संस्कृति/ पर्यटन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹1,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 14-स्वास्थ्य/डीएमईआर/आयुष/ईएसआई/एफडीए के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹3,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 15-श्रम/ रोजगार/ कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹3,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 16-अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण/ सामाजिक न्याय और अधिकारिता/ भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹208,69,00,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए ₹350,00,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 17-भवन तथा सड़कें/ परिवहन/ नागर विमानन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹1,00,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए ₹148,00,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 18-सूचना तथा प्रचार/इलैक्टरोनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मुद्रण तथा लेखन सामग्री के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹130,01,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 19-सिंचाई/उधोग और वाणिज्य/एम एस एम ई/आपूर्ति तथा निपटान/विद्युत और नवीनीकरणीय ऊर्जा/विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹100,07,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 20-शहरी विकास (नगर तथा ग्राम आयोजना/षहरी सम्पदा)/ स्थानीय सरकार (शहरी स्थानीय निकाय एवं अग्निशमन सेवाएं)/ ग्रामीण और सामुदायिक विकास (ग्रामीण विकास/विकास और पंचायत)/जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, मेरा डिमाण्ड के संबंध में यह कहना है कि हम सभी को डिमाण्ड्स पर चर्चा भी करनी है, इसलिए इन डिमाण्ड्स को पास करने के लिये कल तक का समय दिया जाये। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कादियान साहब, डिमाण्ड्स जिस दिन सदन में प्रस्तुत होती हैं, उसी दिन पास होती है।

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, एक बात यह भी आई थी कि डिमाण्ड्स को कल पास करवा लेंगे। (शोर एवं व्यवधान)

Shri Bharat Bhushan Batra: Speaker Sir, it is clearly written in Rule 194 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly that –

> "194 (1) Motions may be moved to omit or reduce any item or to reduce any grant but not to increase or alter the destination of a grant.
>
> (2) Notice of such motions shall be given two clear days before the day on which such item or such grant comes up for discussion:"

श्री अध्यक्ष: बतरा साहब, आप एक बार लिस्ट ऑफ बिजनैस देखिए, उसमें मैंशन किया हुआ है। (शोर एवं व्यवधान) लिस्ट ऑफ बिजनैस हरियाणा विधान सभा की वेबसाइट पर लोड हो गई है, उसे देखना चाहिये था। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बतरा: अध्यक्ष महोदय, हमने नहीं देखी है। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बतरा साहब, अभी आप लोगों को धीरे–धीरे ही समझ में आयेगा कि पोर्टल क्या चीज होता है। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान: अध्यक्ष महोदय, आप कल तक का समय दीजिए। (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कादियान साहब, ऐसी कोई प्रथा ही नहीं होती है कि अगले दिन डिमाण्ड्स पास हो। (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बतरा: अध्यक्ष महोदय, हमें डिमाण्ड्स पर बोलना है, इसलिए हमें इसकी तैयारी के लिये समय चाहिये। (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, हम आपको जो बात बता रहे हैं आप उसे सुनिये । इससे आपकी नॉलेज ही बढ़ेगी । (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, आप चाहें तो इस संबंध में फाइनैंस सैक्रेटरी से भी पूछ लें । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, यह सूचना कल शाम को साइट पर अपलोड हो गई थी और आपके पास चली गई थी । (विघ्न)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, आप अथॉरिटी हैं । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कादियान जी, इसमें अथॉरिटी वाली कोई बात नहीं है । आज तक की कन्वैंशन यही है कि डिमांड्ज सेम डे पास होती हैं । (विघ्न)

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, आप हमें रूल्ज कॉट करते हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि यह कन्वैंशन किस रूल में है ?

श्री अध्यक्ष : बतरा जी, क्या कन्वैंशन के संबंध में कभी कोई रूल होता है ? आपको सारी जानकारी है । (शोर एवं व्यवधान)

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, क्या सी.एम. साहब ने मोशन मूव किया है ? मोशन मूव करने के लिए 2 दिन का नोटिस दिया जाता है । Speaker Sir, it is clearly written in Rule 194 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly that –

> "194 (1) Motions may be moved to omit or reduce any item or to reduce any grant but not to increase or alter the destination of a grant.
>
> (2) Notice of such motions shall be given two clear days before the day on which such item or such grant comes up for discussion:"

श्री अध्यक्ष : बतरा जी, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने मोशन कब मूव किया है ?

श्री भारत भूषण बतरा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने मोशन मूव किया है ।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, कल इसको प्रस्तुत कर दिया गया था । यह अलग बात है कि विपक्षी सदस्य हार्ड कॉपी को ही टेबल्ड मानते हैं । (शोर एवं व्यवधान) हमने इसे नेवा के पोर्टल पर कल ही अपलोड कर दिया था । आप हमारी कठिनाई समझिये । अगर हम आज इसे पास कर देंगे तो फिर यह गवर्नर साहब के पास जाएगा । कल हम दूसरी चर्चा केवल तभी कर पाएंगे जब गवर्नर साहब से यह क्लियर हो जाएगा । (शोर एवं व्यवधान) इसे कल पेश कर दिया गया था । इसके बाद ही आज इसे पास करने का प्रोसैस चलाया गया है । अतः अब इसे पास कर देना चाहिए । (शोर एवं व्यवधान)

डॉ. रघुवीर सिंह कादियान : अध्यक्ष महोदय, हम तो आपको सब्मिशन दे रहे हैं । रूलिंग आपने देनी है क्योंकि आप अथॉरिटी हो । (शोर एवं व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब विभिन्न डिमांड्ज को सदन में मतदान के लिए रखा जाएगा ।

मांग संख्या 1 से 3

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹13,20,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 1-विधान सभा के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹10,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 2-राज्यपाल तथा मंत्रीपरिषद् के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹23,50,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए ₹1,00,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 3-सामान्य प्रशासन/ निर्वाचन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव पास हुआ)

मांग संख्या–5

प्रश्न है –

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹3,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 5-गृह /कारागार/गृह रक्षी और नागरिक सुरक्षा/ न्याय प्रशासन (उच्च न्यायालय/अभियोजन/एजीओटी/कानूनी सेवा प्राधिकरण) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव पास हुआ)

मांग संख्या 10 से 20

प्रश्न है –

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹68,07,00,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए ₹8,09,60,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 10-खानएवं भू-विज्ञान/कृषि/बागवानी/पशुपालन तथा डेयरी विकास/मछली पालन/वन तथा वन्य प्राणी/परिस्थिति कि विज्ञान तथा पर्यावरण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹2,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 11-खाद्य एवं आपूर्ति/सहकारिता के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹345,01,00,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए ₹30,00,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 12-शिक्षा (उच्चतर/माध्यमिक/प्राथमिक)/तकनीकी शिक्षा/महिला एवं बाल विकास के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹3,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 13-खेलकूद तथा युवा कल्याण/ कला एव संस्कृति/ पर्यटन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹1,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 14-स्वास्थ्य/डीएमईआर/आयुष/ईएसआई/एफडीए के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹3,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 15-श्रम/ रोजगार/ कौशल विकास और औद्योगिक प्रशिक्षण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹3,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 16-अनुसूचित जातियों तथा पिछड़े वर्गों का कल्याण/ सामाजिक न्याय और अधिकारिता/ भूतपूर्व सैनिकों का कल्याण के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹208,69,00,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए ₹350,00,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 17-भवन तथा सड़कें/ परिवहन/ नागर विमानन के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹1,00,000/- तथा पूंजीगत खर्च के लिए ₹148,00,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 18-सूचना तथा प्रचार/इलैक्टरोनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मुद्रण तथा लेखन सामग्री के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹130,01,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 19-सिंचाई/उधोग और वाणिज्य/एम एस एम ई/आपूर्ति तथा निपटान/विद्युत और नवीनीकरणीय ऊर्जा/विज्ञान और प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

कि एक अनुपूरक धनराशि जो राजस्व खर्च के लिए ₹100,07,00,000/- से अधिक न हो, मांग संख्या 20-शहरी विकास (नगर तथा ग्राम आयोजना/षहरी सम्पदा)/ स्थानीय सरकार (शहरी स्थानीय निकाय एवं अग्निशमन सेवाएं)/ ग्रामीण और सामुदायिक विकास (ग्रामीण विकास/विकास और पंचायत)/जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष के भुगतान के क्रम में आने वाले खर्चों को चुकाने के लिए राज्यपाल को अनुदान की जाए।

(प्रस्ताव पास हुआ)

विधायी कार्य–

(i) विचार तथा पारित किये जाने वाले विधेयक

1. दि हरियाणा श्री माता भीमेश्वरी देवी मन्दिर (आश्रम), बेरी श्राइन बिल, 2022

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय शहरी स्थानीय निकाय एवं आवासीय मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि हरियाणा श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर (आश्रम), बेरी पूजास्थल विधेयक, 2022 पर तुरंत विचार किया जाए ।

शहरी स्थानीय निकाय एवं आवासीय मंत्री (डॉ. कमल गुप्ता) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं –

कि हरियाणा श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर (आश्रम), बेरी पूजास्थल विधेयक, 2022 पर तुरंत विचार किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि हरियाणा श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर (आश्रम), बेरी पूजास्थल विधेयक, 2022 पर तुरंत विचार किया जाए ।

श्रीमती गीता भुक्कल (झज्जर) (एस.सी.): अध्यक्ष महोदय, आज यहां सदन में The Haryana Shree Mata Bhimeshwari Devi Mandir (Ashram), Beri Shrine Bill, 2022 इन्ट्रोड्यूस हुआ है। यह हमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण शक्तिपीठ है।

श्री अध्यक्ष: गीता जी, यह बिल कल ही इन्ट्रोड्यूस हो गया था।

श्रीमती गीता भुक्कल: अध्यक्ष महोदय, यह बिल सदन में पास करवाने के लिए अभी आया है। यह एक बहुत ही प्राचीन और पवित्र शक्तिपीठ है। यह हमारे महाभारत काल से जुड़ा हुआ बहुत ही प्राचीन मंदिर है। महाभारत युद्ध से लेकर आज तक यह ऐतिहासिक जगह बनी हुई है। यह मंदिर हमारे झज्जर जिले के बेरी में स्थापित है। मैं समझती हूं कि सरकार जो यह बिल लेकर आयी है इससे इसकी पवित्रता तो बरकरार रहेगी ही और रहनी भी चाहिए। इसके साथ ही साथ संबंधित मंदिर में न केवल लगातार पूजा होती है बल्कि नवरात्रों में 2 बार 9 दिनों तक लगातार मेले भी चलते हैं और इस दौरान लोग व्रत भी रखते हैं। इसके अलावा यहां दम्पति अपने बच्चों के बाल उतरवाने के लिए भी आते हैं और यहां पर नव विवाहित जोड़े भी पूजा करने के लिए आते हैं। मेरा एक अनुरोध है कि इसमें Section 2(g) में लिखा है कि–

"Pujari" means pujari and includes pandits and purohits of such area.

अध्यक्ष महोदय, इसके कांस्टीच्यूशन ऑफ बोर्ड में 4 (1) के (ए) और (बी) में लिखा हुआ है कि–

> "चीफ मिनिस्टर, हरियाणा इसके चेयरमैन रहेंगे और मिनिस्टर– इन–चार्ज, अर्बन लोकल बॉडीज डिपार्टमैंट, हरियाणा रहेंगे और दो अन्य मैम्बर्ज होंगे।"

कांस्टीच्यूशन ऑफ बोर्ड में 4 (1) के (ई) में लिखा हुआ है कि–

> "Seven persons to be nominated by the Government…"

इसमें मेरा अनुरोध है कि जो व्यक्ति कई सालों से वहां पर पुजारी है या जो वहां के व्यक्ति इसकी देख– रेख करते हैं और पूजा अर्चना के दौरान भी उपस्थित रहते हैं, चूंकि उनका आसपास भी प्रभाव रहता है, इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि इसके लिए जब मैम्बर्ज नोमिनेट किए जाएं तो उनको पूरी प्रॉयरिटी दी जाए। चूंकि वहां पर मेले के दौरान जो फंड्ज आते हैं वे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास आते हैं और इसके अलावा भी वहां पर लगातार चढ़ावा आता रहता है। यह अच्छी बात है। मैं समझती हूं कि इससे वहां पर आसपास की डिवल्पमैंट भी होगी और अच्छी–अच्छी धर्मशालाएं व एजुकेशन इंस्टीच्यूट्स भी बनेंगे। इससे संबंधित मंदिर की पवित्रता भी बरकरार रहे और एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे ढंग से कार्य करे। इसके अलावा यह भी पता चल रहा है कि वहां पर आसपास की प्रोपर्टी पर काफी एनक्रोचमैंट्स भी है, इसलिए गवर्नमैंट उस पर भी ध्यान दे। इसमें हमारा केवल इतना ही कहना है कि

इस बात की कोई रीजेंटमेंट न हो कि इस पर जिनका बहुत समय से अधिपत्य रहा है, उनको भी मान– सम्मान के साथ यथा स्थान दिया जाए। धन्यवाद।

श्री वरुण चौधरी (मुलाना) (एस.सी.): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि सैक्शन– 5 में लिखा हुआ है कि–

"पूजास्थल निधि को निम्नलिखित के लिए उपयोग में लाया जाएगा,–"

इसमें मैं समझता हूं कि एक बात और जोड़नी चाहिए कि किसी आपदा के समय मुख्यमंत्री राहत कोष में भी इसके पैसे को उपयोग में लाया जाना चाहिए। अगर मातेश्वरी के बच्चे ही ठीक नहीं रहेंगे तो माता क्या करेगी ? माता तो दुःखी ही होगी। आमतौर पर देखा गया है कि पूरे देश के मंदिरों में इस तरह के बोर्ड और ट्रस्ट बने हुए हैं उनमें करोड़ों– अरबों रुपये एफ.डी. के रुप में पड़े हुए हैं या म्युचूअल फंड में लगे हुए हैं। मान लीजिए, पिछले दिनों कोविड–19 आ गया था और पैसों की कमी थी, लेकिन उन पैसों को उपयोग में नहीं ला सकते। इसलिए इसमें यह एड हो जाए कि पूजा स्थल निधि को निम्नलिखित के लिए उपयोग में लाया जाए। इसमें 'च' एक सब क्लॉज और जोड़ा जाए कि किसी आपदा के समय मुख्यमंत्री राहत कोष में भी इसका उपयोग किया जाए।

श्री अध्यक्ष: यह अच्छी बात है। इसको राष्ट्रीय आपदा करें तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री वरुण चौधरी: अध्यक्ष महोदय, यह काम होना चाहिए। इस तरह के हमारे जितने भी पूजा स्थल के बोर्ड्स बने हुए हैं उनमें भी इस प्रकार का प्रावधान होना चाहिए। सैक्शन 10(1) में लिखा हुआ है कि –

"किसी सदस्य की आकस्मिक रिक्ति धारा– 4 में यथा उपबंधित समरुप रीति, में भरी जाएगी।"

यानी कोई सदस्य रिजाईन कर देता है या वह जगह खाली हो जाती है तो वह जगह भरी जाएगी, लेकिन उसकी कोई समय–सीमा नहीं दी गयी है। उसकी समय सीमा भी देनी चाहिए कि जो रिक्त स्थान हो गया है उसको कितने समय में भरा जाएगा? अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से संबंधित 2 आग्रह करना चाहता हूं।

श्री राम कुमार गौतम (नारनौंद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि संबंधित मंदिर पर फिलहाल किसका कब्जा है और वहां पर सेवा कौन कर रहा है?

श्री अध्यक्ष : गौतम जी, संबंधित मंदिर में सेवा कोई पुजारी कर रहा होगा। वहां पर कोई प्राईवेट बोर्ड या कमेटी बनी होगी।

श्री राम कुमार गौतम : अध्यक्ष महोदय, क्या इसको सरकार टेक ओवर कर रही है। क्या इसका बोर्ड बना हुआ है।

श्री अध्यक्ष : हां जी।

———————

हरियाणा विधान सभा के पूर्व सदस्य का अभिनन्दन

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज श्री बंता राम, पूर्व विधायक सदन की कार्यवाही देखने के लिए अध्यक्ष दीर्घा में उपस्थित हैं। मैं अपनी और सदन की तरफ से उनका स्वागत करता हूं।

—————

विधायी कार्य (पुनरारम्भ)

श्री अध्यक्ष : मंत्री जी, इस बिल पर जो सुझाव आयें हैं इन पर आप कुछ कहना चाहेंगे कि सरकार जो बोर्ड बना रही है उससे आपदा स्थिति में पूजा स्थल निधि का जो पैसा है वह किसी भी आपात स्थिति में यूज किया जा सके। पिछली बार भी जैसे माता मन्सा देवी बोर्ड का पैसा कोरोना में यूज के लिए बात आई थी। अगर हम इस पर भी बात कर लें तो मैं समझता हूं कि ज्यादा अच्छा होगा।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इस बिल में कुछ भी शब्द जोड़े, हमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जब बोर्ड का गठन होता है और उसके बाद बोर्ड की बैठकें होती हैं तो इसमें पास करके फंड्ज का उपयोग कर सकते हैं। जैसे माता मन्सा देवी बोर्ड में इस प्रकार के फंड का उपायोग करना जोड़ा हुआ नहीं था लेकिन जब कोविड आया था तो इसको लेकर कोविड के दौरान बोर्ड ने सिफारिश की थी। ऐसे ही विशेष अवसर पर जैसे उत्तराखंड का बद्रीनाथ मंदिर है, वहां पर इस चीज की आवश्यकता पड़ी थी। बोर्ड की बैठक में पास करके फंड्ज का उपयोग कोई भी कर सकता है, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है और हमें जोड़ने में भी कोई दिक्कत नहीं है। हम इस बिल में national calamity का एक शब्द जोड़ सकते हैं।

श्री वरूण चौधरीः स्पीकर सर, सैक्शन 5 में लिखा है कि– 'The Shrine fund shall be applied for-'. स्पीकर सर, shall की जगह may शब्द लिखा जाये। इसके अलावा मैं कहना चाहूंगा कि इसके अंदर पांच चीजें ही फिक्स हैं, उससे बाहर बोर्ड

नहीं जा सकता है क्योंकि फिक्स किया गया है इसलिए इसके अंदर ''5 (च)'' जोड़ा जाये कि in case of any national calamity.

श्री अध्यक्ष : वरुण जी, आपकी बात ठीक है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

> कि हरियाणा श्री माता भीमेश्वरी देवी मंदिर (आश्रम), बेरी पूजा स्थल विधयेक, 2022 पर तुरन्त विचार किया जाये।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब सदन विधेयक पर क्लॉज–बाई–क्लॉज विचार करेगा।

सब क्लॉज–2 ऑफ क्लॉज–1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

> कि सब क्लॉज–2 ऑफ क्लॉज–1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

क्लॉजिज–2 से 4

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

> कि क्लाजिज–2 से 4 विधेयक का पार्ट बनें ।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।

क्लॉज–5

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय मंत्री जी इस बिल की क्लॉज–5 में संशोधन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

शहरी स्थानीय निकाय मंत्री (डॉ. कमल गुप्ता) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं–

> कि क्लॉज–5 (ङ) के बाद में सब क्लाज ''च.'' इस प्रकार शामिल की जाये–
>
> 5 (च.) किसी राष्ट्रीय आपदा के समय में;

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि क्लॉज–5 (ङ) के बाद में सब क्लाज ''च.'' इस प्रकार शामिल की जाये–

5 (च.) किसी राष्ट्रीय आपदा के समय में;

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉज–5 (ङ) के बाद में सब क्लाज ''च.'' इस प्रकार शामिल की जाये–

5 (च.) किसी राष्ट्रीय आपदा के समय में;

प्रस्ताव यथासंशोधित सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

क्लॉजिज–6 से 40

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लाजिज–6 से 40 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।

सब क्लॉज–1 ऑफ क्लॉज–1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि सब क्लॉज–1 ऑफ क्लॉज–1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

टाइटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय शहरी एवं स्थानीय निकाय एवं आवासीय मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक यथासंशोधित पारित किया जाए।

शहरी स्थानीय निकाय एवं आवासीय मंत्री (डॉ. कमल गुप्ता) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं–

कि विधेयक यथासंशोधित पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि विधेयक यथासंशोधित पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि विधेयक यथासंशोधित पारित किया जाए ।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।

(विधेयक यथासंशोधित सर्वसम्मति से पारित हुआ।)

——————

2. दि हरियाणा पंचायती राज (अमैंडमैंट) बिल, 2022

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब माननीय विकास एवं पंचायत मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2022 पर तुरन्त विचार किया जाए।

विकास एवं पंचायत मंत्री (श्री देवेन्द्र सिंह बबली): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं –

कि हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2022 पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

> कि हरियाणा पंचायती राज (संशोधन), 2022 विधेयक पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री भारत भूषण बतरा (रोहतक): मंत्री जी, इसमें यह जानकारी तो दे दी जाती कि किस हिसाब से रिजर्वेशन होगी।

विकास एवं पंचायत मंत्री (श्री देवेन्द्र सिंह बबली): अध्यक्ष महोदय, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 51 की उपधारा 3 के अन्तर्गत यदि किसी भी सरपंच व पंच को निदेशक अथवा संबंधित उपायुक्त द्वारा हटाया जाता है तो उस दिशा में सरपंच व पंच द्वारा पंचायत को पहुंचाए गए नुकसान की वसूली संबंधी उपायुक्त द्वारा धारा 51 की उपधारा 3 में पारित आदेशों की तिथि से 3 माह की अवधि के अन्दर–अन्दर की जाएगी। यदि उक्त अवधि के अन्तर्गत राशि वसूली नहीं की जाती है तो उक्त की वसूली भू–राजस्व के बकाया के रूप में करवाई जाएगी। इसी तरह सरपंच व पंच के हटाने तथा लंबित करने के विरुद्ध अपील अब सरकार के स्थान पर मंडल उपायुक्त द्वारा सुनी जाएगी। दूसरा सरपंच व पंच को पद से निलंबित अथवा पद से हटाये जाने के विरुद्ध अपील अब सरकार के स्थान पर संबंधित मंडल उपायुक्त द्वारा सुनी जाएगी।

श्री भारत भूषण बतराः मंत्री जी, मैं रिजर्वेशन के संबंध में जानकारी चाह रहा हूं कि आपका रिजर्वेशन देने का क्या फॉर्मूला है। जो बिल का सैकिण्ड पार्ट है वह रिजर्वेशन से संबंधित है, मैंने उस बारे में प्रश्न पूछा है। इसमें मैं यह जानना चाह रहा हूं कि रिजर्वेशन का फार्मूला क्या है ?

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, पहले से वह एक्ट बना हुआ है, उस एक्ट में अब थोड़ा संशोधन है, इसलिए यह संशोधन के लिए लाया गया है। इसमें पिछली बार पहले से ही 8 प्रतिशत पारित हो गया है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

> कि हरियाणा पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2022 पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः माननीय सदयगण, अब सदन विधेयक पर क्लॉज–बाई–क्लॉज विचार करेगा।

क्लॉजिज–2 से 8

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लाजिज–2 से 8 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

क्लॉज–1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉज–1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

टाइटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय विकास एवं पंचायत मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

विकास एवं पंचायत मंत्री (श्री देवेन्द्र सिंह बबली): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं–

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि विधेयक पारित किया जाए।

(प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)
(विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।)

3. दि हरियाणा रूरल डिवैल्पमैंट (अमैंडमैंट) बिल, 2022

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय विकास एवं पंचायत मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि हरियाणा ग्रामीण विकास (संशोधन) विधेयक, 2022 पर तुरन्त विचार किया जाये।

विकास एवं पंचायत मंत्री (श्री देवेन्द्र सिंह बबली) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं–

> कि हरियाणा ग्रामीण विकास (संशोधन) विधेयक, 2022 पर तुरंत विचार किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

> कि हरियाणा ग्रामीण विकास (संशोधन) विधेयक, 2022 पर तुरंत विचार किया जाये।

श्री जगबीर सिंह मलिक (गोहाना) : स्पीकर सर, हमारे पास जो बिल आया है उसमें 2 प्रतिशत का जिक्र तो नहीं है।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष जी, मैं माननीय साथी को यह बताना चाहूंगा कि पहले इसका एक एक्ट बना हुआ है जिसमें दो प्रतिशत ही लिखा हुआ है। क्या दो प्रतिशत को डिलीट किया जा रहा है?

श्री भारत भूषण बतरा : स्पीकर सर, जो पास करवा रहे हैं इसमें तो यह नहीं है।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष जी, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगा कि हम यह पास करवा रहे हैं कि उस प्रावधान के लिए सरकार को अधिकृत कर रहे हैं कि समय–समय पर जब इसकी आवश्यकता महसूस हो तो इसको कम–ज्यादा किया जा सकता है। दो प्रतिशत की बजाये समय–समय पर जितना चाहेगी उतना लगा लेगी। दो प्रतिशत वाला पहले था। अब सरकार को अधिकार जायेगा कि उसको समय–समय पर कम या ज्यादा किया जाये।

श्री अध्यक्ष : मलिक साहब, यही तो अमैंडमैंट आ रही है। समय–समय पर तो पहले लिखा हुआ है (विघ्न) लेकिन ये दो प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

श्री जगबीर सिंह मलिक (गोहाना) : स्पीकर सर, इसमें मेरा यह ऑब्जैक्शन है कि जो सरकार की मंशा है वह बहुत गलत है क्योंकि जितना भी यह लगाया जायेगा वह व्यापारी नहीं बल्कि किसान पर जायेगा। पीछे अखबारों में भी यह आया था कि 2500 रूपये से ऊपर जो जीरी बिकेगी उस पर इतने परसैंट टैक्स लगेगा तो व्यापारी

क्यों 2500 रूपये खरीदेगा। वह 2500 रूपये के बजाये 2400 में खरीदेगा। वह टैक्स क्यों देगा। उसमें इनकम टैक्स का भी जिक्र था।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष जी, उसमें 2500 रूपये की 2 परसैंट लिमिट है कि इससे ज्यादा नहीं लगेगा। अगर मान लें कि 2500 रूपये का रेट है तो भी 50 रूपये लगेगा, 2600 रूपये है तो भी 50 रूपये लगेगा, 2800 रूपये है तब भी 50 रूपये लगेगा लेकिन अगर 2400 रूपये है तो 48 रूपये लगेगा।

श्री जगबीर सिंह मलिक : स्पीकर सर, आढ़ती को 2500 रूपये में आढ़त कितनी मिलती है। अलटीमेटली यह किसान से जायेगा।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष जी, दो परसैंट जो उसका टैक्स है उसकी बात हो रही है। उसको हम कम कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं अगर किसी को उसमें ऑब्जैक्शन हो तो फिर आप मुझे बताना। मैं बता रहा हूं क्योंकि इस मामले से सम्बंधित फाईल मेरे हाथ से ही निकली है। पहले यह मार्किट फीस 2 परसैंट थी। किसी भी रेट में होती थी तो दो परसैंट चलती थी। फिर कुछ एक्सपोर्टर ने हमें यह कहा कि इसमें हमारा कम्पीटीशन दूसरे प्रदेशों से नहीं हो पा रहा है इसलिए हमें अपनी धान को विदेश में भेजना पड़ रहा है। उनकी जीरी का रेट सामान्यतः 2500 रूपये से ऊपर होता है। उस 2500 रूपये के ऊपर अगर उनको कुछ राहत मिले इसलिए जो मैक्सीमम दो परसैंट होगा वह 2500 रूपये तक ही होगा चाहे 3000 रूपये है तब भी 50 रूपये लगेगा। 4000 रूपये है तब भी 50 रूपये लगेगा। अगर 2500 रूपये तक होगा तो वह 2 परसैंट होगा। यही वास्तविक स्थिति है।

श्री भारत भूषण बतरा (रोहतक) : अध्यक्ष जी, सरकार जो अमैंडमैंट ला रही है in Section 2 of the Bill, it is clearly mentioned that:-

> "(1) Subject to the rules made under this Act, a fee shall be notified at a rate, as may be fixed by the State Government, from time to time on the sale proceeds of agricultural produce bought or sold or brought for processing in the notified market area levied on the dealer for the purposes of this Act:"

जितना भी लगाया जायेगा उसको डीलर नहीं देगा बल्कि वह किसान से ही जायेगा।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से पूछना चाहता हूं कि पहले भी मार्केट फीस कौन देता था?

———

बैठक का समय बढ़ाना

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अगर सदन की सहमति हो तो सदन की बैठक का समय 30 मिनट के लिए बढ़ा दिया जाये।

आवाजेंः ठीक है, जी।

श्री अध्यक्षः ठीक है, बैठक का समय 30 मिनट के लिए बढ़ाया जाता है।

————————

विधायी कार्य (पुनरारम्भ)

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, पहले एक्ट में 2 प्रतिशत का प्रावधान था और जब भी 2 प्रतिशत से कम या ज्यादा करना पड़ता था तो हर बार एक्ट में संशोधन करना पड़ता था। डिमांड के हिसाब से अगर कम करना है तब भी एक्ट में संशोधन करना पड़ता था। बीच में हमने 1 प्रतिशत भी किया था। जब तीन नये कानून आये थे तब हमने इसको 1 प्रतिशत किया था और जब वे कानून वापिस हो गये तब हमने इसको वापिस 2 प्रतिशत किया। उसके बाद चावल एक्सपोर्ट करने वालों की डिमांड आई कि इसको कम करो तो हमने उसको इस लिमिट में कर दिया। इस संशोधन के बाद समय–समय पर एक्ट में संशोधन की बजाय सरकार को यह अधिकार हो जायेगा कि जो डिमांड है या जैसी परिस्थितियां हैं वैसा ही उसका अधिकार सरकार को मिलेगा, इसमें इतना ही है।

श्री अध्यक्षः इसमें लिमिट भी तो कर दी है कि 2 प्रतिशत से अधिक नहीं लगेगा?

श्री शमशेर सिंह गोगीः अध्यक्ष महोदय, इसमें तो सरकार को खुली छूट दी गई है कि सरकार जितना मर्जी बढ़ा सकती है।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, इस शंका को समाप्त करने के लिए इसको कैप कर देते हैं कि it should not be more than 2 per cent. इसको फिक्स कर देते हैं।

श्री अध्यक्षः इसमें as amended भी यही प्रावधान किया गया है।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, इसमें जो अमैंडिड पंक्तियां हैं – Subject to the rules made under this Act, a fee shall be notified at a rate, as may be fixed by the State Government, from time to time subject to a cap of 2 per cent....

श्री वरूण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, हमें जो बिल की कॉपी मिली थी उसमें 2 प्रतिशत लिखा हुआ नहीं था। यह अब ठीक हो गया है। अब आपने 2 प्रतिशत की कैप लगा दी है।

श्री अध्यक्षः वरूण जी, पहले यह प्रावधान नहीं था लेकिन अब इसमें यही संशोधन किया जा रहा है। अब जो डिस्कस हो रहा है यह अमैंडिड बिल है।

श्री वरूण चौधरी (मुलाना) (एस.सी.): अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त इसमें एक प्रावधान और भी था। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि पहले यह फिक्स था लेकिन ऐसा नहीं है। पहले कॉटन के लिए अलग रेट था जैसा कि एक्सट्रैक्ट में लिखा हुआ है, आलू के लिए अलग था तथा इसी प्रकार से हर जीनस के लिए अलग रेट था। यह सारा पैसा हरियाणा रूरल डिवैल्पमैंट फंड में इकट्ठा होता है। अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है और यह जानकारी मुझे आज अतारांकित प्रश्न लगा कर मिली है कि 15 नवम्बर, 2022 तक हरियाणा रूरल डिवैल्पमैंट फंड का बैलेंस 1752/— करोड़ रुपये है। इसको प्रदेश की तरक्की के लिए तथा हमारे ग्रामीण आंचल की तरक्की के लिए खर्च करना चाहिए।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहना चाहूंगा कि हम इसको ग्रामीण आंचल की तरक्की के लिए खर्च करेंगे।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि हरियाणा ग्रामीण विकास(संशोधन) विधेयक, 2022 पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाई क्लॉज विचार करेगा ।

क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉज 2 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।

क्लॉज 2

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय विकास एवं पंचायत मंत्री हरियाणा ग्रामीण विकास(संशोधन) विधेयक, 2022 के खंड 2 में संशोधन के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

विकास एवं पंचायत मंत्री(श्री देवेन्द्र सिंह बबली): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हरियाणा ग्रामीण विकास(संशोधन) विधेयक, 2022 के खंड 2 में संशोधन के लिए निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं:–

कि हरियाणा ग्रामीण विकास(संशोधन) विधेयक के खंड 2 में प्रतिस्थापित होने वाली धारा 5 की उप धारा(1) में शब्दों "समय–समय पर" के बाद शब्दों "लेकिन दो प्रतिशत से अधिक नहीं" शब्द प्रविष्ट किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि हरियाणा ग्रामीण विकास(संशोधन) विधेयक के खंड 2 में प्रतिस्थापित होने वाली धारा 5 की उप धारा(1) में शब्दों "समय–समय पर" के बाद शब्दों "लेकिन दो प्रतिशत से अधिक नहीं" शब्द प्रविष्ट किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि हरियाणा ग्रामीण विकास(संशोधन) विधेयक के खंड 2 में प्रतिस्थापित होने वाली धारा 5 की उप धारा(1) में शब्दों "समय–समय पर" के बाद शब्दों "लेकिन दो प्रतिशत से अधिक नहीं" शब्द प्रविष्ट किया जाए।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(क्लॉज 2 यथासंशोधित सर्वसम्मति से स्वीकृत हुई।)

सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज 1

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि सब क्लॉज 1 ऑफ क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फॉर्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो ।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।

टाईटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो ।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब माननीय विकास एवं पंचायत मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक यथासंशोधित पारित किया जाए ।

विकास एवं पंचायत मंत्री (श्री देवेन्द्र सिंह बबली) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं –

कि विधेयक यथासंशोधित पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि विधेयक यथासंशोधित पारित किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि विधेयक यथासंशोधित पारित किया जाए ।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।

(विधेयक यथासंशोधित सर्वसम्मति से पारित हुआ ।)

---

4. दि हरियाणा एंटरप्राईजिज प्रमोशन (अमैंडमैंट) बिल, 2022

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि हरियाणा उद्यम प्रोन्नति (संशोधन) विधेयक, 2022 पर तुरंत विचार किया जाए।

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (श्री अनूप धानक) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

कि हरियाणा उद्यम प्रोन्नति (संशोधन) विधेयक, 2022 पर तुरंत विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि हरियाणा उद्यम प्रोन्नति (संशोधन) विधेयक, 2022 पर तुरंत विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि हरियाणा उद्यम प्रोन्नति (संशोधन) विधेयक, 2022 पर तुरंत विचार किया जाए।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सदन विधेयक पर क्लॉज–बाई–क्लॉज विचार करेगा।

क्लॉज–2

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि क्लॉज–2 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

क्लॉज–1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि क्लॉज–1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फॉर्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि इनैक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फॉर्मूला हो।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

टाइटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री (श्री अनूप धानक) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं–

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।)

5. दि हरियाणा लेजिस्लेटिव एसेम्बली (सैलरी, अलाउंसिज एण्ड पैंशन ऑफ मैंबर्स) सैकेंड अमेंडमैंट बिल, 2022

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय संसदीय कार्यमंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पैंशन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2022 पर तुरंत विचार किया जाए।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं–

> कि हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पैंशन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2022 पर तुरंत विचार किया जाए।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

> कि हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पैंशन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2022 पर तुरंत विचार किया जाए।

Shri Bharat Bhushan Batra (Rohtak): Hon'ble Speaker Sir, this issue has come many times before you and even in various meetings of the Committee. The demand which I have raised is with the consensus of almost all Chairmen and MLAs. So far as the amount is concerned, when any Committee goes for study tour a very less amount is being paid by the Government. पांच हजार रूपये में विधायक के रहने के लिए कोई अच्छी अकोमोडेशन उपलब्ध नहीं होती है। यह बात वैसे कह मैं रहा हूँ लेकिन यह सदन के सभी सदस्यों की राय है and it is from the treasury Benches also. वास्तव में यह एक रिस्पैक्टेबल अमाउंट होनी चाहिए। आखिर कौन ज्यादा बाहर टूर पर जाता है। 14 दिन तो कमेटी को वैसे ही आउट स्टेट टूर के अलाउड होते हैं और इन 14 दिन में से भी महज 5–7 दिन ही कोई कमेटी स्टेट से बाहर जाती है।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, अबकी बार तो नहीं लेकिन अगले वित्त वर्ष के दौरान इस विषय को देखा जायेगा।

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, अगली बार की बात आयेगी तो फिर यह मामला लटक ही जायेगा।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, अगली बार बजट सत्र के दौरान इस विषय को जरूर टेक अप करेंगे।

Shri Bharat Bhushan Batra: Speaker Sir, secondly, it is not a matter of comparison with the officers but why the officers travel by business class whereas the MLAs are only entitled for economy class?

श्री वरूण चौधरीः अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय बतरा जी के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि एम.एल.एज. भी बिजनेस क्लास के लिए एंटाइटल हैं।

श्री अध्यक्षः बतरा जी, आपको पता होना चाहिए कि रूल्ज में तो इसके लिए पहले ही प्रावधान कर लिया गया है।

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, अगर ऐसी बात है तो यह बहुत अच्छी बात है। अब मैं दूसरे विषय पर आता हूँ और वह यह है कि एक्ट के 9–(1) में स्पीकर साहब को रूल्ज बनाने की पावर दी गई हैं। रूल्ज को रेगुलेट करने की पावर्ज दी गई हैं। सभी सदस्यों की यह डिमांड है कि डीजल तो अब 100 रूपये पर लीटर मिलता है और इसके लिए विधायकों को महज 18 रूपये पर किलोमीटर ही मिलते हैं तो सदन के माध्यम से अनुरोध है कि इसको भी 25 रूपये पर किलोमीटर किया जाना चाहिए।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, जिस तरह की बात बतरा जी कर रहे हैं उन्हें यह बात भी याद रखनी चाहिए कि सरकार ने एम.एल.एज. के ड्राइवर के लिए बीस हजार रूपये देने का भी काम किया है। वे इस बात को कैसे भूल गए।

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, यह बीस हजार रूपये तो केवल ड्राइवर के बढ़ाये हैं। मेरा विषय तो डीजल की पर किलोमीटर एंटाइटलमैंट को बढ़ाने के बारे में है। अध्यक्ष महोदय, 18 रूपये पर किलोमीटर काफी लंबे समय से चल रहा है। जब डीजल 50 से 70 रूपये पर लीटर होता था, यह 18 रूपये पर किलोमीटर का प्रावधान तब से है। सरकार बाकी इवेंट्स और डिवेल्पमैंट्स पर भी तो करोड़ों रूपया खर्च कर रही है तो इस काम के लिए भी सरकार को कुछ तो खर्च करना चाहिए। सरकार ने डिवेल्पमैंट के लिए बहुत ज्यादा कर्जा ले लिया है लेकिन सरकार से डिवेल्पमैंट नहीं होती है। हम सरकार से जैनुअन डिमांड कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी इसके लिए ना कह रहे हैं। आखिरकार सरकार के इस पर कितने रूपये खर्च हो

जायेंगे। मुख्यमंत्री महोदय जी हम और आप तो इस हाउस का पार्ट हैं। We are the Legislators और हमारी इस डिमांड को पूरी करने के लिए रूल में अमेंडमेंट कर दी जानी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इस काम के लिए हम सभी सदस्यों को आपकी सिफारिश की जरूरत है और आपकी रिकमंडेशन की आवश्यकता है।

श्री अध्यक्षः बतरा जी, देखिए हाउस सुप्रीम होता है और हाउस जो भी निर्णय लेगा, वही अंतिम फैसला होता है। मेरी रिकमंडेशन की बात नहीं है।

श्री शमशेर सिंह गोगी (असंध): अध्यक्ष महोदय, जहां तक पैट्रोल–डीजल डलवाने की बात है, हरियाणा को एक तरह से इस मामले में नुकसान ही हो रहा है क्योंकि हमारे सभी एम.एल.एज. चंडीगढ़ के पैट्रोल पंप से पैट्रोल–डीजल डलवाते हैं। हमारे एम. एल.एज. चंडीगढ़ से ही अपनी गाड़ी की टंकी फुल करवाते हैं और हरियाणा में पैट्रोल–डीजल नहीं डलवाते। अध्यक्ष महोदय, चंडीगढ़ मीटिंग में आने–जाने में 1000 से लेकर 1200 रूपये तक का अकेले डीजल डलवाने में ही हमारा नुकसान हो जाता है। मैं कभी झूठ नहीं बोलता। मैं जब भी चंडीगढ़ आता हूँ तो हर बार चंडीगढ़ के सैक्टर–4 के पैट्रोल पंप से अपनी गाड़ी की टंकी फुल करवाकर ले जाता हूँ और इस प्रकार मेरे कम से कम 600 रूपये बच जाते हैं और 600 रूपये का लॉस होता है। अतः मैं सभी माननीय सदस्यों को सुझाव देता हूँ कि सभी सदस्य यहां से ही पैट्रोल डलवाया करो। अध्यक्ष महोदय, 18 रूपये पर किलोमीटर का प्रावधान 25–30 साल पहले हुआ था और यह प्रावधान आज भी है। इसको तुरंत प्रभाव से अमेंड करने की जरूरत है।

श्री अध्यक्षः गोगी जी, यह 18 रूपये पर किलोमीटर का प्रावधान 25–30 साल पहले नहीं हुआ था। यह प्रावधान वर्ष 2016 में हुआ था।

श्री भारत भूषण बतराः अध्यक्ष महोदय, वैसे मेरे ख्याल से 2009 में भी कुछ ऐसा ही प्रावधान था। एक–दो रूपये कम हो सकता है। यह अलग बात है।

श्री शमशेर सिंह गोगीः अध्यक्ष महोदय, मेरा तो अपना खुद का पैट्रोल पंप है। मुझे सब पता है कि पैट्रोल–डीजल कब ज्यादा महंगा हुआ है। हम सरकार से कोई एक्स्ट्रा की डिमांड नहीं कर रहे हैं बल्कि जितना हमारा पैसा पैट्रोल–डीजल पर खर्च होता है, हम तो केवल उतने तक की ही डिमांड कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एक दिन आप किसी को भेजकर इस बात को स्वयं चैक करवा लें तो आपको असली बात का पता चल जायेगा।

श्री मामन खान (फिरोजपुर झिरका): अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा एम.एल.ए. के लिए स्टैनो देने का काम किया गया था लेकिन इनको छह महीने में विद्ड्रा करने का काम किया गया। आखिरकार ऐसा क्यों किया गया। इनको कंटीन्यू करने की जरूरत है।

श्री मनोहर लालः अध्यक्ष महोदय, सरकार ने एम.एल.ए. के पी.ए. तथा ड्राइवर के लिए क्रमशः 15000 तथा 20000 रूपये का प्रावधान तो पहले ही कर दिया है।

श्री अध्यक्षः मामन जी, जब पहले ही पी.ए. और ड्राइवर के लिए 15000 और 20000 रूपये का प्रावधान किया जा चुका है तो फिर यह तो आपके लिए अच्छी बात है।

श्री शमशेर सिंह गोगीः अध्यक्ष महोदय, मामन खान डी.सी. आफिस की तरफ से मिलने वाले स्टैनो की बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्षः देखिए, इस सुविधा को तो चीफ सैक्रेटरी साहब की तरफ से विद्ड्रा कर लिया गया था।

श्री राम कुमार गौत्तम (नारनौंद): अध्यक्ष महोदय, सदन ने माननीय विधायकों के पी.ए. की सैलरी 20 हजार रुपये प्रति महीना करने का निर्णय लिया है, यह बहुत ही अच्छा निर्णय लिया है और इसके साथ–साथ माननीय सदस्यों के ड्राईवर की सैलरी भी 20 हजार रुपये प्रति महीना कर दी, यह और भी अच्छा निर्णय लिया है। इससे गरीब कर्मचारी सरकार को बहुत दुआएं देंगे। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सदन से अनुरोध है कि अगले सत्र में इन दोनों की सैलरी 25–25 हजार रुपये प्रति महीना जरूर कर देना, ऐसा हो गया तो बहुत–बहुत मेहरबानी हो जायेगी। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने जो 177 कॉलोनियां रेगुलराइज की हैं, मैं सरकार के इस फैसले का तहेदिल से स्वागत करता हूँ। मैं तो यह कहता हूँ कि यह सरकार का एक ऐतिहासिक फैसला है। हरियाणा प्रदेश के लोग सरकार के इस निर्णय पर बहुत–बहुत दुआएं देंगे। धन्यवाद।

श्री सत्य प्रकाश (पटौदी) (एस.सी.): अध्यक्ष महोदय, मेरा यह कहना है कि हमारे होम लोन की रि–पेमैंट की किस्त 100 होती हैं, ये किस्तें हमारी इंकम के हिसाब से बहुत कम हैं। मैं चाहता हूँ कि एक तो होम लोन की सीमा 60 लाख रुपये से बढ़ाई जाये क्योंकि 60 लाख रुपये में तो गुरूग्राम आदि शहरों में एक छोटा सा फ्लैट भी नहीं आता है और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी होम लोन की रि–पेमैंट की

किस्त 100 से बढ़ाकर 200 की जायें, जिससे होम लोन की किस्त की अमाउण्ट कम हो जाये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्षः सत्य प्रकाश जी, अगली बार बजट देखकर, इस पर चर्चा करेंगे।

श्री सत्य प्रकाशः ठीक है, स्पीकर सर।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि हरियाणा विधान सभा (सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन) द्वितीय संशोधन विधेयक, 2022 पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाई क्लॉज विचार करेगा।

क्लॉज 2

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि क्लॉज 2 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज 3

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि क्लॉज 3 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

क्लॉज 1

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फॉर्मूला

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि इनैक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फॉर्मूला हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

टाइटल

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री कंवर पाल) : मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ–

कि विधेयक पारित किया जाये।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि विधेयक पारित किया जाये।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि विधेयक पारित किया जाये।

(प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

(विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।)

———————

6. दि फरीदाबाद मैट्रोपोलिटन डिवैल्पमैंट अथॉरिटी (अमेंडमैंट) बिल, 2022

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2022 पर तुरंत विचार किया जाए ।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं –

कि फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2022 पर तुरंत विचार किया जाए ।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ –

कि फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2022 पर तुरंत विचार किया जाए ।

श्री वरूण चौधरी (मुलाना) (एस.सी.): अध्यक्ष महोदय, इस बिल के द्वारा मुख्य तौर पर 2 बदलाव किये जा रहे हैं । इसमें पहले बदलाव के तौर पर Section 5(ma) में लिखा है कि 2(ma) में - "Director, Town and Country Planning Department, ex-officio member," इंसर्ट किया जा रहा है । अध्यक्ष महोदय, इसी बिल का अनैक्श्चर दर्शाता है कि वर्ष 2018 के एक्ट में क्या प्रावधान था । यह बिल ज्यों का त्यों पेश किया गया है । सर, 5(ma) में लिखा है कि - "Director, Town and Country Planning Department, ex-officio member;". मैं जानना चाहता हूं कि इसमें क्या बदलाव किया गया है ? मेरा प्रश्न है कि अगर कोई बदलाव नहीं किया गया है तो फिर यह अमेंडमैंट बिल किसलिए लाया गया है ? अगर बदलाव किया गया है तो यहां पर उसे दर्शाया क्यों नहीं गया है ?

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, इस बिल के अनैक्श्चर (अनुबन्ध) में जो दर्शाया गया है वास्तव में वह छपाई की एक गलती है । मेरे विचार से अनैक्श्चर के मैटर का बिल से कोई संबंध नहीं होता है । अनैक्श्चर तो केवल जानकारी देने के लिए अटैच किया जाता है । इसका जो प्रारूप लिखा गया है इसमें केवल वही संशोधन है और उसी पर विचार किया जाना चाहिए ।

श्री वरूण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, अगर हमें यही पता नहीं होगा कि पहले क्या प्रावधान था तो हम क्या चर्चा करेंगे और उस पर क्या सोच–विचार करेंगे ? अतः यह बहुत आवश्यक है और यह स्पष्ट होना चाहिए । अगले बिल दि गुरूग्राम मैट्रोपोलिटन डिवैल्पमैंट अथॉरिटी (अमैंडमैंट) बिल, 2022 में भी सेम इशू है । अध्यक्ष महोदय, विभाग में बिल पर पहले चर्चा होती होगी, फिर बिल तैयार होता होगा, फिर बिल एल.आर. के पास जाता होगा और उसके बाद बिल कैबिनेट में भी आता होगा । क्या बिल को कहीं पर देखा ही नहीं जाता ?

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, वास्तव में जो संशोधन करना होता है या फाइल में जो चीजें आती हैं वह उसी लैंगवेज में आती है । अनैक्श्चर वगैरह न तो एल.आर. के पास जाते हैं और न किसी अन्य जगह जाते हैं । वे तो सिर्फ हमारी सहायता के लिए अटैच किये जाते हैं । अगर कोई चीज गलत छप गई है तो उस पर हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए । इसमें जो संशोधन है वह पहले पेज पर लिखा गया है । संशोधन के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं कि पहले उसमें खासकर फरीदाबाद और गुरूग्राम में प्रिंसिपल सैक्रेटरी के स्तर के व्यक्ति को ही सी.ए. बनाया जाता था । हमने पंचकुला में इस व्यवस्था को बदल दिया है । अब कमिश्नर या सैक्रेटरी के लैवल के अधिकारी को भी उसका सी.ई.ओ. बनाया जा सकता है । इसमें केवल इतना ही संशोधन है । इसमें जो अनैक्श्चर अटैच किया गया है उसका कोई विशेष अर्थ नहीं है । अनैक्श्चर का संशोधन से कोई खास संबंध नहीं होता है । वह तो केवल इंडीकेशन के लिए होता है । उसके बारे में मैं कह ही रहा हूं कि वह गलत छप गया है ।

श्री वरूण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय कह रहे हैं कि अनैक्श्चर गलत छप गया है । यह बात तो ठीक है लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय को यह नहीं कहना चाहिए कि इस पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए । हमें ध्यान तो देना पड़ेगा, नहीं तो सदन में बिल पर चर्चा कैसे होगी ? मेरी प्रार्थना है कि बिल में यह जो त्रुटि हुई है, भविष्य में यह त्रुटि नहीं होनी चाहिए ।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, भविष्य में अधिकारियों के स्तर पर ऐसी गलती नहीं होगी ।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी, अनैक्श्चर गलत छप गया है, प्रिंटिंग में कहीं मिस्टेक हुई है तो अधिकारियों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए । ।

श्री मनोहर लाल : अध्यक्ष महोदय, हम इसे पारित कर देंगे ।

श्री अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी, हम इसे पारित तो कर देंगे लेकिन जब अधिकारी किसी डॉक्युमैंट को पास करते हैं तो उनको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि उसमें कोई गलती तो नहीं है ।

श्री मनोहर लाल : ठीक है अध्यक्ष महोदय, इस बारे में हम अधिकारियों से बात करेंगे।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2022 पर तुरंत विचार किया जाए ।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाई क्लॉज विचार करेगा ।

क्लॉज 2

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है –

कि क्लॉज 2 विधेयक का पार्ट बने ।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ ।

क्लॉज–3

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि क्लॉज–3 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

क्लॉज–1

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि क्लॉज–1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फॉर्मूला

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि इनैक्टिंग फॉर्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फॉर्मूला हो।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

टाइटल

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ–

कि विधेयक पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि विधेयक पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न है–

कि विधेयक पारित किया जाये।

(प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

(विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ।)

---

7. दि गुरुग्राम मैट्रोपोलिटन डिवैल्पमैंट अथॉरिटी (अमैंडमैंट) बिल, 2022

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2022 पर तुरन्त विचार किया जाये।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं–

कि गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2022 पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2022 पर तुरन्त विचार किया जाए।

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2022 पर तुरन्त विचार किया जाए।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब सदन विधेयक पर क्लॉज बाई क्लॉज विचार करेगा।

क्लॉज 2

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि क्लॉज 2 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

क्लॉज 3

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि क्लॉज 3 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

क्लॉज 1

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि क्लॉज 1 विधेयक का पार्ट बने।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

इनैक्टिंग फार्मूला

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि इनैक्टिंग फार्मूला विधेयक का इनैक्टिंग फार्मूला हो।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

टाइटल

श्री अध्यक्षः प्रश्न है–

कि टाइटल विधेयक का टाइटल हो।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

श्री अध्यक्षः माननीय सदस्यगण, अब माननीय मुख्यमंत्री प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे कि विधेयक पारित किया जाए।

मुख्यमंत्री (श्री मनोहर लाल): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं–

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ–

कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न है–

कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(विधयेक सर्वसम्मति से पारित हुआ।)

....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, अब सदन कल दिनांक 28 दिसम्बर, 2022 बुधवार प्रातः 11:00 बजे तक के लिए स्थगित किया जाता है।

*18:29 बजे

(तत्पश्चात् सभा बुधवार दिनांक 28 दिसम्बर, 2022 प्रातः 11:00 बजे तक के लिए *स्थगित हुई।)

तारांकित प्रश्न संख्या–39 का अनैक्चर

अनुबंध-क

माननीय सांसदो द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद ली गई ग्राम पंचायतों तथा पिछले 8 वर्षो के दौरान पूर्ण किए गए कार्यों जैसा कि मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों एवं जिला परिषदों ने बताया है का विवरण				
जिले का नाम: - अंबाला				
	गोद ली गई ग्राम पंचायतों के नाम	**माननीय मंत्री/सांसदों के नाम**	**क्रमांक**	**पूर्ण किये गये कार्यों का विवरण**
1	दीन	कुमारी शैलजा	1	शिकायत पेटी लगाना
			2	जल सुवाहयता आर.ओ. इंस्टालेशन
			3	नया घरेलू विद्युत कनेक्शन
			4	लाइव स्टॉक बीमा
			5	टी/डब्ल्यू की स्थापना/मरम्मत (विफलता के खिलाफ)
			6	चौपाल की मरम्मत
			7	गांव में डिलीवरी हट का निर्माण
			8	व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वास्थ्य पर तम्बाकू और अन्य नशीले पदार्थों के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूकता
			9	धीन से सहलेपुर तक लिंक रोड की मरम्मत
			10	धीन से गगनपुर तक लिंक रोड की मरम्मत
			11	शमशान घाट में शेड व बरामदा का निर्माण
			12	उच्च कोटि के प्रमाणित नस्ल के बैलों का परिचय। स्थानीय वर्णनात्मक मवेशियों के कृत्रिम गर्भाधान नस्ल सुधार के बारे में जागरूकता। बेहतर फ़ीड तैयार करने के बारे में जागरूकता। बकरी पालन की तरह जुगाली करने वालों को बढ़ावा देने के लिए चारा कटर का वितरण।
			13	दूध की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक हाई-टेक डेयरी
			14	सामुदायिक पार्क का विकास (पुन: मॉडलिंग और तालाब का सौंदर्यीकरण)
			15	मकानों का निर्माण
			16	सक्रिय महिलाओं के लिए प्रशिक्षण
			17	4 किमी लंबी जर्जर केबल बदली जाए
			18	वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में उपलब्ध खेल बुनियादी ढांचे का रखरखाव
			19	सीनियर सेकेंडरी और प्राइमरी स्कूल में स्टाफ की कमी

			20	आंगनबाडी केन्द्रों का निर्माण
			21	21 पुराने लोहे के खंभों को बदला जाए और ओवरलोडिंग से बचने के लिए अतिरिक्त 4 नंबर टी/एफ प्रदान किया जाए
			22	गांव के सभी लोगों के संपूर्ण टीकाकरण के लिए सूक्ष्म स्वास्थ्य सर्वेक्षण किया जाए
			23	जगाधरी-अंबाला रोड से धीन से सारण तक लिंक रोड की मरम्मत
			24	योग/व्यायामशाला का निर्माण
			25	प्राथमिक विद्यालय में नया कम्प्यूटर क्रय करना
			26	लाइब्रेरी साइंस लैब वाटर कूलर, सिविल वर्क, पंखे, ब्यूटीफिकेशन और ग्रीन बोर्ड आदि।
			27	मौजूदा बस कतार आश्रय का पुन: निर्माण
			28	चिकित्सा विभाग के सहयोग से समय-समय पर टीकाकरण सह उपचार शिविर।
			29	पंचायत की जमीन के लिए नई पाइप लाइन
			30	एसएचजी सदस्यों का प्रशिक्षण
			31	बाउंड्री वाल का निर्माण एवं बालू भराई का कार्य
			32	स्वास्थ्य विभाग एवं ग्राम पंचायत द्वारा झोलाछाप एवं आरएमपीएस पर नियंत्रण
			33	सीनियर सेकेंडरी और प्राइमरी स्कूल दोनों में फ़र्श टाइल का प्रावधान
			34	ग्राम स्वास्थ्य पोषण एवं स्वच्छता समिति को संवेदनशील बनाने और उचित कार्रवाई करने की आवश्यकता है
			35	गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वीसी को शिक्षण संसाधनों की गुणवत्ता की निगरानी करनी चाहिए। स्थानीय शिक्षक उपलब्ध हो तो नियुक्ति की जाए
			36	पिछले एसएचजी का पुनरुद्धार
			37	सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कंप्यूटर की मरम्मत
			38	ग्राम संगठन का गठन (वी.ओ)
			39	शौचालयों के उचित रखरखाव के लिए व्यक्ति को प्रशिक्षण
			40	(पारंपरिक खेती) भूनिर्माण, वर्मीकम्पोस्ट, जैविक, खाद्य संरक्षण, फूलों की खेती के लिए प्रशिक्षण

			41	विभिन्न बीज, ड्रिप सिंचाई, कृषि उपकरण, पॉलीहाउस, नेट-हाउस (कम फसल उत्पादकता) पर सब्सिडी
			42	श्मशान घाट पर पेयजल की सुविधा
			43	नए व्यक्तिगत घरेलू शौचालयों का निर्माण
			44	सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण
			45	मांस और शराब की दुकानों को गांव के प्रवेश द्वार से हटाया/स्थानांतरित किया जाए
			46	सार्वजनिक स्थलों पर पौधरोपण ग्राम पंचायत
			47	इसके वनस्पतियों और जीवों का लेखा-जोखा लेने के लिए ग्राम स्तर पर जैव विविधता रजिस्टर का रखरखाव किया जा सकता है
			48	प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय दोनों में सौर इकाइयों की स्थापना
			49	शासकीय भूमि से अनाधिकृत अतिक्रमण हटाया जाए
			50	स्वरोजगार के लिए प्रशिक्षण
			51	हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी
			52	युवाओं और महिलाओं को विभिन्न ट्रेडों में कौशल विकास प्रशिक्षण दिया जाए
			53	खुले में शौच और खराब स्वच्छ सामुदायिक स्वास्थ्य के परिणामों पर जागरूकता
			54	मुख्य चौराहों और चौराहों पर 50 स्ट्रीट लाइटों के स्थान पर सोलर लाइटें लगाई जाएं
			55	ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन इकाई
			56	किसान क्रेडिट कार्ड
			57	प्राथमिक विद्यालय में खिलौने
			58	खुदरा दुकानों के माध्यम से शराब की बिक्री को रोकने के लिए
			59	प्रत्येक किसान के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड
			60	धीन से फतेहपुर तक लिंक रोड का निर्माण
			61	एसएचजी गठन (संस्था भवन)
			62	एसएचजीएस को परिक्रामी निधि
			63	युवाओं व महिलाओं को डडगकी व रुपयेटी का कौशल आधारित प्रशिक्षण
			64	अवैध कनेक्शन के खिलाफ त्वरित कार्रवाई

			65	सक्रिय एसएचजी सदस्यों के लिए एक्सपोजर विजिट
			66	मास्टर बुक कीपर के लिए प्रशिक्षण
			67	एसएचजी नेताओं का प्रशिक्षण
			68	एसएचजीएस को क्रेडिट लिंकेज
			69	धीन से रुड़की तक लिंक रोड की मरम्मत
			70	आई/एल पेवर ब्लॉक और नालियों के साथ सड़कों का निर्माण
			71	बुक कीपर्स के लिए प्रशिक्षण
			72	कॉमन सर्विस सेंटर का उद्घाटन
			73	पेयजल आपूर्ति हेतु अतिरिक्त नलकूप की स्थापना
2	**जटवार**	**श्री रतन लाल कटारिया**	74	उच्च कोटि के प्रमाणित नस्ल के बैलों का परिचय।
			75	स्थानीय घृणित मवेशियों के कृत्रिम गर्भाधान नस्ल सुधार के बारे में जागरूकता। बकरी पालन जैसे जुगाली करने वालों को बढ़ावा देने के लिए बेहतर फ़ीड तैयारी वितरण के बारे में जागरूकता।
			76	एनएच-72 से गांव फतेहगढ़ वाया जटवार सड़क का अपग्रेडेशन ट्रैफिक साइन बोर्ड के साथ
			77	ग्राम जटवार में शिकायत पेटी डालकर खुली नाली का निर्माण करा दिया गया है
			78	ज्ञान केंद्र में मिट्टी भरना
			79	ग्राम संगठन का गठन (वी.ओ)
			80	गांव के सभी लोगों के संपूर्ण टीकाकरण के लिए सूक्ष्म स्वास्थ्य सर्वेक्षण किया जाए
			81	प्राथमिक विद्यालय में खिलौने
			82	रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम
			83	एसएचजी गठन (संस्था भवन)
			84	युवाओं व महिलाओं को कौशल आधारित प्रशिक्षण डीडीयूजकेवाइव रसेटी
			85	शौचालयों के उचित रखरखाव के लिए व्यक्ति को प्रशिक्षण
			86	अवैध कनेक्शन के खिलाफ त्वरित कार्रवाई
			87	(पारंपरिक खेती) भूनिर्माण, वर्मीकम्पोस्ट, जैविक, खाद्य संरक्षण, फूलों की खेती, पशुधन बीमा के लिए प्रशिक्षण
			88	खुले में शौच और खराब स्वच्छ सामुदायिक स्वास्थ्य के परिणामों पर जागरूकता

			89	व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वास्थ्य पर तम्बाकू और अन्य नशीले पदार्थों के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूकता
			90	सक्रिय एसएचजी सदस्यों के लिए एक्सपोजर विजिट
			91	एसएचजी सदस्यों का प्रशिक्षण
			92	शिकायत पेटी लगाना
			93	एसएचजीएस को परिक्रामी निधि
			94	एसएचजीएस को क्रेडिट लिंकेज
			95	कास्ट। स्ट्रीट एच/ओ गुलजार पंच टू एच/ओ नराता राम
			96	सरकारी पंचायत के पास पंचायती जमीन में मिट्टी भराई स्कूल
			97	वेटरनिटी डिस्पेंसरी में अर्थ फिलिंग
3	**पिलखानी**	**श्री रतन लाल कटारिया**	98	सरकारी स्कूल के पास तालाब का नवीनीकरण।
कुल				**98**

माननीय सांसदो द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद ली गई ग्राम पंचायतों तथा पिछले 8 वर्षो के दौरान पूर्ण किए गए कार्यों जैसा कि मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों एवं जिला परिषदों ने बताया है का विवरण

जिले का नाम:- भिवानी

	गोद ली गई ग्राम पंचायतों के नाम	माननीय मंत्री/सांसदों के नाम	क्रमांक	पूर्ण किये गये कार्यों का विवरण
1	**घुसकनी**	**श्री दुष्यंत चौटाला**	1	एसएजीवाई गांव (घुसकनी) में स्वच्छता और इसके महत्व पर जागरूकता अभियान
			2	एसएजीवाई ग्राम घुसकनी में 10 दिवसीय (कुल) योग शिविर
			3	स्कूल, कक्षा कक्ष और बुनियादी ढांचे का नवीनीकरण।
			4	शिक्षा विभाग द्वारा योजनाओं के लाभ के लिए जागरूकता शिविर
			5	विद्यालय में पुस्तकालय की स्थापना
			6	पशु चिकित्सा केंद्र का जीर्णोद्धार
			7	गांव में वीएस और वीएलडीए की साप्ताहिक यात्रा की नियुक्ति
			8	जेनेरिक मेडिकल स्टोर खोलना
			9	5 खेलों की ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता
			10	स्कूल में जिम्नास्टिक बार लगवाना

			11	स्कूली छात्र-छात्राओं के लिए एनसीसी व स्काउट गाइड कैंप का पंजीकरण
			12	सभी ग्राम पंचायत पदाधिकारियों का प्रशिक्षण बैच-।
			13	सभी ग्राम पंचायत पदाधिकारियों का प्रशिक्षण बैच-द्वितीय
			14	कृषक हित समूह का गठन एवं कृषक उत्पादक संगठन से जोड़ना
			15	मशरूम की खेती चना जौ एवं उद्यानिकी फसलों हेतु प्रोत्साहन शिविर
			16	अच्छी कृषि पद्धतियों पर कार्यशाला (जीएपी)। इसमें उर्वरक, कीटनाशक और बीज के उपयोग पर किसानों का मार्गदर्शन करना शामिल है।
			17	फसल बीमा योजना पर जागरूकता शिविर
			18	परामर्श और मौसम पूर्वानुमान प्राप्त करने के लिए किसान पोर्टल के तहत किसानों का पंजीकरण
			19	आरसेटी ड्रेस डिजाइनिंग अगरबत्ती मेकिंग आदि द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम।
			20	स्वयं सहायता समूह गठन शिविर
			21	आईटीआई पाठ्यक्रमों के लाभों पर प्रकाश डालते हुए नामांकन शिविर
			22	पेंशन शिविर सभी ग्रामीणों के लिए पेंशन बनाने के लिए
			23	डिजिटल बैंकिंग पर शिविर
			24	गांव के हर बैंक खाते को आधार और मोबाइल नंबर पर रजिस्टर करें
			25	मुद्रा योजना प्रोत्साहन कार्यक्रम
			26	तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण और जॉगिंग ट्रैक
			27	हरेडा योजना द्वारा जागरूकता शिविर
			28	तालाब पुनर्विकास
			29	पुराने ट्रांसफार्मर को बदलना
			30	लिंकिंग ड्रेन ब्राह्मण तालाब
			31	जल पाठ्यक्रमों की परत (डब्ल्यूसी)
			32	वृद्धावस्था पेंशन हेतु पात्र वृद्धजन का नामांकन
			33	नए राशन कार्ड का नामांकन

			34	योग्य सदस्यों का आधार नामांकन
			35	जीपी में भूमि रिकॉर्ड डिजिटलीकरण
			36	एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, वॉलीबॉल जैसे खेल उपकरणों का वितरण
			37	खेलों के लिए विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूकता शिविर
			38	हर घर में पौधे का वितरण
			39	आरएसईटी अगरबत्ती मेकिंग आदि द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम।
			40	घरों में बिजली की लाइन बिछाना
			41	वेब आधारित प्रशिक्षण
			42	सभी के लिए स्वास्थ्य कार्ड जारी करें
			43	एक बीमा शिविर स्वदेशी पशु का आयोजन करें
			44	मनरेगा के तहत खेत तालाब निर्माण
			45	कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी का क्रियान्वयन
			46	नई पेयजल पाइप लाइन बिछाना
			47	PMKVY कौशल विकास केंद्र के तहत युवाओं के लिए नामांकन कार्यक्रम
			48	अपशिष्ट निपटान शेड स्थापित करना
2	**चाहर खुर्द**	**श्री धर्मबीर सिंह**	49	एसएजीवाई गांव चेहर खुर्द में दस दिवसीय योग शिविर
			50	बी वॉल का नवीनीकरण प्राथमिक स्कूल
			51	बी/दीवार का नवीनीकरण खेल मैदान सहित मध्य विद्यालय
			52	आईटी प्लस वेब आधारित प्रशिक्षण - 5वीं - 8वीं कक्षा के छात्रों के लिए डिजिटल साक्षरता कार्यशाला।
			53	राजकीय मध्य विद्यालय में पुस्तकालय की स्थापना
			54	गांव में पशु चिकित्सा केंद्र के निर्माण तक वीएलडीए के साप्ताहिक दौरे की नियुक्ति
			55	सभी ग्राम पंचायत पदाधिकारियों का प्रशिक्षण बैच-।
			56	सभी ग्राम पंचायत पदाधिकारियों का प्रशिक्षण बैच-द्वितीय

			57	मशरूम की खेती, चना, जौ एवं उद्यानिकी फसलों हेतु प्रोत्साहन शिविर।
			58	नवीन स्थल हेतु मनरेगा के अन्तर्गत तालाब निर्माण
			59	पेंशन शिविर सभी ग्रामीणों के लिए पेंशन बनाने के लिए
			60	मध्य विद्यालय क्षेत्र एवं अन्य पंचायत भूमि हेतु वृक्षारोपण
			61	महेंद्र के मकान से सुरेश मास्टर तक दोनों ओर नाली सहित पक्की गलियों का निर्माण
			62	बालकिशन आवास से पश्चिम की ओर फिरनी तक दोनों ओर नाली के साथ पक्की सड़कों का निर्माण
			63	मुख्य बस स्टैंड के समीप शमशान घाट के लिए पथ, शेड एवं दीवार उपलब्ध कराना
			64	पुरानी डेमोस्टिक विद्युत लाइन ग्राम आबादी की रिट्रोफिटिंग
			65	पूंछ को ठीक से खिलाने के लिए चाहर खुर्द माइनर हेड टू टेल का जीर्णोद्धार
			66	वृद्धावस्था पेंशन हेतु पात्र वृद्धजन का नामांकन
			67	सभी ग्रामीणों का आधार नामांकन
			68	प्राथमिक विद्यालय के मानेसर तालाब के पीछे दीवार उपलब्ध कराना
			69	मुख्य बस स्टैंड के पास 2 अपशिष्ट निपटान शेड - जैव और प्लास्टिक अलग स्थापित करना
			70	शासकीय मध्य विद्यालय में पेयजल के लिए वर्षा जल संचयन प्रणाली उपलब्ध कराना
3	**देवसर**	**श्री धर्मबीर सिंह**	71	सभी ग्रामीणों के लिए यूआईडीएआई कार्ड का प्रावधान
			72	विभिन्न पेंशन योजनाओं के लिए सभी पात्र व्यक्तियों का नामांकन
			73	विशेष रूप से गांव के बुजुर्गों, स्थानीय रोल मॉडल का सम्मान करना
			74	जीएसएसएस में खेल एवं लोक कला उत्सव का आयोजन
			75	एसएजीवाई ग्राम देवसर में योग शिविर
			76	उचित बिजली के लिए अम्बे धर्मशाला के पास एक ट्रांसफार्मर स्थापित करें
			77	जीपी भूमि का वृक्षारोपण

			78	कृषि में विविधीकरण के लिए प्रोत्साहन शिविर
4	**मिरान**	**श्री धर्मबीर सिंह**	79	योग्य सदस्यों का आधार नामांकन
			80	वृद्धावस्था पेंशन हेतु पात्र वृद्धजन का नामांकन
			81	गांव में स्वच्छता और इसके महत्व पर जागरूकता अभियान
			82	सरकार के लिए बिजली कनेक्शन प्रदान करना। पशु औषधालय
5	**साई**	**श्री बृजेंद्र सिंह**	83	एसएजीवाई गांव सई में योग शिविर
			84	जीपी भूमि का वृक्षारोपण
			85	वृद्धावस्था पेंशन हेतु पात्र वृद्धजन का नामांकन
6	**कायला**	**जनरल डी.पी. वतस**	86	वृद्धावस्था पेंशन हेतु पात्र वृद्धजन का नामांकन ।
			87	सगी गांव बडाला में योग शिविर
			88	जीपी भूमि का वृक्षारोपण
			89	योग्य सदस्यों का आधार नामांकन
7	**बडाला**		90	एसएजीवाई ग्राम बडाला में समूह भूमि योग शिविर का पौधारोपण
			91	जीपी भूमि का वृक्षारोपण
			92	जीपी भूमि का वृक्षारोपण
			93	वृद्धावस्था पेंशन हेतु पात्र वृद्धजन का नामांकन
			94	योग्य सदस्यों का आधार नामांकन
कुल				**94**

माननीय सांसदो द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद ली गई ग्राम पंचायतों तथा पिछले 8 वर्षो के दौरान पूर्ण किए गए कार्यों जैसा कि मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों एवं जिला परिषदों ने बताया है का विवरण

जिले का नाम:- चरखी दादरी

	गोद ली गई ग्राम पंचायतों के नाम	माननीय मंत्री/सांसदों के नाम	क्रमांक	पूर्ण किये गये कार्यों का विवरण
1	**सांवर**	**श्री धर्मबीर सिंह**	1	पीएचसी सांवर के सामने के हिस्से के लिए गांव सांवर से गांव हिंडोल तक सड़क की मरम्मत
			2	ग्राम सावर के लिए महाविद्यालय का उद्घाटन।
			3	ग्राम सांवर से ग्राम सक्रोड़ तक लिंक रोड की मरम्मत

			4	कुम्हार समाज के लिए चौपाल के सिपाही
			5	खराब ड्रेनेज सिस्टम और उचित सीवरेज सिस्टम के कारण क्षतिग्रस्त हुई इस सड़क को गांव रानिला से गांव सांवर तक लिंक रोड की मरम्मत के लिए सड़क की स्थायित्वता प्रदान की गई है।
			6	सांवर धारेरू रोड के साथ स्थित ग्राम सांवर में न्यू वाटर वर्क्स द्वितीय के क्षतिग्रस्त / रिसाव इनलेट चैनल की मरम्मत।
			7	स्वामी समाज के लिए चौपाल की कमान
			8	विज्ञान प्रयोगशाला जीजीएसएसएस, सांवर में
			9	मरम्मत लिंक रोड ग्राम भगेश्वरी से ग्राम सांवर की मुख्य सड़क से ग्राम झिंझर तक जाती है
			10	सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांवर के पास तालाब बनाने के लिए एच / ओ संजय पुत्र ओम प्रकाश के लिए अर्ध सीवर सिस्टम का प्रावधान।
			11	लोहारू फीडर इंदिरा गांधी नहर से गांव लांबा, कोहली व अन्य समूह सांवेर गांव को कच्चे पानी की आपूर्ति का प्रावधान
			12	ग्राम सावर में पुराने व जर्जर भवनों के स्थान पर आवास सहित नवीन पीएचसी भवन का निर्माण।
			13	चौपाल पानन गिरधन ग्राम सांवेर का निर्माण
			14	लिंक रोड गांव सांवर से बडाला की मरम्मत देवी रोड के रूप में जानी जाती है, बी और आर डिवीजन भिवानी द्वारा कुछ हिस्से को पूरा किया गया लेकिन 300 मीटर के हिस्से को छोड़ दिया गया। गांव के आस-पास
			15	ग्राम सांवा रोट ग्राम झिंझर की मुख्य सड़क से ग्राम अछिना की ओर जाने वाली लिंक रोड की मरम्मत
			16	रोहतक रोड पर स्थित पुराने वाटर वर्क्स ग्राम सांवर के लिए खुले चैनल के स्थान पर क्लोजिंग इनलेट चैनल का निर्माण।
			17	स्टेडियम का कार्य पूर्ण
			18	पुरानी और क्षतिग्रस्त एलटी लाइन को बदलना और फिरनी के साथ/निकटवर्ती निवासी को सुविधा प्रदान करना
कुल				**18**

मानननीय सांसदो द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद ली गई ग्राम पंचायतों तथा पिछले 8 वर्षो के दौरान पूर्ण किए गए कार्यों जैसा कि मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों एवं जिला परिषदों ने बताया है का विवरण				
जिले का नाम: -फरीदाबाद				
	गोद ली गई ग्राम पंचायतों के नाम	**माननीय मंत्री/सांसदों के नाम**	**क्रमांक**	**पूर्ण किये गये कार्यों का विवरण**
1	**तिलपत**	**श्री कृष्ण पाल गुर्जर**	1	शमशान घाट में हॉल का निर्माण।
			2	एसएलडब्ल्यूएम का निर्माण।
			3	आंतरिक सड़कों का फुटपाथ
			4	आई/एल टाइल्स के साथ सड़कों का फुटपाथ।
			5	गली का फुटपाथ- पीडब्ल्यूडी रोड से श्मशान घाट तक।
			6	स्टेडियम का निर्माण
			7	शमशान घाट के बी/दीवार का निर्माण
			8	विभिन्न सड़कों का भुगतान
			9	डब्ल्यूबीएम रोड डीएम रोड टू विलेज।
			10	आईएचएचएल का निर्माण।
			11	तालाब का नवीकरण
			12	शमशान घाट का निर्माण
			13	आईएवाई के तहत नए घरों की संरचना।
			14	कृषि जागरूकता शिविर
			15	विद्यालय की मरम्मत एवं नवीकरण
			16	खेल, सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रम का संगठन
			17	एच.एस. टीकाकरण
			18	सब्सिडी वाली सीएफएल और एलईडी और अन्य आरई योजनाएं प्रदान करना।
			19	मौजूदा पुरानी ए/सी/पीवीसी डिस्टीबन पाइप लाइन के बजाय 100, 150 और 200 एमएम आई/डी पाइपलाइन बिछाना।
			20	दूरस्थ कम्प्यूटरीकृत निगरानी निगरानी प्रणाली।
			21	वर्षा जल संचयन प्रणाली की स्थापना।
			22	मौजूदा वाटर वर्क्स का पुनर्वास अर्थात बाउंड्री वॉल, सीमेंट प्लास्टर, पेंटिंग, डिस्मैंटलिंग, टाइल टेरेसिंग का मरम्मत।

			23	ग्रामीणों को औषधीय पौधों का वितरण
			24	पशु बीमा
			25	मिनी डेयरी योजना
			26	सुअर पालन भेड़ और बकरी पालन
			27	एकीकृत मुर्रा देव कार्यक्रम
			28	गोसंवर्धन
			29	स्वास्थ्य प्रजनन शिविर
			30	इंसुलेटेड Ltxlpe/PVC केबल के साथ बेयर कंडक्टर-टोर को बदलना
			31	मीटर कप बोर्ड (MCB) में मीटरों का स्थानांतरण
			32	एसएचजी का गठन (12)
2	**Chhainsa**	**Sh. Krishan Pal Gujjar**		प्रदर्शन भूखंड (धान), किसान गोष्ठी, किसानों का प्रशिक्षण एवं एक्सपोजर विजिट
			34	पुआल जलाना, कृषि उपकरणों का वितरण, पावर स्प्रे पंप/मैनुअल और उपकरण/मशीनरी
			35	जिप्सम एवं डी. भूखंड (मूंग) का वितरण
			36	ढैंचा का वितरण
			37	कर्जदार किसान
			38	शिविर और नमूने
			39	मिनी डेयरी की स्थापना
			40	एकीकृत मुर्राह विकास
			41	गोसंवर्धन
			42	पीडब्ल्यूडी मोहना रोड से छैंसा गांव तक पेवर ब्लॉक रोड
			43	श्रवण सिंह के घर से शमशान तक पेवर ब्लॉक रोड
			44	नरेश पंडित हाउस से कुंदन हाउस तक पेवर ब्लॉक रोड
			45	मोहना रोड/पेट्रोल पंप से गांव फिरनी इंदर चौक तक पेवर ब्लॉक रोड
			46	लोक निर्माण विभाग मोहना रोड से यमुना नदी तक नाले का निर्माण
			47	शमशान घाट में कक्ष/बी.दीवार, मुख्य द्वार, दरवाजे आदि का निर्माण
			48	मोखर मंदिर के पास राजपूत भवन का निर्माण

			49	एसएलडब्ल्यूएम के शेड व ड्रेन का निर्माण
			50	जीएसएसएस और जीपीएस के बी/वॉल की मरम्मत
			51	जीएसएसएस, जीपीएस और जीजीएसएसएस की दोहरी डेस्क मरम्मत
			52	केबल के साथ कंडक्टर बदलना, परिसर के बाहर मीटर का स्थानांतरण, पीसीसी पोल और अतिरिक्त ट्रांसफार्मर
			53	साइट्रस ऑर्चर्ड (5 एकड़), पावर वाइड (2), वेज वॉशर (2), पैक हाउस (2), वर्मी कम्पोस्ट (2), लूज़ फ्लावर (क्षेत्र -5), वेज में बांस स्टैकिंग (20 कनाल, 5) यूनिट) और मशरूम ट्रे (500)
			54	ऑर्चर्ड वेज ड्रिप (क्षेत्र -5) और जागरूकता शिविर
			55	सड़क निर्माण - छैंसा से हीरापुर (680)
			56	सड़क निर्माण - नरहावली से छैंसा (681)
			57	राजकीय प्राथमिक विद्यालय परिसर का समतलीकरण
			58	जीएसएसएस, जीजीएसएसएस और जीपीएस में सफेदी
			59	जीजीएचएस, जीएसएसएस, जीपीएस में आई/एल टाइल्स का फुटपाथ
			60	राजकीय प्राथमिक विद्यालय के शौचालयों की मरम्मत
			61	2 नए नलकूपों की स्थापना और कनेक्टिंग पाइपलाइनों को बिछाने
			62	नलों की स्थापना
			63	मौजूदा सड़क-बल्लभगढ़-छैंसा-मोहना का सुधार (आईडी:3313)
			64	परिक्रामी निधियों और ऋणों सहित स्वयं सहायता समूहों का गठन
कुल				**64**

माननीय सांसदो द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद ली गई ग्राम पंचायतों तथा पिछले 8 वर्षो के दौरान पूर्ण किए गए कार्यों जैसा कि मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों एवं जिला परिषदों ने बताया है का विवरण				
जिले का नाम: - गुरुग्राम				
	गोद ली गई ग्राम पंचायतों के नाम	**माननीय मंत्री और सांसदों का नाम**	**क्रमांक**	**पूर्ण किये गये कार्यों का विवरण**
1	**जमालपुर**	**माननीय राव इंद्रजीत सिंह**	1	सरकारी प्राथमिक विद्यालय में 1 Kwpग्रिड से जुड़े रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना
			2	आरओ की स्थापना
			3	गहन मुर्राह विकास कार्यक्रम
			4	ग्राम सचिवालय का निर्माण
			5	लेफ्टिनेंट सिंगल कोर केबल की स्थापना (12 किमी)
			6	गांव में परकोलेशन तालाब का निर्माण
			7	पशुधन बीमा
			8	ऊर्जा स्रोत
			9	ओपन पक्का चैनल का निर्माण
			10	सामुदायिक स्तर पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
			11	सरसों प्रदर्शन प्लॉट
			12	गेहूं प्रदर्शन प्लॉट
			13	तरल अपशिष्ट प्रबंधन - कम लागत वाली नालियाँ
			14	विशिष्ट रोगों के खिलाफ निवारक टीकाकरण सेवाएं
			15	जल परिवहन प्रणाली
			16	चारा फसल
			17	गौसमवर्धन-संभ्रांत स्वदेशी गाय दर्ज की गई
			18	डक्टाइल आयरन पाइप राइजिंग मेन 4" = 3420 मीटर पाइपलाइन बिछाना
			19	किसान फील्ड स्कूल
			20	अनुसूचित जाति के लिए मिनी डेयरी
			21	1 नलकूप उपलब्ध कराएं
			22	परकोलेशन तालाब का निर्माण
			23	सभी बीमार पशुओं का उपचार - ओपीडी
			24	बस क्यू शेल्टर का निर्माण

			25	गायों और भैंसों के कृत्रिम गर्भाधान के लिए सामान्य प्रजनन सेवाएं
			26	सरसों मिनी किट
			27	सामुदायिक स्तर पर तरल अपशिष्ट प्रबंधन
			28	सामान्य जातियों के लिए मिनी डेयरी
			29	एससी चौपाल का निर्माण
			30	कोर केबल की स्थापना (2500 एम)
			31	प्रजनन स्वास्थ्य प्रबंधन शिविर
			32	एससी के लिए भेड़/बकरी इकाइयां
			33	60-मीटर बॉक्स की स्थापना
			34	आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण
			35	गली और नालियों का फुटपाथ
			36	राजकीय मध्य विद्यालय का जीर्णोद्धार एवं मरम्मत
			37	प्लेन सीमेंट कंक्रीट (पीसीसी) पोल्स का निर्माण
			38	नई बाउंड्री वाल का निर्माण
			39	कृषि (धातु बिन)
			40	HtXlpeकेबल की स्थापना (1800 एम)
			41	कच्चे घरों में रहने वाले सभी बेघरों के लिए पक्का परिवार
			42	दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी
2	**उचा माजरा**		43	पशुओं के लिए निवारक टीकाकरण सेवाएं
			44	ग्रामीणों के लिए ऊंचामाजरा गांव में आंगनवाड़ी
			45	किसान फील्ड स्कूल
			46	सामुदायिक केंद्र का निर्माण
			47	सभी बीमार पशुओं का उपचार
			48	प्रगतिशील किसानों को 25 दुधारू पशु डेयरी के लिए ऋण उपलब्ध कराएं
			49	डेमो प्लॉट्स
			50	बच्चों की देखभाल और विकास
			51	गांव के लिंग अनुपात में सुधार करने के लिए
			52	ऊंचामाजरा में एक आंगनवाड़ी का प्रावधान
			53	सामाजिक संघटन, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण
			54	हरिजन चौपाल का जीर्णोद्धार

			55	जिला योजना के माध्यम से सामुदायिक केन्द्र का निर्माण
			56	लाइव स्टॉक बीमा
			57	बायोगैस संयंत्र
			58	प्रजनन स्वास्थ्य प्रबंधन शिविर
			59	गहन मुर्राह विकास कार्यक्रम
			60	सामान्य मामलों के लिए मिनी डेयरी
			61	पशुधन के लिए विशेष स्वास्थ्य कवरेज
			62	निवारक टीकाकरण सेवाएं
			63	किसान गोष्ठी
			64	मिनी डेयरी, सुअर पालन इकाई, भेड़/बकरी इकाई, अनुसूचित जाति के लिए देशी गायों की मिनी डेयरी
			65	सड़कें
			66	सरकारी प्राथमिक विद्यालय में छत वर्षा जल संचयन टैंक
			67	आईटीआई में रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक
			68	सामान्य चौपाल का प्रावधान
			69	ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन
			70	सीवर लाइन बिछाना
			71	श्मशान घाट की परिधि के साथ तटबंध की दीवारों का प्रावधान
			72	सामान्य प्रजनन सेवाएं - पशुओं के लिए कृत्रिम प्रसार
			73	आवास- गाँव में कच्चे घरों में रहने वाले सभी घरों के लिए पक्का घर
			74	100 एमएम और 150 एमएम की डक्टाइल आयरन पाइपलाइन बिछाना
			75	रक्तदान शिविर एवं स्वास्थ्य शिविर का आयोजन
			76	खेल मैदान के सॉर्ट और रखरखाव में अधिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए खेल उपकरण प्रदान करना
			77	100 वर्ग गज प्लॉटों में जलापूर्ति उपलब्ध कराना
			78	वित्तीय और सामाजिक समावेशन की प्रधान मंत्री राष्ट्रीय प्रमुख योजनाएँ
			79	प्राथमिक विद्यालय का जीर्णोद्धार एवं मरम्मत जिसमें शौचालयों की मरम्मत भी शामिल है
			80	प्राथमिक विद्यालय में ऊर्जा स्रोत 2Kw ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट

			81	आईटीआई के पास गौ चारण तालाब की खुदाई
			82	जैव उर्वरक का वितरण
			83	चारा विकास परियोजना
			84	कौशल उन्नयन प्रशिक्षण कार्यक्रम
			85	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से युवाओं का प्रशिक्षण
			86	पौध संरक्षण रसायन का वितरण
			87	हाई स्कूल के पास तालाब का जीर्णोद्धार
			88	सूचान प्रौद्योगिकी
			89	किसानों को हाथ/बिजली से चलने वाले चारा कटर प्रदान करें
			90	1000 की प्रजनन योग्य मवेशी आबादी वाले गांव को कृत्रिम गर्भाधान के लिए प्रशिक्षित ग्रामीणों को दिया जाएगा
			91	जिप्सम का वितरण
			92	उपकरणों/मशीनरी का वितरण
			93	कृषि औजार का वितरण
			94	खरपतवारनाशी का वितरण
			95	पीपी केमिकल का वितरण
			96	तालाब गांव की खुदाई
			97	माध्यमिक विद्यालय में ऊर्जा स्रोत 5Kw ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर वाटर प्लांट
			98	गांव के तालाब के चारों ओर रिटेनिंग वॉल
			99	दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी
			100	ऊर्जा स्रोत - उप स्वास्थ्य केंद्र में 2Kw ग्रिड कनेक्टेड रूफटॉप सोलर पावर प्लांट
3	**घमरोज**		101	महात्मा गांधी बस्ती में सड़क निर्माण
			102	गढ़ी वाजिदपुर से बस स्टैंड तक सड़क का निर्माण
4	**खेड़ा खुरमपुर**		103	सरकारी प्राथमिक विद्यालय में 1 Kwp ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना
			104	आरओ की स्थापना
			105	गहन मुर्राह विकास कार्यक्रम
			106	ग्राम सचिवालय का निर्माण
			107	लेफ्टिनेंट सिंगल कोर केबल की स्थापना (12 किमी)
			108	गांव में परकोलेशन तालाब कानिर्माण

			109	पशुधन बीमा
			110	ऊर्जा स्रोत
			111	ओपन पक्का चैनल कानिर्माण
			112	सामुदायिक स्तर पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन
			113	सरसों प्रदर्शन प्लॉट
			114	गेहूं प्रदर्शन प्लॉट
			115	तरल अपशिष्ट प्रबंधन - कम लागत वाली नालियाँ
			116	विशिष्ट रोगों के खिलाफ निवारक टीकाकरण सेवाएं
			117	जल परिवहन प्रणाली
			118	चारा फसल
			119	गौसमवर्धन-संभ्रांत स्वदेशी गाय दर्ज की गई
			120	डक्टाइल आयरन पाइप राइजिंग मेन 4" = 3420 मीटर पाइपलाइन बिछाना
			121	किसान फील्ड स्कूल
			122	अनुसूचित जाति के लिए मिनी डेयरी
			123	1 नलकूप उपलब्ध कराएं
			124	परकोलेशन तालाब कानिर्माण
			125	सभी बीमार पशुओं का उपचार - ओपीडी
			126	बस क्यू शेल्टर का निर्माण
			127	गायों और भैंसों के कृत्रिम गर्भाधान के लिए सामान्य प्रजनन सेवाएं
			128	सरसों मिनी किट
			129	सामुदायिक स्तर पर तरल अपशिष्ट प्रबंधन
			130	सामान्य जातियों के लिए मिनी डेयरी
			131	एससी चौपाल का निर्माण'
			132	कोर केबल की स्थापना (2500 एम)
			133	प्रजनन स्वास्थ्य प्रबंधन शिविर
			134	सीएस के लिए भेड़/बकरी इकाई
			135	60-मीटर बॉक्स की स्थापना
			136	आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण
			137	गली और नालियों का फुटपाथ
			138	राजकीय मध्य विद्यालय का जीर्णोद्धार एवं मरम्मत

			139	सादा सीमेंट कंक्रीट (पीसीसी) के खंभेकानिर्माण
			140	नई बाउंड्री वॉल कानिर्माण
			141	कृषि (धातु बिन)
			142	HtXlpe केबल की स्थापना (1800 एम)
			143	कच्चे घरों में रहने वाले सभी बेघरों के लिए पक्का परिवार
			144	दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी
कुल				**144**

माननीय सांसदो द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद ली गई ग्राम पंचायतों तथा पिछले 8 वर्षो के दौरान पूर्ण किए गए कार्यों जैसा कि मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों एवं जिला परिषदों ने बताया है का विवरण				
जिले का नाम: - हिसार				
	गोद ली गई ग्राम पंचायतों के नाम	**माननीय मंत्री/सांसदों के नाम**	**क्रमांक**	**पूर्ण किये गये कार्यों का विवरण**
1	**भिवानी रोहिल्ला**	**श्री सुभाष चंद्रा**	1	एएनएम व आशा वर्करों का प्रशिक्षण
			2	आंगनवाड़ी में बच्चों के लिए मासिक टीकाकरण कार्यक्रम
			3	गांवों में साप्ताहिक आधार पर डॉक्टर भेजने के लिए अस्पतालों को पत्र।
			4	साप्ताहिक पशु जांच शिविर। वेटरनरी सर्जन का दौरा।
			5	अच्छी कृषि पद्धतियों (गैप) पर कार्यशाला। इसमें उर्वरक, कीटनाशक और बीज के उपयोग पर किसानों का मार्गदर्शन करना शामिल है।
			6	स्वास्थ्य कार्ड शिविर - सभी नागरिकों के लिए कार्ड जारी करना
			7	आरोही स्कूल के सामने बस स्टॉप
			8	डिजिटल साक्षरता शिविर
			9	गाव से हिसार भद्रा रोड पीआर आईपीबी ब्लॉक लगाने
			10	शिक्षा
			11	सरकारी स्कूल के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्शन
			12	एनसीसी व स्काउट गाइड कैंप
			13	विभिन्न स्तरों के लिए लाभ और पुरस्कार राशि के बारे में जागरूकता शिविर। गांव के युवाओं का साईं परिसर का दौरा

			14	बालसमंद रोड से सुंदावास रोड पे आईपीबी ब्लॉक लगवाना
			15	जलापूर्ति ना होने नंगे
			16	भिवानी रोहिल्ला से सुंडावास रोड पीआर आईपीबी ब्लॉक लगवाये जाये
			17	बुनियादी ढांचे का विकास
			18	आरोही स्कूल से हाईटेंशन तार हटवाए
			19	अंग्रेजी प्रशिक्षण शिविर
			20	स्कूल के बुनियादी ढांचे का नवीनीकरण
			21	देशी पशु के बीमा के लिए शिविर का आयोजन
			22	लाड़ली लक्ष्मी योजना के तहत सभी बालिकाओं का नामांकन एवं जागरूकता शिविर
			23	फसल बीमा योजना पर शिविर। ग्रामीणों ने किया है लेकिन कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ है। वे नीति के बारे में अनजान हैं।
			24	पानी की टंकी निमन क्रवाना
			25	गांव में प्रतियोगिता कराकर टैलेंट आइडेंटिफिकेशन हंट
			26	महिलाओं के लिए सेनेटरी पैड की नि:शुल्क उपलब्धता
			27	पीएचसी में जेनेरिक मेडिकल की उपलब्धता
			28	अंग्रेजी प्रशिक्षण शिविर
2	**आदमपुर**	**डॉ. सुभाष चंद्रा**	29	सरकारी स्कूल में रंग रोगन
			30	तालाब की खुदाई
			31	ग्राम पंचायत में टीकाकरण शिविर
			32	ग्राम पंचायत में बॉक्सिंग रिंग की कीमत
			33	तीन श्मशान घाट में पौधरोपण व पेयजल के लिए पाइप लाइन लगाने का कार्य
			34	पार्क और वृक्षारोपण का आधार
			35	पशु चिकित्सालय से बूस्टिंग स्टेशन व फिरनी तक गामला का पौधारोपण व निर्माण
			36	गौशाला में मवेशियों के लिए लोहे के शेड का निर्माण
			37	पार्क की लागत और पाइप लाइन की स्थापना
			38	पाइप लाइन एवं ट्यूबवेल की स्थापना
			39	श्मशान घाट में चाक और शेड की लागत

			40	जम्भेशेर मंदिर में चौक की चौकी
			41	पशु चिकित्सालय एवं जम्भेश्वर मंदिर में पेयजल हेतु पाइप लाइन की स्थापना
			42	गौशाला में कमरे की लागत
			43	गौशाला में शेड का निर्माण
			44	स्टेडियम में पार्क और जिम की कास्ट
3	**सदलपुर(20)**	**श्री सुभाष चंद्रा**	45	ग्राम पंचायत में कोविड 19 के लिए आइसोलेशन सेंटर की स्थापना
			46	कोविड टीकाकरण शिविर का आयोजन
			47	गांव के प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालय में 40 पंखे बांटे
			48	सरकारी स्कूल में सामुदायिक शौचालय की लागत
			49	गांव में बच्चों की खेल सामग्री का वितरण
			50	गांव में बच्चों की खेल सामग्री का वितरण
			51	जीपी सदलपुर में पार्क और हर सरकारी स्कूल का निर्माण
			52	शिव मंदिर जौहर से राजकीय विद्यालय एवं विद्यालय मैदान एवं फुटबाल मैदान एवं एससी श्मशान घाट तक वृक्षारोपण हेतु पाइप लाइन की स्थापना
			53	शौचालयों की मरम्मत एवं पेयजल की व्यवस्था एवं रंग रोगन एवं वृक्षारोपण
			54	बस स्टैंड से शिव मंदिर जौहर तक पौधरोपण व सफाई
			55	व्यायामशाला में रंग रोगन व पानी की व्यवस्था
			56	राजकीय सेन माध्यमिक विद्यालय के पीछे पार्क का निर्माण एवं लाइट की स्थापना
			57	फुटबॉल ग्राउंड में लाइट और कैमरा लगवाना
			58	चंद्रा फाउंडेशन पार्क की चारदीवारी में रंग रोगन
4	**खुम्बा**	**डॉ. डी.पी. वैट्स**	59	खेत चौराहे के लिए आरसीसी पाइप की फिक्सिंग
5	**खारखरा**		60	होड़ी का 15वां बांध निर्माण एवं पाइप लाइन की दीवार पर जाल लगाना
			61	एचवीजीवाई ने अमी चंद की को रास्ता राजबीर मोड़ का निर्माण किया

6	**मंडी आदमपुर**	**श्री दुष्यंत चौटाला**	62	सरकार में वृक्षारोपण। स्कूल और रोड साइड गांव मंडी आदमपुर
			63	पशु रोग एवं दुग्ध प्रतियोगिता हेतु जागरूकता शिविर का आयोजन ग्राम मण्डी आदमपुर
			64	आईपीबी का निर्माण सुभाष रामसरा के घर से मकान तारा चंद जोड़का, शिव कॉलोनी, मंडी आदमपुर तक
			65	अनिल कुमार भाना के घर से कन्या हाई स्कूल गांव मंडी आदमपुर तक आईपीबी का निर्माण
			66	रणधीर शास्त्री ग्राम मंडी अदमापुर के मकान में दर्शन मंजू के मकान का निर्माण
			67	प्राथमिक चिकित्सालय का जीर्णोद्धार एवं जागरुकता शिविर ग्राम मण्डी आदमपुर
			68	राधेश्याम के घर से बलवान मास्टर शिव कॉलोनी गांव मंडी आदमपुर के घर तक आईपीबी का निर्माण
			69	उत्तम भाम्बू के घर से रतन जांगड़ा, शिव कॉलोनी, मंडी आदमपुर के घर तक आईपीबी का निर्माण
			70	चौक चौक बैंक के सामने मित्तल मार्केट, शिव कॉलोनी, मंडी आदमपुर
			71	आईपीबी का निर्माण मोहन चौधरी के मकान से रामनिवास शेरदा के मकान तक, शिव कालोनी, मंडी आदमपुर
			72	आईपीबी का निर्माण ओम धतरवाल के घर से ओ अनिल कुमार कुम्हार गांव मंडी आदमपुर के घर तक
			73	नए बिजली के तार लगाना और पुराने बिजली के पोल को बदलना गांव मंडी आदमपुर
			74	मदन लाल बेनीवाल के घर से ओम प्रकाश सेठ के घर तक गली का निर्माण, शिव कॉलोनी, मंडी आदमपुर
			75	पेयजल आपूर्ति एवं आरओ गांव मंडी आदमपुर का इम्प्लांटेशन
			76	बीज एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण हेतु जागरूकता शिविर का आयोजन ग्राम मण्डी आदमपुर ।
			77	सरकार में नए कमरों का निर्माण। स्कूल कास्ट। आईपीबी स्ट्रीट का पीडब्ल्यूडी रोड से जीएसएसएस बॉय गांव मंडी आदमपुर तक
			78	आईपीबी का निर्माण सुरजा लोहिया के पुत्र सुंदर के घर से संदीप बरवाला, शिव कॉलोनी, मंडी आदमपुर के घर तक
7	**कुलाना(114)**	**श्री बृजेंद्र सिंह**	79	पीडब्ल्यूडी रोड कुलान से भाटला तक भूमि समतलीकरण और जंगल की सफाई

			80	पीडब्ल्यूडी रोड कुलाना से लालपुरा तक भूमि समतलीकरण और जंगल की सफाई
			81	हांसी माइनर की मरम्मत और रखरखाव
			82	तालाब की खुदाई आम वली पंचायत की जमीन
			83	तालाब बोंडिया की खुदाई भाग 1
			84	जीपी में सभी सरकारी परिसरों और व्यक्तिगत परिसरों में सोकपिट और पार्क का रखरखाव
			85	जल का भूमि समतलीकरण कार्य
			86	स्कूल गांव फिरनी और अन्य सार्वजनिक स्थानों की भूमि का समतलीकरण और जंगल की सफाई
			87	जीपी में सभी सरकारी परिसरों में वृक्षारोपण
			88	आंगनबाड़ी का निर्माण
			89	ऊपर स्वास्थ्य केंद्र निर्माण
			90	मुख्य चौपाल
			91	आईपीबी रास्ता
			92	रास्ता/सड़क फुटपाथ
			93	कबीरस्तान का बी/वॉल निर्माण
			94	स्टेडियम निर्माण
			95	निर्माण तालाब की आर/दीवार
			96	आईपीबी स्ट्रीट (फ़िरनी) फुटपाथ
8	**बोबुआ(120)**	**श्री। बृजेंद्र सिंह**	97	सौर प्रकाश की स्थापना
			98	तालाब के पास आईपीबी स्ट्रीट का निर्माण
			99	तालाब के पास नाले का निर्माण
			100	आईपीबी स्ट्रीट मतलोदा रोड का निर्माण
			101	सभी नालों की सफाई
			102	तालाब की निकासी
			103	कोविड-19 मास्क/स्वच्छता सामग्री आदि।
			104	निर्माण/पुलिया की मरम्मत
			105	निर्माण अपशिष्ट जल प्रणाली की
			106	नाला या फिरनी की मरम्मत
			107	निर्माण वाल्मीकि चौपाल में पानी की टंकी

			108	सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण
			109	निस्तारण जल नालियों का निर्माण /
9	**ब्यूर(4)**		110	निर्माण वाटर वर्क्स के सामने तालाब की खुदाई
			111	बूरे में बस स्टैंड के पास सोक पिट का निर्माण
कुल				**111**

माननीय सांसदो द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद ली गई ग्राम पंचायतों तथा पिछले 8 वर्षो के दौरान पूर्ण किए गए कार्यों जैसा कि मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों एवं जिला परिषदों ने बताया है का विवरण				
जिले का नाम: - झज्जर				
	गोद ली गई ग्राम पंचायतों के नाम	**माननीय मंत्री/सांसदों के नाम**	**क्रमांक**	**पूर्ण किये गये कार्यों का विवरण**
1	**इस्लामगढ़**	**माननीय श्री दीपेंद्र सिंह हुड्डा**	1	पानी और बिजली की सुविधा के साथ 3 आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण
			2	आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों का नामांकन और नियमित उपस्थिति
			3	महिलाओं/लड़कियों को पोषण शिक्षा
			4	माता-पिता को अपने बच्चों को नियमित रूप से आंगनवाड़ी केंद्र में भेजने के लिए प्रेरित करना और आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चों के अनुकूल माहौल सुनिश्चित करना
			5	48 मिनी डेयरी इकाइयों की स्थापना:- 3 दुधारू पशु/5 दुधारू पशु और 10 पशुओं की हाई-टेक डेयरी।
			6	पशु स्वास्थ्य कार्ड जारी करना
			7	वन भूमि पर वृक्षारोपण
			8	हर्बल पार्क का विकास और पौधों के लिए पानी के भंडारण के लिए तालाब का निर्माण
			9	गरीबों की संस्था का गठन- 10 स्वयं सहायता समूह
			10	स्वयं सहायता समूहों का क्षमता निर्माण और कौशल विकास
			11	वित्तीय समावेशन
			12	उद्यमिता विकास
			13	फल, सब्जी, फूल और मसालों के नए बाग का विकास
			14	जल संसाधन का निर्माण
			15	बागवानी मशीनीकरण

			16	सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली की स्थापना
			17	जैविक खेती वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट का निर्माण
			18	मधुमक्खी पालन
			19	पॉली हाउस की स्थापना एवं पॉली हाउस में सब्जी/फूल की खेती
			20	प्रत्येक जीएसएसएस और में दो अतिरिक्त कक्षा कक्षों का समापन
			21	10 अतिरिक्त कक्षा कक्ष (एसीआर) की मरम्मत
			22	कम्प्यूटर-20, प्रिन्टर-2 एवं इन्वर्टर एवं बैटरियाँ
			23	समग्र गुणवत्ता शिक्षा सुधार प्रणाली के साथ ई-लर्निंग के साथ स्मार्ट क्लास रूम-8
			24	प्रयोगशाला-5 की स्थापना (गणित एवं भाषा प्रयोगशाला सहित विज्ञान प्रयोगशाला-3)
			25	साइकिल स्टैंड
			26	पानी की टंकी
			27	प्राथमिक विद्यालय में शौचालय के 2 सेट
			28	ग्राउंड लेवलिंग और लॉन की तैयारी क्षेत्र 3000 वर्ग। फीट।
			29	10 कमरों और 40 बिजली की फिटिंग। प्रशंसक।
			30	सरकार में मिट्टी भरना। प्राथमिक स्कूल
			31	स्कूल के खेल के मैदान में बास्केटबॉल कोर्ट
			32	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों का संचालन। एसएमसी और यूथ वालंटियर फोरम के माध्यम से अशिक्षित वयस्कों के लिए 'ईच वन, टीच वन' थीम पर अपने आसपास के इलाकों में शाम की कक्षाएं शुरू कर सकते हैं।
			33	संस्कृत-1, विज्ञान-1, डीपीई-1, रसायन विज्ञान-1, भौतिकी-1, वाणिज्य-2, संगीत शिक्षक-1 और प्रयोगशाला सहायक-3 जैसे शिक्षण स्टाफ के रिक्त पदों को भरना और माली-2
			34	स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) के सदस्यों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाए
			35	विद्यालय में एनसीसी, एनएसएस एवं स्काउट की ईकाईयां प्रारंभ करने की कार्यवाही प्रारंभ
			36	कमजोर छात्रों के अतिरिक्त शिक्षण के लिए विशेष अभियान
			37	बोर्ड कक्षाओं के छात्रों के लिए कैरियर मार्गदर्शन और परामर्श व्याख्यान का आयोजन
			38	छात्रों में नेतृत्व और अनुशासन की भावना विकसित करने के लिए क्लास मॉनिटर सिस्टम शुरू किया जाए

			39	राष्ट्रीय/ऐतिहासिक महत्व के दिनों का आयोजन
			40	पीटीआई/डीपीई द्वारा दैनिक योग, प्राणायाम, प्रार्थना, खेल भावना की आदत डालने के लिए प्रेरक व्याख्यान और गतिविधियों का आयोजन किया जाए।
			41	गाँव के खेल उत्सव
			42	78 आईएचएचएल का निर्माण, मूत्रालय के 3 सेट
			43	सीधी वाला तालाब में सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट की स्थापना
			44	व्यक्तिगत और संस्थागत शौचालयों के उपयोग की मांग पैदा करने और बढ़ावा देने के लिए आईईसी की पहल युवा समूहों और सामाजिक संचार विधियों जैसे नुक्कड़ नाटक, फिल्म शो आदि की भागीदारी के माध्यम से स्वच्छता और स्वच्छता पर व्यवहार परिवर्तन अभियान शुरू करें।
			45	जल के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए व्यवहार परिवर्तन समुदाय (बीसीसी) पर कार्य करना
			46	सभी के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता में सुधार पर जागरुकता, जिसमें दैनिक दांतों की सफाई, स्वच्छ शौचालय का उपयोग, दैनिक स्नान, शौचालय के बाद हाथ धोना और खाने से पहले और साफ कपड़े पहनना, किशोर लड़कियों और महिलाओं की व्यक्तिगत मासिक धर्म स्वच्छता शामिल है।
			47	प्रत्येक घर में नल के माध्यम से पीने योग्य पानी की आपूर्ति
			48	पीएचसी तक जलापूर्ति के लिए नई पाइप लाइन
			49	नल के पानी का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना
			50	टंकियों/क्लियर वाटर रनिंग व आसपास के पानी की नियमित सफाई प्रोटोकॉल के अनुसार की जाए
			51	महिला चिकित्सक, स्वास्थ्य निरीक्षक, एलएचवी एवं चौकीदार की पदस्थापना
			52	जोखिम व्यवहार को कम करने के लिए किशोर स्वास्थ्य, नशामुक्ति, एकीकृत परामर्श और परीक्षण केंद्र (ICTC) के परामर्शदाताओं का दौरा-शराब, धूम्रपान, मादक द्रव्यों का सेवन आदि।
			53	स्वास्थ्य कार्ड तैयार करना
			54	पोषण शिक्षा के साथ एचबी परीक्षण और आईएफए की आपूर्ति
			55	गर्भधारण का शीघ्र पंजीकरण, प्रसवपूर्व जांच (एएनसी) और संस्थागत प्रसव जारी रखना, प्रसवोत्तर जांच (पीएनसी), नियमित रूप से टीकाकरण और टीकाकरण
			56	पीडब्लू, किशोरों और शिशुओं के लिए आहार और पोषण संबंधी आदतों को बढ़ावा देना

			57	व्यक्तिगत स्वच्छता, व्यवहार प्रथाओं, पोषण शिक्षा, बीसीसी और सरकार पर जनरल जागृति। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके), राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएसके), जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) आदि।
			58	(एसकेएस) स्वास्थ्य कल्याण समिति की प्रभावशीलता
			59	दवा का अग्रिम बफर स्टॉक सुनिश्चित करना (न्यूनतम एक महीने का समय)
			60	कृषि प्रशिक्षण शिविर (22.0 6.2015 और 19.08.2015 को रबी के दौरान दो कार्यक्रम)
			61	मिट्टी और जल परीक्षण
			62	माइक्रो/मिनी स्प्रिंकलर
			63	बूंद से सिंचाई
			64	सिंचाई के लिए भूमिगत पाइपलाइन
			65	बायो गैस प्लांट के साथ गोबर बैंक की स्थापना
			66	3जी (जीएसएम)
			67	आर. शादी वाला जोहड़ में दीवार
			68	सीधी वाला और खरिया तालाब की रिटेनिंग वॉल
			69	सीसी रास्ता जोड़ने के साथ चारदीवारी और श्मशान घाट का शेड
			70	आंतरिक गलियां-20 एवं नालियां
			71	गंदे पानी के नाले का निर्माण
			72	जीपीएस के पास मिट्टी भराई एवं गंदे पानी की निकासी का निर्माण
			73	सीसी रास्ता और नाला धानी में
			74	दादा भैया ढाणी को सीसी ट्रैक
			75	ढाणी की गलियों में भर रही मिट्टी
			76	पशु चिकित्सालय में चारदीवारी व मिट्टी भराई का कार्य
			77	बेघरों को दो मकान उपलब्ध कराना
			78	गाँव के बुजुर्गों, स्थानीय रोल मॉडल विशेष रूप से महिलाओं, स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को सम्मानित करने के लिए गतिविधियाँ 'ग्राम दिवस' मनाने के साथ लोगों में गर्व की भावना पैदा करने के लिए एक गाँव का गीत होना
			79	मनरेगा का प्रभावी क्रियान्वयन सामाजिक अंकेक्षण के संबंध में नियमित जागरुकता की जाए तथा प्रत्येक योजना के एसए का संचालन किया जाए।

			80	जीपी/जीएस बैठकों में भाग लेने और सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए पीआरआई पदाधिकारियों का प्रशिक्षण/अभिविन्यास
			81	ग्राम स्तर पर शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की स्थापना और वार्ड सदस्य प्रत्येक वार्ड के प्रमुख होंगे और समस्या को दूर करने के लिए संबंधित विभागों के साथ संपर्क करेंगे
			82	शांति एवं संघर्ष समाधान समिति का गठन कर उसे क्रियाशील बनाया जाए
			83	उपभोक्ता के परिसर के बाहर ऊर्जा मीटरों का स्थानांतरण।
			84	63 केवीए पोल माउंटिंग एस/स्टेशन प्रदान करना।
			85	100 केवीए पोल माउंटिंग एस/स्टेशन प्रदान करना।
			86	अतिरिक्त 11 केवी लाइन का निर्माण
			87	अतिरिक्त एलटी लाइन का निर्माण
			88	एलटीएबी केबल के साथ नंगे एसीएसआर का प्रतिस्थापन, 3/सी 120+70 मिमी
			89	एलटी लाइन के 80 मिमी 2 एसीएसआर के साथ घिसे हुए/कम आकार के कंडक्टर को बदलना।
			90	9 मीटर। एलटी की ऊंचाई बढ़ाने के लिए लंबे पीसीसी पोल लाइन व टूटे पीसीसी पोल को बदलना।
			91	एसीएसआर 80 एमएम2 मौजूदा 11 केवी लाइन के पुराने/कम आकार के कंडक्टर के प्रतिस्थापन के लिए।
			92	अनुपयोगी 11 केवी जीओ स्विच का प्रतिस्थापन।
			93	गांव छुछकवास में नए एस/स्टेशन का निर्माण
			94	चोरी ऊर्जा की जाँच
			95	कुंडी कनेक्शन हटाना
			96	अस्थायी विच्छेदन आदेश/स्थायी विच्छेदन आदेश (टीडीसीओ/पीडीसीओ) चूक राशि की वसूली
			97	समय पर बिल जमा करने के साथ बिजली के विवेकपूर्ण उपयोग पर लोगों को कानूनी बिजली कनेक्शन और व्यवहार परिवर्तन संचार (बीसीसी) के लिए प्रेरित करना
			98	मारोट माइनर का विस्तार
			99	वाटर कोर्स आउटलेट RD 9260L का निर्माण
			100	वाटर कोर्स आउटलेट आरडी 12920-एल का निर्माण
			101	वाटर कोर्स आउटलेट आरडी 14200-एल का निर्माण

			102	वाटर कोर्स आउटलेट आरडी 14200-आर का निर्माण
			103	वाटर कोर्स आउटलेट का निर्माण आरडी 18000 टेल लेफ्ट
			104	वाटर कोर्स आउटलेट आरडी 18000 टीआर का निर्माण
			105	वाटर कोर्स आउटलेट आरडी 15/आर झज्जर सब माइनर नंबर 3 का निर्माण
			106	वाटर कोर्स आउटलेट आरडी 2371/आर झज्जर सब माइनर नंबर 3 की रीमॉडलिंग
			107	वाटर कोर्स आउटलेट आरडी 9280-आर करोधा मिन।
			108	वाटर कोर्स आउटलेट आरडी 13500-आर करोड़ा माइनर की रीमॉडलिंग
			109	ग्रामीण लोक कला उत्सव
			110	मत्स्य पालन और विपणन के लिए युवाओं को प्रशिक्षण, जागरूकता और एक्सपोजर विजिट
			111	लोगों का बीमा और पेंशन यानी जीवन और चिकित्सा यानी पीएमजेजेबीवाई/पीएमएसबीवाई/एपीवाई
			112	मेन चौक पर वाटर कूलर लगवाना
			113	वित्तीय समावेशन के लिए अभियान
			114	डेयरी फार्मिंग, मोबाइल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स (टीवी/रेडियो) रिपेयर, मोटर रिवाइंडिंग, महिलाओं के लिए ड्रेस डिजाइनिंग, घरेलू बिजली के उपकरणों की मरम्मत, रेफ्रिजरेटर/ए.सी. रिपेयर, ब्यूटी पार्लर, बैग मेकिंग, इन्वर्टर रिपेयरिंग, कढ़ाई जैसे ट्रेडों में बेरोजगारों को कौशल प्रशिक्षण और फैब्रिक पेंटिंग, फूड प्रोसेसिंग, सॉफ्ट टॉय मेकिंग
			115	उद्यमी विकास कार्यक्रम केवल अनुसूचित जाति वर्ग
			116	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)
			117	इस्पात निर्माण इकाइयों के लिए नकद ऋण सीमा
			118	बेरोजगार युवाओं के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान
			119	वीटा बूथ की स्थापना
			120	वीटा बूथ की स्थापना
			121	समितियों का गठन और उनका अभिविन्यास
			122	सामाजिक मुद्दों, व्यक्तिगत स्वच्छता, बीसीसी और सरकारी योजनाओं आदि पर सामान्य जागरूकता।
			123	सक्रिय प्रकटीकरण
			124	कॉमन सर्विस सेंटर की दक्षता और पहुंच बढ़ाना

			125	उन्नत योजना और स्टॉक और अनुवर्ती कार्रवाई के बारे में जानकारी
			126	विभाग के नागरिक चार्टर के अनुरूप समयबद्ध सेवा वितरण
			127	वायु, जल और भूमि के स्थानीय प्रदूषण को कम करना
			128	भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण
			129	गांव से नाली क्रमांक 8 तक गंदे पानी के नाले का निर्माण
			130	जीपी/जीएस बैठकों में भाग लेने और सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए पीआरआई पदाधिकारियों का प्रशिक्षण/अभिविन्यास
			131	ग्राम स्तर पर शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की स्थापना और वार्ड सदस्य प्रत्येक वार्ड के प्रमुख होंगे और समस्या को दूर करने के लिए संबंधित विभागों के साथ संपर्क करेंगे
Total				**131**

माननीय सांसदो द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद ली गई ग्राम पंचायतों तथा पिछले 8 वर्षो के दौरान पूर्ण किए गए कार्यों जैसा कि मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों एवं जिला परिषदों ने बताया है का विवरण

जिले का नाम: - जींद

	गोद ली गई ग्राम पंचायतों के नाम	**माननीय मंत्री/सांसदों के नाम**	**क्रमांक**	**पूर्ण किये गये कार्यों का विवरण**
1	**खटकर**	**श्री बीरेंद्र सिंह**	1	चहारदीवारी और स्कूल भवन की मरम्मत और सफेदी, पार्क आदि का निर्माण।
			2	जीजीएसएसएस खटकर-1715 में गणित, जीव विज्ञान, अर्थशास्त्र, गणित मास्टर, हिंदी प्रशिक्षण, ड्राइंग प्रशिक्षण की रिक्त पद के विरुद्ध पोस्टिंग
			3	संबंधित फसलों के भूखंडों का प्रदर्शन
			4	लूज फ्लावर प्लांटेशन (2.5 एकड़)
			5	व्यक्तिगत टैंक
			6	Ugpl सिस्टम को लेआउट करने के लिए
			7	लहसुन की बुवाई (2.5 एकड़)
			8	(4 आरकेएम संयंत्र) शमशान घाट और वर्सोवा लिंक रोड पर 1000 लंबे पौधे
			9	8 एसएचजी गठन
			10	राजकीय उच्च विद्यालय का राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में उन्नयन (10+2)
			11	गांव में सचिवालय का निर्माण

			12	जीएचएस में मैथ मास्टर, साइंस मास्टर, स्कूल इंफॉर्मेशन मैनेजर की पोस्टिंग
			13	लड़कियों के लिए विशेष बस
			14	खटकर से भोंसला तक लिंक रोड की मरम्मत
			15	3-एल बरसोला एस/माइनर Rd.0 से 19100 तक
			16	शासकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खटकर-1715 में विज्ञान एवं वाणिज्य वर्ग के लिए नवीन पद सृजित, भौतिकी में 1 व्याख्याता, वाणिज्य में 1 व्याख्याता
			17	बागवानी पर संगोष्ठी
			18	तरल अपशिष्ट प्रबंधन का निर्माण
			19	जलापूर्ति योजना ग्राम खटकर का जीर्णोद्धार एवं उन्नयन
			20	बरसोला से मोहनगढ़ वाया खटकड़ लिंक रोड की मरम्मत
			21	बायोगैस संयंत्रों की स्थापना
			22	स्वास्थ्य उपकेन्द्र की मरम्मत
			23	सभी योग्य वृद्धावस्था व्यक्तियों, विधवाओं, विकलांगों और निराश्रित महिलाओं को शामिल किया जाएगा
			24	सभी कूचा और amp का पक्की सीसी सड़कों, ईंट पक्की सड़कें & amp; नाली और नाला के साथ निर्माण
			25	खटकड़ से बरसोला से बरसोला स्कूल तक सड़क की विशेष मरम्मत
			26	कृमि खाद
			27	बागवानी उपकरणों पर सब्सिडी (4 बेनफ।)
			28	सेमिनार
			29	वेज मिनी किट (25 Benf. @Rs 600 Per Benf.)
			30	34 नंबर नए मकान
			31	प्लास्टिक के टोकरे
			32	3 नं नेट शेड
			33	नेट हाउस में विकसित (3 संख्या) उच्च मूल्य शाकाहारी की चढ़ाना सामग्री की लागत।
			34	स्टेडियम का निर्माण
			35	एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (10 लाभ।)

			36	नवीन उद्यान की स्थापनाओं का ले-आउट करना
			37	किसानों का एक्सपोजर विजिट
			38	294 इहल का निर्माण
			39	कृषि यंत्रों पर अनुदान
			40	अस्पताल भवन की मरम्मत
			41	वेटी डॉक्टर की पोस्टिंग
			42	राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में चारदीवारी की मरम्मत एवं स्कूल भवन की सफेदी, पार्क आदि का निर्माण
			43	पंचायत घर का जीर्णोद्धार
			44	डी/पी लाडवा वाला
			45	पार्क में मिट्टी भराई
			46	जल चैनल की सफाई
			47	रामसरा पिंड को भरने के बाद पार्क का विकास और शामलात भूमि से मिट्टी का काम लिया जाएगा
			48	प्लास्टिक के टोकरे
			49	घिसे हुए एसीआर का प्रतिस्थापन
			50	मैदान के रास्ते में मिट्टी भराई
2	**माखंड**	**श्री दुष्यंत चौटाला**	51	शमशान घाट की बाउंड्री वाल का निर्माण
			52	कृमि खाद
			53	प्लास्टिक के टोकरे
			54	लहसुन की बुवाई
			55	मिनी बैंक बिल्डिंग में मिट्टी भराई
			56	Ugpl सिस्टम को लेआउट करने के लिए
			57	स्टेडियम का निर्माण
			58	राजकीय उच्च विद्यालय को राजकीय सेन सेक उच्च विद्यालय में क्रमोन्नत करना।
			59	बस सेवा
			60	बागवानी के तहत प्लास्टिक क्रेट
			61	कृषि यंत्रों पर अनुदान
			62	बायो गैस प्लांट की स्थापना
			63	बागवानी पर संगोष्ठी

			64	रास्ता उचाना खुर्द वाला में मिट्टी भराई
			65	एक्सपोजर विजिट
			66	कपरो वाला रास्ता में मिट्टी भराई
			67	सेमिनार
			68	शासकीय हाई स्कूल के सामने पंचायती भूमि में मिट्टी भराई
			69	विभिन्न / संबंधित फसलों के दानव भूखंडों का लेआउट बनाना
			70	ढीला फूल
			71	पक्की सीसी सड़कों के साथ सभी कच्ची और ईंट की पक्की सड़कों का निर्माण
			72	वेज मिनी किट
			73	बागवानी उपकरणों पर सब्सिडी
			74	विभिन्न/संबंधित फसलों के नेट हाउस भूखंडों में उगाई गई उच्च मूल्य वाली सब्जियों की रोपण सामग्री की दानव लागत का लेआउट
			75	Inm का प्रचार
			76	स्वास्थ्य उपकेन्द्र का निर्माण
			77	नवीन उद्यान की स्थापनाओं का ले-आउट करना
			78	शेड नेट
			79	व्यक्तिगत टैंक
			80	विधवा पेंशन, सर्व पात्र वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, लाड़ली सामाजिक सुरक्षा भत्ता
			81	पार्क में मिट्टी भराई
			82	जल चैनल की सफाई
			83	सड़क की मरम्मत
			84	माखंड से उचाना (गांव बुडैन से लिंक के साथ) तक सड़क निर्माण
			85	तालाब की रिटेनिंग वॉल का निर्माण
			86	स्वतंत्र जल कार्यों का निर्माण
			87	3 तालाब तरल अपशिष्ट प्रबंधन की तीन परियोजनाएँ
			88	ग्राम मखाना 1605 में एक एसएस मास्टर, एक ड्राइंग टी आर, एक क्लर्क की पोस्टिंग

			89	दो AWC का निर्माण
			90	घस माखंड की चारदीवारी और स्कूल भवन की मरम्मत और सफेदी
			91	जीजीएमएस माखंड की चारदीवारी और स्कूल भवन की मरम्मत और सफेदी
			92	एसएचजी गठन
			93	ग्राफ्टेड फलों के पौधे
			94	ग्राम सचिवालय का निर्माण
			95	Ghs माखंड 1741 में हेड मास्टर, एहम, एक एसएस मास्टर, एक साइंस मास्टर, संस्कृत, एक पीटीआई की पोस्टिंग
			96	एलडी सिस्टम में सुधार
			97	आईएचएचएल
			98	वृक्षारोपण
			99	चारदीवारी का निर्माण
			100	वीएलडीए की पोस्टिंग
			101	पार्क का विकास
3	**मंडी कलां**	**श्री बीरेंद्र सिंह**	102	नए मकानों का निर्माण (2 संख्या)
			103	एसएचजी गठन (8 समूह)
			104	दो आंगनबाड़ी केन्द्रों (एडब्ल्यूसी) का निर्माण
			105	सभी पात्र वृद्ध व्यक्तियों, विधवा, विकलांग और निराश्रित महिलाओं को कवर किया जाएगा
			106	जींद जिले में मंडी कलां से थुआ तक सड़क का निर्माण। (5.97 किमी)।
			107	जींद जिले में मंडी कलां से कमल पुर तक सड़क का निर्माण (13.67 कि.मी.)।
			108	एनके रोड से मंडी कलां तक की विशेष मरम्मत
			109	राजकीय पशु औषधालय (जीवीडी) परिसर में शौचालय एवं स्नानागार का निर्माण
			110	न्यू गार्डन (बाग) की स्थापना
			111	शाकाहारी प्रदर्शन किट
			112	बागवानी उपकरण
			113	वर्मी कम्पोस्ट इकाई
			114	एक्सपोजर विजिट

			115	शेष आईएचएचएल का निर्माण
			116	ग्राम सचिवालय का निर्माण
			117	शमशान घाट की बाउंड्री वाल का निर्माण
			118	तालाब की रिटेनिंग वॉल और गाय घाट का निर्माण
			119	फिरनी नाले की डीसिल्टिंग
			120	जल चैनल की सफाई
			121	उन्नयन/नवीकरण एवं शेष पाइपलाइन बिछाना।
			122	स्कूल भवन की सफेदी
			123	बाउंड्रीवॉल की मरम्मत
			124	कृषि यंत्र
			125	विभिन्न फसलों पर प्रदर्शन प्लॉट
			126	मृदा स्वास्थ्य कार्ड
			127	बायो गैस प्लांट की स्थापना
			128	जींद से मंडी कलां होते हुए छतर के लिए विशेष बस
			129	घिसे-पिटे ACSR की मरम्मत के लिए स्थापना
			130	ऊर्जा मीटर के बाहर की ओर स्थानांतरित करने के लिए विशेष अनुमान
			131	11 केवी लाइन कमलपुर डीएस फीडर की शिफ्टिंग का अनुमान।
4	**सिंघाना**	**श्री रमेश कौशिक**	132	वित्त वर्ष 2015-16 के लिए आईएवाई आवासों का निर्माण (3 सं.)
			133	वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए PMAY आवासों का निर्माण (10 संख्या)
			134	कुम्हार चौपाल, कुम्हार चौपाल, परिसर, वेतहोस ग्राम शिवालय में तालाब की खुदाई एवं भराई
			135	स्टेडियम में मिट्टी भराई
			136	शनि मंदिर सिंघाना के समीप पंचायती भूमि में सामुदायिक मिट्टी भराई के लिए बंजर भूमि का समतलीकरण एवं आकार देना
			137	श्मशान घाटों में मिट्टी भरना (जनरल और एससी)
			138	शमशान घाट / सत्ती माता के लिए खरंजा रोड का निर्माण
			139	जीजीएसएसएस सिंघाना में न्यूट्री गार्डन का निर्माण

			140	शीतला माता वाली गली में समुदाय के लिए बंजर भूमि का समतलीकरण एवं आकार देना
			141	भगत सिंह चौक में भराई में समुदाय के लिए बंजर भूमि का समतलीकरण एवं आकार देना
			142	शीतला माता के पास शामलात भूमि को भरने में समुदाय के लिए बंजर भूमि का समतलीकरण और आकार देना
			143	समुदाय के लिए जल पाठ्यक्रमों का आर एंड एम
			144	रास्ता मुवाना मोड़ से चंदू की चौकी में समुदाय के लिए बंजर भूमि का समतलीकरण और आकार देना
			145	पीडब्ल्यूडी रोड चैपर से राजेश पुत्र जगना फील्ड सिंघाना तक रास्ते का मिट्टी भराई एवं निर्माण
			146	खेरे वाली चौपाल में हॉल का निर्माण
			147	बाल्मीकि चौपाल में हॉल का निर्माण
			148	हरिजन चौपाल में हॉल का निर्माण
			149	विश्वकर्मा चौपाल में हॉल का निर्माण
			150	स्टेडियम में दीवार निर्माण एवं प्लास्टर कार्य।
			151	शीतला माता मंदिर से श्री मोटा के घर तक गली का निर्माण।
			152	श्री करतार के घर से ब्लेन तक इंटरलॉकिंग स्ट्रीट का फुटपाथ।
			153	सीनियर सेकेंडरी स्कूल में ILPB पेवर ब्लॉक स्ट्रीट का निर्माण।
			154	मुख्य सड़क से श्री महावीर के घर तक सड़क का निर्माण।
			155	परवीन पुत्र जनक राज के डेरा से पावर हाउस तक सड़क का निर्माण।
			156	मेन रोड से ओम पाल डेरा तक रोड का निर्माण
			157	श्री सुरेंद्र शर्मा के घर से नफे प्रजापत तक गली का निर्माण।
			158	श्री बनारसी भरमा से सुरेंद्र सरपंच से डेरा खड़जा तक गली का निर्माण
			159	रामपुरा रोड से शिवचरण गर्ग के डेरा तक की सड़क का निर्माण
			160	मेन रोड से ग्यासन कश्यप तक सीढ़ी का निर्माण
			161	एसएचजी 7 समूह का गठन

5			162	सिंघाना होते हुए मुआना तक सफीदों जींद सड़क का चौड़ीकरण
			163	ग्राम सिंघाना से रामपुरा होते हुए सफीदों दर्रे तक जाने वाली सड़कों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण
			164	ग्राम सिंघाना को जाने वाली सड़कों का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण
			165	सफीदों जींद सड़क का सिंघा वाया जयपुर एवं छापर कुल 14-28 किमी चौड़ीकरण
			166	जींद जिले के सफीदों सड़क से छपर तक जींद सफीदों सड़क का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण।
			167	जींद जिले के सफीदों में छपर से सिंघाना रोड की विशेष मरम्मत
			168	मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत ग्राम सिंघाना में गहरे नलकूप लगाने एवं लगाने के लिए रफ कॉस्ट एस्टीमेट
			169	सिंघाना गांव में बूस्टिंग स्टेशन के निर्माण एवं 1 नो डीप ट्यूबवेल लगाने के लिए अनुमानित लागत
			170	चारदीवारी का नवीनीकरण और दीवार की सफेदी
			171	बस सेवा सफीदों, मुवाना वाया सिंघाना
			172	10 किसान समूह की अनावरण भेंट
			173	नए बाग की स्थापना की संगोष्ठी (एकड़ में)
			174	अनाज क्रय केंद्र से 11 केवी सिंघाना आरडीएस फीडर, 11 केवी भागीरथी एपी फीडर व 11 केवी वाटर सप्लाई फीडर की लाइन शिफ्टिंग के लिए स्थापना।
			175	आईएचएचएल का निर्माण
			176	(ईंट खरांजा) पीडब्ल्यूडी रोड से कृष्ण राणा या जगमेंद्र फील्ड सिंघाना तक रास्ता निर्माण।
			177	बायो गैस संयंत्र की स्थापना (3 संख्या)
			178	विभिन्न फसलों पर प्रदर्शन
			179	फसल अवशेष योजना के इन सीटू प्रबंधन के लिए कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के तहत एक कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी)
			180	रामपुरा रोड से पीसी सिंघाना तक लिंक रोड की विशेष मरम्मत (रोड आईडी 3166) 550 मीटर।
5	**बराह कलां**	**श्री रमेश कौशिक,**	181	जीएसएसएस ब्राह कलां का भूमि विकास
			182	सब्जी की खेती
			183	एसएचजी 7 समूह का गठन

			184	प्रदर्शन भूखंडों की रूपरेखा तैयार करना
			185	हरी खाद
			186	आत्मा कृषि प्रशिक्षण और अन्य गतिविधियां
6	**पजु कलां**	**श्री रमेश कौशिक,**	187	शमशान घाट में जीर्णोद्धार एवं मिट्टी भरत
			188	(शासकीय विद्यालय, श्मशान घाट, फिरनी आदि) से कांग्रेसी घास एवं अवांछित छोटी झाड़ियों को हटाना।
			189	तालाब (माता वाला) से जल खुम्बी हटाना
			190	सतपाल पुत्र श्री जयमल से राजकीय, वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, तालाब वाली गली तक आईएलपीबी स्ट्रीट का निर्माण।
			191	गंदे पानी की निकासी के लिए नाले का निर्माण
			192	पाजू कलां से खेड़ा खेमावाती तक लिंक रोड की वार्षिक मरम्मत
			193	एसएचजी 13 समूह का गठन
			194	गेहूँ- 2 पर भूखंडों का प्रदर्शन
			195	किसान प्रशिक्षण
			196	स्कूल में सोलर/सीसीटीवी
			197	कॉलेज में 50 विद्यार्थियों के करियर काउंसिलिंग का आयोजन
			198	जनता को प्रेरित करने के लिए प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन
			199	21-11-2020 से प्रत्येक शनिवार को जीवीडी पाजू कलां में प्रोत्साहन शिविर का आयोजन करें ताकि गांव के किसानों को गांव में सहकारी डेयरी स्थापित करने के लिए प्रेरित किया जा सके
			200	विभिन्न फसलों (गेहूं की फसल) पर प्रदर्शन
			201	किसान प्रशिक्षण
			202	सीटू में फसल अवशेष प्रबंधन योजना के लिए कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के तहत एक कस्टम हायरिंग सेंटर (सीएचसी)।
7	दोहाना खेड़ा	श्री बृजेंद्र सिंह	203	शेष गलियों में डीआई पाइपलाइन बिछाना और शेष एफएचटीसी प्रदान करना
			204	हरी खाद के लिए ढैंचा के बीज
			205	सक्षम युवा को रोज़गार प्रदान करने के लिए
			206	एसएचजी गठन
			207	बस सेवा

			208	पशु चिकित्सालय में मिट्टी भराई
			209	एससी शमशान घाट में शेड का निर्माण
			210	जनरल शमशान घाट में शेड का निर्माण
			211	शमशान घाट में स्ट्रीट का निर्माण
			212	वीरेंद्र पुत्र बनवारी से गुगा पीर तक स्ट्रीट और नाले का निर्माण
			213	नहर गुगा पीर के पास गली का निर्माण
8	धमंतन साहिब	श्रीमती सुनीता दुग्गल	214	बस सेवा प्रदान करना
			215	सभी प्रकार के पेंशन लाभ प्रदान करने के लिए
			216	बूस्टिंग स्टेशन पर बोर की स्थापना (डी प्लान)
			217	हाईब्रिड सब्जी खाने योग्य
			218	ग्रामीण क्षेत्र में एसएचजी और वीओ गठन
			219	हरी खाद के लिए ढैंचा बीज
			220	गुरुद्वारा धमतन साहिब के सामने मिट्टी भराई
			221	पीएचसी में मिट्टी भराई
			222	बाल्मीकि चौपाल में ब्लॉक का निर्माण
Total				222

माननीय सांसदो द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद ली गई ग्राम पंचायतों तथा पिछले 8 वर्षो के दौरान पूर्ण किए गए कार्यों जैसा कि मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों एवं जिला परिषदों ने बताया है का विवरण

जिले का नाम: - कैथल

	गोद ली गई ग्राम पंचायतों के नाम	माननीय मंत्री/सांसदों के नाम	क्रमांक	पूर्ण किये गये कार्यों का विवरण
1	**संघन**	**श्री राज कुमार सैनी**	1	पशु चारा और amp के लिए बिक्री आउटलेट की स्थापना; प्रोपर लाइसेंस के तहत ध्यान केंद्रित करना
			2	ग्राम जनसंख्या की अनुसूचित जाति में नई डेयरी इकाइयों की स्थापना
			3	लैब-1 का निर्माण, क्लास रूम-2 का निर्माण, शौचालय-2 का निर्माण
			4	सभी बेघर एससी और टपरीवास के लिए पक्का मकान
			5	महिला समूहों का गठन और महिला अधिकारिता
			6	सभी परिवारों को राशन कार्ड जारी करना और एनएफएसए के तहत पात्र परिवारों का कवरेज

			7	पुरानी लाइन के तारों को बदलना
			8	ट्रांसफॉर्मर की स्थापना और प्रतिस्थापन
			9	तकनीकी शिक्षा और रोजगार सृजन के बारे में जागरूकता
			10	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए शेड और तरल अपशिष्ट प्रबंधन तालाबों का निर्माण
			11	सभी बेघर गरीबों/कच्चे मकान में रहने वाले लोगों के लिए पक्का मकान
			12	मौजूदा आंगनवाड़ी केंद्र की चाहरदीवारी का निर्माण
			13	दो पुराने नलकूप के सामने दो नये नलकूप की स्थापना
			14	हाउसहोल्ड का 100% IHHL कवरेज
			15	प्राथमिक विद्यालय की मिट्टी भराई
			16	डीएसआर प्रदर्शन
			17	आउटलेट रोड-56250-आर खनौरी माइनर के वाटर कोर्स की लाइनिंग से सिंचाई दक्षता बढ़ाएं
			18	महिला चौपाल से मुख्य मार्ग तक पेवर ब्लॉक वाली सड़क का निर्माण
			19	सभी निरक्षरों में शिक्षा और साक्षरता (15 वर्ष से अधिक आयु समूह)
			20	पशुओं के लिए तालाब में पानी भरने के लिए मंडी के पास नाहर से तालाब तक नाला खोदा जा रहा है
			21	कॉमन सर्विस सेंटर
			22	सभी पात्र व्यक्तियों और परिवारों के लिए पेंशन, (वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग आदि)
			23	नवीन उद्यान की स्थापना
			24	हाथ से चलने वाला स्प्रे पंप
			25	हरी खाद (ढेंचा बीज)
			26	बायो गैस प्लांट की स्थापना
			27	उत्पादकता और दालों में सुधार के लिए किसानों का प्रशिक्षण
			28	20 नग एलईडी आधारित सौर स्ट्रीट लाइट की स्थापना
			29	किसानों का अनावरण विजिट
			30	गौशाला संघ में पशु परिचारक की पदस्थापना
			31	डीआई पाइप लाइन बिछाना व ओएसआर की मरम्मत
			32	सामुदायिक केंद्र की चहारदीवारी का निर्माण (1 एकड़)

			33	डेरा बाबा श्रृंग ऋषि के समीप तालाब पर गौ घाट का निर्माण
			34	पटवार खाना, संघन की मरम्मत
			35	मिट्टी और जल परीक्षण
			36	वर्मी कम्पोस्ट यूनिट
			37	दो आंगनबाड़ी केंद्रों में दो शौचालयों का निर्माण
			38	नई डेयरी इकाइयों की स्थापना सामान्य और amp में; गाँव की जनसंख्या का पिछड़ा वर्ग खंड
			39	खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण के लिए धात्विक फलियों का वितरण
			40	क्षेत्र का दिन
			41	ऋण योजनाओं के माध्यम से स्वरोजगार
			42	स्टाफ की पोस्टिंग (प्रिंसिपल -1 लेक्ट। इतिहास -1 लेक्ट। हिंदी -1 लेक्ट। गणित -1 लेक्ट। पंजाबी -1 लेक्ट। इंजी। -1 लेक्ट। Phy। -1 एश्म एसएस मास्टर -1 साइंस मैटर -1)
			43	वेज मिनीकिट (एससीएसपी)
			44	मत्स्य पालन के बारे में ग्रामीणों का प्रशिक्षण
			45	किसानों का प्रशिक्षण
			46	पुस्तकालय एवं दो क्रियाकलाप कक्षों के लम्बित कार्य को पूर्ण करना
			47	गांव के लिए आपदा प्रबंधन पहल
			48	गुगामाडी से कैथल खनौरी रोड सहित प्रस्तावित तीन तालाब प्रणाली तक नाले का निर्माण
			49	2 नये आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण
Total				**49**

माननीय सांसदो द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद ली गई ग्राम पंचायतों तथा पिछले 8 वर्षो के दौरान पूर्ण किए गए कार्यों जैसा कि मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों एवं जिला परिषदों ने बताया है का विवरण				
जिले का नाम: - करनाल				
	गोद ली गई ग्राम पंचायतों के नाम	**माननीय मंत्री/सांसदों के नाम**	**क्रमांक**	**पूर्ण किये गये कार्यों का विवरण**
1	**मोहिदीनपुर**	**श्री अश्विनी चोपड़ा**	1	स्वयं सहायता समूहों का गठन
			2	5 किलोवाट सौर ऊर्जा संयंत्र GHS

			3	ग्राम सचिवालय
			4	आंगनबाड़ी केंद्र
			5	Ghs की चहारदीवारी का निर्माण
			6	ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन
			7	मानव विकास
			8	गाँव की गलियाँ
			9	कला और शिल्प कक्ष, कंप्यूटर कक्ष का निर्माण
			10	प्रशिक्षण
			11	राजकीय उच्च विद्यालय में ई-शौचालय की स्थापना
			12	किशोर स्वास्थ्य
			13	व्यक्तिगत घरेलू लेटरीन
			14	कुल साक्षरता
			15	जोखिम व्यवहार को कम करना - मद्यपान, धूम्रपान आदि।
			16	मनरेगा के तहत रोजगार
			17	स्वास्थ्य और पोषण
			18	मुक्त विश्वविद्यालय के माध्यम से पत्राचार शिक्षा
			19	अनुसूचित जाति समुदाय और व्यक्तियों का विकास
			20	उपकेन्द्र की चारदीवारी
			21	जीएचएस में वर्षा जल संचयन प्रणाली
			22	स्टेडियम की चारदीवारी
			23	कृमि खाद
			24	बालिका मंच की स्थापना एवं बोर्ड परीक्षा में सुधार
			25	खराब हो चुके कंडक्टर को बदलने के लिए एलटी एबी केबल प्रदान करना
			26	अनाज का सुरक्षित भंडारण
			27	स्वच्छता
			28	सी.सी. नाले का निर्माण
			29	एप्रोच रोड की मरम्मत
			30	पुराने तालाब की सफाई
			31	वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन,
			32	वृक्षारोपण और औषधीय पौधे

			33	पशुधन बीमा
			34	ट्यूबवेल की स्थापना
2	**भादसों**	**श्री अश्विनी चोपड़ा**	35	ऊर्जा मीटर को परिसर के अंदर से उपभोक्ता को बाहर स्थानांतरित करना (545 नहीं)
			36	स्कूल की चहारदीवारी का निर्माण
			37	63 केवीए से 100 केवीए मात्रा तक टी/एफ का विस्तार (3 संख्या)
			38	मौजूदा एलडी सिस्टम T/Fs(25No) के Mtc के लिए विशेष अनुमान
			39	दो नंबर आरओ/वाटर फिल्टर का प्लेसमेंट
			40	सभी एलडी सिस्टम टी/एफएस को पाइप अर्थिंग प्रदान करने के लिए विशेष अनुमान (21 संख्या)
			41	घिसे हुए कंडक्टर को बदलने के लिए एलटी एबी केबल प्रदान करना (मात्रा 6 किमी)
			42	नई एलटी लाइन के साथ नए कनेक्शन (127 नंबर)
			43	शौचालय के साथ सभी घरों का कवरेज
			44	132 केवी भादसों से भादसों गांव तक 11 केवी रोड फीडर उपलब्ध कराना
			45	100 केवीए टी/एफ प्रदान करने के लिए नया 127 कोई कनेक्शन नहीं जारी करने के लिए विशेष अनुमान
			46	एचटी एसीएसआर 20 एमएम2 से 50 एमएम2 (4.5 किमी) का प्रतिस्थापन
			47	वृद्धावस्था, विकलांगता, विधवा और अन्य सभी पात्र परिवारों के लिए पेंशन
			48	कच्चे घरों में रहने वाले सभी बेघर गरीब/गरीबों के लिए पक्का घर (33 लाभार्थियों की पहचान)
			49	2 नं आंगनबाड़ी का निर्माण
			50	वृक्षारोपण और औषधीय वृक्षारोपण
			51	साइकिल स्टैंड का निर्माण
			52	ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु शेड का निर्माण
			53	स्वागत द्वार
			54	पीएचसी में स्टाफ नर्स की नियुक्ति (24*7)
			55	स्टाफ लैब टेक्नीशियन की पोस्टिंग- 1Mphw-1 स्वीपर
			56	पीएचसी में एम्बुलेंस की मंजूरी

			57	टी/एफ का 25 केवीए से 63 केवीए मात्रा में वृद्धि (3 संख्या)
Total				**57**

माननीय सांसदो द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद ली गई ग्राम पंचायतों तथा पिछले 8 वर्षो के दौरान पूर्ण किए गए कार्यों जैसा कि मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों एवं जिला परिषदों ने बताया है का विवरण				
जिले का नाम: - कुरुक्षेत्र				
	गोद ली गई ग्राम पंचायतों के नाम	**माननीय मंत्री और सांसदों का नाम**	**क्रमिक संख्या**	**पूर्ण किये गये कार्यों का विवरण**
1	झांसा	राज कुमार सैनी	1	मकान मनजीत सिंह से पीडब्ल्यूडी रोड तक रास्ता निर्माण
			2	मकान कंबोज से मकान मोहन सैनी तक रास्ते का निर्माण
			3	कंबोज के मकान से गोलू और ईश्वर सैनी के मकान तक रास्ता का निर्माण
			4	पीडब्ल्यूडी रोड से करनैल सिंह के आवास तक रास्ता का निर्माण
			5	एलसीएम कॉलेज से मकान सेवा मल और मकान ईश राम सैनी के लिए रास्ते का निर्माण
			6	पशु चिकित्सालय के भवन का निर्माण
			7	नई अनाज मंडी से ग्राम तंगोर तक सड़क निर्माण
			8	एसवाईएल नदी की बाउंड्री वाल का निर्माण
			9	ग्राम फिरनी के आसपास पेवर ब्लाक
2	राम सरन माजरा	श्री नायब सिंह सैनी	10	100% ई-भुगतान प्रक्रिया के लिएशॉप कीपर्स मोटिवेशन कैंप
			11	स्वयं सहायता समूहों का गठन
			12	100% परिवारों के बैंक खातों के लिए शिविर
			13	राजकीय प्राथमिक विद्यालय में दो और शिक्षकों की पदस्थापना
			14	स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए प्रशिक्षण शिविर।
			15	ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति का गठन
			16	सूक्ष्म स्वास्थ्य सर्वेक्षण

			17	100% टीकाकरण कोविड-19 के लिएशिविर
			18	राजकीय हाई स्कूल के मुख्य रास्ते का निर्माण इंटर लॉकिंग पेवर ब्लॉक (आईएलपीबी) के साथ
			19	शराब, धूम्रपान और नशीली दवाओं को कम करने के लिए जागरूकता शिविर
			20	मवेशी/डेयरी किसानों के लिए जागरूकता शिविर।
			21	शिक्षा समिति का गठन
			22	ग्राम स्वच्छता समिति का गठन
			23	किसानों के लिए जागरूकता शिविर कम खाद, कीटनाशक आदि के लिए जागरूकता शिविर।
			24	महिला स्वास्थ्य जांच शिविर
			25	कृषि विभाग द्वारा मृदा परीक्षण शिविर।
			26	सोलर सिस्टम के लाभों के बारे में जागरूकता के लिए प्रेरणा शिविर
			27	जैविक खेती के लिए किसानों को प्रेरित करने के लिए जागरूकता शिविर
			28	स्वच्छ व्यवहार परिवर्तन के लिए जागरूकता शिविर
			29	योग व्यायाम शिविरों का आयोजन
			30	जागरूकता शिविर बारिश का पानी बचाने की प्रेरणा
			31	बगवानी फसल के लिए किसानों के जागरूकता शिविर
			32	ग्राम राम सरन माजरा में 10 मवेशी शेड का निर्माण
			33	आंगनबाड़ी से पंचायत घर तक नाली सहित पेवर ब्लॉक गली का निर्माण
			34	ग्राम सफाई कर्मियों के प्रशिक्षण शिविर
3	धुरला	श्री नायब सिंह सैनी	35.	डेरा नीमवाला तालाब की सफाई
			36	पीडब्ल्यूडी रोड से श्री सुभाष कबड्डी के घर तक गलियों और नालियों का निर्माण।
			37	श्मशान घाट में बरामदे के दोनों ओर आरसीसी प्लिंथ का निर्माण
			38	शमशान घाट में तीन कमरों व बरामदे में फर्श की टाइलें बिछाना
			39	शमशान घाट स्थित किचन में मार्बल शेल्फ व दीवार पर टाइल्स लगाना
			40	शमशान घाट में द्वार, चौकीदार कक्ष के लिए खिड़की का कार्य पूर्ण करना
			41	पीडब्ल्यूडी रोड से जग्गी के मकान तक गली का निर्माण
			42	ग्राम धुरला में एसडब्ल्यूएम शेड का निर्माण

			43	श्री रोहताश की पत्नी श्रीमती अनुराधा के घर के सामने स्थित बिजली के पोल को शिफ्ट करना
			44	श्री विक्रम सिंह, श्री पूरन सिंह के घर के पास बिजली के खंभे की स्थापना।
			45	पुस्तकालय का निर्माण
			46	ग्राम स्वच्छता समिति का गठन
			47	स्वच्छ व्यवहार परिवर्तन के लिए जागरूकता शिविर
			48	ग्राम सफाई कर्मियों के प्रशिक्षण शिविर
			49	सूक्ष्म स्वास्थ्य सर्वेक्षण
			50	शराब, धूम्रपान और दुर्गंध को कम करने के लिए जागरूकता शिविर।
			51	महिला स्वास्थ्य जांच शिविर
			52	100% टीकाकरण COVID-19 के लिए शिविर
			53	पशु/डेयरी किसानों के लिए जागरूकता शिविर
			54	कृषि विभाग द्वारा मृदा विश्राम शिविर
			55	कृषकों को कम खाद,कीटनाशक आदि के प्रति जागरुकता हेतु प्रेरणा शिविर।
			56	वर्षा जल बचाओ प्रेरणा हेतु जागरूकता शिविर
			57	किसानों को जैविक खेती के लिए प्रेरित करने हेतु जागरूकता शिविर
			58	100% घरों के विद्युतीकरण के लिए जागरूकता शिविर
			59	शिक्षा समिति का गठन
			60	शिक्षा समिति का गठन
			61	बगवानी के फसल के लिए किसानों का जागरूकता शिविर
			62	आंगनबाडी केन्द्र कोड संख्या 402 में द्वार लगवाना
			63	आंगनबाडी केन्द्र कोड संख्या 401 में शौचालय द्वार लगवाना
			64	गांव के सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में सफेदी
			65	ग्राम हंसाला से धुरला तक गली का निर्माण (सड़क आईडी 4710)
			66	स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए प्रशिक्षण शिविर
			67	स्वयं सहायता समूहों का गठन
			68	ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति का गठन
			69	100% परिवारों के बैंक खातों के लिए शिविर।
			70	100% ई-पेमेंट प्रक्रिया के लिए दुकानदारों को प्रेरणा शिविर।

			71	सोलर सिस्टम के लाभों के बारे में जागरूकता के लिए प्रेरणा शिविर
			72	सड़क सुरक्षा नियमों के लिए जागरूकता शिविर।
			73	गाँव में वृक्षारोपण
	कुल			73

माननीय सांसदो द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद ली गई ग्राम पंचायतों तथा पिछले 8 वर्षो के दौरान पूर्ण किए गए कार्यों जैसा कि मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों एवं जिला परिषदों ने बताया है का विवरण				
जिले का नाम: - महेंद्रगढ़				
	गोद ली गई ग्राम पंचायतों के नाम	**माननीय मंत्री और सांसदों का नाम**	**क्रमिक संख्या**	**पूर्ण किये गये कार्यों का विवरण**
1.	डोंगरा	श्री अहीर धर्मबीर सिंह	1	पीएचसी का निर्माण
			2	डी.आई. पाइप्स के प्रतिस्थापन के साथ मौजूदा संरचनाओं की मरम्मत।
			3	वर्तमान भवन की मरम्मत और नवीनीकरण इसे एक पशु चिकित्सा रोग निदान प्रयोगशाला में विकसित करने के लिए
			4	बाउंड्री वाल की मरम्मत और उसे ऊंचा करने के लिए अनुमानित लागत का अनुमान
			5	टाइल पथ का निर्माण भूमिगत जल भंडारण टैंक, अस्पताल परिसर में पानी की आपूर्ति
			6	आउटडोर/इनडोर पशुधन के लिए शेड
			7	प्रयोगशाला उपकरण 'एस' अभिकर्मक और अन्य सामग्री
			8	पशु चिकित्सालय भवन का निर्माण
			9	चौड़ा करके डोंगरा चौक जंक्शन का सुधार
			10	जैविक खेती (बीज उपचार, पौध संरक्षण, खरपतवार नियंत्रण)
			11	आंगनवाड़ी केंद्रका निर्माण (3)
			12	सभी परिवारों को राशन कार्ड जारी करना और एनएफएसए के तहत पात्र का कवरेज
			13	बेघर गरीबों के लिए पक्का मकान
			14	वानिकी

			15	तालाब की खुदाई
			16	आजीविका स्टॉल हेतु प्रशिक्षण के माध्यम से एसएचजी एस एवं महिला अधिकारिता का गठन
			17	किसानों के खेत में भूमि का समतलीकरण
			18	वृक्षारोपण
			19	नहर से तालाब तक पाइप लाइन बिछाना
			20	जिम उपकरण
			21	एसीआर को एलटी एबी केबल से बदलना और एलडी सिस्टम को मजबूत करना
			22	धरमपाल के घर तक स्ट्रीट पीडब्ल्यूडी रोड का निर्माण
			23	सभी पात्र परिवारों वृद्धावस्था, विकलांगता, विधवा और अन्य के लिए पेंशन
			24	एससी चौपाल की मरम्मत
			25	बीसी चौपाल की मरम्मत
			26	काबुल सिंह पटवारी से मुख्य फिरनी तक गली का निर्माण
			27	पीडब्ल्यूडी रोड से प्यारेलाल हाउस तक गली का निर्माण
			28	मुख्य फिरनी से खुशीराम के घर तक गली का निर्माण
			29	काबुल सिंह पटवारी से मुख्य फिरनी (साइट के सामने) तक सड़क का निर्माण
			30	बस क्यू शेल्टर-2 नग का निर्माण
			31	आर्थिक विकास
			32	नाले के साथ गलियों का फुटपाथ
			33	नाले के साथ फिरनी का चबूतरा
			34	स्कूल शौचालय
			35	स्टेडियम का निर्माण
2.	बसाई		36	6-14 वर्ष के समूह में प्रवेश के लिए नामांकन अभियान
			37	वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में पुस्तकालय सुविधा प्रदान करना।
			38	कुल टीकाकरण

			39	स्वच्छता पर जागरूकता अभियान
			40	एसएजीवाई गांव में योग शिविर
			41	योग्य व्यक्तियों जैसे वृद्धावस्था, विधवाओं और पीएच.डी. आदि के नामांकन के लिए शिविर
			42	ग्राम पंचायत पदाधिकारियों का प्रशिक्षण बैच-2
			43	प्रत्येक सरकारी संस्थान/सार्वजनिक भवन में शौचालय उपलब्ध कराना
			44	फिरनी पर वैश्य धर्मशाला चौक से मुल्ला अहीर के मकान तक गली का निर्माण
			45	कृषि गतिविधियों जैसे जैविक खेती, मृदा स्वास्थ्य कार्ड आदि को बढ़ावा देना और इस उद्देश्य के लिए उपलब्ध भूमि पर कृषि उप केंद्र का प्रस्ताव (24 एकड़)
			46	महिला संघ को संगठित और संघबद्ध करना
			47	वर्ष में 4 बार बाल सभा एवं ग्राम सभा का आयोजन
			48	समस्त ग्रामवासियों का आधार नामांकन
			49	पहाड़ के पास पश्चिम की ओर 25 एकड़ वन भूमि सहित स्कूल, अस्पताल और अन्य जीपी भूमि में उपलब्ध खाली जमीन / भूमि पर वृक्षारोपण (यदि कोई हो तो अतिक्रमण से मुक्त करना)
			50	जीपी के लिए भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण
			51	ग्राम पंचायत पदाधिकारियों का प्रशिक्षण बैच-2
			52	पुरानी बाजार गली से देवी मां (पहाड़ी/पर्वत) तक सड़क का निर्माण
			53	प्रत्येक ग्राम सभा के समक्ष महिला सभा का आयोजन
3.	सिहमा	श्री धर्मबीर सिंह	54	एसएजीवाई गांव में योग शिविर
			55	नियमित (एडीओ कृषि) की पोस्टिंग
			56	विद्यालय, स्पोर्ट्स स्टेडियम अस्पताल एवं अन्य ग्राम पंचायत भूमि अस्पताल एवं अन्य ग्राम पंचायत भूमि में उपलब्ध रिक्त भूमि/भूमि पर वृक्षारोपण

			57	ग्राम पंचायत पदाधिकारियों का प्रशिक्षण बैच-1
			58	रुपयेटी अगरबत्ती बनाना आदि द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम।
			59	नए राशन कार्ड का नामांकन
			60	स्वच्छता पर जागरूकता अभियान
			61	स्वयं सहायता समूह गठन शिविर
			62	वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में पुस्तकालय सुविधा प्रदान करना।
			63	अच्छी कृषि पद्धतियों (गैप) पर कार्यशाला। इसमें उर्वरक, कीटनाशक और बीज के उपयोग पर किसानों का मार्गदर्शन करना शामिल है
			64	सभी पात्र ग्रामीणों के लिए पेंशन शिविर का आयोजन
			65	मशरूम की खेती, चना, जौ एवं बागवानी फसलों के लिए कैम्प का प्रचार-प्रसार करना
			66	कृषक हित समूह का गठन एवं कृषक उत्पादक संगठन से जोड़ना
			67	सभी नए ग्राम पंचायत पदाधिकारियों के बैच-2 का प्रशिक्षण
			68	एक बीमा शिविर स्वदेशी पशु का आयोजन करें
	कुल			68

माननीय सांसदो द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद ली गई ग्राम पंचायतों तथा पिछले 8 वर्षो के दौरान पूर्ण किए गए कार्यों जैसा कि मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों एवं जिला परिषदों ने बताया है का विवरण

जिले का नाम: - पलवल				
	गोद ली गई ग्राम पंचायतों के नाम	**माननीय मंत्री और सांसदों का नाम**	**क्रमिक संख्या**	**पूर्ण किये गये कार्यों का विवरण**
1	बंचारी	श्री कृष्ण पाल गुर्जर	1	बेरोजगार युवाओं के लिए अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम
			2	वित्तीय जागरूकता
			3	रवि दास सदन हॉल
			4	स्टेडियम की मरम्मत
			5	वॉली बॉल कैंप

			6	सामुदायिक केंद्र एस.सी
			7	खेल उपकरण प्रदान किए
			8	ग्राम स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पोषाहार समिति
			9	पीएमयूवाई के तहत बीपीएल राशन कार्ड पर गैस कनेक्शन जारी करना और आधार कार्ड को लिंक करना
			10	होम बेस्ड पोस्ट नेटल केयर
			11	नवीन महिला स्वयं सहायता समूहों का गठन
			12	पंचायत घर का निर्माण
2	गहलाब		13	महिपाल से रिंदका मोड़ से बिजेन्द्र नम्बरदार तक गली का निर्माण
			14	धर्मेंद्र के घर से पलटू प्लॉट तक गली का निर्माण
			15	अनुसूचित जाति चौपाल का कॉम्प
			16	शग गठन
			17	शेर सिंह फील्ड से कमल सिंह फील्ड तक डब्ल्यूएसएन रास्ता का निर्माण
			18	कलसाड़ा रोड से कमल सिंह फील्ड तक डब्ल्यूबीएम रास्ता का निर्माण
			19	Rseti पलवल के तहत प्रशिक्षण
			20	हरिजन चौपाल का समापन
			21	स्वरोजगार पर जागरूकता शिविर
			22	टीकाकरण हथीन गहलाब
	कुल			22

माननीय सांसदो द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद ली गई ग्राम पंचायतों तथा पिछले 8 वर्षो के दौरान पूर्ण किए गए कार्यों जैसा कि मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों एवं जिला परिषदों ने बताया है का विवरण				
जिले का नाम: - पानीपत				
	गोद ली गई ग्राम पंचायतों के नाम	**माननीय मंत्री और सांसदों का नाम**	**क्रमिक संख्या**	**पूर्ण किये गये कार्यों का विवरण**
1	सेवह	श्री अश्वनी चोपड़ा	1	सिकलीगर चौपाल का निर्माण।
			2	दयानंद पुत्र हरदेवा के दीवाना रोड से खेत तक रास्ता निर्माण

			3	पंजाबी चौपाल का निर्माण
			4	दिवाना रोड़ से हुकमचंद के खेत तक रास्ते का निर्माण
			5	स्वच्छता
			6	रामेश्वर पुत्र पिर्थी से जिला पुत्र नहले फील्ड एवं लिचमन पुत्र टेक ऑफ फील्ड तक रास्ता डाहर सड़क का निर्माण।
			7	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के मुख्य गेट से मेडिकल स्टोर तक आईपीबी रास्ता का निर्माण।
			8	दीवाना रोड से पवन पंडित के खेत तक रास्ता निर्माण
			9	विद्युत गृह के निकट पंचायती भूमि की बी/दीवार का निर्माण।
			10	पशुधन बीमा
			11	अनुसूचित जाति समुदाय और व्यक्तियों का विकास
			12	जोखिम व्यवहार को कम करना शराब, धूम्रपान आदि।
			13	स्वयं सहायता समूहों का गठन
			14	बीरफला तालाब की खुदाई
			15	वृद्धावस्था पेंशन/विधवा पेंशन
			16	जीटी रोड से बलवान पुत्र महासिंह के खेत तक रास्ता निर्माण
			17	जय कुँवर पुत्र कृष्ण के डाहर रोड से खेत तक रास्ता निर्माण
			18	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में आईपीबी सहित रास्ते का निर्माण
			19	डाहर रोड से कर्ण पुत्र धूलिया से रोहतक बायपास तक के रास्ते का निर्माण
			20	मनरेगा के तहत रोजगार
			21	राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में खेल मैदान में आईपीबी सहित रास्ते का निर्माण
			22	एससी चौपाल का निर्माण
			23	खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण

2	गढ़ शरणाई	श्री राम कुमार कश्यप	24	जनरल चौपाल में हॉल का निर्माण
			25	गंदे पानी के लिए नाले का निर्माण।
			26	आईपीबी सहित सीसी स्ट्रीट व नाली का निर्माण
			27	आईपीबी एवं नाली सहित सीसी स्ट्रीट का निर्माण।
			28	तालाब की रिटेनिंग वॉल का निर्माण
			29	कब्रिस्तान में वरमादा का निर्माण।
3	पट्टीकल्याण	श्री संजय भाटिया	30	आश्रम विद्यालय पट्टी कल्याण-I में रिचार्ज पिट
			31	आश्रम विद्यालय पट्टी कल्याणा-द्वितीय में पुनर्भरण गड्ढा
			32	पीएचसी पट्टी कल्याणा में रिचार्ज पिट
			33	जीएसएसएस पट्टी कलियाना-I में रिचार्ज पिट
			34	जीएसएसएस पट्टी कल्याण-II में रिचार्ज पिट
			35	देहरा से पट्टी कल्याणा तक सड़क के बरम की मरम्मत
			36	ग्राम सौन्दर्यीकरण हेतु वॉल पेंटिंग
			37	15 नग व्यक्तिगत सौचल्य
			38	सफाई के लिए एक हाथ वाला रिक्शा प्रदान किया
			39	सामुदायिक स्वच्छता केन्द्र पट्टी कल्याणा का निर्माण
			40	प्राथमिक विद्यालय में आईपीबी
			41	सरकारी स्कूल में शेड
			42	जीएसएसएस पट्टी कल्याण (जीपी) में आईपीबी
			43	मॉडल सी.एस.सी.
			44	बाल्मीकि चौपाल में फ्लोरिंग में आईपीबी
			45	हावती रोड पर आरसीसी नाला
			46	शमशान में ब्रमदा और आईपीबी का निर्माण
			47	गांव में सड़क

			48	प्राथमिक विद्यालय में मिट्टी भराई
			49	पंजाबी चौपाल (जीपी)का नवीनीकरण
			50	पीएचसी (सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र) की चारदीवारी
			51	हल्दाना रोड से तालाब तक सीवर लाइन
			52	गांव में रमेश फौजी के घर से भान राम परजापत कॉलोनी तक पानी की पाइप लाइन
			53	शमशांघाट के पास रास्ते की मिट्टी भराई
	कुल			53

माननीय सांसदो द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद ली गई ग्राम पंचायतों तथा पिछले 8 वर्षो के दौरान पूर्ण किए गए कार्यों जैसा कि मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों एवं जिला परिषदों ने बताया है का विवरण				
जिले का नाम: - रेवाड़ी				
	गोद ली गई ग्राम पंचायतों के नाम	**माननीय मंत्री और सांसदों का नाम**	**क्रमिक संख्या**	**पूर्ण किये गये कार्यों का विवरण**
1	बोलनी	श्री राव इंदिराजीत सिंह	1	विद्युत कार्य (अतिरिक्त ट्रांसफॉर्मर की स्थापना और खराब हो चुके केबलों को बदलना
			2	पेयजल की सुविधा
			3	ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना और गाँव में 154 व्यक्तिगत घरेलू शौचालयका निर्माण
			4	आईएवाई के तहत नए मकान
			5	सौर ऊर्जा संयंत्र
			6	अल्पावधि प्रशिक्षण कार्यक्रम युवा
			7	स्वयं सहायता समूहों का नया गठन और पुनरुद्धार
			8	ग्रामीण युवाओं का रोजगार
			9	प्रत्येक व्यक्ति का स्वास्थ्य कार्ड तैयार किया गया है
			10	सभी पात्र परिवारों-वृद्धावस्था, विकलांगता और विधवा के लिए पेंशन
			11	स्कूल छोड़ने वाले बच्चों के लिए शिविर

			12	विद्यार्थियों के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के लिए विद्यालय में शिक्षकों की अध्यक्षता में समिति का गठन
			13	ग्रामीणों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए वार्डवार शिक्षकों के नेतृत्व में बाल समूहों का गठन किया जाना है।
			14	वार्षिक शारीरिक गतिविधियों का कैलेंडर
			15	विद्यालय में दैनिक शारीरिक व्यायाम कार्यक्रम
			16	पुस्तकालय एवं कला एवं शिल्प कक्ष का निर्माण भौतिकी एवं रसायन। लैब एवं खेल कक्ष प्रस्तावित किया जाना है
			17	वृक्षारोपण कार्य
			18	विद्यालय में पार्क विकास।
			19	सभी सड़कों का निर्माण
			20	सामुदायिक केंद्र और पंचायत घर
			21	किसानों के लिए विभिन्न गतिविधियां
			22	किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी करना
			23	पशुओं का पंजीकरण बीमा
			24	दुग्ध सहकारी समिति का गठन
			25	राशन कार्ड जारी करना
			26	गांव के आसपास संपर्क सड़कों में सुधार
			27	अटल खेती बाड़ी खाता योजना
			28	बोलनी ग्राम को स्वतंत्र फीडर उपलब्ध कराना
			29	पात्र किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना
			30	स्कूल के खेल मैदान में खेलकूद किट एवं मिनी स्टेडियम की सुविधा उपलब्ध करायी जानी है
2.	भरवास		31	मत्स्य पालन के संबंध में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को प्रशिक्षण
			32	स्वरोजगार के लिए कौशल प्रशिक्षण
			33	स्वच्छ व्यवहार परिवर्तन के लिए जागरूकता शिविर
			34	ग्राम सफाईकर्मियों के लिए प्रशिक्षण शिविर

			35	सूक्ष्म स्वास्थ्य सर्वेक्षण
			36	शराबखोरी धूम्रपान और नशीली दवाओं को कम करने के लिए जागरूकता शिविर
			37	महिला स्वास्थ्य जांच शिविर
			38	ग्राम स्वच्छता समिति का गठन
			39	100% टीकाकरण COVID-19 के लिए शिविर
			40	ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति का गठन
			41	किसानों को जैविक खेती के लिए प्रेरित करने हेतु जागरूकता शिविर।
			42	वर्षा जल बचाओ प्रेरणा हेतु जागरूकता शिविर।
			43	शत-प्रतिशत ई-पेमेंट प्रक्रिया के लिए दुकानदारों का प्रेरणा शिविर।
			44	सोलर सिस्टम के लाभों के बारे में जागरूकता के लिए प्रेरणा शिविर।
			45	योग व्यायाम शिविरों का आयोजन।
			46	शिक्षा समिति का गठन
			47	बागवानी फसल के लिए किसानों का जागरूकता शिविर।
			48	सीएससी की स्थापना
			49	किसान के खेत में हाईब्रिड सब्जियों की खेती
			50	शासकीय विद्यालय में 5 जल संचयन प्रणाली की स्थापना
			51	पशु/डेयरी किसानों के लिए जागरूकता शिविर।
			52	किसानों को खाद,कीटनाशक आदि के बारे में जागरूकता कम करने हेतु प्रेरणा शिविर।
3	खरखरा		53	ग्राम स्वच्छता समिति का गठन
			54	स्वच्छ व्यवहार परिवर्तन के लिए जागरूकता शिविर
			55	ग्राम सफाईकर्मियों का प्रशिक्षण शिविर
			56	सूक्ष्म स्वास्थ्य सर्वेक्षण
			57	शराब, धूम्रपान और नशीले पदार्थों को कम करने के लिए जागरूकता शिविर

			58	महिला स्वास्थ्य जांच शिविर
			59	कोविड-19 टीकाकरण के लिए शिविर
			60	ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति का गठन
			61	पशु/डेयरी किसानों के लिए जागरूकता शिविर।
			62	शत-प्रतिशत परिवारों के बैंक खाते के लिए शिविर
			63	कृषकों को खाद, कीटनाशक आदि के कम प्रयोग के प्रति जागरूक करने हेतु प्रेरणा शिविर
			64	पानी बचाने की प्रेरणा के लिए जागरूकता शिविर
			65	शत-प्रतिशत ई-पेमेंट प्रक्रिया के लिए दुकानदारों का प्रेरणा शिविर
			66	सौर प्रणाली के लाभों के बारे में जागरूकता के लिए प्रेरणा शिविर
			67	योग व्यायाम शिविरों का आयोजन
			68	शिक्षा समिति का गठन
			69	बागवानी फसल के लिए किसानों का जागरूकता शिविर
			70	सीएससी की स्थापना
			71	मत्स्य पालन के संबंध में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को प्रशिक्षण
			72	किसानों को जैविक खेती के लिए प्रेरित करने के लिए जागरूकता शिविर
			73	किसान के खेत में संकर सब्जी की खेती
			74	शत-प्रतिशत नामांकन के लिए विद्यालय से बाहर के बच्चों का सर्वेक्षण
			75	आरसीसी पाइपलाइन और आईपीबी ट्रेसिंग रोड 1
			76	आरसीसी पाइपलाइन और आईपीबी ट्रेसिंग रोड 2
			77	आरसीसी पाइपलाइन और आईपीबी ट्रेसिंग रोड 3
			78	आरसीसी पाइपलाइन और आईपीबी ट्रेसिंग रोड 4

			79	आरसीसी पाइपलाइन और आईपीबी ट्रेसिंग रोड 5
			80	ग्राम ज्ञान केंद्र
			81	ब्रह्म कॉलोनी में जनरल चौपाल
	कुल			81

माननीय सांसदो द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद ली गई ग्राम पंचायतों तथा पिछले 8 वर्षो के दौरान पूर्ण किए गए कार्यों जैसा कि मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों एवं जिला परिषदों ने बताया है का विवरण

जिले का नाम: - रोहतक

	गोद ली गई ग्राम पंचायतों के नाम	माननीय मंत्री और सांसदों का नाम	क्रमांक।	पूर्ण किये गये कार्यो का विवरण
1	निंदा खास	श्री सुरेश प्रभु	1	कृषि अभ्यास में सुधार
			2	सामुदायिक केन्द्र का निर्माण
			3	967 एकड़ भूमि की जल निकासी
			4	नहरों के किनारे 500 निजी डीजल इंजन संचालित पंप सेटों के कनेक्शन के लिए महम और बैंसी माइनर के साथ बिजली लाइन
			5	चौपालों का निर्माण एवं मरम्मत
			6	भूमि की चकबंदी
			7	लवणता नियंत्रण के लिए भूमिगत जल निकासी
			8	गांव अपशिष्ट जल निपटान और पंक्तिबद्ध चैनलों का निर्माण
			9	निंदाना से अजायब तक सड़क का चौड़ीकरण
			10	बालिकाओं के लिए नवीन विद्यालय भवन का निर्माण
			11	ग्राम सचिवालय का निर्माण
			12	तालाबों की मरम्मत एवं जीर्णोद्धार
			13	प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र का उच्चीकरण
			14	नानवाला तालाब का पार्क के रूप में सौंदर्यीकरण
			15	निंदाना से गुगहरी तक सड़क का चौड़ीकरण
			16	पुरानी पाइप लाइन को बदलना
			17	ट्यूबवेल से नई पाइप लाइन

			18	बिजली आपूर्ति का विस्तार एवं गलियों में लटकी बिजली लाइनों में सुधार
			19	बस शेल्टर का निर्माण
			20	सड़कों के फुटपाथ और नालियों की लाइनिंग का निर्माण
			21	निंदाना से भरण तक सड़क का निर्माण
			22	महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र
			23	वृद्धों के लिए मल्टी सर्विस सेंटर खोलना
			24	पुराने राजमार्ग की मरम्मत एवं नवीनीकरण
			25	शिविरों का आयोजन, दीवार लेखन;प्रासंगिक स्थानों पर सूचना बोर्ड ▪ नुक्कड़ नाटक, फिल्म शो आदि ▪ सामुदायिक रेडियो आदि।
2	अनवल	श्री.शादी लाल बत्रा	26	सुशासन के लिए ग्राम पंचायत के सदस्यों की क्षमता निर्माण
			27	ग्राम सभाओं में महिलाओं की भागीदारी
			28	राष्ट्रीय डिजिटल साक्षरता मिशन
			29	एससी छात्रों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र
			30	अनुसूचित जाति के लिए कार्यरत स्वैच्छिक एवं अन्य संगठनों को सहायता अनुदान की योजना
			31	व्यक्तिगत और सामुदायिक स्वास्थ्य पर तम्बाकू और अन्य नशीले पदार्थों के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूकता।सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर सभी बीपीएल के मुफ्त चिकित्सा उपचार की सरकारी योजना के बारे में जागरूकता।.
			32	झोलाछाप व आरएमपीएस पर स्वास्थ्य विभाग व ग्राम पंचायत द्वारा नियंत्रण
			33	सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कंप्यूटर की मरम्मत
			34	वाटर वर्क्स टैंक की सफाई
			35	सीएससी का उद्घाटन
			36	अतिरिक्त एटीएम
			37	वाटर वर्क्स
			38	नए व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण
			39	आंगनबाड़ी केंद्र
			40	सिंचाई चैनलों की सफाई
			41	2 जल सुवाह्यता आर.ओ. की स्थापना

			42	नए लैंडलाइन टेलीफोन कनेक्शन
			43	सड़कों, नालों और विभिन्न स्थानों के लिए सफाई अभियान
			44	आईएआई के तहत नए घरों का निर्माण
			45	वृक्षारोपण
			46	जेएसएस रोहतक द्वारा महिलाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र
			47	ग्राम स्तर पर विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता
			48	चिकित्सा विभाग के सहयोग से समय समय पर- टीकाकरण सह उपचार शिविर।मलेरिया के लिए बरसात के मौसम में आम और व्यक्तिगत दोनों जगहों पर छिड़काव करें।ड्रेनेज लाइन की सफाई।बेहतर स्वच्छता प्रथाएं।
			49	गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता के बारे में जागरूकता, VHSC की भूमिका को मजबूत किया जाना चाहिए, पौष्टिक सब्जियों और फलों के स्थायी स्रोत के रूप में किचन गार्डन के लिए प्रोत्साहन।
			50	लिंग संवेदीकरण
			51	तालाबों की रिटेनिंग वॉल
			52	भूमि ह्रास
			53	विकलांग लोगों के लिए विशेष सहायता
			54	पहुंच, समयबद्धता और सेवा की गुणवत्ता के संदर्भ में आंगनवाड़ी, स्कूल, और उप केंद्र, पीडी, सीएससी आदि जैसे सेवा वितरण संस्थानों का कामकाज।
			55	सार्वजनिक स्थानों पर वृक्षारोपण
			56	युवा मंडलों का पोषण
			57	विभिन्न तालाबों का रखरखाव
			58	सार्वजनिक स्थानों पर अनुपालक बक्सों को लगाना और उनका साप्ताहिक आधार पर समय पर खुलना।शिकायत निवारण समिति की बैठक।
			59	मानव संसाधन की जवाबदेही गांव में तैनात
			60	सार्वजनिक स्थानों और आस-पास के क्षेत्र में खुले में मल-मूत्र के कारण खराब स्वच्छता
			61	सामुदायिक शौचालयों का निर्माण
			62	इलेक्ट्रिक स्ट्रीट लाइट

			63	बर्निंग ग्राउंड
			64	बस कतार आश्रय
			65	एसएचजी पीडीएस स्टोर के रूप में काम करेंगे
			66	प्राथमिक विद्यालय में नए कंप्यूटर
			67	जीपी में हाई स्पीड वाईफाई कनेक्टिविटी-
			68	सामुदायिक पार्क
			69	बेयर कंडक्टर को एलटी एबी केबल से बदलना
			70	आंतरिक सड़कों की मरम्मत (सड़क)
			71	अतिरिक्त ट्रांसफार्मर
			72	9 नए विद्युत कनेक्शन
			73	केवल 11 किलोवाट के आंवल के लिए नई स्वतंत्र लाइन का निर्माण
			74	विद्युत विभाग के लंबित बिलों की वसूली
			75	गांव में घरेलू बिजली आपूर्ति में कमी
			76	हाई स्कूल में रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए
			77	अनुसूचित जाति और अन्य अल्पसंख्यक समूहों की भागीदारी
			78	सीनियर सेकेंडरी स्कूल में रिक्त पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए
			79	भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई
			80	गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव
			81	नवीन स्वास्थ्य उपकेन्द्र भवन का निर्माण
			82	विद्यालयों में भवन का नवीन निर्माण
			83	कंप्यूटर मरम्मत
			84	उपकेन्द्र परिसर की चहारदीवारी एवं बालू भराई कार्य
			85	अम्बेडकर भवन, आंवल में वृद्धों के लिए मल्टी सर्विस सेंटर
			86	अवैध कनेक्शन के लिए त्वरित कार्रवाई
			87	तालाब से सिंचाई जल की आपूर्ति
			88	मीटर का परिसर के बाहर स्थानांतरण
			89	श्मशान घाट पर पीने के पानी की सुविधा

3	भरन शेखूपुर तित्री	श्री रामचंद्र जांगड़ा	90	बोर्ड कक्षाओं के छात्रों के लिए कैरियर मार्गदर्शन और परामर्श व्याख्यान का आयोजन
			91	गांव में बेहतर सफाई के लिए सफाई कर्मचारी की नियुक्ति।
			92	बहरीन स्ट्रीट में नए एस/स्टेशन का निर्माण
			93	कुंडी कनेक्शन हटाना
			94	अस्थायी विच्छेदन आदेश/स्थायी विच्छेदन आदेश (टी.डी.सी.ओ./पी.डी.सी.ओ.) चूक राशि की वसूली
			95	लोगों का बीमा और पेंशन आई.ई.जीवन और चिकित्सा आईएपी/पीएमएसबीवाई/पीएमजेजेबी.ई.
			96	बेरोजगार युवाओं के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान
			97	कपूरा पुत्र तारा चंद के घर से बनिया वाला तालाब तक नाले का निर्माण
			98	गाँव के बुजुर्गों, स्थानीय रोल मॉडल विशेष रूप से महिलाओं, स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों के सम्मान के लिए गतिविधियाँ, गाँव का जश्न मनाने के साथ लोगों में गर्व की भावना जगाने के लिए एक गाँव का गीत
			99	गरीबों की संस्था का गठन 10 -स्वयं सहायता समूह
			100	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों का संचालन।एसएमसी एंड यूथ वालंटियर फोरम के माध्यम से अशिक्षित वयस्कों के लिए 'हर एक, एक को पढ़ाओ' विषय पर उनके आसपास के अशिक्षित वयस्कों के लिए शाम की कक्षाएं शुरू कर सकते हैं।
			101	टंकियों में पानी की नियमित सफाई/साफ पानी चल रहा है और आसपास प्रोटोकॉल के अनुसार किया जाना चाहिए
			102	जोखिम व्यवहार को कम करने के लिए किशोर स्वास्थ्य, नशीली दवाओं की लत, एकीकृत परामर्श और परीक्षण केंद्र)Ictc) के परामर्शदाताओं का दौरा - शराब, धूम्रपान, मादक द्रव्यों का सेवन आदि।
			103	गर्भधारण का प्रारंभिक पंजीकरण, प्रसव पूर्व जांच (एएनसी) और सतत संस्थागत प्रसव, प्रसवोत्तर जांच (पीएनसी), टीकाकरण और टीकाकरण
			104	पीडब्ल्यू, किशोरों और शिशुओं के लिए आहार और पोषण संबंधी आदतों को बढ़ावा देना
			105	शांति एवं संघर्ष समाधान समिति का गठन कर उसे क्रियाशील बनाया जाए

			106	अपने बच्चों को नियमित रूप से अंदर भेजने के लिए अभिभावकों को प्रेरित करना
			107	दवाओं का अग्रिम बफर स्टॉक सुनिश्चित करना (न्यूनतम एक महीने का समय)
			108	चोरी ऊर्जा की जाँच
			109	महिलाओं/लड़कियों को पोषण शिक्षा
			110	पीटीआई/डीपीई द्वारा दैनिक योग, प्राणायाम, प्रार्थना, खेल भावना की आदत डालने के लिए प्रेरक व्याख्यान और गतिविधियां आयोजित की जाएं।
			111	गाँव के खेल उत्सव / कार्यक्रम
			112	महिला चिकित्सक, स्वास्थ्य निरीक्षक, लविवि एवं चौकीदार की पदस्थापना
			113	समय पर बिल जमा करने के साथ बिजली के विवेकपूर्ण उपयोग पर लोगों को कानूनी बिजली कनेक्शन और व्यवहार परिवर्तन संचार (बीसीसी) के लिए प्रेरित करना।
			114	उद्यमी विकास कार्यक्रम केवल अनुसूचित जाति श्रेणी
			115	एचबी परीक्षण और पोषण के साथ आईएफए की आपूर्ति
			116	वित्तीय समावेशन
			117	उद्यमिता विकास
			118	गांव के राजकीय उच्च विद्यालय एवं प्राथमिक विद्यालय में बालिका शौचालय का निर्माण
			119	गुगा मेडी को बिजली लाइन और ट्रांसफारमर महम रोड प्रदान करना और ठीक करना
			120	समूह बैठकों में भाग लेने और सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रधान पदाधिकारियों का प्रशिक्षण
			121	किसानों की मदद के लिए नई तकनीक और आधुनिक खेती के लिए कार्यशाला की व्यवस्था करना।
			122	पानी के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए समुदाय के व्यवहार परिवर्तन (बीसीसी) पर कार्य करना
			123	स्वास्थ्य कार्ड तैयार करना
			124	ग्राम स्तर पर शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की स्थापना और वार्ड सदस्य प्रत्येक वार्ड के प्रमुख होंगे और समस्या के समाधान के लिए संबंधित विभागों से संपर्क करेंगे

			125	वितीय समावेशन के लिए अभियान
			126	कमजोर छात्रों के अतिरिक्त शिक्षण के लिए विशेष अभियान
			127	"सामान्य जागरूकता व्यक्तिगत स्वच्छता, व्यवहार प्रथाओं, पोषण शिक्षा, बीसीसी और सरकारी योजनाओं पर जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके), राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएससी), जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) आदि।"
			128	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)
			129	गांव के आसपास पंचायत भूमि में फल व छायादार वृक्ष लगाना।
			130	छात्रों में नेतृत्व और अनुशासन की भावना विकसित करने के लिए क्लास मॉनिटर सिस्टम शुरू किया जाए
			131	वाटर वर्क्स ग्राम बहरीन में टैंक का निर्माण
			132	ग्राम लोक कला उत्सव
			133	स्व-कर्मचारियों एवं लघु उद्योगों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं कार्यशाला की व्यवस्था करना।
			134	आंगनबाड़ी केन्द्रों में बच्चों का नामांकन एवं नियमित उपस्थिति
			135	आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के अनुकूल माहौल सुनिश्चित करना
			136	क्षमता निर्माण एवं एसएचजी का कौशल विकास
			137	स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) के सदस्यों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाए
			138	स्कूल में एनसीसी, एनएसएस और स्काउट्स की इकाइयों की शुरूआत के लिए कार्रवाई की शुरुआत
			139	मनरेगा नियमित दिवस' के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में प्रत्येक योजना का सामाजिक अंकेक्षण
			140	राष्ट्रीय/ऐतिहासिक महत्व के दिनों का आयोजन
			141	आईईसी शौचालयों की मांग पैदा करने और उनके उपयोग को बढ़ावा देने की पहल - युवा समूहों और सामाजिक संचार के तरीकों जैसे नुक्कड़ नाटक, फिल्म शो आदि की भागीदारी के माध्यम से स्वच्छता और स्वच्छता पर व्यक्तिगत और संस्थागत व्यवहार परिवर्तन अभियान शुरू करते हैं।

			142	सभी के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता में सुधार के लिए जागरूकता, जिसमें दैनिक सफाई, स्वच्छता शौचालय का उपयोग, दैनिक स्नान, शौचालय के बाद हाथ धोना और खाने से पहले और साफ कपड़े पहनना, किशोर लड़कियों और महिलाओं की व्यक्तिगत मासिक धर्म स्वच्छता शामिल है।
			143	पशु स्वास्थ्य कार्ड जारी करना
			144	संस्कृत1-, विज्ञान1-, डीपीई1-, रसायन विज्ञान1-, भौतिक विज्ञान1-, वाणिज्य2-, संगीत शिक्षक 1-एवं प्रयोगशाला सहायक 3-तथा माली-2 जैसे रिक्त टीचिंग स्टाफ के पदों का भरा जाना
			145	नल के पानी का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना
			146	(एसकेएस) स्वास्थ्य कल्याण समिति की प्रभावशीलता
	नयाबंस	डॉ अरविंद कुमार शर्मा	147	एसएचजी का क्षमता निर्माण और कौशल विकास
			148	पशु स्वास्थ्य कार्ड जारी करना
			149	प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों का संचालन।एसएमसी एंड यूथ वालंटियर फोरम के माध्यम से अशिक्षित वयस्कों के लिए 'हर एक, एक को पढ़ाओ' विषय पर उनके आसपास के अशिक्षित वयस्कों के लिए शाम की कक्षाएं शुरू कर सकते हैं।
			150	बोर्ड कक्षाओं के छात्रों के लिए कैरियर मार्गदर्शन और परामर्श व्याख्यान का आयोजन
			151	राष्ट्रीय/ऐतिहासिक महत्व के दिनों का आयोजन
			152	उद्यमिता विकास
			153	स्व-कर्मचारियों एवं लघु उद्योगों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं कार्यशाला की व्यवस्था करना।
			154	प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)
			155	नयाबंस से सांपला तक सड़क का निर्माण।
			156	स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) के सदस्यों के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जाए
			157	समय पर बिल जमा करने के साथ बिजली के विवेकपूर्ण उपयोग पर लोगों को कानूनी बिजली कनेक्शन और व्यवहार परिवर्तन संचार (बीसीसी) के लिए प्रेरित करना।
			158	एचबी परीक्षण और पोषण के साथ आईएफए की आपूर्ति

			159	ग्राम स्तर पर शिकायत निवारण प्रकोष्ठ की स्थापना और वार्ड सदस्य प्रत्येक वार्ड के प्रमुख होंगे और समस्या के समाधान के लिए संबंधित विभागों के साथ संपर्क करेंगे
			160	चोरी ऊर्जा की जाँच
			161	ग्राम लोक कला उत्सव
			162	ग्राम खेल उत्सवकार्यक्रम/
			163	"व्यक्तिगत स्वच्छता, व्यवहार धारणा, पोषण शिक्षा, बीसीसी और सरकारी योजनाओं पर सामान्य जाग्रति। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके), राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (आरबीएससी), जननी सुरक्षा योजना (जेएसआई) आदि।"
			164	गरीबों की संस्था का गठन 10 -एसजी.एच.
			165	पंचायती भूमि में बाघवानी का निर्माण
			166	आंगनबाडी में बच्चों का नामांकन एवं नियमित उपस्थिति
			167	माता-पिता को अपने बच्चों को बेलीवाड़ी में नियमित रूप से प्रकट करने के लिए प्रेरित करना और बेलीवाड़ी में बच्चों के अनुकूल माहौल सुनिश्चित करना
			168	छात्रों में नेतृत्व और अनुशासन की भावना विकसित करने के लिए क्लास मॉनिटर सिस्टम शुरू किया जाए
			169	किसानों की मदद के लिए नई तकनीक और आधुनिक खेती के लिए वर्कशॉप उपलब्ध कराना।
			170	समूह बैठकों में भाग लेने और सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रधान पदाधिकारियों का प्रशिक्षण
			171	उद्यमी विकास कार्यक्रम केवल अनुसूचित जाति श्रेणी
			172	आईईसी शौचालयों की मांग पैदा करना और उनके उपयोग को बढ़ावा देना शुरू किया - युवा वैध और सामाजिक संचार के तरीके जैसे नुक्कड़ नाटक, फिल्म शो आदि की भागीदारी के माध्यम से स्वच्छता और स्वच्छता पर व्यक्तिगत और सार्वभौमिक व्यवहार परिवर्तन अभियान शुरू करते हैं।
			173	पानी के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए समुदाय के व्यवहार परिवर्तन (बीसीसी) पर काम करना
			174	"अस्थायी विच्छिन्न आदेश/स्थायी विवेचन आदेश (टीडीसीओ/पीडीसीओ) गलती की हड़पना"

			175	महिला चिकित्सक, स्वास्थ्य निरीक्षक, लविवि एवं चौकीदार के पदस्थापना
			176	शांति और संघर्ष समाधान समिति का गठन किया जाए और उसे क्रियाशील बनाया जाए
			177	जोखिम व्यवहार को कम करने के लिए किशोर स्वास्थ्य, नशीली दवाओं की लत, एकीकृत परामर्श और परीक्षण केंद्र)Ictc) के परामर्शदाताओं का दौरा - शराब, धूम्रपान, मादक द्रव्यों का सेवन आदि।
			178	गांव के आसपास पंचायत भूमि में फल व छायादार वृक्ष लगाना।
			179	कुंडी कनेक्शन को हटाना
			180	महिलाओं/लड़कियों को पोषण शिक्षा
			181	ग्राम सचिवालय में लाइसेंस विभाग के कर्मचारियों का समय निर्धारित किया।
			182	एन0सी0सी0, एन0एस0एस0 एवं अन्य स्काउट्स की इकाइयों को स्कूल में स्ट्रीक्ड करने के लिए पहले दर्ज करें
			183	कमजोर छात्रों के अतिरिक्त शिक्षण के लिए विशेष अभियान
			184	मनरेगा नियमित दिवस' के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में प्रत्येक योजना का सामाजिक अंकेक्षण एवं सा.सं.
			185	"सरकारी हाई स्कूल और गाँव के प्राथमिक विद्यालय में लड़कियों के शौचालय का निर्माण।"
			186	मच्छरों, मच्छरों आदि से बचाव के लिए पूरे गांव को मिलाएं और नुस्खे करें।
			187	गाँव के बुजुर्गों, स्थानीय रोल मॉडल विशेष रूप से महिलाओं, स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को सम्मानित करने के लिए गतिविधियाँ गाँव का जश्न मनाने के साथ लोगों में गर्व की भावना जगाने के लिए
			188	ग्राम नएबांस में नए एस/स्टेशन का निर्माण
			189	लोगों का बीमा और पेंशन आई.ई.जीवन और चिकित्सा आई.ई.पीएमजेबी/पीएमएस बीवाई/एपी
			190	नल के पानी का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना
			191	टंकियों/साफ पानी एवं आसपास के पानी की नियमित सफाई प्रोटोकॉल के अनुसार करें

			192	गर्भावस्था का प्रारंभिक पंजीकरण, जन्मतिथि पूर्व जांच (एएनसी) और लगातार वर्ष प्रमाणपत्र, जन्मपत्र जांच (पीएनसी), टीकाकरण
			193	सभी के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता में सुधार पर जागरूकता, जिसमें दैनिक सफाई, स्वच्छता शौचालय का उपयोग, दैनिक स्नान, शौचालय के बाद हाथ धोना और खाने से पहले और साफ कपड़े पहनना, किशोर लड़कियों और महिलाओं की व्यक्तिगत मासिक धर्म स्वच्छता शामिल है।
			194	स्वास्थ्य कार्ड तैयार करना
			195	सांपला से खरखौदा सड़क का सुधार (विभिन्न हिस्सों में)
			196	गांव में बेहतर सफाई के लिए सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति।
			197	पीडब्ल्यू, जोड़ों और चिपटने के लिए आहार और पोषण संबंधी प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देना
			198	(एसकेएस) स्वास्थ्य कल्याण समिति की विभाजित
			199	प्रेरक व्याख्यान और दैनिक योग, प्राणायाम, प्रार्थना, खेलभावना की भावना को विकसित करने की वजह से पीटीआई / डीपीई द्वारा आयोजित किए जाते हैं।
			200	एनसीआर नाहर से गांव तक प्रियांस सुविधा के लिए पाइप लाइन अन्य एवं बिछाना।
			201	दवाओं का पूर्व प्रेमी स्टॉक सुनिश्चित करना (न्यूनम एक महीने का समय)
			202	वित्तीय समावेशन के लिए अभियान
			203	चापाकल युवाओं के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान
5	संगहेरा	डॉ अरविंद कुमार शर्मा	204	एसएचजी का क्षमता निर्माण और कौशल विकास
			205	आईईसी शौचालयों की मांग पैदा करने और उनके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पहल - युवा वैध और सामाजिक संचार के तरीके जैसे नुक्कड़ नाटक, फिल्म शो आदि की भागीदारी के माध्यम से स्वच्छता और स्वच्छता पर व्यक्तिगत और सार्वजनिक पहल व्यवहार परिवर्तन अभियान।
			206	गरीबों की संस्था का गठन 10 -संघ

			207	सभी के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता में सुधार पर जागरूकता, जिसमें दैनिक दांतों की सफाई, स्वच्छ शौचालय का उपयोग, दैनिक स्नान, शौचालय के बाद हाथ धोना और खाने से पहले और साफ कपड़े पहनना, किशोर लड़कियों और महिलाओं की व्यक्तिगत मासिक धर्म स्वच्छता शामिल है
			208	प्रदर्शन 15-बाजरा, कपास, गेंहू सरसों की उन्नत पाक और पद्धति का फसल प्रदर्शन और बायोडीकंपोजर प्रौद्योगिकी का उपयोग।
			209	गांव में रोजगार मेला
			210	बेरोजगार युवाओं को संगठित करने के लिए आईटीआई द्वारा प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए गए
			211	पशु चिकित्सालय की मरम्मत
			212	ग्राम संगहेड़ा के किसानों को बीज मिनी किट-75 नाग मूंग, उड़े, सरसों के नवीनतम बीज के बीज मिनीकिट नि:लक्षित किए जाएंगे
			213	प्रत्येक एकड़ भूमि से मिट्टी का नमूना संग्रह और सूक्ष्म स्वास्थ्य कार्ड की तैयारी और वितरण।
			214	सामुदायिक स्वास्थ्य परिसर का निर्माण
			215	क्षेत्र की जांच को रोकने के लिए
			216	समय पर बिल सागर करने के साथ बिजली के विवेकपूर्ण उपयोग पर कानूनी बिजली कनेक्शन और व्यवहार परिवर्तन संचार (बीसीसी) के लिए लोगों को प्रेरित करना।
			217	आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के अनुकूल माहौल सुनिश्चित करना
			218	आत्म योजना के तहत दौड़/सामान्य वर्ग के लिए किसान गोष्ठियां एवं कृषक प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा।
			219	कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए कृषि उपकरणों का वितरण
			220	पिलाना मन्नार मोघा की संख्या 7000 AL, 9000 AL, 15000 AL और 16000 AL की नहरों में सिगनल की लचक है
			221	उद्यमिता विकास

			222	किसान प्रशिक्षण शिविर नवीनतम फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी, खरीफ रबी फसलों में उर्वरक के कुशल उपयोग, फसल अवशेषों, प्रबंधन तकनीकों, एमएफएमबी पोर्टल पीएम किसान, पीएमबीएफवाई, और पराली जलाने के दुष्प्रभाव के लिए फसलों के पंजीकरण के लिए त्रैमासिक आयोजन करते हैं।
			223	आत्मा योजना के माध्यम से आजादी का अमृत महोत्सव चलाया जाएगा
			224	ग्रामीणों को ब्रॉडबैंड फाइबर/कनेक्टिविटी से जोड़ना
			225	मच्छरों, मक्खियों आदि से बचाव के लिए पूरे गांव को सैनिटाइज करें और कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करें..
			226	सेवा संबंधित बैंक
			227	प्रेरक व्याख्यान और दैनिक योग, प्राणायाम, प्रार्थना, खेलभावना की भावना को विकसित करने की वजह से पीटीआई / डीपीई द्वारा आयोजित किए जाते हैं।
			228	ग्राम की जनसंख्या के अनुसार 2 और सफाई कर्मचारियों की आवश्यकता
			229	"अस्थायी विच्छिन्न आदेश/स्थायी विच्छिन्न आदेश (टी.डी.सी.ओ./पी.डी.सी.ओ.) चूक राशि की उगाही"
			230	पानी के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए समुदाय के व्यवहार परिवर्तन (बीसीसी) पर काम करना
			231	AWC में बच्चों का नामांकन और नियमित उपस्थिति
			232	सरकारी स्कूल में शौचालय का निर्माण
			233	स्ट्रीट लाइट लगाना, बिजली के तार, मीटर और पोल में फेरबदल करना
			234	सुशासन सप्ताह गांव में मनाया जाएगा
			235	वित्तीय समावेशन
			236	ग्राम खेल उत्सवकार्यक्रम /
			237	जीएसएसएस में आरओ/वाटर कूलर प्रदान किया जाता है
			238	कुंडी कनेक्शन निकालना
			239	महिलाओं/लड़कियों को पोष शिक्षा
			240	माता-पिता को अपने बच्चों को नियमित रूप से बताने के लिए प्रेरित करना
			241	बेरोजगार युवाओं के पंजीकरण हेतु विशेष अभियान

			242	डाकघर की सेवाएं प्रदान करना
			243	पूरे गांव में पानी की पाइप लाइन उपलब्ध कराना
6	कुलटाना	डॉ देवेंद्र पाल वत्स	244	मुख्य जोहड़ में काव घाट का निर्माण
			245	वित्तीय समावेशन
			246	सामुदायिक स्वच्छता परिसर का निर्माण
			247	AWC में बच्चों का नामांकन और नियमित उपस्थिति
			248	समय पर बिल सागर करने के साथ बिजली के विवेकपूर्ण उपयोग पर कानूनी बिजली कनेक्शन और व्यवहार परिवर्तन संचार (बीसीसी) के लिए लोगों को प्रेरित करना।
			249	मच्छरों, मच्छरों आदि से बचाव के लिए पूरे गांव को मिलाएं और नुस्खे करें।
			250	शासकीय विद्यालय में शौचालय का निर्माण
			251	उद्यमिता विकास
			252	पानी के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए समुदाय के व्यवहार परिवर्तन (बीसीसी) पर काम करना
			253	चोरी की ऊर्जा को रोकने के लिए क्षेत्र की जाँच
			254	स्ट्रीट लाइट लगाना, बिजली के तार, मीटर और पोल में फेरबदल करना
			255	माता-पिता को अपने बच्चों को नियमित रूप से स्कूल और बेलीबाडी में देखने के लिए प्रेरित करना
			256	ग्राम कुलताना के किसानों को बीज मिनीकिट-75 नाग मूंग, उड़े, सरसों के नवीनतम बीज के बीज मिनीकिट नि:लक्षित किए जाएंगे
			257	ग्राम सुशासन सप्ताह गांव में मनाया जाएगा
			258	प्रदर्शन 15-बाजरा, कपास, गेंहू सरसों की उन्नत पाक और पद्धति का फसल प्रदर्शन और बायोडीकंपोजर प्रौद्योगिकी का उपयोग।
			259	सिंचाई चैनल दुलेहाड़ा फीडर रकबा इस्माइला नेहर से बरजी नंबर से ग्राम कुलताना 4
			260	आत्मा योजना के माध्यम सेआजादी का अमृत महोत्सव चलाया जाएगा
			261	Mfbyपंजीकरण %50 गांव के -क्षेत्र को Mfmbपर पंजीकृत किया जाता है
			262	प्रत्येक एकड़ भूमि से मिट्टी के नमूने का संग्रह और मृदा स्वास्थ्य कार्ड की तैयारी और वितरण।

			263	आत्म योजना के तहत किसान गोष्ठी और किसान प्रशिक्षण रेसी/सामान्य वर्ग के लिए आयोजित किया जाएगा।
			264	घेरे की संस्था का गठन- 10 स्वयं सहायता समूह
			265	सभी के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता में सुधार के लिए जागरूकता, जिसमें दैनिक दांतों की सफाई, स्वच्छ शौचालय का उपयोग, दैनिक स्नान, शौचालय के बाद हाथ धोना और खाने से पहले और साफ कपड़े पहनना, किशोर लड़कियों और महिलाओं की व्यक्तिगत मासिक धर्म स्वच्छता शामिल है।
			266	आंगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों के अनुकूल माहौल सुनिश्चित करना
			267	पंचायत के फंड को बढ़ाने के लिए एक्वाकल्चर के लिए तीन तालाब विकसित किए गए हैं
			268	बेरोजगार युवाओं को जागरूक करने के लिए आईटीआई द्वारा प्रशिक्षण शिविर आयोजित
			269	सांपला-कुलता सड़क के समान दिखने वाले/झाड़ियों की चराई
			270	रोजगार मेले का आयोजन करना
			271	प्रेरक व्याख्यान और दैनिक योग, प्राणायाम, प्रार्थना, खेलकूद की भावना को विकसित करने की वजह से पीटीआई / डीपीई द्वारा आयोजित किए जाते हैं।
			272	आईईसी शौचालयों की मांग पैदा करने और उनके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए पहल - युवा वैध और सामाजिक संचार के तरीके जैसे नुक्कड़ नाटक, फिल्म शो आदि की भागीदारी के माध्यम से स्वच्छता और स्वच्छता पर व्यक्तिगत और सार्वजनिक पहल व्यवहार परिवर्तन अभियान।
			273	इस गांव में सड़क और रास्ते की मरम्मत
			274	किसान प्रशिक्षण शिविर नवीनतम फसल उत्पादन प्रौद्योगिकी यानी खरीफ रबी फसलों में उर्वरक के कुशल उपयोग, फसल अवशेष, प्रबंधन तकनीकों, Mfmb पोर्टल Pm Kisan, Pmbfy, और पराली जलाने के दुष्प्रभाव के लिए फसलों के पंजीकरण के लिए त्रैमासिक आयोजन करते हैं।
			275	कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा देने के लिए कृषि यंत्रों का वितरण
			276	सेवा संबंधित बैंक
			277	ग्राम की जनसंख्या के अनुसार 2 और सफाई कर्मचारी की आवश्यकता
			278	शमशान घाट का निर्माण।

			279	पूरे गांव में पानी की पाइप लाइन उपलब्ध कराना
			280	दरवाजा पाना में गलियों और चौकों का निर्माण।
			281	गाँव के खेल उत्सव / कार्यक्रम
			282	कुलटाना-इस्माइला रोड के दोनों ओर सड़क की सफाई
			283	एस.एच.जी.एस. की क्षमता निर्माण और कौशल विकास
			284	अस्थायी विच्छेदन आदेश/स्थायी विच्छेदन आदेश (टी.डी.सी.ओ./पी.डी.सी.ओ.) चूक राशि की वसूली
			285	महिलाओं/लड़कियों को पोषण शिक्षा
			286	बेरोजगार युवाओं के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान
			287	ग्रामीणों को ब्रॉडबैंड/फाइबर कनेक्टिविटी से जोड़ना
			288	कुलटाना गांव में बस सेवा
			289	इस गांव में तालाबों की आर/दीवार
Total				**289**

माननीय सांसदो द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद ली गई ग्राम पंचायतों तथा पिछले 8 वर्षो के दौरान पूर्ण किए गए कार्यों जैसा कि मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों एवं जिला परिषदों ने बताया है का विवरण				
जिले का नाम: - सिरसा				
क्रमाक संख्या	**गोद ली गई ग्राम पंचायतों के नाम**	**माननीय मंत्री और सांसदों का नाम**	**क्रमाक संख्या**	**पूर्ण किये गये कार्यों का विवरण**
1	**गुड़िया खेड़ा**	**श्री चरणजीत सिंह रोरी**	1	मृदा स्वास्थ्य कार्ड
			2	पूरक पोषाहार कार्यक्रम गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएं
			3	पूर्व विद्यालय शिक्षा
			4	टीकाकरण- बीसीजी, डीपीटी/पोलियो, खसरा, टी.टी. माताएं
			5	पोषण की स्थिति 0 से 6 वर्ष
			6	स्वास्थ्य जांच
			7	मां और amp; बच्चे के सभी मामलों को सूचित करना
			8	लाडली योजना
			9	किसान प्रशिक्षण शिविर
			10	गेहूं की फसल को लेकर प्रदर्शन

			11	हरी खाद द्वारा ढैंचा की बुआई
			12	ज्वार बीज का प्रदर्शन
			13	रोटावेटर पर सब्सिडी
			14	कपास बीज ड्रिल
			15	भूमिगत पाइप लाइन
			16	किसान गोष्ठी
			17	कृषि के लिए 50 किसानों का एक्सपोजर दौरा। नेतृत्व शिखर सम्मेलन, गुड़गांव
			18	पंचायत घर पर लगा फ्लेक्स बोर्ड
			19	कृषि विभाग के सभी वर्गों का किसान जागरूकता शिविर।
			20	ग्रीष्मकालीन मूंग का प्रदर्शन
			21	सब्सिडी पर ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रे पंप
			22	बायोगैस संयंत्र
			23	आई.ई.सी गतिविधियों के लिए- एनीमिया का पता लगाना, गैर-संचारी रोग, प्रसव पूर्व जांच, टीकाकरण, परिवार कल्याण सेवाएं
			24	स्वास्थ्य शिविर
			25	एफ.एम.डी टीकाकरण
			26	ए.आई. गायों में
			27	ए.आई. भैंसों में
			28	भेड़ चेचक टीकाकरण
			29	महिला किसान जागरूकता शिविर (एससी परिवार)
			30	भेड़ पालन शिविर
			31	मोबाइल डायग्नोस्टिक लैब वैन के जरिए सैंपल कलेक्शन
			32	मिनी किट का वितरण
			33	De- worming
			34	ओ.पी.डी.
			35	10 हेक्टेयर क्षेत्र में संकर सब्जी
			36	300 मधुमक्खी बक्सों और कॉलोनी में मधुमक्खी पालन
			37	1 नंबर अच्छी कृषि पद्धतियों का प्रशिक्षण
			38	प्लास्टिक क्रेट की 500 संख्या
			39	1 प्रशिक्षण की संख्या

			40	मिनिकिट + मशरूम
			41	प्रशिक्षण
			42	औसत आकार 185'x120'x7' - 1 नंबर के एक एस/एस टैंक का निर्माण।
			43	एक नंबर आर.सी.सी ओ.एच.एस.आर 2.00 लाख लीटर क्षमता।
			44	एस.पी.वी होम लाइटिंग सिस्टम की संख्या 50
			45	पौधरोपण के लिए 25000 पिट अर्थ वर्क प्रस्तावित है
			46	आई.एच.एच.एल. का निर्माण - 85
			47	रोज़गार
			48	वाटरशेड प्रबंधन (सोक पिट्स)
			49	जल छाजन
			50	ढकी हुई नालियों वाली आंतरिक बारहमासी सड़कें
			51	परिसर के बाहर मीटर का स्थानांतरण
			52	एल.टी लाइन में कंडक्टर के खिलाफ केबल उपलब्ध कराना
			53	लंबे स्पैन में 7 न0 पोल लगाना/टूटे पोल को बदलना
			54	एल.डी में सभी 43 नंबर टी/एफ का रखरखाव। प्रणाली
			55	एल.टी लाइन में स्पेसर उपलब्ध कराना
			56	केबल/कंडक्टर की री-सैगिंग
			57	सभी 11 के.वी जी.ओ स्विच का रखरखाव
			58	गैर-विद्‌युतीकृत घरों का कनेक्शन
			59	मैकेनिकल/ब्रंट/खराब मीटरों को बदलना
			60	पृथ्वी दिवस का उत्सव
			61	शैक्षिक भ्रमण
			62	रेड क्रॉस दिवस
			63	आपदा प्रबंधन के तहत मॉक ड्रिल
			64	सी.आर.पी (कक्षा तत्परता कार्यक्रम)
			65	पूरक पोषाहार कार्यक्रम 6 माह से 6 वर्ष (401)
			66	माधोसिंघाना से गुड़िया खेड़ा तक सड़क की विशेष मरम्मत
			67	गुड़िया खेड़ा से बकेरियांवाली तक सड़क की विशेष मरम्मत

			68	गांव में क्रय केंद्र का विकास
			69	कब्रिस्तान में नागरिक बुनियादी ढांचा
			70	जी.पी.एस में 1 सी.डब्ल्यू.एस.एन शौचालय
			71	डाटा प्रोसेसिंग मिल्क कलेक्शन यूनिट
			72	मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना
			73	लैंड लेसर लेवलिंग (40 एकड़)
			74	धातु के डिब्बे की आपूर्ति (114)
			75	सभी वितरण टी / एफ का भार संतुलन
			76	2 बालिका शौचालय जी.एस.एस.एस
			77	1 नंबर अच्छा प्रशिक्षण
			78	डब्ल्यू/डब्ल्यू संरचनाओं का नवीनीकरण और मरम्मत
			79	वाशिंग प्लेटफॉर्म का निर्माण
			80	मशीनरी कच्चा पानी 5.00 बी.एच.पी - 2 न0 और साफ पानी 20.00 बी.एच.पी
			81	डी.आई. पाइप लाइन - 4" आई/डी प्रदान करना
			82	सी.आई. का पी एंड एफ विशेष, सी.सी.रोड और पथ का निर्माण, डब्ल्यू/डब्ल्यू, गड्ढों की ड्रेसिंग, लॉन की टर्फिंग, प्रकाश व्यवस्था और सामग्री की ढुलाई
			83	सबमर्सिबल पंप
			84	गुड़िया खेड़ा से बरुवाली रोड तक पैचवर्क किया जा रहा है
			85	बरम पर मिट्टी का काम
			86	मौजूदा पुलियों पर पैरापेट क्षतिग्रस्त हैं
			87	गड्ढों को सोखें
			88	सड़क का फर्नीचर स्थापित किया जाना है (जैसे स्कूल साइन बोर्ड, ग्राम संकेत बोर्ड
			89	डेयरी सहकारी समितियों के लिए स्वचालित दूध संग्रह इकाई(2)
			90	एन.डी.डी.बी के राशन संतुलन कार्यक्रम को शामिल करना
			91	नागरिक सेवा केन्द्र की स्थापना एवं संचालन
			92	14" आई/डी आर.सी.सी पाइप बिछाना
2	**लाम्बी**		93	14" आई/डी आर.सी.सी पाइप बिछाना
			94	तीन दिवसीय खेल प्रशिक्षण शिविर

			95	3 हेक्टेयर पंचायत भूमि में वृक्षारोपण
			96	गांव में 100 पौधे रोपे
			97	लांबी से मटदादू रोड पर सड़क के किनारे वृक्षारोपण (1250 पौधे)
			98	लांबी से मटदादू रोड पर सड़क किनारे पौधरोपण
			99	लांबी से गिदेरखेड़ा रोड पर सड़क किनारे पौधरोपण
			100	लांबी से गिदेरखेड़ा तक सड़क के किनारे वृक्षारोपण
			101	लांबी से गोरीवाला रोड के दोनों ओर पौधरोपण
			102	लांबी से गोरीवाला रोड के दोनों ओर पौधरोपण
			103	पक्षियों के लिए दाना थाली का निर्माण
			104	पेंशन
			105	ग्रामीणों को ऋण
			106	लघु उद्योगों के बारे में जागरूकता शिविर
			107	सोसायटी का पंजीकरण
			108	गांव के 300 लोगों को साक्षर करें
			109	प्रदर्शन (1 एकड़ कपास)
			110	मिनीकिट (तिलहन 32 नं.)
			111	मिनिकिट (टिल मिनिकिट 1 एकड़)
			112	औजार (ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर)
			113	जवार डी प्लॉट (3 एकड़)
			114	ढैंचा बीज (लाभार्थी की संख्या 21)
			115	5 एकड़ कपास में प्रदर्शन
			116	मूंग मिनीकिट की 10 संख्या
			117	हैंड स्प्रेयर पंप की 5 संख्या
			118	ट्रैक्टर पर लगे स्प्रेयर की 5 संख्या
			119	बायोगैस संयंत्र (एक)
			120	जागरूकता शिविर और किसान प्रशिक्षण
			121	एफ.एम.डी टीकाकरण
			122	एच.एस.वी टीकाकरण
			123	भेड़ चेचक टीकाकरण
			124	पी.पी.आर टीकाकरण

			125	ई.टी.वी टीकाकरण
			126	ए.आई. गायों में
			127	ए.आई. भैंसों में
			128	आई.एम.डी.पी
			129	आई.एम.डी.पी
			130	हरियाणा व साहीवाल गाय दुहने के लिए संरक्षण योजना
			131	पशुधन बीमा
			132	पशुधन इकाई (एस.सी.एस.पी) की स्थापना
			133	मिनीसीड किट
			134	ओ.पी.डी
			135	कृमिनाशक
			136	पशु स्वास्थ्य शिविर
			137	शमशान घाट में शेड का निर्माण
			138	आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण
			139	चरण सिंह के मकान से बलराम के मकान तक आई.पी.बी का निर्माण।
			140	ढाणी तक पाइपलाइन
			141	फिरनी (आई.पी.बी) का निर्माण।
			142	6 एकड हाइब्रिड वेजिटेबल टमाटर की खेती
			143	सोलर होम लाइटिंग सिस्टम (मनोहर ज्योति) के साथ एस.पी.वी मॉड्यूल, बैटरी, सीलिंग फैन, ट्यूबलाइट और बल्ब का वितरण।
			144	सिंगल बैटरी और डबल बैटरी सिस्टम के लिए इन्वर्टर चार्जिंग सिस्टम का वितरण
			145	मिनी सोलर होम लाइटिंग सिस्टम का वितरण जिसमें एस.पी.वी मॉड्यूल, एसएमएफ बैटरी, दो एल.ई.डी बल्ब शामिल हैं
			146	अक्षय ऊर्जा और ऊर्जा दक्षता उपकरणों के उपयोग के लिए गांव में जागरूकता और प्रेरणा शिविर
			147	5 स्पैन एच.टी लाइन
			148	1 संख्या 100 के.वी.ए टी/एफ
			149	ए.बी केबल के साथ 2 स्पैन एल.टी लाइन

3	**भवदीन**	**श्रीमती सुनीता दुग्गल**	150	50 नंबर खराब मीटर बदले गए
			151	एल.डी सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूशन टी/एफ का एम.टी.सी
			152	टाइटलड पोल एल.टी और एच.टी सिस्टम का प्रतिस्थापन
			153	एलटी/एचटी लाइन में एल.डी सिस्टम में जी.एस.एल
			154	केबल और ए.सी.एस.आर के ढीलेपन को कसना
			155	आर.सी.सी पाइप चैनल 400 मि.मी-214 मीटर
			156	S/s टैंक माध्य आकार 107'x107'x12'-1No.
			157	आर.सी.सी उच्च स्तरीय टैंक का आकार 24'x16'x8'-
			158	आर.सी.सी फ़िल्टर बेड के आकार 34'x23'x8'-2
			159	आरसीसी साफ पानी की टंकी का आकार 15'x10'x8'-1
			160	सीमा दीवार 836 आर.एफ.टी
			161	पाइप लाइन हेड वर्क्स में
			162	वितरण प्रणाली
			163	सी.सी सड़क एवं पथ का निर्माण
			164	पेंटिंग डिस्टेंपरिंग स्नोसम आदि
			165	मौजूदा जल कार्य संरचनाओं की मरम्मत
			166	वाटर वर्क्स में विशेष पम्पिंग मशीनरी और सी.आई. की जांच और स्थापना
			167	आर.सी.सी क्लियर वाटर टैंक आकार - 24'x16'x8'
			168	पंप चैंबर का छोटा आकार 10'x12'x-2 संख्या
			169	सीमा दीवार - 400 आर.एफ.टी
			170	आयरन गेट- 1 नं0
			171	सी.सी. सड़क और पथ और एप्रन का निर्माण
			172	राइजिंग मेन
			173	पेंटिंग सिस्टेम्परिंग स्नोसेम आदि
			174	बूस्टिंग स्टेशन पर पम्पिंग मशीनरी और सी.आई स्पेशल की प्रावधान और स्थापना ।
			175	बी.सी.जी (3) डी.पी.टी/पोलियो (12) खसरा (4) का टीकाकरण
			176	गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएं (140) 0-6 वर्ष के बच्चे (194) का स्वास्थ्य जांच

			177	माँ और बच्चों के सभी मामले देखना
			178	आपकी बेटी हमारी बेटी योजना
			179	पीएम.एम.वी.वाई योजना
			180	एस.डब्ल्यू.एम परियोजना (20 बायोगैस संयंत्र)
			181	भौदीन से ढाणी रामपुरा तक सड़क की चौडाई एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।
			182	सभी पात्र जनसंख्या का COVID 19 के लिए टीकाकरण
			183	COVID-19 के लिए परीक्षण
			184	गैर-संचारी रोगों के लिए स्क्रीनिंग
			185	मलेरिया/डेंगू के लिए सर्वेक्षण
			186	पी.सी.सी.एच जागरूकता अभियान
			187	सी.आर.एम जागरूकता अभियान
			188	एम.पी.एम.वी जागरूकता अभियान
			189	एम.एफ.एम.बी जागरूकता अभियान
			190	जल शक्ति अभियान जागरूकता अभियान
			191	डेंचिया बीज वितरण
			192	किसान प्रशिक्षण शिविर
			193	जी.एस.एस स्कूल मे रूफ रेन वाटर रिचार्ज इंजेक्शन वेल
			194	किसान से प्राप्त आवेदन एवं मांग पर वृक्षारोपण (25 एकड़)
			195	भेड़ चेचक का टीका
			196	पी.पी.आर वैक्सीन
			197	स्वाइन बुखार
			198	ई.टी.वी
			199	भैंसों में ए.आई शुरू करना और इसे शेष वर्ष मे जारी रखना
			200	गायों में ए.आई शुरू करना और इसे शेष वर्ष मे जारी रखना
			201	आई.एम.डी.पी
			202	ओ.पी.डी
			203	कृमिनाशक
			204	पशु स्वास्थ्य शिविर

			205	रंगोई नाला एल/आर (2Ha.) आर.डी.एफ
			206	सरकारी अस्पताल, अनाज मंडी और शमशान घाट (1 हेक्टेयर) वी.डब्ल्यू.एल टी.पी
			207	भवदीन प्रा. भूमि एफ.एफ क्लोन
			208	भूदीन बरुवाली रोड से संगर सरिस्ता तक सड़क के जंगल की सफाई और बरम की मरम्मत
			209	भौदीन से संघ पंजाब सीमा तक सड़क के जंगल की सफाई और बर्म की मरम्मत (आई.डी-2081)
			210	शमशान घाट से भौदीन तक सड़क के जंगल की सफाई और बरम की मरम्मत (आईडी-2089)
			211	सिरसा मेजर उप आरडी 107000 से 126000 की मरम्मत और रखरखाव।
			212	पुराने कसन खेड़ा मिस्टर आर.डी 0 से 2750 तक मरम्मत एवं रख-रखाव
			213	वाटर चैनल मोगा संख्या 3960 की मरम्मत एवं रखरखाव
			214	पी.एच.सी की मरम्मत और रखरखाव
4	**संगसरिस्टा**	**श्रीमती सुनीता दुग्गल**	215	बरूवाली रोड पर तालाब का गहरीकरण
			216	एलडी सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूशन टी/एफएस (10 एमएल/फीमेल कॉन्स्ट.30 पीजी क्लैम्प, 10 पोस्ट इंसुलेटर और 1 फ्यूज बोर्ड का रिप्लेसमेंट) रखरखाव
			217	एलडी सिस्टम में टूटे/क्षति शीर्षक पोल एलटी और एचटी का प्रतिनिधि (6 संख्या पोल)
			218	Pdg.LD सिस्टम में नया पोल (6 नंबर पोल)
			219	केबल और एसीएसआर (श्रम कार्य) के ढीले ढीलेपन को कसना
			220	बीसीजी डीपीटी/पोलियो खसरा टीकाकरण
			221	गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं 0-6 वर्ष के बच्चे का स्वास्थ्य जांच
			222	सभी मामलों में मां और बच्चे को देखना
			223	आपकी बेटी हमारी बेटी योजना
			224	पी.एम.एम.वी.वाई योजना
			225	भवदीन से ढाणी रामपुरा तक सड़क का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण
			226	सभी पात्र आबादी का COVID-19 के लिए टीकाकरण

			227	विभागीय संसाधनों के भीतर COVID-19 परीक्षण
			228	गैर-संचारी रोगों के लिए स्क्रीनिंग
			229	मलेरिया/डेंगू के लिए सर्वेक्षण
			230	पी.सी.सी.एच जागरूकता अभियान
			231	एम.पी.एम.वी जागरूकता अभियान
			232	एम.एफ.एम.बी जागरूकता अभियान
			233	जल शक्ति जागरूकता अभियान
			234	नया पौधारोपण (10 एकड़) आवेदन एवं किसान से प्राप्त मांग
			235	पी.पी.आर वैक्सीन
			236	भेड़ चेचक का टीका
			237	स्वाइन फीवर
			238	ई.टी.वी
			239	भैंसों में ए.आई शुरू करना और इसे शेष वर्ष मे जारी रखना
			240	गायों में ए.आई शुरू करना और इसे शेष वर्ष मे जारी रखना
			241	आई.एम.डी. पी
			242	ओ.पी.डी
			243	कृमिनाशक
			244	पशु स्वास्थ्य शिविर
			245	वाटर वर्क्स एंड स्टेडियम संगर साध (0.5 हेक्टेयर) वी.डब्ल्यू.एल टी.पी
			246	संगर संधा प्रा. भूमि (2ha.) FF क्लोन
5	**जीवन नगर**		247	33 केवी पावर हाउस के माध्यम से डबवाली-जीवन नगर रोड से केहरवाला तक सड़क की मरम्मत
			248	इंडोर हॉल
			249	गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताएं (72) माह से 6 वर्ष (401) पूरक पोषण कार्यक्रम
			250	गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं (140) -6 वर्ष के बच्चे (194) की स्वास्थ्य जांच
			251	मां और बच्चे के सभी मामलों को देखना
			252	आपकी बेटी हमारी बेटी योजना
			253	पी.एम.एम.वी.वाई योजना

				254	सभी पात्र आबादी का COVID-19 के लिए टीकाकरण
				255	COVID-19 के लिए परीक्षण
				256	गैर संचारी रोगों के लिए स्क्रीनिंग
				257	मलेरिया/डेंगू के लिए सर्वेक्षण
				258	चिचल माइनर का अनुरक्षण
				259	एन.जी.सी माइनर का रखरखाव
				260	रोजगार दिवस मेला
				261	नर्सरी तैयार करना
				262	एम.पी.एम.वी जागरूकता अभियान
				263	सी.आर.एम जागरूकता अभियान
				264	एम.एफ.एम.बी जागरूकता अभियान
				265	जल शक्ति जागरूकता अभियान
				266	ढाचा बीज वितरण सी.डी.पी
				267	एस.एच.सी किसान प्रशिक्षण शिविर
				268	हाईब्रिड सब्जी (50 एकड़) आवेदन एवं किसान से प्राप्त मांग
				269	भेड़ चेचक का टीका
				270	पी.पी.आर वैक्सीन
				271	स्वाइन फीवर
				272	ई.टी.वी
				273	भैंसों में ए.आई. शुरू करना और साल के बाकी दिनों में इसे जारी रखना
				274	गायों में ए.आई शुरू करने के लिए और इस शेष वर्ष को जारी रखें
				275	आई.एम.डी.पी
				276	ओ.पी.डी
				277	कृमिनाशक
				278	पशु स्वास्थ्य शिविर
				279	जीवन नगर से मस्तमगढ़ रोड किमी 0 से 7 ली/आर (2Ha.) आर.डी.एफ
				280	ग्राम जीवन नगर प्रा. भूमि (4 हेक्टेयर) एफ.एफ क्लोन
				281	जगतार सिंह के मकान से सेवा सिंह के मकान तक आई.पी.बी स्ट्रीट

			282	सोलर स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए
Total				**282**

माननीय सांसदो द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद ली गई ग्राम पंचायतों तथा पिछले 8 वर्षो के दौरान पूर्ण किए गए कार्यों जैसा कि मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों एवं जिला परिषदों ने बताया है का विवरण

जिले का नाम: - सोनीपत

	गोद ली गई ग्राम पंचायतों के नाम	माननीय मंत्री और सांसदों का नाम	क्र0 सं0	पूर्ण किये गये कार्यों का विवरण
1	**दतौली**	**श्री रमेश चंद्र कौशिक**	1	मोबाइल नेटवर्क का 2जी से 3जी/4जी (बी.एस.एन.एल) में उन्नयन
			2	ट्री गार्ड का प्रावधान (वन विभाग)
			3	नाला और रिचार्जिंग खैर का निर्माण।
			4	सामान्य सेवा केंद्र (डी.आई.टी द्वारा, सोनीपत)
			5	स्पोर्ट्स स्टेडियम का निर्माण (एक्स.ई.एन पी.आर)
			6	चिकित्सकों की पदस्थापना (स्वास्थ्य विभाग द्वारा)
			7	शौचालय सहित आंगनबाडी केन्द्रों का निर्माण 5 नं0
			8	बागवानी विभाग द्वारा समय-समय पर जागरूकता शिविर
			9	800 मीटर एच.टी लाइन, 1500 मीटर एलटी लाइन, 705 किमी एच.टी लाइन एसीएसआर को 8 एस.डब्ल्यू.जी से 3 एस.डब्ल्यू.जी तक बढ़ाया जाना है
			10	14 संख्या जी.ओ. स्विच स्थापित या प्रतिस्थापित किए जाने हैं
			11	20 नंबर अतिरिक्त 9 मीटर के पीसीसी पोल का लंबे समय तक खड़ा होना
			12	पार्क का विकास (डी.आर.डी.ए द्वारा)
			13	Ggss स्कूल भवन और amp का नवीनीकरण; शौचालयों का निर्माण
			14	सब्जी मिनी किट (बागवानी विभाग)
			15	जानवरों की कृमिनाशक (ए.एच.डी)
			16	खनिज मिश्रण पूरकता (ए.एच.डी)
			17	वृक्षारोपण (वन विभाग)
			18	नए वृक्षारोपण
			19	किसानों का प्रशिक्षण

			20	एनएच-1 से बेगा तक दतौली के रास्ते सड़क का पुनर्निर्माण (पी.डब्ल्यू.डी बी एंड आर डिवीजन द्वारा II)
			21	खेरी-तेगा से दतौली (एच.एस.एम.ए.बी) तक लिंक रोड (2.88 किलोमीटर) का उन्नयन
			22	दतौली से पट्टीब्रह्मण तक लिंक रोड का उन्नयन लंबाई (2.46 किलोमीटर) (एच.एस.एम.ए.बी)
			23	शाहपुर तगा से दतौली तक लिंक रोड का उन्नयन (1-92 किमी) (एच.एस.एम.ए.बी)
			24	समय-समय पर जागरूकता शिविर
			25	वित्तीय समावेशन (एस.एच.जी.बी)
			26	आर.ओ वाटर प्लांट पीने का पानी – पी.पी.पी मोड पर
			27	जी.जी.एस.एस.एस की बाउंड्री वॉल का निर्माण।
			28	पुराने एस.एच.जी व ए.एम.पी का सुदृढ़ीकरण और नए एस.एच.जी का निर्माण
			29	लाड़ली योजना (पी.ओ, डब्ल्यू.सी.डी और बैंक द्वारा)
			30	मशरूम ट्रे
			31	मधुमक्खी पालन (बागवानी विभाग द्वारा)
			32	संसाधन संरक्षण के लिए लेजर लेवेलर के माध्यम से भूमि का समतलीकरण (700 एकड़)
			33	भूमिगत पाइपलाइन (यूजीपीएल)
			34	मृदा स्वास्थ्य कार्ड
			35	3 संख्या अतिरिक्त 100 के.वी.ए क्षमता वितरण टी/एफ, 1 नंबर अतिरिक्त 63 के.वी.ए क्षमता वितरण टी/एफ, 3 नंबर के.वी.ए क्षमता वितरण टी/एफ को 100 के.वी.ए टी/एफ के साथ बढ़ाया जाना है
			36	प्रदान करना (बच्चों के लिए फर्नीचर, खिलौने और झूले आदि) सभी 8 आंगनवाड़ी केंद्र I.E. (पीओ, आईसीडीएस द्वारा)
			37	सार्वजनिक वितरण (पीडीएस) प्रणाली को मजबूत बनाना
			38	स्ट्रीट्स एंड ड्रेनेज (एक्सईएन, पीआर) का निर्माण।
			39	एम.जी.बी कॉलोनी का विकास (एक्सईएन पीआर)
			40	बागवानी उपकरणों का मशीनीकरण
			41	वर्मी कम्पोस्ट यूनिट
			42	कृषि/संबद्ध वित्त पोषण (के.सी.सी बाय एस.एच.जी.बी)
			43	सार्वजनिक पुस्तकालय (डी.ई.ओ, सोनीपत द्वारा)
			44	कौशल विकास केंद्र (पी.एन.बी लीड बैंक द्वारा)
			45	कुश्ती चटाई उपलब्ध कराना (खेल विभाग द्वारा)

			46	पेयजल के लिए शेष पाईप लाईन बिछाना (Phed)
			47	व्यक्तिगत जल कनेक्शन प्रदान करना (पी.एच.ई.डी)
			48	दुधारू पशुओं का बीमा - 883 न0 (ए.एच.डी)
			49	डेयरी इकाइयों का विकास (I) 3Ma (रु. 1.5 लाख प्रत्येक) (Ii) 5 (रु. 2.5 लाख प्रत्येक) (Iii) हाई टेक (रु. 10.00 लाख प्रत्येक) (ए.एच.डी)
			50	आई. एच. एच. एल शौचालयों का निर्माण- 446 संख्या (डीआरडीए)
			51	स्कूल में वर्षा जल संचयन संरचना
			52	राजीव गांधी सेवा केंद्र (आर.जी.एस.के) का निर्माण
			53	अतिरिक्त कमरों, पुस्तकालय, प्रयोगशाला और amp; जी.जी.एस.एस.एस दतौली में कंप्यूटर लैब का निर्माण।
			54	स्कूल ग्राउंड में मिट्टी भराई (ग्रामीण विकास विभाग)
			55	महिला चौपाल का निर्माण
2	**एटर्ना**	**श्री रमेश चंद्र कौशिक**	56	सी.सी. शमशान घाट में फर्श
			57	आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण 2 नंबर
			58	सड़क किनारे (5 एकड़ लम्बाई) सहित ढके हुए नाले का निर्माण
			59	आर.ओ. पीने के पानी के लिए जल संयंत्र
			60	श्री रणबीर के मकान से श्री सूरजभान के क्षेत्र तक रास्ता का निर्माण।
			61	स्ट्रीट लाइट (एल.ई.डी) की स्थापना स्टैंड अलोन
			62	कॉमन सर्विस सेंटर (C.S.C) का उद्घाटन
			63	स्कूल के कमरों का निर्माण 3 नं.
			64	सौर संयंत्र की स्थापना (5 के.वी.)
			65	एस.सी. चौपाल का निर्माण
			66	स्कूल के कमरों का नवीनीकरण 3 नं.
			67	कुण्ड वाला तालाब के चारों ओर वृक्षारोपण एवं ट्री गार्ड उपलब्ध कराना एवं लगाना
			68	पटला रोड पर पुलिया का निर्माण
			69	मुख्य रास्ते से श्री ऋषि के खेत तक किनारे पर ईंटों के रास्ते का निर्माण (400'X16')
			70	पीडब्ल्यूडी रोड साइड के साथ नाला को ढंकना (20 एकड़ लंबाई)

			71	गलियों एवं नालियों का निर्माण
			72	ग्राम सचिवालयम का निर्माण
3	**नाहरी**	**श्री रमेश चंद्र कौशिक**	73	गोरे वाला बहुउद्देशीय हॉल का कार्य पूर्ण
			74	वाईफाई कनेक्शन की स्थापना
			75	ज्ञान केंद्र में लंबित कार्य को पूरा करना
4	**पिनाना**		76	भर्तू पुत्र बीरे के घर से तालाब तक नाला का निर्माण
			77	सोनीपत से पिनाना होते हुए खानपुर तक बस सेवा की सुविधा
5	**जुआन - 1**		78	गांव की पेयजल आपूर्ति पाइप लाइन की मरम्मत
			79	बाबा वाला तालाब से ट्रांसफार्मर हटाना
Total				**79**

माननीय सांसदो द्वारा सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत गोद ली गई ग्राम पंचायतों तथा पिछले 8 वर्षो के दौरान पूर्ण किए गए कार्यों जैसा कि मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों एवं जिला परिषदों ने बताया है का विवरण

जिले का नाम: - यमुनानगर

	गोद ली गई ग्राम पंचायतों के नाम	माननीय मंत्री और सांसदों का नाम	क्रमांक	पूर्ण किये गये कार्यों का विवरण
1	**खदरी**	**श्री रतन लाल कटारिया**	1	सोलर डोमेस्टिक और स्ट्रीट लाइट के लिए प्रावधान
			2	टापू माजरी गांव में 11 के.वी लाइन को शिफ्ट करना
			3	बाल्मीकि बस्ती में ट्रांसफार्मर की व्यवस्था
			4	विद्यालय में रसायन विज्ञान के व्याख्याता पद पर चिकित्सा संकाय हेतु पदस्थापन का प्रावधान।
			5	स्वच्छ भारत मिशन के तहत डस्टबिन/स्वच्छता सुधार/लीच पिट्स आदि और ठोस तरल अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना के लिए प्रावधान।
			6	जी.वी.डी खदरी में एक पूर्णकालिक वी.एल.डी.ए की पोस्टिंग
			7	ड्राइविंग लाइसेंस और जोखिम भरे व्यवहार- मद्यपान, धूम्रपान, मादक द्रव्यों के सेवन आदि को कम करना के लिए शिविरों का आयोजन ।

			8	एक पार्क का निर्माण (क्षेत्रफल एक एकड़)
			9	ग्राम खदरी में कब्रिस्तान (भाग-2) में मिट्टी भराई (लंबाई-220 फीट, चौड़ाई-200 फीट)
			10	पात्र बी.पी.एल परिवारों को ग्राम पंचायत खदरी में पक्के मकानों का निर्माण
			11	ग्राम पंचायत 1 खदरी से ब्राह्मण माजरा की लंबाई 2275 फीट, चौड़ाई 16 फीट के सभी माजरियों/गांवों में पक्की सड़कों की कनेक्टिविटी
			12	ग्राम ब्राह्मण माजरा में रिटेनिंग वॉल या फेंसिंग के साथ मौजूदा तालाब का विकास - लंबाई 530 फीट
			13	विभिन्न ट्रेडों में ग्रामीण युवाओं को कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करना
			14	ग्राम खदरी में एक कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना
			15	खदरी के निकट मुख्य मार्ग पर साइनबोर्ड का प्रावधान
			16	जी.पी खदरी में बी.पी.एल का पुन: सर्वेक्षण
			17	उन सभी पात्र परिवारों को वृक्षारोपण का प्रावधान जिनके घरों में वृक्षारोपण के लिए स्थान है, मुख्य सड़क से जी.पी, खदरी तक फिरनी और सड़क के दोनों ओर वृक्षारोपण
			18	ए.टी.एम की स्थापना और वाणिज्यिक बैंक की एक शाखा खोलना
			19	प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएम.जे.डी.वाई) के तहत जीपी खदरी में सभी पात्र परिवारों को बैंक खाते खोलने का प्रावधान
			20	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (दुर्घटनावश मृत्यु और विकलांगता के लिए) के तहत सभी पात्र परिवारों के लिए कवरेज का प्रावधान
			21	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (जीवन बीमा के लिए) के तहत सभी पात्र परिवारों के लिए कवरेज का प्रावधान
			22	अटल पेंशन योजना (पेंशन के लिए) के तहत सभी पात्र परिवारों के लिए कवरेज का प्रावधान
			23	सभी पात्र परिवारों को आधार नामांकन का प्रावधान
			24	पी.सी.सी पोल्स के साथ लोहे के खंभों को हटाना (14 न0)

			25	ग्राम रामबंस में विद्युत केबल पुनः लगाने का प्रावधान
			26	ग्राम रामबंस में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था।
			27	नलकूप (रामबंस) हेतु विद्युत संयोजन प्रावधान
			28	अनुसूचित जाति (हरिजन बस्ती) के ग्राम खदरी में सामुदायिक केन्द्र निर्माण हेतु प्रावधान
			29	ग्राम खदरी में ग्राम सचिवालय/राजीव गांधी सेवा केन्द्र की व्यवस्था
			30	ग्राम खदरी, ब्राह्मण माजरा, टापू माजरी से शमशांघाट तक पक्के रास्ते का निर्माण
			31	मस्जिद से हरिजन बस्ती तक रास्ता/फिरनी का निर्माण
			32	ग्राम खदरी में सामुदायिक भवन/केन्द्र का प्रावधान।
			33	ग्राम ब्राह्मण माजरा में फिरनी, नाला, सिंचाई चैनल का पुर्ननिर्माण टेल तक किया जाएगा
			34	पेयजल हेतु डीप हैण्डपम्प लगाने का प्रावधान
			35	ग्राम खदरी के पास बीकेडी सड़क की मरम्मत का प्रावधान
			36	जी.पी खदरी में वाई-फाई, ब्रॉडबैंड और टेलीकॉम कनेक्टिविटी के लिए प्रावधान।
			37	पशुधन, बागवानी और जैविक खेती सहित विविध कृषि आजीविका प्रदान करने का प्रावधान।
			38	डिस्पेंसरी का प्रावधान
			39	प्राथमिक विद्यालय, रामबन में सरकार द्वारा शिक्षकों की पोस्टिंग के लिए प्रावधान। ।
			40	सामाजिक विकास/सामुदायिक सेवा कार्य।
			41	ग्राम रामबंस एवं अन्य माजरियों में घरेलू विद्युत आपूर्ति हेतु प्रावधान
			42	खदरी स्कूल के पास स्पीड ब्रेकर और सिग्नल के लिए प्रावधान।
			43	लगभग 300 परिवारों को शामिल करके 25 महिला स्वयं सहायता समूहों (एस.एच.जी) का गठन, आय सृजन गतिविधियों को शुरू करने के लिए उनकी निर्माण क्षमता
			44	306 व्यक्तिगत शौचालयों (आई.एच.एच.एल) का निर्माण

			45	एक सामुदायिक स्वच्छता परिसर (सी.एस.सी) का निर्माण
			46	एक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना (कचरे से कमाई शेड) का निर्माण
			47	एक तरल अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना (LWMP) का निर्माण
			48	वृद्धावस्था सम्मान भत्ता/विधवा पेंशन/विकलांग पेंशन/निराश्रित बच्चों को वित्तीय सहायता/लाडली पेंशन योजना/मानसिक रूप से मंद बच्चों को वित्तीय सहायता (0-18)/पी.एम.जी.जे.वाई
			49	अनुसूचित जाति के बेरोजगार युवाओं/लाभार्थियों के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम
			50	पक्की रोड की कनेक्टिविटी 1. चाको माजरी से ब्राहमण माजरा, 2. रामबन से ब्राहमण माजरा, 3. दादूपुर रोड से ब्राहमण माजरा
Total				**50**

अनुबंध- ख

माननीय सांसद द्वारा वर्ष 2023-24 में गोद ली गई 10 ग्राम पंचायतों का विवरण:-

क्र0 स0	**जिले का नाम**	**ग्राम पंचायत का नाम**	**माननीय सांसदों के नाम**
1	भिवानी	साई	श्री बिजेंद्र सिंह
2	चरखी दादरी	बेरला	श्री धर्मबीर सिंह
3	फतेहाबाद	दर्यापुर	श्रीमती सुनीता दुग्गल
4	मेवात	एल्डुका	राव इंद्रजीत सिंह
5	पलवल	मानपुर	श्री कृष्ण पाल गुर्जर
6	रोहतक	कुलटाना	डॉ. डी.पी. वैट्स
7	रेवाड़ी	झरोड़ा	डॉ अरविंद कुमार शर्मा
8	सोनीपत	जौन-1	श्री राम चंद जांगड़ा
9	यमुनानगर	लहरपुर	श्री रतन लाल कटारिया
10		गुमथला	

अनुबंध- ग

ग्रामीण विकास विभाग, हरियाणा, चंडीगढ़					
माननीय मुख्य मंत्री और मंत्रियों द्वारा गोद लिए गए गांवों का विवरण और विधायक आदर्श ग्राम योजना के तहत पूर्ण किए गए कार्य जैसा कि सीईओ, डीआरडीए और जिला पंचायतों द्वारा बताया गया है					
जिले का नाम: अंबाला					
	माननीय मुख्यमंत्री और मंत्रियों के नाम	**निर्वाचन क्षेत्र का नाम**	**गोद लिए ग्राम का नाम**	**क्रमांक**	**पूर्ण किये गये कार्यों का विवरण**
1	श्री अनिल विज	अंबाला कैंट	पंजोखरा	1	सामुदायिक केंद्र के पास एससी चौपाल का नवीकरण
				2	पुराने पशु औषधालय के समीप आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण
				3	मलका पट्टी चौपाल का नवीकरण
				4	बीसी चौपाल का नवीकरण
				5	सैदा चौपाल का नवीकरण
				6	ब्राह्मण चौपाल का नवीकरण
				7	जनरल श्मशान घाट के बी/दीवार को ऊंचा करना
				8	बैठक कक्ष का निर्माण एवं ग्राम सचिवालय भवन का नवीकरण
2	श्री नायब सिंह सैनी	नारायणगढ़	हुसैनी	9	कबीरस्तान की बी/दीवार का निर्माण
				10	फकीर चंद के मकान से जसबीर के मकान तक सीसी स्ट्रीट व नाली का निर्माण
				11	रघुबीर के घर से फिरनी और फिरनी से लछमन तक सीसी गली व नाली का निर्माण
				12	सुखविंदर के मकान से धर्मपाल तक सीसी स्ट्रीट व नाली का निर्माण
				13	बाजीगर बस्ती से गुरदेव के घर तक सीसी गली व नाली का निर्माण
				14	हरिजन चौपाल का निर्माण
				15	बहुउद्देश्यीय हॉल का निर्माण
				16	बीसी चौपाल का निर्माण
				17	फिरनी का निर्माण
जिले का नाम: फरीदाबाद					
3	श्री विपुल गोयल	पृथला	पन्हेरा खुर्द	1	बाल्मीकि चौपाल का निर्माण
				2	आईपीबी और नाली के साथ सड़क के फुटपाथ का निर्माण
				3	पम्प हाउस एवं तालाब संख्या 60 का निर्माण
				4	तालाब संख्या 60 से फतेहपुर नाले तक पीवीसी पाइप लाइन 6'' बिछाना
				5	तालाब संख्या 60 (ईंट कार्य) की रिटेनिंग वाल का निर्माण

	श्री विपुल गोयल	पृथला	पन्हेरा कलां	6	बारात घर का निर्माण
				7	स्कूल खेल मैदान के चारदीवारी का निर्माण
				8	शमशान घाट में शेड, हॉल एवं ट्रैक का निर्माण
				9	भगतिया मोहल्ला चौपाल एवं हॉल का निर्माण
				10	गोठा मोहल्ला चौपाल का निर्माण
जिले का नाम: गुरुग्राम					
4	श्री नरबीर सिंह	बादशाहपुर	ककरोला	1	सामुदायिक केंद्र का निर्माण
				2	करनाल से नाहरपुर तक का फुटपाथ का निर्माण
				3	श्मशान घाट के बी/दीवार एवं शेड का निर्माण
जिले का नाम: हिसार					
5	कैप्टन अभिमन्यु	नारनौंद	गमरा	1	आर/दीवार गुले तालाब का निर्माण
				2	आर/स्कूल दीवार तालाब का निर्माण
				3	आईपीबी स्ट्रीट, महिपाल पुत्र रामदिया के घर से पीडब्ल्यूडी रोड तक साइड ड्रेन के साथ
				4	रणधीर पुत्र सुरमल से शिव मंदिर तक साइड ड्रेन के साथ आईपीबी स्ट्रीट का निर्माण
				5	रामचंदर पुत्र दलीप के मकान से मुख्य तालाब तक साइड ड्रेन के साथ आईपीबी स्ट्रीट
				6	रामकुमार पुत्र मंगत से धनक चौपाल तक साइड ड्रेन के साथ आईपीबी स्ट्रीट
				7	मकान अनूप पुत्र श्री चांद से मकान नफे सिंह पुत्र जवारा तक ईंटों वाली गली का फुटपाथ का निर्माण
				8	मकान रोशन पुत्र सूरत सिंह से पीडब्ल्यूडी रोड तक ईंटों से गली का निर्माण
				9	आईपीबी स्ट्रीट एच/ओ भाल सिंह पुत्र जोगीराम से एच/ओ सुभाष डेरा वाला तक साइड ड्रेन के साथ
				10	बलवान पुत्र धूप सिंह के घर दिबाग पुत्र सुंदरलाल से साइड ड्रेन के साथ आईपीबी स्ट्रीट का निर्माण
				11	आईपीबी स्ट्रीट कुलदीप पुत्र श्री हवा सिंह से रामनिवास पुत्र भगेराम
			मसूदपुर	12	आईपीबी स्ट्रीट प्रेम पुत्र शिव लाल हाउस से रमेश धर्म हाउस (फिरनी) का निर्माण
				13	आईपीबी स्ट्रीट जोगा पुत्र बलबीर से कुलदीप और महाबीर मास्टर हाउस का निर्माण
				14	स्टेडियम (फिरनी) के पास तालाब के लिए आईपीबी स्ट्रीट स्कूल का निर्माण
				15	हर नारायण पुत्र रति राम हाउस के लिए आईपीबी स्ट्रीट गौ शाला रोड का निर्माण
जिले का नाम: झज्जर					
6	श्री ओम प्रकाश धनखड़	बादली	पटोड़ा	1	राजपूत चौपाल का निर्माण
				2	मेन रोड से तुलसी जगली मास्टर से सदराम तक आईपीबी स्ट्रीट का निर्माण

				3	फिरनी से प्राइमरी स्कूल तक आईपीबी स्ट्रीट का निर्माण
				4	देवी मंदिर रोड से मांगे तक, नूरगढ़ रोड से शमशान घाट तक और फिरनी से सदराम मास्टर के आवास तक आईपीबी स्ट्रीट का निर्माण।
				5	बस स्टैंड से राधे बनिया के प्लॉट तक गली का निर्माण
				6	गाडला रोड से कुंदन तक आईपीबी स्ट्रीट का निर्माण।
				7	कबीर चौपाल का निर्माण
				8	बल्लू खीरी सुल्तान रोड से एच/ओ नसिंह तक आईपीबी स्ट्रीट का निर्माण

जिले का नाम: करनाल					
	श्री करण देव कंबोज	इंद्री	बियाना	1	शमशान शेड का निर्माण
				2	सैनी चौपाल का निर्माण
				3	हरिजन चौपाल का समापन
				4	रतन सिंग के घर से पीडब्ल्यूडी रोड तक आईपीबी स्ट्रीट का निर्माण
				5	सुरेश के घर से मुख्य सड़क तक आईपीबी गली का निर्माण
				6	सैनी चौपाल से सुंदर तसीम के मकान से रामेहेश्वर के मकान तक आईपीबी गली का निर्माण
				7	जय दुर्गा क्लॉथ हाउस से सुभाष कंबोज तक आईपीबी स्ट्रीट का निर्माण
			घीर	8	राजपाल के घर से बड़ी कंबोज चौपाल तक आईएसआई आईएलपीबी गली व नाली का निर्माण
				9	रामबीर पूर्व सरपंच के घर से नरेंद्र चौधरी तक आईएलपीबी गली व नाली का निर्माण
				10	महिपाल अधिवक्ता व ज्ञानचंद के लिए बाड़ी कंबोज चौपाल का निर्माण
				11	जाटा सीनियर सेकेंडरी स्कूल से शामलाल के मकान तक गली व नाली का निर्माण कार्य
				12	राजबीर जांगड़ा के मकान से कॉप बैंक तक आईएसआई आईएलपीबी गली व नाली का निर्माण
				13	चाते राम के मकान से महाबीर के मकान तक आईएलपीबी गली व नाली का निर्माण
				14	पंचायत घर के पीछे की ओर आईएलपीबी गली व नाली का निर्माण
				15	दीपक टेंट के घर से नरेंद्र शॉप तक कच्ची सतह का निर्माण

				16	हाउस ऑफ लीलू राम नाई दुकान से आयुर्वेदिक औषधालय तक आईएलपीबी गली व नाली का निर्माण
				17	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में प्रार्थना स्थल का निर्माण
				18	राजकीय प्राथमिक विद्यालय में प्रार्थना स्थल का निर्माण
				19	फूला राम के पुत्र बहादुर के मकान के लिए गली व नाली पीडब्ल्यूडी रोड का निर्माण
				20	प्रेम के घर से पालाराम के घर से शिव कुमार के घर (एक गली) तक आईएलपीबी गली व नाली का निर्माण
				21	नरेंद्र चौधरी के घर से मदर डिवाइन स्कूल, नरेंद्र चौधरी से मुकेश मिस्त्री के घर, नरेंद्र चौधरी से चंडी राम के प्रेम पुत्र के घर, नरेंद्र चौधरी से गुरुद्वारा (एक गली) तक ILPB गली और नाली का निर्माण
				22	शेरगढ़ टापू रोड के किनारे नाले का निर्माण, पीएनबी बैंक से नाली, हाउस ऑफ फग्गू से गढ़ी बीरबल रोड
जिले का नाम: कैथल					
	श्री मनोहर लाल खट्टर	कोरक	कैथल	1	सामुदायिक केंद्र का निर्माण
				2	स्टेडियम की चहारदीवारी का निर्माण
जिले का नाम: कुरुक्षेत्र					
	श्री कृष्ण कुमार बेदी	शाहबाद	धुराला	1	बाल्मीकि चौपाल में हॉल का निर्माण
				2	गोबिंद, मीर सिंह, शादीराम व रिखी राम होते हुए फ्रिणी से चौपाल तक सड़क का निर्माण
				3	स्टेडियम में नाली का निर्माण
				4	श्मशान घाट में पेवर ब्लॉक का निर्माण
जिले का नाम: महेंद्रगढ़					
	श्री रामबिलास शर्मा	महेंद्रगढ़	नांगल सिरोही	1	अनुसूचित जाति के लिए सामुदायिक केंद्र का निर्माण
				2	शमशान घाट में बाउंड्री वाल एवं टीन शेड का निर्माण
				3	गली व नाली का निर्माण
	श्री ओम प्रकाश धनकर	नारनौल	पटीकरा	1	स्कूल से राजेश के मकान तक रास्ता का निर्माण
				2	शाहपुर दोयम से आईपीबी लिंक रास्ता पाटीकरा का निर्माण
				3	स्टेडियम की बाउंड्रीवॉल
				4	हरिजन चौपाल का निर्माण
				5	शाहपुर दोयम से बद्री प्रसाद के आवास तक आईपीबी रास्ता का निर्माण
जिले का नाम: पानीपत					

	कृष्ण लाल पंवार	इसराना	सोधपुर	1	तालाब के पास स्कूल का जीर्णोद्धार
				2	शमशान शेड एवं वृंदा का निर्माण
				3	सामुदायिक शौचालय का निर्माण
				4	गली एवं नाली का निर्माण
				5	गली का निर्माण
				6	शासकीय विद्यालय में शौचालय एवं मूत्रालय का निर्माण
				7	सैनी चौपाल का जीर्णोद्धार
				8	गली का निर्माण
जिले का नाम: रेवाड़ी					
	डॉ.बनवारी लाल	बवाल	रामपुरा	1	रामपुरा से नवीन तालाब तक गली व नाली का निर्माण
				2	डॉ. मुन्नी लाल के मकान से शांति के मकान तक गली व नाली का निर्माण
				3	मीरा पंच के मकान से शीशराम के मकान तक गली व प्रजापत चौक का निर्माण
				4	बादाम के मकान से जय नारायण के मकान तक गली व नाली का निर्माण
				5	जुजिया के मकान से रामू के मकान तक गली का निर्माण
				6	हार्डआई से क्रासिंग तक गली व नाली का निर्माण।
				7	रोहताश के मकान से अनीता देवी के मकान तक गली व नाली का निर्माण
				8	अतर सिंह के मकान से गजराज के मकान तक गली व नाली का निर्माण
				9	मयूर विहार गली नंबर 7 से सुभाष के घर से देसराज यादव के घर तक गली व नाली का निर्माण
				10	मुख्य मार्ग से मुनि लाल के मकान तक गली व नाली का निर्माण
				11	धर्मशाला के पास स्कूल के सामने चौक का पक्का निर्माण
				12	पीडब्ल्यूडी रोड से हनुमान मंदिर तक गली व नाली का निर्माण
				13	पीडब्ल्यूडी रोड से नया जौहर तक गली व नाली का निर्माण।
				14	जगदीश के मकान से ओ.डी. शर्मा के मकान तक गली व नाली का निर्माण।
				15	कपिल के घर से सोमदत के घर तक गली व नाली का निर्माण।

				16	बुधराम के मकान से मेहरचंद के मकान तक गली व नाली का निर्माण।
				17	डब्बू के घर से डॉ. स्नेहा के घर तक गली व नाली का निर्माण
				18	मास्टर राजेश की गली व नाली का निर्माण
				19	धर्मसिंह के मकान से लक्ष्मण के मकान तक गली व नाली का निर्माण।
				20	कास्ट। वेद की दुकान से पंडित नत्थू के घर तक की गली और नाली का।
				21	लाला मदन के मकान से गजराज के मकान तक गली व नाली का निर्माण।
				22	डा. श्याम बिहारी वाली गली की गली एवं नाली का निर्माण।
				23	प्रकाश वाली गली से होते हुए गली एवं नाली का निर्माण
				24	प्राथमिक विद्यालय में पानी टंकी का निर्माण
				25	प्राथमिक विद्यालय में शौचालय का निर्माण
			खंडोरा	26	महेंद्र के घर से जुगल किशोर के घर तक गली और आईपीबी का फुटपाथ
				27	विनोद के घर से बालकिशन के घर तक गली और आईपीबी का फुटपाथ
				28	वीरेंद्र के घर से रामावतार के घर तक गली और आईपीबी का फुटपाथ
				29	होशियार के घर से प्रेम राज के घर तक गली और आईपीबी का फुटपाथ
				30	सूरत सिंह के घर से राम सिंह के घर तक आईपीबी स्ट्रीट का निर्माण
				31	ताराचंद के घर से चंद्रो देवी के घर तक गली और आईपीबी का फुटपाथ
				32	प्रेम भवन से छत्री चौक तक गली व आईपीबी का फुटपाथ
				33	शेर सिंह के घर से ग्राम सचिवालय तक गली और आईपीबी का फुटपाथ
				34	बबलू मीणा के घर से मोहर सिंह के घर तक गली और आईपीबी का फुटपाथ
				35	सीताराम के घर से देसराज के घर तक गली और आईपीबी का फुटपाथ
				36	बाबूलाल के घर से जय सिंह के घर तक आईपीबी गली का फुटपाथ

				37	रामकिशन के घर से पीर बाबा तक सड़क और आईपीबी का फुटपाथ
				39	फिरनी से सरकारी स्कूल तक सड़क और आई.पी.बी के फुटपाथ
				40	संभूदयाल से फिरनी तक सड़क और आईपीबी का फुटपाथ
				41	डॉ. चित्टन सिंह के मकान से नाहर सिंह के मकान तक आईपीबी स्ट्रीट का निर्माण
				42	जय नारायण के मकान से मेन रोड तक गली और आईपीबी का फुटपाथ
				43	जय सिंह के मकान से सुल्तान के मकान तक गली और आईपीबी का फुटपाथ
				44	सूबे सिंह के मकान से राजेंद्र के मकान तक गली और आईपीबी का फुटपाथ
जिले का नाम: रोहतक					
14	श्री मनीष ग्रोवर	रोहतक	समरगोपालपुर कलां	1	गौ घाट एवं आर/दीवार का निर्माण
				2	आर / तालाब की दीवार
				3	गुरुद्वारे में कक्ष, शौचालय एवं दीवार का निर्माण
				4	आई.पी.बी और साइड ड्रेन वाली गली का निर्माण
जिले का नाम: सोनीपत					
15	श्रीमती कविता जैन	सोनीपत	मोहन	1	बी.सी चौपाल का समापन
				2	एस.सी चौपाल का निर्माण
				3	पंचायत सदन का समापन
				4	देवी माता थान से रणधीर के मकान तक आरएमसी रास्ता का निर्माण
				5	अशोक पुत्र शेर सिंह के मकान से भर्टू पुत्र अंजू के मकान तक आईपीबी सहित गली का निर्माण आदि
				6	प्राथमिक विद्यालय से खेत तक आर.एम.सी फिरनी का निर्माण।

____